त्रयोदश माला, खंड 17, अंक 9

NOT TO BE ISSUED

गुरुवार, 2 अगस्त, 2001
11 श्रावण, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....52.....
Date.....8/11/2002

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 2 अगस्त, 2001/11 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 163	1–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 164 से 180	25–54
अतारांकित प्रश्न संख्या 1627 से 1856	54–367
सभा पटल पर रखे गए पत्र .	367–370
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन	370
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गांव सिरसावन में हाल में हुई हत्याएं	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	370–372
कार्य-मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	372
संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक .	377
स्थगन प्रस्ताव–*अस्वीकृत* .	401–530
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू एस-64 स्कीम	373–377, 401–530
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	375, 401
श्री अरुण जेटली	417
श्री रूपचन्द पाल	431
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	438
श्री किरीट सोमैया	443
श्री चन्द्र भूषण सिंह	452
श्री मणिशंकर अय्यर	455
श्री जार्ज फर्नान्डीज	464
श्री राशिद अलवी	477
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	482
श्री वैको	486
डा. बिक्रम सरकार	494
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	498
श्री राम जीवन सिंह	501
श्री जोवाकिम बखला	504
श्री भान सिंह भौरा	505
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	506
श्री पवन कुमार बंसल	508
श्री सोमनाथ चटर्जी	512
श्री यशवन्त सिन्हा	518

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	530–540
(एक) दिल्ली में नकली उत्पादों के ''उत्पादन और बिक्री'' को रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय गोयल	530
(दो) राजस्थान में अलवर में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. जसवंतसिंह यादव	531
(तीन) झारखंड में पंचायतों में अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार को झारखंड पंचायत राज विधेयक, 2001 में संशोधन करने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	531
(चार) राजस्थान में अजमेर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की इकाई को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	532
(पांच) महाराष्ट्र के इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धरणगांव स्टेशन पर हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	533
(छह) नागपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने और वहां पर ''कार्गो हब'' स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	533
(सात) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	534
(आठ) पश्चिम बंगाल के ''चैन समुदाय'' को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	535
(नौ) केरल के कन्नूर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 के समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी	535
(दस) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ''डिविसीमा'' क्षेत्र में ज्वारीय तरंगों से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए सीमेंट-कंक्रीट के तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता	
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	536
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फतेहगढ़ और कायमगंज स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र भूषण सिंह	536
(बारह) महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत गुढे	537
(तेरह) उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों के लाभ के लिए राज्य सरकार को ''फ्री बोर-वेल'' स्कीम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	537
(चौदह) उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुशालाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री त्रिलोचन कानूनगो	538
(पन्द्रह) ईंधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	539

लोक सभा

गुरुवार, 2 अगस्त, 2001/11 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): हमने यू.टी.आई. घोटाले के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर आज चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

एनरॉन मुद्दे पर चर्चा

*161. **श्री विलास मुत्तेमवार:**[+]
श्री नवल किशोर राय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त गोडबोले समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ एनरॉन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली के वर्तमान शुल्क ढांचे को भी रद्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब एनरॉन के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेने के बारे में विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले के बारे में विभिन्न भागीदारों के साथ चर्चा करने के पश्चात् इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अंतिम समझौते का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) द्वारा डा. माधवराव गोडबोले की अध्यक्षता में गठित ऊर्जा समीक्षा समिति ने टैरिफ संबंधी मुद्दों समेत डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में विभिन्न सिफारिशें प्रदान की हैं। इसने विद्युत की लागत को कम करने के लिए डाभोल परियोजना के पुन: संरचना करने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार डाभोल विद्युत परियोजना की विद्युत की बिक्री करने तथा टैरिफ कम करने के मद्देनजर संबंधित पार्टियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए डा. माधव गोडबोले की अध्यक्षता में 30.4.2001 को एक वार्त्ता समिति गठित की है। भारत सरकार ने श्री ए.वी. गोकक, पूर्व सचिव, भारत सरकार को वार्त्ता समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। समिति ने संबंधित संगठनों के साथ कुछ बैठकें की हैं।

(ख) जी, नहीं। मामले पर अंतिम निर्णय महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया जाना है। एमएसईबी और डीपीसी द्वारा मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के प्रति भारत सरकार वचनबद्ध है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, दाभोल और एनरॉन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे हमारी सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया है। इस प्रश्न ने महाराष्ट्र की नौ करोड़ जनता का जीना हराम कर दिया है और यह परियोजना वहां की सरकार के गले की हड्डी बन गई है। यह कोई नया प्रश्न नहीं है। पिछले एक दशक से दाभोल परियोजना और एनरॉन विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस बीच केन्द्र और राज्य में कई सरकारें आईं, लेकिन एनरॉन के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिा गया। बड़े दुख की बात है कि आज भी केन्द्र सरकार एनरॉन मुद्दे को सुलझाने में कोई विशेष रूचि नहीं दिखा रही है। एनरॉन परियोजना अपने

आप में देश में एक अनूठा प्रयोग था। जो अभी तक किसी भी राज्य में नहीं हुआ। मंत्रालय का यह कहना कि यदि केन्द्र सरकार दाभोल परियोजना को अपने हाथ में लेती है तो ऐसी मांग अन्य राज्यों से भी उठेगी। यह योजना 12,000 करोड़ रुपए की है। उसमें तकरीबन 92 प्रतिशत खर्च किया गया है। वित्तीय संस्थाओं ने 5500 करोड़ रुपए दिए हैं या गारंटी दी है। इस परियोजना के अनुसार उसकी क्षमता का उपयोग नहीं होने की वजह से एनरॉन को घाटा हो रहा है। केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के लिए काउंटर गारंटी दी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या गोडबोले समिति की सिफारिशों पर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद है, यदि है तो उसे सुलझाने के लिए सरकार की क्या योजना है? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि महाराष्ट्र सरकार ने दाभोल परियोजना को केन्द्र के सुपुर्द करने की मांग की है? यदि यह सम्भव नहीं है तो क्या कम से कम इस परियोजना के दूसरे फेज़ को केन्द्र के सुपुर्द करने का उसने कोई प्रस्ताव दिया है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि समझौते की शर्तों के बावजूद एनरॉन बिजली परियोजना की दरों में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी नहीं करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ताकि राष्ट्रीय हितों का संरक्षण हो सके?

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने प्रश्न बाद में पूछा, पहले अच्छी-खासी प्रिएम्बल दी है। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि इस बारे में ऐसा निर्णय किया जाए जो राष्ट्र के हित में हो। यही भावना केन्द्र सरकार की है कि जो भी इस मामले में हल निकालने की जरूरत हो, वह हल ऐसा हो कि वह सबसे पहले राष्ट्र के हित की रक्षा करे और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग-अलग कदम उठाये। सबसे पहले मैं सदन को यह अवगत करना चाहूंगा कि इस परियोजना के दो पक्ष हैं। एक दाभोल पॉवर कंपनी है जिसमें एनरॉन कॉरपोरेशंस और उसकी सहयोगी कंपनी जिसने अमरीका से निवेश किया था, एक कंपनी है और महाराष्ट्र इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड यह परियोजना की दूसरी साझेदारी है। इन दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, उसमें केन्द्र सरकार ने जो काउंटर गारंटी दी, वह सिर्फ एक फेज के लिए उस सीमा तक सीमित है कि यदि महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने उत्तरदायित्व का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी गारंटी के तहत स्टेट गवर्नमेंट पर आती है और यदि वह स्टेट गवर्नमेंट भी अपना भुगतान करने में असफल रहेगी तो केन्द्र सरकार काउंटर गारंटी डीफॉल्ट जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उसको देने के लिए कायदे से, कानून से जिम्मेदार है। यह होने के बावजूद आज जो स्थिति है, यदि राज्य सरकार डीफॉल्ट करती है तो डीफॉल्ट को सही करने की जिम्मेदारी काउंटर गारंटी के तहत केन्द्र सरकार पर है लेकिन फेज-2 के लिए केन्द्र सरकार की काउंटर गारंटी नहीं है और फेज-1 में भी काउंटर गारंटी अलग-अलग मायने से किसी हद तक सीमित है। अनलिमिटेड काउंटर गारंटी नहीं है फिर भी यह बात भी सही है कि महाराष्ट्र में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह फैसला किया कि इस एग्रीमेंट को केंसिल किया जाये तो केन्द्र सरकार ने जो निर्णय लिया, उसको अमल में लाने के लिए जब जब भी केन्द्र सरकार से राज्य शासन ने मदद मांगी है, वह मदद देने के लिए केन्द्र सरकार ने तैयारी दिखायी और मदद की है। सबसे पहले गौडबोले समिति का गठन किया गया। उस समिति में राज्य सरकार के मुख्य मंत्री ने खत लिखकर हमसे विनती की कि केन्द्र सरकार का नौमिनी उसमें नौमिनेट किया जाये। हमने फौरन श्री ए.वी. गोकक जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर सैक्रेटरी हैं और बहुत ही जानेमाने ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी नियुक्ति की और उन्होंने हर मीटिंग अटैंड करके काफी अच्छा योगदान किया है, उसकी सराहना भी स्वयं डा. गौडबोले ने की है। इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में कुछ भी कहना बिल्कुल गलत होगा और साथ ही में हल निकालने के लिए जो-जो पार्टीज टू द कांट्रैक्ट जो एमएसईबी और डीपीसी हैं, यदि वे ही कुछ नहीं करना चाहेंगी और सोचेंगी कि केन्द्र सरकार को करना चाहिए क्योंकि यह हमारे गले की हड्डी बन गई है और यह किसी और के गले की हड्डी बन जाये तो मैं इसे राष्ट्र के हित में नहीं मानता हूं। हमारी यही भावना है कि इस समस्या का हल होना जरूरी है। मैंने बार-बार कहा था और मैं सदन को पुन: अवगत कराना चाहूंगा कि यह जो सुझाव आया था, वह अलग से क्वार्टर से आया था कि एनटीपीसी जो केन्द्र सरकार की ऐसी संस्था है जिसके द्वारा आज देश को करीबन एक तिहाई से भी ज्यादा पॉवर उसके तहत दी जाती है और एनटीपीसी से उस पॉवर को ले लिया जाये। मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा कि एनटीपीसी जो पॉवर प्रोजेक्ट बनाती है, हर पॉवर प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसके लिए बैक टू बैक पॉवर एग्रीमेंट अलग-अलग राज्यों से किये जाते हैं और वे राज्य जो पॉवर खरीदते हैं, उसकी कीमत भी तय करते हैं और साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एनटीपीसी को आगे लाने वाली पीपीए बन गई है और यदि यह पॉवर ली जाये तो उसकी कीमत बढ़ेगी और यदि सब राज्यों की सरकारें उसके लिए तैयार होंगी तो जो बर्डन आएगा तो हम सहने के लिए तैयार हैं। यह एक अलग बात है।

[अनुवाद]

दूसरी बात यह है कि एनटीपीसी विद्युत उत्पादनकर्त्ता है, यह विद्युत का व्यापारी नहीं है; यह विद्युत बेचता है, यह विद्युत खरीदता नहीं है।

[हिन्दी]

एनटीपीसी को आगे आने वाले दिनों में 20,000 मेगावाट से भी ज्यादा पॉवर जनरेट करने की जिम्मेदारी हमने उनके कंधों पर डाली है और एनरॉन जैसी जो स्थिति पैदा हुई है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में प्राइवेट इंवेस्टेमेंट पॉवर सैक्टर में काफी दिक्कत हो सकती है और यह दिक्कत होने की वजह से हमें यह भी देखना होगा कि एनटीपीसी को अपनी कैपेसिटी 20,000 मेगावॉट से बढ़ाकर 30,000 मेगावॉट तक भी ले जाना होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि हम उन पर ज्यादा बर्डन डालेंगे तो उनकी कैपेसिटी ज्यादा पॉवर जनरेट करने की कम होगी, इसीलिए हमने इसे अस्वीकार किया और यह हमारी पूरी जिम्मेदारी है और हमारी तरफ से प्रीऑक्यूपेशन भी है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाये और इसे हल करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता की जरूरत होगी, हम जरूर देंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार इस प्रश्न को गम्भीरता से ले रही है, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र को मदद करने की पहल नहीं की गई है। गोडबोले समिति महाराष्ट्र सरकार की पहल पर स्थापित हुई और उन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया। उनकी रिक्वैस्ट पर, कि आप अपना नुमाइन्दा दीजिए, इन्होंने अपना नुमाइन्दा दिया। महोदय, इनका इस प्रकार का सलूक और राज्यों के साथ भी ऐसी ही है। जहां एनडीए की सरकार है, उनकी मदद ये किस प्रकार करते हैं। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि एनटीपीसी ट्रेडिंग नहीं करती है और एनटीपीसी गुजरात में कावार और गंधार विद्युत सैन्टर्स का विस्तार करना चाहती है और इस विस्तार के लिए इन्होंने विश्व बैंक से 4,700 करोड़ रुपए मांगे हैं। आज हालत यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में कुल मिलाकर 2400 मेगावाट बिजली की कमी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इन संयंत्रों के विकास के बजाए क्या एनटीपीसी, डाभोल परियोजना के फेस-2 को अपने हाथ में लेगी, ताकि पश्चिमी बिजली ग्रुप के सभी सैन्टर्स की बिजली की आपूर्ति की जा सके? इस क्षेत्र में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या एनपीटीसी और एनरॉन के बीच समझौता हुआ है, जिसकी वजह से ही वित्तीय संस्थान भी इस परियोजना के फेस-2 में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं? इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं।

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: हां।

श्री विलास मुत्तेमवार: यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन दस मिनट पहले ही समाप्त हो गए हैं। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विलास मुत्तेमवार: यह बहुत गम्भीर प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपको यह बात समझनी चाहिए कि अन्य प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, एमएसईबी जो बिजली का उत्पादन करता है, उसका रेट 1.28 रुपए है, एनटीपीसी का रेट 1.70 रुपये है और एनरॉन का प्रति यूनिट रेट 7 रुपए है। आज महाराष्ट्र की सरकार को चार हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप प्रश्न कीजिए।

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, इतना रुपया महाराष्ट्र सरकार को खर्च करना पड़ेगा, तो उसका आधा बजट इसी में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की जनता का क्या होगा, यदि केन्द्रीय सरकार इस मामले में मदद नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, केन्द्र सरकार अपनी भेदभावपूर्ण नीति को अलग रखते हुए, कि क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र की मदद करेगी, ताकि एनरान का शिकंजा जो महाराष्ट्र सरकार का गला काट रहा है, उससे महाराष्ट्र राज्य को बचाया जा सके? मंत्री महोदय भी महाराष्ट्र से आते हैं।

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्या को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको यह याद है कि मैं भी महाराष्ट्र का हूं। इसीलिए महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करते हुए और देश के हितों की रक्षा करने के लिए ध्यान देते हैं कि समस्या को कैसे हल किया जाए और उस दिशा में हम पहल कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह कहना बिल्कुल गलत है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ हमारा रुख अन्य राज्य सरकारों से अलग है। यदि कुछ होगा, तो महाराष्ट्र की तरफ हमारा रुख ज्यादा होगा,

क्योंकि मैं और हमारी राज्य मंत्री, दोनों, महाराष्ट्र से आते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की तरफ हमारी जो भी सद्भावना है, गुडविल है, जो भी कोशिश है, उसको हम पूरी तरह से करेंगे और करते रहेंगे।

दूसरी बात, एनटीपीसी कुछ परियोजनायें गुजरात और शायद मध्य प्रदेश में तथा अन्य स्थानों पर भी कर रही है। अलग-अलग स्थानों पर परियोजनायें करने का मतलब यह नहीं है कि इस परियोजना को करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानना गलत है। मैं यह कहूंगा, अगर हमको 100 रुपए की जरूरत है और सौ रुपया राइट हैंड से लैफ्ट हैंड रख देने से क्या पूर्ति हो जाएगी। आगे आने वाले समय में देश को ज्यादा पावर की जरूरत होगी और ज्यादा पावर की पूर्ति करने के लिए नए प्लान्ट्स लगाए जा रहे हैं। अगर हम पावर खरीदेंगे, तो क्या हमारी पावर पूर्ति की समस्या हल हो जाएगी।

तीसरी बात, आपने कहा है कि डाभोल कम्पनी के बीच में विवाद पैदा हुआ और उसको हल करने के लिए गोडबोले समिति की स्थापना राज्य सरकार ने की है, केन्द्रीय सरकार ने नहीं की है।

[अनुवाद]

कांट्रेक्ट की पार्टिया एम.एस.ई.बी. और डी.पी.सी. हैं। समिति की नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए, इसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है कि समिति की नियुक्ति करने में भारत सरकार ने कोई पहल नहीं की। वास्तव में हम जो कुछ कर रहे हैं वह यह है कि हम एक प्रतिनिधि की नियुक्ति कते हैं और वह प्रतिनिधि समिति के विचार-विमर्श में पूर्ण रूप से भाग लेता है।

हम इसके समाधान के लिए पूर्णत: वचनबद्ध हैं जो महाराष्ट्र सरकार और अन्य संबंधित पार्टियों के लिए लाभकारी होगा क्योंकि यह राष्ट्र हित में होगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: माननीय अध्यक्ष महोदय, डाभोल और एनरॉन के संबंध में जो वातावरण बना है वह विस्मयकारी, विकट और अव्यावहारिक परिस्थिति पैदा करता है। आर्थिक सुधार का दूसरा दौर शुरू हो गया है और उस उदारीकरण के माहौल में एनरॉन की जो स्थिति है कि कहां एक रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर भारत में मेक्सिमम मानी जाती है, वहीं एनरॉन की दर, डाभोल के विद्युत की दर सात रुपए यूनिट की जो बात है, इस प्रकार का जो अंतर एवं माहौल है, इससे जो परिस्थिति पैदा हुई है, राज्य सरकार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और केन्द्र सरकार के बीच में जो अंतर दिखाई देता है इससे वातावरण विस्मयकारी होता है। राज्य सरकार, बिजली बोर्ड, केन्द्र सरकार और दाभोल के अन्य पार्टनर, एनरॉन समेत पिछले दस वर्षों में किन-किन लोगों के बीच में, कब-कब किन-किन बिन्दुओं पर समझौता हुआ? क्या वार्ता हुई और किस प्रकार से डाभोल की स्थापना हुई तथा किस प्रकार से यह स्थिति पैदा हुई? आज स्थिति ऐसी हो गई है कि एनरॉन इच्छा प्रकट करने लगा है।...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार या राज्य सरकार डाभोल को ले ले और एनरॉन वापिस चला जाए, यह सोचने पर मजबूर हो रहा है।

सरकार श्वेत-पत्र जारी करना चाहती है, जिसमें कि कब-कब, किन-किन लोगों के माध्यम से, किन-किन संस्थाओं के माध्यम से समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ। फिर काउंटर गारंटी दी गई, जिससे यह परिस्थिति पैदा हुई। तब से अब तक का श्वेतपत्र जारी करने से वातावरण साफ होगा और उदारीकरण के माहौल की स्थिति साफ हो जाएगी तथा विश्व में यह होगा कि भारत में जो एनरॉन के साथ हो रहा है वह ठीक था। ऐसा श्वेतपत्र के माध्यम से हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि सरकार श्वेतपत्र जारी करके स्थिति को स्पष्ट करना चाहती है अथवा नहीं। यदि करना चाहती है तो कब तक सरकार श्वेतपत्र जारी करेगी?

श्री सुरेश प्रभु: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हम श्वेतपत्र जारी करेंगे, यदि सदन की भावना होगी और श्वेतपत्र जारी करने की जरूरत होगी तो जारी करेंगे। लेकिन गोडबोले कमेटी ने इस पूरी परियोजना को और साथ-साथ जो कंट्रेक्ट किया गया था, उसे और सभी डाकुमेंट को महाराष्ट्र सरकार ने अभी-अभी तय किया है कि उस पूरे डाकुमेंट को पब्लिश करेंगे। मैं मानता हूं कि उसकी जरूरत है। हमने यह तय किया है, केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ महीनों में निर्णय लिया है सबसे पहले जो भी परियोजना आएगी...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय: मेरा प्रश्न यह है कि आप श्वेतपत्र जारी करना चाहते हैं या नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु: महाराष्ट्र सरकार ने पूरे डाकुमेंट दे दिए हैं। यदि आप चाहते हैं तो वे डाकुमेंट हम भी पब्लिश कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय: आप कब तक श्वेत-पत्र जारी करेंगे, यह भी मैंने पूछा था।

[अनुवाद]

श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील: महोदय, डाभोल परियोजना न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। यदि आप आवश्यकता को देखें तो महाराष्ट्र को 13,000 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है जबकि उत्पादन

मुश्किल से 8000 से 9000 मेगावाट होता है। इसलिए, जहां तक विद्युत का सम्बंध है इसकी भी आपूर्ति कम की जा रही है। इसी तरह, जब दस वर्ष पहले डाभोल परियोजना आई थी, उसके बाद से अनेक सरकारें आई हैं। विभिन्न पार्टियां अथवा उनके सहयोगी जिन्होंने इस पर विस्तार से वार्ता और चर्चा की है; इसके निर्णयों को क्रियान्वित किया है। अब जो मैं महसूस करता हूं वह ये है कि राज्य सरकार इसे राजनैतिक मुद्दा बना रही है, उन्हें एक साथ मिल-बैठकर कुछ करने का निर्णय लेना चाहिए। विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सहमत नहीं हो सकते। गोडबोले समिति ने यह कहा है कि आप वार्ता, चर्चा करें और कुछ करने का निर्णय लें। लेकिन मैं समझता हूं राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है। वे हमेशा ही अपनी राय पर अड़े रहते हैं।

महाराष्ट्र राज्य में विद्युत की कमी है और दो लाख से भी अधिक किसान तथा उद्योग बिजली के कनेक्शन की प्रतीक्षा में हैं। राज्य के गांवों और अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक कमी है। यदि एनरॉन की स्थिति और खराब होती जा रही है अथवा इसके काबू से बाहर जा रही है तो राज्य सरकार क्या करने जा रही है?

इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न है कि क्या केन्द्र सरकार राष्ट्र हित में कुछ उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से पूछने अथवा जरूरी नहीं है, प्रतिनिधि भेजकर हस्तक्षेप करने जा रही है। विदेशी निवेशक संदेह के घेरे में रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि यदि इस समझौते का यह हश्र है तो राज्य में अन्य समझौतों का भी यही हश्र होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और कोई उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से कहेगी अथवा राज्य सरकार को निर्देश देगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं यह पहले ही पूछ लिया गया है।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, विवाद के समाधान के लिए जो कुछ सम्भव होगा हम करेंगे। लेकिन इस विवाद के समाधान की जिम्मेदारी कांट्रेक्ट पार्टियों की भी उतनी ही है। यदि कांट्रेक्ट पार्टियां यह तर्क देती हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और वे अपने हाथ उठा देती हैं तो इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सकता है। केन्द्र सरकार राष्ट्र हित में इस विवाद के समाधान के लिए सभी आवश्यक सहायता करेगी।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। जहां तक महाराष्ट्र राज्य और दाभोल विद्युत निगम के बीच बातचीत का सम्बंध है; उसका नतीजा संसद के समक्ष और लोगों के सामने जो निकलकर आया है वह केवल एक ही पहलू है और वह है डाभोल विद्युत निगम से विद्युत खरीदना। लेकिन सबसे बड़ा जो हित है वह है एल.एन.जी. की ढुलाई का दाभोल द्वारा केवल 30 प्रतिशत एल.एन.जी. का उपयोग किया जा रहा है और 70 प्रतिशत शेष देश द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। कुल बहिर्गमन प्रतिवर्ष 1.20 करोड़ अमरीकी डालर के बराबर होने जा रहा है। जिसमें ढुलाई लागत भी शमिल है।

मैं माननीय मंत्री श्री मनोहर जोशी के साथ सहानुभूति जताता हूं क्योंकि उस समय वे इस परियोजना के खिलाफ थे लेकिन इस बात के लिए उन पर दवाब दिया गया था। अब केन्द्र में माननीय विद्युत मंत्री यह कह रहे हैं कि मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या किसी विद्युत परियोजना को मंजूरी देने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण देश में एकमात्र उत्तरदायी संगठन है? मुझे दस्तावेजों से पता चला है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसे मंजूरी नहीं दी है। उस समय वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से मंजूरी लिए बिना परियोजना को स्वीकृति दी थी। यहां दो मुद्दे हैं जिनका निपटारा किया जा रहा है उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा; पहला, क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर वह पुनर्विचार करने जा रही है क्योंकि अनुच्छेद 292 और 295 के अंतर्गत गारंटी केवल बाजार ऋण के लिए दी जा सकती है न कि वाणिज्यिक लेन-देन जो कि किया जा रहा हैं, के लिए और दूसरा, क्या वे गारंटी की समीक्षा करने जा रहे हैं और यदि वे इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं तो कितने दिनों में वे इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मेरे अच्छे मित्र और माननीय सदस्य ने प्रति गारंटी के बारे में मुद्दा उठाया है। सरकार द्वारा पहली प्रति गारंटी 15 सितम्बर, 1994 को दी गई थी। चूंकि उसके पश्चात् 1996 में जब हमारी 13 दिन की सरकार सत्ता में थी तब पुन: बातचीत की गई, इसलिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रति-गारंटी की दुबारा पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात्, जुलाई 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने उसी तरीके से जिसमें यह दी गई थी, सम्पूर्ण प्रति गारंटी की पुष्टि की थी। अब यह प्रति-गारंटी सरकार द्वरा पहले 1994 में और फिर 1996 में दी गई थी और इस प्रति-गारंटी में जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं यह एक प्रतिबंधित खंड है न कि ओपन एंडेड खंड है और इसमें इस तरह खुलासा हुआ है कि सरकार की प्रति-गारन्टी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गई है।

तथापि जो विचार-विमर्श अब हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, हम भी इस मुद्दे को ध्यान में रखेंगे।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या मंत्री जी इसका स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं कि क्या वे इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं अथवा नहीं?

श्री सुरेश प्रभु: सम्पूर्ण परियोजना समीक्षाधीन है और प्रति-गारंटी परियोजना का एक हिस्सा है। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम का उल्लंघन

*162. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न उद्योग और संगठन जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत खाद्यान्नों और चीनी की पैकिंग के संबंध में अनिवार्य पैकिंग मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उद्योगों/संगठनों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या चीनी और खाद्यान्नों, विशेषकर चावल और गेहूं की पैकिंग के संबंध में जूट के शत-प्रतिशत प्रयोग को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) ऐसे किसी उल्लंघन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने पटसन वर्ष 2001-2002 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों पर अभी निर्णय नहीं लिया है।

श्री अमर राय प्रधान: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि उत्तर पूर्णत: अस्पष्ट है; यह टालमटोल वाला उत्तर है। इस उत्तर के विपरीत सलाहकार समिति की सहमति से नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। अधिनियम 1987 में पारित किया गया था। वर्ष 1993-94 के बाद सीमेंट भरने के लिए एक भी जूट थैले का उपयोग नहीं किया गया है। जैसाकि आप जानते हैं कि सम्पूर्ण पूर्वी भारत के अधिकांश जूट उत्पादक जूट के उत्पादन से होने वाली आय पर निर्भर हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार और आंध्र प्रदेश में 16 लाख जूट उत्पादक हैं। इस उद्योग में तीन लाख कामगार लगे हुए हैं और सरकार उनके प्रति अत्यधिक उदासीन है क्योंकि अगस्त माह में वह उत्तर दे रहे हैं कि उन्होंने अभी तक इस जूट वर्ष के लिए अनिवार्य पैकेजिंग के मानदंडों का निर्धारण भी नहीं किया है।

सलाहकार समिति की बैठक 15 मई को हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि खाद्यान्न की पैकेजिंग के मामले में आरक्षण स्तर बीस प्रतिशत होगा जिसका अर्थ है कि यहां शत प्रतिशत न होकर 80 प्रतिशत ही है। यह भी निर्णय किया गया कि यह उर्वरकों के मामले में आरक्षण जारी नहीं रखा जाना चाहिए। सीमेंट के मामले में यह आरक्षणमुक्त है। यदि ऐसा है तो यह सिन्थेटिक लॉबी के दवाब में किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा निर्णय सलाहकार समिति की बैठक में ही क्यों लिया गया।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्टतया खंडन करता हूं कि ऐसा निर्णय सिन्थेटिक लॉबी के दवाब में किया गया है। यह आरोप पूर्णतया निराधार है।

श्री अजय चक्रवर्ती: आपका उत्तर भी गलत है। यह उत्तर तथ्यों के पूर्णतया विपरीत है।

श्री काशीराम राणा: यह सच है कि सलाहकार समिति की बैठक मई में हुई थी।

अध्यक्ष महोदय: रोजाना सदस्य अधिक भावुक होते जा रहे हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती: यह ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर ग़लत है।

श्री काशीराम राणा: अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है क्योंकि निर्णय अन्ततः सी सी ई ए द्वारा लिया जाना है।

श्री अमर राय प्रधान: अब अगस्त का महीना आ चुका है लेकिन सरकार ने जूट वर्ष 2001-2002 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग के मानदंडों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। मेरा प्रश्न है कि क्या आप जूट उत्पादकों को मार कर जूट उद्योग को नष्ट करना चाहते हैं अथवा आप उन्हें बचाना चाहते हैं। यदि आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो आपको जूट के थैलों में चावल, गेहूं, चीनी आदि जैसे खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए इसे शत प्रतिशत सीमा तक अनिवार्य बनाना होगा। उर्वरकों और सीमेंट के मामले में आरक्षण स्तर 50 प्रतिशत तक होना चाहिए।

श्री काशीराम राणा: सरकार निर्धन जूट उत्पादकों को मारना नहीं चाहती है। जहां तक भारत सरकार संबंध है, सरकार ने जूट के निर्धन उत्पादकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमेशा निर्णय लिया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे जूट के निर्धन उत्पादकों के उत्थान हेतु कुछ-निर्णायक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालें।

श्री अमरराय प्रधान: तब यह अधिनियम क्यों हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: आप जे सी आई को सुदृढ़ क्यों नहीं करते?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। कृपया पहले उनकी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा: महोदय, यहां उपस्थित माननीय सदस्य जे पी एम ए के आरक्षण के बारे में स्थिति जानना चाहते हैं। महोदय, जूट वर्ष 2000-2001 के लिए मानदंड 1 जुलाई की अवधि से*...(व्यवधान)*

श्री अमरराय प्रधान: मैंने वर्ष 2001-2002 की अवधि के लिए सरकार के निर्णय के बारे में जानकारी मांगी है?

श्री काशीराम राणा: महोदय, अक्तूबर, 2000 में यह खाद्यान्न और चीनी के बारे में 90 प्रतिशत और यूरिया पर 15 प्रतिशत थी। लेकिन 25 अक्तूबर से 30 जून 2001 तक यह खाद्यान्न और चीनी के लिए शत प्रतिशत था और यूरिया के लिए बीस प्रतिशत थी। लेकिन अहमदाबाद के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अध्यादेश जारी किया गया जिसमें खाद्यान्न और चीनी के लिए 90 प्रतिशत और यूरिया के लिए 15 प्रतिशत की व्यवस्था की गई थी। ऐसा अहमदाबाद स्थित गुजरात के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में किया गया था।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, जूट उद्योग में लगभग चार लाख कृषि परिवार लगे हुए हैं। इनमें से देश में लगभग ढाई लाख जूट उद्योग में लगे कामगार अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रहे हैं। सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है और सरकार के कार्यों का लाभ निचले स्तर पर जूट उत्पादकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यही समस्या है और इसीलिए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।

जूट थैलों के वितरण के रूप में सिन्थेटिक थैले आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि जूट उद्योग में लगे लोग अपने दिन चिंता में गुजार रहे हैं। जहां तक इसके मूल्य का संबंध है। सिन्थेटिक थैलों की तुलना जूट के थैलों से नहीं की जा सकती। सिन्थेटिक थैले बहुत सस्ती मूल्य पर उपलब्ध हैं। लेकिन जूट के एक थैले का उपयोग चार-पांच बार किया जा सकता है। अत: जूट के थैले के उपयोग से अन्तत: लाभ होता है। इसके अतिरिक्त, सिन्थेटिक थैले उस सीमा तक आधुनिक नहीं हैं जिस सीमा तक उन्हें होना चाहिए। अत: स्वाभाविक है कि जूट के थैलों का उपयोग अधिक बार किया जा सकता है। मेरा प्रश्न श्री अमर राय प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न के समान है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जूट पैकेजिंग मेटीरियल अधिनियम, 1987 को जारी रखा जाएगा अथवा नहीं और क्या सरकार जूट उत्पादकों को यह आश्वासन दे सकती है कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जूट पर्यावरणिक रूप से खतरनाक नहीं है और प्रदूषणकारी भी नहीं है।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्टतया बताना चाहूंगा। सरकार देश में उपलब्ध सभी जूट उत्पादों के उपभोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। एक ओर इस देश में जूट के सामान का उत्पादन काफी समय से स्थिर है। इसके उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरी ओर खाद्यान्न और चीनी की फसल में वृद्धि हो रही है। लेकिन जब भी ऐसी स्थिति आई है कि आवश्यकताओं और मांगों को पूरा किया जाए, सरकार ने यह निर्णय लिया है। अन्यथा सरकार सदैव जूट उत्पादकों का पक्ष लेती है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, जूट उद्योग के महत्व और भारत के पूर्वी भाग विशेषकर पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से इस देश में जूट की खेती और जूट उत्पादकों के संरक्षण देने जैसे मामलों में जूट क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए समग्रता दृष्टिकोण अपनाने के लिए बार-बार आग्रह किया। इसका एक महत्वपूर्ण घटक जूट के थैलों के अनिवार्य उपयोग हेतु इसे बढ़ावा देना है। मैं यहां नाम नहीं लूंगा लेकिन सरकार में ऐसे लोग रहे हैं जो सिन्थेटिक लॉबी से मिले हुए हैं और जूट के कम से कम उपयोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं जो अदालत में जा रहे हैं। हममें से कुछ लोग 28 और 29 जून को प्रधानमंत्री से भी मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि यदि सरकार ने 30 जून तक सी सी ई ए स्तर पर निर्णय नहीं लिया तो इससे गम्भीर स्थिति पैदा ही जायेगी। लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जूट के थैलों की कोई कमी नहीं है। खाद्यान्न का उत्पादन जूट के थैलों के उत्पादन से अधिक नहीं है। जूट उद्योग जूट के थैलों की किसी मात्रा में आपूर्ति करने के लिए तैयार है जो खाद्यान्न और यूरिया की पैकेजिंग के लिए आवश्यक हैं।

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अनिवार्य आदेश जो पिछले कुछ महीनों से वहां चल रहा है, को जारी रखने के लिए सी सी ई ए में तत्काल निर्णय लेने के लिए तैयार है?

श्री काशीराम राणा: महोदय, जूट वर्ष 2001-2002 के लिए सरकार और विशेषकर सी सी ई ए निश्चित रूप से निर्णय लेंगी।

श्री बसुदेव आचार्य: यह आदेश पहले ही 30 जून को समाप्त हो चुका है। सरकार इस आदेश को जारी रखने के लिए इस मामले को सी सी ई ए के साथ कब उठाएगी?

श्री काशीराम राणा: सरकार इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेगी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: हम पहले ही आधे घंटे की चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न सं. 163, प्रो. ए.के. प्रेमाजम।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मुझे कृपया जूट के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही अगले प्रश्न पर आ गया हूं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, कृपया इस पर आंधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य पहले ही प्रश्न पूछने के लिए खड़े हैं। हम देखेंगे। कृपया बैठ जाइए।

खन्ना समिति की सिफारिशों को लागू करना

*163. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यायमूर्ति खन्ना आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की थी;

(ख) क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर, विशेषकर पुराने पड़ चुके रेल पुलों के संबंध में कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एच. आर. खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की है। उनकी रिपोर्ट का भाग-1 अगस्त, 99 में प्रस्तुत किया गया जिसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट के भाग-2 (अंतिम) को फरवरी, 2001 में प्रस्तुत किया गया है और यह फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। रेल संरक्षा समीक्षा समिति-98 की रिपोर्ट के भाग-1 की सिफारिशों पर 'रेल मंत्रालय के विचार' संसद पुस्तकालय को भेज दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, खन्ना समिति रिपोर्ट के भाग-1 की स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

समिति ने 'घिसे-पिटे' पुलों और 100 वर्ष से अधिक पुराने पुलों या पूर्व इस्पात द्वरा निर्मित पुलों की एक वर्ष के भीतर एक कार्यदल द्वारा सुपर जांच पूरी करने और नए कार्यों सहित 'घिसे-पिटे' पुलों को 5 वर्ष की अवधि में नवीकृत करने की सिफारिश की है। समिति ने उल्लेख किया था कि 1.4.99 तक भारतीय रेलों पर 262 पुल 'घिसे-पिटे' कोटि के हैं। आज तक इन 262 पुलों में से 171 पुलों को नवीकृत कर दिया गया है। भारतीय रेलों पर सभी पुलों के निरीक्षण करने और उनकी अपेक्षित मरम्मत/नवीकरण के लिए एक व्यापक प्रणाली मौजूद है।

समिति ने यह भी कहा है कि भारतीय रेलों पर मौजूदा गतायु परिसंपत्तियों की सूची के अनुसार 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। समिति ने सिफारिश की है कि संरक्षा के हित में केन्द्र सरकार को रेलों को एकबारगी अनुदान मुहैया कराना चाहिए ताकि रेलपथ, पुलों, चल स्टॉक और सिगनल गियरों के नवीकरण के बकाया काम को निर्धारित समय-सीमा में समाप्त किया जा सके। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 17,000 करोड़ रुपए की व्यपगत न होने वाली रेलवे संरक्षा निधि की स्थापना करने की स्वीकृति दे दी है। इस निधि के स्रोत और परिचालन के संबंध में विस्तृत तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, 22 जून 2001 को केरल के कालीकट जिले में एक बड़ी रेल त्रासदी—मैं इसे दुर्घटना नहीं कहती - हुई, जिसमें 52 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग इस त्रासदी में घायल हुए। मैं यह प्रश्न इस भयावह मानव त्रासदी की पृष्ठभूमि में कर रहा हूं।

जिस कडलुण्डि पुल के ऊपर यह त्रासदी हुई, वह हमारी जानकारी के अनुसार 100 वर्ष पुराना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कम से कम 120 वर्ष पुराना है। जाहिर है कि यह एक शताब्दी से अधिक पुराना है। माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा गया है कि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खन्ना समिति की रिपोर्ट के भाग-1 की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। यह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। समिति ने खस्ता हाल पुलों, सौ वर्ष से पुराने पुलों या पुराने इस्पात से बने पुलों की एक कृतिक बल द्वारा एक वर्ष के लिए गहन जांच और नए दिशानिदेशों सहित पांच वर्ष की अवधि में खस्ता हाल पुलों की मरम्मत की सिफारिश की है। समिति ने यह नोट किया था कि भारतीय रेल विभाग में 1 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार 262 पुल खस्ता हाल पुलों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। 171 पुलों का मरम्मत कार्य शुरू हो चुका था। हमारा मानना है कि भारतीय रेल विभाग के पास वैज्ञानिक मूल्यांकन की कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है। यदि रेल प्राधिकारी वैज्ञानिक मूल्यांकन की तकनीक का उपयोग करते तो इस वर्ष 22 जून की त्रासदी न हुई होती।

सिफारिशों का जहां तक प्रश्न है, इनका प्रथम भाग अगस्त, 1999 में ही सौंपा जा चुका था और, तब से लगभग दो वर्ष गुजर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. ए.के. प्रेमाजम, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मेरा प्रश्न खस्ता हाल पुलों की पहचान किए जाने में संलिप्त व्यक्तिपरकता के बारे में है। मैं माननीय रेल मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि खन्ना समिति द्वारा प्रयुक्त ''डिस्ट्रैस्ड'' (खस्ता हाल) शब्द के संबंध में रेल प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परिभाषा क्या है। यदि यह एक खस्ता हाल पुल था, तो कडलुण्डि पुल को इस श्रेणी में होना चाहिए था।

हमारा मानना है कि इसमें व्यक्तिपरकता बरती गई हैं। यह रेल प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है कि किसी पुल को खस्ता हाल का दर्जा दे या नहीं। मैं ''खस्ता हाल पुल'' में 'खस्ता हाल' (डिस्ट्रैस्ट) शब्द की परिभाषा जानना चाहती हूं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या रेल प्राधिकारियों ने सिफारिशों के अनुसार कडलुण्डि पुल की पहचान खस्ता हाल पुल के रूप में की गई है। मैं यह भी जानना चाहती हूं....

अध्यक्ष महोदय: प्रो. ए.के. प्रेमाजम, आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकती हैं। दूसरा प्रश्न आप दूसरे अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछ सकती हैं। अब, माननीय मंत्री जी को अपने पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है। कडलुंडी में जो दुर्घटना घटी है, उससे पूरा राष्ट्र मर्माहत था। माननीय सदस्या ने पहले की कमेटियों का हवाला दिया है और खन्ना कमेटी के रेकमंडेशन की बात की है। यह सही है कि खन्ना कमेटी ने कई प्रकार की रेकमंडेशन दी हैं, दो पार्ट में रेकमंडेशन दी हैं। पार्ट-1 का जहां तक सवाल है उसके बारे में रेलवे ने अपनी राय भी प्रकट कर दी है, कई रेकमंडेशन को स्वीकार कर लिया है और उस पर काम किया जा रहा है। जहां तक ब्रिजेज की स्थिति का सवाल है, यह आज ही नहीं बहुत पहले भी ब्रिजेज के बारे में एक स्पेशल कमेटी, ऐक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, उसने भी कुछ सिफारिशें की थीं और उसके आधार पर 1988 के बाद रेलवे सिस्टम में लगातार काम होता रहा। जहां तक ब्रिज के इंस्पैक्शन का प्रश्न है, ब्रिज के इंस्पैक्शन का एक नियम है कि हर वर्ष ब्रिज का इंस्पैक्शन करते हैं। जहां तक कडलुंडी ब्रिज का सवाल है, इसके बारे में पुरानी कमेटी जो 1988 की है, उसने भी इस ब्रिज के बारे में अलग से नहीं कहा था कि यह ब्रिज खतरनाक है या डिस्ट्रैस्ड है। इस ब्रिज की जांच कुछ समय पहले ही की गई थी और जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके पहले भी एक ट्रेन गुजरी थी। जो कुछ हुआ अचानक हुआ और उसके लिए जांच की जवाबदेही जो स्टैच्युटरी ,इनक्वायरी होती थी वह सीआरएस ने की और इसके बाद हमने निर्णय लिया कि हायर लैवल पर इनक्वायरी हो, इसलिए चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने भी इनक्वायरी की है। उनकी प्रोविजनल फाइंडिंग रेलवे को मिल चुकी है। उन्होंने कुछ प्रोविजनल रेकमंडेशन की हैं और अंतिम रिपोर्ट आने वाली है और उसके आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन खन्ना कमेटी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो जो डेट भी दी गई है और जिसका उल्लेख माननीय सदस्या ने किया, 202 डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेस उन्होंने 1999 के हिसाब से पाए हैं, उसमें से 171 को रीप्लेस या स्ट्रैन्गथैन किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2001 के हिसाब से डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेज की संख्या रेलवे में 515 है और इस साल कोई 200 ब्रिजेज को हाथ में लिया जा रहा है। इसके अलावा जो खन्ना कमेटी ने कहा था कि जो ओवर एजेड ऐसेट्स हैं, जैसे ट्रैक्स हैं, सिगनल, बियर्स हैं स्टेशन पर, जिस तरह के डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेज हैं या फिर रोलिंग स्टॉक है, इसके रीप्लेसमेंट के लिए वन टाइम सेफ्टी ग्रांट 50000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी चाहिए। 2 जुलाई को प्रधान मंत्री के स्तर पर मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि एक रेलवे सेफ्टी फंड क्रियेट किया जाए 17000 करोड़ रुपये का, क्योंकि 15000 करोड़ रुपये का एक साल पहले की उनकी रिपोर्ट है, उसको अपडेट करके 17000 करोड़ रुपये का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाने का विचार है। इसमें कैसे फंडिंग हो और किसी

प्रकार से जो ओवरएजेड ऐसेट्स का रेन्यूअल होगा वह मॉडैलिटीज तय की जा रही हैं और बहुत जल्दी उसके बारे में सारी प्रक्रिया तय हो जाएगी। उसमें हम पुराने और डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेज का रेन्यूअल कर पाएंगे। माननीय सदस्या ने यह भी पूछा है कि डिसट्रैस्ड ब्रिजेज की क्या परिभाषा है। जो भी इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इस बारे में कहा है कि कोई फिज़िकल साइन विज़िबल हो, उसको मानते हैं, कहीं कोई क्रैक्स आ गए हैं, इन सब चीजों को मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक एज का सवाल है, एज के बारे में दुनियाभर में, खासकर कडालुंडी की दुर्घटना के बाद, मैंने नए सिरे से ब्रिज की एज के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है। हमारे रेलवे के जितने इंजीनियर्स हैं, उन्होंने बताया है कि ब्रिज एज सच की कोई एज नहीं होती है। यह सही है कि 100 साल से ज्यादा पुराने ब्रिज 50 हजार से भी ज्यादा हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं। कृपया बैठ जाइए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। यदि आप इजाजत देंगे, तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, लेकिन जो मैं सदन में कह रहा हूं वह बहुत जवाबदेही के साथ कह रहा हूं और जो जानकारी मुझे रेलवे के इंजीनियर्स दे रहे हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं कोई खुद नई चीज या नया तरीका नहीं गढ़ सकता हूं। इसके बारे में जो एक्सपर्ट्स कहेंगे, उसी के आधार पर मैं अपनी बात यहां कह सकता हूं। उनकी यह मान्यता है कि रेलवे ब्रिज की अलग से ब्रिज एज नहीं होती है। फायनेंशल रूल्स के अनुसार अवश्य नियम है कि कितना फंड हर साल रखा जाए और उसके हिसाब से मशीनरी के लिए और कंक्रीट के लिए, सबके लिए उन्होंने नोशनल ईयर निर्धारित किया था, लेकिन वह ब्रिज की स्ट्रक्चर की आयु नहीं है।

आप चाहेंगे तो पूरे फायनेंशल रूल्स मेरे सामने हैं, जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, उनको मैं यहां पढ़ सकता हूं यदि आप चाहेंगे, तो इनको सदन के पटल पर रख दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: सदन के पटल पर रख दीजिए।

श्री नीतीश कुमार: ठीक है। इन फायनेंशल रूल्स में ब्रिजेज के बारे में कहा गया है वह एकाउंटिंग के लिए कि कितना पैसा रेलवे ब्रिज के रिप्लेसमेंट के लिए रखेगी, कितना फंड बनाएगी और उस फंड में जमा करती रहेगी, लेकिन उस फंड में अब कई सालों से रुपया जमा नहीं होता है क्योंकि रेलवे की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि ब्रिज रिप्लेसमेंट की मद में पैसा डाला जाए।

डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेज की स्थिति यह है कि जहां इंजीनियर कोई विजीबल साइन देखते हैं, उनकी लेड डाउन ड्रिल है, हर साल उसको करते हैं और जहां कहीं से उनको शिकायत मिलती है, जिस इंजीनियर के जूरिस्डिक्शन में वह ब्रिज होता है, वहां ब्रिज इंजीनियर उसको इंसपैक्ट करता है और उसकी तत्काल मरम्मत के लिए, उसको स्ट्रैंथन करने के लिए कोशिश करता है और सबसे पहले ऐसे ब्रिजों पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कडालुंडी के ब्रिज का सवाल है, वह डिस्ट्रैस्ड ब्रिज की श्रेणी में आइडेंटिफाई नहीं था।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में मेरे प्रश्न को नहीं लिया गया है। वह तकनीकी पक्षों की बात कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि वह रेल प्राधिकारियों द्वारा दी गई सलाह या सुझाव के आधार पर बात करते हैं और तदनुसार कार्रवाई हो रही हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि रेलवे बोर्ड, दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य सभी श्रेणी के अधिकारियों सहित रेल प्राधिकारी रेल मंत्री को सही जानकारी देने के अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में असफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इन सब चीजों को आप अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न में शामिल कर सकती हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: दूसरी बात यह है कि 26.7.2001 को माननीय मंत्री श्री राजगोपाल के नाम से एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि किसी भी रेल जोन में विशेषज्ञ समिति ने किसी पुल या पुलिया को खतरनाक नहीं बताया। यह रिकार्ड मुझे संसद से प्राप्त हुआ है। यह खन्ना आयोग द्वारा की गई रिपोर्ट के विपरीत है। अत: वह सभा को भ्रम की स्थिति मे डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: यदि सामान्य स्तर से भी बात करें और खस्ता हाल पुलों की बात छोड़ भी दें तो भी प्रतिवर्ष निरीक्षण होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि यह निरीक्षण एक सहायक अभियंता द्वारा किया जाना होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कडलुण्डि पुल के मामले में नेमी निरीक्षण किया गया था; यदि हां, तो पुल के खंभों में आई दरारों का पता कैसे नहीं चला?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः यह पुल के संबंध में विशिष्ट प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि कडालुंडी ब्रिज का इंस्पैक्शन हुआ था और लोगों को पता नहीं है, जो बात हमारे नोटिस में आई है वह यह कि ब्रिजेज के इंसपैक्शन में रेलवे की एक सबसे बड़ी प्राब्लम है कि जिस ब्रिज के पिलर्स पानी के नीचे हैं, खासकर जो सी-वाटर है या उसका जो बैक-वाटर है, वहां पर वैसी स्थिति में यदि कुछ होता है, जमीन के नीचे उसको देखने के लिए उसको मैजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है। आर.डी.एस.ओ. को फिर कहा गया है कि दुनियाभर में वे पता लगायें और जहां कहीं भी इस तरह का इक्विपमेंट मिले, उसे मंगाएं। लेकिन जो अब तक का तरीका है, वह देख करके, महसूस करके जानने का काम करते हैं और फिर उसके मुताबिक ब्रिज को स्टेंग्थन करने का काम करते हैं। उसके पिलर्स के इर्द-गिर्द जो सायल स्ट्रक्चर है, उसको देखकर पता लगाने का काम करते हैं कि क्या स्थिति है।

जमीन के नीचे जो स्ट्रक्चर है, जैसे कडलुंडी का जो ब्रिज है, वह स्क्रू पाइप फाउंडेशन ब्रिज है, सौ साल नहीं, 125 साल से भी ज्यादा पुराना था, कॉस्ट आयरन स्ट्रक्चर है। चीफ कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो जांच करवाई और उसके बाद जो पाया है, उसकी स्थिति यह है कि अंदर के स्ट्रक्चर में जो कुछ भी हो रहा है खासकर कॉस्ट आयरन स्ट्रक्चर में, उसके बारे में देख कर पता लगाना मुश्किल होता है। पहले भी एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसने यह कोशिश की थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजमः क्या भारतीय रेल विभाग ने मलेशिया में प्रमुख परियोजना इसी तरह शुरू की है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह सही नहीं है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमारः मैं सभा को रेलवे प्रणाली को आने वाली कठिनाइयों की जानकारी दे रहा हूं। माननीय सदस्यों को उन्हें भी जान लेना चाहिए।

[हिन्दी]

सदर्न, रेलवे ने भी कोशिश की थी कि बाहर कहीं से यह मिले लेकिन वह नहीं मिला। फिर से आर.डी.एस.ओ., लखनऊ को कहा गया है कि दुनियाभर में भी अंडर वाटर इंस्पैक्शन के लिए ऐसी स्थिति में कोई मशीन मिले, कोई मकैनिज्म मिले, कोई टैक्नोलौजी मिले, वह कहीं से भी मिले, उसे लीजिए। लेकिन अब तक कोई पौज़ीटिव रिज़ल्ट नहीं आया है, यह एक मजबूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि जो कॉस्ट आयरन ब्रिजेस हैं, चाहे वे स्क्रू पाइप फाउंडेशन हों या संक फाउंडेशन हों, उन सबको बदल दिया जाए। उन सबको बदल देने का फैसला लिया है ताकि इस तरह का स्ट्रक्चर रहे ही नहीं। आज की तारीख में इस तरह के 47 ब्रिजेस हैं जिनमें से 17 पर काम चल रहा है, बाकी ब्रिजेस को भी, जब स्पैशल रेलवे सेफ्टी फंड आ जाएगा, उसके माध्यम से टोटल रिप्लेस कर दिया जाएगा। कडलुंडी ब्रिज को भी टोटली रिप्लेस किया जाएगा, फिलहाल उसे अलग ढंग से स्ट्रैनदैन करके पीयर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जब उसके चारों तरफ पाइप डाल कर स्ट्रक्चर डाला जाएगा, तब ट्रेन को चालू किया जाएगा। इसके बाद ही उसका रिप्लेसमैंट कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री टी.टी.वी. दिनाकरनः न्यायमूर्ति खन्ना समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि रेल मंत्रालय, विभिन्न रेल दुर्घटनाओं में मारे गए और जख्मी हुए लोगों के सम्मान में कम से कम तीन वर्ष के लिए सभी प्रकार से समारोहों पर रोक लगाए और इस अवधि को तन मन से और पूर्णतया रेल सुरक्षा में सुधार के प्रति समर्पित करे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में रेल प्राधिकारियों को कोई परिपत्र या निदेश जारी किया गया है और इसका कार्यान्वयन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेलवे फंक्शन्स का सवाल है, रेलवे का संबंध आम लोगों से इतना ज्यादा है कि यह भी मांग होती है कि जब कोई ट्रेन चले, रेलवे की कोई नई परियोजना आए, उसका काम शुरू हो तो माननीय सदस्य भी एसोसिएट होना चाहते हैं, लोग भी ऐसोसिएट होना चाहते हैं क्योंकि लोगों से इसका संबंध है। इसलिए यह तो कभी संभव नहीं है कि फंक्शन्स नहीं होंगे क्योंकि तब माननीय सदस्य डिमांड करेंगे कि हमारे एरिया में यह फंक्शन होना चाहिए। लेकिन हां, उसका कोई सैलीब्रेशन नहीं होता है और जो फंक्शन है, उसमें यह कोशिश की जा रही है कि खर्च कम से कम किया जाए।

सरदार बूटा सिंहः अध्यक्ष महोदय, इंडियन रेलवे आज थर्ड जनरेशन का बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है। स्टीम इंजन से शुरू किया, डीजलाइजेशन हुआ और अब इलैक्ट्रिफिकेशन है। जो हमारा रोलिंग स्टॉक है, वह मोस्ट ऑफ दी ट्रैंड वही पुराना चल रहा है जो

स्टीम इंजन के वक्त का था। एक ट्रेन के पेयर्स के डिब्बे पहले से दुगने हो गए, जो पहले 16 डिब्बों की सीट्स थी, आज 25 डिब्बों की हो गई हैं। पावर स्पीड इतनी बढ़ गई है कि जो पहले का ट्रैक था, वह नीचे से कांपता है। क्या मंत्री महोदय ने कभी यह अध्ययन करवाया है कि जो हमने पावर बोर्ड ट्रैक को इतनी बढ़ोत्तरी दे दी, उसका मैचिंग न तो रोलिंग स्टॉक, न सिगनल सिस्टम और न ब्रिजेस, कोई भी उसका कम्पीटैंट नहीं है जिसके कारण ऐक्सीडैंट्स आफ्टर ऐक्सीडैंट्स होते जा रहे हैं। रेलवे में मेनटेनैंस का फंड हर साल नीचे जाता जा रहा है। आपके बजट में मेनटेनैंस का फंड इतना नीचे चला गया है कि रेलवे बुरी तरह से आउटबोर्न हो चुका है, डिप्रैस्ड हो चुकी है।

मुझे तो लगता है कि रेल मंत्री जी डिस्ट्रैस हो चुके हैं, यह सरकार भी डिस्ट्रैस हो चुकी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि खन्ना कमेटी के बाद क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा अध्ययन कराएंगे? हजारों लोगों की जान केवल रेल मंत्रालय की नाकाबलियत से, नैग्लीजेंस से पंजाब और केरल में खत्म हो गई। मेंटीनेंस नहीं है और इनका मैटीरियल बिल्कुल आउटडेट हो चुका है, पावर इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, इस कारण से ज्यादा मौतें हुई हैं। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा अध्ययन कराएंगे, जिससे रेल का पूरा सिस्टम मॉडरेट हो जाये और इतना पैसा सरकार इसको दे कि आज के वर्तमान युग में भारत की रेल दुनिया में एक बैस्ट रेल हो जाये?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का रेल से पुराना सम्बन्ध है और उसकी जानकारी पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है। उन्हें ज्ञात होगा कि रेलवे संरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए हमेशा कन्सर्न्ड रही है, इसलिए समय-समय पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कमेटीज बनाई गई हैं। अभी सबसे हाल की जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता की जो समिति है, रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट दी है, जिस पर आधारित आज का यह प्रश्न है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कई प्रकार की सिफारिशें की हैं, जिनमें एक सिफारिश यह भी है कि जो भी पुराने ओवरएज्ड असैट्स हैं, लाइक ट्रैक्स हैं, सिगनल गियर्स हैं, ब्रिजेज हैं, रोलिंग स्टाक्स हैं, जो पुराने हैं, इन सब को एकमुश्त 5-7 साल के अन्दर बदल दिया जाये। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से सिफारिश की है कि एक बार सेफ्टी ग्राण्ट दे। मैंने अभी सूचित किया कि प्रधान मंत्री जी ने दो जुलाई को मीटिंग की और यह निर्णय ले लिया कि 17,000 करोड़ रुपये का एक अलग से रेलवे सेफ्टी फंड बनाया जायेगा। उस फंड की मोडेलिटीज आदि तय हो रही हैं और उसके माध्यम से अगले पांच से सात वर्षों में जितना भी रिन्युअल ड्यू है, चाहे वह रेलवे ट्रैक का हो, चाहे सिगनल गियर्स का हो, चाहे रोलिंग स्टाक का हो, चाहे ब्रिजेज का हो, उसके माध्यम से वह किया जायेगा और जो ग्राण्ट एराइजिंग्स हैं, उसके लिए बजट में प्रोवीजन किया जाता है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इस साल के बजट में ट्रैक रिन्युअल के लिए 2680 करोड़ रुपये का आउटले है, पिछले साल में जितना व्यय हुआ या जो रिड्यूस्ड आउटले था, उससे 21 परसेंट ज्यादा है। सिगनलिंग और टेलीकम्युनिकेशन में भी इस साल के बजट में 434 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के रिवाइज्ड आउटले से 25 प्रतिशत ज्यादा है। इसलिए रेलवे सेफ्टी के लिए कन्सर्न्ड है और इसलिए खन्ना कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कदम उठाये गये हैं, उठाये जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पेशल रेलवे फंड बनाने की बात है, उससे बहुत हद तक रेलवे की स्थिति दुरुस्त हो जायेगी और बूटा सिंह जी की चिन्ता एक हद तक समाप्त हो जायेगी।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: भारतीय रेल में, सुरक्षा विभागों को विशेषत: डिवीजनों में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। कई बार सहायक वाणिज्यक आधिकारियों को डिवीजनल सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। क्या सरकार सुरक्षा विभाग को सतर्कता विभाग की तरह दण्डात्मक शक्तियां प्रदान कर सुदृढ़ करने पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: विजिलेंस का काम तो अलग है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा कि सेफ्टी डिपार्टमेंट को, सेफ्टी आर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंदन करना चाहिए, उनका यह विचार उचित है। हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और यह जो फंड बनेगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन आदि में भी उसकी बड़ी भूमिका होगी, उसको स्ट्रेंदन किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं खन्ना समिति की सिफारिशों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि खन्ना समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 17,000 करोड़ रुपये की एक व्यपगत न होने वाली निधि गठित की जा रही है। श्री नीतीश कुमार के रूप में हमारे पास एक बहुत ही कुशल मंत्री हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं के बारे में रेल विभाग का रवैया बहुत ही खराब है।

मध्याह्न 12.00 बजे

1988 में हमें उस समय बहुत ही बुरा अनुभव हुआ जब पेरुमन नामक स्थान पर एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें रेलगाड़ी

अष्टमुड़ी झील में गिर गई थी और इसमें लगभग 100 लोग मारे गए थे और कई सौ लोग जख्मी हुए थे। रेल सुरक्षा आयुक्त ने जांच की। पर पहला निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने कहा कि दुर्घटना एक समुद्री तूफान के कारण हुई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय समाप्त हो गया है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी जांच में यह पाया गया कि दुर्घटना रेल पटरियों और वैगनों की खराबी के कारण हुई। गलत रिपोर्ट देने वाले उस रेल आयुक्त के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। मंत्री महोदय, आप उत्तर माननीय सदस्य को भेज दें।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: वह आपको लिखित उत्तर भेज देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण और वितरण से होने वाली हानियां

*164. **श्री रामजी मांझी:***
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य विद्युत बोर्डों को वर्ष 2000-2001 के दौरान पारेषण और वितरण के दौरान कितनी हानि हुई;

(ख) क्या विकसित देशों की तुलना में ये हानि दुगुनी से भी अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को विद्युत क्षेत्र में वितरण के दौरान होने वाली हानि को रोकने हेतु कार्यवाही करने का निदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार को भेजी गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी हानि को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) रा.वि.बो./विद्युत विभागों/यूटिलिटियों द्वारा के.वि.प्रा. को उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार विभिन्न रा.वि.बो./विद्युत विभागों में वर्ष 1992-93 से 1998-99 तक पारेषण एवं वितरण हानियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

योजना आयोग द्वारा प्रकाशित रा.वि. बोर्डों और विद्युत विभागों के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए विभिन्न रा.वि.बो./विद्युत विभागों की अनुमानित पारेषण एवं वितरण हानियां विवरण-II में इंगित हैं।

(ख) और (ग) विकसित देशों में ये हानियां 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच हैं। विकसित देशों की हानियों की तुलना में देश की कुल हानियां विवरण-III में दी गयी हैं।

(घ) से (च) विद्युत क्षेत्र में वितरण हानियों को कम करने के लिए सभी राज्य सरकारों से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। वितरण प्रणाली में सुधार करने और टी एंड डी हानियों में कमी करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यूटिलिटियों को निधियां प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2000-01 में ताप विद्युत और जल विद्युत स्टेशनों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने और वितरण प्रणालियों में सुधार करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2001-02 के दौरान यूटिलिटियों को 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने हैं। इस प्रकार की हानियों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नवत हैं—

विद्युत वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/विद्युत विभागों की हैं। टी एंड डी हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न का प्रावधान किया गया है।

* प्रचालनात्मक वोल्टता का उच्चीकरण।
* एलटी लाइनों की लम्बाई में कमी।
* भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मर स्थापित करना।
* उपभोक्ता परिसरों के समीप कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को स्थापित करना।
* शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना।
* निर्माण और प्रचालन प्रौद्योगिकियों में सुधार, और
* दीर्घकालीन आधार पर वितरण प्रणाली की डिजाईन और आयोजना हेतु प्रणालीगत दृष्टिकोण।

ऊर्जा लेखा परीक्षा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में हानियों की पहचान करने और इनमें कमी करने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा करने हेतु पद्धति निर्धारित की गयी है।

3 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ऊर्जा की चोरी और इसके प्रोत्साहन को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 को संशोधित किया गया है।

(1) सभी 11 के.वी. फीडरों पर लेखा परीक्षा 6 माह के भीतर प्रभावी कर दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी नियत की जाएगी।

(2) इस प्रयोजनार्थ एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का प्रचालन किया।

(3) उपरोक्त के आधार पर अगले दो वर्षों में विद्युत की चोरी का पता लगाने और उसका उन्मूलन करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

(4) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण मीटरिंग पूरी करने का लक्ष्य बनाया जाएगा। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे।

(5) विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की गुणवत्ता में एपीडीपी के जरिए सुधार किया जाएगा।

(6) निम्नलिखित में से किसी एक या सभी के माध्यम से 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जानी है।

- पूर्ण जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन।
- पंचायतें/स्थानीय निकायों/मतदाताओं/उपभोक्ता संघों को, जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय वितरण हस्तांतरित करना,
- वितरण का निजीकरण,
- या अन्य कोई साधन।

(7) विद्युत क्षेत्र में वितरण क्षेत्र के संबंध में निजी निवेश आमंत्रित करने में राज्यों के प्रयासों पर जोर प्रदान करने की आवश्यकता है।

(8) वितरण में चालू प्रचालन के दो वर्षों के भीतर न लाभ-न-हानि की स्थिति पर पहुंचने की आवश्यकता है और उसके बाद सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त करने की आवश्यकता है।

विद्युत मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन में पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी, मीटरीकरण तथा ऊर्जा लेखा परीक्षण शामिल किये गए हैं और कार्य निष्पादन लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

विवरण-I

रा.वि.बो./विद्युत विभागों में प्रतिशत रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियां
(वाणिज्यिक हानि जैसे विद्युत दुरूपयोग आदि समेत)

क्षेत्र/रा.वि.बो./विद्युत विभाग	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर क्षेत्र							
हरियाणा	26.78	25.00	30.80	32.39	32.77	34.04	33.81
हिमाचल प्रदेश	19.51	18.31	18.21	16.09	18.02	20.13	20.13

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू व कश्मीर	48.28	45.69	48.74	47.52	48.27	49.95	47.07
पंजाब	19.24	19.37	16.70	18.49	19.10	18.94	16.83
राजस्थान	22.74	25.00	24.78	29.27	26.28	26.41	29.43
उत्तर प्रदेश	24.43	24.08	21.69	21.84	24.84	26.18	26.86
चण्डीगढ़	26.21	27.27	28.44	33.72	21.88	22.38	उ.न.
डीवीबी (दिल्ली)	23.56	31.79	34.56	48.57	49.08	47.91	40.0
पश्चिमी क्षेत्र							
गुजरात	22.03	20.34	20.02	20.08	17.14	21.57	19.69
मध्य प्रदेश	21.35	20.26	19.61	17.84	19.24	19.58	20.92
महाराष्ट्र	17.83	16.22	16.33	16.95	16.55	18.75	18.14
दादरा एवं नागर हवेली	17.98	12.64	11.35	09.31	08.80	12.90	उ.न.
गोवा	21.85	24.50	26.87	26.06	23.50	31.02	उ.न.
दमन एवं दीव	15.67	22.34	16.30	12.80	08.15	14.69	उ.न.
दक्षिणी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	19.88	19.91	17.95	19.34	33.19	32.14	31.8
कर्नाटक	19.55	19.55	19.41	19.06	18.73	19.31	30.08
केरल	21.95	20.00	20.05	21.12	20.59	18.73	17.75
तमिलनाडु	17.50	17.18	17.11	16.19	17.65	17.29	16.9
लक्षद्वीप	18.72	16.99	17.84	17.23	15.11	15.70	उ.न.
पांडिचेरी	15.31	15.80	15.00	16.54	17.38	13.56	उ.न.
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	22.00	20.35	19.76	15.91	25.31	16.26	23.0
(उड़ीसा) ग्रिडको	25.25	22.43	23.03	24.17	50.15	50.10	48.44
सिक्किम	22.55	22.60	21.22	16.47	29.24	22.87	
पश्चिम बंगाल	24.87	20.82	21.51	19.26	18.01	19.67	25.5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह							
अंदमान और निकोबार	23.62	23.71	22.38	19.25	19.15	20.59	उ.न.
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
असम	21.41	22.44	24.18	26.91	25.97	27.32	23.0

1	2	3	4	5	6	7	8
मणिपुर	22.35	23.92	25.30	24.85	22.95	21.09	उ.न.
मेघालय	11.79	18.03	18.47	12.55	19.75	12.28	20.17
नागालैंड	27.26	33.45	36.12	35.17	26.81	29.79	उ.न.
त्रिपुरा	30.64	30.53	31.96	30.86	30.11	31.11	उ.न.
अरुणाचल प्रदेश	32.32	42.04	45.30	37.12	32.62	34.10	उ.न.
मिजोरम	29.04	31.89	29.76	25.18	34.35	46.84	उ.न.
अखिल भारत (यूटिलिटी)	21.80	21.41	21.13	22.27	24.53	24.79	25.62

*रा.वि.बो./विद्युत विभाग की सूचना पर आधारित एवं ऊर्जा की अंतरराज्यीय बिक्री संबंधी समाधान के बाद परिवर्तन संभव और अनंतिम हैं।

विवरण-II

टी एंड डी हानियां एवं उपलब्धता का प्रतिशत

रा.वि.बो./विद्युत विभाग	1999-2000	2000-2001
1	2	3
हरियाणा	27.0	25.0
हिमाचल प्रदेश	17.6	17.3
जम्मू और कश्मीर	47.0	46.5
पंजाब	16.8	16.9
राजस्थान	29.5	22.0
उत्तर प्रदेश	25.5	25.0
दिल्ली	47.0	45.0
गुजरात	19.6	19.4
मध्य प्रदेश	20.7	20.5
महाराष्ट्र	17.0	16.7
गोवा	24.3	24.0
आंध्र प्रदेश	31.4	31.0
कर्नाटक	30.0	30.0
केरल	21.1	20.8

1	2	3
तमिलनाडु	16.7	16.5
पांडिचेरी	13.3	13.0
बिहार	23.0	22.0
उड़ीसा (ग्रिडको)	6.0	6.0
सिक्किम	20.0	20.0
पश्चिम बंगाल	28.0	28.0
असम	37.0	35.0
मणिपुर	40.0	30.0
मेघालय	20.4	20.3
नागालैंड	28.5	29.2
त्रिपुरा	28.0	28.0
अरूणाचल प्रदेश	20.5	18.0
मिजोरम	42.5	40.0

*उक्त अनुमान में उड़ीसा की वितरण कंपनियों का घाटा शामिल नहीं है।

विवरण-III

विकसित देशों में पारेषण और वितरण हानियों का प्रतिशत

देश	1989	1990	1991	1992	1993
1	2	3	4	5	6
आस्ट्रिया	7.19	7.34	7.44	7.15	7.59
बेल्जियम	5.64	5.82	5.59	5.51	5.60
कनाडा	9.45	8.44	8.74	8.46	8.25
चेकोस्लोवाकिया	7.91	7.86	–	8.50	10.34
डेनमार्क	5.65	5.20	6.92	6.70	6.93
फिनलैंड	5.64	5.10	5.04	5.48	5.01
फ्रांस	8.25	8.19	8.28	7.64	8.02
जर्मनी	–	5.45	5.17	4.87	5.08
ग्रीस	8.12	9.05	8.88	7.92	8.66

1	2	3	4	5	6
हंगरी	11.11	11.09	11.06	9.43	13.66
आइसलैंड	8.58	8.88	8.74	7.65	6.72
आयरलैंड	9.70	9.78	10.00	9.71	9.61
इजरायल	5.06	5.22	5.43	5.06	4.65
इटली	8.54	7.83	8.15	7.84	8.31
नीदरलैंड	4.53	4.58	4.52	4.59	4.94
नार्वे	8.53	7.49	7.40	7.51	8.13
पोलैंड	10.58	9.15	12.43	13.85	15.19
पुर्तगाल	12.31	12.31	12.27	12.32	12.46
रोमानिया	6.16	8.96	10.16	10.85	11.25
स्पेन	9.10	9.85	10.01	10.05	10.10
स्वीडन	7.20	6.98	6.57	7.25	7.72
स्विटजरलैंड	8.03	7.97	7.97	8.03	7.98
यू.एस.एस.आर.	9.45	9.32	–	–	–
रूसी संघ	–	8.84	8.98	9.53	9.26
उक्रेन	–	9.03	9.53	10.21	10.85
उक्रेन एसएसआर	8.50	–	–	–	–
यू.के.	8.53	8.39	8.80	7.49	7.85
यू.एस.ए.	5.70	9.93	7.93	8.40	8.66
उजबेकिस्तान	–	10.40	9.43	10.09	9.72
यूगोस्लाविया	9.89	–	10.25	–	–
भारत @	23.38	22.89	22.83	21.80	21.41

टिप्पणी/स्त्रोत

1. इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टेस्टिक फॉर यूरोप, यू.एन. प्रकाशन की वार्षिक बुलेटिन से।
2. के.वि.प्रा. द्वारा प्रकाशित सामान्य समीक्षा।
3. आंकड़े उपलब्ध/लागू नहीं हैं।

@ वित्तीय वर्षों के लिए।

[हिन्दी]

रेलों में चोरी और डकैती की घटनाएं

***165. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलों में चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं, इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि रेलों में चोरी और डकैती के मामले में कमी आई है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान डकैती के 106 मामले और यात्रियों के सामान की चोरी के 6024 मामले दर्ज हुए, जबकि 1999-2000 के दौरान डकैती के 109 मामले और यात्रियों के सामान की चोरी के 7259 मामले दर्ज हुए थे।

(ग) 'पुलिस-व्यवस्था' राज्य का विषय होने के कारण चलती गाड़ियों सहित रेलों पर अपराध की रोकथाम करना राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। बहरहाल, अपराध की रोकथाम के लिए रेलों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए राजकीय रेलवे पुलिसकर्मियों के लिए गाड़ियों में ही स्थान मुहैया कराया जाता है, कुछ चुनिंदा गाड़ियों में सचल पुलिस-स्टेशनों के लिए भी स्थान मुहैया कराया जाता है।

2. चोरी आदि के संबंध में यात्रियों को सचेत करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सी सी टी वी के माध्यम से निगरानी और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली द्वारा घोषणाएं की जाती हैं।

3. रेलकर्मियों द्वारा रेल परिसरों और गड़ियों से असामाजिक तत्वों को निकाला जाता है।

4. यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलों और पुलिस अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5. रेलों और पुलिस अधिकारियों के बीच अपराध और अपराधीकरण के बारे में आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

वित्तीय स्थिति में सुधार

***166. डा. अशोक पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग की खराब वित्तीय स्थिति में सुधार करने और रेल सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु कोई योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) जी हां, राजस्व में वृद्धि और खर्च पर नियंत्रण करके रेलें वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उपाय कर रही हैं, प्रभावशाली विपणन और बेहतर सेवाओं सहित बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से आमदनी में सुधार होने की आशा है। इसके अलावा, रेलों द्वारा ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए 'मार्गाधिकार' पट्टे पर देने, भूमि और आकाशीय स्थान के वाणिज्यिक उपयोग और चल-स्टॉक तथा स्टेशन इमारतों पर वाणिज्यिक प्रचार जैसे परम्परागत स्त्रोतों से संसाधन जुटाकर राजस्व में वृद्धि करने के उपाय भी किए गए हैं। कर्मचारियों को उचित संख्या में रखने, कर्मचारी उत्पादकता, परिसंपत्ति उपयोग, वस्तु सूची प्रबंधन, ईंधन खपत में सुधार करके और यात्रा, प्रचार, आतिथ्य सत्कार आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता सुनिश्चित करके खर्च पर नियंत्रण करने के उपाय किए गए हैं। राजस्व की चोरी और उठाईगीरी को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

रेल संरक्षा के संबंध में 'रेल संरक्षा समीक्षा समिति' ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार उनकी गतायु परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मुहैया कराए, सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में 17,000 करोड़ रुपये की व्यपगत न होने वाली रेलवे संरक्षा निधि की स्थापना करने की स्वीकृति दे दी है। इस निधि के स्रोत और परिचालन के संबंध में विस्तृत तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सहकारिता के संबंध में राष्ट्रीय नीति

***167. श्री बिक्रम केशरी देव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारिता के संबंध में किसी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से सहकारिता के संबंध में राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे रही है। राष्ट्रीय नीति में सहकारी समितियों को अधिक कार्यात्मक स्वायतता देने, प्रबंधन के व्यावसायीकरण, लोकतांत्रिक कार्यकरण और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है ताकि उनकी और अधिक व्यवहार्यता और कुशलता सुनिश्चित की जा सके। सरकार की भूमिका मुख्यत: समय पर चुनाव कराने और लेखा परीक्षा कराने तक सीमित होगी।

(ग) यह नीति तैयार होने की अंतिम अवस्था में है, अत: इस चरण पर कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती।

रेल विभाग का पुनर्गठन

*168. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल विभाग के पुनर्गठन के संबंध में डा. राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने रेल विभाग/रेलवे बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में भारी रद्दोबदल का काम शुरू किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारी फालतू घोषित किए गए हैं या कुछ कर्मचारियों को फालतू घोषित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो विभिन्न स्तरों पर कितने पदों को अभ्यर्पित किया जाएगा अथवा कितने व्यक्तियों को सेवा निवृत्त किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (च) डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता में गठित रेलवे विशेषज्ञ दल ने रिपोर्ट का अंतरिम कार्यकारी सारांश 17.2.2001 को प्रस्तुत कर दिया है। अंतरिम कार्यकारी सारांश की एक समिति द्वारा जांच की जा रही है। विशेषज्ञ दल को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा।

रेलें कर्मचारियों को उचित संख्या में रखने के उपाय कर रही हैं। गतिविधियों के बंद हो जाने/कम हो जाने के कारण सरप्लस हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके अन्य ऐसे क्षेत्रों में पुनर्नियुक्त किया जाता है, जहां रिक्तियां हों, और उनकी आवश्यकता हो।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों को पुन: चालू करना

*169. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, आज तक किन-किन कपड़ा मिलों को रुग्ण घोषित किया गया है अथवा बंद किया गया है और इससे मिल-वार/राज्य-वार कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ख) ऐसी मिलों को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन मिलों के श्रमिकों के वेतन आदि के रूप में इन मिलों पर कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या सरकार की इन बंद मिलों की फालतू पड़ी भूमि को बेचकर उनका पुनरुद्धार करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनमें निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) पिछले तीन वर्षों (दिनांक 1.6.1998 से 31.5.2001 तक) के दौरान 33 कपास/मानव-निर्मित फाईबर मिलें (गैर-लघु उद्योग, राज्यवार) थीं, जिन्हें बंद किया गया तथा बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) दिनांक 1.6.1998 से 31.5.1999 तक, कुल 13 मिलें निम्नानुसार बंद की गयी थी:

राज्य	मिल का नाम व पता	प्रभावित कामगारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	मदनपल्ले स्पिनिंग मिल्स प्रा., चित्तुर	993
	पेनगुने टैक्सटाइल, हैदराबाद	154
	श्री मारूथी टैक्सटाइल्स लि., चितूर	432
हरियाणा	जी.टी.एन. सिंथेटिक्स लि.; सिरसा,	801
कर्नाटक	देवसनगीर कॉटन मिल्स, गड़ग,	543
केरल	त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लि., बलरामपुरम,	280
महाराष्ट्र	मातुल्य मिल्स लि., लोअर परेल, मुंबई	643
तमिलनाडु	श्री जनार्दन मिल्स लि., सिन्नात्रालूर, कोयम्बटूर	400
	वसंत मिल्स लि. सिन्नात्रालूर, कोयम्बटूर	1327
	मधु स्पि. एंड विवि. मिल, कोयम्बटूर	237
उत्तर प्रदेश	यू.पी. स्टेट यार्न कं. लि., मीजा, इलाहाबाद	1350
पश्चिम बंगाल	अनंतपुर टेक्सटाइल्स लि., हावड़ा	1005
राजस्थान	सागर स्पि. एंड विवि., उदयपुर	275

(2) दिनांक 1.6.1999 से 31.5.2000 तक कुल 14 मिलें निम्नानुसार बंद की गयी थीं:

राज्य	मिल का नाम व पता	प्रभावित कामगारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	श्री मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., मदेक	649
गुजरात	मधु टैक्सटाइल अहमदाबाद लि., मेहसाना	925
	महेश्वरी मिल्स लि., शाहीबाग रोड, अहमदाबाद	853
	दि रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., सरसपुर गेट, अहमदाबाद	2311
हरियाणा	बी.आर.डी. टैक्सटाइल लि., रेवाड़ी	64
महाराष्ट्र	कमला मिल्स लि., लोअर परेल, मुंबई	43
	मराठे टैक्सटाइल मिल्स, मिराज, संगली	734
	स्वान मिल्स, लि., सेवारी, मुंबई	933
राजस्थान	दि कृष्णा मिल्स लि., अजमेर	431
तमिलनाडु	करूर मिल्स लि., चेन्नामलाई	641
	अयप्पन टैक्सटाइल्स लि., रामनाथपुरम	323
	श्री नदियामबल टैक्सटाइल्स मिल्स, पुरूकोट्ई	350
	नियोइन्टैक्स मिल्स लि., डिंडिगुल	113
	मुरूगनाथन मिल्स लि., धर्मपुरी	79

(3) दिनांक 1.6.2000 से 31.5.2001 तक कुल 6 मिलें निम्नानुसार बंद की गयी:

राज्य	मिल का नाम व पता	प्रभावित कामगारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	कुडप्पा स्पि. मिल्स, कुड़प्पा	728
बिहार	दुमाराओं टैक्सटाइल्स लि., बक्सर	1029
गुजरात	पी.जी. टैक्सटाइल्स मिल्स लि. (आनंद कोट स्पिन लि.) बड़ौदा	260
हरियाणा	जी.के. टैक्सटाइल्स लि., हिसार	51
उड़ीसा	उड़ीसा टैक्सटाइल्स मिल्स लि., कटक	3186
तमिलनाडु	वीराघवा टैक्सटाइल्स, चेंगलपुत	319

(ख) इन मिलों को बंद किए जाने के विभिन्न कारण हैं। इन्हें बंद किए जाने के प्रमुख कारण हैं- रुग्णता, प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, आधुनिकीकरण की कमी, वित्तीय संकट व श्रमिक समस्या।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 लागू किया गया और रुग्ण तथा संभावित रुग्ण कंपनियों का उचित समय पर पता लगाने के लिए और सुरक्षात्मक सुधार व उपचारी कदम जो ऐसी कंपनियों के लिए लिये जाने आवश्यक हों को तत्काल रूप से सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक व वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की गयी। बी.आई.एफ.आर. द्वारा संस्वीकृत पुनरुद्धार योजना में कामगारों के वेतन आदि की बकाया देयताएं तथा प्रवर्तकों द्वारा भूमि की बिक्री के माध्यम से संसाधनों को गतिशील बनाना भी शामिल है। तथापि, वेतन के माध्यम से बकाया देयताओं का बी.आई.एफ.आर. द्वारा रखरखाव नहीं किया जाता।

(च) और (छ) वस्त्र तथा पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की गयी। इस योजना द्वारा पात्र एककों को वित्तीय संस्थाओं तथा उनके सहयोगी अभिकरणों द्वारा संस्वीकृत ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। यह योजना नोडिय अभिकरणों नामतः आई.डी.बी.आई,. सिडबी तथा आई.एफ.सी.आई. द्वारा प्रचालित की जा रही है। दिनांक 31 मई, 2001 की अवस्थिति अनुसार 953 आवेदनों को 4439 करोड़ रुपये के ऋण संस्वीकृत किए गए थे; और 2673 करोड़ रुपये संवितरित किए गए थे।

[अनुवाद]

तेल पूल घाटा

***170. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तेल पूल घाटा कितना है;

(ख) तेल पूल घाटे में वृद्धि के क्या कारण हैं और इस घाटे को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने तेल पूल घाटा कम करने हेतु वित्त मंत्रालय से पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल पर सीमा शुल्क कम करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार अनुमानित तेल पूल घाटा लगभग 12,600 करोड़ रुपए था।

(ख) तेल पूल खाते की स्थिति कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्य, विनिमय दर में अंतर, देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों (मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी के तेल और

घरेलू एल पी जी) के घरेलू बिक्री मूल्यों आदि पर निर्भर करती है। सरकार तेल पूल घाटे को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय करती है जिनमें अन्यों के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य में सुधार, शुल्कों की दरों में समायोजन आदि सम्मिलित है।

(ग) जी हां।

(घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात संबंधी नीति

*171. **श्री वाई.वी. राव:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:,

(क) क्या सरकार ने तरलीकृत गैस (एल.एन.जी.) नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है और किन-किन देशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने अब यह प्रस्ताव किया है कि नियामक एल.एन.जी. के आयात मूल्य की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करेगा;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग ने भविष्य के सभी एल.एन.जी. टर्मिनलों के स्थानों और आकार पर रोक लगाते समय आगामी दस वर्षों के लिए एल.एन.जी. की मांग और पूर्ति की स्थिति का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) अधिकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने पर सचिवों की समिति ने 11 अक्तूबर, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में विनियमन, एल.एन.जी. के जहाजरानी द्वारा परिवहन और राजकोषीय व्यवस्था सहित विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट करने वाली एक एकीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) नीति को तैयार किए जाने की सिफारिश की। इस संबंध में एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

*172. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करके अंतर्देशीय जलमार्ग गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जिन निजी कंपनियों ने अपनी सेवाओं की पेशकश की है उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या वर्तमान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने एक नीति पैकेज तैयार किया है जिसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यमों में शामिल होने, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं में सरकार द्वारा अधिकतम 40% तक इक्विटी की भागीदारी, आधारभूत संरचना क्षेत्र में यथा उपलब्ध कर छूट, अन्तर्देशीय जलयानों के लिए मूल्यह्रास दर से समुद्रगामी जलयानों पर लागू दर के समान वृद्धि, भारतीय शिपयार्डों में निर्मित अंतर्देशीय जलयानों के लिए जहाज मालिकों को 30% जहाज निर्माण सब्सिडी और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए आयातित उपकरणों और मशीनों पर न्यूनतम सीमा शुल्क लगाने की परिकल्पना की गई है। इच्छुक उद्यमियों को नई नीति की विशेषताएं बताने के लिए सम्मेलन भी किए गए हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में रुचि दर्शाने वाली कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इच्छुक पक्षकारों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को बाजार से बांड जुटाने का अधिकार प्राप्त हो सके और निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं में सरकार इक्विटी की भागीदारी कर सके।

विवरण

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में रुचि दर्शाने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ शिपर्स/कैरियरों के नाम

1. ऑस्वाल ग्रुफ ऑफ कंपनीज
2. जे पी रेवा सीमेंट
3. प्रिज्म सीमेंट
4. सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
5. इन्डो-गल्फ फर्टीलाइजर्स
6. कुन्दन राइस मिल्स
7. रुचि सोया
8. जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
9. हिन्दुस्तान लीवर्स
10. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
11. असम ऑयल डिवीजन
12. राजमहल क्वार्ट्ज एंड सैंड
13. श्री बिहारी इन्टरप्राइजिज
14. आदित्य फ्यूल्ज
15. पॉयनियर इन्डस्ट्रीज
16. ए के इन्टरप्राइजिज
17. टी मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
18. पटना टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
19. कॉनकोर
20. एन टी पी सी
21. ओ सी सी
22. विवदा इनलैंड शिपिंग
23. शाही शिपिंग
24. चौगले शिपिंग
25. गोवा बार्ज ऑनर्स एसोसिएशन
26. इस्टर्न नेवीगेशन।

बिना आबादी वाले द्वीपों को पर्यटन के लिए खोलना

***173. श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना आबादी वाले द्वीपों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की काफी सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बिना आबादी वाले द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु स्थान-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस संबंध में दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) पर्यटन की दृष्टि से निर्जन द्वीपों को विकसित करने की सम्भावना है। तथापि, इसके लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।

कार्गो और माल ढुलाई को आकर्षित करने की रणनीति

***174. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने काफी मात्रा में कार्गों और माल ढुलाई को आकर्षित करने हेतु कोई व्यापक विपणन रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उद्योगों द्वारा अपने उत्पादों और कच्चे माल की ढुलाई रेलों द्वारा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा माल ढुलाई से रेल विभाग की आय बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क), (ख) और (ङ) जी हां। रेलों ने कार्गो और माल यातायात को आकर्षित करने के लिए

एक व्यापक विपणन नीति बनाई है। प्रमुख नीतियों का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है:

थोक यातायात

प्रमुख ग्राहकों के प्रति विशेष ध्यान, वृद्धिपरक यातायात पर माल भाड़ा, स्टेशन से स्टेशन दरों, निजी उद्यमियों द्वारा रेल टर्मिनलों की स्थापना तथा रेल टर्मिनलों के निकट गोदाम संबंधी सुविधाओं की स्थापना, कम दूरियों के लिए मेरी-गो-राउंड सर्किट में यात्रा के लिए विशेष एकमुश्त दरों, ग्राहकों को वास्तविक समय पर सूचना मुहैया कराने के लिए मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली शुरू करना, मालगाड़ियों को समय सारिणी के अनुसार चलाना, आदि।

गैर-थोक यातायात

कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि. के तहत मल्टीमॉडल यातायात के प्रति ध्यान, पैसेंजर गाड़ियों में ब्रेक यानों एवं पार्सल यानों को पट्टे पर देना, चार्टर्ड पार्सल एक्सप्रेस शुरू करना आदि।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलों के अलावा, माल यातायात की ढुलाई ट्रक, पाइपलाइन, तटीय नौ परिवहन आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से की जाती है, जब सड़क, पाइप लाइन, नौवहन आदि का विकास नहीं हुआ था तब कुल माल यातायात में से अधिकांश की ढुलाई रेलों द्वारा की जाती थी। आर्थिक विकास के दौरान जैसे-जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया रेल परिवहन की सापेक्ष वृद्धि कम होती गई। बहरहाल, कुल मिलाकर पिछले वर्षों के दौरान रेल माल यातायात में लगातार इज़ाफा हुआ है।

[हिन्दी]

बेमौसम वर्षा के कारण फसलों को नुकसान

***175. श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रबी फसलों की कटाई के दौरान बेमौसम वर्षा के कारण खाद्यान्न गीले हो गए जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी फसलों को विशेषकर गेहूं, चना और सरसों को, सस्ते मूल्यों पर बेचना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल से मई, 2001 के रबी के मौसम में बेमौसम वर्षा होने के कारण किसानों को हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के किसानों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन किसानों को मुआवजा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (च) हरियाणा सरकार ने सूचित किया था कि मार्च-अप्रैल, 2001 के दौरान अत्यधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण राज्य में विभिन्न फसलों को क्षति पहुंची थी और उन्होंने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 607.33 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का अनुरोध किया था। स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय अन्तर्मंत्रालयी दल ने 18 तथा 19 मई, 2001 को हरियाणा का दौरा किया। दल के निष्कर्षों के अनुसार स्थिति ऐसी नहीं थी कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता की आवश्यकता हो। यह सहायता केवल गंभीर किस्म की आपदा के मामले में ही सम्भव है। प्रभावित किसानों की प्रमुख मांग मुआवजा देने के बारे में थी, जो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से अनुमत्य नहीं है। ऐसी अदायगी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत उन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध है, जहां यह योजना लागू की गई है। पंजाब तथा राजस्थान सरकार से वित्तीय सहायता के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि राज्य सरकारों से खरीद प्रचालनों के दौरान बेमौसम वर्षा के कारण प्रभावित गेहूं के स्टॉक तथा पकी फसल के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों को शिथिल करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए। तदनुसार भारत सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा के कुछ भागों में चमक विहीन गेहूं की अधिकतम 50% खरीद की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की कि ऐसे स्टॉक के भण्डारण की समस्या को ध्यान में रखते हुए चमक विहीन गेहूं का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 16.27 मिलियन टन की तुलना में रबी विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान अब तक 20.62 मिलियन टन की रिकार्ड मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है। रबी विपणन वर्ष 2001-02 के दौरान अब तक 3.30 लाख टन सरसों की खरीद की जा चुकी है क्योंकि अप्रैल से जून के तीसरे सप्ताह तक इसके मण्डी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो गए थे। क्योंकि जून, 2001 के तीसरे सप्ताह में सरसों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो गए इसलिए खरीद रोक दी गई। चने की खरीद

नहीं की गई क्योंकि मण्डी में इसके मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रहे हैं।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि

*176. **श्री साहिब सिंह:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के लंबित विद्युत बकायों के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने हेतु गठित की गई अहलूवालिया समिति ने कुल 41,473 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज और अधिभार को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों की जांच की गई है और इस मामले में राज्य विद्युत बोर्डों के विचार मांगे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो बकाया राशि का पूरा भुगतान करने के बारे में राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर मुख्य मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने विचार किया था जिसने छोटे-छोटे संशोधनों की सिफारिश की है। इसके बाद राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्रों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें स्कीम के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु कदम उठाने का उनसे अनुरोध किया गया है।

आगमन-पर-वीजा योजना

*177. **श्री विजय गोयल:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आगमन-पर-वीजा जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस योजना की सुरक्षा पर सम्भावित जोखिम का आकलन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) पर्यटन की सुविधा और पर्यटक आगमन में वृद्धि के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा नवम्बर, 2000 में सचिवों की समिति के विचारार्थ "आगमन पर वीजा" का प्रस्ताव रखा गया था। तथापि, गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था और इसलिए यह योजना कार्यान्वित नहीं हुई। पर्यटन मंत्री द्वारा इस विषय पर गृह मंत्री से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा धनराशि का जुटाया जाना

*178. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.एफ.सी.) का विचार अपने ऋण के लिए विदेशी बाजार से धन एकत्र करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में भारतीय रेल वित्त निगम पर राष्ट्रीय और विदेशी ऋण की कितनी धनराशि बकाया है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी हां, भारतीय रेल वित्त निगम लि. ने रेल मंत्रालय द्वारा जनरल मोटर्स कार्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित 10 अदद 4000 अश्व शक्ति डीजल विद्युत सवारी रेल इंजनों के आयात के वित्त पोषण के लिए मई, 2001 में एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (इ डी सी) कनाडा से 20.4 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 96 करोड़ रु.) का एक एक्सपोर्ट क्रेडिट प्राप्त किया है। फिलहाल विदेशी बाजार से धन जुटाने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 31.03.2001 को भारतीय रेल वित्त निगम पर बकाया ऋण निम्नलिखित है:-

आंतरिक ऋण	-	12,730.36 करोड़ रु.
बाह्य ऋण	-	317.30 मिलियन अमेरिकी डालर
		8.85 मिलियन जापानी येन
		19.33 मिलियन यूरो।

रेल की पटरियों को बदलना

*179. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12,000 किलोमीटर से भी अधिक रेल पटरियां बहुत पुरानी हैं और निर्धारित उपयोग अवधि को पार कर चुकी हैं;

(ख) क्या सैकड़ों स्टेशनों पर सिगनलिंग गियर भी बहुत पुराने और अपनी निर्धारित उपयोग अवधि को पूरा कर चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित उपयोग अवधि को पूरा कर चुकी रेल पटरियों और सिगनलिंग गियरों को बदलने हेतु रेल विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, हां। 1.4.2001 को बड़ी लाइन पर लगभग 12,500 कि.मी. और मीटर लाइन तथा छोटी लाइन पर लगभग 5,000 कि.मी. रेलपथ गतायु है और नवीकरण के लिए बकाया है।

(ख) जी हां। 2519 स्टेशनों पर सिगनल संबंधी गियर गतायु हैं।

(ग) रेलें अपनी परिसंपत्तियों के नवीकरण के बकाया को निपटाने के लिए संसाधनों की कमी को दूर करने के सभी प्रयास कर रही हैं।

रेल बंध-पत्रों का पुनर्भुगतान

*180. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बंध-पत्रों के पुनर्भुगतान का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या बहुत से छोटे निवेशकों को उनका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) रेल विभाग इन छोटे निवेशकों को पुनर्भुगतान किस प्रकार करने जा रहा है;

(ङ) क्या रेल विभाग को कैनफिना में निवेश के कारण भारी घाटा हुआ है;

(च) यदि हां, तो क्या रेल विभाग द्वारा किए गए निवेश की वसूली 1993 के प्रतिभूति घोटाले के कारण नहीं की जा सकी; और

(छ) रेल विभाग अपने धन की वसूली किस प्रकार करने जा रहा है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां। सभी रेल बंध पत्र जिनकी भुगतान के लिए अवधि पूरी हो चुकी है, को उनकी संबंधित देय तिथियों पर भुगतान कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। रेल बंध-पत्रों में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को देय तिथियों पर पुनर्भुगतान कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पुनर्भुगतान दायिताओं का पूर्ण भुगतान करने के लिए भारतीय रेल वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.) द्वारा प्रतिवर्ष पर्याप्त निधियां मुहैया करायी जाती हैं।

(ङ) जी नहीं। कैनबैंक वित्त सेवा लिमिटेड (केनफिना) में भारतीय रेल वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.) के 486.17 करोड़ रुपए का सम्पूर्ण निवेश और उस पर ब्याज की वसूली भा.रे.वि.नि. और केनफिना/केनरा बैंक के बीच एक समझौते के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इलायची अनुसंधान

1627. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलायची अनुसंधान कार्य में कितने वैज्ञानिक लगे हुए हैं;

(ख) उपरोक्त अनुसंधान कार्य की उपलब्धियों से कितना लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को कभी विदेश भी भेजा गया;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान मसाला बोर्ड के एक शिष्टमंडल ने लातीनी अमरीका का दौरा किया था;

(च) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय किया गया;

(छ) क्या इस दौरे के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक पूर्व अनुमति ले ली गई थी; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) देश में 41 वैज्ञानिक इलायची के अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं।

(ख) सुव्यवस्थित चयन और मूल्यांकन के जरिए इलायची की पांच अधिक उपज देने वाली किस्मों को जारी किया गया है। छोटी इलायची के सूक्ष्म-संवर्धन तथा समेकित कीट तथा रोग प्रबंध के लिए 'प्रोटोकोल' तैयार किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय के कोचीन स्थित मसाला बोर्ड के चार वैज्ञानिकों को विदेश भेजा गया है।

(ङ) मसाला बोर्ड का कोई अनुसंधान शिष्टमंडल लैटिन अमेरिका नहीं गया। तथापि 13-22 जून, 1999 के दौरान एक व्यापारी शिष्टमंडल ने लैटिन अमेरिका का दौरा किया था। इस शिष्टमंडल में दो निर्यातक सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता मसाला बोर्ड के अध्यक्ष ने की थी।

(च) इस शिष्टमंडल पर निम्नलिखित खर्च किया गया:

वायुयान का किराया	:	1,94,660/- रुपये
व्यय	:	यू एस डालर 4786

(छ) इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय से अपेक्षित पूर्वानुमोदन ले लिया गया था।

(ज) ऊपर उत्तर दे दिये गये हैं।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1628. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों, निजी उद्योगों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि राज्य विशेष।

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान बिहार राज्य में 10 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए इस विभाग की योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अलावा, सेमीनार, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों तथा अध्ययन करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई है।

परिधान पार्कों की स्थापना

1629. श्री जयप्रकाश:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परिधान/वस्त्र पार्कों की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ख) परिधान/वस्त्र पार्कों की स्थापना हेतु राज्यों से आज तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का स्थान/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इनके लिए आज तक परियोजना-वार कितनी निधियां आबंटित और जारी की गयीं; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के परियोजना-वार कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) "निर्यात हेत अपैरल पार्क" नामक एक योजना की केन्द्रीय

बजट 2001-02 में घोषणा की गयी है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्युत्तम आधुनिक अपैरल विनिर्माात्री एककों को समूह में स्थापित करने पर केन्द्रित थ्रस्ट देना जो ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करेगा।

(2) आयात सह्य प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने के लिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा इस क्षेत्र में निर्यात का संवर्द्धन करना।

(ख) और (ग) योजना के आरंभ होने के पूर्वानुमान में, अपैरल पार्कों की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसी कुछ राज्य सरकारों से पहले प्राप्त हुए थे। तथापि, इन परियोजना प्रस्तावों को योजना के अंतर्गत बनाये जाने वाले दिशा-निर्देशों जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है, के मद्देनजर फिर से बनाये जाने की आवश्यकता होगी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में सूखे की स्थिति

1630. **श्री सुबोध राय:**
श्री महबूब जहेदी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे जम्मू-कश्मीर में सूखे की मौजूदा स्थिति के कारण कृषि और बागवानी बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरूप रबी की फसल, विशेषत: गेहूं, चारे और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल संसाधन भी सूख गए हैं और जल स्तर नीचे गिर गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के कई जिलों में रबी मौसम 2000-2001 के दौरान सूखे के कारण गेहूं, दलहन, तिलहन, चारा, सब्जियां आदि जैसी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई। सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता पर भी बुरा असर पड़ा।

(ग) सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। राहत व्ययों के वित्त पोषण का मुख्य स्रोत आपदा राहत कोष (आ.रा.को.) है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 75% अंश का योगदान किया जाता है। बड़ी आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता, जहां, आ.रा.को. की धनराशि पर्याप्त नहीं होती, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (रा.आ.आ.को.) से ग्राह्य होती है। ये व्यवस्था ग्यारहवें वित्त आयोग के निर्णयानुसार हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए आपदा राहत कोष के निर्मुक्त किए गए केन्द्रीय अंश की 13.74 करोड़ रुपये की धनराशि की पहली किश्त के अतिरिक्त, रा.आ.आ.को. से भी 23.20 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

नकदी फसलों पर आयात शुल्क

1631. **श्री अबुल हसनत खां:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के मद्देनजर रबड़, नारियल और अन्य नकदी फसलों पर अधिकतम स्तर तक आयात शुल्क बढ़ाने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार कॉयर को औद्योगिक उत्पाद की बजाय कृषि उत्पाद घोषित करने के लिए भी विश्व व्यापार संगठन के साथ बातचीत करने का है;

(ग) यदि हां, तो कॉयर को कब तक कृषि उत्पाद घोषित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) फिलहाल इन मदों पर आयात शुल्क वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) कृषि पर समझौते के अंतर्गत अधिदेशित वार्ता के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी.ओ.) को प्रस्तुत अपने आरंभिक वार्ता प्रस्तावों में, भारत ने समझौते की उत्पाद कवरेज को कॉयर जैसी मूल कृषि जिंसों का समावेश करके युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उक्त अधिदेशित वार्ता के प्रयास जारी हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

1632. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश को मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता मिली है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अप्रैल-जून, 2001 के दौरान उ. प्र. में 11505 मे. यूनिट ऊर्जा की जरूरत थी जबकि 10297 मे. यू. ऊर्जा ही उपलब्ध थी। इस प्रकार 10.5 प्रतिशत विद्युत का अभाव रहा।

(ख) और (ग) उ.प्र. में विद्युत अभाव का मुख्य कारण इसके अपने स्त्रोतों से अल्प विद्युत उत्पादन तथा इसकी वित्तीय समस्या है, जो इसे उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से अपने निर्धारित विद्युत शेयर की खरीद के लिए इसकी भुगतान क्षमता को सीमित करता है। परिणामस्वरूप कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं जिनकी ऊर्जा लागत ज्यादा थी में से इसके निर्धारित हिस्से को क्षेत्र के अन्य संघटक राज्यों को अंतरित कर दिया गया। राज्य में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) 460 मे.वा. के अंतरित हिस्से में उ.प्र. को 3.2.2001 से इससे अनुरोध पर 300 मे.वा. विद्युत पुन: दे दिया गया है।

(ii) उ.प्र. को उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों के अनाबंटित केन्द्रीय शेयर में से 14 प्रतिशत का आबंटन किया गया है।

(iii) उ.प्र. को पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को आयात किए जा रहे विद्युत में से 100 मे.वा. दिया गया है।

उ.प्र. में ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन कमी अप्रैल-जून, 2001 के दौरान क्रमश: 11% तथा 13% हो गई है, जबकि गत वर्ष (अप्रैल-जून, 2001) उसी अवधि के दौरान यह क्रमश: 13% तथा 14% थी।

[अनुवाद]

देश में ऊर्जा पार्कों की स्थापना

1633. श्री टी. गोविन्दन: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा देश में 'ऊर्जा पार्कों' की स्थापना में सहायता करने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान इस योजना के तहत जिन राज्यों को सहायता प्रदान की गई, उनका ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। राज्यों में ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऊर्जा पार्क योजना कार्यान्वयनाधीन है। ऊर्जा पार्कों की स्थापना शैक्षिक संस्थाओं में तथा ऐसी संस्थाओं में जहां लोगों का आवागमन अधिक हो, अक्षय ऊर्जा प्रणालियों एवं युक्तियों के उपयोग तथा लाभों को और अधिक संभव बनाने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, ग्रामीण एवं शहरी जनता के बीच जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की जाती है। ऊर्जा पार्क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऊर्जा पार्क परियोजनाएं राज्य सरकार की नोडल एजेंसियों/विभागों के माध्यम से संस्थाओं की स्वीकृत की जाती हैं। राज्य सरकार की नोडल एजेंसियों/विभागों को ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों को प्राप्त करने और उनकी स्थापना के लिए केन्द्रीय अनुदान सहायता दी जाती है।

(ग) ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कुल 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ को सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत आपूर्ति में कटौती

1634. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड एन.टी.पी.सी. को समय पर भुगतान करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.टी.पी.सी. मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति में कटौती कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। एमपीईबी द्वारा एनटीपीसी को इसके द्वारा आपूर्ति की गयी विद्युत के लिए 30.6.2001 तक की बकाया राशि 1742.87 करोड़ रुपये है। एमपीईबी एनटीपीसी के भुगतान में चूक कर रहा है जैसा कि नीचे बताया गया है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बिलिंग	भुगतान	कमी
1997-98	1352.64	1302.82	49.82
1998-99	1666.10	1505.97	160.13
1999-2000	1980.80	1690.57	290.23
2000-01	2143.26	1559.63	583.63
अप्रैल, 2001	192.65	100.00	92.65
मई, 2001	194.02	100.00	94.02
जून, 2001	189.35	100.00	89.35

(ख) और (ग) यदि एमपीईबी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो एनटीपीसी अपने एवं उक्त विद्युत बोर्ड के बीच हुए वृहद् विद्युत आपूर्ति समझौता एवं 8.11.98 को बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार के प्रावधानों के आधार पर इसकी विद्युत आपूर्ति में कटौती कर सकता है। एनटीपीसी द्वारा विद्युत आपूर्ति के विनियमन हेतु नोटिस जारी करने के बाद एमपीईबी ने विद्युत खरीद हेतु साख पत्र में वृद्धि कर 100 करोड़ प्रति माह से 120 करोड़ रुपये प्रतिमाह कर दिया है और अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की इच्छा दर्शायी है।

[अनुवाद]

सरकिल्ला में यार्न डिपो की स्थापना

1635. श्री के. येरननायडू:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिरकिल्ला में विद्युतकरघा बुनकरों के लिए कॉन यार्न की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) सरकिल्ला में अलग यार्न डिपो स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव किया गया है कि बुनकरों को यार्न मिल गेट मूल्य पर दिया जाएगा;

(ग) क्या एन.टी.सी. के तकनीकी दल ने यार्न डिपो के लिए समुचित परिसर की पहचान हेतु सरकिल्ला का दौरा किया था;

(घ) क्या सरकार ने एन.टी.सी. डिपो के माध्यम से दिए जाने वाले यार्न पर बिक्री कर में रियायत देने की बात भी स्वीकार कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस डिपो द्वारा कब तक काम शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां, विशेष मामले के रूप में, एन टी सी ने सिरसिला में एक पृथक यार्न डिपो स्थापित किया है।

(ख) बुनकरों को यार्न की आपूर्ति डिपो कीमत पर की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार बिक्री कर की छूट प्रदान करने के लिए सिद्धांतत: सहमत हो गयी है।

(ङ) डिपो ने पहले से ही 1.6.2001 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई हेतु किसानों को राजसहायता

1636. श्री सुरेश चन्देल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ड्रिप सिंचाई प्रणाली से कितने क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई की जाती है और वर्ष 2000 और 2001 के दौरान आज

तक राज्य-वार, विशेषत: हिमाचल प्रदेश को कितनी राजसहायता राशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या उक्त योजना के तहत केवल बड़े किसानों को लाभ मिल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सरकार प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेपों के जरिए बागवानी विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन छोटे, सीमान्त, अ.जा., ज.ज.जा. और महिला किसानों को टपका सिंचाई प्रणाली की कुल लागत के 50% की दर से तथा अन्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत के 35% की दर से राजसहायता दे रही है। इस स्कीम को अक्तूबर, 2000 से वृहत् कृषि प्रबंधन कार्य योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग/सहायता पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन मिला दिया गया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्लास्टिकल्चर स्कीम के अंतर्गत टपका सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्य और इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है। टपका सिंचाई के अंतर्गत 15 हैक्ट. और टपका प्रदर्शन के अधीन 4 हैक्टे. क्षेत्र कवर करने के लिए प्लास्टिकल्चर स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को 5.19 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई। राज्य सरकार ने टपका सिंचाई के अंतर्गत 84.23 है. क्षेत्र कवर किया है, जिसके लिए किसानों को 16.51 लाख रुपये की राजसहायता दी गई। राज्य में टपका सिंचाई के अंतर्गत 200 हैक्टेयर और टपका प्रदर्शन के अंतर्गत 10 हैक्टेयर कवर करने के लिए 2001-2002 के दौरान कार्य योजना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3450 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। स्कीम के अंतर्गत कम से कम 25% राजसहायता छोटे, सीमान्त, अ.जा. और अ.ज.जा. के किसानों को दी जानी है।

विवरण

प्लास्टिकल्चर स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान टपका सिंचाई के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य।

(क्षे. है., रु. लाख)

राज्य	अ.जा./अ.ज.जा./छोटे/सीमान्त/महिला		सामान्य		कुल		ड्रिप प्रदर्शन		
	वास्त. कुल लागत	वित्तीय	वास्त.	वित्तीय कुल लागत	वास्त.	वित्तीय कुल लागत	वित्तीय केन्द्रीय अंश	वास्त.	वित्तीय	कुल वित्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	500	112.50	50	5.00	550	120.50	105.45	10	3.40	111.55
अरुणाचल प्रदेश	15	4.25	0	0.00	15	4.25	4.25	2	0.56	5.14
असम	10	2.55	0	0.00	10	2.55	2.55	2	0.56	3.71
बिहार	10	2.60	5	0.91	15	3.51	3.16	2	0.75	3.94
गोवा	10	2.60	5	0.91	15	3.51	3.16	4	1.56	4.72
गुजरात	650	146.25	150	28.50	830	175.05	157.55	20	6.50	154.35
हरियाणा	50	20.50	25	4.55	105	25.35	22.52	10	3.90	26.72
हिमाचल प्रदेश	10	2.55	5	1.00	15	3.55	3.47	1	1.72	5.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू व कश्मीर	10	2.55	5	1.00	15	3.55	3.47	1	1.72	5.19
कर्नाटक	1000	225.00	100	15.20	1100	243.20	215.55	15	5.10	223.95
केरल	300	67.50	50	5.00	350	75.50	67.95	5	1.70	69.65
मध्य प्रदेश	300	75.00	100	15.20	400	96.20	56.55	5	19.5	55.53
महाराष्ट्र	1300	292.50	100	16.00	1400	305.50	277.65	10	3.40	251.05
मणिपुर	30	5.55	0	0.00	30	5.55	5.55	4	1.72	10.27
मेघालय	20	5.70	0	0.00	20	5.70	5.70	4	1.72	7.42
मिजोरम	20	5.70	0	0.00	20	5.70	5.70	4	1.72	7.42
नागालैंड	25	7.12	0	0.00	25	7.12	7.12	4	1.72	5.55
उड़ीसा	10	2.60	10	1.52	20.	4.42	3.95	2	0.75	4.76
पंजाब	60	15.60	30	5.46	90	21.06	16.95	6	2.34	21.29
राजस्थान	500	130.00	150	27.30	650	157.30	141.57	10	3.90	145.47
सिक्किम	10	2.65	5	1.00	15	3.55	2.47	4	1.72	5.19
तमिलनाडु	500	112.50	100	16.00	600	125.50	115.65	10	3.40	119.05
त्रिपुरा	50	14.25	0	0.00	50	14.25	14.25	2	0.56	15.11
उ. प्र. (मैदानी)	300	75.00	50	9.10	350	57.10	75.39	5	1.95	50.34
उ. प्र. (पहाड़ी)	10	2.55	10	2.00	20	4.55	4.37	0	0.00	4.37
पश्चिम बंगाल	5	1.30	5	0.91	10	2.21	1.99	2	0.75	2.77
राज्यों का उप-योग	5735	1345	955	169.16	6720	1516.76	1369.93	150	56.36	1426.29
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
दा.ना. हवेली	5	1.30	2	0.36	7	1.66	1.66	2	0.75	2.44
दिल्ली	5	1.30	2	0.36	7	1.66	1.50	3	1.17	2.67
दमन व दीव	3	0.75	2	0.36	5	1.14	1.14	2	0.75	1.92
लक्षद्वीप	3	0.78	0	0.00	3	0.78	0.78	2	0.78	1.56
पांडिचेरी	3	0.78	2	0.36	5	1.14	1.03	2	0.75	1.81
स.शा.प्र. उप-योग	19	4.94	8	1.46	27	6.40	6.12	11	4.29	10.41
कुल	5754	1353	993	171	6747	1523	1376	161	60.65	1436.69

[अनुवाद]

वृहत् कृषि प्रबंधन

1637. **श्री समर चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वृहत् कृषि प्रबंधन का उद्देश्य, प्रयोजन और भूमिका क्या है और राज्य-सरकारों को उनकी कार्ययोजना, प्रयोजनों और लक्ष्यों के अनुरूप किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) क्या राज्यों के नियंत्रण और निगरानी अधीन इसी प्रकार की सभी योजनाओं के समेकन की दृष्टि से वृहत् प्रबंधन के तहत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का ध्यान रखे जाने की संभावना है; और

(ग) वृहत् प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केन्द्र और राज्य किन-किन नियम और शर्तों का पालन करेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) वृहत् प्रबंधन स्कीम का उद्देश्य राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के माध्यम से कृषि का चहुंमुखी विकास करना है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बेहतर लक्ष्य के अतिरिक्त इसमें ये लाभ शामिल हैं:-

- स्थानीय आवश्यकताओं और फसल/क्षेत्र विशिष्ट प्रमुखताओं को प्रतिबिम्बित करना;
- राज्यों को और अधिक स्वायत्तता तथा नम्यता प्रदान करना;
- अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना;
- क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना;

केन्द्रीय योजनाओं का समेकन करने से योजनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा; सहायक-कार्यक्रमों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा, इससे राज्य सरकारों को और अधिक शिथिलता मिलेगी जिससे वे क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर गतिविधियों का विकास कर उन्हें और आगे बढ़ा सकेंगे। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न कार्य योजनाओं को जिनमें फसल/क्षेत्र/विशिष्ट हस्तक्षेप लक्ष्य समूह शामिल हों राज्य सरकारों के साथ भागीदारी की भावना से कार्यान्वित करते हुए पारस्परिक सहयोग के माध्यम से उनके प्रयासों को सम्पूर्ण करेगी।

कार्य योजना के परिव्यय केन्द्र और राज्य सरकारों में 90:10 के आधार पर बांटे जायेंगे। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में सम्पूर्ण परिव्यय भारत सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे। कार्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 80% अनुदान और 20% ऋण के रूप में दी जायेगी। योजना नवम्बर, 2000 में आरम्भ की गई थी।

पी.सी.आर.ए.

1638. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोशिएशन (पी.सी.आर.ए.) के प्रशासन और अनुसंधान कार्य पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में बचत के मामले में पी.सी.आर.ए. की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पी.सी.आर.ए. का एक सरकारी उपक्रम के अनुसंधान और विकास प्रभाग के साथ विलय करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अपितु, व्यय सुधार आयोग ने माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत अपनी 6वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि सरकार के पास संरक्षण क्रियाकलापों की देखभाल करने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के रूप में एक बहुत अच्छा संगठन है।

विवरण

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के अंतर्गत प्रशासन एवं अनुसंधान पर खर्च की गई वार्षिक धनराशि निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

		1998-99	1999-2000	2000-01
(1)	प्रशासन	146.71	182.98	189.99
(2)	अनुसंधान संबंधित क्रियाकलाप एवं अध्ययन			
	× क्षेत्रगत क्रियाकलाप	213.51	238.04	202.98
	× जनजागृति	257.64	466.26	574.01
	× प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास	20.30	2.46	14.65
	उप योग	491.45	706.76	791.64

(ख)

वर्ष	वार्षिक बचत	
	तेल की मात्रा "000 टन में	मूल्य (करोड़) रुपयों में
1998-99	271	186
1999-2000	374	380
2000-2001	326	349

विद्युत केन्द्र का बंद किया जाना

1639. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्मी के चालू मौसम के दौरान राजघाट केन्द्र और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की एक इकाई बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन इकाइयों द्वारा अपना सामान्य कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) राजघाट विद्युत स्टेशन के दोनों यूनिटों (67.5 मे.वा. प्रत्येक में से) यूनिट-1 को 19.3.2001 से निर्धारित मरम्मत कार्य के लिए बंद कर दिया गया था। इस यूनिट में 27.5.2001 को उत्पादन शुरू किया और 14.6.2001 को इसका स्थिरीकरण कर दिया गया। यूनिट-2 में 19.5.2001 को कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी जिसे 21.6.2001 को ठीक करके समकालित कर दिया गया। इस यूनिट की अब मरम्मत चल रही है तथा सितम्बर, 2001 के तीसरे सप्ताह तक यह पुन: चालू हो जाएगी।

बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्र के मामले में यूनिट संख्या-5 (210 मे.वा.) को उत्पादन की बेहतर उपलब्धता तथा स्थिरीकरण के

लिए 29.3.2001 से 26.4.2001 तक वार्षिक मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था। इस यूनिट.ने 26.4.2001 से सामान्य रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

शहरी हाट शुरू करना

1640. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कारीगरों को उनके हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री में सहायता करने के लिए ''दिल्ली हाट'' की तर्ज पर देश के विभिन्न भागों में शहरी हाट शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वस्त्र उद्योग के कारीगरों की दशा सुधारने के लिए कौन से अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां, कारीगर समुदाय को स्थाई विपणन मूलभूत संरचना मुहैया कराने की दृष्टि से नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'शहरी हाटों की स्थापना' नामक एक नई योजना आरम्भ की गई थी। स्कीम के अनुसार दिल्ली हाट की तर्ज पर हाटों की स्थापना किया जाना शामिल है। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के व्यापारिक महत्व के स्थानों और पर्यटनोमुखी शहरी केन्द्रों पर 18 ऐसे हाटों की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें से 10 हाट पहले ही अहमदाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, कोलकत्ता, रांची, करनाल, जम्मू, तिरूपति, इलाहाबाद एवं भोपाल में स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत कारीगरों को एक पखवाड़े के लिए बारी-बारी से निर्मित दुकानों का आबंटन स्वीकृत किया जाता है। इन हाटों में, कारीगरों को बिचौलियों की मध्यस्थता के बिना उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद सीधे बेचने का अवसर प्राप्त होगा।

(ग) शिल्पियों की दशा में सुधार लाने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों में कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण, विपणन विकास सहायता, एकीकृत सहायता पैकेज के माध्यम से महत्वपूर्ण शिल्प समूहों का अभिज्ञान एवं उनका सतत् विकास, लुप्तप्राय: शिल्पों का उत्थान, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, शिल्प विकास केन्द्रों एवं सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, बर्कशेड एवं वर्कशेड-सह-आवास आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पम्प

1641. **श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में 2001-02 के दौरान जिला-वार नई रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्प खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में 304 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 122 खुदरा बिक्री केन्द्र मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा चालू किए जाने के लिए लम्बित है। चयन चरणबद्ध रूप से किया जाता है और इस समय 2001-2002 के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं हो पाएगा।

[अनुवाद]

कृषि वैज्ञानिकों को गैर-वैज्ञानिक कार्यों पर लगाया जाना

1642. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकांश वैज्ञानिकों को ऐसे गैर-वैज्ञानिक कार्यों पर लगाया गया है जो विशुद्ध रूप से प्रशासन शाखा के कार्य हैं और इसके कारण अनुसंधान गतिविधियों में बहुत गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने वैज्ञानिकों को प्रशासन शाखाओं में लगाया गया है; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

रामटेक, महाराष्ट्र में राम मन्दिर का विकास

1643. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एम.टी.डी.सी.एल.) द्वारा रामटेक में राम मन्दिर के सौन्दर्यकरण और संरक्षण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो एम.टी.डी.सी.एल. द्वारा किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को ठुकराए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य राज्य सरकारों से प्रतिवर्ष ऐसे प्रस्तावों की सूची प्राप्त होती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जानी होती है पर्यटन की दृष्टि से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा परियोजेना की सम्भाव्यता के आधार पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाता है। रामटेक स्थित राम मन्दिर के सुन्दरीकरण तथा संरक्षण संबंधी प्रस्ताव को, संसाधन संबंधी बाधाओं और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दूसरी परियोजनाओं के कारण, प्राथमिकता नहीं दी जा सकी।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा रामटेक स्थित राम मन्दिर के सुन्दरीकरण और संरक्षण संबंधी परियोजना प्रस्ताव में पूरा विवरण नहीं दिया गया था क्योंकि प्राथमिकता प्रदान करने के समय उनसे पूरा विवरण देने को नहीं कहा गया था।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद भारत सरकार की संसाधन संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

गैसल रेल दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

1644. श्री सुलतान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** गैसल रेल दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के बारे में 8 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1791 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैसल रेल दुर्घटना पर राय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जी.एन. रे की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मण्डल के गैसल स्टेशन पर दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त जांच आयोग ने 28.1.2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। आयोग ने कुल 21 सिफारिशें की हैं जिनमें से 18 को स्वीकार कर लिया गया है।

कंटेनर वाहक पोतों की संभलाई करने वाले पत्तन

1645. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंटेनर वाहक पोतों की संभलाई करने वाले पत्तन कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या कंटेनर वाहक पोतों की संभलाई करने वाले और अधिक पत्तनों का विकास करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो विकास के लिए चुने गए पत्तनों की संख्या कितनी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) महापत्तनों में से कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम, चेन्नै, तूतीकोरिन, कोचीन, मुरगांव, जवाहरलाल नेहरू और मुंबई पत्तन कंटेनर पोत हैंडल कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, यातायात की बढ़ी हुई मात्रा के लिए प्रबंध करने हेतु कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं को लगातार आधुनिक बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता है और विभिन्न पत्तन न्यास इस संबंध में कदम उठा रहे हैं।

दक्षिण रेल का बंगलौर मंडल

1646. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेल के बंगलौर मंडल ने निजी टूर आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई विपणन नीति के रूप में कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों से विपणन नीति में सुधार के लिए रेल विभाग को कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) ज़ी, हां।

(ख) केरल परिवहन निगम के जरिए गाड़ियों के पहुंचने पर बस सेवा मुहैया कराने के लिए बेंगलूर मंडल द्वारा विशेष प्रयास किया गया है।

(ग) इन उपायों से यात्रियों की संतुष्टि में अत्यधिक सुधार हुआ है।

क्विलोन-तिरूनेलवेलि-तिरूच्चेन्दूर रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

1647. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्विलोन-तिरूनेलवेलि-तिरूच्चेन्दूर के आमान परिवर्तन में की गई प्रगति की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या केरल में पड़ने वाले हिस्से में अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केरल में उक्त रेल मार्ग के आमान परिवर्तन का कार्य कब शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) विरुद्नगर-तेनकासी-तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कोल्लन और पुनालूर के बीच तीखे मोड़ों और ढालों को बड़ी लाइन के अनुरूप बनाने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और पुनालूर तेनकासी खंड पर कार्य प्रगति पर है।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

बांकुरा-दामोदर नदी रेल परियोजना को पूरा किया जाना

1648. **श्री सुनील खां:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाकुंरा-दामोदर नदी रेल परियोजना का कार्य पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं, बहरहाल, कार्य प्रगति पर है।

(ख) परियोजना को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति की जा रही है।

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालय

1649. **श्री राम प्रसाद सिंह:**
कुंवर अखिलेश सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक राज्यवार और स्थानवार कितने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में कुछ और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) कुल मिलाकर 30 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा पांच मानद विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालयों का राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में राज्यवार कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 (एक)
2.	असम	1 (एक)
3.	बिहार	1 (एक)
4.	छत्तीसगढ़	1 (एक)
5.	गुजरात	1 (एक)
6.	हरियाणा	1 (एक)+1 (एक)= 2 (दो) राज्य कृषि विश्वविद्यालय+ डीम्ड विश्वविद्यालय
7.	हिमाचल प्रदेश	2(दो)
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2 (दो)
9.	झारखंड	1 (एक)
10.	कर्नाटक	2 (दो)
11.	केरल	1 (एक)
12.	मध्य प्रदेश	1 (एक)
13.	महाराष्ट्र	4 (चार)+1 (एक)=5 (पांच) राज्य कृषि विश्वविद्यालय + डीम्ड विश्वविद्यालय
14.	मणिपुर	1 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
15.	एन.सी.टी. दिल्ली	1 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
16.	उड़ीसा	1 (एक)
17.	पंजाब	1 (एक)
18.	राजस्थान	2 (दो)
19.	तमिलनाडु	2 (दो)
20.	उत्तरांचल	1 (एक)
21.	उत्तर प्रदेश	2 (दो) + 2 (दो) = 4 (चार) राज्य कृषि विश्वविद्यालय + डीम्ड विश्वविद्यालय
22.	पश्चिम बंगाल	2 (दो)

विवरण-II

भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थानवार सूची

क्रम संख्या	राज्य/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/ केन्द्रीय विश्वविद्यालय
1	2
1.	आंध्र प्रदेश आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030 (आंध्र प्रदेश)
2.	असम असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785013 (असम)
3.	बिहार राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, 848125 (बिहार)
4.	छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृष्णानगर, रायपुर-492012 (छत्तीसगढ़)
5.	गुजरात गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर बनासकंठा-385506 (गुजरात)
6.	हरियाणा 1. चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125004 (हरियाणा) 2. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल-132001 (हरियाणा)
7.	हिमाचल प्रदेश 1. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062 (हिमाचल प्रदेश) 2. डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन-173230 (हिमाचल प्रदेश)
8.	जम्मू एवं कश्मीर 1. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, जम्मू तवी-180004 (जम्मू एवं कश्मीर)

1	2
	2. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)
9. झारखंड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची-834006 (झारखंड)
10. कर्नाटक	1. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, पोस्ट बैग नं. 2477, बंगलोर-560065 (कर्नाटक़)
	2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़-580005 (कर्नाटक)
11. केरल	केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकारा, त्रिशूर-680654 (केरल)
12. मध्य प्रदेश	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482004 (मध्य प्रदेश
13. महाराष्ट्र	1. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली-415712 (महाराष्ट्र)
	2. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी-431402 (महाराष्ट्र)
	3. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी-431722 (महाराष्ट्र)
	4. डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषिनगर, अकोला-444104 (महाराष्ट्र)
	5. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान जयप्रकाश रोड, सातवां बंगला वरसोवा, मुम्बई-400058 (महाराष्ट्र)
	6. पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र)*
14. मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल-795001

1	2
15. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली-110012
16. उड़ीसा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003 (उड़ीसा)
17. पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141004 (पंजाब)
18. राजस्थान	1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334002 (राजस्थान)
	2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)
19. तमिलनाडु	1. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641003 (तमिलनाडु)
	2. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई-600007 (तमिलनाडु)
20. उत्तरांचल	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
21. उत्तर प्रदेश	1. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002 (उत्तर प्रदेश)
	2. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद-224001 (उत्तर प्रदेश)
	3. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122 (उत्तर प्रदेश)
	4. इलाहाबाद डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
	5. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, (उत्तर प्रदेश)*

1	2
22. पश्चिम बंगाल	
	1. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, डाकघर-कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया-741252 (पश्चिम बंगाल)
	2. पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बेलगछिया, कोलकाता-700037 (पश्चिम बंगाल)
	3. उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, कूचबिहार, (पश्चिम बंगाल)*

*इन तीन राज्य कृपि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता देनी बाकी है।

खारे पानी में मत्स्यपालन

1650. **श्री रामदास आठवले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य, विशेषकर आदिवासी और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आज भी खारे पानी में मत्स्यपालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए मत्स्य उत्पादन का स्थानवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्देशीय मात्स्यिकी पर प्रतिबंध है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) महाराष्ट्र सहित देश के सभी तटवर्ती राज्यों में खारा जल क्षेत्र में तटवर्ती जलकृषि चलाई जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती जलकृषि के जरिए कल्चर्ड झींगा के राज्यवार उत्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1998-99 से 2000-2001 के दौरान कल्चर्ड झींगा उत्पादन

(टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आंध्र प्रदेश	44856	46270	53100
2.	गोवा	590	840	966
3.	गुजरात	256	340	424
4.	कर्नाटक	2690	2890	2733
5.	केरल	7660	7150	7327
6.	महाराष्ट्र	409	390	315
7.	उड़ीसा	6000	3400	7360
8.	तमिलनाडु	1847	2940	3792
9.	पश्चिम बंगाल	18326	21780	21079
10.	अंडमान एवं निकोबार	नगण्य मात्रा	नगण्य मात्रा	नगण्य मात्रा
11.	दमन एवं दीव	नगण्य मात्रा	नगण्य मात्रा	नगण्य मात्रा
12.	पांडिचेरी	नगण्य मात्रा	नगण्य मात्रा	नगण्य मात्रा
	कुल	82634	86000	97096

[अनुवाद]

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

1651. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों में ''राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना'' को लागू किया जा रहा है और पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान और वर्ष 2001-2002 के लिए दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अधीन कोई उल्लेखनीय परिणाम हासिल हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश के कौन-कौन से जिलों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है;

(ङ) क्या देश के कुछ और जिलों में इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 30 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। 1999-2000 से 2001-2002 तक निधियों का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के कार्यान्वयन से दलहन का उत्पादन जो 1989-90 में 12.86 मिलियन टन था 1998-99 के दौरान एक उल्लेखनीय स्तर 14.91 मिलियन टन तक बढ़ गया है। 1998-99 के दौरान दलहन का उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) स्कीम के अधीन आंध्र प्रदेश के 22 जिले कवर होते हैं। जिलों के नाम नीचे दिये गए हैं:-

1. अदीलाबाद 2. अनन्तपुर 3. चित्तूर 4, कोड्डापा 5. ईस्ट गोदावरी 6. गन्टूर 7. करीम नगर 8. खम्माम 9. कृष्णा 10. कुरनूल 11. महबूबनगर 12. मेडक 13. नालगोंडा 14. निल्लोर 15. निजामाबाद 16. परकासम 17. रंगारेड्डी 18. श्रीकाकुलम 19. विशाखापटनम 20. विजयनगरम 21. वारंगल 22. पश्चिम गोदावरी।

(ङ) और (च) देश में दलहन के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन से अधिक संख्या में जिलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति प्राप्त है, जो ऐसे जिलों द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में दलहन उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करते हैं। जैसे ही ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं, उन पर इस मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) द्वारा विचार किया जाता है और तदनुसार उन्हें आवश्यक अनुमोदन सूचित किया जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

(लाख रु. में)

		1999-2000 आबंटन	2000-2001 आबंटन	2001-2002 आबंटन
		1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	125.00	91.00	75.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	50.00	30.00
3.	असम	10.00	70.00	40.00
4.	बिहार	120.00	72.00	100.00
5.	गोवा	1.00	1.00	1.00
6.	गुजरात	130.00	100.00	80.00
7.	हरियाणा	70.00	49.00	38.00
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	8.50	7.00
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00	18.50	12.00
10.	कर्नाटक	150.00	112.00	87.00
11.	केरल	12.00	6.50	5.00
12.	मध्य प्रदेश	630.00	398.00	200.00
13.	महाराष्ट्र	430.00	272.00	212.00
14.	मणिपुर	25.00	115.00	62.00
15.	मेघालय	5.00	50.00	25.00
16.	मिजोरम	–	40.00	20.00
17.	नागालैंड	18.00	105.00	62.00
18.	उड़ीसा	180.00	145.50	90.00

		1	2	3
19.	पंजाब	22.00	15.00	10.00
20.	राजस्थान	525.00	315.00	245.00
21.	सिक्किम	15.00	10.00	8.00
22.	तमिलनाडु	150.00	115.00	85.00
23.	त्रिपुरा	25.00	110.00	63.00
24.	उत्तर प्रदेश	550.00	330.00	214.00
25.	पश्चिम बंगाल	25.00	20.00	20.00
26.	छत्तीसगढ़	–	–	60.00
27.	झारखंड	–	–	15.00
28.	उत्तरांचल	–	–	30.00
29.	अ.न. द्वीप समूह	1.00	1.00	1.00
30.	दिल्ली	1.00	1.00	1.00
	कुल	3270.00	2620.00	1898.00

विवरण-II

1998-99 के दौरान दलहन का राज्यवार उत्पादन

(लाख टन)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1998-1999
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.07
3.	असम	0.69
4.	बिहार	7.92
5.	गोवा	0.09
6.	गुजरात	6.34
7.	हिमाचल प्रदेश	0.13
8.	हरियाणा	3.53
9.	जम्मू और कश्मीर	0.18
10.	कर्नाटक	7.47
11.	केरल	0.23
12.	मध्य प्रदेश	36.19
13.	महाराष्ट्र	22.55
14.	मणिपुर	–
15.	मेघालय	0.03
16.	मिजोरम	0.09
17.	नागालैंड	0.12
18.	उड़ीसा	2.49
19.	पंजाब	0.51
20.	राजस्थान	24.44
21.	सिक्किम	0.06
22.	तमिलनाडु	3.04
23.	त्रिपुरा	0.04
24.	उत्तर प्रदेश	23.24
25.	पश्चिम बंगाल	1.26
26.	अ.न.द्वीप समूह	0
27.	दिल्ली	0
28.	अन्य	0.07
	कुल	149.1

बिहार में ऋषि गौतम के स्थान का विकास

1652. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में ऋषि गौतम के स्थान को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार को चालू वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार में ऋषि गौतम स्थल के उन्नयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मंजूरी संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के तेल भंडार

1653. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा वर्ष 2020 तक अपने तेल भंडार को दोगुना किए जाने और अपनी आय में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम का 12 बिलियन टन तेल को अपने नियंत्रण में लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा इतना तेल भंडार किस प्रकार जुटाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम का वर्तमान तेल भंडार कितना है; और

(ङ) 12 बिलियन टन भंडार जुटाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) की लघु और मध्यम अवधि की तैयार की जा रही अन्वेषण और उत्पादन कार्यनीति में इसके आरम्भिक स्थानिक हाइड्रोकार्बन के 6.029 बिलियन टन तेल गैस के समतुल्य तेल से 6-7 बिलियन टन तेल+गैस के समतुल्य तेल के उच्च परिदृश्य का सिद्ध होना परिकल्पित है। ओ एन जी सी अगले बीस वर्षों में समग्र तेल निकासी घटक को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी प्रयास करेगी।

(ग) ओ एन जी सी की तैयार की जा रही अन्वेषण कार्यनीति को तदनुरूपी अन्वेषण कार्यक्रम और स्थानिक हाइड्रोकार्बन संस्थापना के अनुमान, जिसका वांछित कार्रवाई सुधारों के लिए सावधि रूप में निगरानी की जानी है, के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना को सम्मिलित करते हुए लघु अवधि और 2007 से 2020 को सम्मिलित करते हुए मध्यम लम्बी अवधि में चरणबद्ध किया गया है।

स्थानिक हाइड्रोकार्बन आधार का इतना स्तर प्राप्त करने के लिए गहन जल अन्वेषण को बढ़ाने और उत्पादक बेसिनों में तीव्र अन्वेषण जारी रखने के अलावा ओ एन जी सी के क्रियाकलाप अनुत्पादक, कम अन्वेषित और "अभी अन्वेषण किए जाने के लिए शेष" बेसिनों तक फैलाने की योजना है।

(घ) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यमों (जे वी) के तहत ओ एन जी सी प्रचालित स्थानों और क्षेत्रों के आरम्भिक स्थानिक हाइड्रोकार्बन की स्थिति 6.029 बिलियन टन तेल+गैस के समतुल्य तेल है।

(ङ) तैयार की जा रही कार्यनीति में निम्न अन्वेषण लक्ष्य और कार्यक्रम सम्मिलित हैं जिनसे इन्हें आरम्भिक स्थानिक हाइड्रोकार्बनों की परिकल्पित मात्रा प्राप्त करने के लिए लघु और मध्यम काल की अवधि में प्राप्त किया जाए।

लघु अवधि की कार्यनीति (2002-2007)

(1) सेक्टर प्राथमिकता निर्धारण और अन्वेषण कार्यक्रम की तैयारी के लिए उपलब्ध भूगर्भीय और भू-भौतिकीय (जी एण्ड जी) आंकड़ों के मेल के साथ प्रत्येक रकबे का सम्भावना विश्लेषण।

(2) सम्भावना पहचान और वेधन के लिए निर्धारित समय के भूगर्भीय और भूभौतिकीय कार्य।

(3) भंडार में वृद्धि करने के लिए अन्वेषण कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण और फास्ट ट्रेक परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वयन।

(4) गहन जल में पूर्व वेधन त्रिआयामी आंकड़ों का अर्जन।

(5) गहन लक्ष्यों और नई हाइड्रोकार्बन जगहों के अन्वेषण के लिए ऊपरी असम और उत्तरी कैम्बे आदि जैसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों में ब्लेन्केट त्रिआयामी।

(6) उत्पादक और सीमावर्ती बेसिनों के कम अन्वेषित सेक्टरों में ज्ञान वर्धन।

मध्यम अवधि की कार्यनीति (2007-20)

(1) अभी खोजने के लिए शेष हाइड्रोकार्बन संसाधनों का स्थानिक मात्रा में उन्नयन करने के लिए उत्पादक बेसिनों में गहन अन्वेषण।

(2) सम्भाव्यता का पता लगाने और ज्ञान वर्धन के लिए अनुत्पादक, कम अन्वेषित और "अभी अन्वेषण के लिए शेष बेसिनों में अन्वेषण फैलाना।

(3) भविष्य के लिए मुख्य बल दिए जाने वाले और योगदान करने वाले सेक्टर के रूप में गहन अपतट, गैर अन्वेषित सीमा की तरफ मुख्य ध्यान देना।

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। परिणामों, रकबों की उपलब्धता और लागू राजकोषीय व्यवस्था के आधार पर उपयुक्त सुधार कार्रवाई के लिए कार्यनीति की निगरानी की जाएगी।

राइट्स द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति

1654. श्री अशोक अर्गल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राइट्स लिमिटेड द्वारा नई भर्तियों और विभागीय पदोन्नतियों के मामलों में सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी संवर्गों और प्रशाखाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भर लिया गया है;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती के मामलों में आरक्षण नीति को लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राइट्स लिमिटेड में कितने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया और इनमें से कितने कर्मचारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित थे;

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा. की बकाया रिक्तियां कितनी हैं और इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करने और अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए राइट्स लिमिटेड ने अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित कोई संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.97 के परिपत्र सं. 36012/2/96- स्था. (आर.) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षण नहीं लागू होता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 262 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 118 पदों की आवश्यकता के हिसाब से राइट्स ने वर्षों के दौरान 200 अ.जा. तथा 27 अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को भर्ती/विनियमित किया है। 1997 में विशेष भर्ती अभियान के परिणामस्वरूप राइट्स ने आरक्षित कोटियों में 3 सहायक प्रबंधक तथा 30 इंजीनियर भर्ती किए हैं। इनमें से 2 सहायक प्रबंधकों और 22 इंजीनियरों ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस समय चूंकि स्थायी संवर्ग में कोई रिक्तियां नहीं हैं। इसलिए खाली अ.जा./अ.ज.जा. के पिछले बकाया की जब कभी रिक्तियां होंगी, नियमानुसार आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा।

(च) और (छ) यद्यपि इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से किसी अ.जा./अ.ज.जा. संपर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, इस बात की सावधानी बरती जाती है कि आरक्षण नीति को लागू किया जाए। चयन और प्रोन्नति के लिए नामित बोर्ड के पैनल का एक सदस्य अ.जा./अ.ज.जा. कोटि में से होता है।

दमन और दीव में पर्यटन को प्रोत्साहन

1655. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई; और

(ग) इस संबंध में आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को उनसे विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष पर्यटन के विकास तथा संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई क्योंकि संघ शासित राज्य दमन तथा दीव ने प्राथमिकता प्राप्ति के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2001-2002 के दौरान, 2.04 करोड़ रुपए राशि की 7 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिजली उत्पादन

1656. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अधिकांश चीनी मिलों में शर्करा अवशिष्ट से बिजली का उत्पादन करने की दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कनप्पन): (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय चीनी मिलों में खोई से ईष्टतम अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम में सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की मिलों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इन परियोजनाओं के लिए कर और शुल्कों से राहत, त्वरित ह्रास, उदार ऋण आदि सहित राजकोषीय एवं संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं।

छः राज्यों में 36 खोई आधारित-सह-उत्पादन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 213 मेवा. की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है। इनमें कर्नाटक में सात परियोजनाएं (62.50 मेवा.); महाराष्ट्र में छः परियोजनाएं (9.0 मेवा.); पंजाब में एक परियोजना (2.0 मेवा.); आंध्र प्रदेश में चार परियोजनायें (11.50 मेवा.); तमिलनाडु में दस परियोजनाएं (81.50 मेवा.); और उत्तर प्रदेश में आठ परियोजनाएं (46.50 मेवा.) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सात राज्यों में खोई आधारित 29 सह-उत्पादन परियोजनाओं के माध्यम से 263 मेवा. की अतिरिक्त विद्युत क्षमता कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

[अनुवाद]

नेदुम्बस्सेरी में नए रेलवे स्टेशन की स्थापना

1657. श्री एस. अजय कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन के निकट नेदुम्बस्सेरी में नए रेलवे स्टेशन की स्थापना किए जाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं, कोचीन के समीप नेदुम्बस्सेरी में एक नया रेलवे स्टेशन इस स्तर पर आवश्यक नहीं समझा जाता है। जब कभी ऐसा प्रस्ताव आएगा तब इस पर सम्यक् विचार किया जाएगा।

चेन्नई और अंडमान द्वीप के बीच यात्री पोत चलाया जाना

1658. श्री राजैया मल्याला: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चेन्नई और अंडमान द्वीप के बीच कोई यात्री पोत चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किराया ढांचे और यात्रा की अवधि का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन चेन्नई-अंडमान द्वीप के बीच दो यात्री एवं कार्गो जलयान अर्थात् एम वी नॉनकोबरी तथा एम वी स्वराज द्वीप का प्रचालन कर रहा है।

(ख) किराया ढांचा इस प्रकार है:-

आवास की श्रेणी	द्वीप निवासियों के लिए किराया (रुपयों में)	गैर-द्वीप निवासियों के लिए किराया (रुपयों में)
डीलक्स	2,280.00	4,140.00
"ए" कैबिन	2,050.00	3,420.00
"बी" कैबिन	1,520.00	2,700.00
बंक	400.00	1,150.00

यात्रा की अवधि लगभग 55-65 घंटे है जोकि मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है।

विधि अध्ययनों में पशु कल्याण

1659. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विधिक शिक्षण समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि पशु कल्याण को विधि अध्ययनों के पाठ्यक्रमों में विषय के रूप में शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी से प्राप्त निवेदन पर भारत की विधिज्ञ परिषद की विधिक शिक्षा समिति ने 30.3.2001 को हुई अपनी बैठक में परिषद को यह सिफारिश की है कि पांचवर्षीय और तीन वर्षीय दोनों विधि पाठ्यक्रमों में ''पर्यावरणीय विधि'' विषय के स्थान पर ''पर्यावरणीय विधि जिसमें वन्य जीव और अन्य जीवों के संरक्षण की ऐसी विधियां भी सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत पशु कल्याण विधियां भी हैं'' को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(ख) से (घ) भारत की विधिज्ञ परिषद ने 31.3.2001 और 1.4.2001 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस प्रयोजन के लिए सुसंगत नियमों को संशोधित कर दिया है। विधि पाठ्यक्रमों के लिए लिए पाठ्यचर्या विहित करने का कार्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद को समनुदेशित किया गया है, जो यह कार्य विश्वविद्यालयों के परामर्श से करेगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने विधिक शिक्षा देने वाले सभी विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों को एक परिपत्र, तारीख 11.6.2001 को भेजा है, जिसमें उन्हें परिषद के निर्णय की बाबत सूचना दी गई है और उन्हें एलएल.बी. पाठयक्रमों में उपरोक्त नया विषय सम्मिलित करने का निदेश दिया गया है।

चेन्नई सर्किल में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

1660. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक चेन्नई सर्किल के विभिन्न उप-सर्किलों और सरकारी संग्रहालय में कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया;

(ख) क्या चेन्नई के सरकारी संग्रहालय में नैमित्तिक/अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किए जाने के मामलों में मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या इन शिकायतों की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जहां तक चेन्नई मण्डल के विभिन्न उपमण्डलों का सम्बन्ध है, कोई विनियमन/नियुक्ति नहीं की गई, जबकि फोर्ट संग्रहालय, चेन्नई मण्डल में समूह ''घ'' की एक नियुक्ति की गई है।

(ख) से (घ) फोर्ट संग्रहालय, चेन्नई में समूह, ''घ'' की नियुक्ति से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

फलों आदि के आयात के लिए परमिट

1661. श्री रामपाल सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फलों, बीजों और पौधों के आयात के लिए 'आयात परमिट' को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय को कब तक प्रभावी करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) प्रजनन और बुवाई के उद्देश्य वाले बीजों और पादपों हेतु पादप, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 में पहले से ही आयात परमिट का प्रावधान है। किन्तु सरकार ने खपत हेतु पादपों और फलों के आयात हेतु आयात परमिट की आवश्यकता को अनिवार्य बनाने के लिए दिनांक 1.5.2001 को एक अधिसूचना जारी की है किन्तु, वैयक्तिक खपत हेतु 2 कि.ग्राम से कम वजन के तराशे हुए फूलों, हार, गुलदस्ते, फलों और सब्जियों को आयात परमिट से छूट दी गई है। उक्त अधिसूचना 1.6.2001 से प्रभावी हुई।

100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा मशरूम स्पॉन कल्चर तथा किसी भी पादप मूल की टिशू कल्चर सामग्रियों और फूलों के बीजों को बिना परमिट के आयात किया जाता रहेगा जैसा कि क्रमश: दिनांक 16 जुलाई, 1993 और 11 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचनाओं में प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

मत्स्यपालन संबंधी मुरारी समिति की सिफारिशें

1662. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरारी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किए जाने के बावजूद कि मछली पकड़ने वाले किसी भी विदेशी पोत को भारतीय जल क्षेत्र में आने की अनुमति न दी जाए, ताइवान के मछली पकड़ने वाले पोतों को लाइसेंस देने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मत्स्य पालन संबंधी मुरारी समिति की सिफारिशों को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) इस समय लागू आयात-निर्यात नीति (एग्जिम पालिसी) के अनुसार नये ट्रालर और अन्य मत्स्य जलयानों तथा दस वर्ष तक पुराने जलयानों का पशु पालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमोदन अथवा मार्गनिर्देशों के अध्यधीन मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है। तथापि, पुराने ट्रालरों और दस वर्ष से अधिक पुराने अन्य मत्स्य जलयानों के आयात पर प्रतिबंध है और यह आयात केवल लाइसेंस पर करने की ही अनुमति है। जहां तक मुरारी समिति की रिपोर्ट और उसके कार्यान्वयन का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र

1663. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जून, 2001 के ''दैनिक जागरण'' (वाराणसी) में ''राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान को हटाए जाने के संकेत'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संस्थान को हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय गन्ना तथा चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ को बंगलौर में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय निगरानी दल की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार राष्ट्रीय गन्ना तथा चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की सम्पत्ति को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अन्तरित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेल लाइनों के नीचे सिंचाई नहरों को बनाने की अनुमति

1664. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** उड़ीसा में रेल लाइनों के नीचे सिंचाई नहरों को बनाने की अनुमति के बारे में 15 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2750 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और रेल लाइनों के नीचे से किसी नई नहर को निकालने के संबंध में प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलों में मोबाइल टेलीफोन सेवा

1665. श्री रामशकल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान कुछ रेलों में मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो रेल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सेवा को वापस ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। पिछले वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान ऐसी कोई सेवा शुरू नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में खान-पान व्यवस्था का ठेका

1666. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे केटरिंग और पर्यटन निगम ने लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में खान-पान की व्यवस्था का ठेका ऐसी फर्म को दिया गया है जिसके खिलाफ सतर्कता (रेलवे) के छह मामले दर्ज हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के लिए खानपान के लिए प्रबंधन का लाइसेंस रेल मंत्रालय के अन्तर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर अर्हता की प्रक्रिया के माध्यम से प्रतियोगी बोली के आधार पर मैसर्स आर. के. एसोसिएट्स को प्रदान किया गया था। मैसर्स आर.के. एसोसिएट्स ने पात्रता मापदंड को पूरा किया था और यह फर्म रेलों की ब्लैकलिस्ट में नहीं है। टेंडर समिति ने एक वस्तु-परक मापदंड के अनुसार आवेदकों के प्रत्यायकों की जांच की थी।

सतर्कता सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा सेवा के मानकों को बनाए रखने के लिए निवारक जांचें की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस फर्म के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा अनियमितता/कमियों के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 मामलों में जुर्माना लगाया गया था, जबकि 11 अनियमितताएं बहुत ही मामूली किस्म की थीं।

ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1667. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री जय प्रकाश:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किन राज्यों को प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थान के चयन के बाद किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार योजना को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 10वीं योजना के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) और दामोदर वेली कारपोरेशन (डीवीसी) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम निम्नलिखित है:

परियोजना/स्थल	मे.वा.
(क) एनटीपीसी	
सिमहाद्री/आंध्र प्रदेश	500
तालचे-2/उड़ीसा	2000
रामागुण्डम-3/आंध्र प्रदेश	500
रिहन्द-2/उत्तर प्रदेश	1000
सिपत/छत्तीसगढ़	1320
कहलगांव-2/बिहार	660
बाढ़/बिहार	660
उत्तरी करनपुरा/झारखंड	660
कुल	7300

* सरकार द्वारा बृहत् विद्युत परियोजना के रूप में अनुमोदित बृहत् विद्युत परियोजना के रूप में अनुमोदन मिलने से परियोजनाओं को सीमा-शुल्क, बिक्री कर एवं राज्य के अन्य करों से मुक्त होंगे ताकि ये परियोजनाएं कम लागत पर विद्युत उत्पादन कर सकें।

परियोजना/स्थल	मे.वा.
(ख) डीवीसी	
मेजिया थर्मल पावर स्टेशन विस्तार यूनिट-4/प. बंगाल	210
चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-2/झारखंड	250
दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन/प. बंगाल	250
बोकारो ''बी'' थर्मल पावर स्टेशन विस्तार/झारखंड	210
मैथान राइट बैक थर्मल पावर परियोजना*/झारखंड	1000
कुल	1920

*डीवीसी एवं बॉम्बे सवर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी की एक संयुक्त उद्यम परियोजना।

राष्ट्रीय संग्रहालय में केफेटेरिया का खोला जाना

1668. **श्री अखिलेश यादव:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित विभागों द्वारा आपत्तियां जतायी गई की उपेक्षा करते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय में केफेटेरिया खोला गया है जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो आपत्तियों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और किसके आदेश के तहत यह केफेटेरिया खोला गया है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में यथापूर्वस्थिति बनाए रखने के लिए आदेश जारी करेगी;

(घ) क्या संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय संग्रहालय के परिसर में एक केफेटेरिया खोला गया है। प्रारंभ में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) को केफेटेरिया खोलने पर कुछ आपत्तियां थी। किन्तु राष्ट्रीय संग्रहालय के प्राधिकारियों तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात इस मामले को सुलझा लिया गया है।

[हिन्दी]

भाषा पुस्तकालयाध्यक्ष का रिक्त पद

1669. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संस्कृति विभाग के अंतर्गत 'रिजनल लैंग्वेजेज लाइब्रेरी' (सी.एल.एल.) में भाषा पुस्तकालयाध्यक्ष के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) रिजनल लैंग्वेजेज लाइब्रेरी को चलाने के लिए इन रिक्त पदों और अन्य स्वीकृत किये गये पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस पुस्ताकालय को कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आदि भाषाओं में से प्रत्येक भाषा की कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) संस्कृति विभाग के अधीन केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय में भाषा पुस्तकालयध्यक्षों के दो पद कन्नड़ और पंजाबी का एक-एक रिक्त पड़े हुए हैं। ये दो पद पदधारियों की पदोन्नती तथा सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए।

(ख) ए एल आई ओ (कन्नड़) के पद को भरने के लिए समय पर कार्रवाई करके प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था परन्तु संघ लोक सेवा आयोग को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। मई, 2001 में पुन: मांगपत्र भेजा गया था। आई एल आई ओ (पंजाबी) के पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जून, 2001 में विज्ञापन जारी किया था। शेष सात पद भरे हुए हैं।

(ग) कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा में पुस्तकों की खरीद नहीं की गई है क्योंकि इन भाषाओं का ज्ञान रखने वाले ए एल आई ओ उपलब्ध नही हैं।

टिहरी बांध परियोजना

1670. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टिहरी बांध परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह मदवार निर्धारित समय-सीमा से कितनी पीछे चल रही है;

(ग) परियोजना की लागत में चरणवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (4×250 मेगावाट) टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) के क्रियान्वयनधीन है। निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर में से केवल 70 मीटर उठायी जानी शेष है। सभी चार विपथन सुरंगों को पूरा कर दिया गया है और ये प्रचालनधीन हैं। स्पिलवे कार्य प्रगति पर है। भूमिगत विद्युत गृह में इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपस्कर का उत्थापन किया जा रहा है।

टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (4×250 मे.वा.=1000 मे.वा.) की 250 मे.वा. वाली प्रथम यूनिट, जिसे चालू करने का कार्यक्रम मार्च, 2002 थी, को पुन: चालू करने का कार्यक्रम विपथन सुरंगों टी-3 और टी-4 को बंद न किये जाने के कारण बनाया गया है। स्टिलिंग वेसिन के निर्माण हेतु सूखा क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए इन विपथन सुरंगों को बंद किया जाना अपेक्षित है। स्थानीय जनता द्वारा किये गये आन्दोलनों के परिणामस्वरूप पुराने टिहरी शहर को खाली न करने के कारण ऐसा नहीं हो सका। पुराने टिहरी शहर के स्थानान्तरण, जिससे सुरंग टी-3 और टी-4 को बंद करने का रास्ता साफ हो गया है, पर अब उत्तरांचल राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इन सुरंगों को अब अक्टूबर 2001 में बंद किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसके पश्चात् स्पिलवे और स्टिलिंग बेसिन का कार्य पूरा करने के लिए लगभग 18 माह की आवश्यकता होगी।

परियोजना की संभावित लागत बिना आईडीसी के 2963.66 करोड़ रुपये (मार्च, 1993 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत की तुलना में 5209.10 करोड़ रुपये (अगस्त, 1999 के मूल्य स्तर पर) अनुमानित की गयी है जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज और वित्तीय प्रभार शामिल नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र के संगठनों में कार्यरत कर्मचारीवृंद

1671. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मई, 2001 की तिथि के अनुसार उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत थे;

(ख) 31 मई, 2001 की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति आधार पर कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत थे;

(ग) 31 मई, 2001 की तिथि के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत थे;

(घ) 31 मई, 2001 की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत थे;

(ङ) 31 मई, 2001 की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में संवर्गवार और पूर्व-संवर्गवार कुल कितने पद रिक्त थे; और

(च) 31 मई, 2001 की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में संवर्गवार और पूर्व-संवर्गवार इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या समय-सीमा निश्चित की गयी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (च) 31.5.2001 तक स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:-

	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों की सं.	प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी/ अधिकारी	सेवानिवृत्ति के बाद कार्य कर रहे कर्मचारी/अधिकारी	अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी	संवर्ग/संवर्ग बाह्य में रिक्त पदों की सं.	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	1804	228	17	204	कोई नहीं@	रिक्तियों का भरा जाना
2.	राइट्स लि.	2196	348	309	229	कोई नहीं@	एक सतत् प्रक्रिया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	भारतीय रेल वित्त निगम लि.	12	कोई नहीं	कोई नहीं	5	3	रिक्तियों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है।
4.	भारतीय कंटेनर निगम लि.	703	56	कोई नहीं	125	186	
5.	कोंकण रेलवे निगम लि.	3394	209	कोई नहीं	360	237	
6.	मुंबई रेल विकास निगम लि.	60	36	7	2	12	
7.	भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लि.	–	–	–	कोई नहीं	3	
8.	भारतीय रेलटेल निगम लि.	02	01	कोई नहीं	कोई नहीं	पदों का अभी सृजन किया जाना है।	

@निर्माण/परामर्श कंपनियां होने के कारण, कर्मचारियों की आवश्यकता कार्य के हिसाब से घटती-बढ़ती रहती है और इसलिए खाली पद रहने का कोई मतलब नहीं है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की क्रेनों से संबंधित रिपोर्ट *[हिन्दी]*

1672. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मैसर्स गोटवाल्ड ऑफ जर्मनी से आठ 140 टी क्रेनों की खरीद जांच से संबंधित सी.बी.आई. की वह रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसमें रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारियों के लिप्त होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसमें कौन-कौन से अधिकारी लिप्त पाये गये हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में सूखी खेती

1673. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में सूखी खेती करने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दक्षिणी गुजरात में इस संबंध में क्या कार्य किया है और इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने शुष्क भूमि कृषि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस संबंध में कृषि मंत्रालय की मुख्य पहल वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना है, जिसे आठवीं योजना में 25 राज्यों और 2 संघशासित क्षेत्रों, नामतः अंदमान और निकोबार और दादरा और नगर हवेली में शुरू किया गया और उसे नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है। नवम्बर, 2000 तक इस स्कीम को स्वतंत्र केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था, इसके बाद इसे क्रियान्वयन की वृहत् प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया। बहरहाल यह वृहत् प्रबंधन के घटक के रूप में जारी है।

यह परियोजना राज्यों/संघशाशित क्षेत्रों में पनधारा परियोजना में आने वाले जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों को कवर करती है।

आठवीं योजना के दौरान सम्पूर्ण देश में 4.23 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 2554 पनधाराओं का सुधार किया गया। भूमि पर तथा सुदूर संवेदन तकनीकों, दोनों, के जरिए किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से देखा गया है कि पनधारा आधारित हस्तक्षेपों से भूजल पुनर्भरण हुआ है। फसल गहनता में वृद्धि हुई है। फसल प्रतिमान में परिवर्तन आया है और मृदा हानि में कमी आई है। नौवीं योजना के दौरान 1020.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2.25 मिलियन हैक्टेयर के सुधार का प्रस्ताव है।

(ग) दक्षिणी गुजरात के बड़ोदरा, भड़ौच, सूरत, नर्मदा, वालसाड, नवसारी और डांग्स जिलों को वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा नौवीं योजना के दौरान अब तक 357.99 लाख रुपये की लागत से 29312 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है।

[अनुवाद]

मंगलौर-शोरुवण्णूर-कालीकट-कुट्टिपुरम रेल लाइन का दोहरीकरण

1674. **श्री कोडीकुनील सुरेश:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगलौर-शोरुवण्णूर-कालीकट-कुट्टिपुरम रेल लाइन के दोहरीकरण से संबंधित कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) अब तक इस पर कुल कितना धन खर्च किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 307 कि.मी. में से लगभग 13 कि.मी. दोहरीकरण कार्य अब तक पूरा हो गया है और यातायात के लिए चालू कर दिया गया है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 2002-03 तक कार्य के पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) 31.3.2001 तक 430.51 करोड़ रुपये।

[हिन्दी]

अतिरिक्त जोनों का निर्माण

1675. **श्री मानसिंह पटेल:**
श्री के.पी. सिंह देव:
श्रीमती भावनावेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996 में संसद ने आठ नये रेल जोनों और आठ मंडलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो इन जोनों/मंडलों के नाम क्या हैं और इनके मुख्यालय कहां स्थित हैं;

(ग) इनमें जोनवार और मंडलवार कुल कितनी लागत आई है;

(घ) कितना धन मुहैया कराया गया है तथा अवसंचना और क्षेत्राधिकारों के निर्माण के संबंध में अभी तक जोनवार/मंडलवार/वर्षवार कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या कुछ और जोनों/मंडलों के निर्माण की मांग की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) मंत्रिमंडल द्वारा छह नए रेलवे जोनों के सृजन का प्रस्ताव 1996 में अनुमोदित किया गया था। मंत्रिमंडल द्वारा बिलासपुर में मुख्यालय सहित दूसरा नया जोन 1998 अनुमोदित किया गया था। बजट 1995-96 के लिए अनुदान की पूरक मांगें प्रस्तुत करते समय 1995 में संसद में आठ नए मंडलों का गठन करने के लिए सरकार के निर्णय की घोषणा की गयी थी।

(ख) प्रस्तावित सात नए जोनों और आठ नए मंडलों के नाम, उनके मुख्यालयों सहित इस प्रकार हैं:-

जोन का नाम	मुख्यालय
1	2
पूर्व मध्य जोन	हाजीपुर
पूर्व तटीय जोन	भुवनेश्वर
उत्तर मध्य जोन	इलाहाबाद

1	2
उत्तर पश्चिम जोन	जयपुर
दक्षिण पश्चिम जोन	बेंगलूरू (बाद में 1999 में मंत्रिमंडल द्वारा बदल कर हुबली कर दिया गया)
पश्चिम मध्य जोन	जबलपुर
बिलासपुर जोन	बिलासपुर
मंडल का नाम	*मुख्यालय*
आगरा मंडल	आगरा
अहमदाबाद मंडल	अहमदाबाद
गुंटूर मंडल	गुंटूर
पूणे मंडल	पूणे
रायपुर मंडल	रायपुर
रांची मंडल	रांची
रंगिया मंडल	रंगिया
सिंगरौली मंडल	सिंगरौली

(ग) बिलासपुर जोन को छोड़कर प्रत्येक नए जोनल मुख्यालय को 41.66 करोड़ रु. की वास्तविक नियोजित लागत पर गठित किए जाने का प्रस्ताव था। बिलासपुर जोन 100 करोड़ रु. की लागत पर गठित किए जाने का प्रस्ताव था। इसी प्रकार प्रत्येक नए मंडल मुख्यालय को 13 करोड़ रु. की वास्तविक नियोजित लागत पर गठित किए जाने का प्रस्ताव था। बहरहाल, वर्तमान अनुमानित लागत इस प्रकार है:-

	जोन/मंडल का नाम	वर्तमान प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)
1.	पूर्व मध्य जोन/हाजीपुर	115.00
2.	पूर्व तटीय जोन/भुवनेश्वर	111.00
3.	उत्तर मध्य जोन/इलाहाबाद	121.00
4.	उत्तर पश्चिम जोन/जयपुर	155.74
5.	दक्षिण पश्चिम जोन/बेंगलूरू	139.00
6.	पश्चिम मध्य जोन/जबलपुर	115.96
7.	बिलासपुर जोन/बिलासपुर	110.00
8.	आगरा मंडल/आगरा	15.20
9.	अहमदाबाद मंडल/अहमदाबाद	13.86
10.	गुंटूर मंडल/गुंटूर	13.00
11.	पूणे मंडल/पूणे	18.33
12.	रायपुर मंडल/रायपुर	13.00
13.	रांची मंडल/रांची	32.84
14.	रंगिया मंडल/रंगिया	19.00
15.	सिंगरौली मंडल/सिंगरौली	33.14

(घ) इन नए जोनल/मंडल मुख्यालयों के गठन के लिए मुहैया कराई गई (पिंक बुक के अनुसार) निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

जोन/मंडल मुख्यालयों के नाम	आवंटित निधि (करोड़ रु. में)					
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
पूर्व मध्य जोन/हाजीपुर	–	5.24	4.50	0.80	0.31	0.555
पूर्व तटीय जोन/भुवनेश्वर	–	5.24	4.50	0.60	0.30	0.10
उत्तर मध्य जोन/इलाहाबाद	–	5.24	4.00	0.80	0.30	0.50
उत्तर पश्चिम जोन/जयपुर	–	5.24	4.50	0.62	0.90	0.40

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण पश्चिम जोन/बेंगलौर	–	5.24	4.50	0.80	0.30	0.47
पश्चिम मध्य जोन/जबलपुर	–	5.24	4.00	0.60	0.35	0.50
बिलासपुर जोन/बिलासपुर	–	–	0.10	3.00	0.50	0.10
आगरा मंडल/आगरा	1.25	0.50	0.10	2.19	0.20	0.50
अहमदाबाद मंडल/अहमदाबाद	0.25	0.50	0.10	2.00	0.20	0.095
गुंटूर मंडल/गुंटूर	0.25	0.30	0.10	1.50	0.10	0.40
पुणे मंडल/पुणे	1.25	1.00	1.50	1.98	0.40	0.10
रायपुर मंडल/रायपुर	0.25	0.25	0.10	2.00	0.20	0.10
रांची मंडल/रांची	0.25	0.50	0.48	3.90	2.20	1.50
रंगिया मंडल/रंगिया	0.28	1.25	0.10	1.32	0.30	0.10
सिंगरौली मंडल/सिंगरौली	0.50	1.20	0.10	0.50	0.20	0.20

उपलब्ध निधियों के आधार पर जोनल मुख्यालय भवनों और कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए कुछ अवसंरचना का विकास किया गया।

सात नए जोनों में से केवल 2 अर्थात पूर्व मध्य जोन/हाजीपुर और उत्तर पश्चिम जोन/जयपुर और आठ नए मंडलों के क्षेत्राधिकार को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बहरहाल, इस संबंध में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(ङ) जी हां।

(च) नए जोनों/मंडलों के गठन के लिए विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य का नाम	प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या	
	जोनल मुख्यालय	मंडल मुख्यालय
1	2	3
आंध्र प्रदेश	3	13
असम	–	26
बिहार	19	10
गुजरात	5	9
कर्नाटक	20	1
केरल	8	5
महाराष्ट्र	1	9
मध्य प्रदेश	34	4
उड़ीसा	4	4
राजस्थान	8	–
तमिलनाडु	–	6
उत्तर प्रदेश	3	3
पश्चिम बंगाल	1	–

(छ) नए जोन/मंडल का गठन आकार, कार्यभार, यातायात के स्वरूप और प्रादेशिक दृष्टिकोण की अपेक्षा अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है। बहरहाल, पुनर्गठन के समग्र मामले की समीक्षा इस समय रेलों के सामने आ रही संसाधनों की अत्यधिक तंगी, सूचना

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकासों और अब उपलब्ध बेहतर संचार सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

[अनुवाद]

रेलवे संपत्ति की चोरी

1676. श्री मोहन रावले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे के अन्तर्गत नागपुर मंडल के बूटी बोरी और उमरेद खण्ड में रेलवे पुलिस बल के अधिकारियों की सांठ-गांठ से एक कुख्यात गैंग रेलवे की करोड़ों की सम्पत्ति की चोरी में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। पिछले 5 वर्षों के दौरान इस खंड में रेलपथ सामग्री की चोरी के संबंध में 3 मामले सूचित किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामले में बल के 5 सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए गए थे और विभागीय जांच की गई थी।

(ग) संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाई शुरू की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के लिए समय-सारणी

1677. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग प्रति वर्ष 1900 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है लेकिन केवल 200 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों की ही अग्रिम समय सारणी जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कुछ रेलगाड़ियां अपने चलने के स्थान पर अथवा वापसी की दिशा में खाली चल रही हैं; और

(घ) रेल विभाग द्वारा सभी ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के लिए पहले से ही अग्रिम समय सारणी जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन विशेष समय सारणी में निर्धारित ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां शामिल होती हैं। इसके अलावा, उचित प्रचार करके बड़े जंक्शन स्टेशनों पर यातायात की विशेष अवसरों की भीड़ को कम करने के लिए भी अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में खान-पान सुविधाएं

1678. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल विभाग ने रेलगाड़ियों में खान-पान सेवाओं से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) तीन वर्षों के दौरान रेलवे सतर्कता विभाग को जोनवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जोनल रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार कितने मामलों में कार्रवाई की गयी है;

(घ) रेल विभाग ने यह नीति तैयार की है कि उन केटरिंग फर्मों को नये ठेके नहीं दिये जाएंगे और मौजूदा ठेके भी समाप्त कर दियें जाएंगे जिनके विरुद्ध पांच से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हों; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अब तक कौन-कौन सी फर्मों के ठेके समाप्त कर दिए गए हैं और कितनी फर्मों को काली सूची में डाला गया है और कितनों को अयोग्य घोषित किया गया?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, क्षेत्रीय रेलों द्वारा जांचें की जाती हैं और यदि विभागीय खान-पान के मामले में आरोप सिद्ध हो जाता है तो कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है और प्राइवेट लाइसेंसधारियों/सप्लायरों के मामले में जुर्माना लगाया जाता है अथवा लाइसेंस/सप्लाई बंद कर दी जाती है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सतर्कता को प्राप्त शिकायतों और उन मामलों की संख्या जिन पर सतर्कता विभाग की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है, का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और मार्ग निर्देशों का अनुपालन करते हुए खान-पान के ठेके आबंटित किए जाते हैं। अन्य पात्रता मानदंडों के अंतर्गत विगत के अनुभव और आवेदकों की व्यावसायिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। मौजूदा लाइसेंसों का नवीकरण करते समय जांच समिति द्वारा किसी गंभीर किस्म की शिकायत सहित विगत के कार्य निष्पादन की जांच की जाती है।

किसी गंभीर अनियमितता के मामले में मौजूदा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय रेलों द्वारा एक खानपान/वेंडिंग लाइसेंस को अयोग्य घोषित कर दिया गया और एक ठेकेदार को हटा दिया गया।

विवरण

रेलवे	विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सतर्कता को प्राप्त शिकायतों की संख्या	विगत तीन वर्षों के दौरान सतर्कता की सिफारिश पर, जिन मामलों पर कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या
मध्य	4	4
पूर्व	1	जांचाधीन
उत्तर	6	6
पूर्वोत्तर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण	17	1
दक्षिण मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण पूर्व	2	1
पश्चिम	13	13

[अनुवाद]

उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1679. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्रीमती हेमा गमांग:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में अंतीय फलों विशेषकर अनानास, संतरा, आम, कटहल और काजू के गूदे को निकालने के लिए कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान उड़ीसा के जनजातीय जिलों विशेषकर कौरापुट और रायगडा में तथा उड़ीसा

के अन्य भागों में किसी ऐसे उद्योग की स्थापना के लिए क्या नई पहल की है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। वैसे खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लागू किए जाने वाले फल उत्पाद आदेश 1955 के अंतर्गत अनानास, संतरा आम आदि समेत फल एवं सब्जी के प्रसंस्करण के वास्ते उड़ीसा में 48 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने सहायता प्रदान करने की पद्धति में संशोधन किया है जिसके तहत अब निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता आसान शर्तों पर ऋण के स्थान पर अनुदान के रूप में दी जाएगी। सामान्य क्षेत्रों में निजी उद्योग को अब वित्तीय सहायता पूंजीगत लागत के 25% तक दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों में वित्तीय सहायता पूंजीगत लागत के 33.33% तक दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है।

भारतीय वस्त्र उद्योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण

1680. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेजी से बदलते हुए विश्व वस्त्र परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग का सामना करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं और विश्व बाजार को देखते हुए वस्त्र उद्योग में किस सीमा तक अपनी प्रचलित नीति में परिवर्तन किया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन में निवेश को प्रोत्साहन देकर विश्वव्यापीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 में, घरेलू वस्त्र उद्योग को विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए वातावरण बनाने का प्रावधान है। सिले-सिलाए परिधान क्षेत्र के वूवन क्षेत्र के आरक्षण को हटाने से उद्योग वांछित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में सक्षम होगा। राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 के परिदृश्य के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में "वस्त्र पैकेज" की घोषणा की गयी थी ताकि वस्त्र क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस "वस्त्र पैकेज" के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:-

(1) वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क ढांचे को सामान्यत: सुव्यवस्थित किया गया है ताकि वृद्धि के साथ-साथ अधिकतम मूल्य संवर्धन प्राप्त किया जा सके।

(2) 159 विशिष्ट वस्त्र और परिधान मशीनों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शटल रहित करघों सहित मशीनों की 12 महत्वपूर्ण मदों को भी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।

(3) ब्याज में से 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहायता वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टी यू एफ एस के अंतर्गत मशीनों के लिए मूल्य ह्रास सुविधा की दर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) परिधानों के उत्पादन और निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना करने के लिए वर्ष 2001-02 के बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल अवस्थापना संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1681. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस मामले को शीघ्र पूरा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं। फिलहाल बिहार राज्य सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

चिकबालापुर और कोलार के बीच आमान परिवर्तन

1682. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकबालापुर और कोलार के बीच ''मिसिंग लिंक'' का आमान परिवर्तन करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) ''मिसिंग लिंक'' को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है; और

(घ) ''मिसिंग लिंक'' को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) कोलार से चिकबालापुर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए हाल ही में सर्वेक्षण पूरा हुआ है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 87 कि.मी. लम्बी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित 53.45 करोड़ रुपये आंकी गई है। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

न्यायाधिकरणों का प्रशासनिक नियंत्रण

1683. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के प्रशासनिक और बजटीय नियंत्रण के अधीन सभी न्यायाधिकरणों को लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने एल. चन्द्रकुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 18.3.1997 को अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षण किया था कि जब तक सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र अधिकरण का गठन नहीं किया जाता है, यह वांछनीय है कि ऐसे सभी अधिकरण, जहां तक संभव हो, एक नोडल मंत्रालय के अधीन होने चाहिए, जो इन अधिकरणों के कार्यकरण का निरीक्षण करने की स्थिति में होंगे। उन्होंने महसूस किया कि वह मंत्रालय उपयुक्त रूप से विधि मंत्रालय होना चाहिए। मंत्रालय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अधिकरणों के कार्यकरण का क्रमशः निरीक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी निकाय नियुक्त करे। माननीय न्यायालय ने यह और सिफारिश की है कि भारत संघ सभी संबद्धों से परामर्श करने के पश्चात् कार्रवाई प्रारंभ करे और सभी अधिकरणों को नोडल विभाग, अधिमानतः विधि विभाग के अधीन रखे। उपरोक्त के अनुसरण में, विधि कार्य विभाग में एक 'केंद्रीय अधिकरण प्रभाग' गठित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) केंद्रीय अधिकरण प्रभाग के गठन से अधिकरणों के प्रशासन में एकरूपता आएगी।

[अनुवाद]

नौपाडा-गुनुपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1684. श्रीमती हेमा गमांग:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग को मौजूदा नौपाडा-गुनुपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन को कार्यान्वित करने की आवश्यक मंजूरी मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जल्दी से आवश्यक मंजूरी लेने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इसके अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी/जारी की गयी और खर्च की गयी; और

(ङ) उक्त आमान परिवर्तन कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव का पहले ही मूल्यांकन किया गया है और विस्तारित बोर्ड द्वारा उस पर विचार किया गया है। प्रस्ताव को अब आगे स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है।

(घ) इस कार्य के लिए 1999-2000 के दौरान 1000 करोड़ रुपए, 2000-01 के दौरान 5.10 करोड़ रु. और 2001-02 के दौरान 10 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही इस कार्य पर खर्च किया जाएगा।

(ङ) कार्य के पूरा करने का समय आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

1685. श्री थावरचंद गेहलोत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्पादित विद्युत का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अलग-अलग इकाइयों में राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वर्ष 2002 तक विद्युत और कोयले के उत्पादन के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्पादित विद्युत देश में सबसे सस्ती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 के दौरान वर्षवार, यूनिट वार एवं राज्यवार विद्युत उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) एनटीपीसी कोयले का उत्पादन नहीं करता है। एनटीपीसी द्वारा वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के लिए विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	विद्युत उत्पादन लक्ष्य मिलियन यूनिट में
2000-2001	1,28,228
2001-2002	1,37,800

(घ) और (ङ) वर्ष 2000-01 के लिए एनटीपीसी परियोजनाओं से विद्युत बिक्री की औसत लागत 157.20 प्रति कि. वाट घंटा थी (अनंतिम)

विवरण

राज्य/केन्द्र	1998-99		1999-2000		2000-01	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
कोयला आधारित						
दिल्ली						
बदरपुर	4300	4867	4300	5022	4600	5181

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा						
तलचेर ओल्ड	1800	2240	2000	2327	2100	2494
तलचेर एसटीपीएस	3190	4318	3646	5322	3600	5248
उत्तर प्रदेश						
सिंगरौली	15000	15814	15000	16460	15308	16408
रिहंद एसटीपीएस	7500	6815	6590	7605	7000	7720
दादरी (ताप)	5900	6728	6050	7093	6700	6886
ऊंचाहार	2840	3023	4000	3631	5200	5375
टांडा	0	0	0	0	1050	1189
मध्य प्रदेश						
कोरबा एसटीपीएस	15500	15903	15500	15780	15500	16254
विन्ध्य एसटीपीएस	8500	9810	11000	9897	13270	14199
आंध्र प्रदेश						
रामागुण्डम	16000	15863	15120	16649	16000	16422
पश्चिम बंगाल						
फरक्का एसटी	5100	5470	4800	6792	6860	8238
बिहार						
कहलगांव	2670	3989	3000	4284	3440	4826
जोड़ कोयला	88300	94840	91006	100862	100628	110440
गैस आधारित						
हरियाणा						
फरीदाबाद सीसीजीटी	0	0	322	1066	2500	2290
राजस्थान						
अंता (जीटी)	2800	2926	2800	3189	2900	2881
उत्तर प्रदेश						
औरैया जीटी	3900	4157	3900	5085	4150	4686
दादरी जीटी	4000	5098	4100	5126	4000	5643

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात						
कवास जीटी	2700	4354	2276	4788	3700	4697
गंधार जीटी	2500	2165	1400	2282	2060	2791
केरल						
कायमकुलम	0	216	1500	1249	1590	1945
जोड़ गैस	15900	18916	16298	22785	20900	24933
जोड़ एनटीपीसी	104200	120863	113604	130996	128228	143048

[अनुवाद]

पुराने कानूनों का निरसन

1686. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा संबंधी आयोग ने लगभग 1382 केंद्रीय अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिनियमों का निरसन किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन अधिनियमों का कब तक निरसन/संशोधन कर दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विपणन योजना के माध्यम से कर्नाटक में पाम ऑयल को फिर से प्रोत्साहन देना

1687. **श्री आर.एस. पाटिल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विपणन योजना के माध्यम से पाम ऑयल को फिर से प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) केन्द्र सरकार द्वारा 2000 मौसम के दौरान 5000 मी. टन ऑयल पॉम के लिये मंडी हस्तक्षेप स्कीम का अनुमोदन किया था। ऑयल पॉम की यह मात्रा 2001 मौसम के दौरान बढ़ाकर 8000 मी. टन कर दी गयी है।

(ख) ऑयल पॉम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी किसी स्कीम को लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि पण्य निर्यातकों को राजसहायता

1688. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन सभी कृषि पण्य निर्यातकों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण विश्व बाजार में लाभ प्राप्ति से वंचित हैं, को प्रत्यक्ष राज सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन व्यापारियों, जो सदैव-बढ़ने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले पण्य पदार्थों तथा गेहूं, चावल, चीनी और दालों इत्यादि का निर्यात करते हैं, को उनके द्वारा वहन की

गई कुल लागत और अंतिम रूप से वसूल निर्यात मूल्य के बीच की अंतर-राशि को वापिस लौटाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि पण्य के लिए निर्यात राजसहायता देने के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रणजीत सागर जल-विद्युत परियोजना

1689. **श्री भीम दाहाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रणजीत सागर जल-विद्युत की परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा किया गया है और इसमें कितना समय लगा;

(ख) क्या उक्त परियोजना निर्धारित समयावधि में पूरी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित राशि से कहीं अधिक थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजना की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) रंजीत सागर जल विद्युत परियोजना (4×150 मे.वा.) की सभी चार यूनिटों को सितम्बर 1992 में पूरा करने के मूल कार्यक्रम की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान चालू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना की अद्यतन लागत जून, 2000 के मूल्य स्तर पर 3601.58 करोड़ रुपये थी जबकि जून 1986 के मूल्य स्तर पर इसकी लागत मूल रूप से 816 करोड़ रुपये अनुमानित की गई थी। विलम्ब के मुख्य कारण थे निधियों की कमी, प्राकृतिक आपदाएं और तकनीकी बाधाएं।

(ङ) परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 600 मे.वा. (4×150 मे.वा.) है।

[अनुवाद]

नारियल फसल की खरीद

1690. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में नारियल और दलहन की फसलों की खरीद कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक राज्यवार कितनी मात्रा में इसकी खरीद की गई; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को नारियल और दलहन की खेती की ओर आकर्षित करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। मूल्य समर्थन स्कीम के तहत इन राज्यों में खोपरा की खरीद केन्द्रीय शीर्षस्थ अभिकरण के रूप में, नैफेड द्वारा की जाती है। दलहन की कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर है, अत: वर्तमान में दलहन की खरीद नहीं की जा रही है।

(ख) 2000 तथा 2001 मौसम के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के तहत नैफेड ने मिलिंग खोपरा की 2,29,253 मीट्रिक टन तथा बॉल खोपरा की 5962 मीट्रिक टन कुल मात्रा की खरीद की है। मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन अब तक खोपरे की राज्यवार की गई खरीद इस प्रकार है:-

राज्य	खरीद की गई मात्रा (मीट्रिक टन)
1	2
मीलिंग खोपरा	
केरल	84385
तमिलनाडु	112023
आंध्र प्रदेश	16257
लक्षद्वीप	5531
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10035
गोवा	1022
कुल	229253

1	2
बॉल खोपरा	
आंध्र प्रदेश	3
कर्नाटक	5959
कुल	5962

(ग) नारियल की खेती के संवर्धन हेतु भारत सरकार निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है:-

(i) गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री का उत्पादन;

(ii) क्षेत्र विस्तार;

(iii) उत्पादकता में सुधार हेतु समेकित नारियलोन्मुख जोत;

(iv) तकनीकी प्रदर्शन;

(v) विपणन संवर्धन एवं सांख्यिकी; और

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी।

दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए देश में दलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु भारत सरकार राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के अधीन प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिट, उन्नत कृषि यंत्र, रायजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्व, समेकित कृमि प्रबंधन और बुवाई यंत्रों का वितरण आदि जैसे आदानों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त देश में दलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु किसानों के खेतों में उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के स्थानान्तरण हेतु खेतों पर प्रदर्शन एवं कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

टिहरी बांध

1691. श्री तूफानी सरोज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना के निर्माण-कार्य में अनियमितताएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टिहरी बांध परियोजना के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मामले दायर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध मामले दायर किए गए हैं और उनके विरुद्ध लगाए आरोपों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चरण-I (1000 मे.वा.) के निर्माण के कथित अनियमितताओं की जांच के लिए निम्नांकित दो मामले दर्ज किए हैं।

(i) मामले में शामिल चार अधिकारी (एक सेवानिवृत्त अधिकारी समेत) न्यू टिहरी टाउन में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक रूम फ्लैट के निर्माण में अनियमितताओं से संबद्ध है; और

(ii) शूट स्पिलवे खुदाई कार्य से संबंधित मामले में 10 अधिकारी शामिल हैं।

जांच कार्य प्रगति पर है और टीएचडीसी सीबीआई को सभी संगत अभिलेख उपलब्ध करा रहा है।

फसलों की नई किस्में

1692. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 2001 के "दैनिक ट्रिब्यून" समाचार-पत्र में "अप्रचलित फसलों की 15 किस्में विकसित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो फसलों की इन 15 नई किस्मों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अल्प दोहित फसलों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा विभिन्न अल्प दोहित फसलों के अन्तर्गत 18 नई किस्मों की पहचान/जारी की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1.	चौलाई का दाना	:	अन्नपूर्णा जी ए-1, सुवर्णा, पी आर ए-1, पी आर ए-2
2.	कूटू	:	हिमप्रिया, वी एल-7, पी आर बी-1
3.	विन्गडबीन	:	ए के डब्ल्यू बी-1
4.	फाबा बीन	:	विक्रान्त (वी एच 82-1)
5.	राइसबीन	:	आर बी एल-1, आर बी एल-6, पी आर आर-1, पी आर आर-2
6.	कलिंगदा	:	गुजरात करिंगदा-1
7.	ग्वायूल	:	अरीजोना-1, एच.जी. -8
8.	जोजोबा	:	ई सी-33198

विदेशी सहयोग से कृषि परियोजनाएं

1693. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि-परियोजनाओं के लिए विदेशों के साथ किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य रखे गये हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं से कृषि-उत्पादन की स्थिति में कहां तक सुधार होने की आशा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं। उल्लेखनीय है कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य की कार्यकारी शक्तियां केवल भारतीय क्षेत्र में ही ऋण लेने तक सीमित हैं। संविधान की अनुसूचित-VII के अन्तर्गत भी ''विदेशी ऋण'' संघ सूची के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल सुरक्षा नीति

1694. श्री सुरेश कुरूप: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार द्वारा कोई रेल सुरक्षा नीति प्रतिपादित किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) गाड़ी परिचालन में संरक्षा को उच्च प्राथमिकता की जाती है। चूंकि संरक्षा एक चालू सतत् प्रक्रिया है इसलिए रेलपथ का यांत्रिकृत अनुरक्षण ड्राइवर, स्टेशन कर्मचारी और कंट्रोल के बीच रेडियो संचार, सहायक चेतावनी प्रणाली, प्रशिक्षण के आधुनिक तरीकों से गहन प्रशिक्षण और कर्मचारियों और अन्यों की गलती रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर बार-बार निरीक्षण करने जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाकर गाड़ी संरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

भारत में विदेशी विधिक कंसल्टेंटों को कार्यानुमति प्रदान करना

1695. डा. रामचन्द्र डोम: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करके, विदेशी विधिक फर्मों और विधिक कंसलटेंटों को भारत में अपना कार्य शुरू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'बार काउंसिल आफ इंडिया' (बी.सी.आई.) ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क), (ख) और (ङ) इस समय, विदेशी विधि फर्मों और विधिक परामर्शियों को भारत में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद में विदेशी विधि फर्मों और विधिक परामर्शियों को भारत में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात किए जाने का विरोध किया है।

मुम्बई उप-नगरीय क्षेत्र में रेल दुर्घटनाएं

1696. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान मुम्बई में कितनी रेल-दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) क्या मुंबई उप-नगरीय रेल में प्रतिदिन औसतन नौ घातक रेल दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो मुंबई का प्रमुख दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र कौन-सा है;

(घ) इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या मुंबई उप-नगरीय रेल में ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कोई विशेष बजट उपलब्ध कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में 5 परिणामी ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

(i) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं ताकि संप्रेषण तीव्रतर और बेहतर ढंग से हो सके।

(ii) ड्राइवर और गार्डों को लैंड आधारित इलेक्ट्रिोनिक्स फ्लैश लैंप मुहैया कराए गए हैं जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की अपेक्षा बेहतर है।

(iii) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साथ ही, रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(iv) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुबाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(v) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। अब स्वचालित पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(vi) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(vii) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकड के मामलों की रोक थाम की जा सके।

(viii) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है।

(ix) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं।

(x) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xi) कर्मचारियों और सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(xii) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की सीमा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी नहीं। मुंबई उपनगरीय रेल में दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

खुरपका-मुंहपका रोग से हाथियों की मौत

1697. **श्री मंजय लाल:**
श्री सईदुज्जमा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी के किनारे से लगे क्षेत्र में वास करने वाले कुछ हाथियों की हाल ही में मुंह में घाव और पैरों में सड़न होने के रोग से - जिसे साधारणत: 'खुरपका-मुंहपका' रोग के नाम से जाना जाता है, मौत हो गई;

(ख) क्या लगभग 10 वर्ष पूर्व यही रोग केरल के हाथियों में भी पाया गया था;

(ग) यदि हां, तो अन्य प्रणियों में इस रोग के फैलने की रोकथाम करने के लिए क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) मुंहपका-खुरपका रोग होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या हमारे देश में मुंहपका-खुरपका रोग की चिकित्सा के लिए नवीनतम नुस्खा उपलब्ध है;

(च) यदि नहीं, तो इसे रोग के फैलने पर काबू पाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) देश में मुंहपका-खुरपका रोग की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कारण दुग्ध उत्पादन में राज्यवार कितनी कमी आई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) खुरपका और मुंहपका रोग से यमुना के किनारे रहने वाले हाथियों की मृत्यु की हाल ही में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग पिकोरना वायरस से होता है जो सजीव अथवा निर्जीव पर्दाथ द्वारा ले जाए गए संक्रमित/संवाहक पशुओं और उनके उत्सर्जन/स्राव के जरिए संक्रमण पैदा करता है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) खुरपका और मुंहपका रोग भारत में प्रान्तीय है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस रोग की राज्यवार घटना का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इस रोग पर नियंत्रण करने के प्रयासों के कारण देश में कुल दुग्ध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन के आंकड़े दर्शाते हैं कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन का राज्यवार अनुमान विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों (1998, 1999 तथा 2000) के दौरान भारत में खुरपका एवं मुंहपका रोग की घटनाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रजातियां	1998			1999			2000		
			प्रकोप	पीड़ित	मृत्यु	प्रकोप	पीड़ित	मृत्यु	प्रकोप	पीड़ित	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	बोवाईन	221	6092	159	108	4502	6	42	1406	2
		ओवि/कैप.	17	657	41	24	257	72	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	बोवाईन	12	80	0	4	273	2	7	686	0
3.	असम	बोवाईन	7	9	1	4	451	0	2	370	0
4.	बिहार	बोवाईन	19	963	31	7	15	0	3	36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	छत्तीसगढ़		–	–	–	–	–	–	0	0	0
6.	गोवा	बोवाईन	0	0	0	17	558	17	3	204	0
		भैंस	0	0	0	4	102	0	2	42	0
		सुई	0	0	0	2	135	0	0	0	0
7.	गुजरात	बोवाईन	48	1674	0	49	1116	18	29	1283	0
		ओवि/कैप.	1	100	0	4	15	0	0	0	0
8.	हरियाणा	बोवाईन	12	28841	0	3	9629	0	16	572	1
		भैंस	0	0	0	0	0	0	1	32	0
9.	हिमाचल प्रदेश	बोवाईन	10	1881	52	3	83	0	8	268	0
		ओवि/कैप.	6	3263	10	0	0	0	6	521	0
10.	जम्मू एवं	बोवाईन	20	3267	9	3	1319	0	9	2353	12
	कश्मीर	ओवि./कैप.	2	112	0	1	100	0	0	0	0
11.	झारखंड								0	0	0
12.	कर्नाटक	बोवाईन	249	3952	423	576	19146	142	1154	23498	161
		ओवि/कैप.	2	10	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	बोवाईन	137	2094	40	193	4520	240	36	200	0
		ओवि./कैप.	0	0	0	1	9	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	बोवाईन	0	0	0	8	609	0	1	25	0
15.	महाराष्ट्र	बोवाईन	84	2133	80	112	3059	34	71	868	19
		ओवि/कैप.	1	34	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	बोवाईन	3	11	1	12	262	32	1	89	0
		सुई	0	0	0	3	11	0	0	0	0
17.	मेघालय	बोवाईन	3	37	0	0	0	0	0	0	0
		ओवि/कैप.	1	8	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	बोवाईन	1	24	0	24	693	9	18	161	5
		ओवि/कैप.	1	24	0	0	0	0	0	0	0
		सुई	0	0	0	2	200	50	4	12	2
19.	नागालैंड	बोवाईन	73	3843	146	81	5597	207	12	1040	22
		ओवि/कैप.	34	1050	41	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	उड़ीसा	बोवाईन	0	0	0	0	0	0	51	1432	4
21.	पंजाब	बोवाईन	83	21597	1460	0	0	0	0	61	0
22.	राजस्थान	बोवाईन	8	608	0	97	2723	159	0	0	0
		ओवि/कैप.	0	0	0	1	40	0	0	0	0
23.	सिक्किम	बोवाईन	0	0	0	2	241	0	3	38	0
24.	तमिलनाडु	बोवाईन	80	1473	39	4	82	17	0	0	0
25.	त्रिपुरा	बोवाईन	7	479	0	51	1930	1	3	35	0
26.	उत्तर प्रदेश	बोवाईन	6	293	3	1	20	0	1	10	0
		ओवि./कैप.	0	0	0	1	8	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	बोवाईन	2	13	0	25	605	0	22	1045	2
29.	अंड. व नि. द्वीप समूह		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	बोवाईन	0	0	0	0	0	0	5	22	0
31.	दादर व नागर हवेली		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन एवं दीव		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	बोवाईन	5	81	0	45	141	0	10	67	0
		सुई	0	0	0	0	0	0	2	4	0
34.	लक्षद्वीप	बोवाईन	10	16	0	2	845	0	7	56	0
		ओवि/कैप.	0	0	0	0	0	0	0	47	4
35.	पांडिचेरी	बोवाईन	0	0	0	5	183	0	0	0	0
	कुल	बोवाईन	1100	79461	2444	1436	88602	884	1519	35825	237
		भैंस	0	0	0	4	102	0	3	74	0
		ओवि/कैप.	65	5288	92	32	429	72	9	568	4
		सुई	0	0	0	7	346	50	6	16	2

सुई -स्वाईन, ओवि/कैप.=ओवाईन/कैपराईन

विवरण-II

दुग्ध उत्पादन के अनुमान - 1996-97 से 2000-2001 तक

(000' टन)

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000*	2000-01*
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4471	4473	4842	4730	4904
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	43	45	51	53
3.	असम	714	719	725	822	852
4.	बिहार	3410	3420	3440	3740	3878
5.	गोवा	37	38	41	43	45
6.	गुजरात	4831	4913	5059	5124	5313
7.	हरियाणा	4204	4373	4527	4673	4845
8.	हिमाचल प्रदेश	698	714	724	745	772
9.	जम्मू एवं कश्मीर	992	979	990	1000	1037
10.	कर्नाटक	3460	3970	4231	4925	5106
11.	केरल	2258	2343	2420	2673	2771
12.	मध्य प्रदेश	5224	5377	5442	5600	5806
13.	महाराष्ट्र	5127	5193	5609	5810	6024
14.	मणिपुर	61	62	65	67	69
15.	मेघालय	58	59	61	65	67
16.	मिजोरम	9	17	20	10	10
17.	नागालैंड	46	46	48	49.5	51
18.	उड़ीसा	687	672	733	795	824
19.	पंजाब	6755	7165	7394	7700	7984
20.	राजस्थान	5874	6487	6923	5820	6034
21.	सिक्किम*	34	35	35	42	44
22.	तमिलनाडु	3976	4061	4273	4256	4413
23.	त्रिपुरा	44	57	76	49	51

1	2	3	4	5	6	7
24.	उत्तर प्रदेश	12387	12934	13618	15176	15735
25.	पश्चिम बंगाल	3376	3415	3441	3750	3888
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	21	22	22	23	24
27.	चण्डीगढ़	42	43	43	42	44
28.	दमन एवं दीव	4	4	8	10	10
29.	दादर व नागर हवेली	1	1	1	1	1
30.	दिल्ली	264	267	290	295	306
31.	लक्षद्वीप	1	1	2	1	1
32.	पांडिचेरी	38	36	36	35	36
	अखिल भारत	69147	71940	75182	78123	80998

टिप्पणी: *अनन्तिम, स्त्रोत: राज्य पशुपालन एवं पशुचिकित्सा संसाधन विभाग।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1698. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गन्ने की फसलों के लिए प्रीमियम की दर को कम करने के बाबत कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन रबी 1999-2000 से किया जा रहा है। यह स्कीम राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए स्वैच्छिक है तथा किसानों, फसलों तथा जोखिम के कवरेज के सन्दर्भ में इसका दायरा काफी बड़ा है। तत्संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। गन्ने की फसल की प्रीमियम दर घटाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने एक अभ्यावेदन भेजा है।

(घ) गन्ने सहित वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों पर बीमांकिक प्रीमियम दरें प्रभारित की जाती हैं। ये दरें प्रीमियम गणना की बीमांकिक विधि के आधार पर कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा परिकलित की जाती है। महाराष्ट्र सरकार को तदनुसार सूचित किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की विशेषताएं

सरकार ने फसल बीमा योजना के दायरे तथा विषय वस्तु को बढ़ाने की दृष्टि से रबी 1999-2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है:-

- यह योजना सभी किसानों - ऋणी तथा गैर-ऋणी दोनों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
- यह ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक है।
- बीमित राशि बीमित क्षेत्र की थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक हो सकती है।
- इसमें सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न व दलहन), तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को

कवर किया जाता है जिनके पिछले पर्याप्त वर्षों के उपज संबंधी आंकड़े उपलब्ध हों।

- वाणिज्यिक/बागवानी की वार्षिक फसलों में सात फसलों जैसे कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज और हल्दी को शामिल किया गया है।

- प्रीमियम दरें बाजरा तथा तिलहन के लिए 3.5% तथा अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5% गेहूं के लिए 1.5% तथा अन्य रबी फसलों के लिए 2% है। यदि बीमांकिक आंकड़ों के आधार पर परिकलित दरें निर्धारित प्रीमियम दर से कम हों, तो कम दर लागू होंगी।

- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकिक दरें ही प्रभारित की जाती हैं।

- छोटे और सीमान्त किसानों को उनसे प्रभारित प्रीमियम पर 50% सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी 5 वर्ष की अवधि में घटते क्रम के आधार पर समाप्त की जाएगी।

- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीमें की निचली इकाई अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय रेलवे को जर्मनी से सहायता

1699. **श्री एन. जर्नादन रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी, रेलवे की संकेतन एवं दूरसंचार प्रणाली के विकासार्थ भारतीय रेलवे को वित्तीय ऋण-सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) जर्मनी द्वारा उपर्युक्त धनराशि किन शर्तों और निबंधनों के तहत दी गई हैं; और

(घ) उक्त ऋणराशि के निवेश के संबंध में सरकार की रणनीति का ब्यौरा क्या है और रेलवे की संपूर्ण संकेतन एवं दूससंचार प्रणाली को कब तक आधुनिकीकृत व क्रमोन्नत किया जाना हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। अगस्त, 1997 को भारत सरकार (वित्त मंत्रालय में) और क्रैडिटनस्टॉल्ट फॉर वीडेरौफबो (के एफ डब्ल्यू) के बीच हस्ताक्षरित ऋण करार के अंतर्गत जर्मनी सरकार ने दिल्ली और कानपुर के बीच सिगनल व्यवस्था के आधुनिकीकरण की परियोजना के लिए सामान और सेवाओं की विदेशी मुद्रा लागत का वित्त पोषण करने हेतु 185 मिलियन ड्यूश मार्क का ऋण दिया है। ऋण निधियां रेलों को सामान्य लाभांश दायिता के निर्वहन के लिए सामान्य राजस्व से बजटीय सहायता के भाग के रूप में उपलब्ध कराई जानी है।

जून, 2001 में रेल मंत्रालय और के एफ डब्ल्यू के बीच एक पृथक करार हुआ है जिसमें इस परियोजना के आशोधित दायरे का विवरण है।

(ग) इस ऋण पर 0.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दायिता और अवितरित ऋण राशि पर 0.25% प्रति वर्ष की दर से प्रतिबद्धता प्रभार देय है। यह ऋण 30 वर्षों की अवधि के दौरान अर्धवार्षिक किस्तों में देय है और ऐसी अदायगी 10 वर्षों की छूट अवधि के पश्चात् आरंभ होगी।

(घ) इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य गाजियाबाद-कानपुर खंड पर आधुनिक सॉलिड स्टेट अंतपशिन प्रणालियों, गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड पर स्वचल ब्लॉक सिगनल प्रणाली, गाजियाबाद-कानपुर खंड पर आप्टिक फाइबर केबल संचार और गाजियाबाद-मुगलसराय खंड पर गाड़ी रेडियो प्रणाली का पुनर्स्थापन/अपग्रेडेशन है। इन उप-प्रणालियों पर दिल्ली-कानपुर खंड में गाड़ी परिचालनों की क्षमता, संरक्षा और कुशलता सुधारने के लिए सिगनल प्रणाली और दूरसंचार प्रणालियों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अति आधुनिकतम प्रौद्योगिकी मुहैया कराई जाना है। के. एफ. डब्ल्यू. परियोजना लगभग 4 वर्षों की समय अनुसूची के भीतर पूरी होने की संभावना है।

भारतीय रेल के अन्य खंडों पर समूची सिगनल एवं दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन उपलब्ध संसाधनों के भीतर कार्यक्रमबद्ध आधार पर आरंभ किया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात के राजकोट मंडल के अन्तर्गत पार्सल-बुकिंग सुविधा

1700. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में पश्चिम रेल के राजकोट मंडल के अन्तर्गत आने वाले हापा रेलवे स्टेशन पर पार्सल-बुकिंग सुविधा हाल ही में समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजकोट के मंडल रेल-प्रबंधक को उक्त सुविधा को बहाल करने के आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हापा रेलवे स्टेशन पर पार्सल-बुकिंग सुविधा को बहाल करने के लिए रेल विभाग ने क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) उन स्टेशनों को जहां पार्सल यातायात बहुत कम है, बंद कर दिया गया है क्योंकि वे लाभदायक नहीं हैं। तदनुसार हापा स्टेशन जहां पर यातायात बहुत कम था, पार्सल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। मामले का निर्धारण गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

कृषि-विपणन अवसंरचना के संबंध में कार्य दल

1701. **श्री ताराचंद भगोरा:**
श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रियों के समूह (ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) और कृषि संबंधी कार्य दल द्वारा कृषि-उत्पाद की पैदावार और विपणन तथा संबद्ध गतिविधियों सहित वैश्वीकरण के प्रभाव इत्यादि के संबंध में, विभिन्न विषयों पर जो सिफारिशों की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दोनों निकायों में से प्रत्येक द्वारा जो सिफारिशें की गई, उन पर सरकार द्वारा पृथक-पृथक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र के समस्त वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों के कार्यकरण की जांच करने तथा सुधारों संबंधी सुझाव देने के लिए एक आयोग गठित करने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कृषि क्षेत्र की विपणन-अवसंरचना को विकसित तथा आधुनिकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस हेतु किन-किन जिलों का चयन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि से संबंधित मंत्रियों के दल तथा कृतक बल ने अब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने हाल ही में देश में वर्तमान कृषि विपणन सुविधाओं और विपणन अवसंरचना में सुधार हेतु दो नई स्कीमें नामत: कृषि विपणन सूचना नेटवर्क स्कीम और बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों और भण्डारगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम का अनुमोदन किया है।

कृषि विपणन सूचना नेटवर्क के अधीन मंडी सूचना/आंकड़ों के कुशल और समय पर उपयोग हेतु इनके संकलन और प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अधीन सम्पूर्ण देश के सभी महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद मंडियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विभागों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

शीतागारों और भण्डारगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत शीतागारों के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पात्र प्रवर्तकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का परिव्यय

1702. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का परिव्यय कितना है;

(ख) क्या चालू वर्ष के परिव्यय को इसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(घ) क्या इस कमी की वजह से गुजरात के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सरकार द्वारा वर्ष 1999 और 2000 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हेतु अनुमोदित बजट परिव्यय नीचे दिया गया है:-

वर्ष	सामान्य	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (करोड़ रुपए में)
1999-2000	430	175
2000-2001	460	शून्य*

*वर्ष 2000-01 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां राज्यों को आरईसी के माध्यम से प्रदान करने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से मुहैया कराई गई हैं।

इस प्रकार यह देखा गया है कि आरईसी हेतु सामान्य बजट सहायता वर्ष 1999-2000 की बजटीय सहायता की तुलना में बढ़ गई है।

आरईसी ने गुजरात विद्युत बोर्ड को 702 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है और वर्ष 2000-2001 के दौरान 536 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

[हिन्दी]

आयातित उपस्करों का परीक्षण

1703. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल विभाग में आयातित रेल उपस्करों, बोगियों, इंजिनों तथा अन्य सामग्री के स्तर तथा गुणवता का परीक्षण करने की कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी आयातित मदों के कितने नमूने मंजूर/नांमजूर किए गए; और

(ग) आयातित मदों का परीक्षण करने के लिए मौजूदा नियम क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। आयात किए गए पटरी उपस्कर, सवारी डिब्बों, इंजन और अन्य मदों की मानक एवं गुणवत्ता की परख के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षित प्रमुख आयातित मदों की स्थिति निम्नलिखित है:

(i) इक्कीस 4000 अश्व शक्ति मालभाड़ा और दस यात्री डीजल रेल इंजनों की जांच कर ली गई है और उनको अनुमोदित किया गया है।

(ii) तीन 140 टन ब्रेक डाउन क्रेनों का निरीक्षण किया गया है। इनमें से एक क्रेन परीक्षण के याद स्वीकृत करके चालू भी दिया गया है तथा शेष 2 क्रेनें मंजूर किए जाने और उन्हें चालू किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(iii) 1.45 लाख मीट्रिक टन पटरियों की जांच की गई और उन्हें पास कर दिया गया।

(iv) भारत में प्राप्ति के बाद 56967 अदद रेल इंजन व्हील डिस्क्स की जांच की गई और इनमें से 1100 अददों को नकारा घोषित किया गया। नकारा किए गए पहियों की कुल लागत फर्म से वसूल कर ली गयी है।

(v) 24 सवाली डिब्बों का आयात किया गया तथा सेवा में लगाया गया। फिलहाल, इन्हें अस्थाई तौर पर ही सेवा से हटा लिया गया है और वारंटी तथा ठेके की अन्य शर्तों के तहत उनमें सुधार किया जा रहा है।

(vi) 2 रेलपथ मशीनों का आयात किया गया था। एक मशीन में कुछ खराबियां थी और उनकी वारंटी तथा ठेके की अन्य शर्तों के तहत उसमें सुधार किया जा रहा है।

(ग) मौजूदा नियमों के तहत क्रय आदेशों में निरीक्षण प्राधिकारियों को नामित करने की व्यवस्था है तथा भारत में भेजने से पहले संविदा विशिष्टयों के तहत मदों की निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। भारत में क्रेनों, रेल इंजनों तथा अन्य चल स्टॉकों के आने के पश्चात वाहन भारतीय रेलों के तकनीकी विंग अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन की अनिवार्य दोलन परीक्षण के बाद ही चालू किए जाते हैं। इसी प्रकार के सफल परीक्षणों के बाद ही इन्हें चालू करने के लिए अंतत: स्वीकार कर लिया जाता है।

[अनुवाद]

कोट्टूर-हरिहर रेलमार्ग का आमान-परिवर्तन

1704. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोट्टूर-हरिहर रेलमार्ग पर आमान-परिवर्तन का कार्य कब शुरू किया गया है;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी;

(ग) अब तक इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) 2001-2002 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) यह एक नई लाइन का कार्य है जिसे बजट 1995-96 में शामिल किया गया था।

(ख) 124.13 करोड़ रुपए।

(ग) 31.3.2001 तक 16.37 लाख रुपए।

(घ) 2001-02 के दौरान 1 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ङ) अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(च) और (छ) यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण

1705. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, इसके वर्तमान स्तर को 1.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के उद्देश्य से एक दस-वर्षीय योजना बनाई है;

(ख) क्या फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के संबंध में कोई प्राकलन तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस निवेश के संभावित स्रोतों का पता लगाया है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ पूंजी अभिप्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने के लिए कार्यवाही आरंभ की है और इस प्रयोजनार्थ एक प्रारूप नीति तैयार की गई है। अनुमान है कि 10 वर्षों की अवधि में केवल फल एवं सब्जी क्षेत्र में प्रसंस्करण क्षमता 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए करीब 1,40,000 करोड़ रु. का निवेश करना पड़ेगा।

(घ) बहुतसा निवेश मुख्य रूप से गैर-सरकारी स्रोतों से आयेगा।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने एक कार्यदल बनाया है। कार्यदल के कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू तथा विदेश स्रोतों से ऐसे निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना शामिल है।

राष्ट्रीय स्तर पर आई.सी.वी.आर. की स्थापना

1706. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.वी.आर.) की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक संस्थान को मंजूरी देने के उद्देश्य से पशुपालन डेयरी विकास और मात्स्यिकी मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। चूंकि परिषद की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव उस समय विभाग के विचाराधीन था, अत: तदनुसार पत्र का उत्तर दे दिया गया था।

पर्यटकों की आवाज़ाही के संबंध में रिपोर्ट

1707. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'पैसेफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन' (पी.ए.टी.ए.) ने हाल ही में देश में पर्यटकों की आवाजाही के संबंध में कोई रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत की पर्यटन प्रारूप-नीति (1993) में नई सदी के आरंभ तक तीन मिलियन पर्यटकों के आगमन की परिकल्पना की गई है;

(ङ) यदि हां, तो यह लक्ष्य कहां तक हासिल हुआ है;

(च) क्या सरकार एक 'पर्यटन संवर्धन बोर्ड' बनाने और केवल बस्ताधारियों की बजाय अधिक धनी और गंभीर प्रकृति के पर्यटकों को आकर्षित करने पर बल देने का विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पैसेफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पी.ए.टी.ए.) ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत से पर्यटकों की आवाजाही के संबंध में जानकारी दी गई है।

(ग) भारत सरकार का प्रयास है कि भारत में पर्यटन की वृद्धि की जाये।

(घ) 1993 में पर्यटन नीति का कोई प्रारूप तैयार नहीं किया गया जिसमें शताब्दी के अंत तक 3 मिलियन पर्यटक आगमन पर विचार किया गया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित कार्यदल द्वारा संस्तुत पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना, जो वर्ष 2000 में जारी की गई थी में सुझाव दिया गया है कि आगामी 5 वर्षों में 5 मिलियन विदेशी पर्यटन आवागमन का लक्ष्य रखा जाये।

(ङ) वर्ष 2000 के अंत तक भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की कुल संख्या 2.64 मिलियन थी और जून 2001 तक इसी के लिए अनुमानित आंकड़े 1.31 मिलियन है।

(च) और (छ) पर्यटन उद्योग और व्यापार पर मंत्रियों के समूह का गठन पर्यटन के विकास और संवर्धन में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करने के लिए किया गया है।

स्मारकों में अतिक्रमण/अवैध निर्माण

1708. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक स्थानवार जिन संरक्षित स्मारकों में से सफलतापूर्वक अतिक्रमण हटाया गया है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) उन संरक्षित स्मारकों का स्थानावार ब्यौरा क्या है जहां अभी भी अतिक्रमण/अवैध निर्माण विद्यमान है;

(ग) सरकार के सम्मुख ऐसे अतिक्रमण हटाने में आ रही संभावित समस्याएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) सूची विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

(ग) ऐसे मामलों में निहित मुकदमेबाजी में प्राय: समय लगता है।

(घ) कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों का नियमित रूप से सहयोग मांगा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों में बाड़ लगाने के अपने कार्य को बढ़ाया है।

विवरण-I

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के नामों की सूची जिनसे पिछले तीन वर्षों में अतिक्रमण हटाया गया है

	स्मारक का नाम	स्थान राज्य
	1	2
कलकत्ता मंडल		
1.	हजारद्वारी महल और इमामबाड़ा (बाड़ के अंतर्गत क्षेत्र)	मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल
2.	जॉन पियर्स का मकबरा	मिदनापुर, प. बंगाल
भोपाल मंडल		
1.	शिव मन्दिर, भोजपुर	जिला रायसेन (मध्य प्रदेश)
2.	माण्डु स्थित स्मारक अर्थात तवेली महल, जामा मस्जिद और दरिया खान मकबरा	जिला धार (मध्य प्रदेश)
पटना मण्डल		
1.	प्राचीन टीला, कुर्किहार	जिला नालन्दा, बिहार
चण्डीगढ़ मण्डल		
1.	पृथ्वीराज चौहान का किला, हांसी	जिला हिसार, हरियाणा
2.	प्राचीन स्थल, राखीगढ़ी	जिला हिसार, हरियाणा
3.	राजा हर्ष का किला, थानेश्वर	जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा
4.	प्राचीन स्थल, नौरंगाबाद	जिला भिवानी, हरियाणा
5.	प्राचीन स्थल, सुनेत	जिला लुधियाना
6.	नूरमहल	नूरमहल, जिला जालंधर, पंजाब
औरंगाबाद मण्डल		
1.	शनिवारबाड़ा दुर्ग	जिला पुणे, महाराष्ट्र
2.	धुल्ला द्वार	गांव एलिचपुर जिला अमरावती महाराष्ट्र
3.	हरिपुरा द्वार	-वही-
4.	तीवन द्वार	-वही-
5.	हरदुलते की टेकड़ी	पवनी, जिला भद्रा, महाराष्ट्र
6.	दौलताबाद किला	जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र

1		2
दिल्ली मण्डल		
1.	शेरशाह का दरवाजा, पुराना किला (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	दिल्ली
2.	खैरूल मंजिल मस्जिद (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	दिल्ली
3.	पुराना किला (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	दिल्ली
4.	कुतबमीनामर (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	दिल्ली
5.	विजय मंडल कालू सराय (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	दिल्ली
6.	बेगमपुरी मस्जिद कालू सराय (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	दिल्ली
7.	कंधक की बावली (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	महरौली, दिल्ली
8.	नाई का कोट (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	तुगलकाबाद, दिल्ली
9.	तुगलकाबाद किला (अंशत: अतिक्रमण मुक्त)	दिल्ली
बंगलौर मण्डल		
1.	कृष्णा मन्दिर परिसर	कादीराम पुरम
2.	हेमकुंठ जैन मन्दिर	कृष्णापुरम
3.	कोडनद्रमा मन्दिर	कमलापुरम
4.	पट्टभी राम मन्दिर	कमलापुरम
5.	तलवारगट्टा गेट के निकट मंडल	निम्बापुरम (हम्पी)
6.	येंदमारगुंडा	हम्पी
7.	भोगनंदीश्वर मन्दिर	नन्दी
8.	सोमेश्वर मन्दिर	कोलार
जयपुर मण्डल		
1.	तारागढ़ हिल का गेट	अजमेर
हैदराबाद मण्डल		
1.	गोलकोंडा किला में अठ्ठारह सीढ़ी क्षेत्र	हैदराबाद

1		2
धारवाड़ मंडल		
1.	जुम्मा मस्जिद	बीजापुर
लखनऊ मंडल		
1.	नौबत खान नक्कारखाना, बड़ा इमामबाड़ा	लखनऊ
2.	अमजद अली शाह के मकबरा का चबूतरा तथा सीढ़ियां	लखनऊ
3.	किला माछी भवन के निकट कब्रिस्तान	लखनऊ
4.	बर्गवान कब्रिस्तान	लखनऊ
5.	महिबुल्लापुर स्मारक स्तंभ	लखनऊ
6.	झांसी दुर्ग का पंचमहल	लखनऊ
7.	सिकन्दर बाग भवन का कम्पाउण्ड	लखनऊ
चेन्नई मंडल		
1.	गंगईकोंडाचोलापुरम	अरियालुर जिला
2.	दारासुरम	तंजवुर जिला
वड़ोदरा मण्डल		
1.	शाह आलम का मकबरा तथा उसके आस-पास के भवन	अहमदाबाद
श्रीनगर मण्डल		
1	संगीन दरवाजा	श्रीनगर

विवरण-II

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा जिनमें अभी भी अतिक्रमण/ अनाधिकृत निर्माण हैं

स्मारक का नाम	स्थल
1	2
आगरा मंडल	
1. आगरा-मथुरा रोड पर छोटी छतरी	आगरा (उत्तर प्रदेश)
2. रामबाग	आगरा
3. चिन्नी का रोज़ा	आगरा
4. जसवन्त सिंह की छतरी	आगरा
5. इतमाद-उद्-दौला	आगरा
6. आर.सी. कब्रिस्तान	आगरा
7. जाजौ स्थित मस्जिद और सराय	आगरा
8. डेकरी-का-महल	आगरा
9. सिड्डी गेट	आगरा
10. काला गुम्बद	आगरा
11. बरिया-का-ताल	इतिमादपुर

1	2
12. जामा मस्जिद (दरगाह कम्पलैक्स) सहित	फतेहपुर सीकरी
लाल दरवाजा	
13. हमाम, आगरा	फतेहपुर सीकरी
14. सिटी वाल, आगरा	फतेहपुर सीकरी
15. बुलन्द दरवाजा, आगरा	फतेहपुर सीकरी
16. बाउली, आगरा	फतेहपुर सीकरी
17. अकबर का मकबरा, आगरा	सिकन्दरा
18. नजीबुद्दौला का मकबरा, बिजनौर	बिजनौर
19. अकबरी सराय, मथुरा	छाता
20. किलेबंद सराय, मथुरा	छाता
21. कटरा टीला, मथुरा	मथुरा
22. टीला, मथुरा	गिरधारपुर
23. कंकाली-का-टीला, मथुरा	मथुरा
24. अडिग का टीला, मथुरा	मथुरा
25. मदन मोहन मन्दिर, मथुरा	वृन्दावन
26. कोस मीनार, मथुरा	मथुरा
27. गोविन्द देव मन्दिर, मथुरा	वृन्दावन
28. गोपेश्वर मंदिर, चमोली	गोपेश्वर
29. पाण्डुकेश्वर मंदिर, चमोली	पाण्डुकेश्वर
30. आदिबद्री मन्दिर, चमोली	आदि बद्री
31. वीरभद्र मन्दिर, देहरादून	देहरादून
32. लखामंडल मंदिर, देहरादून	देहरादून
33. अशोक शिलालेख, देहरादून	कलसी
34. महाशु मन्दिर, देहरादून	हानोल
35. शाहपीर मकबरा, मेरठ	मेरठ
36. दयाराम जाट का मिट्टी का किला	हाथरस
37. चामुण्डा-का-टीला, मथुरा	मथुरा

1	2
कलकत्ता मंडल	
1. शैतान पंथी एवं राजा करन पंथी महल के नाम से मशहूर टीला	रंगामती, जिला मुर्शिदाबाद
2. मर्शीद कुली खान का मकबरा तथा मजिस्द	सब्जी कटरा, जिला मुर्शिदाबाद
3. मुर्शीद कुली खान की आजीमुनिशा बेगम, पुत्री का मकबरा	आजिमनगर, जिला मुर्शिदाबाद
4. हजारद्वारी महल तथा इमामबाड़ा केल्ला निजामत, (संरक्षित क्षेत्र में लगी बाड़ का बाहरी क्षेत्र)	मुर्शिदाबाद
5. बानगढ़ का टीला	बानगढ़, जिला दीनापुर (एस)
6. बासुली का मंदिर	नामूर, जिला बीरभूमि
7. जफर खान गाजी की मस्जिद तथा दरगाह	त्रिवेणी, जिला हुगली
8. हसेश्वरी और वासुदेव मंदिर	बांसबीरिया, जिला हुगली
9. बराह मिहिर धीबी नामक प्राचीन टीला	धौलिया और कौकीपारा, जिला (एन) 24 परगना
10. कूच बिहार महल	कूच बिहार, जिला कूच बिहार
चंडीगढ़ मंडल	
1. प्राचीन स्थल, खोकरा कोट	जिला रोहतक, हरियाणा
2. मुगल सराय का गेटवे, घरोंदा	जिला करनाल, हरियाणा
3. राजा करन का किला	जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा
4. टीला	सिरसा, जिला सिरसा, हरियाणा
5. प्राचीन स्थल	असंद, जिला करनाल, हरियाणा

1		2
6.	पुरानी सराय का गेटवे	अमानत खान, अमृतसर, पंजाब
7.	मिट्टी का किला	अबोहर, जिला फिरोजपुर, पंजाब
8.	नूरपुर किला	नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
दिल्ली मंडल		
1.	कुदसिया मस्जिद	दिल्ली
2.	लोथियन रोड कब्रिस्तान	दिल्ली
3.	सुनहरी मस्जिद	दिल्ली
4.	रजिया सुलतान मकबरा, दिल्ली	दिल्ली
5.	फिरोज शाह कोटला	दिल्ली
6.	पुराना किला	दिल्ली
7.	सराय शाह जी	दिल्ली
8.	तुगलकाबाद किला	दिल्ली
9.	गंडक की बावली	दिल्ली
10.	बारा खाम्बा (निजामुद्दीन)	दिल्ली
11.	शेख कबीरुद्दीन का मकबरा (लाल गुम्बद)	दिल्ली
12.	अरब की सराय	दिल्ली
औरंगाबाद मंडल		
1.	बारह इमाम का कोटला	अहमदनगर
2.	मक्का मस्जिद	अहमदनगर
3.	लेडमोड का प्राचीन स्थल	नीवासा जिला अहमदनगर
4.	प्राचीन टीला	पैठन
5.	गुरुशनेश्वर मन्दिर	एलोरा
6.	एलोरा की गुफाएं	एलोरा

1		2
7.	जोगेश्वरी की गुफाएं	माजरस
8.	मांडापीश्वर की गुफाएं	बोरिवली
9.	बसीन किला	बसीन, जिला थाना
10.	बहेल का प्राचीन स्थल	बहेल
11.	कोपीश्वर महादेव मन्दिर	खिदारपुर, जिला कोल्हापुर
12.	प्राचीन स्थल	ब्रह्मपुरी, कोल्हापुर
13.	प्राचीन स्थल	पाउनी
14.	किले की दीवार और गेट	चन्द्रपुर
15.	गोंडराजा का मकबरा	चन्द्रपुर
16.	महाकाली का मन्दिर	चन्द्रपुर
17.	महल के अवशेषों और गेटवे सहित किले का दीवार	बेल्लारशा
18.	किले की दीवार	भंडक
19.	आचंलेश्वर मन्दिर	चन्द्रपुर
20.	ओल्ड मठ	मेहकर
21.	चादंनी तलाब के नजदीक दीवार	सिंधखेडराजा
22.	खिड़की गेट	अकोला
23.	पंज बुर्ज और बुर्ज हजरत याब	अकोला
24.	किले की दीवार	पाउनी
25.	पातूर की गुफाएं	पातूर, जिला अकोला
26.	बीबी-का-मकबरा	औरंगाबाद
27.	औरंगाबाद गुफाएं	औरंगाबाद
28.	दौलताबाद किला	औरंगाबाद
29.	अर्द्धनारी नटेश्वर महादेव मंदिर	वेलापुर जिला, सोलापुर
30.	अजन्ता की गुफाएं	अजन्ता

1	2
गुवाहाटी मंडल	
1. चतुरदास देवता मंदिर परिसर	उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा
पटना मंडल	
1. शेरशाह सूरी का मकबरा	सासाराम, जिला रोहतास
2. हसन शाह का मकबरा	सासाराम, जिला रोहतास
3. सासाराम से लगी भूमि	सासाराम, जिला रोहतास
4. जयसिंह की वैधशाला मान महल	वाराणसी (उ. प्रदेश)
भोपाल मंडल	
1. शिव मंदिर	बड़ागांव, जिला कटनी (म.प्र.)
2. शाह बुर्ज	जिला मंडला (म.प्र.)
3. पुराना किला	लानजी, जिला बालाघाट
4. चतुर्भुज मंदिर	खजुराहो के पूर्वोत्तर के निकट
5. दूल्हादेव मंदिर	खजुराहों के पूर्वोत्तर के निकट
6. खजुराहो के समीप दक्षिण में पश्चिम मंदिर समूह	खजुराहो, जिला छतरपुर
7. पर्यटक कार्यालय, खजुराहो के सामने उत्तर-पूर्व में स्थित पश्चिमी मंदिर समूह	खजुराहो, जिला छतरपुर
8. खजुराहो के पश्चिम में स्थित पश्चिम मंदिर समूह	खजुराहो, जिला छतरपुर
9. खजुराहो के समीप पूर्व एवं पश्चिम में स्थित विश्वनाथ मंदिर	खजुराहो, जिला छतरपुर
10. खजुराहो के निकट पूर्व में स्थित हनुमान मंदिर	खजुराहो, जिला छतरपुर
11. खजुराहों के समीप पूर्व एवं दक्षिण में स्थित घंटाई मंदिर	खजुराहो, जिला छतरपुर
12. खजुराहों के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वामन मंदिर	खजुराहो, जिला छतरपुर
13. चौसठ योगिनी मंदिर	खजुराहो, जिला छतरपुर
14. खक्रामठ	खजुराहो, जिला छतरपुर
15. विश्वनाथ मंदिर का अग्रभाग	खजुराहो, जिला छतरपुर
16. जैन मंदिर	कुंडालपुर, जिला दमोह
17. शिव मंदिर	कोडल, जिला दमोह
18. सिद्धनाथ मंदिर	नेमावार, जिला देवास (म.प्र.)
19. भोजशाला	जिला धार
20. गाधा शाह की दुकान	मांडु, जिला धार
21. दिल्ली तथा धोलिया गेट	चंदैरी, जिला गुना
22. चदेरी स्मारक	जिला, गुना
23. जैन प्रतिमा (टकसाल समूह)	जिला ग्वालियर
24. मु. गौस का मकबरा	जिला ग्वालियर
25. आदमगढ़	जिला होसंगाबाद
26. ककराता टीला	देहओरा, जिला जबलपुर
27. सांची	जिला रायसेन
28. शिव मंदिर	भोजपुर, जिला रायसेन
29. गौरझामार किला	जिला सागर
30. खिमलासा किला	जिला सागर
31. उदयगिरी की गुफाएं	जिला सागर
32. ग्यारसपुर के स्मारक	जिला विदिशा

1	2
33. विराटेश्वर मंदिर	जिला शहडोल
34. बीजा मंडल	जिला विदिशा
35. बेसनगर	जिला विदिशा
36. भीमगाजा	जिला विदिशा
श्रीनगर मंडल	
1. शिव मंदिर	फतेहगढ़
2. किला	अखनूर
3. शिव मंदिर	बिल्लावार
4. रामनगर के महल	रामनगर
5. त्रिलोचननाथ मंदिर	महाडेरा
6. अवन्तिस्वामी मंदिर	अवन्तिपुर
7 पाथर मस्जिद	श्रीनगर
8. मंदिर समूह	नारानाग
9. काठीदरवाजा	श्रीनगर
10. संगीन दरवाजा	श्रीनगर
11. प्राचीन स्थल राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि	बुर्जहोम रामनगर
भुवनेश्वर मंडल	
1. उत्खनित बौद्ध स्थल, ललितगिरि	जिला कटक, उड़ीसा
2. उत्खनित बौद्ध स्थल, उदयगिरि	जिला जाजपुर
3. बारबटी किला	जिला कटक
4. किले के खंडहर	चौदवार, जिला कटक
5. सूर्य मंदिर, कोणार्क	पुरी
6. हरिपुरगढ़ किला	मयूरभंज
7. अशोक शिलालेख	जौगढ़
8. दक्षप्रजापति मंदिर	बानपुर
9. चद्रेश्वर स्तम्भ	जाजपुर

1	2
10. अनंत वासुदेव मंदिर	भुवनेश्वर
11. खंडगिरि एवं उदयगिरि, जन गुफाएं	भुवनेश्वर
12. शिसुपालगढ़	भुवनेश्वर
13. शैलकृत विष्णु	कानिहा
14. लिंगराज मंदिर	भुवनेश्वर
15. वेताल मंदिर	भुवनेश्वर
16. पापनासिनी हौज	भुवनेश्वर
17. रामचंद्र मंदिर	राजिम, म.प्र.
18. महादेव मंदिर	आदाजार, म.प्र.
19. मलहार किला	मल्हार, म.प्र.
20. दंतेस्वरी मंदिर	दंतेवाड़ा म.प्र.
बंगलौर मंडल	
1. देवानाहल्ली स्थित किला	देवानाहल्ली
2. मेरकारा स्थित किला	मेरकारा
3. गौरीश्वर मंदिर	येलंदुर
4. होयसलेस्वर मंदिर	हेलेबिड
5. पार्श्वनाथ बस्ती	हेलेबिड
6. किला	चित्रदुर्ग
7. 17 जैन कब्रें	मूदाबीदरी
8. नारायण स्वामी मंदिर	मेलकोटे
9. सुल्तान बैटरी	मंगलौर
जयपुर मंडल	
1. अढ़ाई दिन का झोपड़ा	अजमेर
2. दाते दरवाजा	अजमेर
3. त्रिपोला दरवाजा	अजमेर
4. सोला खंभा	अजमेर
5. अनासागर बांध पर संगमरमर दीर्घाएं और बुलुस्ट्रेड तथा आनासागर बांध और सहेली बाजार हम्माम के अवशेष	अजमेर

1	2
6. कोस मीनार	अजमेर-जयपुर रोड, जयपुर
7. दुर्ग के आसपास मोट	भरतपुर
8. डीबा महल	डीग
9. लाल महल	रुपवास, जिला भरतपुर
10. भाटनेर दुर्ग	जिला हनुमानगढ़
11. प्राचीन टीला, अबनेरी	जिला दौसा
12. बावड़ी अबनेरी	जिला दौसा
13. हर्षत माता मंदिर, अबनेरी	जिला दौसा
14. लक्ष्मी नारायण मंदिर	अम्बेर, जिला जयपुर
15. जैसलमेर किला	जैसलमेर
16. रणथंभौर किला	रणथंभौर
17. कुंभलगढ़ किला	कुंभलगढ़
18. चित्तौरगढ़ किला	चित्तौड़गढ़
हैदराबाद मंडल	
1. विशाल बुर्ज तथा प्राचीन गेटवे, मदकसिरा	अनन्तपुर जिला
2. चिन्तलवेंकटरमण स्वामी, ताडीपत्री	जिला अनंतपुर
3. हिल फोर्ट, पेनुकोंडा	अनंतपुर जिला
4. ध्वस्त किला, धरणीकोटी	गुंटूर जिला
5. शैलकृत गुफाएं, मोगल राजपुरम,	कृष्णा जिला
6. गोलकोंडा दुर्ग	हैदराबाद
7. पुराने किले का द्वार मार्ग तथा बुर्ज, कुरनूल	कुरनूल जिला
8. श्री उमा महेश्वर स्वामी मंदिर यगन्ती	कुरनूल जिला
9. श्रीनिवास मंगपुरम मंदिर, चन्द्रगिरि	चित्तुर जिला

1	2
10. किला, चन्द्रगिरि	चित्तूर जिला
11. किला, गुर्रमकोंडा	चित्तूर जिला
12. बौद्धस्थल नीलावटी	विजियानगरम् जिला
13. श्री सौम्यनन्द स्वामी मंदिर नन्दलूर	कुड्डप्पा जिला
14. श्री कोदंदरम स्वामी मंदिर, वोन्तीमिता	कुड्डप्पा जिला
15. श्री कोदंद्रमस्वामी मंदिर, पेड्डामुडियन	कुड्डप्पा जिला
धारवाड़ मंडल	
1. अली शहीद मस्जिद	बीजापुर
2. अल्लाहपुर गेट	बीजापुर
3. अम्बर खान	बीजापुर
4. बड़ी कमान	बीजापुर
5. बहुमनी गेट	बीजापुर
6. बठुल्ला खान की मस्जिद	बीजापुर
7. किला दीवार (मनागोली गेट से बहुमनी गेट)	बीजापुर
8. गोल गुम्बज तथा अन्य संरचनाएं, संरक्षित क्षेत्र के भीतर	बीजापुर
9. हाजी हसन साहेब का मकबरा	बीजापुर
10. जुम्मा मस्जिद	बीजापुर
11. मनागोली गेट या फतेह गेट	बीजापुर
12. किले की दीवारों के मोट (बहुमनी गेट से मंगोल गेट)	बीजापुर
13. मुबारक खान महल	बीजापुर
14. मुस्तपबाद गन	बीजापुर
15. नुस्तफा खान मस्जिद	बीजापुर

1		2
16.	नागथान गेट	बीजापुर
17.	नव गुम्बज	बीजापुर
18.	पदशापुर गेट	बीजापुर
19.	मुबारक खान की मस्जिद के उत्तर में वाटर पेवेलियन	बीजापुर
20.	असर महल के दक्षिण में उत्कीर्ण लेखों सहित वाटर टावर सं. 114	बीजापुर
21.	चिन्च दीदी मस्जिद के दक्षिण में वाटर टावर संख्या 115	बीजापुर
22.	नव गुम्बज के उत्तर पश्चिम में तथा कवास खान के सेक्ट महल में वाटर टावर संख्या 142	बीजापुर
23.	बड़ी कमान के दक्षिण में जल टावर संख्या 147	बीजापुर
24.	मक्का मस्जिद के उत्तर पूर्व में वाटर टावर सं. 286	बीजापुर
25.	चिन्च दीदी मस्जिद के पूर्व में वाटर टावर सं. 289	बीजापुर
26.	सुंदा बुर्ज	बीजापुर (पश्चिम)
27.	शारपुर गेट	''
28.	जोरापुर गेट	''
29.	मक्का गेट	''
30.	गन, फरंगी शाही बुर्ज	''
31.	सर्वद दीदी	''
32.	लांदा खसपा गन	''
33.	अक्स महल के सामने लघु पेवेलियन	''
34.	वाटर पेवेलियन	''
35.	अरीक्यूल्ला मोट	''
36.	चिन्च दीदी मस्जिद	''
37.	अंटू मस्जिद (16)	''
38.	इब्राहिम पुरानी जामी मस्जिद	''
39.	गुम्मद बावदी	''
40.	सिकन्दर शाह मकबरा	''
41.	छोटा अस्सार महल	''
42.	याकूब दाबूकू का महल	''
43.	इखलास खान मस्जिद	''
44.	शाह नवाज खान की मस्जिद/मकबरा	''
45.	मोती दरगाह (महल)	''
46.	हैदर खान का मकबरा	''
47.	नित्य नावारा मस्जिद	''
48.	तोरवी में संगीत नारी महल	''
49.	बठुला खान मस्जिद	''
50.	मकबरा सं. 47	''
51.	सोनेही मस्जिद	''
52.	चांद बावडी मकबरा सं. 22	''
53.	मस्जिद कटिजापुर	''
54.	भाट बावड़ी दक्षिण पश्चिम जोटावी गांव से ताज बावड़ी बहने वाला जल सेतु	''
55.	चांद बावड़ी	''
56.	मुल्ला मस्जिद (3)	''
57.	औरंगजेब की पत्नी की कब्र	''
58.	बुखारी मस्जिद	''
59.	जहां बेगम मस्जिद की जंजीरी मस्जिद (20)	''
60.	मलिक संदल मस्जिद	''
61.	किला गुलबर्ग	गुलबर्ग
62.	हफ्त गुम्बज	''

1	2
63. खान जहां वरीद मकबरे	बीदर
64. बीदर किला	''
चैन्नई मंडल	
1. तटीय मंदिर पांच रथ	मामल्लापुरम
2. मैनगुर्द गेट	त्रिची
3. इरावतेश्वर मन्दिर और पीरवतेश्वर मंदिर	कांचीपुरम
4. कुंदनगुझी, महादेव मन्दिर, मदगुडी पट्टू	पांडिचेरी
5. शिव मंदिर	तिरुवेरुम्बूर, त्रिची जिला
6. हिल फोर्ट	नमक्कल
7. फोर्ट सेंट जॉर्ज	चेन्नई
8. किला, अट्टूर	सालेम जिला
9. महापाषाणी स्थल, तिरुपोरुर	कांचीपुरम जिला
10. पूर्व ऐतिहासिक स्थल, पल्लवमेडू	कांचीपुर
लखनऊ मंडल	
1. छोटा ऊंचा टीला, इलाहाबाद	बाड़ा
2. समुद्रगुप्त और हंसगुप्त के ध्वस्त किले इलाहाबाद	डूसी
3. हटगौहा डीह नामक व्यापक टीला इलाहाबाद	शिवपुर
4. विशाल टीला इलाहाबाद	श्रृंगवेरपुर
5. विशाल ईंट खेड़ा जो स्पष्टत: एक बौद्ध नगर के अवशेष हैं, बहराइच	चहरदाढ़
6. जामा मस्जिद, बांदा	बांदा
7. चौकी नामक टीला, फतेहपुर	अफुई
8. टूटी ईंटों से ढका विशाल टीला फतेहपुर	असनी
9. विशाल ईंटों से बिखरा टीला, फतेहपुर	असोधर
10. बाग बादशाही, फतेहपुर	खजुहा
11. हाथी खाना मस्जिद अथवा जयन्डी मस्जिद, फतेहपुर	हथगांव
12. वृत्ताकार टीला, फतेहपुर	खैराय
13. पुराना किला, फतेहपुर	नहर खोर
14. एक प्राचीन किलेबंद नगर के विशाल अवशेष, फतेहपुर	पैना
15. ईंटों से निर्मित दो मन्दिर, फतेहपुर	सिरहर अमौली
16. मणि पर्वत कुबेर पर्वत तथा सुग्रीव पर्वत नामक तीन टीले, फैजाबाद	अयोध्या
17. बहु बेगम का मकबरा, फैजाबाद	फैजाबाद
18. शुजाउद्दौला का मकबरा, फैजाबाद	फैजाबाद
19. हाजी इकबाल का मकबरा, फैजाबाद	''
20. ईंटों से ढका टीला, गोंडा	हथीली
21. उंजा अनियमित खेड़ा, हरदोई	हरदोई
22. टीला, हरदोई	कनौर
22. सदर जहान के नवाब का मकबरा, हरदोई	पिहानी
23. कुछ टीले, हमीरपुर	कछवा
24. जैन मन्दिर टीले, हमीरपुर	सुपेरपुर
25. मस्जिद, जालौन	करई
25. रानी लक्ष्मी बाई महल, झांसी	झांसी
26. झांसी किला, झांसी	झांसी
27. टीला, कानपुर	बिठूर
28. एक मन्दिर के परिसर में गुप्तकालीन स्तंभ तथा प्रतिमाएं, कानपुर	बेहटा
29. स्मारक दीवार बाग कानपुर	कानपुर
30. सवादा कोठी, कानपुर	कानपुर

1	2
31. प्राचीन स्थल, कौशाम्बी	कौशाम्बी
32. जयचन्द्र के प्रति समर्पित कर्रा किला, कौशाम्बी	''
33. ब्रिटिश स्मारक खीरी-लखीमपुर	औरंगाबाद
34. बुदेला मंदिर, ललितपुर	बानपुर
35. गणेशखेड़ा, ललितपुर	बानपुर
36. जैन मंदिर, ललितपुर	बानपुर
37. पाली खेड़ा, ललितपुर	बानपुर
38. चम्पा, ललितपुर	मदनपुर
39. पंच मढ़िया के सामने विशाल मंदिर, ललितपुर	मदनपुर
40. पंचमढ़िया, ललितपुर	मदनपुर
41. मोदी माढ़ ललितपुर	मदनपुर
42. मुंडी माड़, ललितपुर	मदनपुर
43. जैन मंदिर, ललितपुर	सिरोन खुर्द
44. कैसर पसन्द का कब्रिस्तान, लखनऊ	कैसरबाग
45. कलान की लारू लखनऊ	अमीनाबाद
46. चिड़िया झील का ब्रिटिश कब्रिस्तान, लखनऊ	सप्रू मार्ग
47. दो कब्रिस्तान, लखनऊ	लखनऊ-फैजाबाद रोड
48. जनाबे आलिया, लखनऊ	लखनऊ
49. बारा इमामबाड़ा/आसफउद्दौला का इमामबाड़ा लखनऊ	लखनऊ
50. आसफी मस्जिद	लखनऊ
51. मकबरा शाहनजफ अथवा गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा	लखनऊ
52. रौजे काजमैन/काजमैन भवन, लखनऊ	लखनऊ

1	2
53. चित्र दीर्घा, लखनऊ	हुसैनाबाद
54. जामा मस्जिद, लखनऊ	हुसैनाबाद
55. छोटा इमामबाड़ा/मोहम्मद अलीशाह का मकबरा, लखनऊ	लखनऊ
56. तहसीन अली मस्जिद, लखनऊ	लखनऊ
57. अमजद अली शाह का मकबरा लखनऊ	जहरैला रोड
58. शेर दरवाजा/नील का गेट, लखनऊ	लखनऊ
59. केसरगढ़ गेट, लखनऊ	''
60. मार्फा फोर्ट, चित्रकूट	कर्बी
61. दो चदैल मंदिर, महोबा	अकोना
62. चकरिया दाई, महोबा	भागवा
63. पहाडी पर स्थित महल के खंडहर, महोबा	कुलपहाड़
64. ग्रेनाइट स्तम्भ, महोबा	महोबा
65. जामा मस्जिद, महोबा	''
66. किरात सागर की झील, महोबा	''
67. मदन सागर की झील, महोबा	''
68. विजय सागर की झील, महोबा	''
69. राजा परमार्दी देव का महल, महोबा	''
70. आल्हा की लाट, महोबा	''
71. मकरबाई मंदिर तथा बड़े ग्रेनाइट मंदिर के खंडहर, महोबा	मकरबाई
72. दो ध्वस्त ग्रेनाइट मंदिर, महोबा	मोहारी
73. सिजारी मंदिर, महोबा	सिजारी
74. सपाट छत वाला मंदिर	उरवारा, महोबा
75. फोर्ट गेट	राय बरेली
76. इसौली मस्जिद	सुलतानपुर
77. माझनगांव नामक बड़ी डीह	सुलतानपुर

1	2
वड़ोदरा मंडल	
1. मलिक आलम की मस्जिद, अहमदाबाद	अहमदाबाद
2. सैयद उस्मान मस्जिद, अहमदाबाद	अहमदाबाद
3. बड़ी मस्जिद, अहमदाबाद	सरखेज
4. भद्रा मीनार, अहमदाबाद	अहमदाबाद
5. लघु प्रस्तर मस्जिद, अहमदाबाद	पालदी
6. अच्युत बीबी का मकबरा, अहमदाबाद	अहमदाबाद
7. बहलोल खान मस्जिद, अहमदाबाद	ढोलका
8. प्राचीन स्थल, गोहिलवाद टिंबू, अहमदाबाद	अहमदाबाद
9. पावागढ़ के शिखर पर स्थित पावागढ़ किला, ध्वस्त हिन्दु मंदिर एवं जैन मंदिर	पावागढ़
10. मीर अबु तुरब मकबरा	अहमदाबाद
11. नवाब सरदारखान का रोजा एवं सी.एस. सं. 6811 में स्थित इसका अहाता	
12. अहमदशाह की रानी के मकबरे	अहमदाबाद
13. मलिक आलम की मस्जिद	अहमदाबाद

महाप्रबन्धकों की बैठक

1709. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. रमेश चन्द्र तोमर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल में रेलवे के महाप्रबन्धकों की एक बैठक बुलाई थी और सुरक्षा राजस्व वसूली की हानि पर रोक लगाने तथा वित्तीय लक्ष्य पूरा करने की जरूरत पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के सम्मुख विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार मुख्यता विभिन्न खामियों के लिये उत्तरदायी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) रेलवे के सम्मुख विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति महाप्रबंधकों के साथ एक ही बैठक में नहीं बनाई जाती है। बैठक के दौरान नवीन विपणन, व्यय नियंत्रण, उचित आकार, राजस्व वसूली की हानि पर रोक लगाने, नियमित संरक्षा लेखापरीक्षा और परिसम्पत्तियों के नवीकरण के बकायों के निपटान पर जोर दिया गया था।

(ग) और (घ) यद्यपि रेलों पर भ्रष्टाचार विभिन्न खामियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं है। फिर भी रेलों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अनियमितताओं/कदाचारों का पता लगाने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए जनता/उपयोगकर्ता तथा जन सम्पर्क क्षेत्रों में बार-बार जांच करना, नीलामी तथा स्कैप निपटान और बड़े ठेकों तथा चालू कार्यों आदि की अचानक जांच करना शामिल है। यद्यपि कर्मचारियों को उचित प्रक्रिया के बारे में जागरूक बनाने के लिए शिक्षित किया जाता है फिर भी अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

साहित्य अकादमी पुरस्कार

1710. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं की कितनी साहित्यिक कृतियों को पुरस्कार दिया जाता है;

(ख) क्या यह पुरस्कार एक राज्य, एक भाषा के आधार पर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दी में केवल एक पुरस्कार दिये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) साहित्य अकादेमी इसके द्वारा मान्यताप्राप्त 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए प्रत्येक वर्ष 22 पुरस्कार प्रदान करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) साहित्य अकादेमी की नीति इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के लिए एक-एक पुरस्कार देने की है।

[अनुवाद]

सेंटर फार कार्पोरेट एक्सीलेंस

1711. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** 1.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1048 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "सेंटर फार कार्पोरेट एक्सीलेंस" नामक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उन राज्यों में जहां बड़े उद्योग और प्रौद्योगिकी संस्थान विद्यमान हैं, ऐसे केन्द्र स्थापित करने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) सरकार द्वारा गठित गुणवत्ता पर अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक निगमित गुणवत्ता के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त केन्द्र स्थापित करने से संबंधित है जिसका मुख्य उद्देश्य बेहतर निगमित शासन के माध्यम से निगमित गुणवत्ता के क्षेत्र में प्रत्यापन पर सहमति करना तथा नीति, अनुसंधान और अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा पारितोषिक आदि प्रोन्नत करना है। सरकार द्वारा ऐसी संस्था के लिए वास्तविक स्थान का निर्णय अभी नहीं किया गया है जब कि राज्य सरकारों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

केरल में नारियल रोपण

1712. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में नारियल रोपण को प्रोत्साहन देने के लिये नारियल विकास बोर्ड द्वारा बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या सरकार को बोर्ड से इस संबंध में कोई नई योजना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) केरल में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड ने वर्ष 2001-2002 के लिये 481.13 लाख रुपये के परिव्यय से निम्नलिखित कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की है:-

(i) नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार;

(ii) लंबे एवं बौने संकर पौध उत्पादन व वितरण;

(iii) सरकार द्वारा अनुमोदित/पंजीकृत/निजी नर्सरियों को सहायता;

(iv) रोग प्रभावित पॉमों का प्रबंध;

(v) प्रदर्शन प्लांट तैयार करना;

(vi) कार्बनिक खाद इकाइयों की स्थापना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कम दरों पर धान की बिक्री के लिये किसानों को मुआवजा

1713. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार कम दरों पर धान की बिक्री से किसानों को हुई क्षति पर मुआवजा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार अन्य राज्यों के किसानों को भी उक्त सुविधा देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) 15.10.2000 को केन्द्रीय वित्त मंत्री और उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ पंजाब के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में पंजाब के शिष्टमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि उन किसानों के मामले में जिनसे धान 21.9.2000 से 14.10.2000 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे के मूल्य पर खरीदा गया है राज्य सरकार उस अंतर की भरपाई करेगी। इस अंतर से होने वाला कुल व्यय अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक सीमित होगा। वित्त मंत्रालय इस व्यय के लिए पंजाब सरकार को 50% की सीमा तक क्षतिपूर्ति करेगा।

पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए 100 करोड़ रुपये की निधियां निर्मुक्त की हैं। तदनुसार, राज्य में क्षतिपूर्ति देने का काम शुरू हो गया है और 26.7.2001 की स्थिति के अनुसार संबंधित किसानों को 61.30 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं।

(ख) से (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि का उपयोग

1714. श्री पवन कुमार बंसल:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के अंतर्गत जोनवार कुल कितनी भूमि है;

(ख) रेलवे के अन्तर्गत जोन और डिवीजन-वार अप्रयुक्त भूमि कितनी है;

(ग) क्या रेलवे की ऐसी भूमि के उपयोग की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जोनवार कितनी भूमि का अतिक्रमण किया गया है और अवैध कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) कुल भूमि, खाली पड़ी भूमि का जोनवार और मंडलवार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

जोन	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	इस समय खाली पड़ी भूमि (हेक्टेयर में) (जोनवार)		इस समय खाली पड़ी भूमि (हेक्टेयर में) (मंडलवार)
1	2	3		4
मध्य	49328	3114	मुंबई	249
			भुसावल	513
			नागपुर	908
			जबलपुर	246
			सोलापुर	339
			झांसी	452
			भोपाल	407
पूर्व	41188	2223	सियालदाह	757
			हावड़ा	195
			आसनसोल	575

1	2	3	4	
			धनबाद	221
			मुगलसराय	48
			मालदा	123
			दानापुर	304
उत्तर	56731	2815	इलाहाबाद	63
			बीकानेर	866
			दिल्ली	73
			फिरोजपुर	542
			जोधपुर	210
			लखनऊ	280
			मुरादाबाद	175
			अंबाला	606
पूर्वोत्तर	37670	1647	इज्जतनगर	486
			लखनऊ	241
			वाराणसी	147
			सोनपुर	565
			समस्तीपुर	208
पूर्वोत्तर सीमा	43224	1744	अलीपुरद्वार	418
			तिनसुकिया	115
			कटिहार	801
			लमडिंग	410
दक्षिण	33245	2200	चेन्नई	153
			पालघाट	442
			तिरुवनंतपुरम	कुछ नहीं
			बंगलौर	302
			मैसूर	64
			तिरुचिरापल्ली	746
			मदुरै	493

1	2	3	4	
दक्षिण मध्य	33418	1928	सिकंदराबाद	453
			हैदराबाद	425
			विजयवाड़ा	252
			गुंतकल	474
			हुबली	324
दक्षिण पूर्व	77918	501	अभाद्रा	28
			विलासपुर	25
			चक्रधरपुर	31
			खुर्दा रोड	139
			खड़गपुर	25
			नागपुर	50
			संबलपुर	192
			विशाखापत्तनम	11
पश्चिम	50726	573	मुंबई	23
			वदोडरा	11
			रतलाम	302
			कोटा	111
			अजमेर	24
			जयपुर	कुछ नहीं
			राजकोट	33
			भावनगर	69
जोड़	4,23,448	16,745		

(ग) और (घ) रेलों द्वारा खाली भूमि की आवश्यकता उनके परिचालनिक और अनुरक्षण आवश्यकताओं तथा भावी विकासात्मक कार्यों के लिए हैं। जहां कहीं व्यावहारिक होता है, रेलवे भूमि का अल्पकालिक उपयोगों जैसे वृक्षारोपण, रेलवे कार्य संचालन इत्यादि से संबंधित प्रयोजनों के लिए अस्थायी पट्टे पर किया जाता है।

(ङ) रेलवे अपनी भूमि को अप्राधिकृत दखलकारों को बेदखल करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। जैसे ही कोई नया अतिक्रमण नजर में आता है। उसे हटा दिया जाता है। पुराने अतिक्रमणों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत हटाया जाता है। रेलें अप्राधिकृत दखलकारों से निपटने के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 का भी उपयोग करती है। चूंकि अतिक्रमणों को हटाते समय अक्सर कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है, इसीलिए सिविल पुलिस की भी आवश्यकता पड़ती है। अप्राधिकृत

दखलकारों के कब्जे में रेलवे भूमि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

जोन	अतिक्रमण के तहत भूमि (हेक्टेयर में)
मध्य	63
पूर्व	45
उत्तर	1218
पूर्वोत्तर	65
पूर्वोतर सीमा	291
दक्षिण	77
दक्षिण मध्य	53
दक्षिण पूर्व	251
पश्चिम	98
जोड़	2162

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस

1715. **श्री बी. वेंकटेस्वरलु:**
श्री राजैया मल्याला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम और कुछ निजी कंपनियों को आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के कुओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस भंडार से गैस की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) इस भंडार में कब तक गैस के व्यावसायिक उत्पादन की आशा है; और

(घ) सरकार का इस उत्पादन में कितना हिस्सा होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जून, 2001 में तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पसारलापुडी क्षेत्र में स्थिति पसारलापुडी नं. 32 नामक अन्वेषण कूप के गैस का पता लगाया है। पूर्वी गोदावरी जिले में किसी निजी कंपनी द्वारा गैस की कोई खोज नहीं की गई है।

(ख) और (ग) इस कूप की उत्पादन संभाव्यता का मूल्यांकन पसारलापुडी क्षेत्र में पहले से अनुमानित गैस की मात्रा का पुनराकलन करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि इस क्षेत्र में सुस्थापित मूलभूत सुविधाएं है अत: इसमें उत्पादन आकलन के पूरा होने के बाद आरम्भ किया जाएगा।

(घ) ओ एन जी सी अपने भण्डारों से संपूर्ण उत्पादन की स्वामी है।

पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा पारेषण लाइनों का निर्माण

1716. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) देश में पारेषण लाइनों/टावरों को बिछाने और निर्माण पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरी होने वाली बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और पी.जी.सी.आई.एल की तरफ से परियोजना लागू करने वाली कंपनी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना की लागत, दूरी (क्षेत्रवार) परियोजना लागू करने वाली कंपनी का नाम और निर्मित टावरों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पीजीसीआईएल देश में पारेषण लाइनों को बिछाने और उनका निर्माण में व्यस्त है। वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक पूरी की गई पावरग्रिड बड़ी परियोजनाओं, वर्ष 2001-02 के दौरान पूरी की जाने वाली संभावित परियोजनाओं, पारेषण लाइनों की लंबाई, क्रियान्वयन ऐजेन्सी का नाम, उत्थापित टावरों की संख्या तथा लाइनों को पूरा करने की तिथि और लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पावरग्रिड द्वारा चालू/पूरी हो चुकी मुख्य परियोजनाएं

क्रम सं.	विवरण	लम्बाई (स.कि.मी.)	एजेंसी	टावर्स (उत्थापन)	लाईन की पूर्णता (करोड़ रुपये में)	लागत
1	2	3	4	5	6	7
1998-99						
1.	400 केवी डी/सी बोंगईगांव-सिलीगुड़ी लाइन	440	बी एंड सी	587	05/98	82.56
2.	400 केवी डी/सी रंगानदी-लाबीपाड़ा लाईन	333	आरपीजी	42	06/98	109.61
3.	400 केवी डी/सी जैपो-गजुवाका	442	जेसीएल	602	06/98	155.62
4.	220 केवी एस/सी कोपिल-मीसा लाईन	76	केईसी	228	07/98	13.45
5.	220 केवी डी/सी कायमकुलम-इदामन लाईन	156	ज्योति	228	08/98	40.16
6.	220 केवी डी/सी ऊंचाहर-कानपुर लाईन	288	आरपीजी	445	01/99	28.71
7.	220 केवी एस/सी आरएपीपी-उदयपुर लाईन	230	कल्पतरू	699	02/99	29.23
8.	132 केवी एस/सी देहरो-कर्मनासा	86	एलएंडटी	301	02/99	7.48
9.	132 केवी एस/सी खांडोंग-बदरपुर लाईन	41	आरपीजी	132	02/99	4.71
10.	132 केवी एस/सी बदरपुर-बदरपुर लाईन	1	आरपीजी	6	02/99	0.21
11.	132 केवी डी/सी खांडोंग-खेलेरियात (लीलो)	13	आरपीजी	44	03/99	1.51
12.	400 केवी डी/सी सतना-बीना लाईन	552	केईसी	709	03/99	117.56
1999-2000						
1.	220 केवी डी/सी फरीदाबाद-समयपुर	35	एलएंडटी	60	04/99	4.42
2.	132 केवी डी/सी बदरपुर-जिरीबम	95	आरपीजी	223	04/99	7.55
3.	400 केवी डी/सी कैगा-सिरसी लाईन	124	ज्योति	171	05/99	37.45
4.	400 केवी डी/सी विन्धाचल-सतना लाईन	534	कल्पतरू	738	05/99	139.95
5.	220 केवी डी/सी बुधिपदार-कोरबा लाईन	182	एलएंडटी	567	06/99	28.07
6.	400 केवी डी/सी राउता-बोंगइगांव लाइन	412	केईसी	547	06/99	71.69
7.	400 केवी डी/सी अब्दुल्ला-बवाना लाईन	334	आरपीजी	438	08/99	118.29
8.	132 केवी एस/सी बदरपुर-बैराबी लाईन	85	आरपीजी	287	08/99	11.29
9.	132 केवी डी/सी बैराबी-आइजोल लाईन	85	आरपीजी	243	08/99	9.53
10.	400 केवी डी/सी नालागढ़-हिसार लाईन	499	केईसी	676	09/99	195.69

1	2	3	4	5	6	7
11.	220 केवी डी/सी कायमकुलम-पालोन लाईन	94	ज्योति	145	09/99	23.14
12.	400 केवी डी/सी कोरबा-रायपुर लाईन	200	ईएमसी	550	10/99	81.79
13.	400 केवी डी/सी ऊंचाहार-कानपुर-2 लाईन	290	आरपीजी	449	11/99	29.66
14.	132 केवी डी/सी बदरपुर-कुमारघाट लाईन	118	आरपीजी	397	11/99	12.83
15.	400 केवी डी/सी दुलहस्ती-किशनपुर-1 लाईन	44	आरएससीओ	136	12/99	19.63
16.	220 केवी डी/सी फरीदाबाद-पल्ला लाइन	33	एलएंडटी	54	12/99	5.01
17.	132 केवी एस/सी खेलेरियात-बदरपुर लाईन	77	आरपीजी	218	12/99	9.12
18.	220 केवी एस/सी आरएपीपी-बी-अंता लाईन	114	हीथ्रो	247	03/00	15.24
2000-2001						
1.	400 केवी डी/सी नाथपा-झाकड़ी-अब्दुल्लापुर लाईन	360	ज्योति	431	06/00	165.26
2.	220 केवी एस/सी नैवेली-बहूर लाईन	53	आरपीजी	160	06/00	7.50
3.	220 केवी डी/सी पनकी-मैनपुर (लीलो) लाईन	21	आरपीजी	48	10/00	3.33
4.	132 केवी एस/सी अगरतला-कुमारघाट लाईन	104	ईएमसी	353	11/00	12.15
5.	220 केवी डी/सी जालंधर-दसुइया लाईन	99	आरपीजी	159	12/00	10.41
6.	800 केवी एस/सी किशनपुर-मोगा लाईन	275	कोबरा	710	12/00	257.16
7.	220 केवी डी/सी जालंधर-हमीरपुर लाईन	248	एनबीसीसी	353	02/01	31.56
2001-2002						
1.	400 केवी डी/सी नाथपा-झाकरी-नालागढ़ लाईन	290	आरपीजी	373	05/01*	181.57
2.	400 केवी डी/सी सासाराम-बिहारशरीफ	38	टाटा	506	05/01*	93.81
3.	400 केवी डी/सी नैवेली-त्रिची लाईन	11	एलएंडटी	37	07/01	13.68
4.	400 केवी डी/सी सासाराम-इलाहाबाद लाईन	435	एलएंडटी	583	07/01**	107.16
5.	420 केवी एस/सी कानपुर-बल्भगढ़ हेतु सीरिज कॉम्प (फैक्ट)	–	भेल	–	11/01	12.90
6.	800 टिहरी-मेरठ-1 लाईन	180	केईसी	452	03/02	159.90
7.	800 केवी एस/सी टिहरी-मेरठ-2 लाईन	182	आरपीजी	458	03/02	162.02
8.	400 केवी एस/सी मेरठ-मंडोला लाईन	120	ईएमसी	161	03/02	34.24

*पूरी हो गयी है।

**सारनाथ तक मई, 2001 में पूरी हो गयी है। (यूपीपीसीएल में समाप्त)

न्यायालयों में अवकाश

1717. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में किसी अन्य सरकारी विभाग के मुकाबले न्यायपालिका में अधिक छुट्टियां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यायिक अधिकारियों की तुलना में सरकारी अधिकारियों की छुट्टियों की संख्या कितनी है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में होने वाली छुट्टियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालयों को प्रतिवर्ष कम से कम 210 दिन काम करना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो निपटान के लिए लंबित मामलों को बढ़ती संख्या के मद्देनजर क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) सरकारी कार्यालय, जिनमें प्रति सप्ताह, 5 कार्य दिवस होते हैं, वर्ष में सत्रह राजपत्रित अवकाश और दो निर्बंधित अवकाशों का उपयोग करते हैं।

8वीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालयों में कार्य दिवसों के पुनर्विलोकन की वांछा की थी। परीक्षा करने पर यह पता चला कि सभी उच्च न्यायालयों में सामान्यत: वर्ष मे 210 कार्य दिवस होते हैं।

राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य दिवस/अवकाश सम्बद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

कार्य दिवसों के प्रश्न की विभिन्न अंतरालों पर और परीक्षा की गई थी। मामले की तारीख 25.5.86 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति को भी निर्दिष्ट किया गया था। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सूचित किया था कि उच्चतम न्यायालय पहले ही 220 दिन कार्य कर रहा है, किंतु पूर्ण न्यायालय ने दो और कार्य दिवस जोड़े जाने का विनिश्चय किया था। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के विचार उच्च न्यायालयों को संसूचित कर दिए गए थे। अधिकांश मुख्य न्यायमूर्तियों का यह विचार था कि 210 कार्य दिवस बिल्कुल ठीक हैं और इसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायाधीशों को अपने चैम्बरों या अपने निवास स्थान में अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। वर्ष 1987 में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में भी यह संकल्प किया गया था।

न्याय विभाग ने हाल ही में सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे उच्च न्यायालयों में वार्षिक छुट्टियों और कार्य दिवसों की पुन: परीक्षा करें।

(ङ) देश में बढ़ते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें न्यायाधीशों की रिक्तियों का भरा जाना, न्यायालय कक्षों, न्यायाधीशों के आवासों के सन्निर्माण आदि द्वारा न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना, विधि आयोग, मलिमथ समिति, आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण सम्मिलित है। सरकार ने विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों के पूर्विकता पर शीघ्र निपटारे के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए 502.90 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्र की सहभागिता

1718. श्री महेश्वर सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता पहले से ही मौजूद है।

(ख) भारतीय रेलों पर आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, निजी क्षेत्र में बहुत से उद्योग और कंपनियां भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन में पहले से अपना सहयोग दे रही हैं जिसमें सभी तकनीकी विभाग शामिल हैं, ये सहयोग रेल इंजनों, संवारी डिब्बे, रेलपथ फिटिंग रेलपथ मशीनें और सिगनल और दूरसंचार प्रणालियों के आधुनिककरण और ग्रेडोन्नयन से संबंधित है।

विगत हाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मदद से जिन महत्वपूर्ण उत्पादों का आधुनिकीकरण और विकास किया गया है वे निम्न हैं:-

* रेल और सड़क वाहन
* फाइबर पूर्वबलित प्लास्टिक प्रणालियां
* ट्रेन एक्चुएटेड चेतावनी प्रणालियां
* मेन लाइन सवारी डिब्बों के लिए सेंटर बफर कपलिंग्स
* डीजल रेल इंजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फयूल इन्जेक्शन उपस्कर
* माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित इंजन शासित प्रणालियां
* कंपोजिट ब्रेक ब्लाक्स
* बोगी माइंटेड ब्रेक प्रणालियां
* एअर स्प्रिंग्स
* डीजल रेल इंजनों के लिए नयी पीढ़ी के टर्बोचार्जस
* प्लेट टाइप ल्यूब आयल फिल्टर्स
* आधुनिक ल्यूब आयल फिल्टर्स
* सिगनल और रेल इंजन प्रकाश के लिए एल.ई.डी. पर आधारित प्रकाश व्यवस्था का विकास
* सिगनल संबंधी आवश्यकताओं के लिए एकीकृत विद्युत आपूर्ति
* कम अनुरक्षण और अनुरक्षण मुक्त बैटरियां

[अनुवाद]

लूनी-बाडमेर-मुनावाओ रेल लाइन पर समपारों का खोला जाना

1719. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लूनी-बाड़मेर-मुनाबाओ रेल लाइन पर चौकीदार रहित और चौकीदार वाले कितने समपारों को बंद किया गया;

(ख) क्या यह रेल लाइन मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदली जा रही है जो कि रक्षा तैयारी हेतु बहुत महत्वपूर्ण है;

(ग) क्या सरकार को यातायात के सुचारू संचालन हेतु लूनी-बाड़मेर-मुनाबाओ बड़ी लाइन पर विद्यमान समपारों को पुन: खोले जाने और अतिरिक्त समपार के प्रावधान हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक पुन: खोले गये और बदली जा रही बड़ी लाइन पर उपलब्ध कराये गये समपारों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) लूनी-बाड़मेर-मुनाबाओ खंड पर विगत तीन वर्षों के दौरान कोई समपार फाटक बंद नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जिन ''घ'' श्रेणी के मवेशी समपार फाटक को पुन: खोलने/नियमित समपार में बदलने, नए समपार की व्यवस्था करने और मौजूदा समपार फाटक को शिफ्ट करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं।

1. अभ्यावेदन समपारों को पुन: खोलने तथा ''घ'' श्रेणी के मवेशी वाले समपारों अर्थात् किमी. 772/11-12 पर 309 ''घ'' तथा किमी. 863/1-2 पर 332-''घ'' को ''ग'' श्रेणी के चौकीदार वाले नियमित समपारों में बदलने के लिए थे, परंतु ये समपार बंद नहीं किए गए हैं।
2. हमीरजी के समीप किमी. 943/4-5 पर नया समपार
3. गांव भानपुर के समीप किमी. 883/14-15 पर नया समपार।
4. गांव बनिया सांदा धोरा के समीप किमी. 810/10-11 पर नया समपार।
5. बालोतरा यार्ड के समीप किमी. 737/4-5 पर नया समपार
6. किमी. 768/2-3 पर नया समपार
7. निम्बानियों की ढासी के समीप किमी. 806/8-9 पर नया समपार
8. किमी. 902/11-12 पर नया समपार
9. किमी. 763/1-2 पर नया समपार
10. समपार सं. सी-339 को किमी. 906/6-7 से किमी. 908/15-909/1 पर शिफ्ट करना

(ङ) किसी भी समापार को पुनः नहीं खोला गया है। मीटर लाइन पर मौजूदा समपार बड़ी लाइन पर भी बने रहेंगे।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनायें

1720. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना की क्षमता कितनी है और इसमें परियोजना-वार कितना निवेश किया गया;

(ग) इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के स्त्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीयजल विद्युत निगम द्वारा उड़ीसा में कोई विद्युत परियोजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) देश के विभिन्न राज्यों में 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं: नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजनाओं के ब्यौरे उनकी क्षमताएं और उनमें से प्रत्येक पर उपगत व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। एनएचपीसी ने मध्य प्रदेश इन्दिरा सागर (1000 मे.वा.), औकारेश्वर (520 मे.वा.) हाइड्रो परियोजनाओं के निष्पादन हेतु मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम को भी हाथ में लिया है।

इन परियोजनाओं के अलावा एनएचपीसी को कई परियोजनाओं का निष्पादन सौंपा गया है, जिसके लिए सर्वेक्षण एवं जांच के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु तैयारी शुरू की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	स्थान
1.	किशनगंगा	330	जम्मू एवं कश्मीर
2.	लरी-II	280	जम्मू एवं कश्मीर
3.	बुरसर	1020	जम्मू एवं कश्मीर
4.	सेवा-II	1000	जम्मू एवं कश्मीर
5.	पकल दल	1000	जम्मू एवं कश्मीर
6.	नीमो बाजगो	30	जम्मू एवं कश्मीर
7.	छुटक	18	जम्मू एवं कश्मीर
8.	तीस्ता लो डाम चरण-III	132	पश्चिम बंगाल
9.	तीस्ता लो डाम चरण-IV	168	पश्चिम बंगाल
10.	पुरुलिया पंपेड स्टोरेज	900	पश्चिम बंगाल
11.	चमेरा-III	231	हिमाचल प्रदेश
12.	सुबानश्री (लोवर, मीडर एंड अपर)	7300	अरूणाचल प्रदेश
13.	सियांग (लोवर, मीडल एंड अपर)	13400	अरूणाचल प्रदेश

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उड़ीसा में कोई परियोजना एनएचपीसी को नहीं सौंपी गई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	नवीनतम मंजूर लागत	इक्विटी	डीएफएल	ऋण/बांड	कुल व्यय के अनुसार अनंतिम
	वर्तमान स्कीमें						
	दुलहस्ती जम्मू एवं कश्मीर	390	3559.77 (11/96 पीएल)	1779.88	657.7	1122.19	2834.26
	चमेरा-II, हिमाचल प्रदेश	300	1684.02 (8/98 पीएल)	600.00	494.25	589.77	639.39
	धौलीगंगा I, उत्तरांचल	280	1578.31 (8/99 पीएल)	436.41	1141.90	–	413.66
	टीस्ता-5, सिक्किम	510	2198.5 (4/99 पीएल)	1099.03	–	1099.02	163.64
	लोकतक डी/एस, मणिपुर	90	578.62 (4/99 पीएल)	289.31	–	289.31	13.99

जूट मिलों का पुनरूद्धार

1721. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम के अंतर्गत 6 जूट मिलों के पुनरूद्धार के लिए बी आई एफ आर को एक पैकेज तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी आई एफ आर ने अब तक इस संबंध में एक पुनरूद्धार पैकेज तैयार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो पुनरूद्धार पैकेज का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बी आई एफ आर द्वारा उक्त पैकेज कब तक तैयार किये जाने की संभावना है।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) एन.जे.एम.सी. का मामला 1993 में बी आई एफ आर को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) के प्रावधानों के अंतर्गत भेजा गया था।

(ग) से (ङ) बी.आई.एफ.आर. ने सरकार को एन.जे.एम.सी. की अलग-अलग मिलों और/अथवा कंपनी का संपूर्ण रूप में निजीकरण द्वारा अथवा भारत सरकार के स्वामित्व/प्रबंधन के अंतर्गत पुनरूद्धार की संभावनाओं पर विचार करने का निदेश दिया। बी आई एफ आर के निर्देशों के अनुसार, वस्त्र मंत्रालय ने कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए एन.जे.एम.सी. के लिए कार्य योजना तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एककों की बिक्री में कामगार सहकारी समितियों को प्रथमत: तरजीह देने तथा उसके असफल रहने का राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र को तरजीह देने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव किया गया है कि मिलों को इस शर्त के साथ क्रेताओं को सुपुर्द किया जा सकता है कि वे कम से कम 10 वर्षों के लिए इन मिलों को चलाएंगे तथा स्थायी कामगारों के हितों की रक्षा करेंगे। इस योजना को बी आई एफ आर को 27.6.2001 को प्रस्तुत किया गया है। बी आई एफ आर ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया तथा कार्यचालन अभिकरण (आई आई बी आई) को 14 सप्ताह के भीतर पुनर्वासन योजना का मसौदा प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों को लघु और मध्यम तेल क्षेत्रों का सौंपा जाना

1722. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक पता लगाये गये लघु और मध्यम स्तर के तेल क्षेत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विकास हेतु कितने तेल क्षेत्रों को निजी कंपनियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है और इन तेल क्षेत्रों के विकास के लिए अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल क्षेत्रों का पता लगाने हेतु जबलपुर और बीना में कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस सीमा तक सफलता मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए छोटे और मध्यम आकार के बहुत सारे क्षेत्रों में 43 छोटे और मध्यम आकार के तेल और गैस जिनमें अपतटीय क्षेत्र भी शामिल हैं, 1992 में क्षेत्रों के ऐसे प्रथम प्रस्ताव में संयुक्त उद्यम अथवा निजी भागीदारी के लिए प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से 14 तोल क्षेत्र निजी कंपनियों को अथवा भागीदार के रूप में निजी कंपनियों वाले संयुक्त उद्यम परिसंघों को प्रदान किए गए हैं और उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इन तेल क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन 14 तेल क्षेत्रों में से 11 क्षेत्र उत्पादन कर रहे हैं। 1993 में 41 मध्यम और छोटे आकार के तेल और गैस क्षेत्र द्वितीय प्रस्ताव के तहत प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से 10 तेल क्षेत्र निजी कंपनियों अथवा उनके परिसंघों को प्रदान करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं, और 8 तेल क्षेत्रों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए है। इन तेल क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण- में दिया गया है।

(ग) और (घ) ओ.एन.जी.सी. ने विंध्य बेसिन में जबलपुर के उत्तर पश्चिमी भाग को शामिल करने वाले दामोह-जबेरा-कटनी पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) ब्लाक में अन्वेषण क्रियाकलाप आयोजित किए है। कुल 2316.2 जी एल के 2डी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन किया गया है और एक कूप का बेधन दामोह पी ई एल ब्लाक में किया गया है। बीना में कोई अन्वेषण नहीं किया गया है।

विवरण-I

	क्षेत्र का नाम	राज्य
1.	असजोल	गुजरात
2.	भंदूत	गुजरात
3.	बकरोल	गुजरात
4.	कैम्बे	गुजरात
5.	ढोलका	गुजरात
6.	इन्दौरा	गुजरात
7.	लौहार	गुजरात
8.	मतार	गुजरात
9.	साबरमती	गुजरात
10.	वावेल	गुजरात
11.	खरसांग	अरूणाचल प्रदेश
12.	राब्बा	पूर्वी तट अपतट
13-14.	पन्ना और मुक्ता	पश्चिमी तट अपतट

विवरण-II

क्र.सं.	क्षेत्र	स्थान/राज्य
मध्यम आकार के क्षेत्र		
1.	रत्ना और आर-सीरीज	मुंबई अपतट
लघु आकार के क्षेत्र		
*2.	उत्तरी कथाना	गुजरात
*3.	अलौरा	गुजरात
*4.	उनावा	गुजरात
*5.	कनवारा	गुजरात
*6.	ढोलासन	गुजरात
*7.	मोढेरा	गुजरात
8.	ओगनज	गुजरात
*9.	संगनपुर	गुजरात
*10.	आमगुडी	असम

*उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

वस्त्र उद्योग का विकास

1723. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परंपरागत वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कौन-सी योजनायें लागू की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत कितना काम हुआ और कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ग) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) परंपरागत वस्त्र सहित वस्त्र उद्योग के विकास हेतु, भारत सरकार ने 01.04.1999 से पांच वर्षों की अवधि अर्थात 31.3.2004 तक के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) शुरू की है: इस योजना मे नोडिए अभिकरणों (आई डी बी आई, सिडबी और आई एफ सी आई) तथा उनके सहयोजित अभिकरणों द्वारा पात्र परियोजनाओं को संस्वीकृत ऋण पर 5 प्रतिशत की ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

परंपरागत वस्त्र के विकास हेतु अन्य क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाएं हैं। क्षेत्रवार मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

(1) विद्युतकरघा: विद्युतकरघों का आधुनिकीकरण और सहायता प्रणाली संगठनों को सुदृढ़ करना।

(2) हथकरघा: दीनदया हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हथकरघों का आधुनिकीकरण।

(3) रेशम: उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से रेशम का आधुनिकीकरण और विकास।

(4) ऊन: समन्वित भेड़ और ऊन परियोजना; ऊन तथा ऊनी वस्त्र के विकास के लिए क्षेत्र आधारित परियोजना।

(5) हस्तशिल्प: मौजूदा शिल्पकारों के कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण और नये शिल्पकारों को कौशल की शिक्षा देना, डिजायन और प्रौद्योगिकीय विकास, विपणन तथा बाजार विकास सहायता आदि।

विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा संस्वीकृत कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

लाख रु. में

योजना/क्षेत्र का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	*	100	7000
विद्युतकरघा	363	931	687
हथकरघा	8835	8092	10145
रेशम	6249	6700	7818
ऊन	452	506	371
हस्तशिल्प	2034	2267	2915

(ग) और (घ) योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मैट्रो रेलवे के लिए कल-पुर्जे

1724. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन से देश मैट्रो रेलवे को कल पुर्जों की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त देशों से कल पुर्जों की आपूर्ति में देरी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी. पर विदेशी कर्ज

1725. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस निगम पर कुल कितना विदेशी कर्ज है;

(ख) ओ.एन.जी.सी. ने किस उद्देश्य के लिये यह ऋण लिया और ऋण की निर्बंधन तथा शर्तें क्या है; और

(ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा ऋण वापस करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. की विदेशी ऋण की कुल बकाया धनराशि 31 मार्च, 2001 तथा 30 जून, 2001 को क्रमश: लगभग 4037 करोड़ रुपए तथा 3156 करोड़ रुपए रही है। इन बकाया ऋणों में विश्व बैंक (आई बी आर डी) तथा एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) के लिए गए बहुपक्षीय ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ई सी बी) तथा एकल बैंक अथवा बैंको के परिसंघ से लिए गए ऋण शामिल है।

(ख) वे ऋण, जो 31 मार्च, 2001 को बकाया थे, पश्चिमी अपतट में गैस दहन न्यूनीकरण परियोजनाओं, जिनमें बंबई हाई उत्तर में एल-2 विकास बंबई हाई दक्षिण में एल-3 (इन फिल) विकास के घटक, आई सी पी-हीरा, द्वितीय बेसिन-हजीरा ट्रंक पाइपलाइन तथा हजीरा में तटवर्तीय टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार शामिल है, के अंतर्गत निवेश हेतु लिए गए थे।

संक्षेप में इन ऋणों की शर्तें इस प्रकार है:

(1) ब्याज दरें: बहुपक्षीय ऋणों की दर इन संस्थाओं की सापेक्ष उदारियों के मूल्य (सी ओ क्यू बी) जमा लाभ के बराबर होती है। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाला बहुकरेन्सी ऋण है और यह करेन्सी पूल समायोजन की शर्त पर होता है। ई सी बीज की ब्याज दर या तो नियत अथवा परिवर्तनीय होती है।

(2) पुनरभुगतान: सभी ऋण अर्द्धवार्षिक किश्तों में देय होते हैं।

(3) पूर्व भुगतान: उदारदाता (उदारदाताओं) को कुछ निश्चित दिवस संख्या (जैसे 30 दिवस) का नोटिस देकर ऐसे ऋणों का पूर्वभुगतान किया जा सकता है। कुछेक ऋणों के संबंध में ऐसे पूर्व भुगतान के लिए पूर्व भुगतान प्रभार भी लागू है। तथापि, विषयगत विद्यमान दिशानिर्देशों की शर्त पर इन सभी ऋणों के पूर्वभुगतान के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया, वित्त मंत्रालय इत्यादि जैसे नियामक प्राधिकरणों से पूर्व स्वीकृति की जरूरत होती है।

(ग) इसके सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप जब कभी भी संबंधित ऋण करार शर्तों ने अनुमति दी है एवं इस विषय को सरकार एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्वीकृति प्राप्त हुई है, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 1360.74 करोड़ रुपए के विदेश ऋणों का पूर्वभुगतान करने में समर्थ रही है।

पावर टिलरों पर राजसहायता

1726. **श्री वी.एस. शिवकुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पावर टिलरों पर राजसहायता वापस लिये जाने से देश में पावर टिलर बनाने वाली एक मात्र राज्य के स्वामित्वाधीन केरला एग्रो मशीनरी लिमिटेड की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) क्या केरल सरकार ने पावर टिलरों पर राजसहायता की बहाली का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि पावर टिलरों से सब्सिडी वापस ले लिए जाने पर सब्सिडी वापस ले लिए जाने की अवधि में मेसर्स केरल एग्रो मशीनरी कार्पोरेशन (कैमको) द्वारा विनिर्मित पावर टिलरों की बिक्री की सम्भावनाएं प्रभावित हुई थी।

(ख) और (ग) केरल सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों से सब्सिडी बहाल किए जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए थे। उन्नत किस्म के पावर टिलरों के बारे में बुदनी स्थित केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर कैमको द्वारा विनिर्मित कैमकों के.एम.बी. 200 तथा पावर टिलरों के तीन अन्य मॉडलों पर सब्सिडी की अनुमति दे दी गई है। सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में दिनांक 17 जुलाई, 2001 को पत्र भेजा गया है।

नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन

1727. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना का प्रस्ताव वर्तमान में किस चरण में है;

(ख) इसमें अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शोधित नारियल, तेल के इंजिन आयल के रूप में प्रयोग का पता लगाने के संबंध में कोई शोध चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड ने नारियल प्रौद्योगिकी मिशन की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है जिस पर नारियल उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों सहित नारियल उद्योग में सभी पणधारियों (स्टेक-होल्डर) के साथ बैठक में पूरी तरह विचार-विमर्श किया गया। सहभागी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने सुझाव, यदि कोई हों, आगे संशोधन के लिए दें। केवल केरल सरकार से ही सुझाव प्राप्त हुए हैं। सुझावों के आधार पर प्रौद्योगिकी मिशन पर दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) नारियल तेल को इन्जिन तेल के रूप में उपयोग पर अनुसंधान की सूचना नहीं मिली है। किन्तु आटोमोबिल में नारियल तेल के इस्तेमाल पर अनुसंधान शुरू करने के लिए नारियल विकास बोर्ड ने इन्जीनियरी संस्थानों को विस्तृत और आर्थिक रूप से व्यवहार्य अनुसंधान परियोजनाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

रंगिया-रंगपाड़ा-तेजपुर-मुरकोंग सेलेक रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1728. **श्रीमती रानी नरह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत रंगिया-रंगपाड़ा-तेजपुर-मुरकोंग सेलेक खण्ड के आमान परिवर्तन को न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्व निर्धारित समय के अनुसार डिब्रूगढ़ तक के आमान परिवर्तन के कार्य के पूरा होने के तुरंत बाद इस कार्य को आरंभ किया जाना था; और

(घ) यदि हां, तो तेजपुर और लखीमपुर में रेलपथ में सुधार लाने के कार्य को शुरू न करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, आमान परिवर्तन के अन्तर्गत की परियोजनाओं में भारी थ्रोफारवर्ड और बड़े शेल्फों के कारण, यह विनिश्चय किया गया है कि रंगिया से मुरकोगसेलक और रंगपाडा नोर्थ से तेजपुर तक के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य को शुरू नहीं किया जाय और इस क्षेत्र के अन्य आमान परिवर्तन पूरा होने पर ही इस परियोजना को शुरू किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण संस्थान का कार्यकरण

1729. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व में रेलवे में एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जिसके पास ट्रेड अप्रेंटिसेस और फर्स्ट क्लास स्पेशल, अप्रेंटिसेस को प्रशिक्षण देने के लिए अपना स्वयं का भवन, अनुदेशक और कई प्रयोगशालाएं हैं;

(ख) क्या जापान के एक दल द्वारा उक्त संस्थान की प्रशंसा की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले कुछ दिनों के दौरान इन संस्थान को निष्क्रिय बनाये जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। भारतीय रेल पर विशेष श्रेणी के रेलवे प्रशिक्षुओ, सेवारत और परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा यांत्रिक विभागों के पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व रेलवे के जमालपुर में भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियर संस्थान है। इस संस्थान में ट्रेड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

(ख) जापान के एक दल ने 1987 में इस संस्थान का दौरा किया था।

(ग) इस संस्थान को निष्क्रिय नहीं बनाया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय पर्यटन विकास निगम का बकाया

1730. **श्री अनन्त नायक:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों ने लंबे समय से भारतीय पर्यटन विकास निगम के बिलों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कि स्थिति के अनुसार प्रत्येक के विरुद्ध बकाया रकम का विभागवार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया रकम की वसूली हेतु क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) बकाया राशि की वसूली की एक सतत् प्रक्रिया है। बकाया राशि की वसूली करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे मापदंडों में शामिल हैं:-

(i) व्यक्तिगत संपर्क और सावधिक अनुस्मारक।

(ii) एकक और निगमित स्तर दोनों पर सावधिक समीक्षा।

(iii) प्रशासनिक मंत्रालय से सहायता मांगना।

(iv) गलती करने वाली पार्टियों की क्रेडिट (साख) सुविधा रोक देना।

(v) जहां कहीं आवश्यक हो कानूनी कार्यवाही करना।

गुजरात से उत्तर प्रदेश तक एल.पी.जी. पाईपलाइन

1731. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 10 मई, 2001 को गुजरात के जामनगर से दिल्ली सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के लोनी तक एल.पी.जी. की 1,240 किलोमीटर लंबी पाईपलाइन का उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पाईपलाइन द्वारा किन-किन क्षेत्रों को पाईप से गैस की आपूर्ति किए जाने की संभावना है; और

(ग) किसी प्रकार से रिसाव और चोरी की रोकथाम हेतु क्या सावधानियां बरती गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की जामनगर/कांडला-लोनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) पाइपलाइन के माध्यम से इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड नामक तेल विपणन कंपनियों को पाइपलाइन के आसपास भरण और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए एल पी जी की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) जमीन से 1.0 से 1.2 मीटर नीचे बिछाई गई पाइपलाइन अत्याधुनिक उपस्कर से लैस है और यह प्रणाली पर्यवेक्षण नियंत्रण और आंकड़ा अर्जन (एस.सी.ए.डी.ए.), अनुप्रयोग साफ्टवेयर (ए.पी.पी.एस.) और रिसाव खोज प्रणाली द्वारा अनुपूरित की जा रही है। पाइपलाइन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चत करने के लिए हेलीकाप्टर और लाइन वाक के माध्यम से नियमित आधार पर गश्त की जा रही है।

पर्यटन का विकास

1732. **श्री अरुण कुमार:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अंतर्देशीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के प्रचार व प्रसार हेतु वर्ष 2001-02 के दौरान बिहार और अन्य राज्यों मे मेलों, उत्सवों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव/कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु राज्य/परियोजनावार कितना धन आबंटित और वितरित किया गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) मेलो, उत्सवों और प्रदर्शनियों का आयोजन मुख्यता राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त ऐसे कार्यक्रमों के लिए कुछ वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान, विभिन्न राज्यों में चौसठ मेलों, उत्सवों और प्रदर्शनियों को 405.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसमें, बिहार में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित है:-

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्राथमिकता प्रदत्त राशि (लाख रु. में)
1.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव	20.00
2.	राजगीर महोत्सव	10.00
3.	वैशाली महोत्सव	5.00

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बकायों का निपटान

1733. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायक कंपनियों पर बकायों के एकमुश्त निपटारे के प्रस्ताव को स्वीकार करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां।

(ख) पुनरूद्धार योजना के एक भाग के रूप में सरकारी गारण्टीशुदा एन.टी.सी. बांडों के माध्यम से एकमुश्त निपटारे (ओ.टी.एस.) का प्रस्ताव है जिसे बी.आई.एफ.आर. द्वारा संस्वीकृति प्रदान की जानी है।

[हिन्दी]

तेजनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर मृदा-अपरदन

1734. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग छः साल पहले पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अन्तर्गत तेजनारायणपुर रेलवे स्टेशन का संपर्क मृदा-अपरदन के कारण कट गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां, 14-9-1997 को किनारे पर मृदा अपरदन और नदी द्वारा अपना मार्ग बदल दिये जाने के कारण गंगा नदी की बाढ़ में तेजनारायणपुर रेलवे स्टेशन वार्ड और स्टेशन भवन पूरी तरह ढह गए थे।

(ख) गंगा नदी ने अपना मार्ग बदल दिया है और रेलवे किनारे को अपनी चपेट में ले लिया है। अब विद्यमान तेजनारायणपुर स्टेशन से लगभग 2 किमी. पहले, रेल सेवा समाप्त की जा रही है। जब तक नदी अपना मार्ग दोबारा बदलकर भूमि से नहीं हटती तब तक पुराने तेजनारायणपुर स्टेशन को बहाल करना संम्भव नहीं है।

ऊन के आयात पर प्रतिबंध

1735. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऊन के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान के ऊन व्यापार से संबंधित कोई योजना केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। वस्त्र मंत्रालय में राजस्थान के ऊन व्यापार से संबंधित कोई योजना लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थानी पुस्तकों और हस्तलिपियों की खोज

1736. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांच हजार साल पुरानी राजस्थानी पुस्तकों और हस्तलिपियों की खोज का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थानी शोध संस्थान को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) अब तक इससे किन परिणामों की प्राप्ति हुई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) सरकार इस प्रकार के कार्यकलाप सीधे ही नहीं करती है अपितु पाण्डुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों की खरीद के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा राजस्थानी अनुसंधान संस्थान जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है, को विगत तीन वर्ष के दौरान चालू वर्ष में निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है:-

1998-99	-	25,000/- रुपए
1999-2000	-	60,000/- रुपए
2000-2001	-	शून्य
2001-2002	-	शून्य

(घ) (i) वर्ष 1998-99 में पुस्तकों के लेमिनेशन के लिए 25,000/- रुपए प्रदान किए गए थे। संस्थान ने इस आशय का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि राशि का उपयोग इसी प्रयोजन के लिए किया गया है।

(ii) वर्ष 1999-2000 के दौरान पाण्डुलिपियों की खरीद तथा संरक्षण के लिए 60,000/- रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया था। संस्थान ने 45,000/- रुपए का उपयोग करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है। 15,000/- रुपए का उपयोग करने के प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

कपास के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों को हटाया जाना

1737. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कपास के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार ने अपरिष्कृत कपास के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध 2 जुलाई, 2001 से हटा लिए हैं। तदनुसार निर्यातकों को निर्यात के पंजीकरण, आबंटन, गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में वस्त्र आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जयपुर-अहमदाबाद-गांधीधाम रेल लाइन का विद्युतीकरण

1738. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली और जयपुर के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है और जयपुर-अहमदाबाद और अहमदाबाद-गांधीधाम रेलवे लाइन का अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त लाइनों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने का संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं, दिल्ली-जयपुर रेल लाइन विद्युतीकृत नहीं की गई है। जयपुर-अहमदाबाद अथवा अहमदाबाद-गांधीधाम खंडों को भी विद्युतीकृत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च धनत्व वाले मार्गों को विद्युतीकृत करने की सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण ऐसा न हो सका।

(ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी केन्द्र-प्रायोजित योजना

1739. श्री जय प्रकाश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से प्रत्येक का निष्पादन कैसा रहा है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को आबंटित और उनके द्वारा प्रयुक्त धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक निर्मुक्त निधियों और राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य में इन स्कीमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कुल खाद्यान्नों का क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता इस प्रकार थे:-

वर्ष	क्षेत्र (000 है.)	उत्पादन (000 मी.टन)	उत्पादकता (कि ग्रा./है.)
1997-98	20500.8	41589.2	2029
1998-99	20778.5	40417.2	1945
1999-2000	20707.7	45238.4	2185

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निर्मुक्त/राज्य द्वारा किए गए खर्च राशि का ब्यौरा।

		1998-1999		1999-2000		2000-2001 (अनन्तिम)	
		आवंटन/व्यय	निर्मुक्तियां	आवंटन/व्यय	निर्मुक्तियां	आवंटन/व्यय	निर्मुक्तियां
1		2	3	4	5	6	7
1.	चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	821.66	819.15	698.70	753.04	160.60	495.89
2.	गेंहू आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	867.14	618.68	628.81	694.52	193.84	418.74
3.	मोटे अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास	91.00	91.00	236.30	197.87	22.50	45.00
5.	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	5.00	3.10	3.00	9.81
6.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	64.00	41.58	95.27	38.90	74.20	0.00
7.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	704.00	600.00	458.00	345.00	75.00	205.10
8.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	630.00	575.00	281.39	467.00	330.00	297.53
9.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	30.00	61.87	45.00	64.52	35.43	125.73

1		2	3	4	5	6	7
10.	आयल पाम विकास क्रार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	शुष्क, उष्णकटीबंधीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास	20.00	100.49	122.44	199.66	33.66	106.10
12.	वनस्पति बीजों का उत्पादन व आपूर्ति	0.00	62.26	15.00	49.17	0.00	4.42
13.	कन्द एव मूल फसलों का विकास	1.58	3.28	3.00	5.33	0.00	0.20
14.	वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास	21.97	71.75	16.20	29.64	4.00	9.70
15.	औषधीय तथा सजावटी पौधों का विकास	1.00	3.00	7.00	7.00	0.27	0.00
16.	कोको सहित काजू का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम	14.00	52.25	55.70	60.92	16.02	36.71
18.	खम्भी विकास	0.00	11.50	53.00	54.22	2.00	58.74
19.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	115.59	132.75	234.57	266.62	106.53	259.62
20.	मधुमक्खी पालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	आधारी व प्रमाणित बीजों के लिए स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
22.	उर्वरकों का सन्तुलित व समेकित उपयोग	49.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
23.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन	287.94	287.70	195.60	195.60	26.70	75.60
24.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	1750.00	2327.45	1512.00	2273.69	1400.00	0.00
25.	नदीघाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	2154.90	1780.13	1612.03	2014.56	319.00	0.00
26.	क्षारीय मृदा का सुधार व विकास	0.00	53.58	75.00	0.00	0.00	0.23
27.	राज्य भू-उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	17.11	13.11	14.00	18.00	4.83	4.83
28.	अल्पविकसित राज्यों तथा विशेष क्षेत्रों (गैर अतिदेय) में सहकारी ऋण संस्थाओं को सहायता	45.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	60.00	40.00	100.00	60.00	0.00	100.00
30.	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
31.	कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
32.	महिला सहकारी समितियों को सहायता	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

	1	2	3	4	5	6	7
33.	समय पर रिपोर्टिंग स्कीम	31.50	47.65	54.00	52.54	63.00	20.22
34.	आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए एजेंसी की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	फसल आंकड़ों का सुधार	62.60	69.99	62.00	79.98	85.60	27.11
36.	वृहत् प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.00	2249.36
37.	कृषि संगणना	68.00	18.27	26.95	20.41	65.38	22.27
	कुल	7929.09	7882.42	6628.36	8150.99	7060.56	4607.18

[हिन्दी]

भारवाही पशु शक्ति

1740. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारवाही पशु शक्ति का विषय आपके मंत्रालय को आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्षिक प्रतिवेदन और विज्ञापनों का अवलोकन करने पर भारवाही पशु शक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता;

(ग) क्या योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि भारवाही पशु शक्ति को पशुपालन विभाग को स्थानांतरित किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां।

(ख) जी हां। भारवाही पशु शक्ति को वार्षिक रिपोर्ट 2000-2001 और अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के विज्ञापनों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि पशु शक्ति, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों में से एक होगा जिसे निकाला जाएगा और इसलिए वचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक योजना 2000-2001 में सिर्फ 10 लाख रु. का प्रावधान रखा गया।

(ग) योजना आयोग ने यह सिफारिश नहीं की है कि भारवाही पशु शक्ति को पशुपालन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए। तथापि, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के भारवाही पशु शक्ति कार्यक्रम को अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय से पशुपालन विभाग ने हस्तांतरित करने के सम्बंध में पशुपालन विभाग के समक्ष मामला उठाया है लेकिन पशुपालन विभाग ने यह हस्तांतरण स्वीकार नहीं किया।

(घ) इस मंत्रालय ने भारवाही पशु शक्ति कार्यक्रम को पशुपालन विभाग को हस्तांतरित करने के लिए मामले को पुन: उठाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश को भूमि सौंपा जाना

1741. श्री सुरेश चन्देल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की कांगड़ाघाटी में पुराने पथ को बंद करते हुए गुलेर और नंदपुर रेलवे स्टेशन के बीच नवीन रेल पथ का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुराने रेल पथ की भूमि अब रेलवे के पास अधिशेष पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने उक्त अधिशेष, भूमि पर सड़क का निर्माण करने हेतु अनुमति मांगी है जिसे कार्यकारी निदेशक, भू-प्रबंधक बोर्ड, दिल्ली द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो किस तिथि को मंजूरी दी गई थी और उक्त अधिशेष भूमि को हिमाचल प्रदेश की सरकार को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) रेलवे और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात् 56578.68 वर्गमीटर रेलवे भूमि रेलों की आवश्यकता से सरप्लस पाई गई थीं।

(ग) और (घ) जी हां, भूमि के अंतरण के समय भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के भुगतान पर भूमि के अंतरण के अनुमोदन की सूचना हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को 23.1.2001 को दी गई थीं, तदनुसार, राज्य सरकार से भूमि की लागत जमा करने को कहा गया था। भूमि की लागत का भुगतान प्राप्त हो जाने के पश्चात भूमि राज्य सरकार को दे दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1742. **श्री समर चौधरी:**
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की मौसम-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के कृषक उस योजना में न तो रबी और न ही खरीफ मौसम में ही शामिल थे और यह योजना सभी राज्यों में नहीं पहुंच सकी थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) लाभान्वित किसानों का राज्यवार और मौसमवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी किसानों ने इस योजना में भाग नहीं लिया है, क्योंकि योजना के स्वैच्छिक स्वरूप के कारण, अब तक केवल 18 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के पक्ष में अपना विकल्प दिया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन लाभान्वित किसानों का राज्यवार और मौसमवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लाभान्वित किसान	
		रबी 1999-2000	खरीफ 2000
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	कार्यान्वित नहीं	1,17,227
2.	असम	34	52
3.	बिहार	कार्यान्वित नहीं	15,093
4.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश का भाग	4,16,585
5.	गोवा	33	58
6.	गुजरात	7,915	9,74,167
7.	हिमाचल प्रदेश	2	शून्य

1	2	3	4
8.	केरल	2,726	9,370
9.	कर्नाटक	कार्यान्वित नहीं	21,734
10.	मध्य प्रदेश	4,891	4,26,298
11.	महाराष्ट्र	12,391	8,69,176
12.	मेघालय	कार्यान्वित नहीं	43
13.	उड़ीसा	15	दावों पर कार्रवाई की जा रही है
14.	तमिलनाडु	कार्यान्वित नहीं	दावों पर कार्रवाई की जा रही है
15.	उत्तर प्रदेश	कार्यान्वित नहीं	93,480
16.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	कोई मौसम नहीं	23
17.	पाण्डिचेरी	172	शून्य
	कुल	28,179	29,43,306

दिल्ली में विद्युत की कमी

1743. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु केन्द्र से 300 मेगावाट विद्युत की मांग की गई है;

(ख) क्या केन्द्र विद्युत संकट से निपटने से लिए पूर्वी ग्रिड से 150 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत जारी करने 'पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो राजधानी में बार-बार होने वाली विद्युत कटौती से बचने के लिए केन्द्र शेष विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कैसे कर रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन के लिए विद्युत मंत्री से भेंट की।

(ख) और (ग) गर्मियों के माह के दौरान बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिए अनावंटित कोटे से आवंटन को 11% से बढ़ाकर 25% करने के अलावा, जो 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी है, दिल्ली के लिए निम्नलिखित विशेष आवंटन किए गए हैं:-

(i) पूर्वी क्षेत्र से 100 मे.वा. की अधिशेष विद्युत जो 12 जून, 2001 से प्रभावी है।

(ii) व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनावंटित कोटे से 100 मे.वा.।

(iii) व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान राजस्थान आणविक विद्युत संयंत्र (यूनिट संख्या-4) से 110 मे.वा.।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत बोर्ड ने अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति हेतु अन्य यूटिलिटियों के साथ निम्नलिखित करार भी किए हैं-

(i) एमपीएसइबी से 30.9.2001 तक 140 से 180 मे.वा. विद्युत।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड से गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान 100 मे.वा. तथा व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान 200 मे.वा.।

(iii) पीटीसी के जरिए 1.7.2001 से प्रभावी एक वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश में मलाना जल-विद्युत परियोजना से 70 मे.वा. विद्युत।

केरल के रेलवे स्टेशनों पर बिना लाइसेंस वाले कुली

1744. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के वे रेलवे स्टेशन कौन-कौन से हैं जहां ठेकेदारों द्वारा पार्सलों को लादे और उतारे जाने के लिए लाइसेंसधारी कुलियों की बजाय बिना लाइसेंस वाले कुलियों को लगाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने पार्सलों को लादने और उतारने की ठेका प्रणाली को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस निर्णय को सभी स्टेशनों पर लागू कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो उक्त निर्णय को केरल के सभी रेलवे स्टेशनों में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) केरल में ऐसा कोई स्टेशन नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत करघा सर्विस सेन्टर

1745. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न सरकारी संगठनों के अन्तर्गत देश में कार्यरत विद्युत करघा सर्विस सेन्टर की राज्यवार और स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक विद्युत करघा सर्विस सेन्टरों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इन विद्युत करघों का स्तरोन्नयन किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि वे किसी आधुनिक उद्योग की प्रशिक्षण संबंधी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) देशभर में निम्नलिखित 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र हैं:-

राज्य	अवस्थिति	कुल	प्रशासनिक अभिकरण
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	नगरी	2	सितरा
	हैदराबाद		राज्य सरकार
असम	गुवाहाटी	1	इजीरा
बिहार	गया	1	वस्त्र आयुक्त
गुजरात	सूरत	5	वस्त्र आयुक्त
	अहमदाबाद, ढोलका		अटीरा
	सचिन, पन्डेसारा		मंतरा
हरियाणा	पानीपत	1	निटरा
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1	वस्त्र आयुक्त

1	2	3	4
कर्नाटक	बेलगांव डोडवालापुर, बैंगलोर, गड़ग-बिटागिरी	4	वस्त्र आयुक्त सितरा
केरल	थ्रिसुर	1	वस्त्र आयुक्त
मध्य प्रदेश	बुरहानपुर जबलपुर	2	वस्त्र आयुक्त राज्य सरकार
महाराष्ट्र	मालेगांव इचलकरंजी, माधवनगर/वीटा, शोलापुर भिवंडी-1, भिवंडी-2	6	वस्त्र आयुक्त बटरा सस्मीरा
उड़ीसा	कटक	1	वस्त्र आयुक्त
पंजाब	अमृतसर लुधियाना	2	वस्त्र आयुक्त निटरा
राजस्थान	किशनगढ़ भीलवाड़ा, जयपुर	3	वस्त्र आयुक्त निटरा
तमिलनाडु	इरोड शंकरनकोयल, पलडुम, त्रिचेनगोड, कोमारपलायम, सेलन, सोमानुर, करूर	8	वस्त्र आयुक्त सितरा
उत्तर प्रदेश	मोनाथ भंजन टांडा, मेरठ, कानपुर, जलालपुर	5	वस्त्र आयुक्त निटरा
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1	वस्त्र आयुक्त
	कुल	44	

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत सेवा केन्द्रों द्वारा उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार हैं जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया:-

राज्य	प्रशिक्षित किए गये व्यक्ति		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	शून्य	51	23
असम	52	8	*

1	2	3	4
बिहार	36	24	31
गुजरात	252	287	128
हरियाणा	27	55	80
जम्मू और कश्मीर	20	105	27
कर्नाटक	263	151	189
केरल	74	66	*
मध्य प्रदेश	63	174	106
महाराष्ट्र	802	252	333
उड़ीसा	12	22	23
पंजाब	20	111	141
राजस्थान	172	333	139
तमिलनाडु	306	197	282
उत्तर प्रदेश	230	211	122
पश्चिम बंगाल	11	41	23

*तत्संबंधी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई।

(ग) आधुनिकीकृत उद्योग की प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को सक्षम बनाने हेतु, केन्द्र सरकार द्वारा करघों के आधुनिकीकरण तथा विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए कई कदम उठाए गये हैं।

वातानुकूलित 2 टियर डिब्बों को लगाया जाना

1746. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है जिनमें अब तक वातानुकूलित 3 टियर के डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ख) वे रेलगाड़ियां कौन-कौन सी हैं जिनमें चालू वर्ष के दौरान वातानुकूलित 3 टियर के डिब्बे लगाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मूल अनुबंध को समाप्त कर देना

1747. **श्री रामजी मांझी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1982-83 के प्रतिवेदन के पैरा 15 (i) (vii) में यह उल्लेख किया था कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण, मूल अनुबंध को समाप्त करना पड़ा और तदुपरान्त उच्च दरों पर एक नवीन अनुबंध हुआ और रेलवे बोर्ड ने सभी विलंबों का पूर्वानुमान लगाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अनुदेश जारी किए तथापि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके 1999 के प्रतिवेदन 9 (रेलवे) के अध्याय 3: कार्य और अनुबंध प्रबंधन में बताया गया है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक अनुबंध किया जिसके परिणामस्वरूप 1.03 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ;

(ख) उक्त अध्याय में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की मुद्देवार क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्थिति नीचे दर्शायी गई है:-

पैरा सं.	ब्यौरे	स्थिति और की गई कार्रवाई
3.3.8	अकुशल संविदा प्रबंधन के कारण हुआ घाटा	इसमें किसी खास व्यक्ति की विफलता नहीं है। बहरहाल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने अपने दिनांक 16.10.98 के परिपक्ष के तहत ठेकेदारों को रेलवे सामग्री जारी किए जाने के बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सभी फील्ड इकाइयों को सूचित किया है। ठेकेदारों से बकाया धनराशि की वसूली जहां कहीं वसूल की जानी है, के लिए क्षेत्रीय रेल के मुख्यालय स्तर पर उचित तरीके से निगरानी की जा रही है। पैरा 3.3.8 के अलावा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 1999 की रिपोर्ट सं. 9 (रेलें) के अध्याय 3 में 32 पैरा शामिल किए गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट की लेखा-परीक्षा द्वारा विधिवत् रूप से विधीक्षा करने के पश्चात् लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा मैसर्स मैककिन्से की नियुक्ति

1748. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने और निगम के कार्यकरण मे संरचनात्मक बदलावों के लिए मैसर्स मैककिन्से को नियुक्त किया था ताकि इसके कार्यकरण के सुधार हो और प्रशासनिक खर्च में कटौती हो;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स मैककिन्से ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सिफारिश की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने इस सिफारिशों की छानबीन की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने मार्च, 1997 में अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन परामर्शकों नामत: मैसर्स मैक किन्से एंड कंपनी इन्कार्पोरेटेड के साथ परामर्श से कारपोरेशन के पुनर्गठन के लिए एक परियोजना आरम्भ की थी। परामर्शकों ने ओ एन जी सी की संगठन पुनर्गठन परियोजना (ओ टी पी) पर अपनी सिफारिशें इसके प्रबंधन को सौंप दी थी। परामर्शकों की सिफारिशें ओ एन जी सी को वर्ष 1997 से 1999 के दौरान की समयावधि में चरणों में प्राप्त हुई थीं। परामर्शकों की सिफारिशों में तेल और गैस की खोज करने और उत्पादन करने के ओ.एन.जी.सी. के प्रमुख क्रियाकलापों, कौशलों के बेहतर प्रबंधन और तेल क्षेत्र सेवाओं से विशेषज्ञता, अधिकाधिक वाणिज्यिक और निष्पति उत्तरदायित्व और विकेन्द्रीकरण द्वारा तीव्रतर निर्णय किए जाने पर अधिकाधिक संकेन्द्रण करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। अन्य बातों के साथ साथ परामर्शकों की प्रचालनात्मक सिफारिशों में अवसंरचनात्मक परिवर्तनों अन्वेषण, रिजर्वायर प्रबंधन, वेधन, माल प्रबंधन, संभार तंत्र, मानव संसाधनों, बजटीकरण और

लागतीकरण, निष्पादन प्रबंधन पद्धति अनुसंधान और विकास संस्थानों और सूचना सेवाओं पर संकेन्द्रित ध्यान दिए जान की आवश्यकता को भी शामिल किया गया। ''नवरत्न'' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में ओ.एन.जी.सी. को अपने प्रचालनों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है। जबकि परामर्शकों की कुछ सिफारिशें पहले ही क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है, शेष सिफारिशों पर भी ओ.एन.जी.सी. के प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। ओ.एन.जी.सी. के बोर्ड ने 27.7.2001 को आयोजित अपनी बैठक में पूरे संगठन में कतिपय संशोधनों/त्रुटिशुद्धियों के साथ ओ.टी.पी. के क्रियान्वयन पर विचार किया है। इसी के अनुरूप ओ.एन.जी.सी. ने इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर रही है। फिलहाल ओ एन जी सी के संगठनात्मक ढांचे में किसी परिवर्तन के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ओ.एन.जी.सी. जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन की सरकार द्वारा की जाने वाली पुनरीक्षण प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

कृषि विस्तार योजनाओं के लिए यू.एन.डी.पी. सहायता

1749. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विस्तार योजनाओं को कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से सूचना और प्रशिक्षण देने के लिए लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय कितनी योजनाओं को लागू किया जा रहा है;

(ग) सरकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) और राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी योजना (एन.ए.टी.पी.) के अंतर्गत कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) इस समय कितने राज्यों में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को वर्षवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से निम्नलिखित छः उप-कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संकर चावल का विकास और बड़े स्तर पर अपनाया जाना।
- भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए मक्का आधारित फसल प्रणाली।
- उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा हेतु महिला किसानों को अधिकार सम्पन्न बनाना।
- महिला संगम, आन्ध्र प्रदेश द्वारा सतत शुष्क भूमि कृषि।
- उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए सतत आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों को अतिरिक्त सहायता संबंधी अनुपूरक उप-कार्यक्रम।
- खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु प्रबंधन सहायता।

(ग) भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत अब तक प्राप्त विदेशी सहायता क्रमशः 14.64 तथा 192.54 करोड़ रुपये है।

(घ) जिन राज्यों में फिलहाल कृषि विस्तार स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं वे निम्नवत हैं:-

(i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सभी चावल उत्पादक राज्य।

(ii) रा.कृ.प्रौ.प. - कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रचालित प्रौद्योगिकी प्रसार घटक को सात राज्यों नामतः - आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व पंजाब में नया रूप दिया जा रहा है।

22 राज्य अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रचालित प्रौद्योगिकी प्रसार नवीकरण घटक के तहत हैं।

(ङ) जैसा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान सं.रा.वि.का. और रा.कृ.प्रौ.प. के अंतर्गत कृषि विस्तार स्कीमों संबंधी राज्यों को आवंटित कुल निधियां

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
सं.रा.वि.का.		–	6.42	8.22	14.64
रा.कृ.प्रौ.प.					
(क)	आई.टी.डी.घटक-कृषि एवं सह. विभाग	2.08	6.55	9.66	18.39
(ख)	आई.टी.डी. घटक-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	3.36	15.66	16.14	35.16
		5.44	28.63	34.02	68.09

भीमेश्वरी मंदिर का विकास

1750. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी गांव में पांडवों और कौरवों के बीच कुरूक्षेत्र युद्ध से संबंधित एक महान ऐतिहासिक भीमेश्वरी मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां. तो इस स्थल का विकास करने हेतु सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) हरियाणा में झज्जर जिला में स्थित भीमेश्वरी मन्दिर पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

''राइट्स'' में स्थानांतरण नीति

1751. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''राइट्स लिमिटेड'' के पास कोई विशेष स्थानांतरण नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ''राइट्स लिमिटेड'' के नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति संभावना शीर्ष स्तर पर प्रतिनियुक्ति/स्थायी आधार पर भारी संख्या में रेलवे/अन्य विभाग के अधिकारियों के शामिल किये जाने के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विपणन संबंधी समिति की रिपोर्ट

1752. **श्री ए. बह्मनैया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विपणन संबंधी विशेषज्ञ समिति ने कृषि उत्पादों के लिए 50 राष्ट्रीय एक्सचेंजों की सिफारिश की है;

(ख) क्या ऐसे राष्ट्रीय कृषि उत्पाद एक्सचेंजों के संगठन और स्वरूप के लिए कोई रूप रेखा तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषज्ञ समिति द्वारा ऐसे एक्सचेंजों के लिए कितनी लागत की सिफारिश की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) इस मंत्रालय द्वारा गठित कृषि विपणन सुदृढ़ीकरण और विकास पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि स्वदेशी मण्डी को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी के साथ समेकन को सुविधाजनक बनाने हेतु भावी व्यापार के लिए अधिक से अधिक जिंसों की, जिंसों की सूची में अन्तर्गत लाया जाए।

(ख) से (घ) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु सिफारिशों की जांच करने और उपाय सुझाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग में एक अन्तः मंत्रालयिक कृतकबल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करें तथा सिफारिशों के क्रियान्वयन पर कृतकबल को अपने फीडबैक प्रदान करें।

गुर्दा प्रत्यारोपण वाले रोगियों के लिए मुफ्त रेल पास

1753. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुर्दा प्रत्यारोपण रोगियों के लिए मुफ्त रेल पास जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों के समक्ष आ रही वित्तीय तंगियों को देखते हुए गुर्दा प्रत्यारोपण रोगियों के लिए मुफ्त रेल पास जारी करने की नई सुविधा मुहैया करना संभव नहीं है।

एर्णाकुलम में खाद्य प्रसंस्करण

1754. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने एर्णाकुलम में किसी खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टी.एच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को केरल सरकार से कलामास्सेरी जिला एर्नाकुलम, केरल में एक खाद्य पार्क की स्थापना के वास्ते विभाग की योजना स्कीमों के तहत, वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना को केरल सरकार के एक सांविधिक निकाय, केरल औद्योगिक बुनियादी सुविधा विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग से सहायता अनुदान के रूप में सहायता मांगी गई है। सहायता संबंधी अनुरोध पर आगे कार्रवाई करने के लिए केरल सरकार से भूमि के आबंटन से संबंधित ब्यौरे/स्पष्टीकरण, बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल्यांकन रिपोर्ट, वित्त के स्त्रोत आदि मांगें गए हैं।

थ्रेशर से कृषि संबंधी दुर्घटनाएं

1755. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 28 मार्च, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इन्डिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार पिछले कई दशकों से अनेक कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों के अभिकल्पनों और दावों के बावजूद इनकी घटिया डिजाइन के कारण थ्रेसरों से होने वाली कृषि संबंधी दुर्घटनाओं के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी है जो ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए गंभीर खतरा है;

(ख) यदि हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि आई.सी.ए.आर. में विशिष्ट कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय इसकी जांच करें और इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करें ताकि हमारे कृषि कामगारों की रक्षा हो सकें;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक थ्रेसर के लिए एक अनिवार्य बीमा सुविधा शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। पिछले वर्षों में बेहतर डिजाइन के थ्रेसर उपलब्ध होने

उपयुक्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाने 'फीडिंग शूट्स' के सुधरे डिजाइन और थ्रेसर के बी.आई.एस. मानक बनने और 1983 में भारत सरकार द्वारा डेंजरस मशीन (रेगुलेशन) एक्ट, पारित करने के बाद थ्रेसर के प्रयोग से फार्म पर होने वाले दुर्घटनाओं में कमी आई है। डेंजरस मशीन एक्ट केवल 4 राज्यों नामत: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में लागू किया गया है। थ्रेसर से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसे सभी राज्यों में लागू करने की आवश्यकता है। अनुसंधान और विकास संस्थाओं और राज्य कृषि-विश्वविद्यालयों ने सुरक्षित थ्रेसर तैयार किए लेकिन बाजार में कुछ थ्रेसर उत्पादक, बी.आई.एस. मानकों के मुताबिक थ्रेसर नहीं बना रहे है जिसके कारण अभी भी दुर्घटनाएं हो रही है। यदि सभी राज्य एक बार इस डेंजरस मशीन (रेगुलेशन) एक्ट को अपना लेते हैं तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

(ख) कृषि मशीनों से होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने के लिए तथा आगे भी इनके डिजाइनों में सुधार लाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 4 सहयोगी केन्द्रों के साथ मिलकर कृषि में मानव अभियांत्रिकी और सुरक्षा (हेसा) पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चला रही है। यह अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कृषि संबंधी दुर्घटनाओं के आंकड़े एकत्र करने, कृषि संबंधी दुर्घटनाओं से जुड़ी मशीनों का सर्वेक्षण करने का कार्य कर रही हैं तथा एर्गोनामिक्स और सुरक्षा के पहलूओं को ध्यान में रखते हुए इन मशीनों में सुधार कर रही है।

यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाजार में बेचे गए थ्रेसर यंत्र बी.आई.एस. मानकों के मुताबिक हों साथ ही 'डेजंरस मशीन्स एक्ट' 1983 को अपने अपने राज्यों में लागू कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।

(ग) और (घ) थ्रेसर के संबंध में अलग से कोई बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि भारत सरकार द्वारा 1983 में पारित मशीन (रेगुलेशन) एक्ट की धारा 24 में इसे ध्यान में रखा गया है।

इस अधिनियम की धारा 24 में प्रत्येक नियोक्ता के लिए प्रावधान है कि ऐसी बीमा पालिसी ले जिसमें वे शर्तें निहित हों जिनके अधीन खतरनाक मशीन (इस मामले में पावर थ्रेसर) के प्रचालक को किए जाने मुआवजे के भुगतान के प्रति किसी भी देयता के संबंध में उसे बीमा सुरक्षा प्राप्त हो। कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित रबी और खरीफ संबंधी सम्मेलनों में इस अधिनियम को लागू करने में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों, जो अपने-अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करने वाले अभिकरण है, से पत्राचार करके भी जानकारी ली जाती है।

सभी राज्य सरकारों द्वारा इस डेंजरस मशीन (रेगुलेशन) एक्ट को अपनाना बहुत जरूरी है।

एनटीपीसी का विस्तार

1756. श्री राजैया मल्याला: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामागुंडम ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संयंत्र में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत संयंत्र-2100 मे.वा. (चरण-1) 1100 मे.वा. एवं (चरण-2)-1000 मे.वा. के चरण-3 में 500 मे.वा. क्षमता के एक और यूनिट को जोड़कर बढ़ाया जाना है। मुख्य संयंत्र पैकेज हेतु बोली का मूल्यांकन के अधीन है और इसके लिए संविदा शीघ्र ही दिए जाने की आशा है। इस विस्तार परियोजना को 10वीं योजना अवधि के दौरान चालू किया जाना निश्चित है।

(ख) और (ग) रामागुण्डम एसटीपीसी (2100 मे.वा.) वर्ष 1999-2000 से आगे का कुल विद्युत उत्पादन निम्नानुसार रहा।

वर्ष	विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में
1999-2000	16642.2
2000-2001	16417.7

अप्रैल, 2000 से जुलाई, 2000 तक कुल विद्युत उत्पादन 5295.1 मि. यूनिट रहा। वर्ष 2001 की इसी अवधि में संयंत्र के विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई और कुल विद्युत उत्पादन 5358.6 मिलियन यूनिट हुआ।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

1757. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित नीति पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए संभावना के द्वार खोलेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह नीति पहली बार पर्यटन, नागर, विमानन, विदेश, गृह और संस्कृति मंत्रालयों की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े उद्योग में बदलने हेतु सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता पर बल देती है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) सार्वजनिक तथा निजी एजेंसियों के कार्यक्रमों और नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रभावी समन्वयन तंत्र की स्थापना करने के सुझावों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

कर्नाटक में टमाटर और गोभी उत्पादकों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजनाएं

1758. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक में टमाटर और गोभी के असहाय उत्पादकों की सहायता अनेक कार्यक्रमों को लागू कर और ''नैफेड'' द्वारा नारियल खोपरा की खरीद से सहायता करने की घोषणा के द्वारा की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने किसानों की समस्याओं के दूरगामी समाधान के लिए कर्नाटक में पांच कृषि खाद्य पार्कों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई मुख्य योजनाएं क्या हैं; और

(घ) राज्य के किसानों की यह किस सीमा तक सहायता करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) केन्द्र सरकार कार्य योजनाओं के जरिए वृहत कृषि प्रबंधन-राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता हेतु स्कीम के क्रियान्वयन के जरिए किसानों को सहायता दे रही है, जो टमाटर और बन्दगोभी उत्पादकों को सहायता देने सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अपनी आवश्यकताओं के प्राथमिकीकरण में लचीलापन प्रदान करती है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कर्नाटक और अन्य राज्यों में खोपरा की खरीद कर रहा है।

(ख) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, भारत सरकार ने कर्नाटक में दो प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इन पार्कों में अबाधित जल एवं विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त उपचार और गुणवत्ता नियंत्रण सहित फल सांद्रण/लुगदी निर्माण एकक, शीतागार और गोदाम सुविधाएं होंगी। इन पार्कों में किसानों के लाभ के लिए उनके आसपास पश्च श्रृंखला परिकल्पित है।

[हिन्दी]

मत्स्य प्रसंस्करण

1759. **श्री रामदास आठवले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में मछलियों के संरक्षण और प्रसंस्करण हेतु अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मत्स्य प्रसंस्करण मशीनों की खरीद और शीतागारों के निर्माण के लिए निजी उद्यमियों और अन्य एजेन्सियों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान सहायता के रूप मे स्वीकृत धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में किन-किन कंपनियों, निजी उद्यमियों और एजेन्सियों को मत्स्य प्रसंस्करण मशीनों को खरीद के लिए अनुदान सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टी.एच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) इस विभाग की बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी स्कीम के तहत मछली के परिरक्षण एवं प्रसंस्करण की अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना

के लिए सहायता देने का प्रावधान है। स्कीम के तहत सहायता देने की पद्धति इस प्रकार है:-

गैर-सरकारी संगठन/सहकारिताएं

पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 25 लाख रु. और दुर्गम क्षेत्रों में 50 लाख रु. है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा दुर्गम क्षेत्रों में 50 लाख रु. है।

निजी क्षेत्र

पूंजीगत लागत (संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों) का 25 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 50 लाख रु. और पूंजीगत लागत का 33.33 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा दुर्गम क्षेत्रों में 75 लाख रु. है (अनुदान)

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान और ऋण के रूप में वर्षवार जारी की गई राशि का ब्यौरा:

(लाख रु. में)	ऋण
1998-99	–
397.56	
1999-2000	
53.34	200.00
2000-2001	
77.26	300.00

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की किसी कंपनी/निजी उद्यमी/एजेन्सी को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कुक्कुट उद्योग

1760. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुक्कुट पालन उद्योग कुक्कुट चारे के मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने के परिणामस्वरूप पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) अन्य देशों में कितनी प्रमात्रा में कुक्कुट पालन चारे का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) देश में खपत हेतु कितनी प्रमात्रा में कुक्कुट पालन चारे की आवश्यकता है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस निर्यात से उत्पन्न विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि औद्योगिक कुक्कुट पालन में कुक्कुट को प्राय: चारा नहीं खिलाया जाता है।

(ग) 1997-98 से फरवरी, 2001 तक के दौरान कुक्कुट चारे का निर्यात नहीं किया गया है।

(घ) औद्योगिक कुक्कुट पालन में कुक्कुट को प्राय: चारा नहीं खिलाया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीआईएल द्वारा एनटीपीसी से सीधे विद्युत की खरीद

1761. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय ताप विद्युत की खरीद हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु विद्युत विधेयक में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) युक्तिसंगत टैरिफ पर विद्युत आपूर्ति का विश्वनीय स्त्रोत सुनिश्चित करने के लिए।

(ग) मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय भवन

1762. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय भाषा पुस्ताकालय (तुलसी सदन) के लिए एक स्थायी पुस्तकालय के भवन हेतु बहावलपुर हाउस एनेक्सी में एक उचित भवन में प्रादेशिक भाषाओं को समयोजित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) तुलसी सदन पुस्तकालय के लिए स्थायी भवन के निर्माण हेतु इस प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर पीसीओ बूथों का आवंटन

1763. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर पीसीओ बूथों का आवंटन नहीं करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रेल यात्रियों को टेलीफोन सुविधा किस प्रकार प्रदान किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों पर एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ/ फैक्स इंटरनेट बूथों के आवंटन के संबंध में अप्रैल, 2000 में जारी की गई नीति में समाविष्ट विभिन्न मुद्दों की पुन: जांच करने का निर्णय लिया गया है। इस समीक्षा और जांच के पूरा होने तक इस नीति के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है।

(ग) संशोधित नीति के अधिसूचित होने पर उसके उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

रक्षित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

1764. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय उद्योगों को अपनी विद्युत मांग को पूरा करने के लिए रक्षित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं शुरू करने हेतु अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित विद्युत की कुल प्रमात्रा कितनी है और तत्संबंधी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत वास्तविक मांग की तुलना में अत्यधिक विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो विद्युत की कितनी अनुमानित अतिरिक्त प्रमात्रा का उत्पादन किये जाने की संभावना है और सरकार द्वारा तत्संबंधी प्रयोग हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करें और एक ऐसा संस्थागत तंत्र गठित करें जो कैप्टिव विद्युत यूनिटों को कैप्टिव विद्युत एप्लीकेशन शीघ्र निपटाकर विद्युत क्षेत्र में सुगमता से प्रवेश सुनिश्चित करें ताकि ग्रिड द्वारा अतिरिक्त विद्युत की खरीद हेतु विकासकर्ताओं के लिए युक्तिसंगत टैरिफ उपलब्ध हो और अन्य औद्योगिक यूनिटों को विद्युत की प्रत्यक्ष बिक्री के लिए तीसरी पार्टी उपलब्ध हो।

(ग) से (ङ) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को कुल संस्थापित क्षमता एवं तैयार किए जा रहे विद्युत की मात्रा संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 44 के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्य विद्युत बोर्ड सहमति देते हैं। हालांकि 31 मार्च, 1999 तक केंद्रीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 20 चयनित उद्योगों ने (जिसकी संस्थापित क्षमता 1 मे.वा. या इससे ज्यादा है) देश में 13,932 मे.वा. कैप्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की

है और इन्होंने 48354 जी.डब्ल्यू.एच.आर. विद्युत का उत्पादन किया। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

11 जुलाई, 2001 को विद्युत मंत्रालय ने के.वि.प्रा. की सहायता से तैयार कैप्टिव विद्युत नीति को सभी राज्य सरकारों एवं संघीय क्षेत्रों के मध्य परिचालित किया। इस नीति में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:-

* यदि कैप्टिव संयंत्र हाइड्रो या सह-उत्पादन वाला है, तो ऐसे किसी भी आकार के संयंत्र को पूर्ण अनुमति दी जाए।

* यदि कैप्टिव विद्युत संयंत्र कोयला या तरल इंधन या गैस पर आधारित है तो ऐसे संयंत्र को अनुमति दी जाए (यदि राज्य में विद्युत का अभाव है)।

* कैप्टिव विद्युत संयंत्र को अनुमति दी जाए यदि राज्य/रा.वि.बो. या उत्तरवर्ती इकाई अपेक्षित विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र पर विचार किया जा सकता है, चाहे राज्य में विद्युत का आधिक्य है।

* यदि उद्योग को गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति की जरूरत है तो कैप्टिव विद्युत संयंत्र की संस्थापन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

* यदि कैप्टिव विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन लागत कम है, तो लागत एवं टैरिफ की जांच के बाद संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

* विशेष आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक इकाइयों की यूनिटों को कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* सीपीपी को बैंकिंग सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। बैंकिंग हेतु दर का निर्धारण परस्पर स्वीकृत शर्तों पर किया जा सकता है।

* विद्युत प्रेषण के लिए रा.वि.बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है। प्रेषण किसी भी सेवा (एचटी या एलटी) के लिए होगा। प्रेषण का नियतन उस क्षेत्र के केंद्रीय/राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा किया जा सकता है।

* थर्मल सीपीपी से विद्युत बिक्री हेतु टैरिफ का निर्धारण परस्पर विचार-विमर्श के बाद किया जा सकता है और रा.वि.बोर्ड में कार्यरत ताप विद्युत केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार के आधार पर तैयार किया जा सकता है और परिवर्तनीय प्रभार का कुछ प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है। टैरिफ प्रणाली की अधिकतम परिवर्तनीय लागत या सीपीपी की वास्तविक परिवर्तनीय लागत के आधार पर इनमें से जो भी कम हो, भी तैयार की जा सकती है और परिवर्तनीय लागत का कुछ प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है।

* राज्य विद्युत बोर्ड के अनुमोदन से तीसरी पार्टी सेल भी अनुमेय है।

विवरण

क्रम संख्या	उद्योग के नाम	अधिष्ठापित क्षमता मे.वा.	ऊर्जा उत्पादन (जीडब्ल्यूएच)
1.	एल्यूमीनियम	1742	11182
2.	आटोमोबाईल्स	331	371
3.	सीमेंट	1466	3528
4.	रासायन खनिज तेल और पेट्रोलियम	1993	7091
5.	ऊर्वरक	1155	4322
6.	खाद्य	115	60
7.	भारी एवं हल्की अभियांत्रिकी	453	263
8.	लोहा और स्टील	1686	7416
9.	खनन एवं उत्तखनन	38	21
10.	लौह रहित धातु	424	1187
11.	पेपर	599	2205
12.	चीनी	786	1771
13.	वस्त्र	1884	5161
14.	उप-योग (1 से 13)	12572	44578
15.	अन्य उद्योग	1360	3776
	कुल (14 से 15)	13932	48354

[अनुवाद]

उड़ीसा में हाल में आई बाढ़ के लिए राहत

1765. श्री बिक्रम केशरी देव:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों/परिवारों को सहायता और पुर्नवास कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने उड़ीसा को कितनी राशि उपलब्ध कराई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों में आवश्यक उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्यों के प्रयासों को पूरा करने में मदद करती है। तत्कालीन कृषि मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्ट-मण्डल ने हालात की समीक्षा एवं हवाई सर्वेक्षण हेतु 19 जुलाई, 2001 को उड़ीसा का दौरा किया था। बाद में प्रधान मंत्री जी ने भी बाढ़ की स्थिति के मौके पर आकलन हेतु 29 जुलाई, 2001 को उड़ीसा का दौरा किया था। थल सेना, वायु सेना एवं जल सेना ने बचाव कार्यों एवं स्थानांतरण में तथा वायुयान से राहत सामग्री गिराकर राज्य सरकार की सहायता की थी। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (रा.आ.आ.को.) से 100 करोड़ रुपये धनराशि की तत्काल तदर्थ वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राहत उपाय करने हेतु राज्य को पहले 220 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट भी दिया गया है। प्रधान मंत्री जी ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु तीन लाख मी. टन चावल देने एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक लाख मकानों का निर्माण कराने की घोषणा की है। रेल, सड़क परिवहन व राज्य मार्ग तथा विद्युत मंत्रालयों ने रेल, सड़क एवं विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए कार्रवाई की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक दल ने उड़ीसा का दौरा किया है और यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोई महामारी न हो पाए, राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है। खरीफ फसलों को फिर से लगाने हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

आईसीएफ का निजीकरण

1766. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सामने इंटिग्रल रेल कोच फैक्ट्री के निजीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाने में सेवारत कर्मचारियों के वैध अधिकारों की रक्षा हेतु कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जेपीएम अधिनियम, 1987 का लागत विश्लेषण

1767. श्री चन्द्र नाथ सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूट पैकेज सामग्री अधिनियम, 1987 के प्रावधान घरेलू उपभोक्ताओं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महंगे साबित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1987 में इसके लागू होने के बाद से अधिनियम का कोई लागत विश्लेषण तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को मई, 2000 में कोई आकलन प्राप्त हुआ है कि लागत एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रही है,

(ङ) क्या इसे वास्तविक अनुमान पद्धति पर सत्यापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) 1987 से जे.पी.एम. अधिनियम के प्रभाव का कोई लागत विश्लेषण सरकार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक अध्धयन आई.आई.टी., खड़गपुर द्वारा "पटसन तथा पोलीप्रोपीलीन का उनकी सापेक्ष लागत और लाभों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन" किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि पटसन बोरे अपने जीवन काल में प्रयोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी है।

(घ) ऐसा कोई आकलन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार को आल इंडिया फ्लैट टेप मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें ऐसे आंकड़ों का उल्लेख किया गया है।

(ङ) और (च) आंकड़ों की जांच नहीं की गयी है।

चालू रेलवे परियोजनाएं

1768. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान और जून 2001 तक बिछाई गई/आमान परिवर्तन की गई दोहरीकरण की गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू परियोजनाओं/सर्वेक्षण की गई परियोजनाओं का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा किए जाने का निर्धारित समय तथा प्रत्येक परियोजना में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(घ) उन रेल लाइनों का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में नई लाइनें बिछाने/आमान परिवर्तन और रेल मार्गों के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ङ) परियोजनावार निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(च) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्रों की स्थापना

1769. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में, राज्यवार कितने गुणवत्ता वाले रेशम केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) देश में आधुनिकीकृत इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ केन्द्रवार कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में रेशम उद्योग को वित्तीय रूप से और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सहित देश में स्थापित गुणवत्ता रेशम केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

रेशम रिलिंग, टिविस्टींग, बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों सहित कोशा पश्चात क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि कोटि के उत्पादों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि परंपरागत रेशम उत्पादन राज्यों में रेशम यार्न के प्रसंस्करण और रंगाई के लिए मल्टी एंड रिलिंग मशीनों की आपूर्ति और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करके आधुनिकीकरण किया जाता है। गैर-शहतूती क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण शुरू किया गया है ताकि उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सके और गैर-शहतूती रेशम यार्न की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त दो रेशम रिलिंग एककों जो हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक-एक है, को आधुनिक बनाया गया है। आधुनिकीकरण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में जम्मू और कश्मीर उद्योग को सहायता दी गई है।

(ग) नौंवी योजना के दौरान (जून, 2001 तक) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	मल्टी एंड रिलिंग	विकास केन्द्र	सीएफसी (रेशम रंगाई)
1	2	3	4	5
1.	असम	0.011	–	0.115
2.	आंध्र प्रदेश	0.582	0.187	0.410
3.	बिहार	–	–	0.130
4.	छत्तीसगढ़	–	–	0.090
5.	जम्मू और कश्मीर	0.389	0.515	–
6.	मध्य प्रदेश	0.058	–	–
7.	केरल	–	–	0.099

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	3.545	0.440	0.248
9.	उड़ीसा	–	–	0.160
10.	पंजाब	0.5	–	–
11.	तमिलनाडु	0.927	0.277	0.435
12.	त्रिपुरा	–	–	0.95
13.	उत्तर प्रदेश	0.096	0.506	0.210
	कुल	5.658	1.925	1.922

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार को मल्टी एंड रेशम रिलिंग एककों की स्थापना करने, रिलिंग मशीनों पर सब्सिडी देने, उधार मांगी गई कार्यशील पूंजी पर ब्याज सब्सिडी देने और द्विफसलीय रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने तथा उच्च कोटि की अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विकास केन्द्रों की स्थापना करने में सहायता दी जा रही है। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड देश में निम्नलिखित रेशम उत्पादन विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

1. **उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम**
   रेशम उद्योग को सहायता देने और राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से 36 उत्प्रेरक विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

2. **व्यावहारिक द्विफसलीय रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी (पीपीपीबीएसटी) को लोकप्रिय बनाने संबंधी योजना**
   केन्द्रीय रेशम बोर्ड जापानी इंटरनेशनल को-ओपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से यह परियोजना क्रियान्वित कर रहा है।

3. **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम**
   भारत सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने फाइबर और हस्तशिल्प कार्यक्रम-देश सहकारिता ढांचा-1 (सीसीएफ-1) के अंतर्गत गैर-शहतूती रेशम अर्थात तसर, मूगा और एरी का विकास करने का एक उपकार्यक्रम आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में शुरू किया है।

विवरण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित राज्यवार गुणवत्ता रेशम केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य का नाम	गुणवत्ता रेशम केन्द्र का नाम	एकक की संख्या
1	2	3
कर्नाटक	1. रेशम अनुकूल व परीक्षण सदन, बैंगलोर	1
	2. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, धारवाड	1
	3. पारि-परीक्षण प्रयोगशाला, बैंगलोर	1
	4. सामान्य सुविधा केन्द्र	2
	5. विकास केन्द्र	2
	6. मल्टी-एंड रिलिंग एकक	134
	कुल	141
आंध्र प्रदेश	1. रेशम अनुकूल व परीक्षण सदन, धरमावरम	1
	2. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, हिंदूपुर,	1
	3. सामान्य सुविधा केन्द्र	3
	4. विकास केन्द्र	1
	5. मल्टी-एंड रिलिंग एकक	37
	कुल	43

1	2	3
तमिलनाडु	1. रेशम अनुकूल व परीक्षण सदन, कांचीपुरम	1
	2. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, धरमापुरी	1
	3. सामान्य सुविधा केन्द्र	3
	4. विकास केन्द्र	1
	5. मल्टी-एंड रिलिंग एकक	23
	कुल	29
पश्चिम बंगाल	1. रेशम अनुकूल व परीक्षण सदन, मालदा	1
	2. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा के मालदा, बहरामपुर और बाकेश्वर	3
	कुल	4
केरल	1. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, पालाकाड,	1
	2. सामान्य सुविधा केन्द्र	1
	कुल	2
बिहार	1. रेशम अनुकूल व परीक्षण सदन, भागलपुर	1
	2. पारि-परीक्षण प्रयोगशाला, भागलपुर	1
	3. सामान्य सुविधा केन्द्र	1
	कुल	3
छत्तीसगढ़	1. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, चम्पा	1
	2. सामान्य सुविधा केन्द्र	1
	कुल	2
उत्तरांचल	1. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, देहरादून	1
	2. मल्टी एंड रिलिंग एकक	1
	कुल	2
उत्तर प्रदेश	1. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, वाराणसी	1
	2. पारि-परीक्षण प्रयोगशाला, वाराणसी	1
	3. सामान्य सुविधा केन्द्र	2
	4. विकास केन्द्र	2
	5. मल्टी एंड रिलिंग एकक	5
	कुल	11

1	2	3
उड़ीसा	1. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, नुआपटना और फकीरपुर	2
	2. सामान्य सुविधा केन्द्र	1
	कुल	3
महाराष्ट्र	1. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, भंडारा	1
	कुल	1
असम	1. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, स्वालकुची	1
	2. सामान्य सुविधा केन्द्र	1
	3. मल्टी एंड रिलिंग एकक	1
	कुल	3
जम्मू एवं कश्मीर	1. पारि-परीक्षण सुविधाओं सहित रेशम अनुकूल व परीक्षण सदन, जम्मू	1
	2. रेशम अनुकूल व परीक्षण सदन, श्रीनगर	1
	3. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र	1
	4. विकास केन्द्र	2
	5. मल्टी एंड रिलिंग एकक	14
	कुल	19
मध्य प्रदेश	1. मल्टी एंड रिलिंग एकक	1
	कुल	1
पंजाब	1. मल्टी एंड रिलिंग एकक	1
	कुल	1
त्रिपुरा	1. सामान्य सुविधा केन्द्र	1
	कुल	1

[अनुवाद]

कोट्टायम-इरूमेली-पुनालूर रेल लाइन का निर्माण

1770. **श्री कोडीकुनील सुरेश:**
श्री वी.एस. शिवकुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोट्टायम-इरूमेली-पुनालूर रेल लाइन के निर्माण के लिए आरम्भिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त लाइन का निर्माण कार्य कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) 1995 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 137.15 किमी. लम्बी इस लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 583 करोड़ रु. आंकी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोट्टायम से इरूमेली तक नई लाइन के निर्माण कार्य को पूरक बजट 1997-98 में इस प्रावधान के साथ शामिल किया गया था कि कार्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने, जिसके लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है, के बाद शुरू किया जाएगा। परियोजना की प्रत्याशित लागत 200 करोड़ रु. है। इस लाइन का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

संपीड़ित प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

1771. **श्री शिवाजी माने:**
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री सईदुज्जमा:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
डा. संजय पासवान:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्री मंजय लाल:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार ने हाल में केन्द्र सरकार से राजधानी में बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए पर्याप्त मात्रा में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) उपलब्ध करवाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्रदान करने वाले केन्द्र, वाहनों को गैस उपलब्ध करवाने के लिए पूर्णत: सुसज्जित नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार का राजधानी में बसों और वाणिज्यिक वाहनों प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति करने हेतु और अधिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस केन्द्रों की स्थापना करने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) से (घ) आज की स्थिति में दिल्ली में 72 सी एन जी फिलिंग स्टेशन कार्यरत है। इन 72 स्टेशनों में से 39 स्टेशनों में अभी भी बूस्टर कम्प्रेसर नहीं हैं जिनका आयात किया जा रहा है। दिल्ली में सी एन जी की आपूर्ति में और अधिक वृद्धि करने के निम्न उपाय किए गए है/किए जा रहे हैं:-

* उच्चतर क्षमता के कम्प्रेसरों के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

* कुल सी एन जी स्टेशन बढ़ाकर सितंबर 2001 तक 87 और मार्च 2002 तक 120 कर दिए जाएंगे।

* वर्तमान 39 डाटर स्टेशनों का दिसंबर 2001 तक प्रगामी रूप से डाटर बूस्टर स्टेशनों के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

* धौला कुआं को जी टी करनाल रोड से जोड़ते हुए 23 कि.मी. लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

* इसके अतिरिक्त सी एन जी वितरण सुविधा की सह स्थापना के लिए 50 खुदरा बिक्री केन्द्रों की पहचान कर ली गई है।

रेल आरक्षण प्रणाली

1772. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 2001 ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''आउटडेटेड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मे कोलेप्स एनी टाइम्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेल आरक्षण प्रणाली को अद्यतन करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आरक्षण प्रणाली को कब तक अद्यतन बनाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) 07-05-2001 को अत्याधिक बुकिंग के कारण एक महत्वपूर्ण फाइल को कम्प्रैस करना अनिवार्य हो गया था और इसके परिणामस्वरूप आरक्षण कार्यकलाप धीमा हो गया था। प्रणाली को बंद करके और लेखा मिलान एवं लगभग 700 टर्मिनलों की रिकवरी के पश्चात इसे पुनः आरंभ करके प्रणाली को बहाल किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) मौजूदा प्रणालियों के परिवर्तन/परिवर्धन की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम स्तर पर हैं।

(ङ) सभी रेलों पर आरक्षण प्रणाली को 31.12.01 तक अद्यतन किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

स्ट्राबेरी और फूलों का उत्पादन

1773. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पुष्प कृषि के अंतर्गत स्ट्राबेरी और फूलों के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किसानों के लिए इन दोनों मदों के लाभकारी मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों मदों के उत्पादन के संबंध में 2001-02 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में स्ट्राबेरी और पुष्प कृषि के प्रोत्साहन के लिए किन-किन योजनाओं और कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) स्ट्राबेरी एक छोटी फलवाली फसल होने के कारण इसके उत्पादन आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं। देश में पुष्प उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) स्ट्राबेरी और पुष्पों के जल्दी खराब होने वाली फसलें होने के कारण इन्हें मण्डी समर्थन मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। इसीलिए इन मदों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) मांग के अनुसार इन मदों का उत्पादन किया जाता है। स्ट्राबेरी और पुष्पों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों पर विचार करने/कृषि अनुपूरण में वृहत् प्रबंधन पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत फलों और पुष्पों का उत्पादन कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक बागवानी विकास स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से फलों और पुष्पों की खेती और कटाई पश्चात प्रबंधन के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

विवरण

खुले फूल मी. टन में और कटे हुए फूल की संख्या लाख में

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	खुले हुए	कटे हुए	खुले हुए	कटे हुए	खुले हुए	कटे हुए
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	32900.0		32000.0		126609.0	
असम	79.0				85.0	
बिहार	1710.0	3.0	1850.0		1850.0	

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	10274.0		21007.0		21007.0	
हरियाणा	33040.0	483.0	40500.0	760.0	40500.0	760.0
हिमाचल प्रदेश	589.0	185.0	976.0	181.0	976.0	181.0
जम्मू व कश्मीर	1.6	78.5	46.0	5.8	7.0	17.4
कर्नाटक	124290.0		124290.0		124440.0	
मध्य प्रदेश	13127.0		1170.0		832.0	
महाराष्ट्र	33250.0		38582.,0		28336.0	
मणिपुर	29.0		93.0		42.9	
उड़ीसा			868.5	9.3	868.5	9.3
पंजाब	3355.0		3435.0		3435.0	
राजस्थान	2585.0		2389.0		2389.0	
सिक्किम	1.0				90.0	
तमिलनाडु	92097.0		133125.0		142250.0	
त्रिपुरा			128.0		128.0	
उत्तरांचल	195.0		225.9		225.9	
उत्तर प्रदेश		160.0		160.0		160.0
प. बंगाल	17885.0	5312.0	17685.0	5312.0	14844.0	5678.0
दमन और दीव	51.0		51.0		51.0	
पांडिचेरी	427.0		427.0		427.0	
कुल	365885.6	6221.5	418848.4	6428.1	509393.3	6805.7

[अनुवाद]

फसल बीमा

1774. श्री साहिब सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फसल बीमा योजना को किस तिथि से लागू किया गया;

(ख) 30 जून, 1997 को तिथि के अनुसार यह योजना किन-किन राज्यों में लागू थी;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी मुख्य फसलें शामिल की गई हैं;

(घ) इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत गरीब और सीमान्त किसानों के लिए क्या-क्या लाभ प्रस्तावित हैं; और

(च) प्रत्येक राज्य के सभी गरीबों और सीमान्त किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ कब तक उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) व्यापक फसल बीमा योजना (सी.सी.आई.एस.) देश में खरीफ मौसम, 1985 से शुरू की गई थी। बाद में इस योजना को रबी मौसम 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) में परिवर्तित कर दिया गया था।

(ख) व्यापक फसल बीमा योजना 30 जून, 1997 से निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में चालू थी:-

1. आंध्र प्रदेश	2. असम
3. बिहार	4. गोवा
5. गुजरात	6. हिमाचल प्रदेश
7. कर्नाटक	8. केरल
9. मध्य प्रदेश	10. महाराष्ट्र
11. मेघालय	12. उड़ीसा
13. तमिलनाडु	14. त्रिपुरा
15. पश्चिम बंगाल	16. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
17. पांडिचेरी	

(ग) व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत चावल, गेहूं, ज्वार-बाजरा, दलहनों और तिलहनों को कवर किया गया है।

उपर्युक्त योजना के स्थान पर लागू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में अनाज, ज्वार-बाजरा, दलहन, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें कवर होती हैं। वर्तमान में वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के अंतर्गत कपास, गन्ना, आलू, प्याज, मिर्च, हल्दी और अदरक कवर होती हैं।

(घ) व्यापक फसल बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी किसानों से एक से दो प्रतिशत के बीमा के प्रीमियम की सामान्य दरें ली जाती थीं। लघु एवं सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत की प्रीमियम सब्सिडी और दी जाती थी।

रा.कृ.बी. योजना के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के मामले में 1.5% से 3.5% के बीच निर्धारित प्रीमियम लिया जाता है और सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत प्रीमियम सब्सिडी दी जाती है जिसे पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना होता है।

(च) वर्तमान में चालू, रा.कृ.बीमा योजना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू है। केवल 20 राज्य/संघ शासित क्षेत्र ही स्कीम को कार्यान्वित कर रहे हैं। तथापि, स्कीम सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए खुली है और सभी किसानों को भूमि का ध्यान किये बिना, कवर करने के लिए उपलब्ध है।

विवरण

व्यापक फसल बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

व्यापक फसल बीमा योजना

- खाद्यान्न एवं तिलहन उगाने हेतु वित्तीय संस्थाओं से फसल ऋण लेने वाले किसान अनिवार्य आधार पर कवर किये गये थे।
- कवरेज फसल ऋण के 100% तक सीमित तथा प्रति किसान 10,000/- रु. के अधीन था।
- देनदारियां केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 2:1 के अनुपात में बांटी गयी।
- 1% से 2% की समान दर पर बीमा किस्त प्रभार लिये गये।
- छोटे एवं सीमान्त किसानों को 50% प्रीमियम राजसहायता (प्रीमियम सब्सिडी) प्रदान की गई।
- स्कीम राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए ऐच्छिक थी।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

- योजना सभी किसानों - ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों, के लिए उनके जोतों के आकार पर विचार किये बिना, उपलब्ध है।
- ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक।
- बीमित - राशि बीमित क्षेत्र में उपज के अधिकतम मूल्य तक बढ़ायी जा सकती है।
- सभी खाद्यान्न फसलों (खाद्यान्न, मिलेट एवं दलहन), तिलहन एवं वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके लिए उचित संख्या में वर्षों के उपज आंकड़े उपलब्ध है का कवरेज।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में, 7 फसल नामतः कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज, एवं हल्दी वर्तमान में कवर हैं।

- बीमा किश्त दर बाजरा एवं तिलहन के लिए 3.5%, अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%, गेहूं के लिए 1.5% और अन्य रबी फसलों के लिए 2% है। अगर बीमा के हिसाब के आंकड़े के आधार पर निकाले गए दर निर्धारित बीमा, किस्त दर से कम हैं, तो कम दर मान्य होगी।

- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकिक दर वसूली जाती हैं।

- छोटे एवं सीमान्त किसानों को उनसे लिये जाने वाले बीमा किस्तों का 50% राजसहायता दी जाती है। सहायता 5 वर्ष की अवधि के बाद चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दी जायेगी।

- बीमा के निम्नतम इकाई यथा ग्राम पंचायत के स्तर पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन।

- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु एक अलग अभिकरण बनाने का प्रस्ताव है।

ग्रीष्म ऋतु के दौरान राजस्व में वृद्धि

1775. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्मी के महीनों के दौरान यात्रियों की भीड़ में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है और रेलवे के लिए राजस्व बढ़ाने का यह सर्वोत्तम अवसर होता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) विगत 5 वर्षों के दौरान फरवरी माह, जिन दिनों यात्रियों की संख्या कम होती है, की तुलना में मार्च, अप्रैल और मई के गर्मी के महीनों की व्यस्त अवधि के दौरान दर्ज की गई यात्रियों की संख्या में 14.33% की औसत वृद्धि और आमदनी में 22.55% की वृद्धि हुयी है।

यातायात में इस वृद्धि को संभालने और उससे राजस्व अर्जन करने के लिए उद्देश्य से रेलें विशेष गाड़ियां चलाती हैं और यथा संभव मौजूदा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाती हैं। इष्टतम लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस अवधि के दौरान विशेष गाड़ियों के चालन का विभिन्न मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार [illegible] है।

मौसम में बदलाव के कारण अनाज की क्षति

1776. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 जुलाई, के 'दि पायनियर' के पृष्ठ 9 पर प्रकाशित 21वीं सदी में कृषि संबंधी विश्वव्यापी कृषि पारिस्थितिकीय मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के गर्म होने के जलवायु परिवर्तन के कारण भारत प्रत्येक वर्ष अनाज की लाखों टन संभावित फसल का सर्वाधिक नुकसान सहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। विश्वव्यापी स्तर पर पृथ्वी के गर्म होने के परिमाण तथा वर्ष 2080 तक कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव में काफी अनिश्चितता है।

(ख) अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि सन् 2070 तक खरीफ के दौरान माध्य तापमान में 0.4^0 से. -2^0 डिग्री तक जबकि रबी के दौरान 1.1 से 4.5 डिग्री से. तक की वृद्धि होगी। हमारे अपने अध्ययनों के अनुमानों के अनुसार उत्तर-पश्चिमी, मध्य तथा दक्षिणी भारत में तापमान, वृद्धि, वर्षा तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड के सान्द्रण में होने वाले परिवर्तन में भिन्नता होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) द्वारा किए गए अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि इस शताब्दी के मध्य तक अनुमानित जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के कारण मध्य तथा दक्षिणी भारत में चावल की उपज में वृद्धि हो सकती है जबकि उत्तर-पश्चिमी भारत में इसमें सीमान्त रूप से कमी आएगी। उत्तर-पश्चिमी भारत में गेहूं तथा मध्य भारत में सोयाबीन की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि के भी संकेत मिले हैं। तथापि नाशीजीवों की समस्याओं, खरपतवारों, मृदा के रोगों तथा विषाक्तताओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अभी अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। दीर्घावधि में इस प्रकार के विश्वव्यापी परिवर्तन असतत तथा अनिश्चित घटनाएं है जबकि नीति नियोजन

प्रक्रिया निरन्तर चलती रहनी चाहिए। बदलती मांगों, बाजारों तथा कृषि प्रौद्योगिकियों के कारण भारतीय कृषि में लगातार बदलाव आ रहा है। वर्ष 2050 तक तथा इसके बाद की कृषि के अनुकूलन से संबंधित प्रतिक्रियाएं अगले दो या तीन दशकों में स्पष्ट हो पाएंगी।

(घ) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 2012 तक इसे 1990 के स्तर तक लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्वव्यापी स्तर पर बातचीत चल रही है। तथापि इन प्रयासों की सफलता विकसित देशों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है, क्योंकि विकसित देश विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान देते हैं।

गुजरात में गैस आधारित विद्युत संयंत्र

1777. **श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गैस आधारित विद्युत संयंत्र इष्टतम क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इष्टतम विद्युत उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रयास किए है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में और अधिक गैस आधारित संयंत्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गुजरात में दो गैस आधारित विद्युत संयंत्र है यथा कवास में एक 645 मेगावाट क्षमता का तथा दूसरा झनोर-गांधार में 648 मेगावाट क्षमता का। इन दोनों संयंत्रों के लिए प्रत्येक को पूरी क्षमता पर प्रचालन के लिए 3 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमसीएमडी) गैस की आवश्यकता है। हालांकि कवास गैस संयंत्र को 2.25 एमसीएमडी का गैस लिंकेज प्रदान किया गया है, वहीं झनोर गैस संयंत्र को केवल 1.50 एमसीएमडी गैस का लिंकेज दिया गया है।

तथापि, इन संयंत्रों में गैस की वास्तविक आपूर्ति तथा उत्पादन (पीएलएफ) का ब्यौरा निम्नवत है:-

	कवास गैस संयंत्र		झनोर-गांधार गैस संयंत्र	
	गैस आपूर्ति (एमसीएमडी)	पीएलएफ (%)	गैस आपूर्ति (एमसीएमडी)	पीएलएफ (%)
2000-01	1.47	81.7	1.53	48.5
2001-02 (07/2001 तक)	0.78	74.29	1.84	60.85

(ग) और (घ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इन गैस संयंत्रों की गैस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सम्पर्क किया गया है। एमपी एंड एनजी ने कहा है कि अतिरिक्त गैस की आपूर्ति जब और जैसे भी यह उपलब्ध होगी, की जाएगी।

ईष्टतम क्षमता समुपयोजन हेतु गैस आपूर्ति की अनुपूर्ति करने के लिए कवास गैस संयंत्र से गैस को गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा झनोर गैस संयंत्र को अपवर्तित किया जा रहा है। कवास गैस, संयंत्र की कम आपूर्ति की अनुपूर्ति नेफ्था द्वारा की जा रही है।

(ङ) और (च) सरकार ने मेगा परियोजनाओं के रूप में एनटीपीसी की कवास और झनोर-गांधार गैस संयंत्रों को 650 मेगावाट की अभिवृद्धि से विस्तार किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। इन परियोजनाओं को प्रारंभ में आकस्मिक ईंधन के रूप में नेफ्था के साथ और दीर्घकालीन ईधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, नेफ्था और एलएनजी की कीमतों में असाधारण वृद्धि के मद्देनज़र एनटीपीसी ने यह निर्णय लिया है इन परियोजनाओं को युक्तिसंगत गैसीकृत एलएनजी की उपलब्धता के अनुरूप चालू किया जाएगा। पुन: गैसीकृत एलएनजी की प्रत्याशित लागत के आधार पर विद्युत उत्पादन की लागत 4 रुपये/कि.वा.घं. अनुमानित की गयी है। एनटीपीसी ने इस सूचक कीमत पर इन विस्तार परियोजनाओं का निर्माण आरंभ कर सके। इतनी उच्च लागत पर विद्युत की खरीद करने में बड़े लाभभोगी राज्यों नामश: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ गोवा, दमन एवं दीव और दूसरा दादरा एवं नागर हवेली ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की है। लाभभोगी राज्यों द्वारा एलएनजी कीमतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की लागत पर स्वीकृति प्रदान करने और युक्तिसंगत कीमतों पर एलएनजी की

उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही एनटीपीसी निवेश अनुमोदन हेतु इन विस्तार परियोजनाओं पर आगे कार्यवाही आरंभ करेगी।

विद्युत उत्पादकों को सीधी बिक्री सुविधा

1778. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री विजय गोयल:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी फर्मों को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत को अच्छे मूल्य पर खरीदने का आग्रह किया है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की सलाह पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूरे देश में बढ़ती विद्युत की कमी के मद्देनजर इस पर चुनौती से निपटने के लिए कोई नई नीति तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार के अपने दिनांक 9 अक्टूबर, 1995 के पत्र के जरिए राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करें और एक ऐसा संस्थागत तंत्र गठित करें जो कैप्टिव विद्युत युनिटों को कैप्टिव विद्युत एप्लीकेशन शीघ्र निपटा कर विद्युत क्षेत्र में सुगमता से प्रवेश सुनिश्चित करे ताकि ग्रिड द्वारा अतिरिक्त विद्युत की खरीद हेतु विकासकर्ताओं के लिए युक्तिसंगत टैरिफ उपलब्ध हो और अन्य औद्योगिक युनिटों को विद्युत की प्रत्यक्ष बिक्री के लिए तीसरी पार्टी उपलब्ध हो। इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैप्टिव विद्युत उत्पादन हेतु अनेक राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों ने नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(घ) और (ङ) 11 जुलाई, 2001 को विद्युत मंत्रालय ने के.वि.प्रा. की सहायता से तैयार कैप्टिव विद्युत नीति को सभी राज्य सरकारों एवं संघीय क्षेत्रों के मध्य परिचालित किया। इस नीति में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:-

* यदि कैप्टिव संयंत्र हाइड्रो या सह-उत्पादन वाला है, तो ऐसे किसी भी आकार के संयंत्र को पूर्ण अनुमति दी जाए।

* कैप्टिव विद्युत संयंत्र कोयला या तरल इंधन या गैस पर आधारित है तो ऐसे संयंत्र को अनुमति दी जाए (यदि राज्य में विद्युत का अभाव है)।

* कैप्टिव विद्युत संयंत्र को अनुमति दी जाए यदि राज्य/रा.वि.बो. या उत्तरवर्ती इकाई अपेक्षित विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र पर विचार किया जा सकता है, चाहे राज्य में विद्युत का आधिक्या है।

* यदि उद्योग को गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति की जरूरत है तो कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

* यदि कैप्टिव विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन लागत कम है, तो लागत एवं टैरिफ की जांच के बाद संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

* विशेष आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक इकाइयों की यूनिटों को कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* सीपीपी को बैंकिंग सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। बैंकिंग हेतु दर का निर्धारण परस्पर स्वीकृत शर्तों पर किया जा सकता है।

* विद्युत प्रेषण के लिए रा.वि.बो. का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है। प्रेषण किसी भी सेवा (एचटी या एलटी) के लिए होगा। प्रेषण प्रभार का नियतन उस क्षेत्र के केंद्रीय/राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा किया जा सकता है।

* थर्मल सीपीसी से विद्युत बिक्री हेतु टैरिफ का निर्धारण परस्पर विचार-विमर्श के बाद किया जा सकता है और रा.वि.बो. में कार्यरत ताप विद्युत केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार के आधार पर तैयार किया जा सकता है और परिवर्तनीय प्रभार का कुछ प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है। टैरिफ प्रणाली की अधिकतम परिवर्तनीय लागत या सीपीपी की वास्तविक परिवर्तनीय लागत के आधार पर इनमें से जो भी कम हो, भी तैयार की जा सकती है और परिवर्तनीय लागत का कुछ प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है।

* राज्य विद्युत बोर्ड के अनुमोदन से तीसरी पार्टी सेल भी अनुमेय है।

उड़ीसा में वस्त्र मिलों पर चक्रवात का प्रभाव

1779. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में आए हाल के महा-चक्रवात से कौन-कौन सी वस्त्र मिलें प्रभावित हुई हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक वस्त्र मिल को कितनी क्षति हुई;

(ग) इसके कारण कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इन वस्त्र मिलों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर मिल-वार कितना व्यय हुआ है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर एस.एस.आई.) जो अक्टूबर, 1999 में महाचक्रवात से प्रभावित हुई थी, के नाम, क्षति की सीमा तथा प्रभावित कर्मचारी निम्नानुसार थे:-

मिल का नाम	कर्मचारियों की संख्या	क्षति हुई राशि (लाख रु. में)
अस्का स्पिनिंग मिल, अस्का	1108	25
उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स, चौड़वार	3800	200
श्री सरला वीवर्स कॉपरेटिव स्पिनिंग, तिरटोल	1123	480
कलिंग वीवर्स कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल, देनकनाल	1497	147
उत्कल वीवर्स कॉपरेंटिव स्पिनिंग, मिल, खुर्दा	1506	135
जगन्नाथ वीवर्स कॉपरेटिव स्पिनिंग, नुआपटना	925	202
श्री गोपीनाथ वीवर्स कॉपरेटिव स्पिनिंग, बलियापल	461	25
उड़ीसा कॉटन मिल्स, भगतपुर	419	167

*राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) की एक एकक

(घ) क्षतिग्रस्त मिलों के पुनरूद्धार की जिम्मेदारी संबंधित मालिकों पर है। एन.टी.सी. (धारक कंपनी) ने उड़ीसा कॉटन मिल्स, भगतपुर, जो एन.टी.सी. की एक एकक है, केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का मोटे तौर संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक सीमा तक भवनी की मरम्मत करने के लिए 10 लाख रु. संस्वीकृत किए हैं।

भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 बनाया है तथा रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने तथा निरोधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारी उपायों जिन्हें ऐसे कंपनियों के मामले में उठाये जाने की आवश्यकता है के त्वरित निर्धारण हेतु बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में विभिन्न उपाय जैसे पूंजी की पुनर्संरचना, संवद्धकों द्वारा नयी निधियों को शमिल करना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधन का परिवर्तन, कार्यशील पूंजी के लिए प्रावधान तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण शामिल है।

दिल्ली के न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण

1780. श्री विजय गोयल: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान राजधानी के सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे अन्य महानगर कौन-कौन से है जहां अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है;

(ग) कंप्यूटरीकरण के बाद जनता को अपने मुकदमों को दायर करने और मामले के नवीनतम परिणाम का पता लगाने के लिए क्या सुविधाएं मिलने या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा शीघ्र न्याय दिलाने के लिए अन्य किन उपायों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों/नगर सिविल न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना चालू वर्ष के दौरान आरंभ की जाएगी। कार्य के प्रारंभ होने के पश्चात् परियोजना का एक वर्ष तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ख) वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई के नगर सिविल न्यायालयों को भी कंप्यूटरीकरण किया जाएगा।

(ग) सिविल न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण में फाइल की जाने वाली प्रक्रिया की संपूर्ण कार्यवाही को सरल और कारगर बनाने के लिए एक केंद्रीकृत फाइलिंग परिकल्पित है। जैसे ही फाइलिंग काउंटर पर कोई मामला फाइल किया जाता है, कंप्यूटर कार्य वितरण के आधार पर न्यायाधीश को मामला भेजे जाने का विनिश्चय करता है। यह स्वत: ही न्यायालय में मामले में रजिस्टर करेगा और मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों/अधिवक्ताओं को मामले को रजिस्ट्रीकरण संख्या, मामले में अंतर्वलित पक्षकारों और उस न्यायालय का नाम जिसमें इसे भेजा गया है, जैसे ब्यौरों को देते हुए उसकी एक रसीद प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक दिन की समाप्ति पर कंप्यूटर उस दिन को फाइल किए गए मामलों की सूची तैयार करेगा। प्रत्येक न्यायालय के लिए मामला सूचियां तैयार की जाएगी।

एक बार जब नगर सिविल न्यायालय के लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध हो जाती है तो उसे इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति/अधिवक्ता अपने निवास स्थानों/कार्यालयों से किसी भी समय अपने लंबित मामलों की नवीनतम प्रास्थिति का पता लगा सकते हैं। यह प्रस्तावित है कि महानगरों के नगर न्यायालयों में दस्तावेजों और याचिकाओं को इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किए जाने के लिए उपबंध किया जाए। इंटरनेट के माध्यम से संदाय किए जाने पर न्यायालय आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए भी प्रबंध किए जा रहे हैं।

(घ) सरकार और न्यायपालिका दोनों ही बढ़ते हुए बकाया मामलों के प्रति चिंतित हैं। मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपायों की श्रृंखला के क्रियान्वयन के रूप में सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। जिसमें न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों का भरा जाना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और माध्यस्थम् तथा सुलह जैसे विवाद समाधान के अनुकल्पी ढंगों को अपनाया जाना सम्मिलित हैं। लोक अदालतों को विवाह समाधान के लिए अनुपूरक फोरम के रूप में कानूनी आधार दिया गया है।

विदेश में तेल क्षेत्रों की खरीद का प्रस्ताव

1781. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार विदेशों में तेल क्षेत्रों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के दौरान ऐसी खरीद पर कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने पूंजी लागत और प्रचालन लागत पर विचार करके कच्चे तेल की यूनिट लागत की संगणना पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो प्रति बैरल कितनी लागत की संगणना की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ एन जी सी विदेश लि. (ओ वी एल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई ओ सी) ईरान की फारस की खाड़ी और कुवेत के उत्तरी तेल क्षेत्र में एक अन्वेषण ब्लाक के लिए विदेश में अन्वेषण और विकास अवसरों की खोज कर रही है।

(ख) उपर्युक्त उद्यमों पर संभावित निवेश को अभी अंतिम रूप दिया जाना है क्योंकि फारस खाड़ी ब्लाक वार्ता चरण पर है और कुवैत, तेल क्षेत्र के लिए प्रतिभागिताहित पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टॉप गीयर पेट्रोल पंप योजना

1782. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में टॉप गीयर पेट्रोल पंप योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे पेट्रोल पंपों के किसी प्रतिष्ठान से समझौता करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उन पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है जहां ओएसिस मोबाइल कार्ड और रीचार्जिंग कार्ड सुविधा उपलब्ध करवाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जहां ओएसिस नकदी कार्ड और रिचार्जिंग कूपन उपलब्ध हैं:-

क्र.सं.	नगर का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्र का नाम
1.	जयपुर	मैसर्स श्री भैरव फिलिंग स्टेशन
2.	जयपुर	मैसर्स मदन मोहन सर्विस स्टेशन
3.	जयपुर	मैसर्स यादव एंड कं.
4.	जयपुर	मैसर्स प्रकाश एंड कं.
5.	जयपुर	मैसर्स शिव चौधरी मोटर्स
6.	जयपुर	मैसर्स बी.के. चौरदिया
7.	अजमेर	मैसर्स बजरंग सर्विस स्टेशन
8.	अजमेर	कोको, अन्ना सागर
9.	अजमेर	चारनल फिलिंग स्टेशन
10.	ब्यावर	मैसर्स कंचन सर्विस स्टेशन
11.	ब्यावर	मैसर्स रमेश एग्रो सर्विस स्टेशन
12.	ब्यावर	मैसर्स कमल बोस
13.	भीलवाड़ा	मैसर्स प्रदीप बन्धु भीलवाड़ा
14.	कोटा	मैसर्स माडर्न आटो

[अनुवाद]

खाड़ी क्षेत्र के लिए यात्री पोत परिवहन सेवाएं

1783. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी क्षेत्र और भारत के बीच एक नई यात्री पोत परिवहन सेवा शीघ्र ही आरंभ की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल तेल, कोपरा और नारियल के मूल्यों में गिरावट

1784. श्री टी. गोविन्दन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल तेल, कोपरा और नारियल के मूल्यों में वर्ष 2000 के बाद अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है और अप्रैल, 2001 के दौरान उनके मूल्यों में सर्वाधिक गिरावट आ गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इनके उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पिछले कई महीनों से नारियल के तेल, खोपरा, तथा नारियल की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ख) खोपरा, सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में कवर है। खोपरा के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए, केन्द्रीय नोडल एजेन्सी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. द्वारा खोपरा की 2.35 लाख मी. टन की रिकार्ड मात्रा की खरीद पहले ही की जा चुकी है। मूल्यों में हो रही गिरावट को रोकने के लिए व्यापार के तरीकों का उपयोग किया गया है। सूखे नारियल सहित खोपरा तथा नारियल पर आयात शुल्क को वर्ष 2001-02 में 35% से 70% तक बढ़ाया गया है। कच्चा खाद्य तेलों पर 85% तक आयात शुल्क बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र का निजीकरण

1785. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से राज्य है जिनके विद्युत क्षेत्र को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): विद्युत सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का विकेंद्रीकरण कर दिया है। उड़ीसा ने पहले ही राज्य में वितरण का निजीकरण कर दिया है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वितरण के निजीकरण का प्रस्ताव किया है।

रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग

1786. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के किसानों ने रसायनों और उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि में रसायनों और उर्वरकों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) देश में किसान पौध संरक्षण उपायों के लिए कृमिनाशियों के रूप में रसायनों का उपयोग करते हैं। कृमिनाशियों की खपत 1994-95 के दौरान 61,357 मीट्रिक टन (तकनीकी ग्रेड) से कम होकर 1999-2000 के दौरान 46,195 मीट्रिक टन (तकनीकी ग्रेड) रह गई है।

उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-1990 के दौरान पोषक तत्वों (एन.पी.के.) की खपत प्रति है. 63.4 कि.ग्राम थी तो 1996-97 में बढ़कर 76.0 कि ग्राम प्रति है. हो गयी तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुमानित खपत 95.38 किग्रा. प्रति है. थी। उर्वरकों की खपत में वृद्धि हो रही है क्योंकि उनके उपयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है।

(ग) और (घ) देश में उपयोग के लिए अनुमोदित कीटनाशकों और उर्वरकों का यदि निर्धारित मात्रा, छिड़कावों की संख्या, प्रतीक्षा अवधि, सान्द्रण आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाये, तो ये मानव स्वास्थ्य पर कोई खतरनाक प्रभाव नहीं डालते। समय-समय पर कीटनाशों की समीक्षा की जाती है और जब कभी किसी कीटनाशक को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो देश में उसके बनाने, बिक्री उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

उर्वरकों को उपयोग को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, सरकार जैव-खादों, जैव उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों को शामिल करते हुए पादप पोषक तत्वों के समेकित उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता

1787. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव 1 अक्तूबर, 2001 में नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रेलगाड़ी को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के मार्ग पर चलाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ग) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना

1788. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए भूमि और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर सहमति जताई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना पर 2001-2002 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। तथापि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक क्षेत्रीय संसाधन तथा अनुसन्धान केन्द्र मार्च, 1994 से बंगलौर में कार्यरत है।

(ख) सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से इस संबंध में कोई औपचारिक लिखित प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बागवानी के लिए विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ करना

1789. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बागवानी के लिए विपणन सुविधाओं को सुदढ़ करना और नये अवसर पैदा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या बागवानी बोर्ड ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो बागवानी उत्पादों के लिए विपणन के अवसर बढ़ाने हेतु की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई पायलट योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी पायलट योजनाओं और फल विपणन बुनियादी ढांचे इत्यादि में प्रस्तावित निवेश हेतु किन-किन राज्यों का चयन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में विपणन सुविधा सुदृढ़ीकरण संबंधी समिति गठित नहीं की गई है और इस प्रकार इस संबंध में कोई विशेष सिफारिशें नहीं है। तथापि, विपणन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बागवानी उत्पादों के अवसरों हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निम्नलिखित दो स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) उत्पादन व कटाई पश्चात प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

(ii) बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों/भंडार गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम।

उपर्युक्त स्कीमें पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके लिए वर्ष 2001-02 में दो स्कीमों के सब्सिडी घटकों को पूरा करने के लिए क्रमश: 12.10 करोड़ रु. और 65.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

ठेका प्रणाली

1790. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के यांत्रिकी और निर्माण विभाग में नई ठेका प्रणाली शुरू की गई है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की उक्त प्रणाली में कोई भूमिका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रणाली से केवल कुछ विशिष्ट और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को ही लाभ पहुंचने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण प्रणाली

1791. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जिला स्तर पर विद्युत वितरण प्रणाली शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए है;

(ख) क्या इस प्रणाली के नगर पंचायत स्तर पर शुरू किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों सरकारों ने इस संबंध में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है और कौन-कौन से राज्यों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है;

(घ) सम्पूर्ण देश में यह योजना कब तक शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस योजना से ग्रामीण उपभोक्ताों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) राज्य सरकारों से त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत उप-पारेषण तथा वितरण प्रणालियों में सुधार हेतु अधीक्षण अभियंता के क्षेत्राधिकार/प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों का पता लगाने का अनुरोध किया गया है। यह सर्किल अधीक्षण अभियंता के क्षेत्राधिकार के आधार पर जनपद का एक भाग अथवा एक से अधिक जनपद हो सकता है।

पहले चरण में स्कीम को सर्कल स्तर पर आरंभ किया जाएगा। इन सर्किलों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र शामिल होंगे और सर्किल में गांव स्तर पर अपेक्षित सुधारों को भी स्कीम में शामिल किया जाएगा।

राज्य सरकारें सर्किल स्तर पर विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार के लिए स्कीमें प्रस्तुत कर रही है। संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों को 1000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है और चालू वर्ष के दौरान 1500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। स्कीम से ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित होंगे तथा सम्पूर्ण सर्किल में भी आसाना होगी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	परियोजना की लागत	प्रस्तावित एपीडीपी स्वीकृति		एपीडीपी के अंतर्गत कुल राशि
			ग्रांट	लोन	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	194.70	48.68	48.68	97.35
2.	बिहार	42.88	10.72	10.72	21.45
3.	गुजरात	219.23	54.81	54.81	109.62
4.	हरियाणा	99.23	24.83	24.83	49.66
5.	झारखंड	43.94	10.99	10.99	21.97
6.	कर्नाटक	162.98	40.74	40.74	81.49
7.	केरल	44.82	11.21	11.21	22.41
8.	मध्य प्रदेश	99.06	24.78	24.78	49.55
9.	महाराष्ट्र	268.88	67.22	67.22	134.44
10.	उड़ीसा	126.13	19.00	19.00	38.00
11.	पंजाब	75.40	18.85	18.85	37.70
12.	राजस्थान	89.98	22.50	22.50	45.00
13.	तमिलनाडु	130.91	32.77	32.77	65.44
14.	उत्तर प्रदेश	202.90	50.72	50.72	101.46
15.	पश्चिम बंगाल	86.99	21.75	21.75	43.50

1	2	3	4	5	6
16.	छत्तीसगढ़	20.51	5.13	5.13	10.26
17.	उत्तरांचल	9.60	2.40	2.40	4.80
	जोड़	1918.14	466.87	466.87	933.74
	विशेष श्रेणी राज्य				
1.	अरूणाचल प्रदेश	6.32	5.69	0.63	6.32
2.	असम	20.02	18.02	2.00	20.02
3.	हिमाचल प्रदेश	25.32	22.79	2.53	25.32
4.	जम्मू व कश्मीर	6.99	6.29	0.70	6.99
5.	मणिपुर	0.72	0.65	0.07	0.72
6.	मेघालय	1.81	1.63	0.18	1.81
7.	मिजोरम	1.06	0.95	0.11	1.06
8.	नागालैंड	1.89	1.70	0.19	1.89
9.	सिक्किम	6.38	5.74	0.64	6.38
10.	त्रिपुरा	5.00	4.50	0.50	5.00
	जोड़	75.51	67.96	7.55	75.51

[अनुवाद]

रोल-आन-रोल-ऑफ सुविधाएं

1792. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार रोल-आन-रोल-ऑफ सुविधाओं वाले कौन-कौन से रेलवे स्टेशन हैं;

(ख) क्या कुछ और स्टेशनों पर रोल-आन-रोल-ऑफ सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. ने इस समय कोलाड (पनवेल के समीप) वेरना (गोवा के समीप) और कोलाड-सूरथकल (मंगलोर के समीप) स्टेशनों के बीच में सेवा शुरू कर रखी है।

(ख) और (ग) कुछ प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिस पर संबंधित पार्टियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार डिपुओं में आग की घटनाएं

1793. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों से पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार और वितरण में आग की घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तेल कंपनी के पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार और वितरण में लगी आग की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुक्सान हुआ; और

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार और वितरण में तेल कंपनियों द्वारा अब अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार डिपुओं के अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी/संशोधित करता रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों में पेट्रोलियम उत्पादों के भरण और वितरण में आग लगने की घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आग की घटनाओं के कारण इंडियन आयल कार्पोरेशन के द्वारा उठाई गई हानि 1113.63 लाभ रुपए तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के द्वारा उठाई गई हानि 51.2 लाख रुपए है।

(घ) डिपुओं/टर्मिनलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार डिपुओं पर तेल कंपनियों के द्वारा नियमित रूप से जल टैंकों, स्प्रिंकलर/फोम सिस्टम, जल मोनीटर, डी एम पी, जोखिम विश्लेषण, सुरक्षा/टीटी क्रू/सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण इत्यादि, मोक फायर ड्रिल्स, दुर्घटना से निपटने संबंधी ड्रिले, टैंक लारियों की सुरक्षा जांचे, सुरक्षा समिति बैठकें, अर्थिंग, आंतरिक एवं वाह्य सुरक्षा जांचें की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान का नाम	तारीख
1	2	3	4
1. आग लगने की छोटी घटनाएं जिनसे संपत्ति एवं जीवन को हानि नहीं हुई।			
1.	एच पी सी एल	मजगांव ल्यूब मिश्रण संयंत्र (मुंबई)	26.6.1998
2.	एच पी सी एल	बहादुरगढ़ एल पी जी संयंत्र (हरियाणा)	10.9.1998
3.	एच पी सी एल	चेरलापल्ली एल पी जी भरण संयंत्र (आंध्र प्रदेश)	20.12.1998
4.	एच पी सी एल	रैरु डिपो (मध्य प्रदेश)	28.8.2000
5.	एच पी सी एल	शकूरबस्ती टर्मिनल (दिल्ली)	12.10.2000
6.	आई ओ सी	मनमाढ का एल पी जी भरण संयंत्र (महाराष्ट्र)	24.1.1999
7.	आई ओ सी	इंडस्ट्री रेलवे साइडिंग, आगरा (उत्तर प्रदेश)	8.3.2000
8.	आई ओ सी	जालंधर टर्मिनल (पंजाब)	10.4.2000
9.	आई ओ सी	कानपुर टर्मिनल (उ.प्र.)	11.4.2000
10.	आई ओ सी	कानपुर एल पी जी भरण संयंत्र (उ.प्र.)	12.4.2000
11.	आई ओ सी	करनाल एल पी जी भरण संयंत्र (हरियाणा)	14.5.2000
12.	आई ओ सी	कालीकट एल पी जी भरण संयंत्र (केरल)	26.5.2000
13.	आई ओ सी	सहारनपुर डिपो (उ.प्र.)	27.7.2000
14.	आई ओ सी	देवनागोंठी टर्मिनल (कर्नाटक)	23.11.2000
15.	आई ओ सी	भोपाल भरण संयंत्र (म.प्र.)	28.1.2001

1	2	3	4
2. आग लगने की बड़ी घटनाएं जिनसे हानि हुई:			
1.	आई ओ सी	नौगांव डिपो (असम)	11.8.1998
2.	आई ओ सी	झांसी डिपो (उ.प्र.)	31.10.1998
3.	आई ओ सी	बालासोर एल पी जी भरण संयंत्र (उड़ीसा)	23.1.2000
4.	आई ओ सी	करनाल एल पी जी भरण संयंत्र (हरियाणा)	12.8.2000
5.	आई ओ सी	मथुरा टर्मिनल (उ.प्र.)	2.12.2000
6.	एल पी सी एल	विशाख टर्मिनल (आंध्र प्रदेश)	17.8.2000
7.	एच पी सी एल	जालंधर ल्यूब डिपो (पंजाब)	8.3.2001

पार्सल सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंपना

1794. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ रेलगाड़ियों और कतिपय रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पार्सल सेवाएं निजी कंपनियों को सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या नतीजे हासिल हुए?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) विभिन्न यात्री गाड़ियों के ब्रेकवैनों (एस एस आर) में उपलब्ध यातायात क्षमता, का अधिकाधिक उपयोग करने और पार्सल आमदनी को बढ़ाने के दृष्टि से निजी कार्गो आपरेटरों को ऐसी गाड़ियों के ब्रेकवैनों (एस एल आर) में जगह को पट्टे पर देने की योजना शुरू की गई है।

(ग) 2000-2001 के दौरान, 156 गाड़ियों के 177 के ब्रेकवैनों को पट्टे पर दिया गया है।

एस.आर.एस. की कृषि अनुकूल गतिविधियां बंद करना

1795. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन (एस.आर.एस.) की कुछ कृषि अनुकूल गतिविधियों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस तरह के अब तक प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उपरि पुल

1796. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितने उपरि पुल हैं;

(ख) कितने उपरि पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं; और

(ग) कितने उपरि पुलों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और चालू वर्ष के दौरान कितने पुलों की मरम्मत किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) उत्तर प्रदेश में 105 ऊपरी पुल है जिनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) सभी ऊपरी सड़क पुलों का निरीक्षण नियमित तौर पर किया जाता है और जब कभी आवश्यकता होती है, उनकी मरम्मत की जाती है। इस समय केवल ऐसे 2 पुलों की मरम्मत की जा रही है।

विवरण

(क)

क्रम सं.	किलोमीटर	स्थान
1	2	3
1.	1343/26-30	आगरा-दिल्ली छोर
2.	1346/40-42	राजा की मंडी (दिल्ली छोर)
3.	1347/2-4	आगरा सिटी
4.	1347/28-30	राजा की मंडी-बिल्लोचपुर
5.	1377/3-5	फराह
6.	1386/13-17	बीड़
7.	1394/25-27	मथुरा
8.	1401/16-18	भूतेश्वर
9.	1437/32-34	कोसीकलां (एम बी छोर)
10.	1438/34-36	कोसीकलां (दिल्ली छोर)
11.	1319/10-11	बांडा यार्ड
12.	1349/8	राजा की मंडी-आगरा कैंट
13.	1338/1339/8	झांसी-कानपुर-साइडिंग
14.	99/13	मुईरपुर-रेणुकूट
15.	101/5-6	रेणुकूट-जोगीदीह
16.	131/5-5	गुरुमुरा-सलैबरमा
17.	137/13-14	बिली-चोपन
18.	18.588	काकरी
19.	673/85-87	मुगलसराय
20.	677/9-10	मुगलसराय-इलाहाबाद नजदीक रामनगर
21.	7657/9-766/5	मुगलसराय-वाराणसी
22.	107/10-11	रायबरेली-प्रयाग
23.	53/10-11	लखनऊ-कानपुर
24.	1080/10-11	लखनऊ-मुरादाबाद
25.	1070/4-5	लखनऊ-उन्नेता
26.	862/5-6	वाराणसी-शाहगंज
27.	913/8-9	लखनऊ-सुल्तानपुर
28.	957/8-9	दर्शननगर-अयोध्या
29.	969/11-12	फैजाबाद-सलारपुर
30.	1/5-6	फैदाबाज-मसौदा
31.	9/25-27	गाजियाबाद अवाइडिंग लाइन
32.	1429/9-7	गाजियाबाद-हापुड़
33.	22/2-3	गाजियाबाद-सहारनपुर
34.	25/8-9	गाजियाबाद-सहारनपुर
35.	122/0-1	गाजियाबाद-सहारनपुर
36.	127/15-128/0	गाजियाबाद-सहारनपुर
37.	18/9-11	साहिबाबाद-गाजियाबाद
38.	9/1-2	साहिबाबाद-गाजियाबाद
39.	39/11-17	साहिबाबाद-गाजियाबाद

1	2	3
40.	10/26-28	आनन्द विहार-साहिबाबाद
41.	66/7-8	साहिबाबाद-गाजियाबाद
42.	1175/6-7	हरदोई यार्ड
43.	1230/12-13	शाहजहानपुर-रोजा जं.
44.	1236/8-9	शाहजहानपुर-रोजा जं.
45.	1374/10-11	रामपुर-मुन्धा पांडे
46.	1396/1	कटघर राइट बैंक-मुरादाबाद
47.	1397/5-6	कटघर राइट बैंक-मुरादाबाद
48.	1400/8-9	हरथाला-मुरादाबाद
49.	1459/0-1	धामपुर यार्ड
50.	1491/0-1	मुरशादपुर-नजीबाबाद
51.	1555/4-6	लंडोरा-ढंढेरा
52.	1555/6-7	ढंढेरा-रूड़की
53.	21/12-13	इक्कार-ज्वालापुर
54.	22/5-6	इक्कार-ज्वालापुर
55.	55/5-6	सीतापुर सिटी-रामकोट
56.	734/17-19	मुगलसराय-इलाहाबाद
57.	826/15-17	इलाहाबाद-कानपुर
58.	833/19-20	इलाहाबाद-कानपुर
59.	1017/31-33	कानपुर-टुंडला
60.	1021/7-9	कानपुर-टुंडला
61.	1023/3-5	कानपुर-टुंडला
62.	1027/7-13	कानपुर-टुंडला
63.	1012/4-6	इलाहाबाद-कानपुर
64.	1073/-1075	कानपुर-टुंडला
65.	1142-1144	कानपुर-टुंडला
66.	1325/7-9	टुंडला-गाजियाबाद
67.	1327/25-27	टुंडला-गाजियाबाद
68.	1327/25-27	टुंडला-गाजियाबाद
69.	144/10-11	चुनार-चोपन
70.	160/13-14	चुनार-चोपन
71.	70/8-9	कानपुर-लखनऊ
72.	57/13-14	एटा-बरहन
73.	677-4-5	मुगलसराय-इलाहाबाद
74.	685/24-26	मुगलसराय-इलाहाबाद
75.	152/9-11	टुंडला-गाजियाबाद
76.	179/4	सहारनपुर
77.	180/3-4	सहारनपुर
78.	182/0	सहारनपुर
79.	126/12-13	गाजीपुर सिटी-गाजीपुर घाट
80.	316/11-12	झांसी-रामनाथपुर
81.	206/10-11	वाराणसी-इलाहाबाद सिटी
82.	213/9-10	राजा तलब-मदारीहाट
83.	66/3-4	मऊ जं.-इन्द्रा जं.
84.	68/7-8	भटनी जं.-अराकू अरखा
85.	63/12-13	मऊ जं.-इन्द्रा जं.
86.	456/8-9	देवरिया सदर-बैतलपुर
87.	65/7-8	फेफना जं.-बलिया
88.	315/9-10	बरेली सिटी-इज्जतनगर
89.	352/15-16	मझदिया-भैंसा
90.	1/10-11	मुरादाबाद-कथघर
91.	2/15-16	मुरादाबाद
92.	134/9-10	फरीदाबाद-फतेहगढ़
93.	2/1-2	पीलीभीत जं.-पोता

1	2	3
94.	718/11-12	चौका घाट-बुरवल
95.	657/12-13	गोंडा जं.-गोंडा कचहरी
96.	2/13-14	लखनऊ सिटी-ऐशबाग
97.	507/5-6	गोरखपुर जं.-शिकारा
98.	772/2-5	बनगांव जं.-डालीगंज
99.	72/3-4	कानपुर सेंट्रल-कानपुर (अनवरगंज)
100.	72/17-18	कानपुर (अनवरगंज)-कानपुर सेंट्रल
101.	2/10-11	लखनऊ-अमौसी
102.	771/3-4	बादशाहनगर-डालीगंज
103.	767/3-4	मलहोर-बादशाहनगर
104.	1242/30-1242	मुरहेसी रामपुर-मथुरा जं.
105.	83/4-5	ईदगाह यार्ड

[अनुवाद]

धुंआरहित चूल्हे को लोकप्रिय बनाना

1797. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धुंआरहित चूल्हे के प्रयोग से प्रतिवर्ष अनुमानत: कितनी ईंधन की लकड़ी की बचत होती है;

(ख) देश में इस समय लगभग ऐसे कितने चूल्हे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं; और

(ग) इनके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने और इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रोत्साहन दिए गए हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी.ए.ई.आर.) नई दिल्ली ने 'राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के सामाजिक-आर्थिक लागत लाभ का विश्लेषण-सर्वेक्षण' नामक विषय पर एक अध्ययन, जो वर्ष 1998 में किया गया था, में क्षेत्र दशाओं के अन्तर्गत धुंआरहित उन्नत चूल्हा के प्रयोग के साथ प्रतिवर्ष 116 कि.ग्रा. ईंधन लकड़ी सहित लगभग 375 कि.ग्रा. बायोमास ईंधनों की औसत बचत का अनुमान लगाया है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र योजना-राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (एन.पी.आई.सी.) के अंतर्गत अब तक देश में कुल संचयी लगभग 33.80 मिलियन उन्नत चूल्हों का संवर्धन किया गया है।

(ग) उन्नत चूल्हे के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे कि सम्पूर्ण ग्रामीण दृष्टिकोण कार्यान्वयन, वीडियों फिल्म प्रदर्शन सहित गांवों में एक-दिवसीय महिला उपयोगकर्त्ता पाठ्यक्रम का आयोजन, उन्नत चूल्हों के निर्माण एवं रखरखाव में निचले स्तर के गैर-सरकारी संगठनों तथा प्रशिक्षित स्वरोजगार कर्मियों, अधिकांशत: महिलाओं को, शामिल किया जाना और क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टर, कैलेंडर तथा लीफलेट जैसी प्रचार सामग्रियों का व्यापक वितरण आदि। राष्ट्रीय चूल्हा कार्यक्रम में केन्द्रीय सब्सिडी, स्वरोजगारकर्मी शुल्क तथा डीलरशिप सहायता के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

पावर ऑफ अटार्नी

1798. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अनेकों स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी पंजीकरण हेतु लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके लंबित पड़े रहने की अवधि सहित 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या कितनी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों को खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

1799. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पंपों के खुदरा बिक्री के आबंटन हेतु चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में अब तक अन्य पिछड़ा वर्गों को कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आरक्षण निम्नानुसार है:-

1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	–	25 प्रतिशत
2.	शारीरिक विकलांग (पी एच)	–	5 प्रतिशत
3.	रक्षा श्रेणी (डी सी)	–	8 प्रतिशत
4.	अर्द्ध-सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पी एम पी)	–	8 प्रतिशत
5.	स्वतंत्रता सेनानी (एफ एफ)	–	2 प्रतिशत
6.	उत्कृष्ठ खिलाड़ी व्यक्ति (ओ एस पी)	–	2 प्रतिशत
7.	सामान्य (ओ पी)	–	50 प्रतिशत

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपो/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूरशिपों/एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपों के आबंटन में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए कोई पृथक आरक्षण नहीं है।

[अनुवाद]

लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1800. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव रेल लाइन के आमान परिवर्तन की धीमी प्रगति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लागत वृद्धि से बचने के लिए और इस परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो आमान परिवर्तन कार्य कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) निधियों की उपलब्धता के अनुसार लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य में प्रगति हो रही है। अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

तमिलनाडु में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पशु अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना

1801. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के सेलम और धर्मपुरी जिलों में केन्द्रीय प्रायोजित पशु अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना के लिए तमिलनाडु से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के राज्य-वार पशुधन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पशुपालन के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु में उपलब्ध और उपयोग में लाई गई कुल चराई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यवार पशु पालन और अनुसंधान तथा विकास हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) पशुधन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तमिलनाडु में चराई और चरागाह के लिए क्रमशः कुल 396000 हैक्टेयर और 134000 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

(ङ) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 वर्ष के लिए मवेशी अनुसंधान हेतु राज्यवार निर्धारित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1992 में मवेशियों की संख्या का विवरण (राज्यवार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मवेशियों की कुल संख्या (हजार में)
1	2
आंध्र प्रदेश	10946
अरुणाचल प्रदेश	324
असम	10118
बिहार	22154
गुजरात	6804
गोवा	98
हरियाणा	2136
हिमाचल प्रदेश	2165
जम्मू और कश्मीर	3055
कर्नाटक	13173
केरल	3524
मध्य प्रदेश	28588
महाराष्ट्र	17446
मणिपुर	719
मेघालय	535
मिजोरम	59
नागालैण्ड	332
उड़ीसा	13841
पंजाब	2909
राजस्थान	11699
सिक्किम	198
तमिलनाडु	9278
त्रिपुरा	949
उत्तर प्रदेश	25635
पश्चिम बंगाल	17453
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	50
चंडीगढ़	5
दादर एवं नगर हवेली	49
दिल्ली	41
लक्षद्वीप	2
पांडिचेरी	90
दमन एवं दीव	8

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान मवेशी अनुसंधान के लिए राज्यवार निर्धारित राशि

(रु. लाख में)

राज्य	2000-2001	2001-2002
1	2	3
हरियाणा	51.50	52.96
आंध्र प्रदेश	47.32	48.78
गुजरात	15.35	14.22
राजस्थान	24.75	25.86
पंजाब	12.00	00.00
केरल	30.05	22.81
महाराष्ट्र	10.78	9.98

1	2	3
बिहार	10.78	9.98
कर्नाटक	10.78	9.98
तमिलनाडु	4.76	6.18
मध्य प्रदेश	7.48	–
पांडिचेरी	–	11.57

भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम

1802. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम ने उचित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्रालय (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेल पर खानपान सेवाओं को अपग्रेड करने और रेल पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सितंबर 1999 में रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय रेल ने अप्रैल 2001 के माह में भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम पहले ही कारोबार आरंभ कर चुका है और यह निगम 29.5.2001 से नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में गाड़ी में खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रहा है। निगम ने ट्रेवल एजेंसियों के सहयोग से मूल्य आधारित भ्रमण पैकेज भी आरंभ किए हैं। इस निगम द्वारा तत्काल आरंभ की जाने वाली अन्य परियोजनाओं में शीघ्र आरंभ होने वाली नई दिल्ली-हटिया और नई दिल्ली-बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवाओं का प्रबंधन, फूड प्लाजाओं की स्थापना और भारतीय रेल पर प्रमुख खानपान/वैंडिंग इकाइयों के मामले में सभी नए लाइसेंसों का प्रबंधन शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पद आधारित रोस्टर शुरू करना

1803. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री अशोक प्रधान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" आरम्भ करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-ई.एस.टी.टी. (आर.ई.एस.) दिनांक 2.7.97 के पैरा (5) के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी स्वायत्त/सांविधिक संगठन, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में यदि कोई आधिक्य/कमी हो तो उनका पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो 2.7.1997 की स्थिति के अनुसार उक्त श्रेणियों में पाए गए आधिक्य/कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के का.ज्ञा. सं. 36012/2/96-स्था (आ.) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी द्वारा कोयले की खरीद

1804. श्री सुबोध राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एन.टी.पी.सी. और अन्य ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किस श्रेणी के कोयले को प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) कहलगांव, बिहार में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रत्येक वर्ष किस श्रेणी का और कितनी मात्रा में कोयले की खरीद की जा रही है;

(ग) क्या निम्न श्रेणी के कोयले के प्रयोग से कहलगांव में एन.टी.पी.सी. यूनिट में विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उच्च श्रेणी के कोयले की खरीद का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) और अन्य ताप-

विद्युत केन्द्रों द्वारा सामान्य तौर पर ''सी'', ''डी'', ''ई'' और ''एफ'' श्रेणी का कोयला प्रयोग होता है।

(ख) एन.टी.पी.सी. कहलगांव सामान्यत: पूर्वी कोलफील्ड लि. की संबंधित खदान राजमहल से कोयला प्राप्त कर रहा है जो सामान्यत: ''एफ'' श्रेणी का है। कभी-कभार राजमहल की कमी की पूर्ति पूर्वी कोलफील्ड लि. के आसनसोल/रानीगंज क्षेत्र की कोयला आपूर्तियों द्वारा की जाती है। आसनसोल/रानीगंज क्षेत्र के कोयले की श्रेणी आमतौर पर ''बी'', ''सी'', ''डी'', और ''ई'' होती है। कहलगांव, एन.टी.पी.सी. द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त कोयले की मात्रा निम्नवत है?

वर्ष	राजमहल से प्राप्त मात्रा	आसनसोल से प्राप्त मात्रा	कुल प्राप्त लागत
1998-99	3.364 एमटी	0.046 एमटी	3.410 एमटी
1999-2000	3.260 एमटी	0.230 एमटी	3.490 एमटी
2000-2001	3.930 एमटी	0.390 एमटी	4.320 एमटी

(ग) जब तक आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता अपेक्षित मानदण्डों के भीतर है, विद्युत उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) और (ङ) देश में नए विद्युत केन्द्रों को आम तौर पर देश में उपलब्ध निम्न श्रेणी के कोयले के प्रयोग हेतु डिजाइन किया जाता है। उच्च-श्रेणी के कोयले की आपूर्ति हेतु इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में अंत्वा परियोजना

1805. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के किन-किन जिलों में आंध्र प्रदेश महिला कृषि परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) 2000-2001 के दौरान इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई और 2001-2002 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना का कार्यनिष्पादन क्या रहा है;

(घ) क्या राज्य के कुछ और जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित 6 जिलों में आंध्र प्रदेश महिला कृषि परियोजना चरण-1 का कार्यान्वयन किया गया था:

1. विशाखापट्टनम
2. प्रकासम
3. अनन्तपुर
4. करनूल
5. नालगोण्डा
6. रंगारेड्डी

(ख) आंध्र प्रदेश महिला कृषि परियोजना का चरण-1 अगस्त, 1999 में समाप्त हुआ। विकास निगम की डच पोलिसी की समीक्षा के कारण आंध्र प्रदेश महिला कृषि परियोजना चरण-2 को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसलिए वर्ष 2000-2001 के दौरान परियोजना के अंतर्गत कोई राशि खर्च नहीं की गई। वर्ष 2001-2002 के लिए आंध्र प्रदेश महिला कृषि परियोजना चरण-2 के लिए 611.7 लाख रु. की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान यह परियोजना गैर-प्रचालित थी।

(घ) जी हां।

(ङ) आंध्र प्रदेश में इस परियोजना का चरण-2 हस्ताक्षर किये जाने की प्रक्रिया में है और इस परियोजना के चरण-2 के तहत 6 और जिलों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है। ये 6 जिले इस प्रकार हैं:

1. श्रीकाकुलम
2. विजियानगरम
3. कुड्डापाह
4. चित्तूर
5. खम्माम
6. वारंगल

अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल्स

1806. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितने अतिरिक्त सालीसीटर जनरल्स कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक अतिरिक्त सालीसीटर जनरल की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 8 (आठ)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत दावे

1807. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत दो वर्षों से लम्बित अनेक दावों का अभी तक निपटान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार ऐसे दावों की संख्या कितनी है;

(ग) इन दावों को अब तक न निपटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या फसल बीमा एजेंसी में कार्य कर रहे लोगों की उपेक्षा और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कितने किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। कुछ राज्यों के मामले में दावे कार्यान्वयक अभिकरण के पास लंबित है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 मौसम से कार्यान्वित की गई। देय दावे, जो उपज आंकड़ों के आधार पर तय किये गये हैं, दो फसल मौसमों यथा रबी 1999-2000 तथा खरीफ 2000 के लिए निर्णित किये गये हैं। तीसरे फसल मौसम यथा रबी 2000-2001 के लिए अंतिम उपज आंकड़े संबंधित कार्यान्वयक राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा निर्णित किये जाने हैं।

(ख) जिला-वार लंबित दावों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) ये दावे संबंधित राज्यों से 50% की हिस्सेदारी न प्राप्त होने की वजह से लंबित हैं।

(घ) जी, नहीं। कुल किसानों की संख्या जिन्होंने दो फसल मौसमों के दौरान क्षतिपूर्ति पाई 29,71,485 है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एक बहु-अभिकरण योजना है, जिसमें कार्यान्वयन अभिकरण के अलावा राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों की वित्तीय संस्थायें और विभिन्न विभाग शामिल हैं। अब तक बीमा योजना के बाबत भ्रष्टाचार/लापरवाही का कोई मामला सामने नहीं आया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-लंबित दावों का राज्यवार/जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिला	दावे (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश (खरीफ 2000)	अदिलाबाद	224.73
		पूर्वी गोदावरी	370.46
		गूंटूर	48.98
		खम्माम	16.18
		कृष्णा	1.35
		कुरनूल	35.82
		महबूबनगर	50.70
		मेडक	57.61
		नालगौंडा	174.47
		नैलोर	25.06
		निजामाबाद	13.42
		प्रकासम	156.34

1	2	3	4
		रंगारेड्डी	2.21
		श्रीकाकूलम	724.90
		विजयानगरम	379.48
		वारंगल	0.16
		पश्चिम गोदावरी	319.90
		कुल	2601.77
2.	असम (रबी 1999-2000)	नालबारी	0.07
		बरपेटा	0.02
		गोलपारा	0.02
		बोंगाइगांव	0.02
		कामरूप	0.37
		कुल	0.50
	(खरीफ 2000)	सोनीतपुर	0.01
		हैलाकांडी	0.74
		कुल	0.75
3.	छत्तीसगढ़ (खरीफ 2000)	बस्तर	73.74
		बिलासपुर	601.28
		दुर्ग	1087.93
		रायगढ़	381.72
		रायपुर	2956.82
		राजनंदागांव	223.83
		सरगुजा	36.16
		डांटेवाड़ा	3.75
		धामत्री	396.12
		जंजगीरी	313.93
		ककेर	118.16
		क्वार्धा	642.21
		कोरबा	0.73
		कोरिया	7.69
		महसामूर	1312.52
		जसपुर	17.85
		कुल	8174.44
4.	कर्नाटक (खरीफ 2000)	बेलगम	2.39
		बेल्लारी	0.94
		बिदर	154.20
		बिजापुर	0.27
		चिकमंगलूर	0.38
		चित्रदुर्ग	3.38
		दक्षिण कन्नड़	0.91
		गुलबर्ग	24.88
		हसन	3.68
		मंडीया	0.18
		रायचूर	8.81
		सिमोगा	0.65
		तुमकुर	1.09
		उत्तर कन्नड़	11.25
		कोपल	0.01
		कुल	213.02
5.	केरल (रबी फसल 1999-2000)	अलप्फुजा	21.58
		कोट्टायम	5.81
		पलक्कड	2.15
		कुल	29.54
	(खरीफ 2000)	अलप्फुजा	206.89
		अर्नाकूलम	0.24
		कोट्टायम	6.93

1	2	3	4
		पलक्कड	28.57
		त्रिस्सूर	0.02
		टम	0.23
		कुल	242.88
6.	उड़ीसा (रबी 1999-2000)	अंगुल	0.17
		कुल	0.17
7.	मेघालय (खरीफ 2000)	दक्षिण गारो पहाड़ी	0.14
		कुल	0.14
8.	मध्य प्रदेश (खरीफ 2000)	बालाघाट	124.38
		बेतुल	66.21
		भिंड	0.11
		छत्तरपुर	16.89
		छिनवाड़ा	23.97
		दमोह	32.54
		डावर	24.86
		धर	304.85
		खांडवा	274.80
		गुना	1.56
		ग्वालियर	0.57
		होशंगाबाद	97.68
		इंदौर	19.30
		जबलपुर	24.92
		झाबुआ	276.09
		मांडले	92.06
		मंदसौर	854.48
		नरसिंहपुर	50.19
		पन्ना	23.32
		रायसेन	8.84
		राजगढ़	328.47
		रत्लाम	544.15
		रिवा	43.31
		सत्ना	84.56
		सैहोर	32.63
		सेओनी	171.95
		शहडोल	9.83
		शाजापुर	136.00
		शिवपुरी	0.10
		सिघी	3.71
		टिकमगढ़	3.21
		उज्जैन	741.26
		खारगौन	616.55
		बरवानी	181.03
		डिंडौरी	0.88
		कटनी	74.57
		निमच	254.15
		उमारिया	7.34
		कुल	5554.32
	कुल योग		16814.50

नोट: 1. खरीफ 2000 मौसम के लिए उड़ीसा के दावे, जहां राज्य सरकार उपज आंकड़ों की एक भी श्रृंखला का रख-रखाव नहीं कर सकी, वर्तमान में संशोधित बीमा इकाई यथा प्रखंड स्तर पर निकाले जा रहे हैं।

2. तमिलनाडु के दावे का निपटान नहीं किया जा सका क्योंकि उपज आंकड़े एकल श्रृंखला पर आधारित नहीं थे।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में नए निवेश

1808. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्त्र क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने हेतु राज्यों द्वारा ब्लू प्रिंट तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या इन राज्यों में वस्त्र केन्द्रों की क्षमता की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में वस्त्र क्षेत्र को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सरकार को ऐसे किसी ब्लू प्रिंट अथवा नीतिगत प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। तथापि, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रभारी वस्त्र मंत्रियों का एक सम्मेलन राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा एम.एफ.ए. के बाद के चुनौतियों के लिए तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिए उद्योग को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करने के लिए 10 अप्रैल, 2001 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने कार्यसूची में उठाई गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए अनेक सिफारिशों को अपनाया जो उद्योग को मजबूत करेंगी। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प लिया गया था कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें तथा केन्द्रशासित क्षेत्र के प्रशासन को वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को विकसित करने तथा उनकी पूरी क्षमता का दोहन करने में समर्थ करने के लिए संगठित प्रयास करेंगे।

(घ) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ कदम प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) को शामिल करना, सिले-सिलाये परिधान (बना हुआ) क्षेत्र का अनारक्षण, विशिष्ट वस्त्र मशीनरी के सीमा शुल्क में कमी आदि हैं।

दूध के नमूने

1809. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूध के उन नमूनों को ब्यौरा क्या है जिनमें कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्राक्साइड) और अन्य रसायनों की मिलावट पाई गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामलों में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) मिलावट वाले सिंथेटिक दूध के स्थापन/भंडारण उत्पादन हेतु निर्धारित दंड प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या दिल्ली में ऐसे मिलावट युक्त दुध की बिक्री रोकने हेतु सीमा पर नमूना जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) दूध में मिलावट को लेकर दिल्ली के न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

थिरूवल्ला और मवेलीकारा रेलवे स्टेशनों को नया रूप देना

1810. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में थिरूवल्ला और मवेलीकारा रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): थिरूवल्ला तथा मवेलीकारा रेलवे स्टेशनों के ढांचे में परिवर्तन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

(क) थिरूवल्ला:-

(i) अतिरिक्त प्रतीक्षा कक्ष तथा शाकाहारी अल्पाहार कक्ष में निर्माण कार्य को 2000-2001 के दौरान 21.91 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया था। कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(ii) प्लेटफार्म सं. 2 पर 288 वर्ग मीटर के प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

(ख) मवेलीकारा:

24 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी को खड़ा करने के लिए दोनों प्लेटफार्मों को बढ़ाने की व्यवस्था का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है तथा कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराकर 1986 में स्टेशन इमारत का नवीकरण किया गया था:-

* प्रसाधन सहित महिला प्रतीक्षा कक्ष
* फ्रुट स्टॉक
* बुकिंग कार्यालय
* पार्सल कार्यालय
* कनकोर्स एवं पोर्चे

फिलहाल इस स्टेशन के ढांचे में और परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

कच्छ में नमक बनाने वाले मजदूरों में चक्रवात का भय

1811. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 के दौरान आए चक्रवात के कारण बड़ी संख्या में नमक बनाने वाले मजदूर बह गए, मर गए और अभी भी लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बार चक्रवात के खतरे की सिर्फ चेतावनी सुनकर ही नमक बनाने वाले मजदूर घबरा गए थे और सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने या उन्हें आश्रय देने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मजदूरों और उनके परिवारों की संख्या कितनी है जो बिना सरकारी सहायता और आश्रय के मौत और विनाश के कगार पर खड़े हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जून, 1998 में आए चक्रवात में नमक वाले, उन मजदूरों सहित जिनके बारे में राज्य सरकार ने पहले गुम होने की सूचना दी थी, 767 मजदूरों की मृत्यू हुई थी।

(ग) और (घ) चक्रवात में मछुआरों सहित इस समूह के अति संवेदनशील श्रेणी में होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए जून, 2001 में अत्यधिक सावधानी की दृष्टि से इन समूहों को प्रचण्ड चक्रवात की आशंका पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। चक्रवात ने इस समुद्र तट पर आधात नहीं किया, यद्यपि सौभाग्य से यह एक प्रतिवर्ती व्यवस्था थी और वर्तमान में कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

दिल्ली में राज्यों के राहत आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन

1812. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में 31 मई, 2001 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या है; और

(ग) उक्त सम्मेलन के परिणामों/सुझावों/पारित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) दक्षिण - पश्चिमी मानसून, 2001 के आने से पहले की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से दिनांक 30 मई, 2001 को नई दिल्ली में राहत आयुक्तों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का एक आशय यह भी था कि भारतीय मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास से राहत आयुक्तों को अवगत कराया जाए। कुछ राज्यों के राहत आयुक्तों ने हाल ही में आई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से अपने अनुभव बताये। विचार-विमर्श से आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर बेहतर विचार उभरकर सामने आये जिनसे बड़ी आपदाओं के कारणों पर व्यापक दृष्टिकोण और उनके उपायों के बारे में पता चलता है।

[हिन्दी]

अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए ओ.ई.सी.एफ. से सहायता

1813. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) ने महाराष्ट्र स्थित अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से आज तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अजंता और एलोरा गुफाओं से दुकानों को हटाने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या प्रगति की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जापान विदेशी आर्थिक सहयोग निधि जिसका नाम अब जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक है, ने अजंता तथा एलोरा स्थित गुफाओं के मार्गों को चौड़ा करने एवं पुश्ता दीवारों का संरक्षण और उनमें प्रकाश व्यवस्था करने के साथ-साथ गुफाओं को जाने वाले पहुंच मार्ग का सुधार करने के लिए ऋण दिया है।

(ग) और (घ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में किए गए उपबंधों के अंतर्गत अजंता की गुफाओं से अतिक्रमणों को हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।

[अनुवाद]

राज्य डेयरी विकास बोर्ड/भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को सहायता

1814. **श्री अरुण कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को दी गई अनुदान सहायता/सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन निकायों द्वारा इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य डेयरी विकास बोर्ड को अनुदान सहायता नहीं दी है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद को 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमश: 64.60 लाख रुपए, 64.60 लाख रुपए तथा 80.00 लाख रुपए प्रदान किए हैं।

(ख) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद ने अपने संविधान के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा किया है, विगत तीन वर्षों के दौरान संचालित इसके मुख्य क्रियाकलाप थे-भारतीय पशुचिकित्सा पद्धति रजिस्टर के लिए अनुपूरक तैयारी विभिन्न संस्थानों की पशुचिकित्सा अर्हताओं और निरीक्षणों की सिफारिश, राज्य संस्थानों की संरचना, राज्य पशुचिकित्सा परिषदों की संरचना, अखिल भारत सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिमुखीकरण, पशुचिकित्सा शिक्षा का मानदंड तैयार करना आदि।

[हिन्दी]

बिहार में रेल परियोजनाएं

1815. **श्री राजो सिंह:**
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार से प्राप्त रेल परियोजना संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षणों, का ब्यौरा क्या है;

(घ) चल रही परियोजनाओं/सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) उक्त के दौरान उन पर कितनी राशि व्यय की गई और वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) इन परियोजनों को पूरा करने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार के मंत्रियों से प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार हैं। प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई प्रत्येक प्रस्ताव के सामने दर्शायी गयी है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	की गई कार्रवाई
1.	नरकटियागंज-भिथरवा आश्रम का आमान परिवर्तन शुरू करना।	यह जयनगर-दरभंगा नरकटियागंज के आमान परिवर्तन के भाग के रूप में किया जा रहा है जो कि एक स्वीकृत कार्य है।
2.	क्यूल-नवादा नई लाइन	क्यूल और नवादा के बीच एक लाइन पहले से ही मौजूद है। क्यूल और नवादा के बीच नई लाइन का फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (च) विगत तीन वर्षों में बिहार में कराए गए तथा चल रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इन सर्वेक्षणों की मौजूदा स्थिति विवरण-II में दी गई है।

बिहार में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा, उनकी मौजूदा स्थिति विगत तीन वर्षों में प्रत्येक पर खर्च की गयी राशि, 2001-02 के लिए आवंटित निधियां तथा धीमी गति के कारण यदि कोई हो, विवरण-I में दिए गए हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों में बिहार में कराए गए तथा चल रहे सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
	नई लाइनें	
1.	बदलाघाट-आलमनगर-भवानीपुर-पूर्णिया-दलखोला	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
2.	बांका-बाराहाट	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
3.	बरवाडीह से चिरमिर रेल लाइन की बहाली	प्रगति पर है।
4.	बिहारीगंड-चत्तरपुर रोड बरास्ता मुरलीगंज	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
5.	चुनार से सासाराम	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
6.	दानापुर-फतुबा बरास्ता दनिवां, पुनपुन	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
7.	दरभंगा तथा सहरसा बरास्ता कुकेश्वरस्थान	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
8.	देहरी-ऑन-सोन से बंजारी	पूरा हो गया। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	देवगढ़-सुल्तानगंज	पूरा हो गया है तथा परियोजना 2000-2001 में शामिल कर ली गयी है।
10.	धनियावां-शेखपुरा-बिहारशरीफ	पूरा हो गया है तथा फतुहा-इस्लामपुर के महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में शामिल कर लिया गया है।
11.	फतुहा-इस्लामपुर-राजगीर-मानपुर-गया	पूरा हो गया है तथा फतुहा-राजगीर के लिए परियोजना 1998-99 के बजट में शामिल कर ली गयी है।
12.	गया से डाल्टनगंज बरास्ता गुरारू, गुर्वा, शेरघाटी तथा इमामगंज	पूरा हो गया है तथा बंद कर दिया गया।
13.	गया-छत्र बरास्ता टोरी	पूरा हो गया है। अपडेशन प्रगति पर है।
14.	हाजीपुर-समस्तीपुर बरास्ता महुवा	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।

1	2	3
15.	हजारी बाग-गरवा रोड	प्रगति पर है।
16.	हजारी बाग-हजारीबाग टाउन	प्रगति पर है।
17.	हाजीपुर-सगौली बरास्ता वैशाली	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
18.	जनकपुर रोड-मधुबनी बरास्ता बेनीपट्टी	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
19.	जनकपुर रोड से जयनगर बरास्ता मधुबनी	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
20.	झाझा-गिरिडीह बरास्ता सोनुचकई	नए सर्वेक्षण को बजट 2001-02 में शामिल कर लिया गया है।
21.	कोडरमा-तिलैया	पूरा हो गया है। बी ए आर एच-एस टीटीपी यातायात को ध्यान में रखकर प्रतिफल की दर पुनः निकाली जा रही है।
22.	कोपरिया/सेमरी भख्तियारपुर-आलमनगर, बिहारीगंज	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
23.	कोपरिया-बिहारीगंज बरास्ता सोनबरसराज-आलमनगर	पूरा हो गया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
24.	कुरसेला-रूपाली-सहरसा	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
25.	लहरिया सराय से कुशेश्वरस्थान	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
26.	लोहरडागा से कोरबा	प्रगति पर है।
27.	माधेपुरा से प्रतापगंज बरास्ता सिंगेश्वरस्थान तथा त्रिवेणीगंज	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
28.	मेरी गो राउंड ऑफ एन टी पी सी	प्रगति पर है।
29.	मोतिहारी से सीतामढ़ी बरास्ता शिवहर	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
30.	मुक्तापुर से कुशेश्वरस्थान	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
31.	निर्मली-बप्तीयाई	प्रगति पर है।
32.	पीरपैनीटी से मेरी गो राउंड	प्रगति पर है।
33.	प्रतापगंज-भीमनगर-बथानहा	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
34.	राजगीर से हिसुआ	पूरा हो गया है तथा परियोजना 1998-99 में शामिल कर ली गयी है।
35.	रांजी-हजारीबाग-गया	पूरा हो गया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

1	2	3
36.	सलौना (बाखरी) से अलौली	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
37.	सिमरी-बख्तियारपुर से बिहारीगंज	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
38.	सीतामढ़ी में जयनगर बरास्ता सोनबरसई	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
39.	सुपौल-अररिया बरास्ता त्रिवेणीगंज तथा रानीगंज	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
40.	टोरी-शिवपुर	नया सर्वेक्षण बजट 2001-02 में शामिल कर लिया गया है।
41.	कप्तानगंज-सिवान, थावे-छपरा	पूरा हो गया तथा परियोजना बजट 1998-99 में शामिल कर ली गयी है।
42.	कटिहार से तेजनारायणपुर लाइन बरास्ता मनिहारी, अम्दाबाद के रास्ते भालूक रोड तक विस्तार सहित	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
43.	पूर्णिया-सहरसा बरास्ता माधेपुरा	प्रगति पर है।
44.	सकरी-झंझारपुर-लौकहाबाजार	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
	दोहरीकरण	
45.	चक्रधरपुर-बंडामुंडा तीसरी लाइन	प्रगति पर है।
46.	गया-क्यूल	पूरा हो गया तथा बंद कर दिया गया।
47.	पतरातू-चांडिड बरास्ता बरखाखाना	नया सर्वेक्षण बजट 2001-02 में शामिल कर लिया गया है तथा प्रगति पर है।
	यातायात सुविधाएं	
48.	पटना में अनुरक्षण सुविधाओं का इष्टतम उपयोग	अभी शुरू किया जाना है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

विवरण-II

बिहार में चालू रेल परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपे में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम् प्रत्याशित लागत	विगत तीन वर्षों में अनुमानित खर्च	2001-02 के लिए बजट परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	दोहरीकरण				
1.	पटना-परसाबाजार (पटना-गया,चरण-I)	14.55	10.46	0.10	खंड 17.10.2000 को चालू हो गया है।

1	2	3	4	5	6
2.	परसा बाजार-पुनपुन (पटना-गया चरण-II)	14.32	0.48	5.00	अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं कार्य शुरू किया जा रहा है।
3.	पुनपुन-तरेगना (पटना-गया चरण-III)	42.54	0.10	2.00	कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
4.	सोननगर-मुगलसराय: सोननगर में दो दिशाओं वाले सिगनलिंग सहित तीसरी लाइन तथा फ्लाईओवर	244.75	56.15	14.83	यह परियोजना अंशत: एशियाई विकास बैंक ऋण से वित्त पोषित की गई है। कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। 96 किमी. को कवर करते हुए 16 ब्लॉक खंडों में से 14 चालू हो गए हैं। सम्पूर्ण कार्य का अंतिम खंड (9 कि.मी.) जुलाई 2001 तक पूरा हो जाएगा।
5.	छपरा-हाजीपुर	73.06	0.60	10.00	कार्य शुरू किया जा रहा है।
6.	कर्पूरीग्राम-सिहो	30.98	1.03	10.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
	आमान परिवर्तन				
7.	हाजीपुर-बछवाड़ा	75.56	12.16	0.10	कार्य पूरा हो गया है तथा खंड चालू कर दिया गया है। गिट्टियों में कमी को पूरा किया जा रहा है। लंबी झलाईयुक्त पटरियों का कार्य पूरा हो गया है।
8.	नरकटियागंज-बाल्मीकि नगर	67.87	40.95	5.00	कार्य पूरा हो गया है तथा खंड चालू कर दिया गया है। गिट्टी कुशन बढ़ाने के अवशिष्ट कार्य तथा लंबी झली हुई पटरियों का कार्य जल्दी ही पूरा होने की आशा है।
9.	जयनगर-दरभंगा नरकटियागंज	335.77	8.55	10.00	जयनगर-दरभंगा को पहले चरण में किया जाना है। कार्य प्रगति पर है। 32 किमी. का मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी संबंधी तथा गिट्टी आपूर्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। दरभंगा तथा सीतामढ़ी खंड पर भी कार्य प्रगति पर है।
10.	मानसी-सहरसा (चरण-I)	89.50	1.00	3.00	मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। सहरसा से दौराम-माधेपुरा तक का आ.प. (21 किमी.) का विस्तार कार्य महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में बजट 2001-02 में शामिल कर लिया गया है। कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
11.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	268.00	0.00	1.10	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
12.	समस्तीपुर-खगड़िया	70.00	0.00	5.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
13.	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित)	257.00	10.00	15.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा। कटिहार-राधिकापुर के आमान परिवर्तन कार्य को मुख्य कार्य में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में शुरू किया जाएगा।
	नई लाइन				
14.	आरा-सासाराम	120.00	15.23	6.00	50 किमी. लंबाई के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सासाराम और नौखा के बीच स्ट्रैच के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस खंड में आने वाले कुल 23 गांवों में से 22 गांवों की भूमि का कब्जा दे दिया गया है। शेष एक गांव की भूमि के अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। सासाराम नौखा खंड के लिए मिट्टी तथा पुलों के लिए ठेके दे दिए गए हैं तथा पहले से उपलब्ध भूमि पर कार्य प्रारंभ हो गया है।
15.	फतूआ-इस्लामपुर, बिहार शरीफ से बारबीधा तक नई लाइन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आशोधन संहित	131.39	4.74	15.00	इस्लामपुर-हिल्सा के बीच 16 किमी. लंबाई के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। जहां पर भूमि उपलब्ध है वहां पुलों तथा मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। दनियावां से बिहारशरीफ तथा बिहार शरीफ-बड़बीधा के कार्य को इस परियोजना में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।
16.	देवगढ़ सुल्तानगंज	312.00	0.00	12.00	देवगढ़ से कतूरिया (30 किमी.) तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपने पर ही कार्य शुरू किया जाएगा। बांका से बाराहाट (13.4 कि.मी.) तथा बांका से भितियाह रोड तक का नया कार्य महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में बजट 2001-02 में शामिल कर लिया गया है।

1	2	3	4	5	6
17.	मंदारहिल-रामपुर हाट बरास्ता दुमका	170.47	6.88	6.00	चरण-1 मंदारहिल-दुमका (66किमी.) :- अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मंदारहिल साइड से 23 किमी. खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 2 बड़े पुलों के लिए एक ठेका दे दिया गया है।
18.	मुंगेर-गंगा पर रेल पुल	600.00	0.10	5.00	मैसर्स राइट्स के जरिए मॉडल अध्ययनों सहित सर्वेक्षण तथा विस्तृत छानबीन का कार्य शुरू कर दिया गया है। पुल के मापदंडों का निर्धारण तथा लागत तय हो जाने पर अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त की जाएंगी।
19.	पटना और हाजीपुर के बीच संपर्क लाइनों सहित पटना-गंगा पुल	610.00	0.17	15.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
20.	राजगीर-हिसुआ तिलैया	49.50	0.61	5.00	तिलैया-जगदीशपुर खंड पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा 70 हेक्टेयर भूमि वाले 20 किमी. खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपबंध कराए जाने पर कार्य शुरू किया जा सकेगा। शेष खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
21.	दुरौंध-महाराजगंज	3.57	0.47	0.10	हाल ही में अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। कार्य शुरू किया जा रहा है।
22.	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान	78.00	0.31	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तथा कागजात तैयार करने संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं। खगड़िया यार्ड में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य शुरू किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6
23.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	100.00	0.30	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया। भूमि संबंधी नक्शे तथा कागजात तैयार करने एवं अन्य प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। सीतामढ़ी यार्ड में 1 किमी. लम्बाई का मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।
24.	सकरी-हसनपुर	89.70	7.06	5.00	1226.3 एकड़ की सम्पूर्ण लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं तथा 1191.93 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। सकरी से जगदीशपुर का मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।
	रेल विद्युतीकरण				
25.	रामपुरा-डुमरा-गड़हरा-बरौनी सहित सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	363.36	132.38	23.98	मार्च, 2001 तक 401 मार्ग किमी. विद्युतीकृत हो गया है। कानून और व्यवस्था की समस्या तथा ठेकेदार की विफलता के कारण प्रगति धीमी है। अब दिसम्बर, 2001 तक कार्य को पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
26.	पटना-गया	41.24	0.00	0.10	परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए एक बार फिर योजना आयोग को भेजा गया है।

[अनुवाद]

विदेशी पवन चक्की मशीनों पर रियायत

1816. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय एजेंटों के मार्फत विदेशी पवन चक्की मशीनों की खरीद की जा रही है जबकि मूल्य विभेद के कारण स्वदेश निर्मित मशीनों और उपकरणों की उपेक्षा कर गई है;

(ख) क्या यह भी सही है कि यदि विदेशी पवन चक्की मशीनों की लागत में बिक्री कर उत्पादन शुल्क छूट और आयकर रियायत जोड़ दिया जाए तो स्वदेश निर्मित मशीनें अधिक तुलनीय और प्रतिस्पर्धात्मक होती है;

(ग) अन्य देशों से खरीदी गई पवन चक्की मशीनों और स्वदेश निर्मित मशीनों की लागत अलग-अलग कितनी है; और

(घ) पवन मिल मशीनों के निर्माण में लगे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) पवन विद्युत परियोजनाएं मुख्यतया वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में निजी क्षेत्र निवेशों के माध्यम से आरंभ की जा रही हैं। पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों को सम्पूर्ण मशीनों के रूप में आयात नहीं किया जा रहा है। विशिष्ट महत्वपूर्ण उपकरणों को विभिन्न निर्माताओं द्वारा, उनके द्वारा प्राप्त किए गए स्वदेशीकरण के स्तर पर निर्भर करते हुए, आयात किया जाता है। पवन विद्युत परियोजनाओं सहित सभी अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और आय कर

में रियायतों जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन बाजार में, यह वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं के प्रमोटरों पर निर्भर है कि वे पवन मशीनों की, उनके तुलनात्मक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन का आकलन करें।

पवन विद्युत प्रौद्योगिकी विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है जिससे अपेक्षाकृत कम लागत पर अच्छा कार्यनिष्पादन और अधिक उत्पादन होगा। नए प्रौद्योगिकी विकास के साथ पवन मशीनों के यूनिट आकार में भी वृद्धि हुई है। भारत में निर्मित पवन मशीनों की लागत प्रौद्योगिकी, प्रकार, आकार, कार्यनिष्पादन पैरामीटरों और बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

(घ) भारत में पवन मशीनों का निर्माण स्थानीय उत्पादन के माध्यम से किया जा रहा है। पवन विद्युत परियोजनाओं और पवन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय एवं संवर्धनात्मक प्रोत्साहन और उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। देश में पवन उद्योग का आकलन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को सहायता दी जा रही है और परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र मिलों पर भूकम्प का असर

1817. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में भूकम्प से प्रभावित शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान में अकाल से प्रभावित शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के लिए ऐसी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि गुजरात राज्य के भूकम्प पीड़ित कारीगरों एवं बुनकरों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए विशेष मामले के रूप में वर्कशेड एवं वर्कशेड-सह-आवास की योजनाओं, संशोधित/आधुनिक औजार एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति तथा दीन-दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के अन्तर्गत मानकों में शिथिलता दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोनेट एल एन जी में इक्विटी

1818. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात और भंडारण टर्मिनलों के विकास के लिए भारत के अग्रणी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संघ, पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड में 10 प्रतिशत इक्विटी की हिस्सेदारी करने हेतु एक फ्रांसिसी कंपनी ने 20 मिलियन डालर के निवेश का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में परिचालन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त फर्म के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जी, हां। फ्रांस की एक राष्ट्रीय कंपनी, मैसर्स गैज डि फ्रांस इंटरनेशनल, जोकि यूरोप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात कर रही है तथा एक लंबी अवधि से एल एन जी टर्मिनलों का प्रचालन कर रही है, ने पेट्रोनेट एल एन जी (पी एल एल), जो कि दहेज (गुजरात) तथा कोच्चि (केरल) में एल एन जी आयल एवं परिवहन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम है, की प्रदत्त शेयर पूंजी के अंतर्गत 50 प्रतिशत तक समांशता प्रतिभागिता के लिए विदेशी निवेश सार्वजनिक बोर्ड (एफ आई पी बी) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। गैज डि· फ्रांस ने पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड के अंतर्गत 10 प्रतिशत समांशता अंश प्राप्त करते हुए लगभग 38 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का निवेश किया है तथा एल एन जी टर्मिनलों की स्थापना से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप जिनमें दहेज में 5.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम टी पी ए) क्षमता की तथा कोच्चि में 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का पुनरगैसीकरण सुविधायें शामिल हैं, आरंभ करने के लिए इस संबंध में पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड के प्रर्वतकों के साथ 2 जून, 2001 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

बैल से खीचे जाने वाले ट्रैक्टरों के लिए बछडों का प्रयोग

1819. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 जनवरी, 2000 के बिजनस स्टैण्डर्ड में प्रकाशित समाचार के अनुसार कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टरों का उपयोग शुरू होने से बैलों की मांग में कमी आई है और बछड़ों को बेचा जा रहा है अथवा उनकी दुर्दशा हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीबी खत्म करने के लिए गाय और उसकी संतति का विकास करने का है;

(ग) यदि हां, तो महत्वपूर्ण संपदा के विनाश और ट्रैक्टरों पर से राजसहायता वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा डीजल इत्यादि बचाने के लिए बैल से खींचे जाने वाले ट्रैक्टरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) बैंलों की मांग संबंधी आंकड़ें एकत्र नहीं किए जाते हैं। यांत्रीकृत कृषि में बढ़ोत्तरी होने से बैंलों की मांग में गिरावट आई है। देश में यांत्रीकरण के विकास से बैलों की मांग बिल्कुल खत्म होने की संभावना नहीं है।

(ख) गाय और उसकी संतति के विकास के लिए राज्य और केन्द्र सरकारें बहुत से कार्यक्रम चला रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए पशुधन परिसम्पत्ति प्रदान करना एक स्वीकार्य साधन है।

(ग) नर बछड़ों को बेचने अथवा भूखे रहने देने की पद्धति देश में ट्रैक्टर के चलन से पूर्व भी प्रचलित थी और इसका कारण पशुओं को सापेक्ष उपयोगिता और आर्थिक दबाव पर किसानों के अवबोधन से जुड़ा है। ट्रैक्टर से राजसहायता को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) तैयार किए गए नए बुलक ट्रैक्टर संबंधी सूचना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की उचित कार्रवाई के लिए परिचालित कर दी गई है।

हावड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में रेल अधीक्षक

1820. श्री रामजी मांझी: क्या **रेल मंत्री** हावड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में रेल अधीक्षक के बारे में 14 दिसम्बर, 2000 और 15 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4126 और 2724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। 29 जून, 2001 को संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।

पित्रोदा समिति की रिपोर्ट

1821. श्री सईदुज्जमा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पित्रोदा समिति संसाधनों के समुचित प्रबंधन और आधुनिकीकरण के जरिए भारतीय रेल को पुनर्गठन और उसे लाभकारी बनाने हेतु नई सिफारिशें करने की संभावना की जांच करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समितियां समय-समय पर इन मामलों की जांच करती रही हैं लेकिन उनकी सिफारिशों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो कार्य संस्कृति के अभाव में पित्रोदा समिति की सिफारिशें उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस तरह मददगार साबित होंगी जैसा कि दूरसंचार विभाग में हो रहा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) फरवरी, 2001 में 6 महीनों की अवधि के लिए श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया को शुरू करने तथा संसाधनों के सृजनार्थ एक नयी पहल आरम्भ करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति में विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष और एक सदस्य के भाग न लेने के कारण इस समिति को 9.6.2001 को भंग कर दिया गया था। चूंकि समिति ने अपनी मियाद पूरी नहीं की थी, इसलिए समिति को सौंपा गया कार्य पूरा नहीं हो सका। विगत में गठित समितियों की सिफारिशों पर उचित समय में विचार किया गया था और जहां कहीं संभव हुआ, उन्हें कार्यान्वित किया गया है।

डिमाण्ड-ड्राफ्टों का खरीदा जाना

1822. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे-स्टेशनों द्वारा डिमाण्ड-ड्राफ्टों को स्थानीय बैंकों से खरीदा जा रहा है और बैंक प्रभार के रूप में उसकी 2% राशि की भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और बैंकों को अतिशय प्रभार का भुगतान करने के लिए क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल विभाग को ओवर ड्राफ्ट करने पर ब्याज देना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेल विभाग का बैंकों के साथ तत्काल अंतरण-व्यवस्था प्रबंध करने के लिए उद्देश्य से एक साफ्टवेयर विकसित करने का प्रस्ताव है, ताकि बैंक प्रभार के रूप में दी जाने वाली सौ करोड़ से अधिक राशि की बचत की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पश्चिम रेलवे के कुछेक स्टेशनों रेलवे खातों में जमा करने के लिए रेलवे रोकड़ कार्यालय को भेजने के लिए स्टेशन रोकड़ बैंकों से डिमांड ड्राफ्ट खरीद रहे हैं।

(ख) डिमांड ड्राफ्टों के लिए सामान्य बैंक प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है। स्टेशनों पर रेलवे रोकड़ को सीधे जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और अधिक सरकार खाते खोलने के प्रयास भी किए गये थे। बहरहाल, बैकों में और अधिक खाते खोलने के बावजूद कुछ स्थानों पर बैंक अपनी कैश चैस्ट में पर्याप्त स्थान के अभाव में रोकड़ संभाल पाने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप स्टेशन रोकड़ के सुरक्षित पारवहन में जोखिम को समाप्त करने के लिए स्टेशनों को डिमांड ड्राफ्ट खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि रेलों में ओवरड्राफ्ट की प्रणाली नहीं है।

(घ) और (ङ) चुनिंदा स्टेशनों पर क्रेडिट कार्डों के माध्यम से यात्री आरक्षण पहले से ही उपलब्ध है, इसके अलावा, निधियों के इलेक्ट्रानिक अन्तरण की व्यवहार्यता की बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जांच की जा रही है। कतिपय पायलट परियोजनाओं के जरिए मामले पर बैंकों के साथ कार्यवाही की जा रही है तथा जब इन परियोजनाओं में संतोषप्रद रूप से प्रगति होगी तब इस योजना के भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखा नियंत्रक के परामर्श से अन्य रेलों पर कार्यान्वयन तथा विस्तार पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, इन रेलों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट पर बैंक प्रभार के रूप में औसतन प्रति माह 3.59 लाख रूपये का भुगतान किया जा रहा है।

नौवहन उद्योग में सुधार

1823. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवहन उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। भारतीय नौवहन उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है। नौवहन उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु सरकार समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है ताकि नौवहन उद्योग को अपेक्षित बढ़ावा मिल सके। नौवहन विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग है और नौवहन कंपनियां प्रतिस्पर्धा की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। किए गए कुछेक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है:-

(1) वर्ष 2001-2002 की एग्जिम पॉलिसी में संशोधन के बाद सभी श्रेणियों के पोत अर्थात् क्रूड टैंकर, उत्पाद टैंकर, बल्क कैरियर इत्यादि आयात के लिए मुक्त सूची में शामिल किए गए हैं ताकि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर अधिग्रहण आसान हो सके।

(2) नौवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार (पुराने पोतों सहित) पोतों का अब लाइसेंस के बिना मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

(3) बेयर बोट चार्टर-कम-डिमाइज पद्धति के जरिये पोतों के अधिग्रहण की सुविधा।

(4) नौवहन कंपनियों को विदेश में अपने पोतों की बिक्री आय अपने पास रखने की और उनका नये अधिग्रहण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(5) नौवहन कंपनियों को अब सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी शिपयार्ड में अपने पोतों की मरम्मत कराने की अनुमति दी गई है।

(6) पोतों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक आबंटन स्कीम हटा दी गई है।

(7) भारतीय रिजर्व बैंक पोत मरम्मत/शुष्क गोदीकरण और आयातित महत्वपूर्ण माल के लिए अतिरिक्त पुर्जों हेतु बिना किसी मूल्य सीमा के विदेशी मुद्रा जारी करता है।

(8) भारतीय नौवहन कंपनियां बिना किसी प्रतिबंध के पोतों को टाइम चार्टर पर दे सकती है।

(9) नौवहन क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) द्वारा पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ 100% निवेश।

(10) उधारदाता के पास जलयान को गिरवी रखकर विदेश से विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(11) (आयकर अधिनियम की) धारा 33ए सी के लाभों को इसके मूल रूप में पुन: लागू कर दिया गया है जिससे नौवहन कंपनियों द्वारा नये अधिग्रहण के लिए लाभों का पुन: उपयोग किया जा सकता है।

(12) वर्ष 2001-2002 के वित्त विधेयक में पोतों के आयात पर 5% का प्रस्तावित सीमा शुल्क हटा दिया गया है।

(13) पोतों के लिए मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ा कर 25% किया गया है।

जलचर-पालन के माध्यम से रोजगार का सृजन

1824. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य आपूर्ति बढ़ाने और रोजगार-सृजन के संदर्भ में जलचर-पालन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर जलचर-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जलकृषि एक बढ़ता हुआ खाद्य उत्पादन करने वाला क्षेत्र है जिसमें उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 28.23 लाख टन के अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में जलकृषि संसाधनों का लगभग 70 प्रतिशत अंशदान है जलकृषि सहित सम्पूर्ण मात्स्यिकी क्षेत्र के जरिए सृजित किए गए रोजगार में लगभग 7.38 लाख व्यक्ति पूर्ण अवधि आधार पर और 7.13 लाख व्यक्ति अंशकालिक आधार पर है।

(ख) और (ग) भारत सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है नामत: (1) मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) के जरिए ताजाजल जलकृषि का विकास और (2) जलकृषि के संवर्धन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में समेकित तटवर्ती जलकृषि/देश में प्रधान क्षमता वाले जिलों को कवर करने के लिए ताजाजल जलकृषि के विकास के अंतर्गत 426 एफ एफ डी ए को इस समय मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत नए तालाबों का निर्माण, तालाबों और टैंकों का नवीनीकरण, प्रथम वर्ष आदानें (मत्स्य बीज, उर्वरक, खाद आदि) बहते जल में मछली पालन, समेकित मछली पालन, मत्स्य बीज हैचरियां, मत्स्य आहार मिलें, प्रयोगशालाओं की स्थापना, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण आदि जैसे विकासात्मक क्रियाकलापों पर खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। मत्स्य पालक विकास एजेंसी योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान (1998-2001) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 2861.35 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश प्रदान किया गया है। इसी प्रकार समेकित तटवर्ती जलकृषि के तहत देश में खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (वी एफ डी ए) के जरिए झींगा उत्पादकों को तकनीकी वित्तीय और विस्तार समर्थन का पैकेज प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों (1998-2001) के दौरान खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसी योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 503.35 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक केन्द्रीय अंश प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग की उपेक्षा

1825. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''करोड़ों की कमाई के बावजूद पर्यटन उद्योग सरकारी उपेक्षा का शिकार'' से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) वर्ष 2000 के लिए पर्यटन से 14475 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार देश में पर्यटन का संवर्धन करने में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन के विकास के लिए किए गए विभिन्न उपायों में, ब्याज इमदाद, वित्तीय प्रोत्साहन, आयकर में छूट, आयातशुल्क आदि में कमी के तरीके से होटल उद्योग को प्रोत्साहन देना, जनशक्ति विकास, संवर्धन एवं विपणन, निवेश सरलीकरण, अवसंरचना एवं उत्पाद विकास हेतु वित्तीय सहायता तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग सम्मिलित है।

एक विषय के रूप में ''पर्यटन'' न तो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में है और न ही राज्य सूची में है। पर्यटन को समवर्ती सूची में लाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सुझाव/विचार मांगे गए हैं।

[अनुवाद]

एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन का विद्युतीकरण

1826. श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री वी.एस. शिवकुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल अनुमानित राशि कितनी है; और

(ग) विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य को वर्ष 1999-2000 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था और 161.37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मई, 2001 में स्वीकृत किया गया।

(ग) इस कार्य को मार्च, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते कि धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार-पथ का निर्माण

1827. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग यात्रियों की सुगमता-पूर्वक आवा-जाही सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन के आस-पास कुछ पार-पथों के निर्माण की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेलवे स्टेशनों विशेषरूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कुल कितनी अनुमानित लागत अंतर्ग्रस्त होगी; और

(घ) कार्य कब तक शुरू किए जाने और उसे पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां, लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान केवल कुछ स्टेशनों पर अभी तक जिन रेलवे स्टेशनों पर भूमिगत पथों की योजना बनाई गई है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) महाराष्ट्र में बोरीवली, विरार और दहिसर में क्रमश: 96 लाख रुपए, 228 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की लागत पर भूमिगत पारपथों की योजना बनाई गई है। कर्नाटक में फिलहाल किसी भूमिगत पारपथ की योजना नहीं है।

(2) पश्चिम बंगाल में सियालदह और विधाननगर 819 लाख रुपए की लागत पर भूमिगत पारपथों की योजना बनाई गई है। मैट्रो रेलवे, कोलकाता के टालीगंज स्टेशन पर 650 लाख रुपए की लागत पर एक भूमिगत पारपथ का निर्माण किया जा रहा है।

(3) गुजरात के सूरत में 145 लाख रुपए की लागत पर एक भूमिगत पारपथ की योजना है।

(घ) सियालदह में भूमिगत पारपथ पहले ही पूरा हो चुका है और इसे जनता के उपयोगार्थ खोल दिया गया है 6 अन्य

भूमिगत पारपथ पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है और अगले वित्त वर्ष में उन्हें पूरा करने की योजना है। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

डीजल और मिट्टी के तेल की तस्करी

1828. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री के. मुरलीधरन:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 2001 के ''दि इंडियन एक्स्प्रेस'' में ''रुपीज फाइव थाऊजैंड करोर डीजल, कैरोसीन स्मगलिंग बूम्स, गवर्नमेंट ब्लीड्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजल और कैरोसीन की तस्करी गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों में हो रही है जिससे सरकारी राजकोष को प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन देशों, जहां से डीजल और कैरोसीन की तस्करी की जा रही है और इसमें संलिप्त व्यक्तियों और इसमें अपनाई जा रही कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लोक पाल विधेयक लाना

1829. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग ने 6 जुलाई, 2001 को लोक पाल विधेयक और एक प्रभावी केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधान को शीघ्र लाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) आयोग द्वारा परामर्श-पत्र में क्या अन्य सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क), (ख) और (घ) राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ''शासन में नयायिता'' पर एक परामर्श-पत्र और प्रश्नावली को अंतिम रूप देने का कार्य कर रहा है, जिसमें राष्ट्र से भ्रष्टाचार समाप्त करने और शासन में न्यायिता सुनिश्चित करने के लिए कतिपय विधायी उपाय किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। परामर्श-पत्र की मुख्य बातें तारीख 6.7.2001 को एक प्रेस नोट द्वारा जारी की गई थी। परामर्श-पत्र को उसकी प्रश्नावली के साथ जनसाधारण में चर्चा कराने और जनसाधारण की राय प्राप्त करने के लिए अभी जारी किया जाना है।

(ग) और (ङ) सरकार को इस विषय पर आयोग की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

कम्पनियों का निरीक्षण

1830. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने 17 कम्पनियों की लेखा बहियों के निरीक्षण का आदेश दिया है जो कथित रूप से हाल ही में हुए शेयर बाजार घोटाले में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निरीक्षण को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) ये कम्पनियां किस हद तक हाल ही में हुए शेयर बाजार घोटाले में कथित रूप से संलिप्त हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जी, हां। कम्पनी कार्य विभाग ने हाल ही में हुए शेयर बाजार घोटाले पर सेबी की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के उपबंधों के तहत विभिन्न समूहों से संबंधित 94 कम्पनियों की लेखा पुस्तकों व अन्य अभिलेखों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच प्रगति पर हैं और शीघ्र ही पूरी होने की संभावना है। जांच रिपोर्टों की प्राप्ति पर ही उक्त घोटाले में इन कम्पनियों की संलिप्तता की मात्रा जानी जा सकेगी।

भारत और बंग्लादेश के बीच रेल सेवा

1831. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंग्लादेश दोनों देशों के बीच यात्री रेल सेवा चलाने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेल सेवा के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां।

(ग) भारत और बंग्लादेश के बीच पैसेंजर गाड़ी सेवाओं को चलाने के लिए भारत सरकार और बंग्लादेश गणराज्य की सरकार के बीच समझौते पर 12 जुलाई 2001 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) भारत और बंग्लादेश की बीच पैसेंजर गाड़ी सेवा शुरू करने के लिए अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई हैं।

कोको का उत्पादन

1832. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कोको का कुल उत्पादन कितना था;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर केरल में कोको का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई व्यापक योजना शुरू करने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) देश में कोको के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य	के दौरान कोको का उत्पादन (मीट्रिक टन)		
	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	150	150	771
कर्नाटक	1300	1325	1550
केरल	3794	3686	4000
तमिलनाडु	37	37	40
कुल	5281	5198	6361

(ख) और (ग) देश में कोको के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कृषि में वृहत् प्रबंधन द्वारा कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग एवं सहायता प्रदान करती है। स्कीम के अधीन आवश्यकताओं एवं जरूरतों के अनुसार अपने कार्यक्रमों की प्रमुखता हेतु राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान किया गया है। केरल सरकार ने अपने कार्य योजना में राज्यों में कोको के विकास हेतु कोई भी कार्यक्रम शामिल नहीं किया है।

गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़ना

1833. **श्रीमती मिनाती सेन:**
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जहाजरानी सम्पर्कों को सुचारू बनाने के लिए गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नदी मार्ग के माध्यम से किन-किन राज्यों को जोड़ा जाएगा।

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 अर्थात् इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा और राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 अर्थात् धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र सुन्दरबन में जलमार्गों और भारत तथा बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल जिसका समय-समय पर नवीकरण किया जाता है, के तहत बांग्लादेश से गुजरने वाले पारगमन मार्गों के जरिए पहले ही जुड़े हुए हैं।

(ग) यह नदी मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों को जोड़ता है।

ए.पी.एम. को विघटित करने हेतु विनियामक अभिकरण

1834. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ए पी एम को विघटित करने के बाद ट्राई की तर्ज पर एक विनियामक अभिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) क्या ऐसा निकास ए पी एम के विघटन के बाद उदारीकरण के रूझानों को बदल देगा; और

(घ) ए पी एम के कार्यशील न रहने के बाद ऐसे निकाय द्वारा क्या भूमिका निभाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में देश के सभी भागों में युक्तियुक्त मूल्यों पर मांग पूरी करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का सतत कर्त्तव्य रहेगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि सभी भागीदार निर्धारित नियमों का पालन करें। अत: यह समझा जाता है कि जबकि नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी तब भी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिप्रदत्त निकाय का सृजन किए जाने की जरूरत है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डाऊनस्ट्रीम पेट्रोलियम के लिए एक ''नियामक तंत्र'' की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इन्हीं कारणों से प्राकृतिक गैस के वितरण और विपणन के लिए एक नियामक तंत्र अनिवार्य समझा गया है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय बेसिन में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में निजी तेल कंपनियों की भागीदारी होने से राष्ट्रीय खनिज संसाधनों का दोहन इष्टतम हो सके, अपस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र में नियामक तंत्र की भी परिकल्पना की गई है।

महिला न्यायालयों में लंबित मामले

1835. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** महिला न्यायालय के बारे में 23.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 725 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी उच्च न्यायालयों से संपूर्ण सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा महिला न्यायालयों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) धनराशि के कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। महिला न्यायालयों के गठन के लिए संघ सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	गठित किए गए महिला न्यायालयों की संख्या	महिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	31.12.2000 को 807
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	22	1.9.2000 को 3021
11.	केरल	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	शून्य*	शून्य
14.	मेघालय	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	शून्य	शून्य
17.	पंजाब	शून्य	शून्य
18.	राजस्थान	4	30.11.2000 को 1134
19.	सिक्किम	शून्य	शून्य
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य
21.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
23.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
24.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य**
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
28.	दिल्ली	6	2852
29.	दादर और नागर हवेली	शून्य	शून्य
30.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
	योग	35	7814

*12 जिला न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

**महिलाओं के विरुद्ध 2561 दांडिक मामले 13 न्यायालयों में लंबित हैं।

[हिन्दी]

भाखड़ा बांध के लोगों का पुनर्वास

1836. श्री सुरेश चन्देल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा बांध के विस्थापितों का पूर्णरूपेण पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के उन विस्थापितों को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है जिन्हें राजस्थान में भूमि आवंटित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अनुसार भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण प्रभावित 7206 परिवारों में से 2395 परिवारों को हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निजी क्षेत्र में पुनर्वासित किया गया तथा 2632 परिवारों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नकद क्षतिपूर्ति की गई। शेष 2179 परिवारों को हरियाणा में सिरसा, हिसार तथा फतेहाबाद जनपदों में भाखड़ा पुनर्वाश समिति द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वासित किया गया और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भाखड़ा बांध में प्रभावित परिवारों को राजस्थान में कोई भूमि आबंटित नहीं की गई।

[अनुवाद]

पट्टे के किराए की बकाया धनराशि

1837. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार पत्तन न्यास पर पट्टे के किराए की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) इस धनराशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार ने पत्तन न्यासों को कोई भूमि पट्टे पर

नहीं दी है। इसलिए, पत्तन न्यासों से पट्टे के किराए की किसी बकाया धनराशि को वसूलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1838. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित राज्यों में, विशेषकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अब तक कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं और उनमें से कितने उद्योग आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थान-वार स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या स्थापित उद्योगों की यह संख्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य के निकट है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) कृषि बागवानी उत्पादों की बहुतायत को देखते हुए महाराष्ट्र समेत देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। प्रत्येक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता समेत विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी।

(ग) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए राज्यवार या क्षेत्रवार स्थापित ऐसे यूनिटों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच वैकल्पिक मार्ग

1839. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देरी कम करने के लिए रेलवे रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच वैकल्पिक मार्ग की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मार्ग में परिवर्तन करने के उपायों का पता लगाने अथवा इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मौजूदा रेल लाईन को सुदृढ़ करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार दिल्ली और आंध्र प्रदेश के स्थानों के बीच एकांतर रेलगाड़ियां चलाने के लिए इस मार्ग का उपयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) टिटलागढ़-लांजीगढ़ खण्ड के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है और रायपुर:- टिटलागढ़ खण्ड के दोहरीकरण का सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है लांजीगढ़ और विशाखापटनम के बीच पहले से ही दोहरी लाइन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तमिल और संस्कृत अभिलेखों की खोज

1840. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले समय में कुछ महत्वपूर्ण तमिल और संस्कृत अभिलेखों की खोज हुई थी और विदेशों में विभिन्न विद्वानों द्वारा इनकी नकल की गई;

(ख) यदि हां, तो देश-वार और भाषा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए विदेशों में भेजे गए पुरालेखशास्त्रियों और

विशेषज्ञ भाषाविदों की सूची का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आया;

(घ) क्या सरकार के पास वहां पाए गए तमिल अभिलेखों की लिपि का अर्थ निकालने, उसकी जांच करने और उसे प्रकाशित करने के लिए इन देशों में पुरालेख विशेषज्ञ भेजने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) आज तक विदेशों में बड़ी संख्या में तमिल एवं संस्कृत अभिलेख खोजे गए हैं और उनका गूढ़ अर्थ निकाला गया है। इस संबंध में सम्बन्धित आंकड़ों के परिमाण एवं इस क्षेत्र में कार्यरत दोनों, भारतीय तथा विदेशी विद्वानों, की संख्या को देखते हुए ब्यौरा दे पाना संभव नहीं होगा।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आज तक, इस कार्य के लिए, कोई विशेषज्ञ विदेश नहीं भेजा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार की उदासीनता से नाराज वैज्ञानिक

1841. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 2000 को ''दि हिन्दू'' में ''साइनटिस्टस सल्क्स अंडर गवर्नमेंट अपैथी'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों के एक मामले पर विचार करने और उसके आविष्कार पर पेटेन्ट जारी करने का है, क्योंकि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने वैज्ञानिकों के उत्पाद को ईंधन मितव्ययता का प्रमाणपत्र दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के द्वारा किए गए परीक्षण ने यह निर्दिष्ट किया था कि इस यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय प्रगुणता में कोई सुधार नहीं आया तथा यंत्र ने एल पी जी की कोई बचत नहीं दर्शायी। विशेषज्ञ दल, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, एल पी जी उपस्कर अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, दिल्ली तथा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ से लिए गए सदस्य शामिल थे, की राय थी कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसरणित परीक्षण प्रक्रिया ऐसे यंत्रों के लिए विनिर्दिष्ट एक मानक प्रक्रिया नहीं थी।

रेलगाड़ियों में अपराध

1842. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और कुछ अन्य राज्यों से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की कुछ रेलगाड़ियों में नियमित रूप से अपराध होते हैं;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारें यात्रियों को उचित सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के प्रत्येक डिब्बें में रेलवे सुरक्षा बल लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चलती गाड़ियों और गाड़ियों का मार्गरक्षण करने सहित रेलवे पर अपराध को रोकना राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं।

भारत दर्शन पार्कों की स्थापना

1843. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न स्थानों पर भारत दर्शन पार्कों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए परियोजना-वार और स्थान-वार कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भारत गणराज्य की 50वीं वर्षगांठ मनाने के भाग के रूप में बंगलौर तथा दिल्ली में एक-एक भारत दर्शन थीम पार्क की स्थापना करने का सरकार का प्रस्ताव है। सरकार इस प्रस्ताव पर कार्रवाई कर रही है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन

1844. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने हेतु सोलहवें विधि आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई है;

(ख) वे कौन-सी सिफारिशें हैं जो कार्यान्वित नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) न्यायिक हिरासत में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ऐसे कितने लोगों को रखा गया है जिन्हें जमानत योग्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सभी सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क), (ख) और (घ) सोलहवें विधि आयोग ने जिसका गठन 1 सितंबर, 2000 से 31 अगस्त, 2003 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, रिपोर्ट के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

(ग) मांगी गई जानकारी रखी नहीं जा रही है।

आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पंप

1845. श्री राजैया मल्याला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में वर्ष 2001-2002 के दौरान स्थान-वार कितने नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त नई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 48 स्थान खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1999-2000 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6 से 12 माह तक का समय लगता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित कृतिक बल

1846. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एक कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल का मुख्य कार्यनिष्पादन क्या है;

(ग) कृषि और बागवानी क्षेत्रों में कितने मूल्य के उत्पादों का उत्पादन और निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस कृतिक बल ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

टिहरी बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

1847. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है;

(ख) क्या विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई और किस हद तक धनराशि की कमी महसूस की गई और इससे कितना विलम्ब हुआ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) टिहरी एच.ई.पी. स्टेज-1 (1000 मे.वा.) के निर्माण से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन दो चरणों में किया जा रहा है। जहां चरण-1 कॉफर बांध निर्माण से प्रभावित परिवारों से संबंधित है, वहीं चरण-2 मुख्य बांध तथा जलाशय निर्माण से प्रभावित परिवारों से संबंधित है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित कार्यकलापों को टिहरी एच.ई.पी. के पूरा होने के साथ ही पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना प्रभावित शहरी तथा ग्रामीण परिवारों के पुनर्वास की प्रगति के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) टिहरी परियोजना चरण-1 से संबंधित पुनर्वास के लिए 862.57 करोड़ रु. (अगस्त, 1999 का मूल्य स्तर) के प्रावधान के विपरीत अब तक लगभग 600 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है। पुनर्वास कार्यों के लिए निधियों का कोई अभाव नहीं रहा है।

विवरण

शहरी तथा ग्रामीण परिवारों के पुनर्वास से संबंधित प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(1) विस्थापित ग्रामीण परिवार

कार्यकलाप	पूरी तरह से प्रभावित परिवारों की कुल सं.	पुनर्वासित/क्षतिपूर्ति प्राप्त परिवार
चरण-1	2064	2034
चरण-2	2845*	435
कुल	4909	2469

पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के अलावा, 3998 परिवार आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जिन्हें पुनर्वासित नहीं किया गया लेकिन उन्हें जलाशय के अंतर्गत आंशिक भूमि आने के कारण क्षतिपूर्ति का नकद भुगतान किया जाना है। 214 आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को नकद हर्जाना दिया जा चुका है।

(2) शहरी ग्रामीण जनसंख्या

प्रकार	अपेक्षित	निर्मित/विकसित	आबंटित
आवासीय प्लाट्स	2438	2438	2438
आवासीय प्लैट्स	2853	2837	2596*
दुकानें	784	787	707

*सभी पात्र तथा इच्छुक व्यक्तियों को फ्लैट/दूकानें आबंटित कर दी गई हैं।

कच्चे तेल का उत्पादन

1848. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में महीनेवार कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यवार कच्चे तेल की अनुमानित खपत कितनी है;

(ग) पिछले वर्ष में कच्चे तेल के आयात पर कितना खर्च आया था;

(घ) वर्ष 2001-2002 के लिए कच्चे तेल के आयात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) देश में 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल का माहवार उत्पादन नीचे दिया गया है:

मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी)

माह	उत्पादन	माह	उत्पादन
अप्रैल, 2000	2.56	अक्तूबर	2.77
मई	2.71	नवंबर	2.71
जून	2.68	दिसंबर	2.81
जुलाई	2.78	जनवरी, 2001	2.82
अगस्त	2.76	फरवरी	2.44
सितंबर	2.69	मार्च	2.70
		योग	32.43

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 2000-2001 के दौरान 65,932 करोड़ रुपए मूल्य के 74.097 एम एम टी कच्चे तेल की मात्रा का आयात किया गया

(घ) देश में वर्ष 2001-2002 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य 32.50 एम एम टी है।

(ङ) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्न सम्मिलित है:

(1) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा विद्यमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेष रूप से आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने उस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों सें तेल का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन ई एल पी के पहले दौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिन पर कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त एन ई एल पी के दूसरे दौर के तहत 23 ब्लाकों के लिए 17.7.2001 को पी एस सीज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 खोजे गए क्षेत्रों, जिनमें से 8 गुजरात में हैं और 1 असम में है, के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघ के साथ 23.3.2001 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(4) नए क्षेत्रों विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों में गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(5) खोजे गए नए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

विवरण

2001-2002 के दौरान क्रूड थ्रूपुट के संबंध में कच्चे तेल की अनुमानित खपत

राज्य	कंपनी	स्थान	थ्रूपुट टी एम टी में	
1	2	3	4	
महाराष्ट्र	एच पी सी एल	मुंबई	5,850	
	बी पी सी एल	मुंबई	8,600	
	उप जोड़			14,450
गुजरात	आई ओ सी	कोयाली	12,000	
	आर पी एल	जामनगर	27.010	
	उप जोड़			39,010
केरल	के आर एल	कोच्चि	7,500	7,500
तमिलनाडु	सी पी सी एल	मणली, चेन्नई	6,500	
	सी पी सी एल	नागापट्टिनम	650	
	उप जोड़			7,150
आंध्र प्रदेश	एच पी सी एल	विजाग	7,500	
	ओ एन जी सी	तातीपाका	52	
	उप जोड़			7,552

1	2	3	4	
कर्नाटक	एम आर पी एल	मंगलौर	10,502	10,502
उत्तर प्रदेश	आई ओ सी	मथुरा	8,000	8,000
हरियाणा	आई ओ सी	पानीपत	5,800	5,800
पश्चिम बंगाल	आई ओ सी	हल्दिया	4,200	4,200
बिहार	आई ओ सी	बरौनी	3,500	3,500
असम	आई ओ सी	गुवाहाटी	900	
	आई ओ सी	डिग्बोई	600	
	बी आर पी एल	बोंगाईगांव	1,800	
	एन आर एल	नुमालीगढ़	2,500	
	उप जोड़			5,800
	योग			113,464

बीआरपीएल: बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.
बीपीसीएल : भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
सीपीसीएल: चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
एचपीसीएल: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
एमआरपीएल: मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.
ओएनजीसी: आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.
आईओसी: इंडियन आयल कार्पो. लि.
केआरएल: कोच्चि रिफाइनरीज लि.
एनआरएल: नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.
टीएमटी: हजार मीट्रिक टन

किसानों को फसल कटाई के बाद हुआ नुकसान

1849. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को फसल कटाई के बाद भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) क्या ऐसे नुकसान को कम करने हेतु फसल कटाई के पश्चात् उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने की विधियों की सख्त आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) यद्यपि कटाई पश्चात् हुए नुकसान की सही प्रमात्रा की जानकारी नहीं है फिर भी विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि खाद्यान्नों के कटाई-पश्चात् हुए नुकसान में भिन्नता पाई जाती है।

- डा. वी.जी. पांसे की अध्यक्षता वाली समिति ने 1968 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें खाद्यान्नों में विभिन्न स्तरों में वार्षिक कटाई पश्चात् हुए नुकसानों को 9.33% तक आंकलित किया गया था।

- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 में किए गए सर्वेक्षण में खाद्यान्नों में कटाई पश्चात् पांच प्रतिशत तक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था।

- भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय अन्य भण्डारण प्रबंधन एवं अनुसंदान संस्थान द्वारा वर्ष 1985-88 के दौरान किए गए संयुक्त अध्ययन में गेहूं में कटाई पश्चात् हुए कुल नुकसान लगभग 4.12% तक होने का अनुमान लगाया गया था।

- कटाई पश्चात् प्रबंधन संबंधी एक उप-कार्यदल के अनुसार फलों और सब्जियों के मामले में नौंवी योजना के लिए निर्यात विपणन में प्रि-कूलिंग, रीफर बैनों जैसी कूल चेन व्यवस्था की कमी और कटाई पश्चात्

अपर्याप्त अवसंरचना इत्यादि के कारण कटाई पश्चात् व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर 8.37% तक फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं।

(ग) कटाई पश्चात् अवधि में खाद्यान्नों में हुए नुकसानों को कम करने के लिए भारत सरकार ने 1969-70 में अनाज बचाओं अभियान शुरू किया था। किसानों के लाभ के लिए अनाज बचाओं अभियान द्वारा क्षेत्र स्तर पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण, क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार, अनाज भण्डारण संरचना का सुधार करना और अन्य कार्यकलाप किए जाते हैं।

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) कटाई पश्चात् अवसंरचना प्रबंध सुदृढ़ करने और कटाई पश्चात् हुए नुकसानों को कम करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें चला रहा है:-

(1) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों और भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी;

(2) वाणिज्यिक बागवानी का विकास और बागवानी उत्पादों का कटाई-पश्चात् प्रबंधन।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में फसलों पर विषाणु जन्य रोग

1850. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन और तिलहन की फसलें पिछले कुछ वर्षों से विषाणु जन्य रोगों से संक्रमित हुई हैं और विशेषकर सोयाबीन, मूंग, उड़द तथा अरहर की फसलें पीत 'मोएजिक' महामारी को कुप्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इस विषाणु जन्य महामारी पर नियंत्रण करने के लिए क्या अनुसंधान कार्य किया गया;

(ग) सरकार ने कौन सी अनुसंधान परियोजना स्वीकृत/अनुमोदित की और इन फसलों के रोगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) उन अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भविष्य में शुरू करने का विचार है;

(ङ) सरकार द्वारा इन फसलों में लगने वाले रोगों के फैलने पर नियंत्रण करने हेतु तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) कृषिकृत क्षेत्र में अत्यधिक अपतृण के कारण उत्पादन में आने वाली गिरावट पर नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) पीला मोजैक रोग जैमिनी विषाणु के कारण होता है जो फसलों में सामान्य रोगवाहक सफेद मक्खी 'बेमिसिया टैबेकी' द्वारा संचारित किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् विषाणु से संबंधित रोगों की प्रतिरोधी/सहिष्णु उन्नत किस्मों के विकास पर बल दे रही है। पीले मोजैक विषाणु की प्रतिरोधी/सहिष्णु विकसित की गई किस्में अनुबंध-1 में दी गई है। तथापि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से पीले मोजैक रोग की महामारी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) अनुसंधान परियोजनाओं के नाम और उनके स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सुधार अनुसंधान को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में नौवीं योजना के दौरान एक नया केन्द्र स्थापित किया गया था।

(घ) विषाणु रोगों के प्रबंधन और किस्मों में रोगरोधिता/सहिष्णुता को विकसित करने के साथ-साथ विभिन्न फसलों में आनुवांशिक सुधार लाने संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ङ) पीले मोजैक विषाणु रोग के प्रबंधन के लिए रोगरोधी किस्मों को उगाने, खेत की सफाई करने तथा अपने आप उगने वाले बेमौसमी पौधों को नष्ट करने की सिफारिश की जाती है।

(च) अंकुरण से पूर्व आवश्यकतानुसार हाथ से निराई करने या 1-15 कि.ग्रा./है. की दर से पेंडीमेथालीन का प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है।

विवरण

मध्य प्रदेश में स्थित केन्द्र

अखिल भारतीय समन्वित परियोजना का नाम	अनुसंधान केन्द्र
सोयाबीन	सिहोर (ज.ला.ने.कृ.वि.वि.) जबलपुर (ज.ला.ने.कृ.वि.वि.) रायपुर (इ.गां.कृ.वि.वि.)
अरहर	सिहोर (ज.ला.ने.कृ.वि.वि.) खारगांव (ज.ला.ने.कृ.वि.वि.)
मुंग, उड़द, मसूर, लैथाइरस	रायपुर (इ.गां.कृ.वि.वि.)
राजमां और मटर (मुलार्प)	सिहोर (ज.ला.ने.कृ.वि.वि.)

पीले मोजैक विषाणु के प्रति रोगरोधी/सहिष्णु रखने वाली उन्नत किस्में

मंगू - पंत मूंग-1, 2, 3, 4; नरेन्द्र मूंग-1; पी.डी.एम.-11; पी.डी.एम.-54; एम.एल.-5; एम.एल.-131; एम.एल.-267; एम.एल.-337; पी.बी.एम.-2; पूसा-9531; पूसा बोल्ड-1

उड़द- पी.डी.यू.-1; पंत यू-19; पंत यू-30; यू.जी.-218; नरेन्द्र उड़द-1; के.यू.-301; टी.यू.-94-2; आई.पी.यू.-94-1; के.यू.-92-1; डब्ल्यू.बी.जी.-26

सोयाबीन-जे.एस.-79-81; के.बी.-79; एम.ए.यू.एस.-1; एन.आर.सी.-11

[अनुवाद]

जम्मू-जालंधर रेलमार्ग का दोहरीकरण

1851. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-जालंधर खण्ड में दोहरीकरण का कार्य किस तिथि को आरम्भ हुआ और अभी तक कितना कार्य पूरा हुआ है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस कार्य को अनुपूरक बजट 1997-98 में इस शर्त के साथ शामिल किया गया था कि आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने पर ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना पर वास्तविक कार्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही शुरू किया जाएगा।

(ख) कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इस परियोजना पर लगभग 335 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

अपराध न्याय प्रणाली

1852. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अपराध न्याय प्रणाली में आमूल सुधार करने के लिए अपराध न्याय प्रणाली सुधार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा किन पहलुओं की जांच की जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार ने देश में दांडिक न्याय प्रणाली के पुन: सुधार के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) समिति द्वारा कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति से यह अनुरोध किया गया है कि वह छह मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। वह अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है।

विवरण

दांडिक न्याय प्रणाली का पुन: सुधार करने के उपायों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

1. न्यायमूर्ति श्री वी.एस. मलिमथ, अध्यक्ष
2. न्यायमूर्ति श्री टी.एस. अरुणाचलम, सदस्य
3. श्री एस. वर्धाचारी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य
4. श्री अभिताभ गुप्ता, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य
5. प्रो. एन.आर. माधव मेनन, कुलपति, पश्चिमी बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, सदस्य
6. श्री दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव (न्यायिक) गृह मंत्रालय, सचिव के रूप में।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

(1) दांडिक विधि शास्त्र के जिसके अंतर्गत दांडिक विधिशास्त्र से संबंधित सांविधानिक उपबंध भी हैं, मूल सिद्धांतों की समीक्षा करना और यदि उसमें कोई उपांतरण या संशोधन अपेक्षित हों तो उन्हें देखना।

(2) दांडिक विधि शास्त्र के मूल सिद्धांतों और पहलुओं के संबंध में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस बात की जांच करना कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समय की मांग के अनुरूप और भारत की जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए पुन: लिखे जाने की आवश्यकता है।

(3) न्यायिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को सरल बनाने के संबंध में विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना और सामान्य व्यक्ति को उसके समीप, तीव्रता से, सरल तथा कम खर्चीला न्याय प्रदान करना।

(4) निर्दोष पीड़ित व्यक्तियों का संरक्षण करके तथा दोषी और अपराधियों को निश्चित रूप से दंड देकर न्यायपालिका, अभियोजन और पुलिस के बीच ऐसे सहयोग का विकास करने के उपायों और साधनों का सुझाव देना, जिससे कि दांडिक न्याय प्रणाली में सामान्य व्यक्ति का विश्वास पुन:स्थापित हो सके।

(5) अन्वेषण और विचारण के प्रक्रमों पर लंबित मामलों के वृत्तिक ढंग से प्रबंधन की ठोस प्रणाली का सुझाव देना और पुलिस, अभियोजन तथा न्यायपालिका को अपने-अपने क्षेत्र में विलंब के लिए उत्तरदायी बनाना।

(6) "परिसंघीय अपराध" की अवधारणा को आरंभ करने की साध्यता की समीक्षा करना जिसे भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में रखा जा सकता है।

हैदराबाद में सांस्कृतिक काम्प्लैक्स का निर्माण

1853. श्री वाई.वी. राव: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण के लिए दिए जाने वाले दान की राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के अधीन 100% छूट दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए इस मुद्दे पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने सृजनात्मक कलाओं, साहित्य इत्यादि में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, प्रसार करने तथा समर्थन देने के लिए "आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक प्रतिष्ठान" का गठन करने और हैदराबाद में एक सांस्कृतिक कॉम्प्लैक्स के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सांस्कृतिक काम्प्लैक्स को पूरा करने के लिए दानदाताओं से तथा उद्योगपतियों/लोकोपकारी व्यक्तियों से भी चन्दा एकत्र करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार से, आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अंतर्गत दानदाताओं को आयकर से 100% छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) वित्त मंत्रालय ने कर में 100% छूट देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अकाल पीड़ित राज्यों को खाद्यान्नों की नि:शुल्क आपूर्ति

1854. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अकाल पीड़ित राज्यों को नि:शुल्क दिए गए खाद्यान्नों का राज्य सरकार समुचित उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न वितरित किए गए; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार खाद्यान्नों के समुचित उपयोग के लिए कोई निगरानी समिति गठित करने पर विचार करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। सूखा प्रभावित राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन अनाज नि:शुल्क आबंटित किये गये थे। इस स्कीम के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित सरकारों की होती है।

(ख) और (ग) राज्य को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 4.07 टन चावल नि:शुल्क आबंटित किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 8 करोड़ से ज्यादा मानव श्रम दिवस सृजित किये गये हैं। काम के लिए अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्रगति का मॉनीटरन करती है।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन पर कोयले की परिवहन सुविधा

1855. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तापीय विद्युत संयंत्रों हेतु पारादीप पत्तन पर यंत्रीकृत कोयला सम्भलाई परिवहन सुविधाएं सृजित करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पारादीप पत्तन परियोजना की लागत कितनी है; और

(घ) परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना की समग्र लागत 831.11 करोड़ रु. है जिसमें एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई 550.00 करोड़ रु. की सहायता भी शामिल है।

(घ) परियोजना में परीक्षण के रूप में कार्य शुरू हो गया है और सितम्बर, 2001 तक प्रचालन शुरू होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर राज्यों में शीतागारों का निर्माण/आधुनिकीकरण

1856. श्री समर चौधरी:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राज्यों में कितने शीतागारों का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण किया जायेगा;

(ख) क्या इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों को भी वरीयता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम जैसे प्रत्येक राज्य में भंडारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए "पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम" नामक एक स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत दिनांक 1.4.2001 से 29.06.2001 के दौरान राज्यों में 40 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ख) स्कीम में पूर्वोत्तर राज्यों को प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना लागत की 33.33% धनराशि, जिसकी अधिकतम सीमा 60.00 लाख रुपये हो, जबकि अन्य राज्यों के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु परियोजना लागत की 25% धनराशि, जो 50.00 लाख रुपये से अधिक न हो, के लिए पार्श्वान्त पूंजी निवेश सब्सिडी उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है।

(ग) दिनांक 31.12.2000 की शीतागारों का आबंटन निम्न प्रकार से है:-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		शीतागारों की संख्या
1.	असम	19
2.	नागालैंड	01
3.	त्रिपुरा	03
4.	मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश	शून्य

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3863/2001]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) लागत लेखा अभिलेख (खनन और धातु कर्म) नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 276(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) लागत लेखा अभिलेख (इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद) नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) लागत लेखा अभिलेख (रासायनिक उद्योग) संशोधन नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 276(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) संशोधन नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) लागत लेखा अभिलेख (मोटर वाहन) संशोधन नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) लागत लेखा अभिलेख (इस्पात संयंत्र) संशोधन नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 281(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3864/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत वैमानिकी टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) आदेश 2001, जो 1 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3865/2001]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3866/2001]

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3867/2001]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:-

(1) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 200 जो 26 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/15/99- सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(1)/2001/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3868/2001]

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3869/2001]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3870/2001]

(दो) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3871/2001]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 16 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 16 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3872/2001]

(2)(एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3873/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्ययन दौरे संबंधी निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड; और

(2) केन्द्रीय भण्डारण निगम।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गांव सिरसावन में हाल में हुई हत्याएं

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, 22/23 जुलाई, 2001 की रात को गांव सिरसावन, थाना-भोजपुर, जिला

*ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3874/2001]

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

मुरादाबाद में छः लोगों की हत्या संबंधी घटना को संसद के माननीय सदस्यों ने 24 जुलाई, 2001 को इस सदन में उठाया था। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्यों का पता लगाया है।

जुलाई के दूसरे पखवाड़े में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंसा की तीन घटनाएं हुई, जिनमें एक ही प्रकार की कार्यप्रणाली अपनायी गयी थी। इन तीनों मामलों में हमला गर्दन से ऊपर के हिस्से, सिर और चेहरे पर किया गया था; हमला उस समय किया गया जब परिवार के सदस्य सो रहे थे; पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बीच कोई भेद नहीं किया गया; हमले में धातु की छड़ें और लाठियों का इस्तेमाल किया गया और हत्या करना, हमलावारों को उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी कि लूटपाट। मेरे अधिकारियों ने मुझे बताया है कि यह कार्यप्रणाली कुछेक जनजातियों की है जिन्हें ब्रिटिश काल में पहले ''आपराधिक जनजातियां'' के रूप में घोषित किया गया था।

तीनों घटनाओं में से सिरसावन की घटना सबसे अधमतम किस्म की थी। इस घटना में 6 व्यक्ति मारे गए - तीन घटनास्थल पर, एक अस्पताल ले जाते हुए और दो उपचार के दौरान। 13 व्यक्ति जख्मी हुए/मारे गए और जख्मी हुए व्यक्ति गांव के बाहरी क्षेत्र में दो मकानों में रह रहे थे। एक मकान में अनवर पुत्र श्री अली मोहम्मद और उसका भाई भूरे अपने परिवार के साथ रह रहे थे, जबकि दूसरे मकान में मो. हनीफ, उसका भाई नबी मोहम्मद और उसका परिवार रह रहा था। कार्यप्रणाली उसी प्रकार की थी जैसी कि उपर बताई गई है - व्यक्तियों के सिर पर और चेहरे पर लाठियों और धातु की छड़ों से उस समय हमला किया गया जब वे सो रहे थे। आज तक की गई सारी जांच-पड़ताल, भूतपूर्व आपराधिक जनजातियों के सदस्यों की संलप्तिता की ओर संकेत करती है।

इसी प्रकार की दूसरी घटना मेरठ जिले में 17/18 जुलाई की रात को हुई, जिसमें श्री ऋषिपाल के परिवार के तीन सदस्यों पर उस समय हमला किया गया जब वे मेरठ जिले में कस्बा मवाना के बाहरी क्षेत्र में अपने मकान में सो रहे थे। श्री ऋषिपाल, उनकी धर्मपत्नी, पुत्र और पुत्री को, गर्दन, सिर और चेहरे पर लाठियों और धातु की छड़ों से पीटा गया।

और इसी प्रकार की तीसरी घटना में, 26/27 जुलाई की रात को लखीमपुर खेरी में एक हमला किया गया जिसमें उस समय, इसी प्रकार से तीन व्यक्ति मार दिए गए और चार व्यक्ति घायल कर दिए गए जब वे श्री महेश अग्रवाल के घर पर सो रहे थे; कार्यप्रणाली वही थी जैसी कि उपर्युक्त दो घटनाओं में इस्तेमाल की गयी थी।

बताया गया है कि सिरसावन में किसी भी ग्रामीण ने कोई शोर-गुल्ल नहीं सुना और न ही किसी हमलावर को देखा। एक पुलिस उप निरीक्षक जो रात की ड्यूटी पर था, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजा। सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। तलाशी अभियान चलाया गया। श्वान दस्ते और फील्ड यूनिट को भी तैनात किया गया। जांच-पड़ताल से स्पष्ट रूप से यह पता चला कि यह कार्य कुछेक जनजातियों का है जिन्हें पहले ''आपराधिक जनजातियां'' घोषित किया जा चुका है, उन सभी जिलों को सावधान कर दिया गया है जिनमें इस प्रकार की जनजातियों पायी जाती हैं। मैं, इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि ये गिरोह अधिक घुम्नतू हैं और वे अपराध करने के लिए देहातों में घूमते रहते हैं, लेकिन हमलावरों को पकड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अधिकारी और अनेक अन्य पुलिस अधिकारी हैं।

गांव में सशस्त्र बल तैनात कर दिए गए हैं। सर्किल अफसर भी वहां डेरा डाले हुए हैं। घायलों के उपचार के प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार ने उपचार के लिए 1.25 लाख रु. की सहायता दी है। महानिरीक्षक, बरेली जोन ने अपराधियों को पकड़वाने के लिए सुराग देने वाले किसी भी व्यक्ति को 25 हजार रु. का इनाम देने की घोषणा की है। हम, की जा रही कार्रवाई का प्रबोधन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा 1 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा 1 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से समहत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

स्थगन प्रस्ताव

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 स्कीम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक घोषणा करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे टिप्पणी करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को यह सूचित करना है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यू.एस.-64 स्कीम के कुप्रबंधन और जिस प्रकार वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जानबूझकर की गई चूकों और कृत्यों के कारण सरकार और भारतीय यूनिट ट्रस्ट में छोटे निवेशकों का विश्वास पूर्णत: समाप्त होने के बारे में मुझे निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की 42 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

1. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
2. श्री बसुदेव आचार्य
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री रूपचन्द पाल
5. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
6. बेगम नूर बानो
7. श्री एम.के. सुब्बा
8. श्री ताराचन्द भगोरा
9. श्री जे.एस. बराड़
10. श्री कांतिलाल भूरिया
11. श्री राजकुमार वंग्चा
12. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा
13. श्री वी.एम. सुधीरन
14. श्री माधव राजवंशी
15. श्री कोडीकुनील सुरेश
16. श्री सुन्दर लाल तिवारी
17. श्री के.एच. मुनियप्पा
18. श्री नरेश पुगलिया
19. श्री चरनजीत सिंह
20. श्री अधीर चौधरी
21. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी
22. श्री शंकर सिंह वाघेला
23. श्री सुजानसिंह बुन्देला
24. श्रीमती प्रेनीत कौर
25. श्री भेरूलाल मीणा
26. श्री कोलूर बसवनागौड
27. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल
28. श्री सवशीभाई मकवाना
29. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी
30. श्री विलास मुत्तेमवार
31. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन
32. श्री मणि शंकर अय्यर
33. श्री एन. जनार्दन रेड्डी
34. श्री जार्ज ईडन
35. श्री एम.ओ.एच. फारूक
36. श्री पवन सिंह घाटोवार
37. श्री के.ए. सांगतम
38. श्री पवन कुमार बंसल
39. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
40. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

41. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल

42. श्री चन्द्र भूषण सिंह।

मैं अपनी सहमति श्री एम.के. सुब्बा को देता हूं जिन्होंने निम्न प्रकार से प्रस्ताव पेश करने के लिए बैलट में प्रथम स्थान हासिल किया है:-

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यू.एस.-64 फंड्स के कुप्रबंधन किए जाने से छोटे निवेशकों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव तथा इसे रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सरकार की विफलता।

श्री एम.के. सुब्बा ने अपने एक पत्र के माध्यम से जो मुझे आज ही प्राप्त हुआ है, अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर श्री प्रियरंजन दासमुंसी को चर्चा आरम्भ करने के लिए सभा की अनुमति दी जाए।

मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी सभा की अनुमति मांग सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वावा यू एस-64 फंड्स का कुप्रबंधन किये जाने से छोटे निवेशकों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव तथा इसे रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सरकार की विफलता के संबंध में मैं स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, वे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय: मैं देख रहा हूं कि खड़े हुए सदस्यों की संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक है।

अत: अनुमति प्रदान की जाती है। नियम 61 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा अपराह्न 4.00 बजे या इससे पहले शुरू की जाएगी।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): चर्चा अपराह्न 2.00 बजे शुरू की जाए।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): चर्चा अपराह्न 2.00 बजे से शुरू की जानी चाहिए। सभा को इसके लिए अधिक समय की जरूरत होगी।

अध्यक्ष महोदय: नियमानुसार इस पर बहस या तो अपराह्न 4.00 बजे ही होगी या फिर इससे पहले अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे होगी। हम इसे अपराह्न 2.00 बजे भी शुरू कर सकते हैं। वैसे इसे अपराह्न 4.00 बजे या इससे पहले शुरू किया जाएगा।

संसदीय कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): हम इसे 2.00 बजे शुरू कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अर्थात् अपराह्न 2.00 बजे। नियम 62 के अंतर्गत इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे 30 मिनट से कम का समय नहीं दिया जाता है।

मेरा प्रस्ताव है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा अपराह्न 2 बजे शुरू हो और इस पर मतदान 6.30 बजे हो। अत: हमें चर्चा के लिए 4 घंटे 30 मिनट का समय मिल जाये।

मुझे उम्मीद है कि सभा इसके लिए सहमत है।

समय का पार्टीवार आबंटन निम्न प्रकार है:-

1.	भाजपा और सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाली- अन्य पार्टियां	– 2 घंटे 05 मिनट
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	– 55 मिनट
3.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	– 17 मिनट
4.	तेलुगु देशम पार्टी	– 15 मिनट
5.	समाजवादी पार्टी	– 14 मिनट
6.	बहुजन समाज पार्टी	– 08 मिनट
7.	एआईएडीएमके (अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम्)	– 05 मिनट
8.	ए आई टी सी	– 04 मिनट
9.	एन सी पी (राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी)	– 04 मिनट
10.	आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल)	– 03 मिनट
11.	आईएनएलडी (इंडियन नेशनल लोक दल)	– 02 मिनट
12.	पीएमके	– 02 मिनट
13.	छोटे समूह (सीपीआई/आरएसपी) एबीएलसी/एआईएफबी/एमएलके एससी संयुक्त रूप से	– 07 मिनट
14.	निर्दलयी सदस्य/एक सदस्यीय पार्टी	– 09 मिनट

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस समय सीमा का ध्यान रखेंगे ताकि चर्चा निर्धारित समय के अन्दर समाप्त की जा सके।

अपराह्न 12.14 बजे

संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में 'शून्य काल' की चर्चा शुरू की जाएगी।

श्रीमती रेनु कुमारी—उपस्थित नहीं है।

श्री सुरेश कुरूप।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान में घटित एक भयानक दुर्घटना की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित रहें। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं।

मैं दक्षिणी राजस्थान में दो दिन पहले घटित एक भयानक दुर्घटना की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक भीड़ ने वहां सदियों पुराने मस्जिद को तोड़ दिया। इसे ठीक उसी प्रकार तोड़ा गया जिस प्रकार कांग्रेस सासन के दौरान बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था।

इस मस्जिद को राजस्थान में तोड़ा गया है जहां कि कांग्रेस पार्टी शासन कर रही है। किसी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस बारे में कोई जांच की है और क्या कोई कार्रवाई की है। इस सभा को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैंने भी इस विषय पर सूचना दी है।...*(व्यवधान)* यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: आप भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' में आप मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोट कर लिया है। 'शून्य काल' में पहले से तैयार किया गया वक्तव्य संभव नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने मामले को उठाया है और माननीय गृह मंत्री सभा में उपस्थित हैं। आपके द्वारा उठाए गए मामले को उन्होंने नोट कर लिया है। अब क्या है? आप मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। उन्हें तथ्यों का भी पता लगाना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस मामले को नोट कर लिया है।

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 2.8.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मंत्री से इस पर जानकारी चाहते हैं, तो आप उनसे मिल भी सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अभी तथ्यों का पता लगाना है। मंत्री बिना तैयारी के कैसे वक्तव्य दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री से भी मिल सकते हैं। उन्होंने आपके द्वारा उठाए गए सवाल को नोट कर लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय,*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब मैंने आप का नामक पुकारा था तो आप यहां नहीं थे। मैं क्या करूं?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं यहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम फिर पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं डॉ. गिरिजा व्यास का भी नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): महोदय, मध्य प्रदेश में जंगलों की कटाई भयानक तरीके से हो रही है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जनहित याचिका में निर्णय देते हुए एक स्ट्रिक्चर पास किया है। मध्य प्रदेश में राजनेता, वहां के अधिकारी और माफिया मिल कर जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इससे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। जहां एक-दो और तीन दशकों से आदिवासी निवास कर रहे हैं, वे खेती के लिए जो जमीन उपयोग में लाए हैं उनके उन्हें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ घने जंगलों की कटाई सरकार में बैठे राजनेता, माफिया और अधिकारी मिल कर करवा रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, जिसमें कहा गया था कि अगर यह कटाई जारी रही तो मध्य प्रदेश मरूस्थल बन जाएगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह तत्काल अविलम्ब हस्तक्षेप करे। एक तरफ वन अधिनियम 1980 में संशोधन कर आदिवासियों को पट्टा प्रदान करे, वही दूसरी और राज्य सरकार द्वारा की गई अवैध कटाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए ताकि मध्य प्रदेश को मरुस्थल होने से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: चिकित्सा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 40 प्रतिशत की अंक सीमा निर्धारित करने से भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी परिपत्र के कारण एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। महोदय, मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में चिकित्सा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए जहां 40 सीटें आरक्षित थी, वहां अनुसूचित जनजाति के केवल पांच आवेदक ही योग्य पाए गए क्योंकि इतने ही लोग भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की अंक सीमा को प्राप्त कर पाएं हैं। इस परिपत्र के कारण अनुसूचित जनजाति के आवेदकों का एक बड़ी संख्या चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन से वंचित हो सकती हैं। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 335 का सवाल है, 82वें संविधान संशोधन अधिनियम में मूल्यांकन स्तर में छूट देने या इसे कम करने का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लंघन किया जा रहा है। यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए भी 40 प्रतिशत की अंक सीमा निर्धारित की जाती है, तो फिर आरक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अत: मेरा कहना है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के नामांकन चाहने वाले आवेदकों को छूट दी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जनजाति के आवदेकों के लिए आरक्षण को यथार्थ रूप में कायम रखा जा सके।*...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): कृपया आप लाहिड़ी जी को जो कुछ कल विट्ठलभाई पटेल भवन में हुआ, उसके बारे में बताने दें।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें भी बोलने की अनुमति दे रहा हूं। अब, श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 2000 में भरतपुर के आयुध डिपो में आग लगी थी और उसमें 393 करोड़ रुपये का नुसकान हुआ था, मई 28, 2000 को कानपुर के आयुध डिपो में आग लगी थी, अप्रैल, 2001 को पठानकोट के आयुध डिपो में आग लगी और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के आयुध डिपो में आग लगी तथा उससे हजारों गांव प्रभावित हुए। अब जून 2001 में शकूरबस्ती के आयुध डिपो में

आग लगी है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। जब भरतपुर के आयुध डिपो में आग लगी थी तो आपने नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा कराया जाना सुनिश्चित किया था। इसके बाद इन विभिन्न स्थानों पर आग लगी। ये द्वितीय विश्वयुद्ध के जमाने के आयुध डिपो हैं और सबसे गंभीर बात यह है कि वर्ष 2001 में चार हजार करोड़ रुपया इन आयुध भंडारों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने खर्च करने का प्रावधान किया था लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया गया है। अब केवल 30 प्रतिशत आयुध भंडार ही सुरक्षित हैं और शेष खुले पड़े हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये भंडार सुरक्षित नहीं हैं। भरतपुर आयुध डिपो में आग लगने के बाद सी.बी. सुकु कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आ गयी है तथा उस रिपोर्ट का प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा कराई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री समीक लाहिड़ी जी, मैं समझता हूं कि आपने, डा. राम चन्द्र डोम ने और श्री हन्नान मोल्लाह ने नोटिस दिये हैं। मुझे सदस्यों से कुछ के सहकारी आवासों में चोरी और सुरक्षा त्रुटियों की घटना से संबंधित मामले को 'शून्य काल' में उठाने के लिए चार नोटिस मिल चुके हैं। मैं इस मामले में एक कार्रवाई टिप्पण की मांग कर रहा हूं। अत: मैं अपनी स्वीकृति बाद में दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप चारों ने नोटिस दिये हैं। मैंने तथ्य मगाए हैं। कृपया आप थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करें।

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर): कल जब मैं संसद भवन आया तो इसी बीच सेंधमार मेरे आवास में घुस गए। *...(व्यवधान)* मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। लगभग 60 माननीय सदस्य वहां निवास कर रहे हैं। विट्ठलभाई पटेल भवन में रह रहे इन 50-60 सदस्यों के लिए सरकार ने केवल एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड प्रदान किया है। कल, माननीय गृह मंत्री जी सदन को एक चीज के बारे में बता रहे थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री समीक लाहिड़ी, अच्छा होगा यदि आप इसे कल उठायें क्योंकि मैंने तथ्य मंगाए हैं।

श्री समीक लाहिड़ी: ठीक है, महोदय। आपके बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे 30 नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं आपको एक-एक करके बुला रहा हूं। यदि मैं अन्य सदस्यों के नाम पुकारूंगा तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर): सर, अभी कुछ लोगों ने राजस्थान की एक मस्जिद के संबंध में चर्चा करने की बात कही।

मैं आपके माध्यम से संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वहां पूरी तरह से शांति हैं और स्टेटस-को मेंटेन है। जिस जगह पर मंदिर और मस्जिद का हिस्सा और दीवार थी, उसे सही तरह बना दिया गया है। दोनों ग्रुप शांति के पक्षधर हैं, और उन्होंने शांति के साथ इस मामले को सुलझा लिया है। मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहती हूं कि हम शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाने वाले लोग हैं इसलिए तनाव पैदा न करें और शांति बहाल करने में मदद करें।

श्री ताराचंद साहू (दुर्ग): अध्यक्ष महोदय, देश में अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम काम करते हैं लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सिक हो गए हैं। मुझे जहां तक जानकारी है एचएससीएल और बीआरएल में कार्यरत कर्मचारियों का 18 महीने से एवं 8 महीने से मासिक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिससे गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारियों को वीआरएस लाने के लिए बाध्य किया गया। अनेक कर्मचारी वीआरएस लेकर गए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इसका पूरा पैसा दिया नहीं गया। सरकार के पास पैकेज भेज दिया गया है लेकिन उसे क्लीयर नहीं किया गया। सरकार को 45 दिन का नोटिस भी दिया गया जो 9 अगस्त को पूरा हो रहा है। आज 2 तारीख है। इन सात दिनों में बीआरएल के लिए पैकेज क्लीयर नहीं किया तो वह वाइंड अप कर दिया जाएगा। मेरा लोक सभा क्षेत्र दुर्ग, जहां भिलाई स्टील कारखाना है, वह एशिया का सबसे बड़ा स्टील कारखाना है। वहां गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। छत्तीसगढ़ शांति का क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार लम्बे समय तक भुगतान न होने से कर्मचारी आन्दोलन की राह पर आ रहे हैं। इसलिए पैंडिंग पैंकेज क्लीयर किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः आपने एक राज्य का विषय उठाने का नोटिस दिया है। यह राज्य और केन्द्र दोनों के बीच का मुद्दा है।

श्री पी.एच. पांडियनः महोदय, यह मामला केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तीन आई.पी.एस. अधिकारियों के स्थानान्तरण को लेकर है। क्या यह राज्य का विषय है? कृपया आप यह समझें कि यह राज्य का विषय नहीं है।...*(व्यवधान)* हम यहां चुपचाप बैठे हैं। हम अध्यक्ष के आसन की ओर नहीं दैड़ते। कृपया आप मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति प्रदान करें।...*(व्यवधान)* मैंने कल ही एक नोटिस दिया था। कृपया आप मुझे अनुमति प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): अध्यक्ष महोदय, आज देश के लोग भ्रष्टाचार से बहुत चिंतित हैं। वह पार्टी जिसने 40 साल तक देश में राज किया, उसकी गलत नीतियों का नतीजा इस सरकार को सहन करना पड़ रहा है। मैं भी इससे घोर चिंतित हूं। मैं आज सदन का ध्यान एक विशेष मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अखबार में एक समाचार छपा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मंत्री थे, उनके खिलाफ पैट्रोल पंप के बंटवारे के 11 केस चल रहे हैं। उन्होंने देश का बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज दूसरे देश में स्थानांतरित किया। वह उनके परिवार के लोगों के नाम स्थानांतरण हुआ। फेरा रैगुलेशन का वॉयलेशन बड़े पैमाने पर पूर्व के एक मंत्री द्वारा किया गया। ऐसा समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ है। यह भ्रष्टाचार का मामला है। यहां लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठाए जाते हैं। आज से चार दिन पहले ''इंडियन एक्सप्रेस'' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): मंत्री का नाम बता दें।

श्री राजीव प्रताप रूडीः मंत्री का नाम सदन में नहीं बोला जा सकता। अब वह मंत्री भी नहीं हैं। यह विषय बहुत गम्भीर है। इस मामले की जांच चल रही है लेकिन मुझे चिन्ता है कि देश का फॉरेन एक्सचेंज बेनामी नाम पर और उनके परिवार वालों के नाम पर दूसरे देश में भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोग आज राजनीति में हैं और हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं; मैंने श्री प्रवीण राष्ट्रपाल का नाम लिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप यह समझने का प्रयास करें कि अन्य माननीय सदस्यों को भी महत्वपूर्ण मामलों पर बात करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में श्री प्रवीण राष्ट्रपाल के कथन के अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आपने मामला उठाया है। आप सदन की कार्यवाही में विघ्न क्यों डाल रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है...*(व्यवधान)* यह भ्रष्टाचार का मामला है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अभी अन्य माननीय सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाना शेष है। अब, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं; मैंने श्री प्रवीण राष्ट्रपाल को अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी पार्टी के सदस्य को ही नहीं बोलने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री रूडी, आपको इसे इस तरह प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः कृपया अन्य सदस्यों को भी बोलने दें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपालः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गयी मानवाधिकारों संबंधी घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से भारत भी एक देश है। भारत के संविधान का निर्माण 1950 में किया गया। इसके द्वारा भारत के नागरिकों को सामान्य रूप से कुछ अधिकार दिये गये हैं और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। मैं विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 25 और 46 आदि के अंतर्गत दिये गये अधिकारों के बारे में बात कर रहा हूं।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान विशेष रूप से अगस्त के अंतिम और सितम्बर के प्रथम सप्ताह में होने वाले 'डरबन सम्मेलन' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस वर्ष मई माह में अपनी निजी हैसियत से जिनेवा सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है और विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है, किन्तु मुझे यह जानकर दु:ख हुआ है कि इस देश की सरकार ने यह मत प्रकट किया है कि भारत में जाति भेदभाव के मामले पर विश्व सम्मेलन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। क्यों? मैं इस बारे में भारत सरकार से जानना चाहता हू।

मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूं। पिछली जनवरी को ही, ससंद ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि ग्रामीण भारत में स्थिति अब भी नहीं बदली है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व सम्मेलन के विषय का चयन किया है: ''वर्गभेद, विदेशी द्वेष और वंश तथा काम पर आधारित अन्य असहनशील मुद्दे के आधार पर भेदभाव'' यदि इस देश में अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भेदभाव हो रहा है तो इन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। अत: मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इन विशेष मुद्दों का जवाब दें। भारत सरकार ने नकारात्मक रुख क्यों अपनाया है? भारत सरकार विश्व सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे रही है?...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः महोदय, यह एक गंभीर मामला है जिससे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की स्वतन्त्रता और विशेष अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने एकपक्षीय निर्णय में तमिलनाडु सरकार से दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन आई.पी.एस. अधिकारियों का स्थानांतरण किया है।

महोदय, राज्य सरकार की सहमति के बिना, संबंधित अधिकारियों की सहमति प्राप्त किए बिना ही इनका स्थानांतरण कर दिया गया। केन्द्र सरकार की इस इच्छा से राज्य सरकारों को सूचित नहीं किया गया राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं की गयी। उन्होंने एकपक्षीय आदेश निकाला है। उन्होंने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर दिया है।

यह मामला इस तरह से उत्पन्न होता है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में ठीक ही वैध करार किया है। किसी अधिकारी को उसकी स्वीकृति के बिना राज्य सरकार की जानकारी अथवा सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

इस मामले में, तीन आई.पी.एस. अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। ये स्थानांतरण भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग नियम 1954 के नियम 6(1) के अन्तर्गत किये गये हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि इस सभा में स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर भी चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): महोदय, वह इस मुद्दे को यहां नहीं उठा सकते।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः यह बहुत गम्भीर मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इसका जवाब कौन देंगे?

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झाः महोदय, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 (1-ख) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को अनुशासनिक कार्रवाई करने और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी पर अर्थदंड/दंड लगाने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार को सभी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार बाध्य है।...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णनः महोदय, केन्द्र सरकार अखिल भारतीय सेवा के किसी भी अधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत है।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः महोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल का कहना था कि यदि आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की सुरक्षा और स्तन्त्रता पर कोई आंच आती है, तो यह भारत की

[श्री पी.एच. पांडियन]

एकता के हित में नहीं होगा...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें कानून नहीं मालूम, प्रक्रिया नहीं मालूम, किन्तु वे नियमों को तो अवश्य जानते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री पांडियन, आप स्थानांतरण संबंधी मामलों पर सदन में कैसे चर्चा कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियनः महोदय, इस तरह से तो मैं नहीं झुकूंगा...*(व्यवधान)* महोदय, यह सब क्या है?...*(व्यवधान)* क्या मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं?...*(व्यवधान)* महोदय, ये तीनों अधिकारी वहां कानून और व्यवस्था का अनुरक्षा करने का अपना कर्त्तव्य निभा रहे थे...*(व्यवधान)* महोदय, दो केन्द्रीय मंत्रियों को कानून के उल्लंघन और उसकी अवमानना करने और इन अधिकारियों द्वारा उनके कर्त्तव्य निर्वहन में बाधा डालने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री पांडियन, अब आप यह मामला उठा चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियनः महोदय, मैं इस मामले की पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा। ये तीनों अधिकारी एक पुलिस कमिश्नर, एक संयुक्त पुलिस कमिश्नर और एक अन्य संयुक्त कमिश्नर, अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे थे...*(व्यवधान)* महोदय, दोनों केन्द्रीय मंत्रियों के प्रकरण में, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया और उन्हें एक अधिकारियों के कर्त्तव्य-निर्वहन में बाधा डालने की कोशिश करने के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किया गया...*(व्यवधान)* महोदय, क्या केन्द्रीय मंत्री किसी अधिकारी को उसका कर्त्तव्य पूरा करने से रोक सकते हैं?...*(व्यवधान)* भारत में ऐसा कोई कानून नहीं। किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि दो केन्द्रीय मंत्री किसी राज्य में जायें और अधिकारियों को उनके कर्त्तव्य-निर्वाह से रोकें...*(व्यवधान)* महोदय, केन्द्रीय मंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया, माननीय सभासदों! मैंने श्री चंद्रशेखर को अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, आपके और सभा के प्रति हमारे हृदय में गहरा सम्मान है, किन्तु हमें भी बोलने का मौका दिया जाये...*(व्यवधान)* महोदय, यह सभा में इस तरह से यह मामला नहीं उठा सकते...*(व्यवधान)* महोदय, दो अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि किस अधिकार से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सभासदों, छोटे बच्चे भी संसद की कार्यवाही देख रहे हैं, कृपया बात को समझिए।

...(व्यवधान)

श्री चंद्रशेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश): माननीय सदस्यगण इस प्रकार उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, श्री रघुनाथ झा ने एक उद्धरण दिया। मैं उनके साथ इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं कि किसी आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारी को दण्डित करने का केन्द्र सरकार को पूरा अधिकार है। यह सही है। किन्तु केन्द्र सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी कारण को दर्शाये बिना किसी अधिकारी को स्थानांतरित कर दे। पचास वर्षों से सदैव यह परंपरा चली आई है कि यदि किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाता है, तो राज्य सरकार की सहमति या मतैक्य लिया जाता है और उसके बिना यह नहीं होता—इस देश में पिछले पचास सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ।

यदि आप एक नया ही नियम लागू करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वह यह आदेश वापिस ले।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब श्री विजय कुमार मलहोत्रा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः मैं श्री चन्द्रशेखरजी को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने भी राज्यपाल की सिफारिश के बगैर द्रमुक सरकार को बर्खास्त करके एक पूर्वोदाहरण सृजित किया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री पलानीमनिक्कम, कृपया टोका-टाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, एक कांस्टीट्यूशनल सवाल उठाया गया है। मुझे याद है जब करूणानिधि जी के घर पर रात के ढ़ाई बजे जाकर पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको चोटें पहुंचाई उनको खींचते हुए ले गए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): यह सब क्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः श्री पांडियन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री मलहोत्रा के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, उस वक्त रेड्डी साहब ने भी, कांग्रेस पार्टी ने, चंद्रशेखर जी ने और सब लोगों ने इस बात पर एतराज किया, उस घटना को कंडेम किया कि किसी भी मुख्य मंत्री को, किसी एमपी को, किसी और ऐसे व्यक्ति को, किसी पूर्व प्रधान मंत्री को अगर कोई पुलिस अधिकारी इस तरह से जाकर दुर्व्यवहार करे, उसको चोटें पहुंचाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए प्लीज।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियनः कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, जब टीवी पर लोगों ने वह घटना देखी तो सारे देश की आत्मा हिल गई थी, सारा देश दहल उठा था और उस समय वहां पर जरूरत इस बात की थी जिसकी मांग की जा रही थी कि वहां धारा 356 लगाई जाए, सरकार को भंग किया जाए, परंतु वह कदम नहीं उठाया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियनः यह सब क्या है?...*(व्यवधान)* आप हमें, राज्य सरकार को, धमका नही सकते...*(व्यवधान)* आप ऐसा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, इस समय केन्द्र की तरफ से एक डायरैक्टिव की बात आई और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उस पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है बजाय उस पर कार्रवाई करने के। मेरा निश्चित मत है कि सेन्टर के उस डायरैक्टिव का पालन वहां की सरकार को करना चाहिए। अगर वह पालन नहीं करेगी तो जो भी तरीका होगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री जयपाल रेड्डी, क्या आप भी इसी विषय पर बोलेंगे?

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरियालगुडा): हां, अध्यक्ष महोदय। हम उस दिन या रात्रि विशेष में घटी घटनाओं के औचित्य पर इस समय चर्चा नहीं कर रहे। हम केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ विशिष्ट कदमों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसाकि श्री चन्द्रशेखर ने बिलकुल सही कहा, ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किया गया है...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः किन परिस्थितियों में?...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: केन्द्र सरकार ने उचित तरीके से व्यवहार नहीं किया। स्पष्ट है, उससे अपने एन.डी.ए. साझीदारों के दवाब में आकर ऐसा किया...*(व्यवधान)* यदि इस कार्यवाही को चलने दिया जाये, तो महोदय, भविष्य में राज्य सरकार आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों को लेने से ही इंकार कर देंगी। इसके केन्द्र-राज्य संबंध खतरे में पड़ जायेंगे। हमारे संघात्मक तंत्र के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अतएव, भारत सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, कुंवर अखिलेश सिंह।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यदि इनका व्यवहार ऐसा रहेगा, तो हम फिर किसी दिन किसी को नहीं बोलने देंगे...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: महोदय, ये सभासदों के अधिकारों में बाधा डाल रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैंने कुंवर अखिलेश सिंह को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा होती है और सत्ता पक्ष और विपक्ष, सभी पक्ष बाढ़ पर अपने-अपने तरीके से बाढ़ के निराकरण के लिए सरकार को सुझाव देते हैं, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की आजादी के 54 साल बाद भी यह देश बाढ़ की समस्या के समाधान करने या बाढ़ को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाया है।

अध्यक्ष महोदय, नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश करने वाली नदियां प्रति वर्ष भारत के भू-भाग को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। आज मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों की बाढ़ से उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता प्रतिवर्ष त्राहि-त्राहि कर रही है और एक-दो नहीं करोड़ों लोगों को अपने घरबार से बेघर होना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब से ठीक 48 घंटे पहले नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाली झरही, सोनिया नाला, महाव, रोहिन और राप्ती नदियों की प्रलयंकारी बाढ़ से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जनपद में त्राहि-त्राहि मची हुई है। बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त है। यहां पर जल संसाधन मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। बाढ़ राहत कार्यों का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे लोगों में आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है और लोग अभी भी अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री रघुनाथ झा और श्री नवल किशोर राय, आप स्वयं को कुंवर अखिलेश सिंह के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, जिस तरह से उड़ीसा में बाढ़ की विभीषिका से करोड़ों लोगों को जन-धन की क्षति हुई है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जन-धन की क्षति उठानी पड़ रही है और केन्द्र सरकार उनके राहत के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार है। मैं इन दोनों सरकारों से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए तत्काल राहत प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आर्थिक संसाधनों का रोना रोते हैं। इसलिए मैं जल संसाधन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराने के लिए कार्रवाई करें और एक केन्द्रीय दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का जायजा लेने के लिए भेजा जाए।
...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष पहले पीपाड़-बिलाड़ा आमान-परिवर्तन का शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने किया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार को कुछ कहना है?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मंत्री जी, कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या भारत और नेपाल का एक संयुक्त दल गठित किया गया है जो नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों की विभीषिका से नेपाल और भारत को बचाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, आप मंत्री महोदय को बोलने नहीं दे रहे। यह क्या है? बहुत हो गया।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ बहुत व्यापक स्थिति है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महदोय: नवल किशोर जी, मैंने आपका नाम पुकारा था।

...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: हमारे मारवाड़ में कहावत है कि हाकम बदल जाता है लेकिन हुक्म नहीं बदलता, शासन बदल जाता है लेकिन शासन का आदेश नहीं बदलता। पांच वर्ष हो गए, आमान-परिवर्तन के शिलान्यास में 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए। मैं डेढ़ वर्ष से प्रयास कर रहा हूं लेकिन आज दिन तक रेल मंत्रालय ने पांच रुपये उस आमान-परिवर्तन में खर्च नहीं किए और कार्य शुरू नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए। क्या सरकार को कुछ कहना है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, श्री नवल किशोर राय तथा श्री राजीव प्रताप रूडी आप स्वयं को कुंवर अखिलेश सिंह के कथन से सम्बद्ध कर सकते हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): महोदय, जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का संबंध है, मैं संबंधित राज्यों से सूचना प्राप्त कर लूंगा। यदि आप अनुमति दें, तो मैं कल या परसों या जब आप कहें तो वक्तव्य दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अच्छी बात है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: तत्कालीन रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि इस आमान-परिवर्तन के कार्य को बर तक बढ़ाया जाएगा। अगर इसे बर तक बढ़ाया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा पश्चिमी राजस्थान को होगा। मैं खासतौर पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसके आमान-परिवर्तन का कार्य शुरू किया जाए

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्रि-स्तर का सम्मेलन नवम्बर में टोगो में होने जा रहा है। चाहे गेहूं हो, चावल हो, रबर हो, काली मिर्च हो, चाहे नारियल हो, तिलहन हो, सरसों हो या चाहे फिर अन्य शाक अथवा कुछ ही क्यों न हो, भारत के किसानों की तकलीफ बहुत अधिक है। कृषि से संबंधित कुछ समझौतों में संशोधन किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से चर्चा किए जाने की अपरिहार्य आवश्यकता है, चूंकि जब नवम्बर में टोगो में सम्मेलन होगा, तो सरकार को विश्व व्यापार संगठन के समक्ष अत्यंत गंभीरता के साथ यह मुद्दा उठाना होगा। सारी राज्य सरकारों और भारत सरकार का सरोकार इस मुद्दे से है। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में पहले ही कुछ किया है। किन्तु हम चाहेंगे कि हमें इस बारे में सूचना दी जाए। सभा को जो सर्वोच्च संस्था है, इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए और हमें यह बताने का अवसर मिलना चाहिए कि इस विषय में जनता की धारणा क्या है। अतएव, इस संबंध में हमें विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। मैं कतिपय किसानों की भावनाओं के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, आप श्री पी.सी. थामस के कथन से स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं। सरकार को भी इसका उत्तर देना है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इसके लिए कब से प्रतीक्षा में था। मैं अपनी बात स्वयं कहूंगा। एक सदस्य होने के नाते, यह मेरा अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: पूर्व-अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। मेरा सुझाव है कि विस्तृत कार्य के पूर्व, यदि सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुला ली जाये, तो बहुत अच्छा होगा। कुछ भी हो, हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रबर और नारियल उगाने वाले किसान बड़ी तकलीफ में हैं। मेरे राज्य में, प्रमुखत: रबर और नारियल की ही खेती होती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए कि यह कोई चर्चा नहीं हो रही हैं। यह 'शून्य काल' है। आप दो मिनट में अपनी बात कहिए और सरकार से सूचना प्राप्त कीजिए। यह सब क्या है?

श्री पी.सी. थामस: किसान वाकई बहुत परेशानी में हैं। रबर के संबंध में तो मैं खासतौर पर कहना चाहूंगा कि इसे एक औद्योगिक उत्पाद के रूप में लिया गया, जबकि वास्तविक तौर पर यह एक कृषि-उत्पाद है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे केवल एक ही बात कहनी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने जो कहा, आप स्वयं को उससे सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्णय दिया गया है। निर्णय यह है कि रबड़ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार को न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा करने का निदेश दिया गया है। वह कार्य अब तक नहीं किया गया है। वह भी किया जाना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने आपको उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, माननीय सदस्य श्री पी.सी. थामस ने विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और कहा है कि भारत को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे भारतीय किसानों के हितों की रक्षा हो। सरकार की ओर से मैं कहूंगा कि मैं उनसे पूर्ण रूप से समहत हूं। मैं उनकी भावनाएं वाणिज्य और उद्योग मंत्री को पहुंचा दूंगा कि नवम्बर में होने वाले सम्मेलन से पूर्व माननीय मंत्री को भारतीय रुख तैयार करने में राजनीतिक दलों, नेताओं और राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए इसी प्रकार मैं इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं कि इस सदन को भी इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए।

यह सम्मेलन नवम्बर में होना है। मैं समझता हूं कि यह सम्मेलन शीतकालीन सत्र से पहले होगा। अत: इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व यह बेहतर होगा यदि हम इस विषय पर चर्चा करें कि भारत को भारतीय किसानों और भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए विश्व व्यापार सम्मेलन में क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं बहुत उत्सुक हूं कि यह चर्चा इस सदन में होनी चाहिए ताकि सरकार इस पर सर्वसम्मति पैदा कर सके और सभी माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सके।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, पीने के सुरक्षित पानी की समस्या भारत में लगभग सभी जगह व्याप्त है। हजारों ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का सुरक्षित पानी नहीं मिल रहा है लेकिन मैं एक विशिष्ट समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल के नौ जिलों में भू-जल संखिया से संदूषित है। यह किसी ने नहीं किया है; यह प्राकृतिक समस्या है। जहां रेगिस्तान हैं वहां रेगिस्तान विकास निधि है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में लवण-रोधी योजना है तो उसका उपयोग किया जाता है। अत: केन्द्र सरकार के पास विशिष्ट समस्याओं के लिए विशिष्ट योजना होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के सत्रह जिलों में से नौ जिलों में पानी में संखिया के संदूषण की विशिष्ट समस्या है। लगभग चार करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं क्योंकि इससे असाध्य रोग पैदा हो रहे हैं। हजारों लोग अपंग हो रहे हैं जब वे संखिया से संदूषित पानी का सेवन करते हैं। यह पश्चिम बंगाल की बहुत गम्भीर और विशिष्ट समस्या है। अत: रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के समान पश्चिम बंगाल में इस विशिष्ट समस्या के लिए विशिष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अन्य कार्यक्रमों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। एक विशिष्ट योजना विकसित की जानी चाहिए। इससे पूर्व केन्द्र सरकार धन देती थी किन्तु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पानी को साफ करने के लिए धन देना बंद कर दिया है। यह एक गम्भीर समस्या है और मैं सरकार से सख्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। संखिया संबंधी समस्या हल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने हेतु एक योजना सरकार द्वारा तैयार की जानी चाहिए और इस समस्या को हल करने के लिए धन दिया जाना चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): मेरा अनुरोध यही है कि सरकार को उन परियोजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए जो पानी में संखिया के संदूषण की समस्या के समाधान के लिए है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीर महत्व का मामला उठा रहा हूं जिससे विशेषकर मुस्लिम अल्प संख्यकों में वहां भारी रोष और तनाव पैदा हो रहा है। 'रिकोर्मिंग नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम' शीर्षक से एक प्रतिवेदन माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

इस प्रतिवेदन में मदरसों के बारे में उद्दण्ड और निराधार आरोप लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि हमारे देश में मदरसे, इस्लामी मदरसे, जो हमारे देश में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, साम्प्रदायिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इस प्रतिवेदन में ऐसे बेलगाम आरोप लगाए गए हैं कि इन मदरसों में अतिवादी शिक्षण का कार्य किया जा रहा है। महोदय, अब मैं सरकार से पूछता हूं.....

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, वह रिपोर्ट कहां है? क्या आप उस रिपोर्ट को प्रमाणिक ठहरा रहे हैं?

श्री जी.एम. बनातवाला: यह रिपोर्ट सभी सदस्यों को दे दी गई है। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को प्राप्त हो गई हैं। कम से कम मुझे माननीय गृहमंत्री की ओर से यह रिपोर्ट-सह-पत्र और सादर प्राप्त हुई है। यह मामला समाचार-पत्रों में आ चुका है। मदरसों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में मदरसों का देशव्यापी उत्पीड़न चल रहा है, एक के बाद एक मदरसे का उत्पीड़न किया जा रहा है।

महोदय, मैं सरकार से पूछता हूं कि यदि सरकार के पास कोई ठोस प्रमाण है तो उस प्रमाण को सभा पटल पर रखा जाए। अन्यथा, महोदय, सरकार इस बात को सुस्पष्ट करे कि सरकार मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार को प्रस्तुत इस विशेष रिपोर्ट में मदरसों के बारे में की गई टिप्पणी से सहमत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है, मंत्रियों के समूह द्वारा दी गई यह रिपोर्ट कह रही है, संघ परिवार की भाषा तनाव पैदा कर रही है। सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय को शक का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे मदरसे जो इस्लाम के शांतिपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है। सरकार को एक बयान देना चाहिए कि सरकार निराधार आरोपों का समर्थन नहीं करती...*(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो इस बात के प्रतिकूल है जो श्री जी.एम. बनातवाला कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: यह आवश्यक है कि राष्ट्र को संतुष्ट किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: मुझे इस मुद्दे पर एक अति महत्वपूर्ण बयान देना है। यह घटना महाराष्ट्र में जलगांव शहर में हुई है। मैं उस सूचना के बारे में नहीं जानता जिसका श्री बनातवाला हवाला दे रहे हैं। लेकिन जलगांव में एक मदरसे ने पाकिस्तान के लगभग नौ लोगों को प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने पाकिस्तानियों को प्रशिक्षण दिया है और वे नागपुर सम्भाजी नगर जिले और औरंगाबाद में बम रखने की योजना बना रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील की बात को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, हिजबुल मुजाहिद्दीन, आतंकवादी संगठन ने इसे शुरू किया है। दो दिन पूर्व उन लोगों को जलगांव के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा पकड़ा गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? आप मुद्दा उठा रहे हैं और साथ ही सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाए जो शहर में हो रही हैं। यह घटना जलगांव में हुई। अत: मैं सरकार से इसकी जांच का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे एक रिपोर्ट मिली है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो श्री के. फ्रांसिस जार्ज कह रहे हैं, को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: *महोदय, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय* सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा करने की योजना बना रहा है। *...(व्यवधान)* पिछले कुछ वर्षों से किसानों की यह मांग रही है कि रबड़ उत्पादकों की कठिनाईयों को कम किया जाए...*(व्यवधान)* यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, श्री पाटील द्वारा की गई टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं। उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, मैं कार्यवाही पढ़ूंगा और यदि कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, अत: मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का तत्काल अनुपालन करे और रबड़ के लिए सांविधिक न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा करे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, उच्चतम न्यायालय द्वारा रबड़ अधिनियम के खंड 13 के तहत रबड़ के न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा करने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय को निर्देश दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री चतुर्वेदी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनका नाम पुकारा है। उनके बाद आपको अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी ने यह बात उठाई है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कार्यवाही देखूंगा और यदि कुछ आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, अब वाणिज्य मंत्रालय सांविधिक न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा करने की योजना बना रहा है। हमें इन दोनों के बीच अन्तरर को समझना चाहिए। यदि न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा हो जाती है, तो सरकार कानूनी तौर से रबड़ की खरीद करने के लिए बाध्य होगी जब रबड़ का मूल्य न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम हो जाएगा।

महोदय, समाचार-पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश को रोकने के लिए अब वाणिज्य मंत्रालय सांविधिक न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा करने की योजना बना रहा है। यह उच्चतम न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के निर्देश का घोर उल्लंघन है। न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा नौ लाख रबड़ किसानों की मांग रही है। जो कई वर्षों से काफी परेशानी में है। सरकार यह कहती रही है कि वह रबड़ किसानों की मांगों पर विचार कर रही है।

महोदय, वर्ष 1991 के पहले यह प्रथा थी कि सरकार प्रति वर्ष न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा करती थी। लेकिन अब उदारीकरण नीति के आने के बाद यह प्रथा समाप्त कर दी गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज, यह कोई वाद-विवाद नहीं है। कृपया इसे समझें। क्या आप 'शून्य काल' के दौरान ही सब कुछ कहेंगे?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं सरकार से केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और रबड़ के लिए शीघ्रातिशीघ्र न्यूनतम निर्धारित मूल्य की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। श्री प्रियरंजन दासमुंशी चर्चा शुरू करेंगे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): महोदय, नियम 377 के अधीन मामलों का क्या होगा?

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, क्या नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।

अपराह्न 2.02 बजे

स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 स्कीम

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि सभा अब स्थगित हो''।

अध्यक्ष महोदय, मैं देश के छोटे निवेशकों और अपनी पार्टी की ओर से इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं। मैं कुछ देर बाद इस स्थगन प्रस्ताव को लाने के कारणों का उल्लेख करूंगा।

कल ही प्रधानमंत्री सदन के नेता और कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अत्यंत ही दिलचस्प वक्तव्य दिया। कभी-कभी कवि सच्चाइयों को अपने तरीके से उजागर कर देते हैं। उन्होंने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं—

[हिन्दी]

''बरसात का मौसम है, बादल तो घिरेंगे, लेकिन बादल छटेंगे भी। यह भी पक्का है।''

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री दूरसंचार घोटाले, सीमा शुल्क घोटाले, विनिवेश की चल रही प्रक्रिया और अंततः प्रधान मंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच की रस्साकसी से उनकी सरकार पर छाए संकट के बादलों के कारण बहुत ही चिन्तित थे। कौन इस शताब्दी के अभूतपूर्व यू.एस.-64 घोटाले की जिम्मेदारी लेगा जिसे हम सहस्राब्दी का घोटाला भी कह सकते हैं।

हमारे प्रतिष्ठित वित्त मंत्री ने इस वर्ष अपना बजट संभाषण देते समय एक अत्यंत ही दिलचस्प और उचित वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी जो

[हिन्दी]

''चोरी-चोरी, चुपके-चुपके''।

[अनुवाद]

अपना काम करते हैं।

वही वित्त मंत्री इस बात को न्यायोजित नहीं ठहरा पा रहे हैं कि जो कुछ हुआ उससे वे अनभिज्ञ हैं। जो लोग

[हिन्दी]

''चोरी-चोरी, चुपके-चुपके''

[अनुवाद]

अपना काम कर रहे हैं उनके क्रियाकलापों से वे अच्छी तरह अवगत थे। लेकिन उनका मंत्रालय जो लोग

[हिन्दी]

''चोरी-चोरी, खुल्लम खुल्ला''

[अनुवाद]

ऐसा कार्य कर रहे थे उनकी गतिविधियों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। स्थिति इस स्तर तक पहुंच चुकी है।

कल जब प्रधान मंत्री ने कहा कि—

[हिन्दी]

''बादल छटेंगे भी''

[अनुवाद]

तो उनका मतलब था कि वे अंतर-ध्यान हो जाएंगे। मैं नहीं जनता कि सत्ता पत्र से कौन अदृश्य हो जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि क्या वे वित्त मंत्री होंगे या दूरसंचार मंत्री अथवा स्वयं प्रधान मंत्री। मैं नहीं जानता बारिश शिव-सेना की ओर से होगी अथवा उन्हीं में उसे किसी अन्य पक्ष की ओर से...*(व्यवधान)*

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

महोदय, हमें यशवंत सिन्हा से व्यक्तिगत विरोध कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत मुद्दों अथवा व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं करती है। हम यहां आपके माध्यम से देश की प्रमुख संस्था वित्त मंत्रालय के बारे में बात कह रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से इस जहाज की कप्तानी अब हमारे वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा की जा रही है। 2 जुलाई के बाद जब कहानी सामने आई तो अपने प्रथम और तत्काल प्रतिक्रिया में उन्होंने इस मामले के बारे में अपनी जिम्मेदारी को इस प्रकार पूर्णत: नकार दिया जैसे कि यू.टी.आई. में जो कुछ भी हो रहा था उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कार्पोरेट क्षेत्र और यू.टी.आई. में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी जैसाकि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संकल्प में भविष्यवाणी की गई है। भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संकल्प में साफ-साफ कहा कि कार्पोरेट क्षेत्र, यू.टी.आई. और प्रमोटरों के बीच सांठगांठ थी। अपने संकल्प में भाजपा ने अन्य राजनीतिक पार्टियों की भांति कहा कि वह चाहती है कि सुधारात्मक उपाय तुरन्त किये जाएं। लेकिन वहां आपका एक शब्द जोड़ने में असफल रही। क्या यह केवल कार्पोरेट घरानों और यू.टी.आई. के बीच की ही सांठगांठ है? क्या इस पूरे षडयंत्र में अन्य कोई सांठगांठ नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता जो सभा में उपस्थित नहीं है। लेकिन मुझे दुख है कि मैं आज के समाचार-पत्रों की चर्चा किए बिना नहीं रह सकता जिनमें एक निर्दोष व्यक्ति श्री रंजन भट्टाचार्य को इन सबसे जोड़ा गया है। वे वित्त मंत्रालय से जुड़े नहीं हैं लेकिन मैं यहां विस्तार-पूर्वक नहीं बताना चाहता हूं कि वे कहां से जुड़े हैं। मैं किसी व्यक्ति से सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूं जो उन्होंने कहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): आप इस बारे में मना भी कर रहे हैं और कोट भी कर रहे हैं- यह गलत बात है। ...*(व्यवधान)* यह परम्परा है कि जो आदमी सदन में उपस्थित नहीं है, उसके बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मात्र इतना कहा था...*(व्यवधान)* मैं रंजन भट्टाचार्य का समर्थन कर रहा हूं जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से कहा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको खण्डन करने का मौका मिलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम सपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम रंजन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि देश का गवर्नेंस इस हाइट पर पहुंच गया है। अगर उनकी लड़की का या घर के किसी का शेयर है, उसे भी यूनिट ट्रस्ट, राजलक्ष्मी से निकालने के लिए चेयरमैन से बात करनी पड़ती है, इस लेवल तक गवर्नेंस पहुंच गई। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, इसमें दुख की क्या बात है। आम जनता यू.टी.आई. के चेयरमैन को फोन नहीं कर सकती कि मेरा यूनिट ट्रस्ट में शेयर है, उसे मैं निकालना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मजबूर होकर किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग यह क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन मंत्रालय के प्रवक्ता एक संयुक्त सचिव, श्री भगवती ने 31 जुलाई, 2001 को एक साक्षात्कार में कहा है कि "यह एक सच्चाई है। हमें स्थिति की गंभीरता के बारे में नहीं बताया जाता है। वित्त मंत्री बार-बार यू.एस.-64 संबंधी रिपोर्ट की मांग करते रहे हैं। लेकिन वे टाल-मटोल करते रहे हैं।"

महोदय, मैं किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव का उद्धरण दे रहा हूं। जिन्होंने सार्वजनिक रूप से एक साक्षात्कार दिया कि वित्त मंत्री चालू घटनाक्रम की रिपोर्टों को मांगने का प्रयास कर रहे थे और उनके पास जो रिपोर्ट आई, वह अस्पष्ट थी। इससे स्पष्ट तौर पर यही संदेश जाता है कि जो वहां हो रहा था वित्त मंत्री उस स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सके और वित्त मंत्री के प्रश्न का यू.टी.आई. द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है।

यदि छोटे निवेशकों के हितों यानी 2 करोड़ की धनराशि की अवहेलना को स्वयं वित्त मंत्री द्वारा जानबूझकर प्रोत्साहन और समर्थन दिया जा रहा है तो क्या वित्त मंत्री को जहाज की कप्तानी

करने का कोई हक है मैं कांग्रेस पक्ष की ओर से नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं उनके संयुक्त सचिव के साक्षात्कार से उद्धृत कर रहा हूं।

इसका अर्थ है कि उन्होंने तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की थी। इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन आपकी आवश्यकताओं और यह जो उत्तर आप मांग रहे थे उसे पूरा नहीं किया गया। यह 31 जुलाई को हुआ था। अब यूनिट ट्रस्ट में कौन है?

यूनिट ट्रस्ट का लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा प्रबंधन नहीं किया जाता है। यूनिट ट्रस्ट का प्रबंध भाजपा के मेरे प्रतिष्ठित मित्र, श्री किरीट सोमैया सहित छोटे निवेशकों के मंच के एक या दो प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जाता है। यूनिट ट्रस्ट का प्रबंधन न्यास के एक स्थायी सदस्य आई.डी.बी.आई. के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। क्या आई.डी.बी.आई. अपने सभी क्रिया-कलापों के लिए वित्त मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं है? बैठकों में कौन प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वहां हैं। अन्य दूसरे वहां कौन हैं? सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष वहां हैं। अन्य दूसरे वहां कौन हैं? कुछ और लोग भी वहां हैं। कुछ अन्य लोगों में भारत विकास निधि (इंडिया ग्रोथ फंड) के निदेशक भी हैं। बहुत सारी बाते हैं, जिसमें से एक का मैं उल्लेख करूंगा।

वित्त मंत्री महोदय इसे व्यक्तिगत रूप से न लें मैं आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। बोर्ड में एक और महाशय हैं। श्री किरीट सोमैया यहां उपस्थित नहीं हैं अन्यथा वे सांठगांठ को मुझसे ज्यादा न्यायोचित ठहराते? यूनिट ट्रस्ट के बोर्ड में वहां कौन है? जे.एम. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री निमेश कंपानी वहां हैं जो जे.एम. मोर्गन स्टैनली के अध्यक्ष भी हैं, जो वैश्विक सलाहकार के रूप में एयर इंडिया की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर रहे हैं जिन्होंने टाटा की कंपनी के निदेशक मंडल से मीडिया द्वारा यह पूछे जाने के बाद त्यागपत्र देना पड़ा कि वे जब टाटा सिंगापुर एयरलाइंस की बोली का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वे इस सांठगांठ में क्यों पड़े हैं। तो वे भी हैं। वे किस हैसियत से हैं? वे म्यूचुअल फंड के सलाहकार बोर्ड में हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को आजकल ''युनाइटेड थीव्स ऑफ इंडिया'' के नाम से जाना जा रहा है और वह पारस्परिक रूप से फंड का बंटवारा कर रही हैं। मैं बहुत जल्दी एक उदाहरण दूंगा।

टाटा पावर यूनिट की इकाइयों में से एक इकाई को हम यू.टी.आई. घोटाले का 150 करोड़ रुपए का लाभ हुआ यह कम्पनी न्यासी मंडल में भी है जो विनिवेश की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार भी है। वे म्युचुअल फंड की सलाहकार परिषद् में सम्मिलित हैं। इन्हें वित्त मंत्री के ध्यान में नहीं लाया जाता है अथवा वे उन वार्षिक रिपोर्ट, जो 1998-99 में इस सभा के पटल पर रखी गई थीं, से अनभिज्ञ हैं।

और कौन है? गुजरात अम्बुजा सीमेंट का निदेशक जो शेयर बाजार में सीधे शामिल हैं। वह पारदर्शिता क्या है जिसका प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान जनता के सामने दावा किया था? उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार उनके उद्देश्यों की पूर्ति करेगी और पूर्ण पारदर्शिता लाएगी। वह आदमी जिसके अपने आंतरिक व्यापार के बारे में प्रतिदिन शेयर बाजार में आपत्ति जताई जाती है वह यूनिट ट्रस्ट में हैं जिसके विरुद्ध वे जांच कर रहे हैं और बोर्ड में बैठा हुआ है।

वित्त मंत्री जी कहते हैं कि यह तो उनकी जानकारी में ही नहीं था। ये लोग बोर्ड में थे। यह उनके ध्यान में नहीं लाया गया। वे सब काम कर रहे थे और यदि वे इस प्रकार कहते हैं तो मैं पूर्ण आदर सहित वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे वित्त मंत्रालय का मुखिया बने रहने के बिल्कुल योग्य नहीं हैं। वित्त मंत्री जी सबसे भले आदमियों में से हैं, मैं उनसे तब मिला था जब मैं कुछेक वर्षों से अपने राजनैतिक कार्य कर रहा था। वे विनम्रता पूर्वक यहां संसद में आकर कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों की वजह से वे इसकी निगरानी नहीं कर सके। इसलिए वे अपना पद छोड़ रहे हैं। मैं उन पर उनके पापाचरण का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं उन पर भूल-चूक करने का आरोप लगा रहा हूं और भूल-चूकों का भी जवाब दिया जाना चाहिए तभी उन्हें उनके लिए भी जवाबदेह होना चाहिये।

उन्होंने रिपोर्ट संसद में रखी थी इसी सभा में ही और रिपोर्ट में उन्होंने न केवल यू.एस.-64 योजना का बल्कि अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया था। उन्होंने मास्टर गेन, मास्टर प्लस, मिनिमम इनकम प्लान इत्यादि का उल्लेख किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि चीन की एक दीवार थी। इसमें कहा गया है कि फंड मैनेजर यह कह रहे हैं कि योजनाओं के बीच एक चीन की दीवार है। क्या यह सच नहीं है? वित्त मंत्री महोदय, पूरा राष्ट्र यू.एस.-64 योजना को देख रहा है। अब यू.एस.-64 एक मृतप्राय: योजना है।

यहां बैठे सज्जन श्री नीतिश सेनगुप्ता एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं जो अंदर के कार्यों के विषय में मुझसे अधिक जानकारी रखते हैं। अन्य योजनाओं यथा मास्टर गेन, मास्टर प्लस, एम आई पी इत्यादि के संबंध में उन लोगों का भविष्य जोखिम में डालते हुए, 8,000 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई है तथा उलीची गई हैं।

वित्त मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि वह भी उनकी जानकारी में नहीं था। अप्रैल तथा मई में कारपोरेट घरानों द्वारा 4,500 करोड़

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

रुपए की पुनः प्राप्ति की गई। वित्त मंत्री जी ने स्वयं ''ब्लैक फ्राइडे'' की कहानी इस सभा में सुनाई थी। उन्होंने स्वयं शेयर बाजार के पैटर्न के रवैये पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने यह संवाददाता सम्मेलन में सी आई आई मंच पर और सभा में भी कहा था। मार्च से मई तक की अवधि महत्वपूर्ण थी। क्या यह सच है कि मार्च से मई तक आपकी श्री सुब्रह्मण्यम के साथ कोई बैठक नहीं हुई? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मार्च से मई के दौरान वे सब यूनिट ट्रस्ट निवेश की नवीनतम स्थिति की व्याख्या करने के लिए आपसे तथा श्री सुब्रह्मण्यम से मिल रहे थे। आप सीधे-सीधे सभा में मेरी कही बात का खण्डन कर सकते हैं। क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं कि 18 मई को तथा 12 से 15 जून के बीच अंदर के मामलों के बारे में स्वयं यू.टी.आई. के अध्यक्ष की ओर से कई पत्र आपको प्राप्त हुए थे? क्या आपने कोई समीक्षा बैठक की थी? आपने केवल, औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अधिकारिक रूप से अपने वित्त सचिव की बात की ही पुष्टि की है कि यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष इतने शक्तिशाली, इतने निराश अथवा दम्भी हैं कि उन्होंने आपसे बात करने या आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने केवल अनौपचारिक रूप से 3 जून को आपके वित्त सचिव को सूचित किया था कि वे 2 जुलाई को इस प्रकार का निर्णय लेने जा रहे हैं। संदेश प्राप्त करने के पश्चात् 30 जून को आपने बताया था कि ''उन्हें अपने करतबा की घोषणा करने दें, और फिर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा''। क्या आप संसद को यह बताना चाहते हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं था और जो कुछ किया वह उन्होंने ही किया था।

आपके पास पूंजी बाजार की निगरानी के लिए एक संयुक्त सचिव हैं। वित्त मंत्रालय में उनका क्या काम है? बाजार में क्या चल रहा है उसकी वित्त मंत्री को जानकारी देनी होती है। यदि आपके वित्त सचिव ऐसा नहीं करते हैं तो मैं वित्त मंत्री की स्थिति समझ सकता हूं। पंडित नेहरू के समय से यहां तक कि इससे पूर्व की सरकार से पहले के मंत्रालय में भी क्या कोई ऐसा मौका था जब एक के बाद एक करके लगातार चार वित्त सचिव बदले गए थे? हमारे पास डा. केलककर, श्री अहलुवालिया, श्री कुमार और श्री मांकड़ का उदाहरण हैं। लगातार परिवर्तन हुए। किसी भी स्थान पर परिवर्तन नहीं हो रहा था। केवल एक के बाद दूसरा वित्त सचिव ही बदला जा रहा था। यद्यपि मेरे पास जानकारी है परन्तु मैं यह नहीं बताऊंगा कि ऐसा किसके इशारे पर किया गया था। जो लोग सरकार में रहे हैं उनका कहना है कि वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को अक्सर या तो वित्त मंत्री की इच्छा पर अथवा वित्त मंत्री के संयुक्त विवेक पर बदला जाता है। शायद आपने सोचा होगा कि आपको और अधिक सक्षम आदमी चाहिए जो अधिक मार्गदर्शन कर सके, और कार्यों की सर्वोत्तम ढंग से निगरानी कर सके। आप डा. केलककर को नकार सकते हैं? यह रिकार्ड में है कि जब डा. पारीख रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो यह डा. केलकर ही थे जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ने नार्थ ब्लॉक में यू.टी.आई. के साथ पहली आंतरिक निगरानी बैठक की थी। उसके पश्चात् क्या हुआ? आज आप जो भी कहेंगे वह सभा की सम्पत्ति होगा। महोदय, मैं मामले को नाटक का रूप देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं।

मैं सरकार से वह भी श्री आडवाणी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें भरोसा दिलायें कि श्री सुब्रह्मण्यम से लेकर अन्य उन लोगों तक की जो अब हिरासत में हैं, हिरासत के भीतर ही उनके जीवन की पूरी सुरक्षा की जाएगी। यह इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि समय अब ज्यादा दूर नहीं है जब रहस्योद्घाटन हो जायेंगे। संभवतः ये अगले सप्ताह हो जायें, इस पखवाड़े में हो जायें, इस माह में हो जायें अथवा दो दिन बाद ही हो जायें। जब हम संसद के सामने बयान देते हैं तो परम पावन होता है इसके समान ही, हमारे संविधान के अनुसार न्यायपालिका के समक्ष दिये गये बयान का अपना यथेष्ठ महत्व होगा इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए।

अब मैं सुरक्षा के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? वित्त मंत्री महोदय, यदि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संकल्प इतना प्रबल है तो मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। कारपोरेट घरानों और यू.टी.आई. के बीच सांठगांठ बनी रहेगी। सांठगांठ को इसके कार्यों, प्रशाखाओं तथा आक्षेपों सहित उद्घाटित किया गया है। उन सभी जिन्हें सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया है, के बहुमूल्य जीवन की सम्पूर्ण जांच होने तक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं समाचार-पत्र से कई हजार खबरों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मैं भारत के व्यापारिक मीडिया को नमस्कार करता हूं। इस संकट की घड़ी में इसने वित्त मंत्री द्वारा उद्घाटित तथ्यों से तथा यू.टी.आई. द्वारा उद्घाटित तथ्यों से अधिक रहस्योद्घाटन करने के लिए छोटे निवेशकों का साथ दिया। आप मीडिया को घसीट सकते हैं। कुछ दिन पूर्व आगरा में कहा गया था कि वे मुशर्रफ के समर्थक हैं। परन्तु यू.टी.आई. घोटाले के मामले में मैं व्यापारिक मीडिया को नमस्कार करता हूं। यही तो वे हैं जिन्होंने एक के बाद एक रहस्योद्घाटन किए हैं। इस तथ्य के बावजूद कि पानी नार्थ ब्लॉक के सिर के ऊपर बह रहा था आपने महसूस किया कि यह प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था; आपने सिर्फ यही कहा था कि यह आपके ध्यान में नहीं लाया गया और यह शेयर बाजार का रवैया है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यू.टी.आई. में मंदी का दौर था। परन्तु आप क्या कर सकते थे? यह शेयर बाजार का रवैया है। आज इकोनामिक टाइम्स ने भारतीय स्टेट बैंक में

546 धोखाधड़ियों के बारे में अपने डॉट कॉम में रहस्योद्घाटन किया है परन्तु आप क्या कर सकते हैं? यह बैंक के साथ गैर-सरकारी पार्टियों का रवैया है। कल भारतीय जीवन बीमा निगम जाएगा परन्तु आप क्या कर सकते हैं क्योंकि पालिसी धारकों तथा निवेशकों के साथ यह भा.जी.बी.नि. का रवैया है? वे केवल यह कह सकते हैं कि वे वित्त मंत्री हैं और जब तक प्रधान मंत्री उन्हें वित्त मंत्री रखेंगे वे ऐसे ही रहेंगे।

कृपया इस मुद्दे को विपक्ष तथा सरकार के बीच में राजनैतिक मुद्दा न बनाएं। मुझे पता है कि अगस्त, 1995 में आपको इसी सभा में यू.टी.आई. द्वारा 1994 में इस देश की रिलायंस नामक एक प्रमुख कम्पनी में उच्चतम इक्विटी निवेश किये जाने के बारे में अपने अंक बनाने का मौका मिला था। उस दिन डा. मनमोहन सिंह अथवा कांग्रेस पार्टी अथवा सार्वजनिक जीवन में किसी अन्य को भी नहीं बख्शा गया था। उस समय की सरकार ने इसे हर्षद मेहता घोटाले से लेकर यू.टी.आई. द्वारा निवेश किये जाने तक जोड़ते हुए पूरे मामले को संयुक्त संसदीय समिति और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति को यह करने के लिए कि उसकी टेलीफोन वार्ता कितनी बार टेप की गई किसी पर भी उगंली उठाने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। सीबीआई की रिपोर्ट में इस संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। परन्तु इसी सरकार ने 'सेबी' ने तथा सीबीआई ने मामले में तत्कालीन नीति निर्माताओं की पूरी बेगुनाही के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए थे। मैं इस बारे में बहस नहीं कर रहा हूं। आप कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं किसी का बचाव कर रहा हूं। मैं केवल यह कहने का प्रयास कर रहा हूं इक्विटी निवेश बढ़ना शुरू हो गया और यू.टी.आई. को 800 करोड़ रुपए से अधिक लाभ होना शुरू हो गया। इससे भी मुझे संतोष नहीं होता क्योंकि एक दिन यह जोखिम रहित निवेश हो सकता है परन्तु दूसरे ही दिन यह जोखिम वाला निवेश हो सकता है। परन्तु जब 1998 में यह बड़ा संकट आया और सरकार ने उन्हें करदाताओं के धन से 3300 करोड़ रुपए का एक पैकेज देकर राहत पहुंचाई और अपनी पूरी समझ से दीपक पारेख समिति नियुक्त की, उस दिन से वित्त मंत्री की क्या ड्यूटी थी? आपने उन्हें 3300 करोड़ रुपए दिए। आपने दीपक पारेख समिति नियुक्त की। आपको रिपोर्ट मिली जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि निवल परिसम्पत्ति मूल्यांकन अनिवार्य है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इक्विटी निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी वित्त मंत्री पूरे विश्व के सामने यह दावा करते हुए 2 जुलाई तक उस मामले को लेकर बैठे रहे कि भारतीय सरकार की पारदर्शिता पर इस समय विचार किए जाने की जरूरत नहीं है। यदि श्री आडवाणी यह नहीं जानते कि डोडा में क्या हो रहा है और यदि वे कहते हैं कि उन्हें यह पता नहीं है कि प्रधान मंत्री निवास पर उनके जीवन की सुरक्षा के संबंध में क्या हो रहा है तो श्री आडवाणी गृह मंत्री बनने के योग्य नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप भ्रष्ट हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी मिलीभगत है। मैं आपसे केवल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी वहन करने के लिए कह रहा हूं। संसद के प्रति जवाबदेही की मांग है कि आपको बातों की जानकारी होनी चाहिए। फिर भी, यदि आप मामलों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप मंत्री रहने के योग्य नहीं हैं। आपके संयुक्त सचिव की रिपोर्ट के अनुसार यदि आपने गलतियां कीं और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तब भी आप मंत्रालय का प्रमुख बनने के योग्य नहीं हैं। यदि यह सच है कि शेयर बाजार के रवैये से आपको सूचना मिलती रही थी कि यू.टी.आई. द्वारा अप्रैल से मई तक इतना ऋण चुकाया गया और वह आपके ध्यान में नहीं लाया गया तब भी आपको मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है।

यदि आप व्यक्तिगत तौर पर त्यागपत्र देते हैं, तो मुझे दु:ख होगा जैसाकि मैं सत्ता पक्ष से एक मित्र को खो रहा हूं। महाभारत में द्रोण या अर्जुन अथवा किसी पक्ष की जीत नहीं हुई, बल्कि सच्चाई की जीत हुई थी और सच्चाई ही सर्वोच्च होनी चाहिए। सच्चाई यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री सहित समूचे मंत्रिमंडल को अंधकार में रखा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने छोटे निवेशकों के साथ-साथ संसद को भी अंधकार में रखा। अचानक ही उन्होंने कहा, ''मुझे पता ही नहीं था। मैं क्या कर सकता हूं?'' मैं टेलीफोन टेपों से प्रकट हुई बातों में नहीं जा रहा हूं। जो कुछ भी उसमें है रिकार्ड किया गया है। किसी भी अधिकारी को सरकार के स्टेट बैंक के और कहीं के किसी भी अधिकारी से बात करने का अधिकार है। मैं इसकी बात करने वाला नहीं हूं। मैं अभी बस यही बताना चाहता हूं कि जब सुब्रह्मण्यम महोदय ने कुछ बातों को उजागर किया, तब आपने संसद में कहा, ''नहीं, नहीं। वह विपक्ष से मिले हुए हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए।'' कल, उस अधिकारी को आपका वरदहस्त प्राप्त था और यदि आज, आप उसे उसकी मूढ़ता के लिए बलि का बकरा बनाते हैं, राजनीतिक हलकों में उसके संपर्कों को खत्म कर अचानक यह कहने का प्रयास करते हैं कि सभी सुरक्षित हैं तो मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मेरा मुद्दा यही है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री से कुछ प्रश्नों का ईमानदारी पूर्वक जवाब चाहूंगा। कल हमारे महान प्रधानमंत्री, हमारे शांत प्रधानमंत्री, हमारे सभ्य प्रधानमंत्री, हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री, हमारे संसदविद् प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने विपक्ष का नेतृत्व कई दशकों तक किया है और जिनसे मैंने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

राजनीति के एक छात्र के रूप में कई संसदीय कौशल सीखे हैं, उन्होंने दूसरे सदन में उदारतापूर्वक कहा, ''प्रधान मंत्री कार्यालय पर आरोप लगने दो। इसकी जांच भी होने दो।'' मैं उनके इस विनम्र प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। मैं उनके उदार प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। परन्तु जांच कौन करेगा? वित्त मंत्री यह जांच नहीं कर सकता कि क्या इस मामले में प्रधान मंत्री कार्यालय की कोई भूमिका है और प्रधानमंत्री कार्यालय यह जांच नहीं कर सकता कि क्या वित्त मंत्री की कोई गलती रही है। मैं जानता हूं कि पिछले सात दिनों से शीतयुद्ध चल रहा है। नार्थ ब्लॉक से वे पासा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर फेकते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय इसे वापस नार्थ ब्लॉक की ओर फेंकता है।

मैं कोई आक्षेप लगाए बिना यह कहना चाहता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के आचरण की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अलग-अलग की जानी चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष वकील के बयान के अनुसार अथवा सुब्रह्मण्यम महोदय और समाचार-पत्रों में उल्लिखित अन्य के वक्तव्य के अनुसार सभी संचिकाओं, टेपों की अनुलिपि को रखा जाए। संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे और सारे मुद्दे से संबंधित सच्चाई का तटस्थता से पता लगाए और उसे सभा के समक्ष रखे। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा यह काम पूरा किए जाने तक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों के अनुसार

[हिन्दी]

जब तक बादल नहीं छटेंगे तब तक यह शोभा नहीं देता कि वित्त मंत्री जी अपने पद पर न बैठे-

[अनुवाद]

जैसा कि जार्ज फर्नान्डीज ने किया है? मैं श्री जार्ज फर्नांडिज को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में कहा है, ''किसी भी तरीके की जांच-पड़ताल होनी चाहिए। तब तक मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा।'' और उन्होंने पद त्याग कर दिया। यदि आपके मंत्रिमंडल के श्री जार्ज फर्नान्डीज यह परंपरा स्थापित कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप हमारे देश के बेहतर संसदीय जीवन, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बरते जाने के लिए और संसद के प्रति वित्त मंत्री की जवाबदेही के लिए ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते?...*(व्यवधान)* श्री अरुण जेटली जी, यह संसदीय परंपरा नहीं है। यह तो संसद की इच्छा है जिसका कि महत्व है। संसद सर्वोच्च है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखे। संसद आपकी है। संसद मेरी और समूचे राष्ट्र की है और संयुक्त संसदीय समिति राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की समर भूमि नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय कौशल (चांदनी चौक): क्या आपके समय में किसी ने रिजाइन किया?...*(व्यवधान)* क्या आपके पास कोई उदाहरण है?...*(व्यवधान)* पचास साल में दुनियाभर के स्कैन्डल हुए, क्या किसी मंत्री ने रिजाइन किया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विजय गोयल जी कृपया हस्तक्षेप न करें। यह अति है। वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यहां माधव राव सिंधिया जी विराजमान हैं। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है।...*(व्यवधान)*

मैं वित्त मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वे उन कंपनियों की सूची प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनको निजी स्थापन में रखा गया था और चालू वर्ष में भारतीय यूनिट ट्रस्ट में उनकी हिस्सेदारी कितनी है? क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट उन कंपनियों की सूची प्रस्तुत करेगी जिन्होंने खुले बाजार से क्रय किया। इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है? उन्होंने क्या मूल्य बताया और वर्तमान मूल्य क्या है? मैं स्वयं यह सूचना दे सकता हूं परन्तु, वित्त मंत्रालय के पास निश्चित ही इस बारे में अधिक सूचना होगी। श्री अरुण जेटली विधि मंत्री हैं। वह कंपनी कानून भी जानते हैं और शेयर बाजार की गतिविधि से भी वाकिफ हैं। यह ज्ञात तथ्य है कि मेरे खुले बाजार में जाने के पहले, मुझे अपना सार्वजनिक आफर देने के लिए आई.पी.ओ. जाना होगा। वे कंपनियां कौन सी हैं जो सार्वजनिक आफर के दृष्टिकोण से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के साथ समझौता करने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास आई और बाद में आई.पी.ओ. के पास नहीं गई? क्या वित्त मंत्री जी वे नाम बताएंगे? क्या यह अभी वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध है? अथवा सभा में इस सूचना को रखने के लिए वे कुछ और समय चाहते हैं? यदि आप इस सूचना को रखते हैं तो पूरे देश को यह सुस्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि क्या जनसंचार माध्यमों और विपक्ष द्वारा किए गए दोषारोपणों में कोई दम है। क्या यह कोई रहस्यमयी समझौता हुआ था? अथवा कोई राजनीतिक अभिशाप था? अथवा संपूर्ण योजना में निजी स्वार्थों वाली कोई कार्यवाही की गई थी जिससे भारतीय यूनिट ट्रस्ट की हालत बिगड़ी? यदि मंत्री महोदय के पास यह सूचना मौजूद है, तो उन्हें सभा पटल पर इसे रखने दिया जाए। यदि उनके पास नहीं है तो इस सूचना को सभा पटल पर रखने के लिए कुछ और समय लेने की अनुमति अध्यक्ष महोदय से प्राप्त करने दी जाए। संसद को सच्चाई मालूम होनी चाहिए। मैं कई कंपनियों के नाम ले सकता हूं। हम साइबरस्पेस

से सम्मोहित नहीं हैं। साइबरस्पेस केवल एक उदाहरण है। यह तो पूरे मामले की एक छोटी सी झलक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने पहले इस कंपनी में निवेश न करने का निर्णय लिया। हो सकता है, बाद में राज्यलक्ष्मी के नाम से अथवा किसी अन्य नाम से कुछ काल किए गए होंगे। और तो और लक्ष्मी का नाम लेना, चाहे राज्यलक्ष्मी हो या देवी लक्ष्मी हो, आर्थिक अपराध तो नहीं है। अंततः, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निर्णय बदल दिया गया था।

महत्वपूर्ण मुद्दा सिटी कारपोरेशन बैंक के साथ साइबरस्पेस का संबंध है। यदि आप सिटी कारपोरेशन बैंक के साथ इसके कारोबार की तह में जाएंगे तो आपको सच्चाई दिखेगी। मैं प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हम भी उन्हें कई समारोहों में इसके और उसके उद्घाटन के लिए अनुरोध करते हुए आमंत्रित करते हैं। वे हमें अनुगृहित करते हैं। उन्हें इसके लिए आरोपित नहीं करना चाहिए। परन्तु ऐसा तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना चाहिए कि वह इन सभी ब्यौरों की सूक्ष्मता से जांच करे कि क्या हो रहा है, बादल हैं या नहीं आदि।

[हिन्दी]

बादल हैं या बादल छंट गये? जब प्रधानमंत्री जी साइबरस्पेस में पहुंचे, तब बादल नहीं छटे, अभी तक भी नहीं छंटे हैं।''

[अनुवाद]

हो सकता है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गुमराह किया गया हो।

[हिन्दी]

'प्रधानमंत्री क्या करें, उनको तो पता नहीं है और पब्लिक जाकर निमंत्रण देती है।''

[अनुवाद]

वित्त मंत्री ने या तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को जानबूझकर गुमराह किया था अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय ने अवश्य ही वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय का उपयोग अपनी कार्रवाईयों के लिए किया होगा। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कौन गलत है या कौन सही है। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए।

इस महान सदन में, यदि सरकार के पास यह कहने की हिम्मत है कि वह पारदर्शिता का दावा करती है, वह दोषियों को पकड़ना चाहती है, वह संयुक्त निवेशकों के हितों की सच्चाई को जानना चाहती है और वह एक और संयुक्त ससंदीय समिति के गठन को बुरा नहीं मानती, तो मैं चुप हो जाऊंगा। तब तक, माननीय वित्त मंत्री जी को जवाबदेही और छोटे निवेशकों की भावनाओं और हितों का सम्मान करते हुए पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वित्त मंत्री यह निरीक्षण करने के लिए समय नहीं निकाल पाते कि क्या बोर्ड की रिक्तियां भर दी गई है या नहीं। वित्त मंत्री जी, यह पूछने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने कार्यकरण से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। मेरे विचार से वह एक भले व्यक्ति हैं। वह एक भले मानव एवं संत पुरुष हैं परन्तु वित्त मंत्रालय की देखभाल करने और संसद में अपनी जवाबदेही को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हैं। अतः, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि वह त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं तो मामला प्रधानमंत्री के पास जाता है।

[हिन्दी]

बादल छंटाने के लिए पहले फाइनेंस मिनिस्टर की छंटनी करके जे.पी.सी. अनाउंस करके, सीधे दर्पण में एन.डी.ए. की तस्वीर देखे, जिसमें बी.जे.पी. का रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा।

[अनुवाद]

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से सच्चाई को उजागर करने का अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे अनुरोध के बाद कई माननीय सदस्यों द्वारा ऐसी ही मांग की जाएगी। मैं पुनः उनसे सच्चाई को उजागर करने, अर्धसत्य नहीं, सभी संपर्कों को उजागर करने का अनुरोध करता हूं। मंत्री महोदय जी, कृपया माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छानुसार बादल छंटने दें। इसे छंटने देने के लिए भगवान के लिए कुछ समय के लिए, जैसा कि श्री जार्ज फर्नांडिज अपना समय अन्य कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं, मंत्रालय को छोड़ दें और उन क्रियाओं को संपन्न होने दें जिससे कि सच्चाई पता चल सके। तब आप वापस आइए। हम सभी आपका आदर करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

''कि सभा अब स्थगित हो।''

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं उस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं जिसे इस महान सदन में श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा रखा गया है।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, यह विधि का न्यायालय नहीं है जहां श्री यशवंत सिन्हा का बचाव किसी वकील द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा उनका बचाव किया जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि उन्हें श्री अरुण जेटली की सेवाओं की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)* क्या वे उनसे इतना ऊब चुके हैं कि श्री अरुण जेटली द्वारा माननीय वित्त मंत्री का बचाव किया जाना चाहिए जो कि बहुत ही कमजोर हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय विधि मंत्री को यह स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए कि क्या वह यहां विधि मंत्री के रूप में खड़े हैं या फिर वह अपने पेशेवर रूप में मौजूद हैं। वह इतने कमजोर हैं कि उन्हें अपने बचाव के लिए श्री अरुण जेटली की आवश्यकता है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्रीमती श्यामा सिंह: वह किस हैसियत से यहां भाषण दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: वह एक मंत्री हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: जेटली जी बोलने लगे, तो ये क्यों घबरा रहे हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, आप क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, अब बहुत हो गया। माननीय मंत्रीजी बोलने के लिए खड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, उनका व्यवस्था का प्रश्न है, आपने उन्हें अवसर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: सर्वप्रथम उन्हें नियम का उल्लेख करना चाहिए, नियम का उल्लेख किए बिना वह इसे कैसे उठा सकते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह लोक सभा से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव है*...(व्यवधान)* वह राज्य सभा के सदस्य हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: क्या माननीय विधि मंत्री एक मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं? वह राज्य सभा के सदस्य हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह मंत्री के नाते बोल रहे हैं न कि राज्य सभा के सदस्य के नाते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, वह मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं न कि राज्य सभा के सदस्य की हैसियत से।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री माधवराव सिंधिया: वह राज्य सभा के सदस्य हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं न कि राज्य सभा सदस्य की हैसियत से,

श्री माधवराव सिंधिया: सत्ताधारी दल को चर्चा का आरम्भ लोक सभा सदस्य से करना चाहिए। वह बाद में भाग ले सकते हैं, उन्हें चर्चा का आरम्भ नहीं करने दिया जाए*...(व्यवधान)* गलत परम्परा स्थापित न करें, महोदय*...(व्यवधान)* गलत पूर्वोदाहरण स्थापित न करें*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, वह मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा पेश किए गये स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हूं, यह कहा गया, शायद एक तरह की हल्की टिप्पणी के रूप में, कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए किस हैसियत से खड़ा हो रहा हूं, निश्चित रूप से में व्यावसायिक हैसियत से खड़ा हुआ हूं। क्योंकि उसका सम्बन्ध मुझसे नहीं है और दूसरी तरफ बैठे मेरे मित्रों को याद होगा कि व्यावसायिक रूप से मैं उस तरफ बैठे सदस्यों सहित सभी का बचाव कर सकता हूं।

आज मैं यहां इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, एक बार मुद्दे स्पष्ट हो जाते हैं तो मैं श्री दासमुंशी को आश्वस्त कर सकता हूं कि मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं रहेगी। जब तक सही प्रश्नों को नहीं उठाया जाता शायद तब तक हम भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 स्कीम के साथ क्या गलत हुआ और यह समस्या कब शुरू हुई के बारे में सही उत्तर नहीं पा सकेंगे। सामान्य तौर पर कई वक्तव्य दिए गए हैं और इन वक्तव्यों को देते समय माननीय सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है वास्तव में उन्हें कुछ मुद्दों जिन्हें उन्होंने उठाने की कोशिश की है का जवाब स्वयं देना चाहिए था, वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू.एस.-64 पहली ऐसी योजना थी जिसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत परिकल्पित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस योजना का आशय लाखों निवेशकों को आश्वस्त आय प्राप्त होने से था, इसलिए, यह ऐसी योजना थी जिसे कई वर्षों से स्थायी ऋण आधारित योजना के रूप में चलाया जा रहा था। इस योजना का इक्विटी घटक बहुत ही सीमित था भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवेश के तहत यू.एस. 64 योजना का धन विभिन्न बान्डों, प्रतिभूतियों और ब्याज-धारक प्रतिभूतियों में लगाया गया था।

यू.एस.-64 ने आय को संचयित करना आरम्भ किया, यह बहुत ही सुरक्षित आय थी। इसमें किए गए निवेश का थोड़ा हिस्सा इक्विटी बाजार में लगाया गया, यह भाग 1992-93 में यू.एस.-64 के इक्विटी घटक का मात्र 28 प्रतिशत था, मैं इसे इस बात से नहीं जोड़ रहा हूं कि उस समय कौन सी सरकार सत्ता में थी। इसलिए यदि बाजार में उतार-चढ़ाव होता, यदि शेयर बाजार में बहुत अधिक गिरावट आती जैसा कि शेयर बाजार घोटाले के बाद हुआ। यू.एस.-64 का बहत्तर प्रतिशत निवेश ऐसा था जो शेयर बाजार से अप्रभावित रहा।

इसकी प्रकृति में वास्तविक परिवर्तन कब और कैसे हुआ? यह 1992-93 और 1995-96 की अवधि के बीच हुआ, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा था कि इसे ऋण योजना होना चाहिए था और यह पूछा था कि यह इक्विटी योजना कब से हुई। इस तथ्य के अलावा कि उन्हें सभा को आंकड़े याद दिलाना चाहिए थे कि 1992 और 1996 के बीच यह इक्विटी लिंक्ड योजना बन गई, यह ठीक हैं कि बाद में यह योजना इक्विटी योजना बन गई। वर्ष 1992 में इसमें 28 प्रतिशत इक्विटी थी, 1996 में 28 प्रतिशत वाला यह इक्विटी घटक 66 प्रतिशत इक्विटी घटक हो गया। इसमें से केवल यू.एस.-64 34 प्रतिशत ऋण प्रपत्र के रूप में था बाकी सब इक्विटी लिंक्ड था। वर्ष 1997-98 तक इस प्रकार के सत्ता में आने से पूर्व यू.टी.आई. अभी भी विद्यमान है चाहे सरकारें आएं जाएं लेकिन लघु निवेशकों के हित वही रहे- यू.एस. 64 का 70 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी से जुड़ चुका था। इसलिए ऋण संबंधी निधि से हटकर यह एक इक्विटी निधि हो गयी और यह इक्विटी निधि कब बनी...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, वह इस बात का उल्लेख करना भूल गए कि वर्ष 1997-98 में यह अधिकतर सरकारी क्षेत्र से जुड़ी थी।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि असली मुद्दा इसी बात पर निर्भर है कि यू.एस.-64 के साथ समस्या कब से आरम्भ हुई। उन्होंने इसे सरकारी क्षेत्र से जोड़कर ठीक किया लेकिन मैं चाहता हूं कि जब उन्होंने चर्चा आरम्भ की थी तो उन्हें यह बात अपनी टिप्पणी में उस समय कहनी चाहिए थी, इसलिए यू.एस. की 1995 में 66 प्रतिशत और 1997-98 में 70 प्रतिशत इक्विटी लिंक्ड प्रकृति होना, इससे क्या परिलक्षित होता है। शेयर बाजार में वृद्धि होने से यू.एस.-64 का शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य बढ़ता है। शेयर बाजार में गिरावट से यह भी गिरता है, शेयर मूल्यों में गिरावट है तो यू.एस.-64 का निवल परिसम्पत्ति मूल्य गिरेगा ही। यहां तक कि आज यह लगभग 70 प्रतिशत से अधिक के आसपास चल रहा है। इसकी प्रकृति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। वह

[श्री अरुण जेटली]

ठीक ही कहते हैं कि जहां तक उस समय की नीतियों का संबंध है तो उस समय यह वास्तव में ही इस प्रकृति से संबंधित था।

इसलिए, विचार करने की बात यह है कि यू.एस.-64 वर्ष 1992 और 1997 के बीच 66 प्रतिशत या 70 प्रतिशत इक्विटी संबंधित निधि हो गया और इस निधि की प्रकृति इसी प्रकार की रही। दीपक पारेख समिति ने कहा था कि इसे फिर से पूर्ववत ढंग से चलाया जाना चाहिए लेकिन इसे वापिस अपनी मूल प्रकृति में इस प्रकार लाया जाना चाहिए कि बाजार प्रभावित न हो जिससे कि शेयर बाजार में और गिरावट न आ पाये, यदि आप मूल्यों को देखें तो इसमें रुचिकर बात पता चलती है। यही वह दूसरा कारण है जिससे यू.एस.-64 की समस्या को बढ़ा दिया।

वर्ष 1991-92 में यू.एस.-64 की इक्विटी में निवेशित कुल राशि 2905 करोड़ रुपये थी और यदि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव होता तो यह 2905 करोड़ का निवेश ही प्रभावित होता। इसका अधिकतर हिस्सा इक्विटी परिधि से बाहर था, वर्ष 1997-98 में यह इक्विटी एक्सपोजर 2905 करोड़ से बढ़कर 13,647 करोड़ रुपये हो गया था। अत: सात वर्षों के दौरान 2905 करोड़ रुपए से बढ़कर यह 13600 करोड़ रुपए हो गए। यद प्रतिशत 66 और बाद में 70 प्रतिशत हो गया। इसलिए यह शेयर बाजार के उतार-चढ़ावों से और अधिक प्रभावित होने लगा। अत: एक वक्तव्य दिया गया था कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का यू.एस.-64 पर असर पड़ता हैं। अब से कुछ महीने बाद मैं आशा करता हूं कि शेयर बाजार में उछाल आयेगा और उस समय यू.एस.-64 का निवल सम्पत्ति मूल्य फिर से उठेगा जब तक इसे पूर्ववत नहीं किया जाता है आज की स्थिति के अनुसार इस योजना का 70 प्रतिशत शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे अभी-अभी उठाया गया है वह 10742 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी का निवेश किस में किया गया है, वह 32 करोड़ रुपये के निवेश और प्राइवेट प्लेसमेंट को बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में कहूंगा कि यह संस्कृति कब आरम्भ हुई, टिप्पणीकर्त्ताओं को उस विशेष लेन-देन पर क्या कहना है जिसका जोरदार ढंग से बचाव किया गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप नेस्ले पर बोलते समय इस बात का विस्तार करेंगे? वर्ष 1998 से पहले के इक्विटी निवेश का घाटा क्या था और वर्ष 1998 से बाद के इक्विटी निवेश का घाटा कितना है? कृपया, इस बात को बहुत ही पारदर्शी ढंग से बताएं?

श्री अरुण जेटली: मैं समझता हूं कि हमें इस प्रश्न को सीधे ढंग से लेना होगा। पूरी निधि कुल मिलाकर एक ही निधि है, अत: पूरी निधि को लेकर ही मैं निवेश के बारे में बात करूंगा, यदि आप अगले वाक्य की प्रतीक्षा करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। 10,742 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1990 और 1997 के दौरान इक्विटी बाजार में बढ़ी हुई निवेश राशि थी। इसका अधिकतर भाग कहां गया? आपने एक लेन-देन की पैरवी तब की जब आपको लगा कि कुछ नेताओं पर हमला किया जा रहा है। यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था, मैं इसकी चर्चा जरूर करूंगा लेकिन किसी पर हमला नहीं करूंगा, यह एक गम्भीर मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना है। यह सबसे बड़ा निवेश नहीं था। इन 10742 करोड़ रुपयों में से 4572 करोड़ रुपये यू.एस.-64 का सबसे बड़ा घटक था जिसका इस्तेमाल विनिवेश के नाम पर शेयरों को खरीदने के लिए किया गया था। जिनका कि वर्ष 1992 से 1996 की अवधि के दौरान विनिवेश किया जा रहा था।

हमने पिछले एक-डेढ़ वर्ष में इन बातों पर इस सभा में कई अवसरों पर चर्चा की है, इस बात पर स्पष्टत: अलग-अलग राय है कि विनिवेश कैसे किया जाए, वर्तमान सरकार ने इस प्रक्रिया को आरम्भ किया है जिसे हम नीतिगत बिक्री के नाम से पुकारते हैं, हम हमेशा ही इस बात पर विश्वास करते हैं कि नीतिगत बिक्री की प्रक्रिया में बोली लगाने की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करके सर्वाधिक बोलीदाता को ही शेयरों का उचित भाग मिलना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र पूरी कीमत अदा करता है, निजी क्षेत्र कम्पनी के प्रबंधन को नियंत्रण में ले लेता है। इसमें कुछ सरकारी प्रतिनिधित्व रहता है क्योंकि इसमें सरकार की भी अंशधारिता होती है, इसे बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। वे लोग नई पूंजी और नई प्रौद्योगिकी लाते हैं, इस प्रक्रिया में यह लोग उन कम्पनियों को चलाने का प्रयास करते हैं जिससे विनिवेश या निजीकरण होता है इस प्रक्रिया की आलोचना की गई है।

[अनुवाद]

वक्तव्य की आलोचना के दौरान बार-बार यह कहा गया कि नहीं, नहीं यह प्रक्रिया तो हमने 1991 में शुरू की थी और वह प्रक्रिया थी कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के दो प्रतिशत, पांच प्रतिशत, सात प्रतिशत शेयर बाजार में जारी करना, उनसे लघु ऋण की अदायगी की जाए तथा उन्हें बाजार में बेचा जाए और बाजार पर उन्हें खरीदने के लिए जोर डाला जाए। लेकिन कई बार बाजार हमसे अधिक चतुर साबित होता है। बाजार ने उन शेयरों को उठाया जिनका लाभप्रद मूल्य मिलने की संभावना थी। बाजार को कुछ शेयर अधिक आकर्षक नहीं लगे। इसलिए, 1992 में एक अच्छी योजना लाई गई। योजना थी-हम सभी शेयरों को तीन श्रेणियों में विभाजित करेंगे, सरकारी क्षेत्र के अच्छे उपक्रम, मध्यम दर्जे के उपक्रम और घाटे में चल रहे उपक्रम, उन सबको एक

बंडल में बांधिए और उस बंडल में इकट्ठा बेच दीजिए। किसी ने भी वे बंडल नहीं खरीदे। लेकिन चूंकि हमें बजट संतुलित करना है अत: हमें कुछ विनिवेश तो दिखाना ही पड़ेगा। अत: हमने इसके लिए यू.एस.-64 से उसमें इस 10,742 करोड़ रुपयों के कोष में से इन 4572 करोड़ रुपये के बंडलों और शेयरों को खरीदने के लिए कहा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेरे विचार से श्री अरुण जेटली आप पूर्णतया दिगभ्रमित कर रहे हैं। 1990 के बाद से निवेश का विवरण यहां नहीं है। कृपया जहां यदि मैं गलत बोलूं आप मेरी गलती सुधार दें। दिए गए पैकेज में कितना निवेश हुआ—सूचना प्रौद्योगिकी, कजारिया कैमिकल्स, मवालिका स्पनिंग और अन्य? अधिसंख्य निवेशकों का क्या हुआ?...*(व्यवधान)* क्या ये आपूर्ति निवेश हैं?

श्री अरुण जेटली: श्री दासमुंशी यह विनिवेश के अतिरिक्त है। इसलिए मैंने तो आंकड़े दिए हैं वे उनमें से हैं जब आप बहुत कम संख्या में शेयरों का विनिवेश कर रहे थे। तब आपने पाया कि उनका कोई खरीददार नहीं है। तब आप भारत के छोटे निवेशकों के कोष प्रबन्धक-यू.एस.-64 को आगे लेकर आए। आपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर खरीदने शुरू किए और 4572 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। यही वो बात थी जिसने यू.एस.-64 के निवेश को ऋण-संबंधित कोष से बदलकर शेयरों से संबंधित कोष बना दिया। इसी पर बात समाप्त नहीं हुई। यह इसका सबसे बड़ा अंश नहीं है। कृपया यह भी देखिए कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का प्रबन्ध किस प्रकार से किया जाता रहा है। यूनिट ट्रस्ट को व्यवसायिक आधार पर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने सही ही कहा है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की कार्य की प्रकृति से संबंधित निर्णय नार्थ ब्लाक में नहीं किए जा सकते। इसका बोर्ड एक स्वयात्तशासी स्वतंत्र निकाय है उन्हें ही निर्णय लेना चाहिए।

अब बोर्ड ने लाभांश घोषित करना शुरू किया है। यह निवेश करने के पश्चात् बोर्ड 1994-95 में 26 प्रतिशत, 1995-96 में 26 प्रतिशत और 1996-97 में 20 प्रतिशत लाभांश घोषित करता है। आपने यह 20 प्रतिशत और 26 प्रतिशत लाभांश कहां से और कैसे घोषित किया? कुछ चुनाव सन्निकट थे। इसलिए यह लाभांश घोषित करने के लिए आपने पुन: भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड की गैर-व्यावसायिक प्रैक्टिस का उपयोग किया। 1994-95 में उन्होंने आरक्षित कोष से 686 करोड़ रुपये निकाले, 1995-96 में 1147 करोड़ रुपये निकाले व 1996-97 में 390 करोड़ रुपये निकाले।

अत: प्रतिवर्ष बहुत अधिक लाभांश घोषित कीजिए जिसका अर्जित किए गए लाभ से कोई संबंध न हो और इसे ब्याज या लाभांश को घोषित करने हेतु आरक्षित कोष में से धन निकालिए व इस प्रकार धन निकालने के परिणामस्वरूप ही 30 जून, 1998 की स्थिति पैदा हुई, कृपया इस तिथि को ध्यान में रखिए, यू.एस. 64 का नकारात्मक नेटवर्क 1098 करोड़ रुपये का था। इसलिए 1998 के मध्य में आपने उन शेयरों में निवेश किया जो सरकारी नीतियों के कारणवश लाभदायक नहीं थे। उसके पश्चात आप लाभांश घोषित करते हैं जो कि न केवल असंगत है बल्कि कई बार अर्जित किए गए लाभ के बिल्कुल विपरीत लाभांश घोषित किया गया और अचानक 30 जून, 1998 को आप पाते हैं कि यू.एस.-64 का नेटवर्क नकारात्मक हो गया।

अब 30 जून, 1998 का यह पूरा नकारात्मक नेटवर्क केवल श्री यशवन्त सिन्हा की देन नहीं था जिन्हें उस वक्त तक आए हुए केवल 2 माह बीते थे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उस समय तक की जिम्मेदारी हम सभी को ग्रहण करनी चाहिए। हो सकता है कि उस समय की सरकार ने निवेश संबंधी निर्णयों में हस्तक्षेप किया हो और इसके लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर दबाव डाला हो। अत: उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए...*(व्यवधान)* यदि वे राजनीतिक झुकाव को देखते हैं तो वे चन्द्रशेखर सरकार में भी वित्त मंत्री थे।

श्री अरुण जेटली: अत: 30 जून, 1998 को यू.एस.-64 का 1098 करोड़ रुपयों का नेटवर्क था। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि उनके वित्त मंत्री• या कोई अन्य वित्त मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण का एक विशेष तरीका है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपने कार्यकरण संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए। प्रत्येक सरकार का यही रुख होना चाहिए, मैं आपके सामने यही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूं।

इसीके संबंध में हम यह देखते हैं कि वर्तमान संकट कैसे उत्पन्न हुआ? वित्त मंत्री क्या करते हैं? 1998 में, जिसे इन्होंने गलत ढंग से 'बेल आउट पैकेज' कहा, वित्त मंत्री अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग थे। जून 1998 में जब यह समस्या पैदा हुई, यू.एस. 64 एक नकारात्मक नेटवर्क योजना बना गयी। यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपनाई गई अंतिम नीतियों के परिणामस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई। अत: उस समय उनके सम्मुख एक विकल्प यह था कि वे करदाताओं का पैसा इसमें झोंकने लगते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दीपक पारेख समिति ने एक योजना का सुझाव दिया था और तब यह कहा गया कि दीपक पारेख समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, यही वह योजना थी जिसके अन्तर्गत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर वापस खरीदे और 11.24 प्रतिशत पर 3300 करोड़ रुपयों के बांड पांच वर्ष के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट को दिए।

इसी योजना का सुझाव दीपक पारेख समिति ने दिया था। यह 3300 करोड़ रुपये नकद देने का कोई 'बेल आउट पैकेज' नहीं

[श्री अरुण जेटली]

था। आपने वो शेयर वापस खरीदे और चूंकि वे कोई बहुत लाभप्रद शेयर नहीं थे तो जैसे ही संवेदी सूचकांक गिरा आज उनका मूल्य लगभग 1400 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को यू.एस.-64 को विनिवेश के नाम पर बेचने का साहसिक निर्णय स्वयं में एक मामला है जिसका आपको स्वयं को उत्तर देना चाहिए। जब आप स्वयं को इसका उत्तर देंगे तो आज भी आपको यह महसूस होगा कि उस अवधि के दौरान जिस नीति को आगे बढ़ाया गया था वह सही नहीं थी।

अपराह्न 3.00 बजे

आपने प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा किए गए निवेश के बारे में पूछा है। आपने सही कहा कि प्राइवेट प्लेसमेंट करना भी एक तरीका रहा है जिसके संबंध में गंभीर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। जिसके बारे में आप बात नहीं करते थे आपने उस सौदे का जोरदार तरीके से बचाव करना शुरू किया। मैं यह विशेष रूप से कह रहा हूं। मैं किसी सरकार या मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने इसका बचाव नहीं किया...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: हमने आपकी बात सुनी। इस तरफ से किसी ने यह नहीं कहा कि आपने मुम्बई की इस या उस कंपनी में गलत तरीके से निवेश किया। लेकिन जो कुछ 1994 में हुआ उसे नहीं भूलें। मुझे आपकी बात में सुधार करने दें। यह जे.पी.सी. के बाद में हुआ और इसलिए ऐसे किसी भ्रम में न रहें कि जे.पी.सी. ने इस पर विचार किया और इस सौदे को निर्दोष पाया। यह जे.पी.सी. के विचारार्थ विषयों में कहीं नहीं था। 300 करोड़ रुपये के अपरिवर्तनीय ऋणपत्र, 773 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर कुल मिलाकर 1,073 करोड़ रुपये का सरकारी क्षेत्र का निवेश था जो कि किसी निजी क्षेत्र की कंपनी का सबसे बड़ा निवेश था। आपने वह निवेश किया था। आपने वह कैसे किया? आज आप प्राइवेट प्लेसमेंट के विरुद्ध बरस कर रहे हैं। लेकिन आपने पूर्णतया प्राइवेट प्लेसमेंट किए 385 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयरों की खरीदोफरोख्त की। कुछ ही दिनों में वह मूल्य 385 रुपये से गिरकर 77 रुपये पर आ गया, कुछ समय के पश्चात् मूल्य गिरकर 77 रुपये पर आ गया। आप उस सौदे को चाश्नी में लपेटकर प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मैं आपकी बात में सुधार कर सकता हूं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा था कि उस समय भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेश पर 800 करोड़ रुपये अधिक लाभ हुआ था। यही सत्य है। आप सारी बातों को गड्डमड्ड कर रहे हैं? आप एक वकील हो सकते हैं? लेकिन भ्रमित मत कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: यदि आप उस सौदे को दोष दे रहे हैं, तो मेरा आपके साथ कोई विवाद नहीं है और मैं इस मामले में आपके साथ हूं। मैं आपको बता दूं कि आज तो टिप्पणियां की जा रही हैं वे प्राइवेट प्लेसमेंट और पांच-वर्ष की निश्चित समयावधि के शेयरों, के बारे में हैं। अब केवल सुरक्षित जमाओं, प्रतिभूतियों और सरकारी बांडों के लिए दी एक निश्चित समयावधि निर्धारित की जाती है। आपने एक सुरक्षित निवेश किया और आपको एक निश्चित लाभ मिलेगा। आपके पास पांच वर्ष की निर्धारित समयवाधि है। आपके सभी किसान विकास-पत्र और अन्य की एक निर्धारित समयावधि है। शेयरों की निर्धारित समयवाधि नहीं होती। अत: यह सौदा एक प्राइवेट प्लेसमेंट है- 385 रुपये प्रति शेयर और तब आपने एक निर्धारित समयावधि वाला सौदा किया। निश्चित समयावधि वाले सौदों में ऋण प्रपत्र या सुरक्षित निवेश की हानियां होती हैं, क्योंकि यह इक्विटी है, इससे आपको इसके अन्तर्निहित खतरे से हानि होने का जोखिम रहता है। इसलिए, दोनों ही तरह से जोखिम भी सरकार का है और हानि भी सरकार की है। आज मैं इस प्रश्न का सामना नहीं कर रहा कि मंत्री महोदय जिम्मेदार थे। शायद यह भारतीय यूनिट ट्रस्ट का अपना निर्णय हो। मैं 'इंडिया टुडे' के ताजा संस्करण में से पढ़ रहा हूं। जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट के विरुद्ध कहेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं। उसमें कहा गया है:

> ''भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1964 में छोटे निवेशकों को अधिकतर ऋणपत्रों और नियमित रूप से दिए जाने वाले ब्याज के माध्यम से एक सुनिश्चित लाभांश देकर उनकी सहायता करने के उच्च आदर्श के साथ अपना कार्य शुरू किया। उसने 1994 में अपना मार्ग बदला और बाजार से बाहर एक सौदा उस मूल्य पर किया जो कि इस खरीद के तुरंत बाद गिर गया। वह धनराशि सात वर्षों में भी दोगुनी नहीं हुई लेकिन नीति बदलने से...''

यह महत्वपूर्ण है। आपने सही प्रश्न उठाया था। उसमें आगे लिखा है:

> ''....लेकिन नीति बदलने से सभी कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए, कुशल प्रबन्धन वाली भी और साथ ही साथ जिनका प्रबन्धन इतना अच्छा नहीं था वे भी अधिकाधिक पूंजी जुटने के लिए जोर-आजमाइश करने लगीं।''

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आपने 'इंडिया टुडे' का उल्लेख क्यों किया?

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: अब इसमें शामिल सिद्धान्त पर आते हैं। वर्षों से आपकी एक व्यवस्था है, आप विनिवेश के नाम पर ऐसा निवेश करते हैं जो कि यू.एस.-64 के लिए लाभदायक नहीं था। आपने यू.एस.-64 का इक्विटी वाला चरित्र बदलकर उसे एक ऋण वाला चरित्र बना दिया और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निवेश करना आरंभ कर दिया। 285 कंपनियां हैं और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि गत तीन वर्षों में इनकी संख्या बढ़ी नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यू.एस.-64 के द्वारा 1964 से किए गए निवेश को आज वसूल नहीं किया जा सकता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: वे कौन सी कंपनियां हैं, उनके नाम बताएं।

श्री अरुण जेटली: वे 285 हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यदि कोई घोटाला और लूट ही नहीं हुई है तो यहां बहस किस बात को लेकर कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अरुण जेटली के शब्दों के सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के भाषण के सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप 30 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री अरुण जेटली: मैं और पांच मिनट लेते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, एक अहम बात आई है, हर चीज ठीक है, लेकिन सी.बी.आई. ने जो केस रजिस्टर किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। यह सभी पर लागू होता है॥

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। मंत्री जी के भाषण के सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: मैं उसका भी उत्तर आपको दूंगा।

[अनुवाद]

जब यू.एस.-64 की प्रकृति में यह परिवर्तन हुआ, तब क्या महोदय, इससे वर्तमान संकट उत्पन्न हुआ? इस वर्ष बजट प्रस्तुत होने के एक दिन बाद स्टॉक मार्केट सामान्य स्तर पर था। 2 मार्च 2001 को सूचकांक 4241 तक चढ़ा। बाजार पर्यवेक्षकों द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि 13 मार्च को मंदड़ियों ने मूल्य में कमी कर दी। मैं कहता हूं कि 13 मार्च को जिस दिन तहलका टेपों का मामला उजागर हुआ, सूचकांक 3540 अंक तक गिरा। 30 जुलाई को, जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ, तो यह 3286 पर बंद हुआ। बजट के बाद से सूचकांक में 23 प्रतिशत तक की कमी आई है। इसके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इसकी जांच की है। शेयर बाजार में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। बाजार 70 प्रतिशत बिक्री के लिए खुला है। आज जबकि स्टॉक बाजार बिक्री के लिए इतना अधिक खुला है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि स्टॉक मार्केट में एक प्रतिशत की गिरावट से न केवल यू.एस.-64 बल्कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का समस्त निवेश पर 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। हमें इसका कारण ढूंढना होगा कि यह 70 प्रतिशत कैसे हुआ। मैंने उनमें से कुछ के जवाब देने का प्रयास किया। यह बिक्री की सीमा है।

अतएव, यदि आप इसे एक बार इक्विटी फंड के रूप में बाजार से जोड़ते हैं, तो बाजार से जुड़े ऐसे सभी फंडों का मूल्य नीचे गिरता है। आप यूनिट ट्रस्ट के फंडों के अलावा कई अन्य म्युचुअल फंड के आंकड़ों को देख सकते हैं। यूनिट ट्रस्ट फंड में 20 से 25 प्रतिशत तक की हानि हुई है। कई अन्य फंडों पर 60 प्रतिशत तक की हानि हुई है। इनमें से कुछ निजी क्षेत्र के लोकप्रिय फंडों में से हैं। अतएव, यदि इसे एक बार बाजार से जोड़ दिया जाता है तो यह प्रश्न उठेगा कि फंड पर बाजार के उतार-चढ़ाव का तब तक प्रभाव पड़ता रहेगा जब तक कि हम दीपक पारेख समिति की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं होते कि हम इसके इक्विटी चरित्र की बजाए इसकी ऋण प्रकृति को फिर से बहाल करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अरुण जेटली]

एक प्रश्न बड़े ही सही रूप से उठाया गया था। मैंने इसे दूरदर्शन पर कुछ चर्चाओं में भी देखा है। यदि कोई और उत्तरदायी था, तो मैं एक क्षण के लिए यह विश्वास करना पसंद करूंगा कि कोई अन्य उत्तरदायी था। मैं इसके लिए किसी वित्त मंत्री अथवा सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे कई प्रामाणिक निर्णय भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लिए गए हैं। मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। कोई नहीं कह सकता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे विशाल निकाय जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, आई डी बी आई और ऐसे सभी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय गलत है। ऐसे कई निर्णय हैं, और उन्होंने ज्यादा प्रामाणिक निर्णय लिए हैं। ये तथ्य पूर्ण होने के बावजूद गलत हो सकता है।

इसलिए, हमें समूचे मुद्दे पर कुछ इस प्रकार चर्चा करनी होगी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के चरित्र के बारे में हम क्या करें और इसका कार्यकरण क्या हो। परन्तु कुछ निर्णय हो सकते हैं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि केवल कुछ निर्णयों को कुछ प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए ही प्रेरित किया जाए। यदि ये वे निर्णय हैं जो कुछ प्रासंगिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, जिन्होंने अतिरिक्त रूप से भी योगदान किया हो, और कुछ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह उत्तरदायी हैं, यह वह विषयवस्तु है जो कि हमेशा विषयवस्तु बना रहेगा, जो कि मात्र नीति निर्णय की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि संबंधित व्यक्तियों के कतिपय दंड परिणामों से संबंधित विषय वस्तु भी है। अतएव, जब देश के प्रमुख जांच अभिकरण द्वारा किसी की जांच की जाती है, तब उसकी जांच इसलिए नहीं की जाती कि पिछले आठ वर्षों में क्या हुआ बल्कि यदि किसी विशिष्ट लेन-देन अथवा दो या उससे ज्यादा के लेन-देन, जिनमें व्यक्तिगत अभियोज्यता संलिप्त है इन्हीं मुद्दों का वास्तविक रूप से उत्तर दिया जाता है।

कई मुद्दे उठ खड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि विद्वान वित्तमंत्री अपने जवाब के क्रम में उनसे निपटेंगे परन्तु मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि हम भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम-I को देंखे- मैं इसे पढ़ने का प्रयास कर रहा था- हम पाएंगे कि ट्रस्टियों के बोर्ड का गठन किया गया है। ऐसे कई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हैं जिन्होंने आई डी बी आई, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सम्मिलित रूप से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को संभाला है। वस्तुतः कुछ कारणों से मैं समझता हूं कि वित्तीय संस्थानों के प्रशासन को शासित करने वाले ज्यादातर कानूनों के साथ-साथ विनियम से संबंधित कई अन्य कानूनों जिन्हें कि अभी लागू किया जा रहा है, में बचाव के खंड शामिल हैं, जिसके अनुसार, ''जनहित में, अपवाद की परिस्थितियों में भारत सरकार के पास निर्देश जारी करने की शक्ति है।'' निदेश जारी करने की शक्ति हमेशा विशिष्ट कारणों से रखी जाती है। और अंततः उत्तरदायित्व मानक निकाय, जिन्हें या तो सरकार द्वारा या अधिकारी मंडल द्वारा नामनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, पर हमेशा प्रश्न उठता रहता है। वे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। जनसंचार माध्यम हर दिन वित्त मंत्री सरकार और वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछ सकते हैं। जनसंचार माध्यम नियामकों से प्रश्न नहीं पूछते और जनसंचार माध्यम उन सभी संस्थानों से प्रश्न नहीं पूछते जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व किया जाता है। लोकप्रिय अवधारणा यह है कि ये सभी निकाय सृजित किये जाते हैं और यह भारत सरकार ही है जो जवाबदेह है। यही लोगों ने महसूस किया है। परन्तु कुछ विलक्षण कारणों से, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम कतिपय रूप से विनियामकों और वित्तीय संस्थानों का सृजन करने वाले अधिनियमों में एकमात्र ऐसा अधिनियम है जहां भारत सरकार को जनहित में भी निदेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है, चाहे यह सचेतन निर्णय था अथवा 1963 में नहीं था जब इसका विधायन किया गया था। यह संसद का कार्य है कि वह किसी चरण पर विचार करे।...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): ऐसा कैसे है कि डी एस वशु के शेयर 4,500 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे? कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री अरुण जेटली: स्पष्टीकरण देना मेरा काम नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह मांग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्य कर रहे हैं और आपको इसका जवाब देना होगा।

श्री अरुण जेटली: इसकी मांग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्य कर रहे हैं और यह आपको सम्बोधित किया गया है, मुझे नहीं।

प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है, वह यह है कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर क्या होगा। मुझे प्रसन्नता है कि प्रबुद्ध सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है। कृपया इस प्रश्न पर पक्षपाती हितों के प्रश्न के बजाए संकल्पना के प्रश्न के रूप में विचार करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: चूंकि सरकार को निदेश देने की शक्ति नहीं होती, तो अध्यक्ष को त्यागपत्र देने का निदेश किसने दिया? क्या उन्होंने स्वयं ही त्यागपत्र दिया था? अथवा कोई निदेश था?

श्री अरुण जेटली: हम सभी के लिए निर्णय लेने का प्रश्न यही है। अंततः यदि सरकार हस्तक्षेप या प्रभाव डालने वाली होगी, तो सभी प्रकार की कल्पनाएं शुरू होंगी। हर समय वे यही कहेंगे,

'आपने उस व्यक्ति के साथ बैठक की थी,' 'एक व्यक्ति विशेष आपके कार्यालय में आया' अथवा 'किसी व्यक्ति विशेष ने एक बार आपसे दूरभाष पर बात की।'...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आप संयुक्त संसदीय समिति को नियुक्त किए जाने को स्वीकार करते हैं, तो मैं साबित कर दूंगा कि इसमें प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ था। मैं इसे साबित कर दूंगा यदि आप संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति की चुनौती को स्वीकार करते हैं। यदि मैं इसे साबित नहीं कर सकता, तो मैं सभा में नहीं आऊंगा और इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: संयुक्त संसदीय समिति की मांग करने का आपका पूरा आधार खत्म हो चुका है; संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति का प्रश्न कहां है?

आपके पास वित्त मंत्रालय है, आपके पास भारत सरकार है और आपके पास वित्त मंत्रालय है। निवेशकों का संरक्षण एक मुद्दा है और यह सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रणाली में निहित जोखिम सरकार की जिम्मेदारी है। किसी संस्थान को अन्य संस्थान पर ऐसे प्रतिकूल प्रभाव पर नजर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास शासन चलाने की निश्चित ही संवैधानिक बाध्यता है और शासन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस प्रकार जो प्रश्न उठेगा वह यह है। यदि सरकार द्वारा उनके संबंध में वक्तव्य दिया जाना है, तो यह संदेहजनक है, यदि आपके कार्यालय में कोई बैठक होती है, तो यह संदेहजनक कार्य है, और यदि दूरभाष पर वार्तालाप किया जाता है तो यह स्वयं में ही संदेहपूर्ण है। इस प्रकार, कौन सी प्रणाली हम चाहते हैं? हमें पहले ईमानदारी से इसका जवाब देना चाहिए और तब उन सभी कार्यों को करें जिनसे अन्य प्रश्नों के जवाब मिलते हैं।

क्या सरकार के पास जिम्मेदारी है? अथवा सरकार स्वयं ही संपर्क को तोड़ कर यह कहे, 'मेरे पास पूछताछ कने की विनम्र जिम्मेदारी है, मेरे पास संसद में प्रश्नों का जवाब देने की जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी यहीं पर समाप्त होगी? यह मुद्दा एक या दो लेन-देन में शामिल किसी व्यक्ति की अभियोज्यता से ही मात्र सम्बन्ध नहीं रखता है। यह मुद्दे का एक भाग हो सकता है। इसमें कई मुद्दे अंतर्ग्रस्त हैं। अतएव यह सभा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दीपक पारेख समिति की सभी सिफारिशों पर चर्चा करेगी। माननीय वित्त मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ।

इसकी मृत फंड के रूप में प्रकृति को फिर से कैसे बहाल किया जाए? उक्त ट्रस्ट फंडों के संबंध में सरकार की जवाबदेही कैसी होगी अथवा इसे एनएवी के साथ जोड़ा जाए जो कि दीपक पारेख की अनुशंसाओं में से एक है? क्या इसे सरकारी निदेश और संसदीय निदेश से परे पूरी तरह स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

ये वे मुद्दे हैं जो उठेंगे/इस प्रकार, यदि मुद्दों का संबंध छोटे निवेशकों से है, तो अपने दिमाग में पक्षपाती हितों की बजाय छोटे निवेशकों को रखते हुए हमें चर्चा करनी चाहिए। हमें इस पूरे मुद्दे को सम्पूर्णता में देखना होगा। जहां तक स्थगन-प्रस्ताव का संबंध है, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में जो कुछ कहा है मैं उसमें कोई आधार नहीं पाता। वास्तव में, यहां उपस्थित मित्रों में से कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और यू.एस.-64 की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत कुछ जवाब देना है। मैं अपने समस्त साथियों से अपील करता हूं कि इस स्थगन-प्रस्ताव को सर्वथा अस्वीकार कर दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, आप क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, क्या हम दोनों पक्षों के सदस्य छोटे निवेशकों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रखकर खड़े रहें?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, कांग्रेस पार्टी का इतना पर्दाफाश हो चुका है...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, प्रणाली को जरा-सा झकझोर देने मात्र से उतनी निरर्थक बातें तथा अश्लीलता सामने आई है कि बस यही सुझाव है कि शायद हम अतरंग दोस्त पूंजीवाद के जमाने में जी रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, आपके दल को 17 मिनट मिले हैं। कृपया यह ध्यान में रखें।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं प्रासंगिक बात ही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनें। इस देश के दो करोड़ छोटे निवेशकों के लिए यह जुलाई क्रूरतम मास साबित हुआ है, जब वे एक अच्छे लाभांश की आशा कर रहे है ताकि वे अपने घर-परिवार में विवाह आदि उत्सवों का खर्च उठा सकें, स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चों का दाखिला करा सकें और चिकित्सा-उपचार आदि पर होने वाला व्यय पूरा कर सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 3.18 बजे

लेकिन अचानक यह घोषणा हुई कि छह महीनों तक यूनिटों की बिक्री और पुन:खरीद बंद है और यह निर्णय दिल्ली में किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई। 'ली मेरीडियन' होटल का 'नेपोलियन हॉल' नार्थ-ब्लॉक से अधिक दूर नहीं है। कितने महत्वपूर्ण लोग, बल्कि यों कहें कि वित्तीय सुविधा के परम-विशिष्ट व्यक्ति, जैसे जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष, आई.डी.बी.आई. के कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और अन्य लोग वहां एकत्र हुए थे। किन्तु माननीय वित्त मंत्री को यह पता नहीं था कि वे वहां किस बात पर चर्चा करेंगे या उनका निर्णय क्या होगा। वे पूरी तरह अनजान थे और अब यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का खलनायक यह पक्ष है जब वे सरकार में थे और वे ही इसका जवाब देंगे, इस पर उनका यह कहना कि हमें तो इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया! ये भी बराबर जिम्मेदार हैं। मै इनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता *...(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): असल स्थिति क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजीव प्रताप रूडी, कृपया रनिंग-कमेन्ट्री मत करिये।

श्री रूपचन्द पाल: लेकिन माननीय मंत्री का कहना तो यही है कि पिछली संयुक्त संसदीय समिति का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि आपको कोई सुनिश्चित आय नहीं मिल सकेगी अथवा आपको कोई नियमित आय-योजना नहीं रहेगी।

यदि आप अपनी योजना को इक्विटियों पर आधारित रखें यदि शेयर-बाजार में उतार या चढ़ाव आता रहे तो आप लाभ प्राप्ति के बारे में अश्वस्त नहीं रह सकते। यह पिछली संयुक्त संसदीय समिति के चेतावनीपूर्ण निष्कर्षों में से एक तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक था। इस रिपोर्टों को 1993 में प्रयुक्त किया गया था। वित्त मंत्री का कहना है कि "मैंने आपको बताया था कि 1993 के बाद की अवधि में धनराशि का निवेश कैसे किया गया। यदि मैं कहता हूं तो गलत नहीं होऊंगा कि यू.टी.आई. ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया।" संयुक्त संसदीय समिति की यू.टी.आई. के बारे में क्या अनुशंसा थी? मैं पैरा 13.55 से पढ़ रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि, "बाजार में 35,000 करोड़ रु. का व्यवसाय होने के बावजूद यह देखना प्रासंगिक होगा कि यू.टी.आई. की गतिविधियों और प्रचालनों के विषय में किसी भी तरह का कोई निरीक्षण कभी भी नहीं किया गया है। इस त्रुटि पर गौर करके समिति यह अपेक्षा करती है कि वित्त मंत्रालय इस मुद्दे पर ध्यान देगा।" यह वित्त मंत्रालय के लिए एक मार्गनिदेश था। इन्होंने तो बल्कि गलत उद्धरित किया है। इन लोगों ने क्या किया? ये संदिग्ध खलनायक हैं।

मैं वर्ष 1999-2000 के बजट-भाषण के पृष्ठ-37 से उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है कि, "यू.टी.आई. द्वारा नियुक्त की गई दीपक पारेख समिति ने विस्तृत सिफारिशें की हैं, जिनमें कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यू.एस.-64 योजना की पुनर्संचना करना शामिल है। हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।" उन्होंने कहा था कि वह आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद बजट-भाषण के भाग-'ख' को देखें। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि, "निवेशकों को प्राप्त आय पूरी तरह कर से छूट प्राप्त है। यू.टी.आई. अथवा म्यूचअल फंडों द्वारा लाभांश के वितरण के समय इस आय पर आयकर अधिनियम की धारा 115 के तहत लाभांश-कर देय होगा। नीति से थोड़ा हटकर तथा इस पैकेज को एक दूसरे अवयव के रूप में, मैं यू.एस.-64 योजना सहित यू.टी.आई. और म्यूचुअल फंडों की उन सभी प्रत्यय-मुक्त व इक्विटी-अभिमुखी योजनाओं के लिए छूट को तीन वर्षों तक

जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं, जिनकी इक्विटी में आधे से अधिक निवेश-राशि लाभांश-पर-कर के जरिए प्राप्त हुई हो।'' इन्होंने निदेश दिया था। जिन्होंने इक्विटी-अभिमुखी योजनाओं में निवेश किया होगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। यह था वित्त मंत्री का भाषण...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): इसमें आप लोगों का भी खूब जमा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: वे आगे कहते हैं, ''इन दो करगत-प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप, यू.टी.आई. और अन्य म्यूचुअल फंडों में निवेश करना और अधिक आकर्षक होगा, और इक्विटी-अभिमुखी योजनाएं भी उन योजनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक आकर्षक हो जाएंगी, जहां इक्विटी-निवेश 50 प्रतिशत से कम है।'' यह था वित्तमंत्री का भाषण और उनका कहना है कि जिम्मेवार हैं ये लोग।

अब मैं दीपक पारेख समिति की सिफारिशों पर आता हूं। माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली काफी मुखरता से बोले। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, ''लोग इस योजना में विश्वास खोते जा रहे थे 30 जून, 1998 को गंभीर संकट उत्पन्न हो गया और सरकार ने हस्तक्षेप किया। वित्त मंत्री द्वारा समय पर निवेशकों को व्यापक तौर पर आश्वस्त करने की कार्यवाही करने से निवेशकों के भय का काफी हद तक उपशमन हुआ और उस स्थिति का निवारण भी संभव हो सका, जहां से यह संकट संभवत: और गंभीर रूप अख्तियार कर लेता।'' लेकिन, इस बार मंत्री महोदय से कई बार संपर्क किया गया। अध्यक्ष घर-घर दस्तक दे रहे थे। नार्थ-ब्लॉक के बाहर वह यह कहते हुए प्रतीक्षारत थे कि, ''कृपया मदद कीजिए, कृपया मदद कीजिए।''

दीपक पारेख समिति ने यह सिफारिश की थी, यह पैरा 2.27 है।

इसमें कहा गया है कि-

> ''इस अवस्था को देखते हुए, समिति का यह दृढ़ मत है कि इस स्थिति से युद्ध-स्तर पर निपटे जाने की अत्यावश्यकता है।''

यह तीन वर्ष पूर्व की बात है। इसमें आगे कहा गया है कि, ''सरकार को विश्वास जागृत करना होगा।'' किन्तु, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। दिल्ली में वे इस प्रतीक्षा में थे कि कुछ न कुछ तो हो जाएगा। दिल्ली में वे ऐसी ही तो बैठक नहीं कर रहे थे! लेकिन, सरकार सो रही थी। सरकार ने कब हस्तक्षेप किया? इन्होंने हस्तक्षेप तब किया जब यू.टी.आई. ने यह निर्णय ले लिया कि वह सभी प्रमुख बिक्री कर देगा। इसके अध्यक्ष श्री सुब्रह्मणियम ने और अधिक धनराशि जुटाने के हेतु से सभी प्रमुख धारिताओं को बेचने का निर्णय लिया...*(व्यवधान)* मै. रिलायंस और मै. आई.टी.सी. जैसी कंपनियां...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सौ करोड़ रुपया जो इनका विदेशों में जमा है...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आपका दोस्त उसे बाहर रखेगा क्योंकि घर में रखने से तो चोरी हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

ये कुछ ऐसी कंपनियां थीं, जिनमें यू.टी.आई. की काफी हिस्सेदारी थी। तथापि, बाद में वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह प्रमुख शेयरों की बड़े पैमाने पर बिक्री की अनुमति नहीं देगा। मंत्रालय को हस्तक्षेप तब करना पड़ा, जबकि यू.टी.आई. ने प्रमुखांश की बिक्री का निर्णय किया। इस रिपोर्ट में आगे है कि, ''ट्रस्ट निश्चय ही अव्वल दर्जे की कम्पनियों द्वारा अपनी धारिताओं के मूल्यांकन की उम्मीद में रहा होगा।'' ये कह रहे हैं कि इस मामले की खलनायक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है। 1994 में जो तत्कालीन सरकार थी, उसने तेल अन्वेषण और ऐसे ही अन्य प्रसंगों में एक मुम्बईस्थ कम्पनी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया था। कीमतों में जोड़-तोड़ और हेरा-फेरी की गई थी...*(व्यवधान)* इन्हें इसका उत्तर देना है। मुझे कांग्रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है...*(व्यवधान)* लेकिन, इस सरकार ने क्या किया? जब यू.टी.आई. ने अपनी बड़ी बिक्री का फैसला किया तो मुम्बईस्थ कम्पनी की तरफ से तत्काल दबाव बनाया गया। मै. आई.टी.सी. और मै. इन्फोसिस की ओर से दबाव पड़ा और वित्त मंत्रालय ने आंखें खोलकर कहा, ''नहीं, आप यह प्रमुख बिक्री नहीं करेंगे।''- यह है पूरी कहानी'' छोटे निवेशकों की कीमत देकर निगमित क्षेत्र की सेवा करने में क्रम में उन्हीं निगमित-समूहों के सेवार्थ, जो सुनियोजित रूप से यू.टी.आई. को लूट रहे थे-सरकार चुप्पी साधे बैठी रही और यू.टी.आई. के अध्यक्ष के अनुरोधों व अपीलों का कोई उत्तर नहीं दिया।

यहां हम साइबर-क्षेत्र में 32 करोड़ रु. के निवेश की बात कर रहे हैं। लेकिन यह तो एक मामूली सा उदाहरण है। मैं आपको कितने ही ऐसा मामले बता सकता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पाल, आपको यहां इन कितने-ही-ऐसे मामलों का उदाहरण नहीं देना है। आपके पास केवल 17 मिनट हैं और आपके दल से अन्य वक्ता को भी बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं बहुत ही प्रासंगिक बिन्दुओं को ले रहा हूं। इस साइबर-स्पेस वाले मामले में लगी रकम तो छोटी सी है। 'एपल फाइनेंशियल लिमिटेड' नाम की एक कम्पनी है, इसका शिक्षा-नेटवर्क है। स्वर्गीय देवांग मेहता नासकॉम के पूर्ण अध्यक्ष थे। नासकॉम के अध्यक्ष, जो एपल फाइनेंस लि. के प्रबन्ध-निदेशक भी थे, इस देश के माननीय प्रधान मंत्री के साथ अमरीका के दौरे पर गये। हालांकि इस व्यक्ति ने देना बैंक में अप्रयोज्य आस्तियों में से कोई भुगतान नहीं किया फिर भी यू.टी.आई. ने उन्हें 25 करोड़ रुपये दिए। यह सभी को मालूम है। उत्तर प्रदेश सरकार की साईबर स्पेस के साथ एक परियोजना में सहभागिता थी। इस मामले में टेलीफोन कॉल भी गई थी। यहां तक कि हमने इस देश के प्रधानमंत्री के साथ उस व्यक्ति के फोटो भी दिखाये हैं। इस प्रकार से श्री अरविन्द जोहरी और साइबर स्पेस को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। नार्थ ब्लॉक और यहां तक कि प्रधान मंत्री कार्यालय से भी टेलीफोन आते थे।

मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के रिलायंस-हिन्दुजा (आर.एच.) कारक का उल्लेख करना चाहता हूं। यह मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। यहां तक कि डॉ. ई.ए. सरमा, जिन्होंने भारत सरकार के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था, ने साक्षात्कार में इस घटना का उल्लेख किया है। 'आर' का तात्पर्य है रिलायन्स और 'एच' का तात्पर्य है हिन्दुजा। यही लोग किसी भी मामले में सबसे पहले निर्णय लेते थे और अभी भी यही लोग निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। सुधारों के नाम पर लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं, जैसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट को लूटा गया है। आई.एफ.सी.आई. की वर्तमान स्थिति क्या है? आज यह घोषणा की गई थी कि आई.एफ.सी.आई. के बचाव के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज की व्यवस्था की गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्या स्थिति है? सभी वित्तीय संस्थाओं की अप्रयोज्य आस्तियां अब लगभग 18,000 करोड़ रुपये है। यह पाया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थायें असफल शेयरों में निवेश कर रही है। यू.टी.आई. ने जिन 1400 कंपनियों में अपना पैसा लगाया है, उसने यहां तक कि असूचीबद्ध कंपनियों में भी निवेश किया है, केवल 81 कंपनियों में उनकी कीमतें बढ़ी हैं।

माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि यू.एस.-64 का स्वरूप पूर्व सरकारों ने परिवर्तित कर दिया था। परन्तु वर्तमान सरकार बजट और दीपक पारेख समिति की सिफारिशों के चयनात्मक उत्तर के माध्यम से उसी नीति का अनुपालन करती रही है। दीपक पारिख समिति ने बहुत सी सिफारिशें की थी परन्तु सरकार ने उस सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। दीपक पारिख समिति ने सरकार को देनदारी को और अधिक महत्व प्रदान करने के लिए कहा जो इस योजना के उद्देश्य के अनुरूप था। समिति ने कहा कि ऐसा यू.एस.-64 द्वारा बाजार में इक्विटी पोर्टफोलियो के एक बड़े भाग को न बेचे जाने पर हो सकता है क्योंकि इससे बाजार की स्थिति पर विपरीत प्रभाव होगा और मौजूदा मुश्किलें और बढ़ जायेंगी। समिति ने यह भी कहा कि जब तक सरकार एन.ए.वी. के लिए तैयार हो, तब तक इसे सभी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए। यह रिपोर्ट का भाग है। तथापि सरकार ने अपना जवाब सोच समझकर दिया है।

इस सरकार ने किसी कम्पनी की सांठगांठ से कार्य किया है। जिसके परिणामस्वरूप इतने घोटाले हुए। हमने मांग की है कि वित्त मंत्री त्यागपत्र मात्र इस घोटाले की वजह से न दें। मंत्री महोदय द्वारा अवास्तविक बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार घोटाला हुआ। उसके बाद उत्पाद शुल्क घोटाला हुआ। अब यू.टी.आई. घोटाला हुआ है। एक घोटाला और होने वाला है। हम यह देखेंगे कि यू.टी.आई. की सुनिश्चित आय योजनाओं और मासिक-आय-योजनाओं की परिणति क्या होगी। आई.एफ.सी.आई., आई.डी.बी.आई. और एल.आई.सी. तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का क्या हस्र होगा। सुधारों के नाम पर सरकार इन संस्थाओं को लुटवा रही है। वास्तव में 2 करोड़ लोगों की जीवन भर की पूंजी लुट गई है।

इस सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस देश के लोगों को इस सरकार में विश्वास नहीं है। सुधारों के नाम पर यह सरकार लाभार्जन करने वाली कंपनियों को निजी पार्टियों को बेच रही है। जब विरोध किया जाता है तो सरकार कहती है कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा इसकी जांच कराई जायेगी। मार्डन फूड बेचने के मामले में नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की क्या टिप्पणियां थीं। नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक ने कहा था कि जानबूझकर और नियोजित तरीके को माडर्न फूड का मूल्य आंका गया था। जिसके परिणामस्वरूप उसे भारी घाटा हुआ था। ये नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणी थी। इस सरकार का विचार है कि विनिवेश निजीकरण और उदारीकरण के नाम पर उन्हें लोगों का पैसा लूटने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं अभी अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, समयाभाव के कारण मैं अनियमितता के अनेक महत्वपूर्ण मामले उजागर नहीं कर सकता हूं। हम सभी जानते हैं कि वे डॉटकाम कंपनियों की सांठगांठ से किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और असूचीबद्ध कंपनियों को पैसा देने के लिए टेलीफोन पर किस प्रकार निर्देश दे रहे हैं।

ऐसी स्थिति में आम जनता कहां जाये?

वे अपने जीवन भर की पूंजी लघु-बचतों में लगा रहे हैं परन्तु सरकार ब्याज राशि की दरें घटा रही है। यदि लोग अपनी मेहनत से अर्जित धनराशि को पी.पी.एफ. में लगाते हैं तो सरकार उसकी ब्याज दर कम कर देती है। म्यूचुअल फंड में लगाने का मशविरा देती है परन्तु म्यूचुअल फंड की स्थिति क्या है, यह भी तो देखने योग्य है। लघु जमाकर्त्ताओं को पैसा कहां लगाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपना भाषण खत्म करें। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

ईमानदार व्यक्ति को अपना पैसा कहां लगाना चाहिए। पिछले वर्ष भी भारतीय जमाकर्त्ताओं के जमा-साधनों और माध्यमों के बारे एक सर्वेक्षण किया गया था। कमोवेश जोखिम के तौर पर पहले सावधि-जमा फिर सोना और उसके पश्चात् यू.एस.-64 आती हैं। यू.एस.-64 का तीसरा स्थान है।

एक वर्ष पहले तक यू.एस.-64 काफी लोकप्रिय थी और उसमें लोगों का विश्वास था। अब उनकी क्या स्थिति है? कल से पुनर्खरीद शुरू हो गई है। यू.टी.आई. का काफी प्रचार हो रहा है।

मैं सरकार से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठायें क्योंकि आज भी यू.एस.-64 अन्य म्युचुअल फंडों से कहीं बेहतर है। अभी भी इसका भविष्य है। अत:, सरकार को व्यापक भूमिका अदा करनी है।

यदि वित्त मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और यह कार्य निसी और को सौंप देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष ने इस विषय पर चर्चा के लिए प्रत्येक पार्टी को समय के आवंटन के बारे में सुबह बता दिया था। अत:, कृपया अपनी पार्टी को आबंटित समय का ध्यान रखें और वहीं तक अपना भाषण सीमित रखें।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, इस चर्चा पर पूर्व वक्ताओं में प्रत्येक ने 20-30 मिनट का समय लिया। जो भी हो मैं अपनी बात, हमें आवंटित समय तक ही सीमित रखूंगा।

महोदय, मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि यू.टी.आई. में बहुत गड़बड़ हुई है। यह गड़बड़ी रातोंरात नहीं हुई है। पिछले दस वर्षों से निरंतर यह आक्षेप लगाया जा रहा था। इसकी शुरूआत 1991-92 में हुई थी।

मूल रूप से, यू.एस.-64 योजना को ऋणदाता की उधार-योजना के रूप में शुरू किया गया था। कुछ ही समय में इसकी इतनी अच्छी स्थिति हो गई कि इसने इक्विटी शेयर में निवेश किया। यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि यदि कोई इक्विटी में निवेश करे तों उसे कितना अधिक फायदा हो सकता है। वह धनराशि दोगुना तीन गुना या चार गुना भी हो सकती है।

इस प्रकार, अंत में क्या हुआ? इस योजना का स्वरूप बदल गया और इसने इक्विटी में निवेश करना शुरू कर दिया। यह सच नहीं है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, जैसाकि हमारे कुछ विद्वान सदस्यों ने तर्क दिया है। सरकार इसमें हर प्रकार से दखलंदाजी कर सकती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सिंडीकेट बैंक के अध्यक्ष इस मंडल के न्यासी हैं। ये सभी सरकारी संस्थायें हैं। इन सभी की नियुक्ति सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। अत: यह कहना उचित नहीं है कि न्यासी मंडल में सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं है। किसी ने कहा है कि यू.टी.आई. के संयुक्त सचिव के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व है, यदि आज न्यासी मंडल में कोई संयुक्त सचिव होता, तो इससे और अधिक खलबली मच गई होती। न्यासी-मंडल वित्त मंत्रालय के इशारों पर काम कर रहा है। हम इससे इंकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि वे कहीं और भी निवेश कर रहे हों। इस प्रकार उन्होंने अनुपयोगी सरकारी क्षेत्र के बहुप्रयोज्य शेयरों में बहुत जल्दबाजी में लगभग 4500 करोड़ रुपयों का निवेश किया है।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

उन्होंने उसे अच्छे, बुरे और मध्यम दर्जे के शेयर बंडलों का नाम दिया है। परन्तु वे सभी शेयर एक साथ बाजार में नहीं रखे जा सकते। उन्हें बेचने की अनुमति नहीं है। उन्हें बंडलों के रूप में रखा गया है। फिर वह पैसा बढ़ेगा किस प्रकार? आम-आदमी का पैसा किस प्रकार बढ़ेगा? वह आपको 20-25 प्रतिशत लाभांश किस प्रकार देगी? अंततः योजना का लगभग 13,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई और 1998 तक उसमें नकारात्मक वृद्धि होने लगी। इस योजना में जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिए उस आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए जिसने इन इकाइयों में धनराशि लगाई थी हमारे माननीय वित्त मंत्री ने उस समय सरकारी क्षेत्र के शेयरों के वे कुछ बंडल पुनः खरीद कर उनमें कुछ धनराशि का निवेश किया। यह खेद की बात है कि व्यवासियों को कभी भी व्यवसायिक रूप से काम नहीं करने दिया गया। हर प्रकार से व्यवहारिक रूप से यह न्यासियों की व्यवसायिक संस्था है। परन्तु इसे उस रूप में कभी भी काम नहीं करने दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को इसमें बोलने पर अधिकार था और उससे भी अधिक उस व्यक्ति को बोलने का अधिकार था, जो उस समय था। अभी भी सत्ता में है।

मैं यह नहीं कह सकता कि वर्तमान वित्त मंत्री ने कभी भी इस पर अपना प्रबाव नहीं डाला। उन्होंने इस पर प्रभाव डाला होगा परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। परन्तु प्रत्येक प्रभाव ने चाहे वह जानबूझकर डाला गया हो अथवा अनजाने में उससे यू.टी.आई. की यू.एस.-64 योजना का नुकसान हुआ। अब हमें उस कूड़े-करकट को साफ करना है। हमें उस योजना को प्रतिस्पर्धी स्वरूप प्रदान करना है और उसमें लोगों के विश्वास को जगाना है। हमें पुनः लोगों को आश्वस्त करना है। हम अब जो करेंगे उससे वर्षों में हुए उस नुकसान को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम उसमें पुनः धनराशि लगायेंगे। हमें लोगों में पुनः विश्वास उत्पन्न करना होगा कि यह एक अच्छी योजना है, यह विकासोन्मुख और महत्वपूर्ण योजना है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यदि वे निवेश कर रहे हैं तो उन्हें लाभांश मिलेगा, यह कृत्रिम नहीं बल्कि यह उनकी राशि से अर्जित वास्तविक लाभांश होगा। केवल तभी जनता निवेश करेगी।

आरंभ में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी.टी. कृष्णामाचारी ने लघु बचतों को एकत्रित करने के उद्देश्य से इस योजना पर विचार किया था। यह उनका नये ढंग का विचार था। फिर उसके पश्चात् प्रत्येक लघु निवेशक ने 1000 यूनिट अथवा 2000 यूनिट अथवा 3000 यूनिट में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। अधिकांशतः ये यूनिटें जुलाई में खरीदी गई। क्योंकि इस माह में इन्हें निम्न दरों पर खरीदा जाता था। आजकल बाजार बिक्री के अनुसार इस यूनिट का मूल्य 30 प्रतिशत कम हो गया है।

परंतु उसके बाद भी, लोग उन्हें उस दर पर भी नहीं खरीद रहे हैं। अधिकतर तो उन्हें केवल बेच ही रहे हैं। इससे हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। निजी और सरकारी क्षेत्रों की सभी बड़ी संस्थाओं ने जिनमें सरकारी संस्थाएं और बैंक भी शामिल हैं, अप्रैल और मई के महीनों में, इतनी बड़ी संख्या में यूनिटों को क्यों बेचा है, वित्त मंत्री को यह बताना चाहिए। ऐसा उसी स्थिति में हुआ जब यह शंका हुई कि यह स्कीम डूबने वाली है, अन्यथा उन्हें इतनी बड़ी संख्या में यूनिटों को बाजार में बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दो करोड़ से भी ज्यादा निवेशक हैं। यह संख्या कोई छोटी नहीं है, इसमें और वृद्धि हो सकती है, बशर्ते सरकार छोटे निवेशकों में पुनः विश्वास पैदा करें। अंततः हमारा देश शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के निवेश पर निर्भर है। परंतु इन निवेशों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सरकार जनता को उत्तर नहीं दे पा रही है। न्यासी बोर्ड निधि के प्रबंधन में अक्षम हैं न्यासी अन्य बड़ी कंपनियां जैसे आई.डी.बी.आई., भारतीय स्टेट बैंक और अन्यों में कार्यों का संचालन कर रहे हैं। उन सभी लोगों को जो आज न्यासी के रूप में प्रबन्धन का संचालन कर रहे हैं, उचित स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गर्वनर, श्री एस.एस. तारापुर पिछले दस वर्ष में हुए सभी निवेश का आंकलन करते थे और उन सौदों को बंद कर देते थे जो घाटे में चल रहे हैं। वर्ष 1991 से आज तक पिछले दस वर्षों में हुए घाटे का आंकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति को यह जांच करनी है कि घाटा कहां हुआ है और इसके क्या कारण हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जा सके। यह एक-दूसरे पर दोषारोपण के लिए नहीं है। हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं और पूर्व या वर्तमान सरकार पर ढेरों इल्जाम लगा सकते हैं। परन्तु कम से कम हमारा भविष्य तो उज्ज्वल होना चाहिए। भविष्य हमारा है। हमें इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करने के काबिल होना चाहिए।

इस पर विचार किया जाना चाहिए कि विभिन्न इक्विटी शेयरों, जैसे रातोंरात बढ़ने वाले आई.टी. शेयरों के लिए निवेश की स्थापित प्रक्रिया अपनायी गयी। अब वे उद्धृत कर रहे हैं कि याहू-काम का क्या हुआ। इसी प्रकार के आई.टी. शेयरों में किए गये निवेश का क्या हुआ? हमारे आई.पी.ओ. उच्च दरों पर आई.टी. शेयरों को खरीद रहे थे। उनका इनती उंची दरों पर शेयरों को खरीदने का क्या कारण था इसका खुलासा किया जाना चाहिए हमने कई आई.टी. कंपनियों में निवेश किया परंतु प्रत्येक कंपनी घाटे में चल रही है। इनमें से कई कंपनियां अपने शेयरों का मूल्य एक रुपया काट रही है जबकि हमने उन्हें 100 रुपये से अधिक

के मूल्य पर खरीदा था। इसमें, विपुल धन की हानि हुई है। यह इस देश के लोगों के लिए गंभीर चिंता की बात है और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

दीपक पारिख समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इक्विटी बेस को धीरे-धीरे 66 प्रतिशत से कम करके 30 या 25 प्रतिशत तक लाना चाहिए। यदि हम इक्विटी बेस को 25 प्रतिशत कर दें तो इस योजना में कुछ स्थिरता आ सकती है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता आए। निधि प्रबंधन में बाजार की समझदारी का अभाव है उसे भी योजना में शामिल करने की आवश्यकता है।

'नेट एसेट मूल्य' में कमी करने से यू.टी.आई. का मूल्य नहीं बढ़ पाया। विशेषज्ञों के अनुसार, एन.ए.वी. जिसने यू.टी.आई. के मूल्य को कम कर दिया था, उसका भी ह्रास हुआ। इसका भी खुलासा वित्त मंत्री को करना चाहिए।

यू.एस.-64 को बचाने का भारत सरकार का पैकेज एक चालाकी से बनायी गयी नीति है जिससे केवल प्रथम 3000 यूनिटों को फायदा होगा। परंतु बाकी यूनिट धारकों का क्या होगा? यदि किसी के पास 10,000 यूनिट हैं तो वे केवल 3,000 यूनिट ही भुना सकते हैं, बाकी बचे 7000 यूनिटों का क्या होगा? 1991-92 से, भारत सरकार, बार-बार यू.टी.आई. निधि को शेयर बाजार के असामान्य व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यू.टी.आई. को ये निर्देश थे कि कुछ शेयरों के मूल्य को कम करने के लिए कुछ कम्पनियों के शेयर को खरीद लें। यह कार्य वित्त मंत्रालय की मौन स्वीकृति से हुआ छोटे निवेशक सामान्यत: शेयर बाजार में व्यापार नहीं करते। वे अपने यूनिटों को वर्षों तक अपने पास रखते हैं। क्योंकि वे मूल्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। भाग्य-लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं हैं। यू.टी.आई. ने कहा आप इसे भुना सकते हैं क्योंकि यू.टी.आई. इस योजना को बरकरार नहीं रखना चाहती। यह छोटे निवेशकों के लिए एक और बुरी खबर है। क्योंकि उन्होंने यह निवेश यह सोच कर किया था कि वे इससे मिले पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी करेंगे। इसे भी विभिन्न कारणों से वापस लिया गया। यह बात भी हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। भविष्य में, यू.टी.आई. का इस्तेमाल वित्त मंत्रालय या वस्तुत: किसी और के लिए अप्रत्यक्ष साधन (रिमोट कन्ट्रोल टूल) के रूप में नहीं होना चाहिए। इसे स्वयं ही अपने लोगों की मदद से कार्य करने दीजिए। हमें यू.टी.आई. के माध्यम से अन्य कंपनियों के शेयरों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दीजिए और लोगों का विश्वास हासिल करने दीजिए। इसका प्रावधान होना चाहिए कि यू.टी.आई. को 'सेबी' के अधिकार क्षेत्र में रखा जाए ताकि वह यू.टी.आई. के निवेश पर निगरानी कर सकें। यह कुछ हद तक आने वाले दिनों में यू.टी.आई. के कार्यनिष्पादन की निगरानी कर सकती है। यह सुनिश्चित कर सकती है कि क्या उन्होंने दूरदर्शिता अपनायी है या नहीं या उन्होंने विवेकपूर्ण निवेश किया या नहीं। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। हम अकेले वित्त मंत्री पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। वास्तव में वित्त मंत्री बनने के बाद, आपने पूरी प्रणाली के दोषों को सुधारने का कार्य हाथ में लिया है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। ये आप ही थे जिन्होंने 1998 में नकारात्मक वृद्धि का पता लगाया था। उस समय, लोगों को यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। आप पारदर्शिता लाए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अय्यर, आपको भी जब बोलने का अवसर मिलेगा तो उस समय वे भी व्यवधान डाल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मुझे लगता है कि यह चर्चा हम 8 बजे तक जारी रख सकते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, वित्त मंत्री को इक्विटी में किए गये विभिन्न निवेश और रातों-रात बढ़ने वाले आई.टी. शेयरों का खुलासा करना चाहिए। काफी समय से उन्होंने आई.पी.ओ. में उसके अंकित मूल्य से कई गुने अधिक मूल्य पर निवेश किया है।

आपको इस बात की जांच करनी होगी कि उन्होंने पैसे का कैसे घपला किया है ताकि भविष्य में आपसे ऐसी गलती न हो पाए और छोटे निवेशकों की निधि को बर्बाद न कर पाएं। यू.टी.आई. के अलावा, कई अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे, आई.एफ.सी.आई., भी संकट में है। अन्य वित्ती विनिवेश कंपनियों को भी यह भुगतना पड़ सकता है। अब, हम इनके (स्वायतत्ता स्वरूप के बारे में चिंतित हैं। हमें यह देखना होगा कि ये संस्थाएं वित्त मंत्रालय के आदेश पर कार्य न करें। उन्हें अपने स्वयं के हित में और देश के हित में कार्य करना है। वे अपना पैसा ऐसी ही तिजोरी में नहीं रख सकते। उन्हें अपना पैसे का विवेकपूर्ण निवेश करना पड़ेगा। हम यहां जो विचार प्रकट करें, उनके लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए। वे प्रगतिशील ढंग से निवेश करें। वे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएं। साथ ही इन संस्थानों पर किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव न हो क्योंकि इससे वे गलती कर सकते हैं। कृपया वित्तीय संस्थाओं जैसे यू.टी.आई. के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित बनाएं।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव के प्रस्तावक से अनुरोध करूंगा कि वे इसे वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्य और विपक्ष के नेता भी स्मॉल इन्वैस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। ये आंसू बहा रहे हैं और इनके आंसुओं को देख कर देश के साढ़े पांच करोड़ छोटे इन्वैस्टर्स को थोड़ा दिलासा भी मिलेगा, फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये आंसू मगरमच्छ के दिखाई दे रहे हैं। खड्डा इन्होंने बनाया, जब गिर गए तब इन्हें स्मॉल इन्वैस्टर्स याद आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पहले एक संवाद पढ़ना चाहूंगा। यह संवाद कब का है, यह सम्मानित सदस्यों से ही पूछना चाहूंगा। मैंने एक डिबेट देखी। मैं वित्त मंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी जवाब देते हुए कह रहे हैं-

[अनुवाद]

"माननीय मंत्री ने एक विशेष कंपनी में निवेश के बारे में विशेष प्रश्न उठाया है।"

वे आगे कहते हैं:

"मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि ये निर्णय निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है।"

माननीय मंत्री आगे कहते हैं:

"मैं यह बात नहीं मानता कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निजी निवेश नहीं करना चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी अगर अभी यहां उपस्थित होते तो मुझे छोड़ा अधिक आनन्द आता। यह चर्चा किसने उपस्थित की थी? मैं आगे बहुत पढ़ सकता हूं। जिन माननीय सदस्य ने चर्चा उपस्थित की थी, उन्होंने आरोप लगाया।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

सरकार और संस्थाओं ने निजी निवेश की नई प्रणाली विकसित की है। वे आगे यह भी कहते हैं कि केवल एल.आई.सी. ने ही नहीं बल्कि यू.टी.आई. ने भी 750 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कुल निवेश 900 करोड़ रुपये का है और कुल घाटा 250 करोड़ रुपये का है।

[हिन्दी]

यह कब की चर्चा है? उस समय माननीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा जी नहीं थे, माननीय मनमोहन सिंह जी थे और यह चर्चा माननीय सदस्य जयपाल रेड्डी जी ने उपस्थित की थी। मैं इस सवाल को आगे भी बहुत पढ़ सकता हूं। अब मेरे सहकारी, मेरे सीनियर कलीग अरुण जेटली जी ने जो बातें उठाई, उसमें उन्होंने मुम्बई की कम्पनी का नाम नहीं लिया, मैं उसका स्पष्ट तौर पर नाम लेना चाहता हूं-

[अनुवाद]

यह धोखाधड़ी औद्योगिक घरानों द्वारा की गई है। यह वित्तीय और औद्योगिक निधि प्रबंधकों की मिलीभगत से संचालकों और औद्योगिक घरानों की सांठगांठ है। यह नया मामला नहीं है। ऐसा कई वर्षों से हो रहा है चाहे आप सत्ता में थे या हम सत्ता में रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं आपके द्वारा सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि विषय अर्थनीति का है, लेकिन आर्थिक विषय को हम राजकीय बनाकर जाने-अनजाने में जिन अनुस्क्रुपलस प्रमोटर्स ने छोटे इन्वैस्टर्स को लूटा है, हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम उन्हें एक नई दिशा दे रहे हैं ताकि जो उन्होंने स्कैम किया है, वह पीछे दब जाये। मैं उसी कम्पनी का उदाहरण देता हूं।

[अनुवाद]

आप जानते हैं कि रिलायंस उद्योग समूह ने कितना निजी निवेश किया था। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइवेट प्लेसमेंट है। 1996 को दिए गये उत्तर में उन्होंने यह कहा है। उस समय सरकार दूसरी थी। मंत्री बदल गये हैं परंतु संस्थान और उसकी अन्य बातें वैसी ही हैं। उन्होंने लिखा है:

मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था और मैं उद्धृत करता हूं:

"तथापि, यू.टी.आई. के मामले में 1993-94, 1994-95 के दौरान रिलायंस उद्योग समूह को इक्विटी और डिबेंचर के रूप में निजी निवेश का प्रतिशत 34.38 और 40.13 था।"

[हिन्दी]

100 परसेंट में से 40 परसेंट एक ग्रुप को गया। मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको आगे और बताऊंगा। इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 करोड़ रुपये के शेयर्स किसे बेचे - यू.टी.आई. को बेचे एल.आई.सी. को बेचे, जी.आई.सी. को बेचे। किस भाव से बेचे, 385 रुपये के भाव से बेचे।

[अनुवाद]

ये 385 रुपये के भाव से बेचे गये। आप जानते हैं कि इन दो-तीन विशेष अवधियों के दौरान मुंबई शेयर स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गये न्यूनतम मूल्य क्या थे। 1994 में यह सौदा हुआ था और प्रति शेयर का मूल्य 385 रु. था। 1992 में रिलायंस ने मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक शेयर का न्यूनतम मूल्य 125 रु. कोट किया था। 1993 में शेयर का न्यूनतम मूल्य 116 रु. कोट किया गया था। 1996 में न्यूनतम मूल्य 150 रु. कोट किया गया था और 1995 में प्रति शेयर का कोट किया गया मूल्य 194 रुपए था।

[हिन्दी]

पर यह आधा सत्य है, यह अर्धसत्य है। एक ओर उन्होंने अपनी कम्पनी के एक हजार करोड़ रुपये के शेयर्स 385 रुपये के भाव से दिये। दूसरे अपनी खुद की कम्पनी के शेयर्स इन प्रमोटर्स ने सिर्फ 61 रुपये में लिये। यह सैकिण्ड पार्ट है। अभी तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि यू.टी.आई. को किसने लूटा है। यू.टी.आई. को इन्हीं लोगों ने लूटा है। 1993, 1994, 1995 और 1996 में रिलायंस उद्योग ने यू.एस.-64 में कितना निवेश किया था? पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का यू.एस.-64 में कितना पैसा था,

[अनुवाद]

एक विशेष समय में 449.40 करोड़ रुपे का निवेश किया गया था। 1994-95 के दौरान यह बढ़कर 834 करोड़ रु. तक पहुंच गया। 1998 में यह घटकर 0.13 करोड़ रु. हो गया।

[हिन्दी]

आप जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये तीन साल थे, 1994, 1995 और 1996, जिसमें यूनिट ट्रस्ट ने कितना डिवीडेंड दिया, क्रमशः 26 परसेंट, 26 परसेंट और 20 परसेंट।

[अनुवाद]

उन्हें पूरा डिवीडेंड दिया गया। इसी समय, इन तीनों सालों में उन्हें राइट्स वरीयता और बोनस 20 प्रतिशत की छूट पर दिया गया।

[हिन्दी]

एक ओर रिलयांस यू.एस.-64 को लूट रही थी, जब उसको पता चला कि हमने इसे खोखला कर दिया है तो उसके बाद अपने खुद के यू.एस.-64 को मार्केट में 15 रुपए से 20 रुपए तक में बेच दिया। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत कड़ा और अच्छा कदम उठाया है।

[अनुवाद]

उन्होंने समिति से कहा है कि वह दस सालों की निवेश नीतियों और निर्णयों की जांच-पड़ताल करें।

[हिन्दी]

लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि सब सत्य सामने आने दें, इसमें राजनीति न आने दें, क्योंकि एक ही कार्पोरेट हाउस नहीं है, सब एक से बढ़ कर एक हैं। मैं दूसरे कार्पोरेट हाउस का भी उदाहरण आपको देना चाहूंगा। सभी ने मिल कर छोटे निवेशकों को लूटा है। मैं दूसरे कार्पोरेट का नाम बताता हूं।

[अनुवाद]

यह औद्योगिक घराना 1993 में अस्तित्व में आया, उस समय, उसका कारोबार 74 लाख रु. था। धीरे-धीरे और लगातार बढ़कर यह 2000 में 286 करोड़ रु. तक पहुंच गया। प्राफिट क्या था। 1999 तक, इसका मुनाफा 61 करोड़ रु. था। एक साल में, यानि पिछले वर्ष 2000 में मुनाफा एकदम से 267 करोड़ रु. हो गया। आप जानते हैं कैसे?

[हिन्दी]

200 करोड़ रुपए की अदर इनकम दिखा दी है और उनका शेयर रिजर्व कितना था, महज आठ साल के कम्पनी के इतिहास में 173 करोड़ रुपए थे। वर्ष 2000 में यह 3,522 करोड़ रु. पहुंच गया। एक रुपये का शेयर डिवाइड किया। दस रुपए का एक रुपए में डिवीजन किया और एक हजार रुपए के भाव से बेचा, वह कम्पनी जी टेलीविजन थी। यू.टी.आई. को इसके कारण 950 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक ओर रिलायंस ने लूटा, दूसरी ओर जी टेलीविजन ने लूटा। मैं एक और कम्पनी का नाम बताना चाहूंगा, डी.एस.क्यू. सॉप्टवेयर पेपर में स्टेटमेंट देती है कि हमने लूटा है। कम्पनी की बैलेंस शीट क्या है- लेखा-परीक्षकों ने 1998-99 और 1999-2000 की रिपोर्ट आडिट की उसमें लिखा है कि 400-450 करोड़ रुपए का निर्यात दिखा रहे हैं और कोई स्टेटमेंट नहीं है। 225 करोड़ रुपए का क्रेडिट नोट दिखा रहे हैं। सब कुछ झूठ है।

[श्री किरीट सोमैया]

2500 रुपए तक उसके प्राइस का इंडैक्स गया और आज 50 रुपए है। यू.टी.आई. के एक चेयरमैन उसके साथ बातचीत करते हैं। मैं एक और कम्पनी का नाम बताता हूं। वे आज स्टेटमेंट देते हैं, एच.एफ.सी.एल. कि हमें 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

[अनुवाद]

मुझे इसकी अधिकारिक जानकारी यू.टी.आई. से मिली। एच.एफ.सी.एल. का घाटा कितना है? इसका अर्जित मूल्य 1,067 करोड़ रु. था जबकि इसका 20 अप्रैल का बाजार मूल्य 127 करोड़ रु. था।

[हिन्दी]

900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। दासमुंशी जी यहां होते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सबने मिलकर लूटा है, क्या हम इसे नहीं रोकेंगे? आई.डी.पी.एल. का 1000 करोड़ रुपए तक का हुआ।

[अनुवाद]

यह किसके कार्यकाल में हुआ? ऋण किसे दिया गया? क्या आई.एफ.सी.आई., आई.बी.डी.आई. और राष्ट्रीय बैंकों की एन.पी.ए. कितनी है? यह 53,000 करोड़ रु. की थी।

[हिन्दी]

53,000 करोड़ रुपए का एन.पी.ए. क्या यशवंत सिन्हा जी के राज्य में पैदा हो गया? दासमुंशी जी मालविका स्टील का नाम ले रहे थे।

[अनुवाद]

मैं उसी पारेख समिति की रिपोर्ट का हवाला दूंगा।

''उस पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर भी आपत्ति है।''

अरुण जेटली जी होते तो मैं कहता कि आगे का भी पढ़ो। एन.पी.ए. बढ़कर 875 करोड़ रु. हो गयी, जो कुल औद्योगिक ऋण का 20 प्रतिशत है। इसकी शुरूआत राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद नहीं हुई है। यह 30 जून, 1998 की बात है, पिछले दस सालों से यह हो रहा है।

[हिन्दी]

लेकिन अभी इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर देखेंगे तो मैं फिर आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी बताया था। आप प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में कुल 1,426 कंपनियों में इक्विटी निवेश में से, 30 नवम्बर, 1998 तक, केवल 81 कंपनियों के मूल्य में वृद्धि हुई है बाकी बची 1,345 कंपनियों में अनुमानत: 47 प्रतिशत ह्रास हुआ है।

[हिन्दी]

यह इंवेस्टमेंट किसने करवाया था? मैं श्री मनमोहन सिंह जी की बात से सहमत होता हूं।

[अनुवाद]

आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते बैंकों, नाबार्ड, सिडबी, आई.डी.बी.आई., यू.टी.आई. आई.सी.आई.सी.आई. इत्यादि को मिलाकर कुल 82 वित्तीय संस्थान हैं। वित्त मंत्री नार्थ ब्लॉक में बैठकर इन सभी वित्तीय संस्थानों को किस प्रकार नियंत्रित कर पाएंगे? क्या हम इन लोगों को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे? यू.एस.-64 स्कीम कम से कम दस वर्ष पुरानी है। 30 जून, 1998 को इसका मूल्य 9.50 रु. था।

[हिन्दी]

हम विषय को कौन सी दृष्टि से देखना चाहते हैं, यह हमें देखना है। आज यू.एस.-64 में जो लास हुआ है, वह पहले के कारण भी हुआ है। साथ में जो फंड मैनेजर ने आगे तक कांटीन्यू किया है, वह भी उसका एक रीजन है, ऐसा मैं मानता हूं। सवाल छोटे इंवेस्टर का है कि उसकी रक्षा कौन करेगा? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि आप बेल-आउट दे रहे हैं तो दीजिए लेकिन अधूरा मत दीजिए।

[अनुवाद]

उनको विशेष रूप से बता दीजिए, जी नहीं अब आपको जिम्मेदार रहना होगा। जो भी यू.टी.आई का चेयरमैन बनता है वह क्या स्टेटमेंट देता है-चेयरमैन बनने से पहले वह कहते हैं-नहीं, यू.टी.आई. सेबी द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। श्री दवे नियामक प्राधिकरण में थे। उस समय वे यू.टी.आई. को सेबी के नियंत्रण में रखना चाहते थे। तत्कालीन यू.टी.आई. के चेयरमैन, श्री शेरवानी ने इसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि सेबी इस पर निगरानी नहीं कर सकता। बाद में श्री दवे जब यू.टी.आई. के चेयरमैन

बनाए गए तो, उन्होंने कहा कि हम सेबी के कार्यक्षेत्र और नियंत्रण से परे हैं। यह भारत सरकार के अधीन नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र का स्वायत्तशासी निकाय है।

[हिन्दी]

जो वहां चेयरमैन बनता है, उसको पॉवर चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी आप बेल-आउट देते समय एक सप्लीमेंट करिए।

[अनुवाद]

आप पूरे यू.टी.आई. का पुनर्गठन कीजिए और इसका विभाजन कर एक पृथक लेखा प्रबंधन कम्पनी बनाइए इसमें पारदर्शिता लाइए और इसमें प्राधिकारों का विकेन्द्रीकरण कीजिए। ऐसा केवल यू.टी.आई. में ही नहीं बल्कि आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., इत्यादि में भी किया जाए।

[हिन्दी]

पाप किसने कितने किए हैं, इन्होंने किए हैं या किसी और ने किये हैं, सवाल यह नहीं है। लेकिन हम यहां पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अगर पैसा जाता है तो स्मॉल इंवेस्टर का जाता है। अभी बेल-आउट दो तो टैक्स-पेयर का जाएगा। बात एक ही है। लेकिन यह पैसा किसके पास जाता है, यह पैसा कौरपोरेट्स, एच.एफ.सी.एल., डी.एस.क्यू. और रिलायंस के घर में जाता है। आप रिलायंस की स्थिति जानते हैं। आपको मालूम है कि रिलायेंस का होल्डिंग कितना है?

[अनुवाद]

आज की स्थिति के अनुसार यू.एस.-64 का रिलायंस में 15.87 प्रतिशत निवेश है और रिलायंस पेट्रोलियम में 6 प्रतिशत है। मास्टरशेयर 12 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

मजा ये लोग करते हैं, पैसा ये लोग खाते हैं, लूटते ये लोग हैं और दस साल में किसी को भी टच नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री जी को बोल्ड बनना चाहिए। आपके यू.टी.आई. के चेयरमैन ने गड़बड़ की, वह जेल में गए लेकिन मैं कहूंगा कि जो अनस्क्रूपुलस प्रमोटर्स थे, उनको भी जेल में डालो। पिछले दस साल में इतने स्कैम हुए। हर्षद मेहता स्कैम हुआ। आप जेपीसी 1993 की रिपोर्ट पढ़िए।

[अनुवाद]

इसमें यह कहा गया है कि यू.टी.आई. का दुरूपयोग किया गया। यू.टी.आई. का पुनर्गठन किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा किसी ने नहीं किया। ये कारपोरेट घराने स्वतंत्र नहीं होना चाहते। अगर यू.टी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. स्वतंत्र और उत्तरदायी बन जाएं तो उनका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए वे नहीं चाहते। कितनी समितियों ने यू.टी.आई. के पुनर्गठन की सिफारिश की है?

महोदय, मैं इस सदन में हुए 1989 के वाद-विवाद को पढ़ रहा था। उस समय बहुत से लोगों ने कहा कि यू.टी.आई. का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 1993 की संयुक्त संसदीय समिति ने यही सिफारिश की थी। उसके बाद बागुल समिति ने और बाद में दीपक पारिख समिति ने भी यही सिफारिश की लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते थे।

[हिन्दी]

आज तक कितने स्कैम हुए। हर्षद मेहता स्कैम हुआ। उसके बाद नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का स्कैम हुआ। उसके बाद प्लांटेशन कंपनी, वैनेशिंग कंपनी तथा और भी कई घोटाले हुए। क्या किसी भी कंपनी के प्रमोटर को दो-पांच साल की सजा हुई है? जब तक सजा नहीं होगी, ये स्कैम होते रहेंगे।

[अनुवाद]

अगर आप यह आवश्यक समझते हैं तो कानून बदल दें।

[हिन्दी]

फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स के मैनेजर गड़बड़ी करते हैं। 10-12-15 टका में जो काम करते हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। इसी प्रकार जो अनस्क्रूपलस प्रमोटर्स हैं, उनके लिए भी कड़ा एक्शन होना चाहिए।

[अनुवाद]

इसके कार्यकरण को और पारदर्शी बनाया जाए।

[हिन्दी]

आपने जो बेलआउट किया है उसको थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है।

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

आप थोड़े चिन्तित हैं। मुझे पता है कि जो लोग यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में कार्य कर रहे हैं उन्होंने यह प्रतिबिम्बित किया है। आप और हम रहेंगे, यू.टी.आई. भी रहेगा। लेकिन ज्यादा लोगों का आप में विश्वास है। लोग आप में विश्वास करते हैं। 'आई' का मतलब ज्यादा निवेशकों से है और 'यू'' का मतलब वित्त मंत्री है दोनों ही यहां पर उपस्थित हैं। ट्रस्ट भी है। आप को ट्रस्ट को मजबूत करना है।

[हिन्दी]

मेरी आपसे प्रार्थना है, जो आपने तीन हजार की रिडैम्पशन लिमिट रखी है, उसको पांच हजार तक करिए। फिर इसको बढ़ाकर दस हजार तक करिए।

[अनुवाद]

पुनर्खरीद के लिए कोई दबाव नहीं है। विश्वास का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी यही अपील करना चाहता हूं। हम सब इकट्ठा हों और विश्वास का वातावरण, बनाए।

[हिन्दी]

यू.टी.आई. में रन होगा, तो इससे फायद किसको होगा? बैंक्स में रन होगा, तो नुकसान किसको होगा और आईएफसीआई डूब जाएगी, तो नुकसान किसको होगा?

[अनुवाद]

हमें कुछ और जिम्मेदार तरीके से आचरण करना चाहिए। आइये हम सब मिलकर निकायों को और ज्यादा स्वायत्तशासी तथा उत्तरदायी बनायें।

[हिन्दी]

यू.टी.आई. के एक्स-चेयरमेन ने गड़बड़ी की है, तो उसको सजा दीजिए। यू.टी.आई. हिन्दुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी चीज है। इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कहीं ऐसा न हो कि ऐसा करते-करते यह डूब ही जाए। एक ऐसा वातावरण न खड़ा हो जाए कि और पूरा फाइनेंशियल क्योस निर्माण हो जाए। इसलिए मैं छोटे इन्वैस्टर्स की ओर से सरकार और पूरे सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम चर्चा करें, लेकिन कुछ सुधारने के लिए करें और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करें।

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रूखाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यू.एस.-64 पर आपने बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हम यह कई बार देख चुके हैं, जब कभी सरकार के ऊपर दिक्कत आती है, तो एडवोकेसी के लिए श्री अरुण जेटली को बुला लिया जाता है और एडवोकेसी कराई जाती है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): हर अपराधी को वकील की जरूरत होती है।

श्री चन्द्र भूषण सिंह: महोदय, सीधी-सीधी बात है, यू.एस.-64 में दो करोड़ परिवार प्रभावित हुए हैं। यदि एक परिवार में चार आजमी जोड़ लें, तो आठ करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स हैं। मैं कल जीटीवी में देख रहा था। एक वृद्ध महिला ने बताया कि उसने 14 रुपए में शेयर खरीदा है और दस रुपया मिलेगा, तो उसी से गुजारा कर लेंगे। हम कारपोरेट हाउसेस की बात करते हैं और वह व्यक्ति जिसने 14.50 रुपए में शेयर खरीदा है, वह दस रुपए में बेच रहा है, क्या किरीट सोमैया जी उस पर विचार करेंगे। बम्बई की बड़ी-बड़ी हवेलियों में रहने वालों को इसका अन्दाज नहीं है। झोपड़ियों में रहने वालों की क्या स्थिति है...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: बम्बई में झोपड़ियां ज्यादा हैं।

श्री चन्द्र भूषण सिंह: मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स पर गौर किया गया है। वैसे तो किसानों को तबाह करने के लिए सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। ...*(व्यवधान)* इसमें तो मिडिलमैन ने इन्वैस्ट किया था, जो शहर के लोग थे। उनका सारे का सारा रुपया डूबने की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार की कौन सी नीयत है, सरकार 7-8 परसेंट विकास की दर करना चाहती है और किसानों को सरकार पीछे ढकेल रही है। आपको मालूम है, टोटल जीडीपी का 36 परसेंट एग्रीकल्चर से आता है। ऐसी स्थिति में सरकार विकास की दर कैसे एचीव कर पाएगी। आप किसानों को, मिडल क्लास पीपल को, पीछे धकेल रहे हैं। हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं लगता कि आप विकास की दर सात-आठ प्रतिशत पहुंचा पाएंगे, जैसा पिछले दिनों स्टेटमेंट था। मौजूदा परिस्थिति में आपकी पांच प्रतिशत के आस-पास विकास की दर चल रही है।

महोदय, अभी मैं किरीट साहब के भाषण को नजदीक से सुन रहा था। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो व्यवस्था बनाई है कि तीन हजार यूनिट वाले अपना शेयर दस रुपये के हिसाब से बेच सकते हैं, जिनमें 98 प्रतिशत शेयर होल्डर्स कवर हो जाएंगे, उनका दस रुपए के हिसाब से भुगतान हो जाएगा, लेकिन जो दो प्रतिशत लोग बचे हैं, क्या उनके द्वारा 47 से 48 फीसदी रुपया इसमें नहीं लगाया गया, उनके लिए आपने क्या सोचा है? गलतियां होती हैं और हुई हैं। मुझे वह वक्त याद है जब राजीव जी देश के प्रधान मंत्री थे–तब उन्होंने एक बात कही थी यह एक सार्वजनिक वक्तव्य था। मैं एक रुपया केन्द्र से भेजता हूं और गांव तक पहुंचते–पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। आज स्थिति वह भी नहीं रह गई, उसमें भी गिरावट आई है। आखिरकार स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? चाहे यू.एस.–64 हो, बालको को बेचने का घोटाला हो, रोजाना नये–नये घोटाले हो रहे हैं– एक घोटाले की बात हो तो कही जाए। *...(व्यवधान)*

श्री ताराचंद साहू (दुर्ग): आप उनके नाम बताओ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री साहू आप इस तरह व्यवधान मत डालिए।

श्री चन्द्र भूषण सिंह: आप किसके नाम चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): प्रधान मंत्री कार्यालय में जो लोग लिप्त रहे हैं, उनके नाम ये पूछ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्र भूषण सिंह: मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमने 14 दिसम्बर, 2000 को यूनिट ट्रस्ट के ऊपर स्पेसिफिक सवाल इसी से संबंधित पूछा था। आपका इसमें जवाब भी आया था। मैंने आपको आगाह किया था कि यूनिट–64 में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा प्रश्न नंबर 4223 था। उसमें आपने जवाब दिया था कि सरकार इसकी तरफ गौर कर रही है और ऐसी कोई भी अनियमितता न होने की संभावना है और न ही होगी, लेकिन वह हुआ।

महोदय, अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि तीन सिक्युरिटी आदमी के पास होती हैं, जो वह जमा करता है। एक तो फिक्स्ड डिपोजिट होता है, दूसरा, उसका सोना होता है और तीसरी सबसे बड़ी चीज यू.एस.–64 थी, यूनिट 64 है। सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं– चाहे बैंक हो या जो भी वित्तीय संस्थाएं हों, सरकारी संस्थानों के प्रति लोगों की आस्था कम हुई है। विभिन्न बैंकों में लोगों के जो फिक्स्ड डिपोजिट हैं, उन्हें सरकार के ऊपर संदेह होने लगा है कि पता नहीं कब सरकार इन बैंकों को बंद कर दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार की विश्वसनीयता के प्रति लोगों को संदेह हुआ है। आपको यह विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। हमारी इसी कारण से विदेशों में साख गिरी है। हमें अपनी साख बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप जो भी प्रयास करेंगे, हम उसमें आपके साथ रहेंगे। आगे आने वाली वह परिस्थिति है, जब अगर आप विकास की दर मेनटेन करना चाहेंगे तो आप यह भी चाहेंगे कि लोगों के द्वारा पैसा इनवेस्ट किया जाए। सरकार की विभिन्न योजनाओं में वह पैसा लगे, लेकिन लगता नहीं है। आप कोई भी ऐसी योजना बना कर देंगे, यूनिट 64 जैसी योजना के ऊपर लोगों को बड़ा यकीन था और हमें लगता है कि यहां भी कम से कम 80 फीसदी एमपीज होंगे, जिन्होंने यू.एस.–64 में इनवेस्ट किया होगा लेकिन कहते नहीं हैं कि मेरे भी उसमें कुछ शेयर्स हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे कह रहा था कि सरकार को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। अभी माननीय किरीट सोमैया जी कह रहे थे कि 1994 में यू.टी.ई. ने एक हजार करोड़ रुपये रिलाइंस में इन्वैस्ट किए थे। जिस समय यू.टी.आई. ने अपने शेयर्स दिये, उस समय से आज तक क्या कोई उंगली उठी? आज उतने इंवैस्टमेंट से तीन हजार करोड़ रुपया यू.टी.आई. कमा चुकी है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी 862 करोड़ रुपया उसने अभी कमाया है, तो कोई गुनाह नहीं किया। उसने रुपया कमाया है क्योंकि उसने अपनी गुणवत्ता और ईमानदारी को बनाए रखा है। यू.टी.आई. अपनी ईमानदारी के कारण अगर लाखों कमा रही है, तो रिलाइंस भी कमा रही है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): क्या आप रिलायंस का बचाव कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र भूषण सिंह: जी हां, जरूर।

अगर कोई भी कारपोरेट घराना ठीक काम कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, वह चाहे यू.टी.आई. हो या कोई और हो। उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी की नीतियों की तो मैं प्रशंसा नहीं करता हूं क्योंकि उनके वक्त में डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर हुए और इसका खामियाजा भारत की आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। चीन, जापान और बहुत सारे देशों ने भी डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर किये लेकिन अपने कायदे–कानूनों के हिसाब से हस्ताक्षर किये।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): आप तो हमारी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं।

श्री चन्द्र भूषण सिंह: जी हां, मैं उस समय बीजेपी से एमपी था और स्वदेशी के नाम पर पंचायत स्तर तक की मीटिंगें एमपीज

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

से कराई गयी थीं। यह बात मुझे याद है, लेकिन आज स्वदेशी का कहीं पता नहीं है। मुझे माननीय मनमोहन सिंह जी की नीयत पर कोई संदेह नहीं है। उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था मनमोहन सिंह जी ने दी। लेकिन डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर गलत हुए। बहुत सी बातें जो उनके कार्यकाल में अच्छी हुई, उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

आईडीबीआई को यू.टी.आई. कंट्रोल करती है।... *क्या सरकार में उच्च पदों पर पहुंचने के लिए घोटाले करना आवश्यक है?

इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। एक बात और है। यू.टी.आई. को स्टॉक सेलिंग देने के रास्ते पर आप ले जाना चाहते हैं तो आप यह बताएं कि आईएफसीआई का क्या हाल है? इस्सार और मोदी द्वारा एक हजार करोड़ रुपया डूबा दिया गया। लेकिन आपने सब्सिडी के नाम पर आईएफसीआई को रुपया दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक आप गरीब लोगों की पूंजी को बर्बाद करते रहेंगे। कब तक इस तरीके से पैसे माफ करेंगे? निश्चय ही इन बातों पर अंकुश लगाना चाहिए। जब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता और हम आगे नहीं बढ़ सकते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर मैं आपको केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में अन्य वक्ता भी हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): अगर आप मुझे बता दें कि मुझे कितना समय दिया जा रहा, तो मैं कोशिश करूंगा की अपनी बात उस समय सीमा के दायरे में पूरी कर लूं। कृपया, मुझे यह बता दीजिए कि आप मुझे कितना समय दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप 15 मिनट का समय ले सकते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): जी नहीं, हम इसे जारी करने पर सहमत हो गए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल 25 मिनट का समय शेष रह गया है, दो वक्ता और बचे हुए हैं। अगर आप पूरे 25 मिनट लेना चाहें तो ले सकते हैं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मणिशंकर अय्यर: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज मार्च 1998 का वह दिन याद आ रहा है जब मैं चुनाव हार गया था और बड़ी निराशा के साथ अपनी निजी कार से यहां पहुंचा मैंने अपनी कार को पार्किंग स्थल पर खड़ा किया। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला तो दो सज्जन जिन्होंने चुनाव जीता था मेरे साथ इस भवन में आए। मैंने यह कल्पना नहीं की थी वे उतनी ख्याति प्राप्त करेंगे। जितनी की उन्होंने प्राप्त की। उनमें से एक श्री पी.आर. कुमारमंगलम की मृत्यु हो गयी है और दूसरे मेरे बहुत पुराने मित्र हैं उनके साथ मैंने एक नौकरशाह के रूप में कार्य किया। उनके साथ मैंने उद्योग भवन व विदेशों में भी काम किया है। वे मेरे अच्छे मित्र हैं उनका नाम श्री यशवन्त सिन्हा है जिन्हें अभी श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने संत के रूप में सम्बोधित किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्च 1998 हजार दिन पहले एक हजार एक रात पहले आया था। तीन साल अधिक हमारे एक उत्कृष्ट नौकरशाह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथी विधि मंत्री इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे अभी नए-नए विधि मंत्री अक्टूबर 1999 में ही बने हैं।

हमने श्री अरुण जेटली का भाषण सुना जो कि आडवाणी के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है, अखबारों के अनुसार आडवाणी जी ने भा.ज.पा. तथा रा.ज.ग. को विरोध की मानसिकता को त्यागने को कहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अरुण जेटली बोले हैं प्रतीत होता है वह उस तरफ है और हम ऐसा प्रतीत होता है वह उस तरफ है और हम इस तरफ हैं। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा वित्त मंत्री संकट में हैं? क्या डा. मनमोहन सिंह संकट में हैं? या फिर वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा संकट में हैं?

मैं पहला व्यक्ति हूं जो यह स्वीकार करता है कि बहुत सी गलतियां हैं जो भारत का हर वित्त मंत्री करता है। यह संभव है कि जब हम सत्ता में थे तो कुछ निर्णय हमने लिए थे उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता थी। मैं नहीं समझता कि सदन में कोई श्री यशवन्त सिन्हा जैसी प्रतिभा वाला है जो ऐसे सुधार कर सके क्योंकि डा. मनमोहन सिंह के भारत के वित्त मंत्री बनने से पहले केवल यशवन्त सिन्हा ही भारत के आखिरी पक्के समाजवादी वित्त मंत्री थे। उसके बाद श्री यशवन्त सिन्हा ने और मैंने प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में साथ-साथ काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्षों तक हमने देखा कि ये समाजवादी आर्थिक सुधारों की उस नई व्यवस्था के दोष उजागर करते रहे जिसे हम लोग लाना चाहते थे। श्री यशवन्त सिन्हा से अधिक किसी अन्य व्यक्ति ने हमारी अर्थव्यवस्था के खतरों के बारे में नहीं कहा था। मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं क्योंकि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं।

तत्पश्चात् संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले वे समाजवादी से भगवा हो गए और शीघ्र ही स्वदेशी जागरण मंच में प्रवेश कर गए। भा.ज.पा. में शामिल होने से लेकर वित्त मंत्री बनने तक की अवधि के दौरान वे समाजवादी के रूप में प्राप्त अपने ज्ञान को भगवा दर्शन के साथ मिलाने में सफल रहे।

इसलिए मार्च 1998 में देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य में यह बता पाता कि हमारे आर्थिक सुधारों में कौन सी भूल हुई है। जैसा कि किरीट सोमैया ने बताया कि उनके पास यह सब अपेक्षित कार्य करने के लिए काफी समय था। जैसा कि श्री सोमैया जी ने श्री यशवन्त सिन्हा जी के बारे में बाईबल से उद्धृत किया है वह इस संदर्भ में प्रासांगिक है क्योंकि ये सिन्हा जी ही थे जिन्होंने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में लिखा था कि—यू.टी.आई. के पुनर्गठन की जरूरत है। (प्रोटो) असली यशवन्त सिन्हा कहते हैं कि यू.टी.आई. का पुनर्गठन किया जाए और अचानक ही विपक्ष के प्रोटो यशवन्त सिन्हा सरकार के नकली (डूयटरो) यशवन्त सिन्हा बन जाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें यू.टी.ई. को पुनर्गठित करने का चार्ज दिया गया था एक लम्बी अवधि के बाद भी इस मामले में कुछ नहीं किया गया है। मैं अपने दोस्त श्री किरीट सोमैया से यह जानना चाहूंगा कि इसमें कौन साधू है और कौन पापी।

इन हजारों दिनों में भी यह सब कुछ क्यों नहीं किया गया? इसमें यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि हम लोगों से कोई गलती हुई। यह ठीक है कि हम लोगों से यह गलती हुई। यदि हम लोगों से यह गलती नहीं हुई होती तो यशवन्त सिन्हा के पास सुधारने के लिए कुछ भी नहीं होता। जब उन्हें यह पता था कि क्या गलती हुई है और जब उनके पास इसे सुधारने की शक्ति थी, योग्यता थी, अनुभव था तथा पर्याप्त समय तक श्री गुरुमूर्ति के सिद्धांत को लागू किया फिर उन्होंने श्री गुरुस्वामी के पथ का अनुसरण क्यों किया? वह किस की गुरुवाणी है जिसे वे सुन रहे हैं? इसे यशवन्त से अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं उन्हें आज यशवन्त कह कर सम्बोधित कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने 40 साल पुराने दोस्त से बातचीत करना चाहता हूं, किसी वित्त मंत्री से नहीं। नौकरशाह राजनीतिज्ञों को कैसे नियंत्रित करते हैं इसे यशवन्त से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, इसके बावजूद कोई ऐसा कारण है या कोई अंदरूनी व्यक्ति है जो उन्हें—यू.टी.आई. का पुनर्गठन करने से और उसे अधिक पारदर्शी बनाने से रोक रहा है। श्री किरीट सोमैया ने बिलकुल सही कहा है कि इसे और पारदर्शी बनाया जाए। क्या इसे और पारदर्शी बनाया गया है? क्या इसे और पारदर्शी बनाने के लिए हजार दिन काफी नहीं हैं? श्री यशवन्त सिन्हा, श्री मूर्ति की इच्छानुसार काफी समय तक सुधार कार्य करते रहे परन्तु इस कार्य में वह इतने व्यस्त थे कि उन्हें यह नहीं पता चला कि इस व्यवस्था में कितनी कामियां हैं? सच्चाई यह है कि एक अलग तरह की सरकार, जिसमें भूतपूर्व कांग्रेसी नहीं है। जो किसी पर आश्रित न होकर अपने दोस्तों पर पूर्णतः निर्भर है और जिसे एक सहयोगी पार्टी, ए.आई.डी.एम.के. ने छोड़ दिया, चुनाव के बाद फिर सत्ता में आई, जिसने हजार दिन तक कुछ भी नहीं किया।...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): आपके 30000 दिन एक हजार दिनों में बदले नहीं जा सकते।

श्री मणिशंकर अय्यर: हम लोग हजार दिन तक इंतजार करते रहे कि कोई परिवर्तन किया जाए।

हमसे शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के बारे में कहा गया। पिछले हजार दिनों में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं हुआ? श्री किरीट सोमैया ने बड़े उद्योगपतियों, बैंकों तथा वित्त प्रबंधकों के बीच सांठगांठ की और सही इशारा किया है। इसको किसने उजागर किया? ये श्री किरीट सोमैया नहीं थे। इसका उल्लेख संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में किया गया था, जिसके लिखने वाले अन्य सदस्यों के अलावा श्री यशवन्त सिन्हा थे। यह सदन और दूसरे सदन ने डा. मनमोहन सिंह को बाध्य किया कि वे दूसरा ए.टी.आर. रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करें जिसमें मनमोहन सिंह को एक समिति गठित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस में सभी एजेंसियों को शामिल किया गया जिसका कार्य इस सांठगांठ के बारे में जांच करना था। जिसका हवाला आज श्री किरीट सोमैया ने दिया है। मैं उस समिति के बारे में माननीय वित्त मंत्री से कुछ जानना चाहता हूं क्योंकि इसका उत्तर हमें कही और से प्राप्त हुआ है।

मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या, डा. मनमोहन सिंह द्वारा गठित समिति, जिसमें बड़े उद्योगों, बैंकों और निधि प्रबंधकों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए सभी संबंधित अभिकरणों को सम्मिलित किया गया था, की पिछले एक हजार दिनों में एक बार भी बैठक हुई है? श्री किरीट सोमैया इसी बारे में बोल रहे थे। जबसे आप वित्त मंत्री हैं तब से आप समिति के गठन का आग्रह करते रहे हैं, किन्तु इस समिति की बैठक एक बार भी नहीं हई है।

क्या यह सही नहीं है कि किरीट भाई उन अपराधियों की बात करते हैं जिन्हें दण्ड नहीं दिया गया व जिन्हें शीघ्र ही जेल में नहीं डाला गया? क्या यह सही नहीं है कि हर्षद मेहता कांड से संबंधित अपराधियों के मामलों के लिए अतिरिक्त न्यायधीशों हेतु

[श्री मणिशंकर अय्यर]

बार-बार अनुरोध किया गया किन्तु इस पर कार्यवाही अनिच्छापूर्वक और धीमी गति से हुई। मात्र यह हुआ कि एक न्यायधीश के स्थान पर दो हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 72 विचाराधीन आपराधिक मामलों में से 47 मामलों पर न्यायालय में कार्यवाही हो पाई और मात्र छः मामलों पर निर्णय हो सका तथा 3 मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ। यह रिकार्ड पिछले दस वर्षों का है। इन दस वर्षों में पहले सात वर्षों का रिकार्ड बहुत साधारण है। हमने सोचा था कि आपकी सरकार कुछ अलग होगी। हमने सोचा कि अभियोक्ता न्यायाधीश बन रहे हैं तो वह व्यवस्था बदल डालेंगे किंतु क्या कोई उपलब्धि हुई है?

किरीट भाई, अब मुझे अपने साथ मिलाने की बात क्यों कह रहे हैं? मैं तो कई वर्षों पहले आपके साथ काम कर चुका हूं। वर्ष 1992-93 की संयुक्त संसदीय समिति में मैं आपके साथ था। मेरा कहना है कि बड़े उद्योगों और बैंक प्रबंधकों व निधि प्रबंधकों के बीच के आपराधिक रिश्तों की जांच की जाए। मुझे इसमें कार्य करने के लिए कह रहे हैं। उस समय मैंने किसे गले लगाया? मैंने अपने मित्र यशवंत को गले लगाया। इस मुद्दे पर हम दोनों एक थे। हमारे अन्य मतभेद अपनी जगह थे किंतु हम चाहते थे कि डा. मनमोहन सिंह ऐसे संबंधों की जांच के लिए एक समिति का गठन करें। आप इसका गठन अब भी नहीं होने दे रहे हैं। आप न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान 72 मामलों में से मात्र छः मामले निपटाए गए और इसमें से भी केवल तीन मामलों में दोष सिद्ध हुआ। आप इतने से ही खुश हैं। अब आप आकर मुझे कह रहे हैं कि डा. मनमोहन सिंह ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इक्विटी और ऋण के अनुपात में परिवर्तन आरंभ किया था। बेशक, उन्होंने ही किया था। उन्होंने क्यूं किया? यदि आप भारतीय यूनिट ट्रस्ट से कहें कि छोटे निवेशकों के लिए और अधिक राशि उपलब्ध कराए तो बाजार में आई तेजी की स्थिति में इसका एक ही रास्ता है- वह है इक्विटी में अधिकाधिक निवेश किंतु बाजार में तेजी आयी कहां से? वित्त मंत्री के कारण ऐसा हुआ जिन्होंने पद ग्रहण करते समय एक प्रतिशत के लगभग की विकास दर को पिछले दो सालों में सात प्रतिशत तक पहुंचा दिया और उन्होंने अर्थव्यवस्था को ऐसा बल प्रदान किया कि उनके बाद भी यह सात प्रतिशत पर ही स्थिर है।

खैर, क्या हुआ है? वर्ष 1998 से हमने क्या पाया? पिछले तीन सालों में सुधार के दौर के दौरान हमने क्या पाया हमारी विकास दर में गिरावट। कई दूसरे देशों की तुलना में हमारी विकास दर फिर भी बेहतर है किंतु यदि हम उस विकास दर से इसकी तुलना करें जिसे हमने 1997 तक प्राप्त किया था तो उसके बाद के रिकार्ड काफी हताशाजनक हैं और हम देख चुके हैं कि कृषि क्षेत्र में काफी ठहराव है और हम यह भी देख चुके हैं कि इस वर्ष की पहली तिमाही में उद्योग जगत में काफी गिरावट आ रही है। आज के समाचारपत्रों के अनुसार आयात व निर्यात में काफी गिरावट आई है। विकास के लिए आयात की आवश्यकता है। पिछले तीन सालों में हमारी आर्थिक क्षेत्र की कार्यक्षमता काफी खराब रही है। किंतु जहां वास्तव में हमारा कार्य निष्पादन काफी खराब रहा है, वहीं शेयर बाजार में काफी तेजी आई है। क्या एक जिम्मेदार वित्त मंत्री को यह नहीं कहना चाहिए था कि शेयर बाजार की इस तेजी का मूल बातों से कोई संबंध नहीं है और क्या उन्हें यह सुझाव देना या इंगित करना, (निदेश देना नहीं क्योंकि कानूनी तौर पर वह ऐसा नहीं कर सकते) नहीं चाहिए था कि वे कानूनी तौर पर यह नहीं कर पाए कि- शेयर बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यू.टी.आई. को शेयर बाजार में अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि शेयर बाजार में अवास्तविक उछाल आए बल्कि वह पैसा लगाने वाले छोटे निवेशकों के मन में भरोसा लाने का उपाय करें। यह नहीं किया गया। यही नहीं ऐसे सभी प्रकार के रास्ते खोल दिए गए जिनकी इस उद्देश्य के लिए पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।

महोदय, पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार के प्रतिदिन के 2,000 करोड़ रुपये के कारोबार में अचानक उछाल आया और यह कारोबार प्रतिदिन 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

यह पैसा कहां से आया? इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी संस्थागत निदेशकों से आया। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने इन विदेशियों को आमंत्रित किया है। हमने पाया कि भारत में सबसे अधिक निवेश करने वाला देश एक छोटा सा टापू है। मैं और आप, बिना 'कौन बनेगा करोड़पति' शो में भाग लिए उसका नाम बता सकते हैं और वह है- मॉरीशस। हम 1982 के समझौते का आश्रय लेते हैं, जब मॉरीशस चीनी निर्यात करने वाला एक छोटा द्वीप था और थोड़े से पर्यटकों की आशा कर रहा था- उसी समझौते का आज उपयोग कर रहे हैं। वहां पर लाखों ऐसी कंपनियां पंजीकृत हैं जो मॉरीशस से कारोबार नहीं कर रही हैं और दोहरे कर से राहत के समझौते का अनुचित लाभ उठाकर वे यहां पैसा ला रही हैं। हम उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं और जिन आयकर अधिकारियों ने इन लोगों को नोटिस भेजे हैं, कर्त्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया है। तब अचानक शेयर बाजार में कार्यरत कुछ बेइमान लोगों को पता चला कि वे विदेशी निगमित निकायों में शामिल हो सकते हैं, भागीदारी नोट्स जारी कर सकते हैं। इस प्रकार मॉरीशस में समनुषंगी खाते खोले जा सकते हैं और मॉरीशस में भारत के करोड़ों, माफ कीजिएगा करोड़ों नहीं बल्कि अरबों, माफ कीजिएगा, मैं गलत हूं अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपये मॉरीशस से होकर वापिस यहां आते हैं। इससे वे भारतीय बाजार में लाभ अर्जित करते हैं और लाभ भी उन्हें

ईमानदारी से अर्जित धन के रूप में होता है। सारा समय वित्त मंत्री कहते हैं, ''मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है।''

महोदय, यदि आज शेयर बाजार में कोई बड़ा घोटाला होता है तो वह न तो मूल्य वृद्धि के कारण होगा और न ही मूल्य ह्रास के कारण। इसका कारण होगा कि जिस रुपये का शेयर बाजार में नहीं आना चाहिए वह शेयर बाजार में आ रहा है और उसे प्रोत्साहन भी मिल रहा है। कई बार तो सरकारी नीतियों से ही ऐसा होता है और सरकारी नीतियां इसे पूरी तरह रोकने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। जब आप कीड़ों से भरा डिब्बा खोलते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं, जब किसी नियंत्रित अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया जाता है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि प्रभावी उदारीकरण केवल प्रभावी विधान से ही आ सकता है। यदि प्रभावी उदारीकरण के साथ प्रभावी विधान नहीं होगा तो इसका अंत पूंजीवाद से होगा जिसके बारे में किरीट भाई ने बहुत ही सही इंगित किया है। अब जैसा भी पूंजीवाद है हमने जो भी गल्तियां करी, जो भी पाप किए, उसके लिए हम पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब जैसा भी पूंजीवाद है जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी अब आपकी है।

आज आप डी एस क्यू सोफ्टवेयर घोटाले की बात करते हैं। यह घोटाला शुरू कब हुआ-1992 में या 1994 में? आप जी टीवी की बात करते हैं। यह घोटाला कब प्रारंभ हुआ- 1993 में या 1995 में? आप साईबर स्पेस की बात करते हैं, यह कब आरम्भ हुआ- कल या पिछले दशक में? इसे प्रारंभ किसने किया, किस प्रधान मंत्री ने? राजीव गांधी? मैं नहीं सोचता कि यहां आने के लिए और अपराध में सम्मिलित होने के लिए यह कोई उचित बचाव है। यदि डा. मनमोहन सिंह गलत थे तो एक व्यक्ति को इसका पूरा पता था कि वे कहां गलत थे, और वह था यशवंत। हमें यह आशा थी कि वे हमारी गल्तियों को सुधारेंगे। जब आज हम यह देखते हैं कि इनकी कौन सी गल्तियां हैं तो मै नहीं सोचता कि उठकर यह कहना कि ये गल्तियां पहले हुई हैं, कोई बचाव है। पिछले तीन सालों से मैं इस सरकार की सुन रहा हूं। वे यह कहकर अपना बचाव करते हैं कि मेरी सरकार ने यह नहीं किया। इसीलिए हम मात खा गए। इसीलिए जनता ने आपको चुना इसीलिए उन्होंने सोचा कि आप कुछ अलग करेंगे और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी संत थे। आज इस संतकरण का ये हाल हो गया है कि प्रियरंजन दासमुंशी ने यशवंत सिन्हा को ही संत बना डाला। उस साफ सुथरी सरकार को क्या हुआ? उन सैंकड़ों बल्कि करोड़ों भोले-भाले निवेशकों की उत्थानों का क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक प्रथम श्रेणी के आई.ए.एस. अधिकारी, केसरिया रंग में रंगें महान व्यक्ति के रूप में परिवर्तित एक महान समाजवादी, स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्त्ता जिसके बारे में यह कहा जाता था, ''स्वदेशी के लिए यह व्यक्ति क्या नहीं करेगा?'' वह व्यक्ति भारत का वित्त मंत्री बना। यह वाक्पटु व्यक्ति जिसे हमने उन बैंचो से सुना है, ईमानदार है या जैसा हम विश्वास करते हैं, वह स्पष्टवादी है या फिर जैसा हम विश्वास करते हैं, वह लोकतांत्रिक है या जैसा हमें यकीन है, वह निर्दोष व्यक्तियों का नुकसान नहीं होने देगा। हमें विश्वास है वह हमेशा अपराधियों को दण्ड देना या जैसा हमें विश्वास है अपने 1001 दिन और 1001 रातें पूरी करने के बाद वे खुशियां मनाएंगे।

वित्त मंत्री महोदय, आपने किया क्या? सिवाए इस अर्थव्यवस्था को बरबाद करने के, सिवाए आई.ए.एस. की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के और सिवाए आपके प्रति मेरे प्रेम को बर्बाद करने थे।

महोदय, संयुक्त, संसदीय समिति की अंतिम रिपोर्ट मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज और एन.डी.ए. सरकार की आठ वर्तमान और पूर्व मंत्रियों ने लिखी थी। श्री फर्नान्डीज का सभा में पुनः स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है।

उपाध्यक्ष महोदयः वहां मैं भी था।

श्री मणिशंकर अय्यरः महोदय, आप भी वहां थे। वर्तमान एन.डी.ए सरकार के आठ पूर्व और वर्तमान मंत्री भी थे। वे कोई ऐसे-वैसे नहीं थे। उनमें थे, वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, विदेश मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा, पूर्व रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री राम नाईक, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री दिग्विजय सिंह और पूर्व रक्षा उत्पादन मंत्री श्री हरिन पाठक- इसके लिए समता पार्टी को मेरी ओर से एक बार फिर मुबारकबाद। इन सभी ने एक साथ बैठक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लिखी थी। इन्होंने हर दोष को बड़ी ही तरतीब से उजागर किया, कांग्रेस सदस्यों को, न कि किसी और को वित्त मंत्री से संबंधित कुछ सूचना वाला लिफाफा भेजने के लिए इन्होंने श्री रामेश्वर ठाकुर से मुक्ति पा ली, डा. मनमोहन सिंह के त्यागपत्र की जांच करने वाले श्री शंकरानंद से इन्होंने मुक्ति पा ली और इन्होंने संपूर्ण कांग्रेस दल को एक बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। फिर क्या किया? 1001 दिन पहले, यशवंत आप वित्त मंत्री बने। आप मंत्री इसलिए बन पाए क्योंकि आपको हमें मुक्ति दिलानी थी, इस देश को मुक्ति दिलानी थी- मेरा अर्थ हमसे नहीं है। इस पर कांग्रेस दल कुछ नहीं करेगा। हम इस देश पर की गई अपनी कारगुजारियों की गर्त में डूबते रहेंगे। क्या आपने ऐसा किया? आज, हर एक मोर्चे पर भारतीय, एक आम भारतीय, भले ही वह कोई दुकानदार हो, छोटा उद्योगपति हो या छोटा निवेशक हो, सभी तीन वर्ष पहले की तुलना में आज अधिक दुखी है। हमें आपसे इसकी आशा नहीं थी। जी हां, आपने यह करने की बात कही तो थी किंतु मुझे इस पर विश्वास नहीं था। मैंने कहा था, ''यशवंत हमारे मित्रों में से एक

[श्री मणिशंकर अय्यर]

हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्होंने 40 साल बिताए हैं, ये अवश्य करेंगे।'' आपने नहीं किया। आपने हमें निराश कर दिया। आपने हम लोगों को निराश ही नहीं किया बल्कि इसके साथ अपराध भी जुड़ा हुआ है और आपके सहयोगी दलों के एक सांसद के अनुसार इस अपराध की जड़ प्रधान मंत्री कार्यालय में है।

सभा में तुरंत यह कहने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि यदि गलत कार्य की कोई शंका है चाहे पीएमओ अथवा पीएमएच अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय हो। अथवा प्रधानमंत्री का घर हो वे संत श्री अटल बिहारी वाजपेयी तुरंत अपने कनिष्ठ संत श्री यशवंत सिन्हा को आदेश देंगे कि वे इस मामले की जांच करवाएं ताकि प्रधानमंत्री को—इस मामले में प्रधानमंत्री जी की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि प्रधानमंत्री जी अविवाहित हैं- सभी संदेहों से परे साबित किया जा सके।

महोदय, चूंकि श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने यहां मांग की है कि चूंकि आपके अपने प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उचित बात कही है कि चूंकि हमारे ऊपर शक किया गया है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए जो आरोप लगाया जा रहा है उसकी जांच की जाए, हम उसकी जांच की मांग करते हैं। उस जांच के लिए इसकी विश्वसनीयता के लिए आपको मुझे और यशवंत जी को संयुक्त संसदीय समिति में बैठना होगा ताकि दूसरे उदार संत डा. मनमोहन सिंह की भूमिका की जांच की जा सके- मैं आपसे कहता हूं कि आज इसकी जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति वह हो सकती है जो पहले से ही विद्यमान है। पहले से ही विद्यमान संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) स्टॉक बाजार घोटाले की जांच कर रही है जहां प्रेस को जारी अध्यक्ष के वक्तव्य के अनुसार हमारे लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू.टी.आई.) की जांच करना संभव नहीं है यद्यपि हमारे लिए यह संभव है कि हमारे विचारार्थ प्रेषित इस घोटाले में यू.टी.आई. की भूमिका की हम जांच करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि या तो इसका थोड़ा विस्तार से निर्वचन करें अथवा परस्पर समिति से इसके विचारार्थ विषयों का विस्तार करें ताकि वर्तमान जेपीसी, जो पूर्णतः इससे संबंधित मामले की जांच कर रही है, प्रधानमंत्री की इस इच्छा को भी पूरा कर सके कि प्रधानमंत्री कार्यालय अथवा प्रधानमंत्री के घर पर एक सेल फोन से जो शंका व्यक्त की गई है, उसकी भी जांच उसी समूह द्वारा की जाए जो पहले से ही गठित है। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप एक और काम करेंगे।

यह काम इस जांच में हस्तक्षेप करने का नहीं है, जिसका अर्थ है, जैसा मनमोहन सिंह ने किया वैसा कीजिए। अपना त्यागपत्र दे दीजिए और देश को देखने दीजिए कि क्या मनमोहन सिंह के मामले की तरह देश एक आवाज में यह कहता है कि 'इस त्यागपत्र को स्वीकार मत कीजिए' अथवा दो करोड़ छोटे पूंजी निवेशकों के मुखिया के रूप में किरीट सोमैया की तरह यह कहेगा कि वित्त मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा): उपाध्यक्ष जी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पहली बार ऐसी आफत में नहीं पड़ा है जिस आफत की चर्चा हम आज इस सदन में कर रहे हैं। पिछले दशकों में एक नहीं अनेक बार यूनिट ट्रस्ट परेशानी में पड़ा रहा और सरकार की तरफ से उसे फिर से मजबूत बनाने का प्रयास भी किया गया। अनेक दलों की सरकारें आई और गई। शायद ही कोई सरकार रही जिसको यूनिट ट्रस्ट की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस न हुई हो। मेरी राय में पहली बार इस मसले पर इतना हो-हल्ला हो रहा है और मुझे एक दूसरे अनुभव से तुलना करने की इच्छा है। मुझे वह अनुभव अब हुआ जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और देश के कुछ हिस्सों में कुछ ईसाइयों के प्रार्थना-घरों या व्यक्तियों पर कुछ हमले हुए और समूचे विश्व में एक ऐसा माहौल फैलाने का काम हमारे देश के अनेक लोगों की तरफ से किया गया, यहां तक कि कुछ लोग अमरीका में गवाही देने के लिए भी पहुंच गए थे। वह इस देश को बदनाम करने का प्रयास था क्योंकि हमारे देश में ईसाइयों के गिरजाघर हों या उनके पुजारी हों, उन पर पहली बार हमले नहीं हो रहे थे। वह एक जमाने से होते रहे थे लेकिन दुनिया में उसकी चर्चा करने की बात किसी ने नहीं पहुंचाई थी। मगर पिछले तीन सालों में वह एक प्रयास हुआ था। मैं इसलिए उसको याद कर रहा हूं क्योंकि अब यह जो हो-हल्ला है, इसके पीछे भी मुझे कुछ ऐसे मनसूबे दिखाई दे रहे हैं। इस बार इस सरकार को बदनाम नहीं करना है क्योंकि पूछा जाएगा, यादें दी जाएंगी। इस बार इस देश को कैसे कमजोर किया जा सकता है, इस देश में बाहर की पूंजी आनी चाहिए, यह सबकी इच्छा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लोग भी अभी अमरीका गए थे। वे भी शायद वहां इस बात को कह कर आए थे कि हम चाहते हैं कि भारत में पूंजी आए। इस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं? लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद हो सकता है वर्ना जो चीज होती रही, जिसे सुधारने का काम होता ही रहा, जैसा कि पहली बार हम अपने देश में इस अनुभव को महसूस कर रहे हैं, यह बात यहां नहीं आती। हम इस बात को मानते हैं कि यू.टी.आई. को चोट लगती है, यू.टी.आई. परेशानी में है मगर हमारे देश में केवल यू.टी.आई. को चोट नहीं लगी, अन्य को म्यूचुअल फंड्स हैं,...*(व्यवधान)* आई.सी.आई.सी.आई. म्यूचुअल फंड नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

बैंक म्यूचुअल फंड नहीं है, मगर जो म्यूचुअल फंड हमारे देश में हैं, उनमें कौन से म्यूचुअल फंड हैं, कोई एकाध विदेशी म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, जिसको चोट नहीं लगी हो, मगर उसकी चर्चा नहीं हो रही है। उसमें जिन लोगों को पैसे जमा हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जिस मात्रा में होनी चाहिए, उसके बारे में उल्लेख हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर पैसे का हिसाब करना हो या जितने लोगों को परेशानी हो गई है, उनकी गिनती करनी हो तो हमारे देश में म्यूचुअल फंड पर इस वक्त जो एक आपत्ति आई है, उस आपत्ति के बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि इसके पीछे एक कारण जरूर है, जो जायज है। वह यह है कि यू.टी.आई. का निर्माण जिस मकसद से हुआ था, वह छोटे आदमी को भी शेयर मार्केट तक पहुंचाने का था और उसमें आज दो करोड़ लोगों की, किसी की कम, किसी की अधिक, लेकिन पूंजी लगी है और दुनिया जानती है, हम सब इस बात को जानते हैं कि यू.एस.-64 की एक विशेषता यह भी है कि जब आप चाहें, तब आप अपने पैसे को निकलाकर ला सकते थे। आज अनेक लोग अपनी जरूरत होते हुए भी पैसा लाने की स्थिति में नहीं हैं। ये सारे कारण हैं, हम उनको महसूस करते हैं और उसको बिल्कुल जायज मानते भी हैं, लेकिन जो कारण इसके पीछे हैं, उस कारण की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए।

स्टाक मार्केट की बात है, स्टाक मार्केट का मतलब सट्टा बाजार है। उसको बड़े पढ़े-लिखे पंडित अर्थ के क्षेत्र में अनेक किस्म की अपनी-अपनी थ्योरीज दे सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह सट्टा बाजार है। बजट का शाम को यहां पर ऐलान होता है तो वहां पर बाजार उठ जाता है। जो शेयर 100 रुपये में जाने वाला था, वह 120 पर पहुंच जाता है, हुआ नहीं, उन लोगों ने बजट देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, लेकिन हो गया। कहीं किसी मिनिस्टर का इस्तीफा होता है या उसकी अफवाह होती है तो गिर जाता है। कहीं प्रधान मंत्री को बैठे-बैठे खांसी आती है तो वह गिर जाता है। लोग सट्टा खेलने का कोई न कोई बहाना खोजते रहते हैं। एक जमाना था, उसको सट्टा ही कहते थे, वह अमेरिका का कॉटन फीगर्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग और हमारे देश में भी कई सट्टे आज भी चलते हैं। इसे बहुत पैसे वालों का सट्टा करके हम मानते हैं कि जो स्टाक मार्केट में रोज उतार-चढ़ाव होता है, हम उसको कोई दूसरा अर्थ नहीं देते हैं। यह दुनिया में होता है, केवल हमारे देश में ही नहीं है। इस सट्टा बाजार के चलते अथवा जो कुछ जायज कारण भी होते हैं, आर्थिक मन्दी आ जाती है और उस मन्दी में चूंकि जिन कम्पनियों में आपने इतना पैसा डाला था, अब उसमें आपको उतना लाभ नहीं मिलना है तो उसके चलते भी गिरावट आ जाती है और यह गिरावट जिस प्रकार खुले बाजार को हम लोगों ने अपने देश में भी अपनाने का कार्य किया है, उसमें अनिवार्य है। मैं आपको यह याद दिला दूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी करके जिसका नाम चन्द साल पहले लोगों ने पहचाना था, वह बिल गेट्स है और अगर मेरी याद ठीक है तो आज से तीन साल पहले उसकी कुल जायदाद 60 बिलियन डालर्स थी और वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और जब 60 बिलियन डालर की चर्चा होती रही तो 6-8 महीने में वह 60 बिलियन से 40 बिलियन डालर पर पहुंच गया। कारण यह है कि जिस क्षेत्र में उसका अपना धंधा था, उस क्षेत्र में मंदी आने लगी और वही अनुभव हमारे देश में भी अनेक करोड़पतियों ने ही नहीं, बल्कि अरबपतियों ने किया। तीन-चार लोगों के नाम हमारे देश में प्रसारित होने लगे। इन्फोसिज, विप्रो, इनके मालिकों के नाम भी हमारे देश में खूब चलने लगे कि ये अरबपति नहीं, खरबपति हो गए और कुछ दिनों के बाद ये खरबपति से अरबपति नहीं, बल्कि करोड़पति पर आ गए। यह कोई ठोस रहने वाली बात नहीं थी। सट्टा बाजार में दाम चढ़ा गए तो कागजों में भाव ऊपर हो गए इसलिए वहां पैसा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि सारा कुछ कागजों में ही होता है। इसलिए इन तथ्यों को लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। यहां भी यह मामला चला, अखबारों में भी इस मामले को काफी कवर किया उन्होंने भी इसे अमुक गेट, यू.टी.आई. गेट और न जाने कौन से स्कैम के नाम दिए।

एक माननीय सदस्य: तहलका का भी नाम आया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उसकी चर्चा नहीं हो रही है। उसकी चर्चा हम दुनिया के किसी भी बाजार में करने के लिए तैयार हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर: यहीं चर्चा करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: आप तो चर्चा करने के लायक ही नहीं हैं।...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि यह बात देश के लोगों को बताना जरूरी है कि जो मामला है, यह जिस तरह से दुनिया के बाजार में आज बताया जा रहा है, वैसा नहीं है। जो व्यवस्था में आर्थिक नीतियों के अंतर्गत हमारा काम हो रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ हमने जिस तरह से अपने को जोड़ा है, उसमें इस प्रकार के उतार-चढ़ाव अनिवार्य हैं। वैसे भी जहां स्टाक मार्केट रहेगी, वहां ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन आज के दिन जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ हम अपने को जोड़ कर चलना चाहें, तो इस प्रकार की समस्याओं का निर्माण होगा और उनका सामना हमें करना है और धीरज के साथ करना है। यह इस देश के लोगों को कहना बहुत जरूरी है।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार की परिस्थिति के निर्माण में केवल सट्टा ही कारण नहीं है, कुछ और भी कारण हैं। एक कारण है मैनिपुलेशन। मार्केट का मैनिपुलेशन एक साजिश के तहत होता है। तहलका वाली बात अभी जो ये बोल रहे थे, तहलका में जो लोग थे, जिनके नाम से ये लोग नाच रहे थे, वह व्यक्ति इस इंतजार में था कि यह तस्वीर कब तैयार हो। हम लोगों ने जो बजट मंजूर किया था, उसको लेकर लोगों में एक उत्साह का संचार पैदा हुआ था, कैसे उसको गिराया जाए, यह एक साजिश थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप, अपना स्थान ग्रहण करेंगे? हमें चर्चा जारी रखनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी जी यदि आप उनसे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो पहले वे आप की बात से सहमत हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज जी क्या आप सहमत है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जी नहीं, मैं सहमत नहीं हूं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे सहमत नहीं हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, जब वे सभी अपनी बात कह रहे थे तब मैंने किसी के बीच में व्यवधान डाला*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह एक गंभीर आरोप है।*...(व्यवधान)*

अपराह्न 5.13 बजे

(इस समय श्री प्रवीण राष्ट्रपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट पर खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए। उन्होंने कुछ नहीं कहा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अय्यरजी, मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 5.14 बजे

(इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)***

अपराह्न 5.15 बजे

(इस समय, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने स्थान पर वापस जाने की कृपा करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः टेलीविजन बंद कर दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः मैं सभी नेताओं का सहयोग चाहता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः मैं कार्यवाही-वृत्तांत का अध्ययन करूंगा और यदि कोई आपत्तिजनक अभिव्यक्ति होगी तो मैं इसे ठीक कर दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर जाए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, यदि वाद-विवाद में कुछ भी असंसदीय अथवा कोई आपत्तिजनक भाग है तो मैं इसकी छानबीन करूंगा और तत्पश्चात् इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया मुझमें विश्वास रखें। मैं इस मामले की जांच-पड़ताल करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मणिशंकर अय्यर जी, हर बात की एक सीमा होती है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने कहा कि यदि इसमें कोई आपत्तिजनक अभिव्यक्ति है, तो मैं कार्यवाही-वृत्तांत की जांच-पड़ताल करूंगा और तत्पश्चात् इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि वे अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री दासमुंशी जी, आपको जवाब देने का अधिकार है। आप उस समय उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री अय्यर जी, मैंने कहा कि यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो मैं इसे निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य बोल रहे हैं। यदि वे सहमत नहीं हैं, तो आप बोल नहीं सकते है।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री जोस जी, किस नियम के अंतर्गत?

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोसः जब मंत्रीगण पिछली पंक्ति में बैठे हैं, तो क्या कोई साधारण सदस्य अगली पंक्ति में खड़ा होकर बोल सकता है?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज अपने स्थान से बोल रहे है।*...(व्यवधान)* इसके विपरीत, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री मणि शंकर अय्यर जी कभी भी अपने स्थान से नहीं बोलते है तथा वे हमेशा अगली पंक्ति में आ जाते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः वे यह कैसे कह सकते हैं कि तहलका एक षडयंत्र है?*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री दासमुंशी जी, आपको जवाब देने का अधिकार प्राप्त है। आप उस समय जवाब दे सकते है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा जी, कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलत नहीं किया गया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप इन्हें बोलने देंगे? क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? कार्यवाही-वृत्तांत में ये चीजें नहीं मिली।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सुशील कुमार इन्दौरा, मैं बोल रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, उनकी बात सुनिए। अब टेलीविजन चलने दीजिए। यह बंद था।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, मैंने दो कारण बता दिये। एक तो सट्टा किस तरह से बर्बादी करता है और कुछ लोगों की साजिश कैसे शेयर बाजार को प्रभावित करती है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है? कृपया अपने सदस्यों से कहिए कि वे ठीक से व्यवहार करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: तीसरा कारण है कि जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनके अंदर और बाहर के लोगों में लूटने का कुछ समझौता होता है। एक दस्तावेज संसदीय लाइब्रेरी से निकला है। श्री किरीट सोमैया जो एक फोरम चलाते हैं ''इंवैस्टर ग्रिवेंसेज फोरम, मुम्बई''। इसमें यह लिखा है कि यू.टी.आई. ने 1426 प्राइवेट कंपनियों में पैसा इंवैस्ट किया है जिसमें से केवल 81 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने शेयर के दामों में वृद्धि दिखाई है। जो 654 कंपनियां हैं जिसमें से एक तो मिल ही नहीं रही है, या तो वह व्यापार करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बाजारों में उसके शेयर का दाम शून्य है। इन 1426 कंपनियों में यू.टी.आई. ने जो पूंजी लगाई थी वह 47 प्रतिशत घट गयी है। अब इसमें एक घाटे का मामला है। यह तथ्य न मेरे दल का है न एनडीए का है, यह तो यू.टी.आई. के रिकार्ड से निकला हुआ मामला है। अभी मैंने सुना, यहां पर कोई सदस्य बोल रहे थे और वे बता रहे थे कि कैसे ये सारी चीजें दो-तीन साल पुरानी चीजें हैं और उनके उत्तर में एक सदस्य कह रहे थे ये बहुत पुरानी चीजें हैं। ये जो 1426 कंपनियों का मामला है और जिसमें से 626 कंपनियों का या तो पता ही नहीं है या फिर वे व्यापार नहीं कर रही है। ये तो पिछले दो सालों का मामला नहीं है। तथ्यों को स्वीकार करने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तथ्य कोई दलीय तथ्य नहीं हैं, यह यूटीआई बताता है। उसे यू.टी.आई. बोलिए, बैंक बोलिए या अन्य कोई संस्था बोलिए, उसके भीतर और बाहर इस प्रकार सौदे किए जाते हैं। उनके मेल-मिलाप से इस प्रकार के सार्वजनिक संस्थाओं को क्या नुकसान हो सकता है?

यहां एक कांड का जिक्र हुआ। हमारे मित्र किरीट सोमैया ने नाम भी ले लिया। कुछ लोग नाम लेने से शर्माते हैं। उन्हें नाम लेना अच्छा नहीं लगता। वह कम्पनी रिलायंस है। हम उसका नाम ले रहे हैं। मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं कि 1994 के कांड को अगर यहां बहस में नहीं लिया गया तो जिस दो करोड़ रुपए

की चर्चा यहां जो लोग बार-बार उठा रहे हैं, उनके साथ इससे बढ़ कर कोई जुल्म नहीं हो सकता। मैं इसके सबूत दे दूं। लगभग डेढ़ पौने दो हजार करोड़ रुपए का उस समय घपला हो गया। उन्होंने खुद 30 रुपए 50 पैसे में यूटीआई से शेयर लिए। यू.टी.आई. ने उसे साढ़े छः गुना ज्यादा में खरीद लिया। वे खुद अपने नाम से शेयर 61 रुपए में निकाले और और छः गुना ज्यादा थे। दरअसल 30 रुपए 50 पैसे दिए। यह सीबाआई की 1995-96 की रिपोर्ट है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और एक टेबल से दूसरी टेबल वह रिपोर्ट गई। वह रिपोर्ट जब श्री वाई.पी. सिंह, सुपरिंटैंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई, मुम्बई ने दी तो उसे काम से हटा दिया गया।...*(व्यवधान)* मैं उस समय उनसे मिला था।...*(व्यवधान)* क्या आप उनके बचाव में खड़े हो रहे हो? एक अर्से से यह सिलसिला हमारे देश में चल रहा है। कुछ लोग चाहे जो लूट करें, वे बैठे रहेंगे, उसे लेकर जाएंगे और देश को लूटने का काम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय ये एकदम सही है। मैं इनसे सहमत हूं।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: धन्यवाद। मैं सहमत नहीं हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ये सहमत नहीं है, श्री दासमुंशी। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी मैं कुछ नहीं कर सकता वे नहीं मान रहे। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, जब आप उत्तर देंगे, तब इन चीजों को उद्धृत कीजिएगा। ये नहीं मान रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ये सभा को अंधेरे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार में ये केबिनेट मंत्री थे। 1999 में उच्च न्यायालय में इन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से रिलायंस के साथ समझौता किया ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: ये नहीं मान रहे हैं। इसलिए, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। यह मेरी मजबूरी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): ये हर सरकार में मजे कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार सहित मुझे विश्वास है आप यह जानते होंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं यहां कुछ तथ्यों को सदन के सामने रख रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं भी तथ्य रख रहा हूं। आपने चुपके-चुपके समझौता किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यह बचाव करने का तरीका नहीं है। ...*(व्यवधान)* यदि बचाव करना है तो यह रास्ता नहीं है। हिम्मत से खड़े होकर कहो कि यह ठीक हुआ था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया साथ-साथ टीका टिप्पणी न करे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कोई भी व्यवधान न डाले।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपाध्यक्ष जी, इस सब का क्या असर होता है और क्या हुआ है? यह कांड 1994 में हुआ जिसमें डेढ़-दो हजार करोड़ रुपया लगाने की बात कही गयी थी। मैं उस दस्तावेज का हवाला दे रहा हूं जो लाइब्रेरी में है और सब सांसदों को बांटा भी गया है। सन् 1989-90 में यू.टी.आई. के जो शेयर्स खरीदे गये, उन पर 18 प्रतिशत का लाभ दिया गया था। उसके बाद 1990-91 में 19.50 प्रतिशत, 1991-92 में 25 प्रतिशत, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में 26 प्रतिशत तक पहुंच गया लेकिन 1994-95 के साल में यह घपला करा दिया गया। इस घपले के चलते 1995-96 में घटकर यह 20 प्रतिशत पर पहुंच गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: लेकिन आज यह 10 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: मैं वही बता रहा हूं। 1996-97 में 20 प्रतिशत, 1997-98 में 20 प्रतिशत, 1998-99 में 13.50 प्रतिशत, 1999-2000 में 13.75 प्रतिशत पर आ गया। इस प्रकार 1994 से गिराया गया और यह सिलसिला फिर शुरू हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इसे आपने गिरा दिया।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 5.37 बजे

श्री जार्ज फर्नान्डीज: लेकिन हम जमाने की कोशिश में हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जितने कांड हुए हैं, या जिन्होंने इस परिस्थिति का निर्माण किया है, वह बात लोगों के सामने ठीक ढंग से जानी चाहिए। इस बारे में यदि कोई पहल करता है तो उस पहल करने वाले व्यक्ति को परेशान किया जाता है। माननीय श्री राशिद अलवी साहब यहां बैठे हुये हैं। उन्होंने देश और दुनिया के सामने इस कम्पनी की सच्चाई रखने की हिम्मत की है। उनके घर पर धमकी आने लगी। विवश होकर उन्हें गृह मंत्री जी के घर जाना पड़ा और वहां से सुरक्षा लेनी पड़ी। अध्यक्ष जी, आज हमारे देश की यही स्थिति है। मैंने माननीय सांसद का अनुभव बयान किया है। इसलिए जो सुधार की बात कर रहे हैं, उसमें बिगाड़ कहां है? इस संबंध में सी.बी.आई. ने जो जांच की है, जब तक उसे पुनर्जीवित नहीं करेंगे, कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों की बहस हमें आगे पहुंचाने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए हम लोगों को कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए? एक तो यह है कि इस पर किसी ने विवाद नहीं किया कि केतन पारीख कमेटी ने जो सिफारिश की है कि शेयर खरीदने पर 70-75 प्रतिशत और कर्ज पर 25 प्रतिशत से अधिक भेद है, वह खत्म करना चाहिए। सरकार को कर्ज देने पर अधिक और शेयर खरीदने पर कम पैसा लगाने का निर्णय करना चाहिए। उसके लिए यदि कानून में तबदीली करनी हो तो उसे करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, यू.टी.आई. का निर्माण 1963 में एक कानून को पास करके किया गया था। उसमें इक्विटी पांच करोड़ रुपये की थी। 70-80 हजार करोड़ रुपये का जो काम यू.टी.आई. करती है, उसके पास इतना पैसा है और वह पैसा बढ़ता जा रहा है, पांच करोड़ रुपये की पूंजी में यह सारा काम चलाना कम्पनी और कारपोरेट को शोभा नहीं देता है और न इस पार्लियामैंट को शोभा देता है। चूंकि पार्लियामैन्ट का कानून है और अभी तक इस पर सोचा नहीं गया है। इस पर सिफारिशें हुई हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ है, उसका चाहे जो कारण रहा हो। इसलिए हमारा सुझाव है कि यू.टी.आई. का जो इक्विटी कोरपस है, उसे पांच करोड़ से बढ़ाकर कम से कम पांच सौ करोड़ करना अति आवश्यक है। बाकी अगर सरकार इसे चलाना चाहती है और चलाना भी चाहिए, सरकार की भी इसमें कुछ स्टेक बनी रहे, इसलिए इसकी इक्विटी बढ़ानी चाहिए। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि इसमें जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग करने वालों को बहुत सख्त सजा देनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है फिडेलिटी और इनटीग्रिटी की कोई शपथ यू.टी.आई. में काम करने वाले कर्मचारियों को लेनी पड़ती है। यह बात सही है कि बड़े उद्योगपतियों ने अपने हजारों करोड़ रुपये बाहर निकाले और उन्हें रुपये निकालने के लिए भीतर के लोगों ने ही प्रेरित किया। उन्हें बता दिया कि मामला बिगड़ता जा रहा है, हम लोग बिगाड़ने वाले हैं, इसलिए तुम अपना पैसा जल्दी निकालो और हम लोगों का उसमें जो भी योगदान हो, वह हमसे ले लो। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कर्मचारियों को जो शपथ देते हैं, मेरे पास वह कानून नहीं है, लेकिन उस कानून के अंतिम पन्ने पर एक शपथ हैं, वह शपथ तोड़ी गई है! ...*(व्यवधान)* इसलिए हमारा आग्रह है कि इस मामले की सख्त जांच होनी चाहिए और जहां-जहां, जिन-जिन लोगों ने इसमें अपराध किये हैं, उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि हम लोग एक अरसे से इस सदन में पारदर्शिता की बात करते आये हैं। अनेक बार कानून का मसविदा बना है, लेकिन वह कभी यहां पारित नहीं हुआ है। चूंकि पारदर्शिता से लगता है अनेक लोग बहुत डरते हैं, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। कहां, कितना पैसा किसके पास जा रहा है, इसकी जानकारी दुनिया को हो, चूंकि यह सार्वजनिक पैसा है। यहां ट्रस्ट शब्द है और उस ट्रस्ट शब्द का मतलब सही मायने में ट्रस्ट का जो अर्थ है, वही है। इसलिए इसमें पारदर्शिता रहे। उसके लिए यू.टी.आई. के कानून में कोई संशोधन होना चाहिए और देश के लोगों के सामने सही तथ्यों को देने का काम होना चाहिए। हल्ला-गुल्ला करके जो लोग बहस को दबाना चाहते हैं, वह नहीं होना चाहिए, ठीक ढंग से बहस चलाकर सही और गलत लोगों के सामने रखना चाहिए। लेकिन इसमें यू.टी.आई. और देश के विकास के कार्य को चोट पहुंचाने का प्रयास हम कुछ लोगों के द्वारा देख रहे हैं, उसमें कोई कामयाब नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार उचित कदम उठाये। उन्होंने जो प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका सख्त विरोध

करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री राशिद अलवी, आपको केवल आठ मिनट दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, आपने आठ मिनट जरूर दिये हैं, लेकिन बड़ी पार्टीज को जिस रेश्यों में टाइम मिला है, उसी रेश्यो में हमें दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः बड़ी पार्टीज को भी इतना ही टाइम दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं।

श्री राशिद अल्वीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं तजब्बुब में मुब्तिला हूं कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं। अगर तब से शुरू करूंगा जब से यू.टी.आई. बना है तो आठ मिनट में अपनी बात खत्म नहीं कर सकता।

जख्म कोई एक नहीं, जिस्म है सारा छलनी,
दर्द बेचारा परेशां है कहां से उठे।

किस दर्द की बात पहले करूं, किस दर्द की बात बाद में करूं। अरुण जेटली साहब बहुत लंबी तकरीर करके अभी-अभी गए और तमाम जिम्मेदारी इधर लोगों की रखी। इधर की तकरीरें मैंने सुनीं तो उन्होंने तमाम जिम्मेदारी उस तरफ की रखी। 54 साल देश की आजादी को हो गए। यूटीआई 75159 करोड़ रुपये को मैनेज करता है और करीब 43 मिलियन इनवैस्टर अकाउंट उसमें हैं। इस देश का हर 20वां आदमी यूटीआई से जुड़ा है।

मुझे देखकर तकलीफ भी होती है कि इस देश के अंदर एक दूसरे पर ऐलीगेशन्स लग रहे हैं और इस दिलेरी की हद तक बात की जा रही है कि रिलायंस जैसे लोगों को एक पार्टी खुलेआम डिफेन्ड करने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट की इन दरो-दीवारों को खुदा ने दिलो-दिमाग नहीं दिया, आंखें और कान नहीं दिये। अगर दिये होते तो आज जिस तरह से रिलायंस को डिफेन्ड किया गया है-इन दरो-दीवारों का दिल रोता और आंखों से आंसू बहते, कान सुनते और दिमाग परेशान हो जाता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज करीब करीब 50000 करोड़ रुपये कॉलैप्स होने के कगार पर हैं। इस देश के करीब दो करोड़ इनवैस्टर्स का करीब 50000 करोड़ रुपया किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। यूटीआई कोई एक दिन के अंदर इस नौबत पर नहीं पहुंची है। यूटीआई का कंटीन्यूअसली ऐक्सप्लाइटेशन हुआ है। मेरा कहना है कि इसकी पूरे तरीके से इनक्वायरी होनी चाहिए और पिछले दस साल की इनक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी की नीति रही है वही बात कहते हैं जो सच हो और सच की तलवार किसकी गर्दन पर गिरी, बहुजन समाज पार्टी इसकी परवाह नहीं करती।

चेन्नई से न्यू इंडियन एक्सप्रैस में हाल में एक आर्टिकल निकला है और उसमें लिखा है कि करीब करीब 200 करोड़ रुपये का रिलायंस वालों ने यूटीआई को नुकसान पहुंचाया है। दिसंबर से मैं इस इश्यू को उठा रहा हूं। मैंने पहली चिट्ठी 20 दिसम्बर को प्रधान मंत्री को लिखी थी और मेरे पास प्रधान मंत्री की इतनी सारी चिट्ठियां मौजूद हैं। ये सारी चिट्ठियां प्रधान मंत्री की हैं जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन का जवाब मिला है।

[अनुवाद]

मुझे आपके इस-इस दिनांक के पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में अनियमितताओं को उजागर किया है।

[हिन्दी]

इसमें यह भी नहीं लिखा है कि

[अनुवाद]

मैं मामले को देख रहा हूँ।

[हिन्दी]

ये सारे प्राइम मिनिस्टर के लैटर हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मैंने यह मसला उठाया था, अगर उसी वक्त इस पर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो कार्पोरेट वर्ल्ड है, वह इस पूरे देश पर कब्जा करना चाहता है। मैं अदब से कहना चाहता हूं और किसी पर ऐलीगेशन नहीं लगाना चाहता, आज कार्पोरेट फैसला करते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री को दिया जाए, किस मंत्री का कौन पी.एस. हो। मैं कहना चाहता हूं कि वे कार्पोरेट हाउसेज आज फाइनेन्स मिनिस्टर को देखना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते मैं नहीं जानता, लेकिन सफाई से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति, हिन्दुस्तान

[श्री राशिद अल्वी]

की पोलिटिक्स आज कार्पोरेट वर्ल्ड के हाथ में चली गई है। प्रधान मंत्री ने ठीक कहा था अभी कल ही उन्होंने कहा था कि घनघोर बादल इस देश की राजनीति पर छाए हैं। उस वक्त उनकी क्या मंशा थी मैं नहीं कह सकता हूं मगर यकीनन यह बात सही है कि इस देश की राजनीति पर घनघोर और तारीक बादल छाए हैं।

सर, अगर उन वादलों को नहीं छांटा गया, तो गरीब आदमी पिस जाएगा। यू.टी.आई. का यह मामला आज से शुरू नहीं हुआ है। 1992-93 के अंदर जब हर्षद मेहता की वजह से स्टाक मार्केट के अंदर बदहाली आई थी, तब यू.टी.आई. तबाह नहीं हुआ था। तब इसलिए तबाह नहीं हुआ था क्योंकि तब तक यू.टी.आई. ने फैसला नहीं किया था कि वह अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा और उसके बाद यू.टी.आई. ने अपना पैसा शेयर मार्केट में इनवैस्ट करने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम आज देश को भुगतना पड़ रहा है। यदि जनता का पैसा शेयर मार्केट में ही इनवैस्ट करना है, तो जनता सीधे क्यों न करे, क्यों यू.टी.आई. के थ्रू अपना पैसा जनता शेयर मार्केट में इनवैस्ट करे? यदि ऐसा किया गया, तो किसी न किसी असर के अंदर यू.टी.आई. का पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिल सकती कि कार्पोरेट वर्ल्ड को इस तरह की बदनामी मिल जाए, उसके बावजूद भी उसके अंदर पैसा इनवैस्ट किया जाए। ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा हुआ, जिसका रोना आज हम रो रहे हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। 1993-94 में कांग्रेस ने ऐसा किया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, यह कहना अपनी जिम्मेदारी से बचना है। चूंकि कांग्रेस ने उस वक्त ऐसा किया इसीलिए जनता ने उसे उधर बैठा दिया और आपको सत्ता सौंप दी। मजबूर होकर जनता ने इनको सत्ता से हटाकर सत्ता आपको सौंप दी इसीलिए कि उन्होंने गलती की, लेकिन अब आप भी वही गलती करें, यह मुनासिब नहीं है। आपको जनता ने अख्तियार इसलिए नहीं दिया कि जो गलतियां माज़ी के अंदर हुई हैं वही दौरां में शुरू कर दें। दुनिया के अंदर कोई कौम तब तक इज्जत को जिंदगी बसर नहीं कर सकती जब तक माज़ी की गलतियों से सबक लेकर आगे के लिए कुछ ठीक काम न किया जाए। इसलिए इधर-उधर की बातें न कर सही काम कीजिएगा।

> यह बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें राहजन से गरज नहीं,
> तेरी रेहबरी का सवाल है।

सत्ता तो हमने आपके हाथ में दी है कि आप इस देश को चलाइए, इस देश को ठीक कीजिए। आप यह कहकर नहीं चल सकते कि कांग्रेस ने यह गलती की, इसलिए हम से वह गलती हो गई। मैं अपना बयान ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो बेल आउट पैकेज है उसके अनुसार सरकार को करीब साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए इसके अंदर लगाने पड़ेंगे, यू.टी.आई. खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी है। जो कारपोरेट हाउसेस हैं जिनके अंदर खासतौर से रिलाइंस शामिल है, उसने 37 प्रतिशत टोटल इनवैस्टमेंट का विदड्रा किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इनवैस्टमेंट किया गया है, उसको देखते हुए वे मुझे बताएं कि इनवैस्टमेंट का पैमाना क्या है। कौन सी कंपनी में कितना पैसा लगाएंगे, इसको देखने का पैमाना क्या है। जार्ज फर्नान्डीज साहब ने कहा कि 1426 कंपनियां हैं जिनमें से 600 कंपनियों का पता नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा पैमाना है जिससे यह पता लगे कि किस कार्पोरेट हाउस के अंदर कितना पैसा इनवैस्ट करना है। उसका क्या स्केल है, क्या पैमाना है, मैं यह पूछना चाहता हूं और इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुसतकबिल के अंदर आप कौन से फैसले लेना चाहते हैं। भविष्य में किस तरह से तय करेंगे कि यू.टी.आई. सही फैसले करे और सही इनवैस्टमेंट करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले जार्ज साहब ने भी कहा और फायनेंस मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट कल राज्य सभा के अंदर दी थी, उसकी दो लाइनों को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

[अनुवाद]

> "भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बम्बई की एक निजी कंपनी की इक्विटी में 1,073 करोड़ रुपयों का भारी निवेश किया था।"

[हिन्दी]

इस प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उस प्राइवेट कंपनी का नाम रिलाएंस है और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि 10 नवंबर, 1995 को सी.बी.आई. के आफीसर श्री एस.पी. सिंह ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, वह रिपोर्ट कहां धूल चाट रही है, उसके अंदर क्या लिखा है? मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि उसके अंदर क्या लिखा है। उसके अंदर नौ आदमियों के नाम दिए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उस रिपोर्ट के अंदर उस वक्त के यू.टी.आई. के चेयरमैन श्री दवे, जी.आई.सी. के चेयरमैन, एल.आई.सी. के एम.डी. अनिल अम्बानी और धीरू भाई अम्बानी के नाम हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट कहां है, किस फाइल में है? सरकार क्या कर रही है? उस रिपोर्ट को क्यों नहीं निकाल कर ला रही है? उस सी.बी.आई. ऑफिसर का तबादला कर दिया गया क्योंकि वह सच बात कहना चाहता था। उसे वहां से हटा दिया गया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को निकाल कर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

मैं इस मोशन के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और इसके साथ-साथ सरकार से मुतालबा करता हूं।

[अनुवाद]

कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट धारियों के लाभ के लिए सरकार को रिलायंस उद्योगों से 2000 करोड़ रुपये की वसूली करनी चाहिए। रिलायंस उद्योगों द्वारा जनवरी, 2000 में 12 रुपये प्रति शेयर की कीमत वाले शेयरों को 30.50 रुपये के हिसाब से अम्बानी परिवार की 38 निजी कंपनियों को आबंटित किए जाने की भी सरकार को जांच करनी चाहिए जबकि इन शेयरों का बाजार मूल्य 350 रुपये प्रति शेयर है।

[हिन्दी]

साढ़े तीन सौ रुपये का शेयर तीस रुपये में खरीदा जा रहा है। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2000 करोड़ रुपये वापिस होने चाहिए और सी.बी.आई. इन्क्वायरी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सरकार को तुरंत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के आदेश देने चाहिए।

[हिन्दी]

अगर सरकार यह करने में कामयाब होगी, आज सरकार के ऊपर बादल छा रहे हैं और सरकार शक-ओ-शुबह की नजर से देखी जा रही है। यू.टी.आई. तबाह हो रहा है। अगर इस देश के लोगों को कौन्फीडैंस देना है तो ये इकदामात उठाने पड़ेंगे। यू.टी.आई. को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यू.टी.आई. के अंदर अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। ये जो मेरे मुतालबात हैं, अगर इन मुतालबात को सरकार मानेगी तो सरकार की छवि साफ-सुथरी होगी।

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार सफाई के साथ, इस वक्त जबकि सरकार के एक अलायंस शिव सेना का एम.पी. खुल्लमखुल्ला यह कहता है कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस शामिल है, इसे आप जानते होंगे कि पी.एम.ओ. शामिल है या नहीं, मैं इस तरह का कोई ऐलीगेशन नहीं लगाना चाहता लेकिन जब इतना बड़ा घपला होता है तो यकीनन लोगों के जहनों में यह बात पहुंचती है कि बड़े घपले बड़े लोगों के जरिये होते हैं, छोटे लोगों के जरिए नहीं होते। आपको अपनी छवि साफ करनी पड़ेगी। यह मुद्दा ऐसा है कि अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता तो सरकार इस्तीफा दे देती। आज सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है। मैं मुतालबात करता हूं कि अगर सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है तो इन-इन इकदामात को उठाने चाहिए। अगर मुमकिन हो, इनमें जे.पी.सी. प्रोब करे और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इससे सरकार की छवि को भी फायदा होगा।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की दो करोड़ जनसंख्या से संबंधित इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हाल ही में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान अनेक घोटाले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हजारों करोड़ रुपये का प्रतिभूति घोटाला हुआ था फिर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला रक्षा सौदों का घोटाला हुआ और फिर उत्पाद शुल्क विभाग में बड़ा घोटाला हुआ। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: अब बारी है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की। कल आपको पता चलेगा कि आई.डी.बी.आई. और एल.आई.सी. में भी घोटाले हुए हैं तब सभा इस पर चर्चा करेगी कि किस प्रकार धन मॉरिशस भेजा जाता है।

सायं 6.00 बजे

हम सदैव ही ऐसे अवसरों पर निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे हैं। हमारी मांग रही है कि इन मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की जाये। लेकिन इसे मना कर दिया गया।

यह सरकार देश के लोगों की कतई परवाह नहीं करती। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के 60-70 प्रतिशत कारोबार के लेन देन में इस देश के दो करोड़ लोग शामिल हैं। ये दो करोड़ लोग बड़े-बड़े निगमों के नहीं हैं बल्कि ये छोटे-छोटे निवेशक हैं। ऐसे लोग जिन्हें उनकी पैंशन का पैसा मिला है, विधवाएं हैं या वेतनभोगी लोग है। इन सभी ने अपनी आय का एक छोटा भाग इस आशा

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

से निवेश किया कि वे कठिनाई के समय, जब भी वे चाहें वे अपने पैसे वापिस ले सकेंगे। आज, वे सभी खिन्न हैं। केन्द्र सरकार की कार्यक्षम न होने के कारण वे अधर में लटके हुए हैं।

हमारे दिवंगत नेता डा. सी.एम. अन्नादुरई कहा करते थे कि सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि वह अमीरों का उपयोग करें और गरीबों का सहलाये। यह सरकार तो गरीबों के दम पर निगमित घरानों का पोषण करती है। यह सरकार देश के केवल निगमित घरानों, बड़े-बड़े उद्योग घरानों की खातिर काम करती है। यदि हम कहें कि इसमें 2 करोड़ निवेशक थे और प्रत्येक निवेशक के परिवार में पांच सदस्य थे तो इससे 10 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। इस देश के लगभग 10 करोड़ लोग भगवान के भरोसे हैं। तमिल में एक कहावत है, खेत की बाढ़ ही खेत को खा जाती है। इस सरकार के सहयोग और उसकी सुविधा से ही यह घोटाला हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट कोई सामान्य संस्थान नहीं है। इसका कारोबार 75,000 करोड़ रुपये का है। यह सारा धन मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोगों की बचत है। यह संस्थान चल कैसे रहा था? यदि मैं श्री किरीट सोमैया के शब्दों को उद्धृत करूं तो यू.टी.आई. ने 1426 कंपनियों में निवेश किया है जिनमें से केवल 81 ने लाभ दिखाया है। लगभग 654 कंपनियों का तो पता ही नहीं है, यहां तक कि उनका कोई अपना पता भी नहीं है और कई कंपनियां तो सूची में भी नहीं हैं। क्या वित्त मंत्री यह नहीं जानते? इस बारे में वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है?

सत्ता पक्ष, दूसरे पक्ष पर दोष लगा रहा है। वे पिछली सरकार अर्थात् कांग्रेस पर दोष लगा रहे हैं। मैं सभा का ध्यान कुछ आंकड़ों पर दिलाना चाहूंगा। 1989 में यू.टी.आई. के गरीब छोटे निवेशकों को यू.टी.आई. से 18 प्रतिशत लाभांश मिला था। 1989 के बाद हर साल यह 19 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और सरकार तो उस सरकार के कार्यकाल में यह 27 प्रतिशत भी पहुँच गया था। लाभांश प्राप्त करने वाले छोटे निवेशकों का आज क्या हाल है? 1998 से आपके सत्ता में आने के पश्चात् यह 13 प्रतिशत पर आ गया। आज यह 'शून्य', और नकारात्मक हो गया है। लाभांश है कहां? आप दूसरे पक्ष पर ही दोष लगाते रहे हैं।

देश के लोग जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या करेंगे। लाखों निवेशक आपसे कार्यवाही की आशा कर रहे हैं।

महोदय, 2 जुलाई को एक चौंका देने वाला समाचार आया जब यह घोषणा की गई कि यू.टी.आई. की खरीद-फरोख्त पर छः माह के लिए रोक लगा दी गई है। इस घोषणा से पहले, दिल्ली में वित्त मंत्रालय की ठीक नाक के नीचे एक संकल्प पारित किया गया था। दिल्ली के ली मैरीडियन होटल में यू.टी.आई. के बांड की बैठक हुई; क्या वित्त मंत्री को इसकी जानकारी है? वे यह कहकर अपनी जिम्मेदारी टाल जाते हैं कि यह एक स्वतंत्र या स्वायत्त निकाय है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो उन्होंने अध्यक्ष, श्री सुब्रह्मण्यम से त्यागपत्र देने को क्यूँ कहा?

संकल्प और निर्णय जुलाई माह में लिए गए थे। आप देखिए कि अप्रैल और जून के बीच निगमित घरानों ने छोटे निवेशकों का करीब 4,000 करोड़ रुपया निकाल लिया। यह कैसे हुआ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मंत्री जी इस बारे में नहीं जानते? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है? तो फिर यू.टी.आई. मासिक रिपोर्ट क्यूँ भेज रहा है? क्या यह ऐसा दिखाने के लिए है कि यू.टी.आई. नार्थ ब्लॉक या साऊथ ब्लाक में बैठे अपने आकाओं की इच्छा के अनुसार चल रहा है। वे मासिक रिपोर्ट क्यूँ भेजते हैं? उन रिपोर्टों से आपको क्या पता चला है? मात्र एक महीने में 4,000 करोड़ रुपये की राशि क्यूँ निकाली गई? यह किसी भेदिए का काम है। इस बारे में सी.बी.आई. कहती है।

अध्यक्ष महोदयः श्री सेल्वागनपति, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप दस मिनट ले चुके हैं। आपके दल को पांच मिनट का समय दिया गया था।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें।

सरकार के पास स्थिति को भांपने और संकट को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त अवसर था। यदि मंत्री यह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता तो यह कोरा झूठ होगा। महोदय, सी.बी.आई. कहती है कि इस मामले में बाहरी दबाव आया है। मैं चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट की जाए क्या यह बाहरी दबाव मंत्रालय से आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से *...(व्यवधान)*

आई.डी.बी.आई. के आपके मनोनीत व्यक्ति क्या कर रहे थे जिनके माध्यम से यू.टी.आई. पर आपका नियंत्रण है? यू.टी.आई. में आर.बी.आई. मनोनीत या भारतीय जीवन बीमा के निदेशक क्या कर रहे थे? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इन सभी चीजों पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए? 1998 से आप क्या कर रहे थे। आपकी प्रतिक्रिया सही थी जब यू.टी.आई. में संकट था। यू.टी.आई. में संकट के समय आपने उचित ही किया कि 3300 करोड़ रुपये देकर उसे संकट से बाहर निकालने का प्रस्ताव किया। आपने ऐसा कैसे किया? ऐसा दीपक

पारिख समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद किया गया। आप जानते हैं कि यह रिपोर्ट आप के पास हैं। इसमें क्या सिफारिशें थी? इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि निवेशकों का यू.टी.आई. पर से भरोसा और विश्वास उठ गया है। आप जागे नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यू.टी.आई. का निवेश कम करके 40 प्रतिशत कर दिया जाये। 1998 से आप इस बारे में क्या कर रहे थे? फिर रिपोर्ट कहती है कि सभी बातें पारदर्शी होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को एक परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी बनानी होगी। इसके बारे में आपने क्या किया?

उसके बाद आप कहते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। यही सब मुद्दे हैं जिन पर इस देश के लोग यकीन नहीं करेंगे। ये सब सिफारिशें अगर सही अर्थों में ली जाती और कार्यान्वित की जाती तो ऐसी स्थिति कभी नहीं पैदा होती।

अब सरकार ने श्री सुब्रमण्यम को बली का बकरा बनाया है। मैं श्री सुब्रमण्यम का बचाव नहीं कर रहा हूँ लेकिन वह छोटी मछली है। बड़ी मछलियाँ तो नार्थ ब्लाक और साऊथ ब्लाक में हैं और अपनी सुविधानुसार सी.बी.आई. द्वारा जांच करवा रहे हैं और सी.बी.आई. अपने मालिकों के इशारों पर काम करते हैं।

श्री सुब्रमण्यम हिरासत के दौरान अनेक बातें उजागर कर सकते हैं लेकिन इन सब बातों को दबा दिया जायेगा। इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाये। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। इसलिए हम संसदीय समिति के गठन की मांग करते हैं। नुकसान हो जाने के बाद सरकार सावधान होने का प्रयास कर रही है।

इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। दोषियों को सजा देनी चाहिए। अगर यह सब चलता रहा तो कुछ भी उजागर नहीं होगा। कौन उत्तरदायी है और कौन जिम्मेदार है? वित्त मंत्री यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं कि ''मैं उत्तरदायी नहीं हूँ क्योंकि यह संस्था स्वायत्तशासी है।'' आप संसद के प्रति जवाबदेह हैं। आप कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं हो सकते लेकिन नैतिक दृष्टि से जवाबदेह हैं। केवल एक रेल दुर्घटना के लिए इसी सम्माननीय सदन में श्री लाल बहादुर शास्त्री को इस्तीफा देना पड़ा, हवाई दुर्घटना के कारण श्री सिंधिया को इस्तीफा देना पड़ा, श्री नीतीश कुमार और श्री जार्ज फर्नान्डीज, आपके अच्छे मित्र, जो आपके साथ बैठे हैं, को भी इन्हीं कारणों से इस्तीफे देने पड़े।

अध्यक्ष महोदय: अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा श्री सेल्वागनपति जी।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: इसलिए, इस देश के लोग चाहते हैं कि आप इस्तीफा दें और एक निष्पक्ष संयुक्त संसदीय समिति के गठन का आदेश दिया जाये।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री वैको (शिवकाशी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूँ ताकि यह प्रस्ताव बिल्कुल अस्वीकृत हो जाए। मैं प्रस्ताव की तह में जाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि यू टी आई द्वारा यू एस 64 की निधियों का कुप्रबंधन के कारण और उसे रोकने के लिए समय पर कार्यवाही करने में सरकार की विफलता के कारण छोटे निवेशकों पर विपरीत असर पड़ रहा है। महोदय चर्चा के बाद जो निर्णय दिया जायेगा वह सब को पता है, वह यह कि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): हम उस पर अपना मत देने वाले नहीं है।

श्री वैको: यह इसलिए कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप जीत नहीं सकते। यह पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका है। छोटे निवेशकों ने कल ही अपना निर्णय दे दिया है। कल अर्थात 1 अगस्त, विपक्ष के हमारे मित्रों के लिए निराशा वाला दिन था। दो तरह से यह निराशा वाला दिन था क्योंकि आप में से कुछ खुश मूड में थे कि एन.डी.ए. की बैठक में कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य सुन कर आप हैरान हो गए कि ''एन.डी.ए. जिब्रालटर की चट्टानों की तरह मजबूत है।'' एन.डी.ए. ने सरकार के प्रति पूर्ण एकता और समर्थन दिखाया। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन काले बादलों के बीच जो आशा की किरण नजर आ रही है वह केवल भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व है। कांग्रेस के मेरे मित्र आंसू बहा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): प्रधान मंत्री इतने भोले-भाले नहीं हैं। वे अपने पद को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक चुटकला है *...(व्यवधान)*

श्री वैको: मैं सी.पी.एम. के अपने मित्रों को निशाना नहीं बना रहा है। मैं उनकी ओर देख रहा हूँ *...(व्यवधान)* आप बीच में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के अपने मित्रों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ।

वे आंसू बहाते हैं, और वे छोटे निवेशकों के लिए मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। छोटे निवेशकों को लेकर वे बहुत ज्यादा चिंतित

[श्री वैको]

हैं। ...*(व्यवधान)* इतने वर्षों के बाद आज वे छोटे निवेशकों की चिंता कर रहे हैं। वे समझते थे कि पुनः खरीद फलकों पर लंबी लंबी कतारें होंगी। मैंने कहा छोटे निवेशकों ने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है ...*(व्यवधान)*। इतने वर्षों के बाद अब आपको छोटे निवेशकों की चिंता हो गयी है।

महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि छोटे निवेशकों ने स्वयं अपना निर्णय दे दिया है। इसका कारण यह है कि कल अर्थात 1 अगस्त को यूएस-64 के पुनःखरीद फलक खोले गए हैं। वे आशा करते थे कि इससे छोटे निवेशकों में आतंक फैल जाएगा। उन्होंने उनमें आतंक और भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की ...*(व्यवधान)* परन्तु वे छोटे निवेशकों में भय का वातावरण पैदा करने में विफल रहे। लेकिन आखिर कर नहीं पाए। इसलिए मैंने कहा उनके लिए यह निराशा का दिन था। इसमें न तो लम्बी लाइनें दिखाई दीं और न ही निवेशकों ने इस देश के सबसे बड़े म्युचुअल फंड पर विश्वास खोया है।

महोदय मैं अब ''दी हिन्दुस्तान टाइम्स'' समाचार पत्र के 2 अगस्त, 2001 के संस्करण से उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें लिखा है:-

> ''यूनिट ट्रस्ट की अग्रणी यू.एस. 64 स्कीम की पुनर्खरीद के प्रथम दिन ने कम से कम इस संस्था के आलोचकों के उत्साह को ठंडा कर दिया। 56.39 लाख यूनिटों से संबंधित 3,865 अनुरोध प्राप्त हुए जिसमें 5.64 करोड़ रुपये की पुनः प्राप्ति की मांग की गई थी। यह सामान्य बात है। 1459 यूनिटों के अनुरोधों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतया वे छोटे निवेशक ही अपने यू टी आई की धारिता की पुनर्खरीद के लिए आगे आये होंगे जिन्हें कि वास्तव में धन की आवश्यकता होगी।

यह श्री दामोदरन ने कहा और उन्होंने यह भी कहा कि आलोचकों को जो डर था वह सब नहीं हुआ। यूनिट धारकों की सेवा के लिए वे जब भी विनिर्णय लें हम सदैव तैयार हैं। महोदय इसलिए, छोटे निवेशकों ने अपना निर्णय दे दिया है। हमारे मित्रों ने यूनिट-धारकों में भय पैदा करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी उन्होंने 'यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया' में अपना विश्वास जताया है।

महोदय, सारे संसार की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। बाजार अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। ऐसा पूरे संसार में हो रहा है। हम अत्यन्त नाजुक युग में प्रवेश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन वे लोगों के मन में भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अय्यर, आप किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं?

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, वही भाषा जिसे वे समझते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: ....*(व्यवधान)** महोदय, उन्हें सभा की कार्यवाही से बहिष्कृत किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, गलत बयानी हो रही है, यह गलत बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको: इसलिए तमिलनाडु में कांग्रेसी उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, वे सभा की कार्यवाही में उस समय भी व्यावधान डाल रहे थे जब श्री जार्ज फर्नान्डीज बोल रहे थे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वैको के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)***

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, श्री अमर सिंह दूसरी सभा के सम्मानित सदस्य हैं। उनका उल्लेख इस सभा में नहीं किया जाना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कह दिया है कि श्री वैको के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना): यह रिकॉर्ड से बाहर कहा गया था और अब वे अपनी टिप्पणी वापस ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैं अपनी टिप्पणी के लिए क्षमा मांगता हूं और इसे वापस लेता हूं। मेरे मन में राज्य सभा के सहयोगी श्री अमर सिंह के लिए बहुत आदर है, वे अत्यन्त सज्जन हैं ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वैको: श्री मुलायम सिंह यादव, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि आपने अमर सिंह से संबंधित घटना पर स्पष्टीकरण मांगा।

महोदय, यूनिट स्कीम 1964, सैंतीस वर्ष पहले शुरू की गई थी। यह 'यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया' की पहली स्कीम है। यह खुली स्कीम है जिसके अन्तर्गत खरीद और पुनर्खरीद की सुविधा प्रत्येक वर्ष जून के माह में लेखा-जोखा बन्द होने की अवधि के अतिरिक्त पूरे वर्ष उपलब्ध रहती है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्षों से निवेशकों को लाभांश और नकदी का भुगतान किया गया है। यह स्कीम मूलत: नियत आय निधि (फिक्स्ड इनकम फन्ड) के रूप में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य निवेशकों को सतत प्रतिफल प्रदान करना था। लेकिन 1992 और 1996 की अवधि के दौरान यू.एस.-64 की विशेषता में बदलाव आया। इक्विटी का अनुपात 1992-93 के 34 प्रतिशत के मुकाबले 1991-92 में इक्विटी 28% थी जो 1992-93 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई। 1993-94 में यह इक्विटी बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई। 1994-95 में दोबारा यह बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई और 1995-96 में बढ़कर यह 66 प्रतिशत हो गई। 1997-98 में पुन: यह 70 प्रतिशत तक पहुंच गई। उन दिनों देश में किसका शासन था? मेरे कांग्रेसी मित्र गरीब और छोटे निवेशकों के लिए आंसू बहा रहे हैं। यू.एस. 64 का पूरा स्वरूप और विशेषता बदल गई है। 1980 के मध्य में यू.एस. 64 की आरक्षित निधि का लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया गया। मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी की इस बात से सहमत हूं कि 1990 की प्रथम छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने पर्याप्त मात्रा में धन यू.एस.-64 स्कीम में लगाया।

उन्होंने माननीय वित्त मंत्री की उस प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है जो कि उन्होंने बैठक के दौरान यह समाचार पाकर की थी कि इसकी खरीद और पुनर्खरीद पर छह माह की अवधि दिसम्बर 2000 तक प्रतिबंध लगा दिया जाए। वित्त मंत्री ने 48 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू कर दी। इससे छोटे निवेशकों का इस स्कीम में विश्वास बना है। यही कारण है कि कल काउन्टरों पर लाइन नहीं दिखाई दे रही थी।

मेरे मित्रों ने वित्त मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्हें पता था कि यू.टी.आई. के दैनंदिन प्रशासन में इस स्कीम के विषय में क्या हो रहा था। जब उन्होंने कहा कि वे प्रतिदिन प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया।

इसी लोक सभा में 1993 में वित्त मंत्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या 7389 का क्या उत्तर दिया था? प्रश्न है, ''क्या केन्द्र सरकार ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किये जा रहे पूंजी निवेश पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है या तैयार करने का विचार है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उस समय डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था, ''जी नहीं, महोदय, सरकार यू.टी.आई. द्वारा किये जा रहे पूंजी निवेश पर नियंत्रण नहीं रखती है। यू.टी.आई. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन बने सामान्य विनियमों के अनुसार निवेश करती है।''

महोदय, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था ''क्या यह सच है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी विभिन्न सूचीबद्ध योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों को उनके सम्पत्ति मूल्य से 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की छूट पर कोट किये जाने पर उन्हें क्रय द्वारा बाजार से वापस लेने का निश्चय किया है।''

अध्यक्ष महोदय: श्री वैको अब, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वैको: महोदय, मैंने अभी अपना भाषण शुरू भी नहीं किया है। बोलते समय बहुत अधिक व्यवधान डाला गया था।

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं।

श्री वैको: तत्कालीन वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने उत्तर दिया था: ''यूनिटों को क्रय द्वारा वापस लेने का निर्णय यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया है। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अपनी योजनाओं के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है, और सरकार इस प्रकार के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है।''

महोदय, मई, 1997 में जब केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार थी उस समय न्यासी बोर्ड से सरकार के प्रतिनिधियों को हटा दिया गया। वस्तुत: उस समय मेरे कामरेड कम्युनिस्ट मित्र सरकार चला रहे थे *...(व्यवधान)* मेरे मन में श्री सुरजीत के लिए बहुत सम्मान है। उस समय 'वास्तव में' वही प्रधान मंत्री थे। *...(व्यवधान)* हमारे मित्र, कांग्रेस पार्टी के सदस्य संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन दे रहे थे। *...(व्यवधान)*

महोदय, उस समय न्यासी बोर्ड से सरकार के नामित प्रतिनिधि को हटाने का निर्णय लिया गया था? क्या उन्होंने इस पर आपत्ति की? यह उनका दृष्टिकोण था।

महोदय, बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंधित लगाने संबंधी प्रयास की सूचना मिलने पर, अविलम्ब कार्रवाई की गई *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर, आप जो बोल रहे हैं, उसका ध्यान रखें..*

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, वे मुझे धमकी दे रहे हैं *...(व्यवधान)* प्रभाकरन के समर्थक मुझे धमकी दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वैको के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)***

श्री वैको: महोदय, मेरा भाषण अत्यन्त विषय संगत है। वे दूसरे मामलों का उल्लेख किसलिए कर रहे हैं? यदि श्रीलंका पर बहस हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ *...(व्यवधान)* मैं अत्यन्त विषय संगत भाषण दे रहा हूं तो वह व्यवधान डाल रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वैको, अब, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, यूटीआई के भूतपूर्व चेयरमैन से 3 जुलाई, 2001 को अपना त्यागपत्र देने को कहा गया और उनका त्यागपत्र सरकार ने उसी दिन स्वीकार कर लिया। 14 जुलाई, 2001 को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नए चेयरमैन ने यूटीआई का पदभार 15 जुलाई, 2001 को ग्रहण किया, और उसी दिन बोर्ड की बैठक बुलाई गई। बोर्ड की उस बैठक में, यू.एस.-64 के छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उपाय करने का निर्णय लिया और साथ ही स्कीम शासित मूल्य से निवल वृद्धि मूल्य के आधार पर स्थानांतरित करने का रास्ता साफ किया।

महोदय, 20 जुलाई, 2001, को सरकार ने इस मामले में स्वतंत्र जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। महोदय, एक अलग कार्यवाही में सीबीआई ने भूतपूर्व यूटीआई के चेयरमैन और तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की।

अध्यक्ष महोदय: श्री वैको, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वैको: महोदय, बस समाप्त ही कर रहा हूं। 1997 में लिए गए एक निर्णय को बदलते हुए वित्त मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव को यूटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आईडीबीआई द्वारा मनोनीत किया गया। बोर्ड की उस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक निर्णय लिया गया। करीब दो वर्षों तक 3,000 यूनिटों की अनुमानित पुनर्खरीद पर देकर छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जा रही है।

करीब 98 प्रतिशत यूनिट धारिता खातों को 3,000 यूनिटों तक के मूल्य वर्ग में रखा गया है। मेरे मित्र श्री दासमुंशी ने यूटीआई के भूतपूर्व चेयरमैन और अन्य अधिकारियों की, जिन्हें जेल में रखा गया है, सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में उन्होंने माननीय गृह मंत्री से भी जोरदार अपील की है। मुझे गत दुखद घटनाएं याद है जो सदस्यों की यादों में बसी हुई हैं। नागरवाला कांड भारतीय लोकतंत्र के बेदाग दामन पर एक कलंक है। इस देश के एक महान सांसद, श्री ज्योर्तिमय बसु ने एक साल तक लोक सभा में इस विषय पर चर्चा करवाने की पुरजोर कोशिश की थी। इस कांड में, 60 लाख रुपये का घोटाला हुआ था। *...(व्यवधान)* महोदय, यह बात रिकॉर्ड में है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वैको: श्री नागरवाला की संदेहास्पद परिस्थितियों में कैसे मौत हुई? जांच करने वाले अधिकारी की कैसे मौत हुई? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। डा. बिक्रम सरकार।

...(व्यवधान)

श्री वैको: श्री दासमुंशी ने बताया है कि यह इस सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. बिक्रम सरकार

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, उनका शासन घोटालों के लिए कुख्यात है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने अगले माननीय सदस्य को बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास समय नहीं है। कृपया समय की कमी को भी ध्यान में रखिए।

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, कल तक यह अखंडनीय आरोप लगाया गया है कि तेजड़िया हर्षद मेहता नोटों से भरा एक बड़ा सूटकेस लेकर प्रधान मंत्री निवास, 7 रेसकोर्स में घुस रहा था। उनके शासन में एक के बाद एक घोटाला हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वैको: मेरे मित्र ने अंबानी का जिक्र किया है। यह समाचार ''द न्यू इंडिया एक्सप्रेस'' में 23 जुलाई को छपा था। इसका शीर्षक था ''गैट एट द लूटर्स नॉट पिक पॉकिट्स *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब डा. बिक्रम सरकार की बारी है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वैको: यह बताया गया है कि अंबानी और रिलायंस औद्योगिक समूह ने 1500 करोड़ रुपये की लूट की है और इसकी जांच की गई। उन्होंने जांच का भी उल्लेख किया है। जी हाँ, श्री वाई.पी. सिंह जांच अधिकारी थे, जो एक ईमानदार अधिकारी हैं। जांच के बाद, उन्होंने सरकार को यह कहते हुए रिपोर्ट सौंपी कि छोटे निवेशकों के खिलाफ जघन्य अपराध हुआ है; और इसलिए प्राथमिकी दर्ज की जाए। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें इसका पुरस्कार मिला-उन्हें सीबीआई से निकाल बाहर किया गया *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री वैको, क्या आप यह स्वीकार करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री वैको: मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं यह नहीं मानता *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. बिक्रम सरकार अब आपकी बारी है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब, डा. बिक्रम सरकार बोलेंगे।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वैको: महोदय, जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरंभ में कहा था कि छोटे निवेशकों के विश्वास को हासिल किया गया है। परंतु फिर भी वे विश्वास को तोड़ने और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वैको: मैं सदस्य से इस प्रस्ताव को वापस लेने की पुन: अपील करता हूं और यदि वे इसे मतदान के लिए रखने के इच्छुक हैं, तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। धन्यवाद *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय, अध्यक्ष महोदय, श्री वैको ने मुझे गलत ढंग से उद्धृत किया है *...(व्यवधान)*

डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा): महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब आपने मेरा नाम बुलाया है तो वे कैसे बोल सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से पहले ही अनुमति ले ली हैं। उन्होंने मेरा गलत उल्लेख किया है *...(व्यवधान)*

डा. बिक्रम सरकार: महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ *...(व्यवधान)* महोदय, मैंने इस बात को नहीं माना *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरा गलत उल्लेख किया है-रिलायंस से संबंधित सी.बी.आई. के मामले में समझौता हो गया है *...(व्यवधान)* मैंने अध्यक्षपीठ से अनुमति ले ली है।

मैं आधा मिनट लूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी आपत्ति क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्होंने कहा है कि *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि आपने चर्चा की पहल की है इसलिए आपको उत्तर देने का अधिकार है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: परंतु उत्तर देने का अधिकार मंत्री का है न कि सदस्य का ...*(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख गलत डंग से किया है। श्री वैको की जानकारी के लिए मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि सीबीआई में दर्ज 1994 आर आई एल मामले में इस सरकार ने समझौता कर लिया है। 1999 में, इस सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिलायंस के पक्ष में एक शपथ पत्र दायर किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मतदान सायं 6.30 बजे होगा। आप हमें बताइए कि अब मतदान किस समय होगा।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास छोटे दलों के और 5-6 सदस्यों के नाम हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप हमें बताइए कि मतदान किस समय होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मंत्री के उत्तर समेत सभी कार्य सायं 7.30 तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए, मतदान सायं 7.30 बजे होगा।

डा. बिक्रम सरकार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री दासमुंशी द्वारा यू.एस.-64 पर लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव संबंधी बहस में भाग लेने हेतु अवसर के लिए आपका आभारी हूं। महोदय, मैं यहां यू.एस. 64 के गरीब और मध्यम वर्ग के यूनिट धारकों की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने भारतीय पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने दिसम्बर, 1963 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट विधेयक पर चल रही बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि यू.टी.आई. की स्थापना के दो मुख्य उद्देश्य लघु क्षेत्र की बचत को जुटाना और उस बचत को पूंजी बाजार में लगाना है। उन्होंने यह भी कहा था इस ट्रस्ट से कोई भी व्यक्ति या संस्था यूनिटें खरीद सकेगा। उन्होंने आगे कहा, तथापि, यह ट्रस्ट मुख्यत: व्यक्तिगत निवेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होगा।

यू.टी.आई. की लोकप्रिय यू.एस. 64 स्कीम 1964 में शुरू की गई इसके लिए ओपेन-इन्डेड बैलेन्स फन्ड का सृजन किया गया इसमें पांच करोड़ रुपये का निवेश किया गया जो जून 1998 में 44 प्रतिशत की सकल वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर 2,738 करोड़ रुपये हो गया। यू.एस. 64 पर दो करोड़ से अधिक यूनिट धारकों ने विश्वास जताया है। यह स्कीम पूर्णत: छोटे निवेशकों को अपना धन प्रतिभूति बाजार में लगाने के लिए थी।

अपने प्रारंभ से ही यू.एस. 64 ने यूनिट धारकों को मुख्यत: वार्षिक लाभांश के रूप में नियमित आय देती रही है और इस प्रकार इसने बहुत ख्याति अर्जित की है। निवेशकों ने गत 37 वर्षों से इस स्कीम में कुछ विशेष विशेषताएं देखी हैं। ये विशेषतायें चार हैं:

1. नियमित आय

2. पुनर्खरीद के माध्यम से आसान नकदी

3. कर लाभ

4. विधिक निकाय और सरकार द्वारा प्रायोजित ट्रस्ट होने के कारण इसे सुरक्षित माना जाता है।

यू.टी.आई. द्वारा जानबूझकर यह स्थिति उत्पन्न की गई है।

37 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है कि यू.टी.आई. ने अपनी यू.एस. 64 स्कीम को छह माह तक खरीद और बिक्री के लिए प्रतिबंधित कर दिया है जिससे संकट पैदा हो गया है और मध्यम वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के निवेशकों में भय फैल गया है। ऐसी स्थिति में स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि यू.एस. 64 स्कीम यह गड़बड़ी क्यों हुई।

यू.एस. 64 ने 2000-01 की अवधि में 2,661 करोड़ रुपये जुटाये जबकि पुनर्खरीद पर 5,962 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस वर्ष में 3,301 करोड़ रुपये की निकासी हुई। यह आश्चर्य की बात है कि अकेले अप्रैल-मई 2001 में 4,151 करोड़ रुपये अर्थात् 70 प्रतिशत, जो कि बड़ी राशि है, पुनर्खरीद की गई।

यह भी सच है कि पुनर्खरीद का बहुत बड़ा भाग कम्पनियों और कारपोरेट निवेशकों द्वारा किया गया। जनता को यह अच्छी तरह ज्ञात है जनता का यह विचार है कि शेयर बाजार की गोपनीय सूचनाओं अपने लाभार्थ दुरुपयोग करके यह पुनर्खरीद की गई और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बड़े संस्थानों ने यू.एस. 64 से समय से पैसा निकाल लिया जबकि छोटे निवेशक संकट में फंस गए। 1990 के शुरुवाती दौर में यू.टी.आई. ने अपनी रक्षित राशि (रिजर्व) को, जो वर्षों से एकत्रित की गई थी, उच्च लाभांश आदि के रूप में यूनिट धारकों को बांटने का निश्चय किया। चतुर व्यक्तियों, निवेशकों, कारपोरेट और कुछ पैसे वाले राजनीतिक दलों ने इस अवसर का बड़ी तत्परता से लाभ उठाया। जबकि लाभांश की दर 1990 में 18 प्रतिशत के मुकाबले 1993 में 26 प्रतिशत हो गई और यह दर लगातार अगले तीन वर्षों तक रही इससे यूनिट की पूंजी दुगने से भी अधिक हो गई।

मेरी समझ में, 1990 के वर्षों के शुरुवाती दौर में यू.टी.आई. प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय से यू.एस. 64 की समस्या 1993-94 से हुई। 1998 में यह समस्या गम्भीर हो गई तथा 2 जुलाई, 2001 को यह संकट पैदा हो गया। यू.एस. 64 की विशेषता में 1991-92 से बदलाव आने शुरु हुए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार, उसके बाद की संयुक्त मोर्चा सरकार और उसके बाद भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सभी ने पूंजी बाजार को अपनी बजट दक्षता का वास्तविक मापदण्ड माना है। यू.टी.आई. जैसी संस्थायें सरकार के सोच से प्रभावित हुई और यू.एस. 64 जैसी स्कीमों को जो कि मूलतः ऋण आधारित थी 'इक्विटी फन्ड' में बदल दिया। मीडिया पर नियंत्रण रखने वाले बड़े कारपोरेटरों ने, जिन्होंने स्टाक एक्सचेंज की अंदरूनी सूचनाओं का अपने लाभार्थ दुरुपयोग किया था, अव्यवस्था फैलाई और संकट पैदा किया। सरकार को चाहिए कि वह इसकी जांच करे और अपराधियों को सजा दे और सुधारात्मक उपाय करे।

यू.एस. 64 स्कीम में लोगों का विश्वास नहीं रहा। यह सरकार, संसद और हम सबकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी जिसके नाम पर हम शपथ लेते हैं और जिन्होंने यू.एस. 64 में निवेश कर रखा है, के हित में यू.टी.आई. में लोगों का पुनः अपना विश्वास बहाल करें। यू.टी.आई. के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सकारात्मक कार्रवाई करनी है। सरकार उन दो करोड़ आम और मध्यम वर्ग के यूनिट धारकों के हित की रक्षा करने की जिम्मेदारी से अपने को बचा नहीं सकती जिन्होंने इस स्कीम की यूनिट में निवेश कर रखा है।

महोदय, मैं कुछ अत्यन्त रुचिकर बातों को बताने के लिए एक मिनट और लूंगा। मैं वाद-विवाद पढ़ रहा था। कम्युनिस्टों ने दिसम्बर, 1963 में लोक सभा में यू.टी.आई. विधेयक का विरोध किया था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री उमानाथ ने कहा थाः

> ''मैं 'कम्युनिस्ट ग्रुप' की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं और यह विरोध अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांत के आधार पर है। सर्वप्रथम मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। यह ट्रस्ट सार्वजनिक क्षेत्र का ट्रस्ट है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट से होने वाला सम्पूर्ण लाभ राज्य अथवा समुदाय को मिलना चाहिए। इस मामले में ट्रस्ट का लाभ यूनिट धारकों के रूप में व्यक्तियों को मिलेगा इसलिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखना गलत है, इसे स्वीकार्य किया जा सकता है।''

इस बात पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना दृष्विटकोण बदला है। अब वे यथार्थवादी हो गए हैं। अब वे सोचते हैं कि 1963 में उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था, वह गलत था। मुझे बताया गया है कि उन्होंने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में लगभग 50 करोड़ निवेश कर रखा है। यदि मेरी बात गलत है तो वे मुझे बताएं कि उन्होंने कितना धन दिया है और उन्हें यह धन कहां से मिला है? हमारे पास इतना अधिक धन नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, उन्हें यू.टी.आई. के बारे में अंदरुनी जानकारी है। उन्हें ही इतनी अधिक जानकारी है।

डा. बिक्रम सरकारः महोदय, हम जनता के लिए हैं *...(व्यवधान)*

हम संसद, वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस बात की जांच करने और यह पता लगाने के उपाय किया जाए कि इस असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हम सभी उनका समर्थन करते हैं क्योंकि जहां तक राष्ट्र का संबंध है, उसके लिए आप ही आशा की अंतिम किरण हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यूटीआई के यूएस 64 में घोटाला हुआ और दो करोड़ लोग जिन्होंने अपना पेट काटकर पैसा जमा किया यूटीआई में यह विश्वास करके कि यूटीआई सरकारी संस्थान है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया आपस में बातचीत न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, क्या कर रहे हैं। हाउस की मर्यादा का ध्यान रखिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यूटीआई के यूएस 64 में जो घोटाला हुआ, दो करोड़ इनवैस्टर्स जिन्होंने अपना पेट क्राटकर पैसा जमा किया इस विश्वास पर कि यह सरकारी संस्थान है और उनके साथ जो घात हुआ, यह बात देश और दुनिया के सब लोग मान रहे हैं और सरकार भी मान रही है लेकिन वित्त मंत्री जी बार बार यह सफाई देते हैं कि हमें जानकारी नहीं हुई, वह आटोनॉमस है, इसलिए हम कसूरवार नहीं हैं और उसका चेयरमैन जेल में गया। इस संबंध में बहुत तर्क हुए, बहुत बहस हुई है। सन् 1957 में इसी तरह की घटना घटी थी। मूंदड़ा कांड इस देश के इतिहास में नामी कांड हुआ है। एक करोड़ छप्पन लाख रुपये के उसमें शेयर खरीदे गए थे बीमा निगम के और उस समय भी जब त्यागपत्र देने की बात हुई तो उस समय के टी.टी. कृष्णमचारी कहते थे कि बीमा निगम आटोनामस है और हम नहीं जानते, यही तर्क होता था, लेकिन अंत में टी.टी. कृष्णामचारी को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने त्यागपत्र दिलाया और यह इतिहास है। इन दोनों में क्या फर्क है-उस समय एक करोड़ छप्पन लाख रुपये का था और अब 4151 करोड़ रुपये का है।

अध्यक्ष महोदय, 4,151 करोड़ के शेयर बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे। उस समय मूंधड़ा कांड में केवल 1 करोड़ 56 लाख रुपये के शेयरों की गड़बड़ थी। अब कहते हैं कि औटोनौमस के नाम पर सारी गड़बड़ हुई और सरकार के मंत्री कहें कि हम नहीं जानते, तो क्या बेखबर मंत्री को अपने पद पर रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि उन्हें यदि इस घोटाले की कोई जानकारी नहीं है, तो आप बेखबरी के दोषी हैं और कसूरवार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुब्रमण्यम जी ने जेल में बताया है कि पी.एम.ओ. से फोन आया, वित्त मंत्रालय से फोन आया, उस हिसाब से तो वित्त मंत्री सीधे कसूरवार हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो ला आफ लैंड है, जो व्यवहार है, जो प्रणाली है, उसके अनुसार इन वित्त मंत्री के समय में बी.पी. वर्मा घोटाला हुआ, शेयर घोटाला हुआ। शेयर घोटाले पर संसद की समिति जांच कर रही है। फिर यू.टी.आई. का घोटाला हुआ। यानी घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और वित्त मंत्री कहते हैं कि हम जवाबदेह नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, बिहार में क्या हुआ, वह भी मैं बताता हूं। बिहार में चारा घोटाला कांड हुआ। उसमें सुबूत मिला कि कोई अफसर था, उसको एक्सटेंशन दिया गया, उसे बहाल किया गया, उसी कांसपीरेसी के आधार पर, श्री लालू प्रसाद यादव को बार-बार जेल भेजा जा रहा है। सुब्रहमण्यम की बहाली करने वाले को जब सी.बी.आई. ने कहा कि बहाली करने लायक नहीं है, फिर क्यों उनकी बहाली की गई, आज वे जेल में हैं, क्यों उनकी बहाली करने वाले को जेल नहीं भेजा जा रहा है और लालू यादव को बार-बार जेल भेजा जा रहा है? यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? सी.बी.आई. के अफसर के कहने के बावजूद सुब्रहमण्यम को बार-बार एक्सटेंशन देकर, राजनीतिक लाभ लेने का काम आपने किया और अब उसको जेल भेज दिया और आप यहां राज चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंत्री कसूरवार हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कौन सा कानून चलेगा? मैं आपका ध्यान हिन्दू अखबार में लिखी खबर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि किसी बिहारी के लिए एक कानून है और दूसरे के लिए दूसरा। इसके अंतर्गत बिहार के लालू यादव को बार-बार जेल भेजा जा रहा है और बिहार के ही वित्त मंत्री सिन्हा जी को केन्द्र सरकार में मंत्री बनाकर रखा गया है जबकि दोनों का कसूर एक जैसा है। यह दोहरा मापदंड है। बी.पी. वर्मा घोटाला हुआ, शेयर घोटाला हुआ और यू.टी.आई. घोटाला हुआ, इन सब घोटालों के लिए वित्त मंत्री कसूरवार हैं।

अध्यक्ष महोदय, तहलका डॉट काम द्वारा उजागर घोटाले में जार्ज फर्नान्डीज त्यागपत्र देकर गए, लेकिन आज आगे की बैंच पर दिखे, उन्होंने अपना भाषण दिया। उन्हें चार महीने के बाद मौका मिला। इसलिए वे डिफेंस करने आ गए और यहां कह गए कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि ...* और सीधे पी.एम.ओ. की बात हुई है, क्यों नहीं उनका नाम लिया गया, किस की जुबान में ताकत है, क्यों नहीं संजय निरूपम ने बोला, क्या उन्होंने त्यागपत्र पेश कर दिया, क्यों वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, क्यों त्यागपत्र पेश नहीं कर रहे हैं, यह सवाल उठता है।

इसलिए इस घोटाले को दबाने के लिए, राजनैतिक साजिश के तहत, प्रधान मंत्री जी चालाकी से त्यागपत्र देने की बात कर रहे थे। एन.डी.ए. के सब लोग बैठ गए और उन्हें कहा गया कि नहीं, आप इस पद पर बने रहिए। हिन्दुस्तान की जनता जानना चाहती

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि जिन दो करोड़ गरीब इन्वैस्टर्स ने अपना पेट काट कर पैसा जमा किया, उसका क्या हुआ? हमने सवाल उठाया था। आपकी सरकार में नॉन-बैंकिंग कम्पनी ने इन्वैस्टर्स को लूटा। जे.वी.जी., कुबेर, विलियम्स और न जाने कम्पनियों के क्या-क्या नाम हैं। नॉन-बैंकिंग कम्पनीज ने इनके राज में करोड़ों लोगों को लूटा। इन्होंने यू.टी.आई. में पैसा लुटाया, शेयर्स में लुटाया और मुझे लगता है कि ये बैंक भी लूट कर मारकोस की तरह बाहर भाग जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों का गिरफ्तार होना तुरंत जरूरी है। सी.बी.आई. जो राजनैतिक औजार की तरह काम कर रही है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे हो सकती है। *...(व्यवधान)* डिसप्रपोर्शनेट असैट्स का मामला हाईकोर्ट में है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाइए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: एक उच्च अधिकारी ने कहा था कि चार मंत्रियों के यहां रुपया पकड़ा गया है। उससे नीचे के अधिकारी से लिखवा लिया गया कि रुपया नहीं पकड़ा गया है। हाई कोर्ट में मामला लंबित है। डिसप्रपोर्शनेट असैट्स में इनके चार मंत्री कसूरवार हैं। *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: वित्त मंत्री त्यागपत्र दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष द्वारा लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर प्रतिपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया। कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा हथियार है। वे कभी भी उस हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे। इस विषय पर किसी नियम के तहत चर्चा करवा सकते थे, जैसे राज्य सभा में चर्चा हुई। एक-दो दिन काफी विस्तार से चर्चा हो सकती थी क्योंकि यह काफी गंभीर विषय था। आखिर प्रतिपक्ष ने पता नहीं क्यों यह हथियार चलाया। मैं समझता हूं कि इस वक्त उनके लिए इस हथियार का उपयोग करना आवश्यक नहीं था। इसलिए मैं पहले इसका विरोध करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 7.00 बजे

मैं श्री दासमुंशी की बात सुन रहा था। अभी-अभी अपने मित्र रघुवंश बाबू की बात भी सुन रहा था। बड़ी खुशी होती यदि वे यू.टी.आई. या इस देश की वित्तीय व्यवस्था की नीतियों, उनकी कार्य शैली या कार्य पद्धति पर चर्चा करते। लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करते, व्यक्ति पर चर्चा करते हैं। व्यक्ति अच्छा, बुरा वहां भी है, यहां भी है, हर जगह व्यक्ति अच्छा बुरा होता है और फिर व्यक्ति की कोई नीति नहीं चलती, नीति चलती है सरकार की। दासमुंशी जी वित्त मंत्री जी के बारे में बोल रहे थे कि इस वित्त मंत्री की ही नीति से ऐसा हुआ है। वे कह रहे थे कि 1991 में चन्द्रशेखर सरकार में भी ये वित्त मंत्री थे। ये वित्त मंत्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन उस समय इनका जो दल था उसमें मात्र 54 एम.पी. थे, बाकी सारे आपके समर्थन पर वह सरकार टिकी थी। फिर मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री की कोई नीति नहीं चलती है बल्कि सरकार की नीति चलती है और आपके 200 एम.पी. उस सरकार का समर्थन कर रहे थे। इसलिए उस समय अगर कहीं कोई खामियां हुई, कहीं नीति में, कार्यपद्धति में या यू.टी.आई. की कार्यशैली में कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है तो इसके लिए वित्त मंत्री ही दोषी नहीं हैं, आपको भी इसको सोचना चाहिए। इसका सारा दोष आपकी तरफ ही जायेगा।

इस पर काफी चर्चा हुई, ठीक ही माननीय जार्ज साहब ने कहा कि इस देश में यू.टी.आई. के ऊपर काफी चोट लगी, मैं तो कहता हूं कि इस देश की वित्तीय व्यवस्था पर काफी चोटें लगी हैं। काफी समय से इस देश की वित्तीय व्यवस्था, चाहे म्युचुअल फंड्स से संबंधित हो, चाहे बैंकिंग से संबंधित हो, चाहे बीमे से संबंधित हो, उसमें कितने ही काण्ड हुए है। यहां कई काण्डों की चर्चा की गई, मालवीय काण्ड, मूंदड़ा काण्ड, आते-आते हर्षद मेहता काण्ड में 6500 करोड़ रुपये लुट गये। अभी-अभी केतन पारिख वाले काण्ड में करीब-करीब 3000 करोड़ रुपये लुट गये। जे.वी.जी. का काण्ड हुआ तो 1500 करोड़ रुपये इस देश के गरीब लोगों के, जिन्होंने बैंक में जमा किये थे, वे लुट गये। इस देश में इस तरह के सैंकड़ों नॉन बैंकिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, जो आम जनता को लूट रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सदन को इस पर सोचना चाहिए। आप आंसू बहा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन जो लुट गया उनका क्या होगा *...(व्यवधान)* महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता हूं, मेरी ऐसी आदत भी नहीं है।

जिस समय 1963 में इस सदन में यू.टी.आई. विधेयक लाया गया था। कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे। उस समय डॉ. लोहिया ने

[श्री रामजीवन सिंह]

कुछ प्रश्न उठाये थे और फिर मीनू मसानी साहब ने उठाये थे। उस समय उन्होंने आशंका प्रकट की थी और उन्होंने उस समय कहा था कि यूनिट ट्रस्ट पैसा लगाता है और पैसा लगाकर कैपीटल अर्जित करता है, यह चार दिसम्बर, 1963 को सदन के अन्दर मीनू मसानी साहब के भाषण का अंश है

[अनुवाद]

> ''यदि यूनिट ट्रस्ट किसी कम्पनी में निवेश करता है तो, उसे पूंजी मिलती है। यदि वह इसमें निवेश नहीं करेगा तो उसे पूंजी नहीं मिलेगी। महोदय, जरा सोचें कि इस प्रकार की व्यवस्था में कितना वित्तीय भ्रष्टाचार होगा।''
>
> वे आगे कहते हैं:
>
> ''क्रेडिट को स्वीकृत करना पक्षपात कहा जाएगा और क्रेडिट से इंकार करने पर उसे दण्ड माना जाएगा।''

[हिन्दी]

अब यू.टी.आई. में यह स्थिति चल रही है कि आज साइबर ट्रेडिंग, यू.टी.आई. और ब्रोकर्स, इनके बीच धन का नैक्सस बन गया है, जिसके चलते ये सारी कुव्यवस्थाएं हो रही हैं और हजारों लाखों की संख्या में बेचारे गरीब इन्वैस्टर्स के पैसे लूट लिये जाते हैं। आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, इससे चैकबुक्स का पैसा नहीं भरता है, जिसके पैसे लूट लिये जाते हैं। इसीलिए उस समय मीनू मसानी साहब ने कहा था:

[अनुवाद]

यूनिट ट्रस्ट का मूल यह है कि छोटे निवेशक अपने आप आएं। इसका मूल है कि यह गैर-सरकारी है और सरकार की इसकी निधियों का ईमानदारी से उपयोग करने संबंधी पर्यवेक्षण के अतिरिक्त इसमें कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

जितनी भी सरकारें आती है, इनके फंड्स कहां चले जाते हैं कोई देखती नहीं है। जार्ज साहब ने कहा कि 1400 कम्पनियों में पैसा लगाया गया, जिनमें से 654 कम्पनियां एग्जिस्टेंस में नहीं हैं। मात्र 81 कम्पनियां उस समय कुछ प्रोफिट में थीं तो आखिर इसको कौन देखेगा। आप यह भले कह दें कि 1991 से, या 1994 से और 1996 तक यह सरकार नहीं थी किन्तु यह सरकार का दायित्व बनता है यह देखने का कि सुपरवीजन में कहीं कानून की कमी है, कहीं नियम की कमी है तो सदन में इसको लाकर सुधारना चाहिए।

मैं अंतिम बात कहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हर पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रतिपक्ष में बैठते हैं, तो हमें जनता याद आ जाती है, इन्वैस्टर्स याद आ जाते हैं, लेकिन जब हम सरकार में आते हैं तो हम सभी को भूल जाते हैं।

फिर वहां जाकर याद करने लग जाते हैं। आरोप-प्रत्यारोप से जख्म नहीं भरता है। मीनू मसानी साहब ने ब्रिटेन का एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था-

[अनुवाद]

> ''ब्रिटेन में यूनिट ट्रस्ट सफल रहा है क्योंकि उसको चलाने वाले केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि वे उद्योग एवं वित्त क्षेत्रों से संबंधित हैं, उन्हें पता है कि लाभ कैसे कमाया जाता है। उन्हें पता है कैसे लाभ होगा। उनके पास विवेक है। राज्य की संस्थाओं के अच्छे पदाधिकारी नौकरशाह है। वे ईमानदार हैं, वे ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन वे उद्योग का काम करने या उसका मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।''

[हिन्दी]

यू.टी.आई. में करीब 2400 कर्मचारी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 लोगों को इन्वैस्टमेंट का अनुभव है। उनको भी हटा दिया गया है। इन सब बातों को देखना चाहिए और जो कमी है, उसको सुधारने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का स्कैम फिर न हो। इसके चलते लोगों का वित्तीय व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। यदि ऐसा होगा तो देश की हालत क्या होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। काफी गम्भीर स्थिति है। हमारे देश की वित्तीय स्थिति एक कठिन समय से गुजर रही है। जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि बादल मंडरा रहे हैं, इस तरह का संकेत सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों को भी समझना चाहिए। जिस तरह से वित्त मंत्रालय में यू.टी.आई. का घोटाला हुआ, उसके पक्ष में बोलने के लिए यहां सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हुए, यह सब वित्त

मंत्री जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी पर आरोप लगाना चाहता हूं कि इस तरह की अव्यवस्था की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। प्रधान मंत्री जी ने जब भी उन पर दबाव आया, उन्होंने त्याग पत्र देने की पेशकश की। फिर जब सहयोगी दलों का दबाव आया, तब उन्होंने उस त्याग पत्र को वापस भी ले लिया। लेकिन एक अजीबो-गरीब परिस्थिति में यूएस-64 का घोटाला हुआ। करीब दो करोड़ छोटे निवेशकों पर इसका प्रभाव पड़ा। इससे गरीब लोग, छोटे किसान, छोटे व्यापारी प्रभावित हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह हमारे वित्त मंत्री जी हैं और यह बड़े अफसोस की बात है। जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने त्याग पत्र देने की पेशकश की, उसी तरह से वित्त मंत्री जी को भी साहस दिखाना चाहिए और ऐसे घोटाले पर नियंत्रण न करने के कारण उन्हें सदन में त्याग पत्र देने चाहिए।

रिलाएंस कम्पनी जैसे बड़े संस्थान की रक्षा करने के बदले उन्हें जे.पी.सी. के माध्यम से खोज करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी सत्ता पक्ष में रही है और काफी सालों तक रही है। आज एन.डी.ए. की सरकार है। ये दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जो घोटाले हमारे देश में हो रहे हैं, उन पर किस तरह काबू पाया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर ध्यान देने की और इन्हें रोकने की आवश्यकता है। वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के घोटाले भविष्य में न हों।

अगर घोटाले हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेने की आवश्यकता है विशेषकर वित्त मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी अपना इस्तीफा इस सदन में दें और इतना ही कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): अध्यक्ष महोदय, यह जो घोटाले की बात हो रही है, यह बहुत सीरियस मामला है। जैसा बताया गया है दो करोड़ स्मॉल इन्वेस्टर्स को लूटा गया है और पहले तहलका का कांड हुआ था और अब यह दूसरे तहलका का शोर मचा है और नीचे तक लोग बात करते हैं कि यह क्या हो गया। लोग जितने पैसे लगाते हैं, वे सारे पैसे अगर घपले में चले जाएं तो लोग क्या करेंगे और जो पेंशनर हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको धक्का लगा हुआ है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और हम लोग देख रहे हैं कि यहां डिफेंस करने के लिए हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर आए हैं जिन्हें अपना डिफेंस करना था जो वे नहीं कर सके और इधर डिफेंस कर रहे हैं। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तहलका कांड में मिलिट्री अफसर जेल में गये हैं और ये यहां बैठे हुए हैं जिनके घर में बैठकर सौदे हुए, इसलिए इनको खुलकर बताना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें पता है कि हमारे देश में फाइनेंस और डिफेंस दो ऐसे महकमे हैं जिनमें बाहर से हुकुम आता है और बाहर से हुकुम दिये जाते हैं। इसलिए हमें साफ नजर आता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हिन्दुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं। ये बाहर के हुकुम से बनाए हुए हैं और बाहर के हुकुम से जाएंगे, ये हम से नहीं जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए और यह पार्लियामेंट चाहती है कि इतने बड़े घोटाले हुए हैं और इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में दूसरे हाउस में पी.एम.ओ. की बात आई है। यह साफ है कि जौहरी ब्रदर्स जिनको पकड़ा गया है, वे पी.एम.ओ. के आदमी हैं और यह खबर लगी हुई है जो मैं कहता हूं:

[अनुवाद]

> 'हमें मालूम है कि जौहरी प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र, लखनऊ के हैं और भाजपा के एक प्रभावशाली स्थानीय नेता के पड़ोसी हैं जिन्होंने उनके और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले साइबर पार्क प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने में मदद की थी।'

[हिन्दी]

यह साफ है कि पीएमओ उसमें शामिल है। मैं समझता हूं कि इसकी जांच पड़ताल की जाये। फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा दें और पीएमओ दफ्तर को उसमें शामिल किया जाये ताकि सच्चाई का पता चल जाये और साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जेपीसी बननी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी एक सोच है कि जब यू.टी.आई. की स्थापना की गई थी तो यह माना गया था कि जिस तरह से बूंद-बूंद से घड़ा भरे और उस घड़े से निवेशक को लाभांश देकर फायदा दिया जाये। लेकिन कहीं-कहीं यह महसूस किया गया कि उस लाभांश का निवेशक को, आम गरीब आदमी, मजदूर किसान जो निवेश करता है, उसको फायदा मिलने के बजाए कुछ मुट्ठी भर लोग पूंजीपति लोग मोटा हाथ मारकर अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। यू.टी.आई. की 87 योजनाएं हैं और उनमें से बहुचर्चित योजना यू.एस.-64 है उसमें तकरीबन एक करोड़ 85 लाख निवेशक हैं और कुल पूंजी 5926.13 करोड़ रुपया है।

जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि निवेशक ने विश्वास के साथ, सरकार के प्रति विश्वास रखते हुए, अपना और अपने बच्चों के पेट काटकर, यह राशि जमा कराई थी, ताकि

[श्री सुशील कुमार इन्दौरा]

वह राशि भविष्य में उसका सहारा बेनेगी और एक लाभांश के साथ सरकार उसे वापस देगी। यह आज की बात नहीं है, पिछले वर्षों के इतिहास को भी देखें, तब भी ऐसे हादसे होते रहे हैं। इसके लिए आज इस सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पूर्व की सरकारों के इतिहास को देखें, तो उन सरकारों के समय में भी ऐसे हादसे होते रहे हैं। चौधरी देवी लाल जी कहा करते है-लोक राज लोक लाज से चलता है। छोटे-छोटे गरीब आदमी जो अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं, इनमें मजदूर और किसान भी हैं, जिन्होंने पैसा जमा करवाया है, जो इस सरकार में विश्वास रखते हैं, तो सरकार का भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह उस कर्तव्य को निभाये। इसमें प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या है, मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों पर सरकार गौर करे। पिछले दिनों संसद में 22 जुलाई को एक प्रश्न था, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा गया था, यूटीआई में कितना धन निवेशकों ने लगाया और उससे यूटीआई को कितना लाभ हुआ? इसके साथ यह भी पूछा गया था-यूटीआई ने इस पैसे को कहां-कहां निवेश किया? माननीय वित्त मंत्री जी का जवाब था-सारे तथ्य और सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। महोदय, इससे एक सवाल पैदा होता है, जितना हमें जागरूक होना चाहिए, जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो विश्वास जनता ने हममें प्रकट किया है, उस विश्वास को हम निभा रहे हैं। जनता ने हमें बहुमत दिया है और सरकार का कर्तव्य है कि वह हमारी रक्षा, चाहे सामाजिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो, करे। हमारी राय है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसा भी लगना चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जांच हो जाए और उस रिपोर्ट को फिर कुड़े के ढेर में डाल दिया जाए। जनता के सामने तथ्य आने चाहिए। यह महसूस होना चाहिए कि वाक्यी जांच हो रही है और जनता के हक में हो रही है। *...(व्यवधान)* पिछले दिनों सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपया यूटीआई को दिया। गरीब आदमी ने अपना पेट काटकर भविष्य निधि के तौर पर यूटीआई हो या म्युचुअल फन्ड हो, पैसे जमा कराए हैं। जो घोटाले हुए हैं, वे ज्यादातर शेयर बाजारों में हुए हैं। ये छोटे-छोटे पोस्ट आफिस में नहीं हुए हैं, अल्प बचत योजनाओं में नहीं हुए हैं। इस पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए और खास व्यवस्था करनी चाहिए। ये शेयर घोटाले या यूटीआई के घोटाले क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में जांच की जाए। मुट्ठी भर पूंजीपति लोग गरीब लोगों का खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बन्द किया जाए और निष्पक्ष जांच करवाकर स्थिति को देश के सामने लाया जाए कि सरकार वास्तव में उनके प्रति हमदर्द है। महोदय, मैं एडजार्नमेंट मोशन का विरोध करता हूं, क्योंकि विरोध प्रकट करने के तरीके और भी हैं। अन्य तरीकों से भी देश के सामने सही दिशा लाई जा सकती है। पार्लियामेंट के महत्वपूर्ण कामों को रोक कर नहीं, बहुत सी जांच एजेंसियां एवं बहुत से तरीके हैं जो इन तथ्यों पर आधारित हैं, वे देश के सामने ला सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल अंतिम वक्ता हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यू.टी.आई. द्वारा यूएस-64 की खरीद और बिक्री को छह महीने के लिए बंद करने के बारे में पिछले महीने जो अभूतपूर्व निर्णय लिया गया, उसने लोगों को हतप्रभ कर दिया है। इसने एक बड़े घोटाले को उजागर किया और ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्रालय के इशारे पर लोक वित्त संस्थाओं द्वारा स्वयं की विफलता के कारण जानबूझ कर कुप्रबंधन द्वारा, यह संकट पैदा किया गया है।

लोगों ने इस उम्मीद के साथ इस स्कीम में अपना विश्वास दिखाया कि इसे एक कल्याणकारी राज्य भारत संघ का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने इस स्कीम में अपना भरोसा दिखाया और इसे इस उम्मीद से ट्रस्ट कहा कि यह सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। म्युचुवल फंड है। आज इससे दो करोड़ से ज्यादा लोगों को निराशा हुई है और उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने को यू.टी.आई. के प्रबंधकों द्वारा धोखा खाए महसूस कर रहे हैं। उन लोगों की कीमत पर यू.टी.आई. ने कंपनियों का चयन करके शेयर बाजार में बड़े-बड़े आपरेटरों को फायदा पहुंचाया। इससे सामान्य निवेशकों के साथ-साथ पेंशन पाने वालों के लिए संकट पैदा कर दिया है। इसने उनके दिल और कमर को तोड़ दिया है।

महोदय, ऐसे वातावरण में जहां सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं होते, वहां ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जीवनयापन हेतु रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यू.टी.आई. से प्राप्त आय पर निर्भर रहना पड़ता है। इस निवेशकों की उचित आपातकालीन मौकों जैसे आपरेशन, विवाह व दुख-सुख में धन की आवश्यकता पर भी भारी प्रभाव पड़ा है।

1999 में दीपक पारिख समिति ने कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिसमें आरक्षित इक्विटी और शेयरों में निजी सहभागिता में कमी, निगमों को निवेश करने से हतोत्साहित करना और निधि प्रबंधन के पारदर्शिता और कार्य-कुशलता लाना शामिल है लेकिन

तीन साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। समिति की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अरुण जेटली जी ने वर्तमान में यू.टी.आई. में चल रहे इस संकट को स्पष्ट करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने 1990 में पी.एस.यू. (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां) के 4,722 करोड़ रुपये के शेयर की खरीद का हवाला दिया है। विगत दो वर्षों में यू.टी.आई. द्वारा संदिग्ध स्टाकों के साथ खिलवाड़ यह दर्शाता है कि उनका धन प्रबंधन काफी खराब था। अरुण जेटली यह भूल गए कि 1995 के आखिर में इस स्कीम ने 2100 करोड़ रुपये का ब्याज प्रतिभूति में और ऋण में निवेश से कमाया था जबकि यह वर्ष 2000 में यह राशि केवल 395 करोड़ रुपये ही रह गई।

महोदय, शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) स्टाक में यू.टी.आई. के प्रवेश से केतन पारिख के खेलों को धक्का लगा है। यू.टी.आई. ने इन्फोसिस को न चुनकर साकार स्पेस इन्फोसिस का चयन किया। इससे विपरो को न चुनकर डी.एस.क्यू. सोफ्टवेयर और पेंटामीडिया ग्राफिक्स का चयन किया। और जब मैं शेयरों के मूल्य गिर रहे थे, यूएस-64 के पास केतन पारिख के स्टाकों का भण्डारा भरा पड़ा था।

इक्विटी पोर्टफोलियो 60% संरक्षित कोष को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रहा। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि इस वर्ष जब श्री केतन पारिख के स्टाकों का मूल्य बाजार में गिर रहा था तब भी यू.टी.आई. ने उन पर भारी निवेश करना जारी रखा जिसके फलस्वरूप न केवल स्वयं उसे बल्कि छोटे निवेशकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

श्री वैको ने और श्री जार्ज फर्नान्डीज ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए उस समय का उल्लेख किया जब रिलायंस इण्डस्ट्रीज के शेयर खरीदे गए वे भूल गए कि सरकार उस समय यही थी जिसने उन लोगों के साथ समझौता किया था। यह वही सरकार थी जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समझौता करके सीबीआई के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल किया था। जब कोई श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलते हुए सुनता है तो,

[हिन्दी]

एक ही बात याद आती है कि ''जो पेश पेश रहा हर गुनाह में यारो। उसी ने तलब किया गुनाहगारों को .....''

[अनुवाद]

...(व्यवधान) मैं इसे दोबारा बोलूं? वह है:

[हिन्दी]

''जो पेश पेश रहा हर गुनाह में यारो, उसी ने तलब किया गुनाहगारों को''

[अनुवाद]

यह सरकार प्रदर्शित करती है कि यह सरकार अलग तरह की है। यह सरकार पारदर्शी होने की कसम खाती है। श्री यशवन्त सिन्हा यह तथ्य कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि पुनर्खरीद को रोकने के तुरन्त पूर्व कुछ कारपोरेट गृहों द्वारा भारी मात्रा में धन वापस निकाला गया जिसके परिणामस्वरूप इस योजना को अत्यधिक नुकसान हुआ? क्या आंतरिक व्यापार कारपोरेट क्षेत्र द्वारा भारी निष्पादन से संबंधित नहीं है? मैं चाहूँगा कि वे इन सब प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें न्यासियों की क्या भूमिका रही है? क्या उन्हें शेयरों को बेचने और पुर्नखरीद पर रोक के बारे में 2 जुलाई को वास्तव में घोषणा होने से पहले इसकी जानकारी नहीं थी। न्यासियों, यू.टी.आई. के उच्च पदाधिकारियों और कारपोरेट गृहों के बीच क्या सांठगांठ है जिन्होंने 4000 करोड़ रुपये के शेयरों का निष्पादन किया।

पिछले सप्ताह, यू.टी.आई. पदच्युत चेयरमैन श्री पी.एस. सुब्रमण्यम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यू.टी.आई. के बोर्ड ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों पर कार्य किया। यह बात सरकार को कठघरे में खड़ा करती है। अब यह सरकार का दायित्व है कि वह इन अत्यावश्यक प्रश्नों का उत्तर दे जोकि किसी घोटाले से कम नहीं हैं और जो एक के बाद एक सरकार को हिला रहे हैं। आज श्री सुब्रहमण्यम को हटाने के बाद और उनके वक्तव्य के बाद इस सरकार द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि उन्हें बचाया जाये। हटाये गए चेयरमैन के वकीलों द्वारा वक्तव्य इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि वे बरी हो जायेंगे। शायद इसीलिए आज सरकार उनको हटाने के बाद यह दलील दे रही है कि स्कीम कोई गलत नहीं थी। नि:संदेह स्टाक बाजार में यू.टी.आई. सबसे बड़ा घरेलू निवेशक तथा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक भी है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज यह एक सबसे खराब म्यूचुअल फंड बन कर रह गया है? मैं चाहूंगा कि श्री यशवन्त सिन्हा इस का उत्तर दें। इसकी 50 स्कीमों का निवेश में खराब निष्पादन क्यों रहा? क्या लोगों के प्रति सरकार की यही पारदर्शिता और जवाबदेही है जिसकी शपथ वे लेते हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा तो सैद्धांतिक रूप से सदन के प्रति संवैधानिक जवाबदेही की बात करते हैं। मुझे उनको याद दिलाने का अधिकार

[श्री पवन कुमार बंसल]

नहीं हैं। फिर भी मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि संसद के प्रति जवाबदेही सदन में केवल प्रश्नों का उत्तर देने तक सीमित नहीं है। वह उससे और आगे तक है। यह उनका कर्तव्य है कि वे उसकी जिम्मेदारी लेने का नैतिक साहस करें जो उनके सामने हो रहा है।

बात केवल इसी स्कीम की नहीं है। राजलक्ष्मी स्कीम के साथ जो हुआ है वह इस बात को दर्शाता है और संकेत देता है कि मंत्रालय में क्या हो रहा है। इससे पूर्व भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में एच यू एफ के निवेशकों का क्या हुआ था, जिनको पांच साल के बाद परिपक्वता पर कहा गया था कि वे लाभ के हकदार नहीं है? और ग्यारह मासिक आय योजना स्कीमों के साथ भी यही हो रहा है।

यदि यह सरकारी अमीर लोगों की संगत में रहती है तो मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा लेकिन इस सरकार को निश्चित रूप से आत्मसंतुष्टि की काल्पनिक दुनिया में मजे लेना छोड़ देना होगा।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि यह सरकार आम आदमी के हितों की अनदेखी न करे। अगर यह ऐसा करती है, संयुक्त संसदीय समिति के गठन पर राजी होकर अपनी वास्तविकता साबित नहीं करती, यदि माननीय मंत्री इस्तीफा देने पर राजी नहीं होते और ऐसा करने पर विफल हो जाते हैं और यदि माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने जांच के लिए अगर आवश्यक हो तो, कल प्रस्ताव किया था-वित्त मंत्री को बर्खास्त नहीं करते हैं तो सरकार अपने खतरे पर यह सब करेगी।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, हमारी तो दो सदस्यों की पार्टी है। कृपया कुछ समय के लिए हमें बोलने का अवसर दें। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, इनकी पार्टी से एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं। कृपया हमें भी अनुमति दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना आसन ग्रहण करें श्री स्वाइं *...(व्यवधान)* मैं उनका नाम पुकार चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं: इनकी पार्टी का मैम्बर पहले भी बोल चुका है। *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से विपक्षी पार्टी के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाएगा तो हमें दोष मत देना *...(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): अध्यक्ष महोदय, समय तय कर दीजिए कि यह कितने मिनट बोलेंगे *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, कृपया हमें अनुमति दें। उनकी पार्टी से एक सदस्य काफी बोल चुके हैं *...(व्यवधान)* हमें भी बोलने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना आसन ग्रहण करें, यह अंतिम वक्ता है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर देकर मेरे ऊपर कृपा की है। मुझे इससे बहुत राहत मिली है जो कुछ घटा है उस पर समूचा सदन उद्वेलित है *...(व्यवधान)* हम कोई न कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है? अंततः यह सदन अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन मैं यह नही समझता कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर इस तरह की अधीरता क्यों दिखाई जा रही है? माननीय वित्त मंत्री दूसरे सदन से होकर आए हैं लेकिन वे तो कोई अधीरता नहीं दिखा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, आज हमने श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा बहुत ही आक्रामक हस्तक्षेप देखा। मुम्बई में 'टाईगर' यात्रा पर जाने के बाद वे समझते हैं कि संभवतः समस्या खत्म हो गई है। लेकिन मैं देख रहा हूं श्री गीते वाद-विवाद में भाग नहीं ले रहे हैं। फिर भी उन्होंने आशा करते हुए अपना आसन सदन में विभाजन संख्या पर रखा है। यह आशा करते हुए कि जल्दी ही उनका पुनर्वास हो जाएगा और इससे पश्चिम बंगाल के उनके मित्रों को प्रेरणा मिली है। जिन्हें यह नहीं पता कि वे सदन में कहां बैठे हैं। हालांकि उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर एन.डी.ए. को छोड़ दिया था *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, यह स्थिति कुछ समय पहले हमने यहां बता दी थी। ऐसा कहना सही नहीं है *...(व्यवधान)* मैं चुनौती देता हूँ। अगर मैं गलत हुआ तो मैं संसद से इस्तीफा दे दूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, चूँकि यू.टी.आई. के निवेश के बारे में एक माननीय सदस्य द्वारा मेरी पार्टी का नाम लिया गया है। इसलिए मुझे इसका स्पष्टीकरण देना होगा। मैं समझता हूँ यह कोई अपराध नहीं है। मैं ऐसी आशा करता हूँ। कृपया उन्हें बता दें। फिर भी मैं कहता हूं कि जो कुछ यहां कहा गया वह सब दिखावा, झूठ था। मैं इच्छा करता हूं कि हमारे पास इतना सारा पैसा हो *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: कितना पैसा निवेश किया गया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपके वित्त मंत्री, जो आयकर विभाग के प्रभारी भी हैं, आपको यह बतायेंगे *...(व्यवधान)*

महोदय, समस्या यह है कि इस देश में हममें से कुछ लोग, कुछ राजनीतिज्ञ इस देश की जनता द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज यही स्थिति है। मैं अन्य सदस्यों का समय नहीं लेना चाहता। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहता हूँ जो मेरे विचार से इस देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा कि यह सरकार घोटालों, भ्रष्टाचार और इस प्रकार के अन्य विवादों में लिप्त हैं। यह हम सब जानते हैं। आपने इस देश के अन्दर और बाहर विदेशियों के सामने समर्पण करके इस देश की अर्थव्यवस्था का विनाश करके उसे वित्तीय बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया है। अत:, मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बोलूँगा। परन्तु महोदय, आज भारत सरकार के वित्तीय मंत्री द्वारा, जो लिखित संविधान के तहत कार्य करते हैं और जहाँ उत्तरदायित्व की भावना हमारे संविधान का पूर्ण मौलिक ढ़ांचे की मुख्य विशेषता है, इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है कि सांविधिक निकाय में सरकार का कोई दायित्व नहीं होता। मैं सभा के सभी पक्षों के सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ कि यह पहला अवसर नहीं है जब इस प्रकार की बातें हुई हों। ऐसा अन्यत्र भी हुआ है और हो भी सकता है। ऐसा एल.आई.सी. में हुआ है, ऐसा सामान्य बीमा निकाय में हो सकता है। श्री वैको, आज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम संकट में है। आप इस बात पर खुश हो रहे थे कि यू.टी.आई. कार्यालय के सामने कल बहुत लंबी लाइन नहीं थी। जिन लोगों ने इस यूनिट को प्राप्त करने के लिए 14 या 16 रुपये खर्च किए हैं, वे इसे 10 रुपये में क्यों बेचेंगे? आप इस बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। परन्तु, महोदय, क्या भारत सरकार का मंत्री इस मुद्दे पर इस सभा के प्रति जिम्मेदार है अथवा नहीं? श्री टी.टी. कृष्णामचारी ने जो कहा था, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा था, ''यह निधि आम आदमी, मध्यम वर्गीय लोगों और लघु निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। यह सरकारी संस्था होगी। महोदय, इसीलिए इसका गठन संविधि के अंतर्गत किया गया। इसके लिए संसद में एक विशेष अधिनियम पारित किया गया। महोदय, ऐसा कहा जा रहा है, ''ठीक है, यह एक स्वायत्तशासी निकाय है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भारत सरकार का शक्तिहीन, और अति विनम्र वित्त मंत्री हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूं। मैं टेलीफोन कॉलों का हिसाब-किताब नहीं रख सकता। इसलिए मुझे किसी बात का क्या पता? उन्होंने दूसरी सभा में कहा है।

माननीय वित्त मंत्री, मुझे विश्वास है कि इस अधिनियम की एक प्रति आपके पास होगी। यह भारत की संसद का सुविचारित निर्णय का जो कई वर्ष पहले इस देश का कानून बन चुका है। धारा 3 में कहा गया है कि, ''यह यूनिट ट्रस्ट के नाम से एक निगम होगा।'' अत:, यह एक सांविधिक निगम है। इस यूनिट ट्रस्ट को इतना महत्व दिया गया है कि धारा 3(क) में इस बात का प्रतिषेध किया गया है, ''कि इस देश की कोई भी कंपनी कोई भी व्यक्ति, अपने नाम में 'यूनिट' शब्द शामिल नहीं कर सकता'' क्योंकि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इतना महत्व दिया गया था। इसमें पूंजी किसने लगाई है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक और आनुषंगिक बैंक, जो भारत सरकार के अधीन हैं तथा अनुसूचित बैंक और उनकी सहायक बैंकों ने पूंजी लगाई है *...(व्यवधान)*

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोंटाई): भारतीय रिजर्व बैंक का अंशदान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम अंतरित कर दिया गया है *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, वह एक अच्छे आदमी हैं परन्तु बुरी संगत में *...(व्यवधान)*

धारा 9 में यह कहा गया है कि ''सांविधिक रूप से प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है।'' कानून में इसकी व्यवस्था है। धारा 9(2) में जो कहा गया है, वह ध्यान देने योग्य है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वर्ष 2001 में भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा निष्ठापूर्वक यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

महोदय, इसमें यह कहा गया है, ''कि यह मंडल यूनिट-धारकों के हितार्थ इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।'' अत: लाभार्थी जनता ही है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, जहाँ तक न्यासी-मंडल का संबंध है, उसके सदस्य कौन-कौन हैं? सांविधिक रूप से उनके द्वारा इसका गठन होता है। इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी-निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र का बैंक, सिंडिकेट बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होते हैं। वे इस पर नियंत्रण रखते हैं। कुछ अन्य सदस्यों सहित ये लोग न्यासी मंडल में होते हैं। यह न्यासी मंडल विभिन्न मामलों में भारत सरकार के निर्देशन पर कार्य कर रहा है और प्रत्येक मामले में यह भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझावों, निर्देशों और परामर्श की किसी भी स्थिति में उपेक्षा नहीं कर सकता।

महोदय, अध्यक्ष को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वेतन प्राप्त होता है। यू.टी.आई. किससे उधार ले सकता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकता है और यह अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत बाण्ड जारी करके धनराशि एकत्रित कर सकता है इन बॉण्डों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। यूटीआई द्वारा जारी बॉण्डों पर केन्द्र सरकार गारंटी देती है। यह इस निगम और भारत सरकार के बीच साँठ-गाँठ है। यदि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से इस संगठन अथवा निकाय का समर्थन नहीं करती, जैसाकि पहले व्यवस्था थी, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है।

महोदय, विगत की भाँति यदि यह संगठन घाटे में चल रहा है, तो क्या होगा? धनराशि कौन देगा? इसमें कहा गया है कि घाटे की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और औद्योगिक विकास बैंक विशेष योगदान देंगे। ये संस्थायें कौन सी हैं? ये किसके नियंत्रणाधीन हैं। विगत में उन्हें घाटा हुआ है, जिसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं है।

महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहमति से नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा इसकी लेखा-परीक्षा की गई है। इन लेखाओं और आय विवरणिकाओं को राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। धारा 30 के तहत जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है भारतीय रिजर्व बैंक न्यासी मंडल को निर्देश दे सकता है इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यह न्यास जनहित के नीतिगत मामलों में लिखित रूप में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगा और जब जनहित संबंधी किसी नीतिगत मामले पर प्रश्न उठता है तो उसमें भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा। उन्हें निर्देश देने का अधिकार है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है उसे अपनी इच्छानुसार मंडल का पुनर्गठन करने का अधिकार है।

महोदय, धारा 42 के अनुसार यू.टी.आई. को बन्द नहीं किया जा सकता बल्कि इसे केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा बचाया जा सकता है। लघु जमाकर्त्ताओं और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने की तरह इस विधान को लाने के पीछे भी नेक मंशा थी। अब धनराशि एकत्रित हो गई है। मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा। मेरे पास समय नहीं है। इस चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों ने यह बता दिया है। वित्त मंत्री ने यू टी आई के अध्यक्ष से इस्तीफा देने के लिए कहा है उन्हें इस्तीफा देना ही था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें 2, 3 या 4 जुलाई से पहले यह मालूम था अथवा नहीं कि यू.टी.आई. में स्थिति सामान्य नहीं है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी अथवा नहीं कि सरकार को 3,000 करोड़ से अधिक रुपये की विशाल धनराशि से इस निगम को संकट से उबारना है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी अथवा नहीं कि दीपक पारिख समिति का गठन हो चुका है और वह अपनी सिफारिश दे चुकी है? क्या भारत सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया था कि इन सिफारिशों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं? क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यूटीआई ने दीपक पारिख समिति क्यों नियुक्त की है?

वह बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यू.टी.आई. की स्थिति बहुत खराब है और इससे आम यूनिटधारकों, सामान्य जनता के हितों पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि निवेश का सारा तरीका परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे ऋणोन्मुखी होना चाहिए। अब ऋण और इक्विटी का अनुपात 28 : 72 है। दीपक पारिख समिति में इन सब बातों का उल्लेख है और सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

वित्त मंत्री किसी भी समय अपनी इच्छानुसार बोर्ड का पुनर्गठन कर सकते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया? यह दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन का प्रश्न नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वित्त मंत्री को यूटीआई बोर्ड की बैठक में भाग लेना चाहिए और साइबर स्पेस इन्फोसिस में निवेश पर निर्णय करना चाहिए। मैं उनसे यह नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड की बैठक में वह यह पता करें कि प्रदीप माथुर कौन है तथा इन निवेशों पर नियंत्रण किसका है। मैं वित्त मंत्री से यह नहीं कहूंगा कि वे इस सीमा तक आ जाए। परंतु समग्र जिम्मेदारी उनकी है। इस देश में सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई विधिक प्राधिकारी भारत की संसद के प्रति अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता। इस जवाबदेही का उपयोग कैसे किया जाना है? इसे मंत्रालयों के जरिये लागू किया

जा सकता है। वे इस देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी है जिसका वे यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारत सरकार मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी हों तथा संसद को जवाब दें। क्या वे कह सकते हैं, 'नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ? वित्त मंत्री ने एक बार यह कहकर कि वह नहीं जानते हैं। अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है। जानकारी रखना उनका कर्तव्य है। वह भारत के वित्त मंत्री है। यूटीआई वित्त मंत्रालय के समग्र नियंत्रण के अधीन है। वह आकर यह कैसे कह सकते हैं, 'ठीक है, मैं कैसे उत्तरदायी हूं?'

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2 जलाई के आदेश के 15 दिनों के भीतर अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। मंत्री महोदय को इसकी जानकारी 30 जून को हुई। सीबीआई अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या लिखा? सीबीआई ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट कार्य की अनुपयुक्तता और अपराधिता के ब्यौरे दिए। सीबीआई 15 दिनों के भीतर इन सभी तथ्यों की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकी? सीबीआई ने ये सभी जानकारियां यूटीआई के रिकार्ड से प्राप्त की। यदि मेरे पास और समय होता तो मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट के संगत अंशों को पढ़ता जिससे भारत सरकार के सांविधिक निगम में, जहाँ न्यासीमंडल में सारी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा जिस पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, किए जा रहे कदाचारों और अपराध का पता चलता है। वे यूटीआई की निधि से अपने वेतन आधारित कर रहे हैं। वित्त मंत्री कहते हैं, कि हमें नहीं पता चला। सीबीआई इन सभी तथ्यों और आंकड़ों को एक पखवाड़े में यूटीआई के रिकार्ड से प्राप्त कर सकी। हमारे योग्य वित्तमंत्री वह पार्टी के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं परंतु वह देश की सेवा नहीं कर रहे हैं-अपने उत्तरदायित्व का परित्याग कर दिया है। उन्हें कम-से-कम नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का मानदण्ड निर्धारित करना चाहिए।

हमें अपने संविधान पर गर्व है। हमारे संविधान के कुछ उपबंध दूसरों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। परन्तु यह सरकार, जो घोटालों का पर्याय बन चुकी है। इस देश के संविधान पर जानबूझकर हमला कर रही है। मैं वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं तथा मांग करता हूँ कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय वित्तमंत्री जी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इनको कहें कि बीच में रोके नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): अध्यक्ष महोदय जी, मैं शुरू में यह कहना चाहता हूँ कि इस वाद-विवाद में हमारे वरिष्ठ नेता और सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीस के हस्तक्षेप, जो दुर्भाग्यपूर्ण और पूर्णत: अनावश्यक था, को छोड़कर यह वाद-विवाद उल्लेखनीय रहा है।

मैं उन सभी 19 सदस्यों का अभिवादन करता हूँ जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है तथा हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसको समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं इस सम्मानित सदन को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उसी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपने कर्तव्य का पालन किया है जहाँ उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को छोड़ दिया है।

महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी का आभारी हूं जिन्होंने मेरे बारे में मानव प्राणी होने के नाते कुछ उदार शब्द व्यक्त किए। परंतु उन्होंने कहा है कि उनकी उदारता केवल हमारी व्यक्तिगत संबंधों तक ही सीमित है। परन्तु इस सभा में मुझे यह बताना उनका कर्तव्य है कि मैंने कहाँ गलती की है, मैंने कहाँ भूल की है।

महोदय, मैं अपने पुराने मित्र का अत्यधिक आभारी हूँ। क्या मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा? *...(व्यवधान)* हम एक दूसरे को चालीस वर्षों से जानते हैं। *...(व्यवधान)* इन चालीस वर्षों के दौरान मेरा मानना था कि वह आदर के पात्र हैं; चरित्रवान हैं; वह दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति हैं तथा एक सक्षम व्यक्ति हैं जब तक कि वाद-विवाद के दौरान उन्होंने इस सभा में कुछ टिप्पणी की जिसे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने चुनौती दी और कुछ सेकण्ड के भीतर वह न केवल अपनी बात को वापस लेने के लिए खड़े हुए बल्कि अपनी टिप्पणी के लिए क्षमा याचना भी की।

इसलिए महोदय जी, उन्होंने इस वाद-विवाद के दौरान जो कुछ कहा है उस पर संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि मैं माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जितना आक्रामक हो जाता तो सम्भवत:

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

वह तुरंत कहते कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसे वह वापस लेते हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें उनका विश्वास नहीं है। परंतु उतना आक्रामक होना मेरी आदत नहीं है और इसलिए मैं उन्हें कायम रहने देता हूँ। मुझे आशा है मित्रता जारी रहेगी।

महोदय, इस वाद-विवाद के दौरान कई मुद्दे उठाए गए हैं तथा मैं यथासंभव उनका संक्षिप्त उत्तर देने का प्रयास करूंगा क्योंकि कई तथ्य पहले से ही ज्ञात है। समस्या क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यथार्थतः समस्या क्या है? मैं रघुवंश बाबू द्वारा उल्लिखित असंगत तथ्यों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। उनके वक्तव्य पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। *...(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं जिसका कोई आधार नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यरः महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके विरुद्ध टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हाः मैंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): क्या सत्ता पक्ष से इस तरह की बात ऐलाऊ की जाएगी। यह आपको बताना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर): ये एक मुद्दा उठाते हैं और बीच में भाग जाते हैं। *...(व्यवधान)* ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः जी, नहीं। कृपया मुझे रिकार्ड देखने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे रिकॉर्ड देखने दीजिए। यदि यह आपत्तिजनक है, तो निश्चित रूप से इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे रिकॉर्ड देखने दें। यह क्या है? यदि यह आपत्तिजनक है तो निश्चित रूप से इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे रिकॉर्ड देखने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधियाः महोदय, वित्त मंत्री जी की टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यदि वे आपत्तिजनक हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे रिकॉर्ड देखने दें। यह क्या है? आप मंत्री जो कहना चाहते हैं, उसे नहीं कहने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने पहले ही कह दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधियाः महोदय, माननीय मंत्री जी को अपनी टिप्पणी वापस लेनी होगी। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यरः महोदय, उनकी टिप्पणियां अत्यधिक आपत्तिजनक है तथा उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी होंगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझे रिकॉर्ड देखने दीजिए। यदि वे आपत्तिजनक हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। यह क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यरः महोदय, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। *...(व्यवधान)* उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री मणिशंकर अय्यर जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हाः महोदय, इस सभा में मांग की गई है कि मुझे अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने कहा है कि यदि यह आपत्तिजनक है तो निश्चित रूप से इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। मुझे रिकॉर्ड देखने दीजिए। यह क्या है? जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं देखूंगा तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधियाः मैं माननीय सदस्य से उनकी टिप्पणी वापस लेने का अनुरोध करता हूं। यह टिप्पणी ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हाः जो कुछ मैंने कहा उसमें असंसदीय कुछ भी नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री यशवन्त सिन्हाः मैं इसे वापस नहीं लूंगा *...(व्यवधान)* मैं टिप्पणी वापस नहीं लूंगा। मैंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.00 बजे

वे मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। मैं कार्यवाही-वृत्तांत की जांच करूंगा। मैं देखूंगा उन्होंने क्या कहा है।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.01 बजे

(इस समय, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

श्री यशवन्त सिन्हाः कदापि नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। मैंने पहले ही कहा है कि, मुझे कार्यवाही-वृत्तांत देखने दीजिए। यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैं कार्यवाही-वृत्तांत में देखूंगा यदि कुछ भी आपत्तिजनक पाया गया, तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि अपने स्थानों पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, अपने स्थानों पर वापस जाइए। कृपया समझिए कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। मैं कार्यवाही-वृत्तांत में देखूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह क्या हो रहा है। मुझे कार्यवाही-वृत्तांत की जांच तो करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यदि आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे, तो मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अन्यथा मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रख दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं अपील करता हूं कि अपने स्थानों पर वापस जाइए। अन्यथा, मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रख दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब, श्री प्रियरंजन दासमुंशी को उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः हम चाहते हैं कि इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। पीएमओ की भूमिका से संबंधित आरोपों की जांच की जानी चाहिए। हम इस संबंध में प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यदि आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो, मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं। श्री दासमुंशी को उत्तर देना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने पहले ही उन टिप्पणियों के बारे में बता दिया है। मैं कार्यवाही-वृत्तांत को देख कर उचित कार्यवाही करूंगा। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बिना कार्यवाही-वृत्तांत देखें, मैं कैसे कुछ कह सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत को देखे बिना, मेरा कुछ कहना असंभव है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.26 बजे

(इस समय, श्री अवतार सिंह भडाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

अध्यक्ष महोदयः माननीय प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय, अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां हैं *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय प्रधान मंत्री को बोलने के लिए बुलाया है। वे पहले ही बोल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा में नयी प्रक्रिया बना रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): माननीय, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उत्तर दे दिया है। अब हम मतदान करेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, क्या यह आपका उत्तर है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने मुझे उत्तर देने के लिए बुलाया है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आपका उत्तर है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या ये आपका उत्तर है?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने सभा के एक वरिष्ठतम सदस्य के लिए अनुचित टिप्पणी की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, मैंने पहले ही कहा है कि मैं कार्यवाही-वृत्तांत में देखकर उचित कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सर्वप्रथम, मुझे कार्यवाही-वृत्तांत देखना पड़ेगा। मैं बिना कार्यवाही-वृत्तांत देखे कैसे कुछ कह सकता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, वे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? यह कार्यवाही-वृत्तांत देखने का प्रश्न नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत देखने के बाद, मैं निश्चित ही उचित कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, क्या यह आपका उत्तर है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

रात्रि 8.28 बजे

(इस समय, श्री मणिशंकर अय्यर और अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय को उनका उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.29 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

रात्रि 8.29$^{1}/_{4}$ बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को पहले ही आश्वासन दिया हुआ है कि रिकार्ड की जांच की जायेगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक रिकार्ड की जांच नहीं हो जाती है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप उन पर इस तरह जोर नहीं डाल सकते।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अय्यर जी, कृपया आप अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय रिकार्ड की जांच कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय रिकार्डस की जांच करेंगे। उन्होंने पहले ही आश्वासन दिया है कि अगर उसमें कुछ असंसदीय और आपत्तिजनक हुआ तो वे उसकी जांच करायेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जायें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं, श्री अय्यर जी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष जी ने सदन को बताया है कि वे सारा रिकार्ड देखेंगे कि क्या कहा गया है, उसके बाद ही कार्यवाही की जायेगी। उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान से ही व्यवस्था का प्रश्न उठाये, यहां से नहीं।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.33 बजे

(इस समय श्री मणिशंकर अय्यर, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

सरदार बूटा सिंह: लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्यवाही नियमों के नियम 352 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद को सम्बोधित करते समय कोई मंत्री या सदस्य ''किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं कहेगा या उसकी सदभावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा...'' इन्होंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान किया है *...(व्यवधान)* इन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए *...(व्यवधान)* इन्होंने इस सदन की अवमानना की है *...(व्यवधान)* आपको सदन का मान रखना चाहिए और इन्हें कहें कि अपने शब्द वापस ले और क्षमा मांगे। अन्यथा सदन को स्थगित करें *...(व्यवधान)*

रात्रि 8.34 बजे

(इस समय श्री अवतार सिंह भडाना, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया स्पष्टीकरण को पढ़े सरदार बूटा सिंह जी। इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष ने पहले ही आश्वासन दिया हुआ है कि वे रिकार्डस देखेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी सदस्यों को कहता हूँ कि वे अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इसी सिलसिले में रिकार्ड देखा जायेगा और जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, वह लिया जायेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष ने पहले ही उस पर विनिर्णय दे दिया है, और मैं इस पर दूसरा विनिर्णय नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, माननीय वित्त मंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। माननीय श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोलने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय कल प्रधान मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में यह आश्वासन दिया था कि यदि प्रधान मंत्री कार्यालय के कार्यकरण के बारे में कोई जांच करने की आवश्यकता होगी, तो अवश्य की जायेगी। मैं अपने उत्तर में इस बात के लिए आग्रह करता हूँ कि प्रधान मंत्री जैसा कि उन्होंने दूसरी सभा में आश्वासन दिया था यू.टी.आई. के मामले और उसमें उनके कार्यालय के शामिल होने के मामले की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने संबंधी हमारी मांग स्वीकार करें और *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि यह स्थगन प्रस्ताव है, अत: सभा में इस प्रस्ताव पर मतदान होगा। इसलिए मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा के समक्ष रखने के लिए बाध्य हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.43 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

उपाध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

(एक) दिल्ली में नकली उत्पादों के "उत्पादन और बिक्री" को रोकने के लिए कठोर उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): दिल्ली नकली उत्पादों की राजधानी बन गयी है-चाहे वह नकली दवाएं हों, नकली मुद्रा

---

*सभापटल पर रखे माने गए।

[श्री विजय गोयल]

या फिर अन्य नकली उत्पाद। नकली उत्पाद राजधानी की गलियों और कूचों में वास्तविक मूल्य से बहुत कम मूल्य में मिल जाता है।

4 जुलाई 2001 को राजधानी के सबसे बड़े लोक बाजार, भागीरथ प्लेस, चांदनी चौक, दिल्ली से कई करोड़ रुपये मूल्य की नकली दवाएं बरामद की गयी थी। अधिकांश नकली दवाएं वे थीं जो सामान्य तौर पर डाक्टरों द्वारा इस्तेमाल के लिए बनायी जाती हैं और जिसका सेवन आम लोग करते हैं। यह बरामदगी मिसाल नकली दवाओं के व्यापार का एक छोटा सा नमूना है।

औषधि नियंत्रण विभाग इस अवैध व्यापार को रोकने में सक्षम नहीं है जिससे अपराधी किस्म के दवा विक्रेता एवं दवा निर्माता आपसी सांठ-गांठ की मदद से लोगों की जिन्दगी से खेल रहे हैं। इस बुराई को आरंभ में ही जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

(दो) राजस्थान में अलवर में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. जसवन्तसिंह यादव (अलवर): राजस्थान राज्य औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के विकास हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना है।

राजस्थान के अलवर जिले में एक भी औद्योगिक विकास केन्द्र नहीं है जबकि यह जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आता है तथा यहां पर दिल्ली से उद्योग भी स्थानान्तरित होकर आ रहे हैं। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण यहां के उद्योगपति बहुत परेशान हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के अलवर जिले में भी औद्योगिक विकास केन्द्र शीघ्र स्थापित किया जाए।

(तीन) झारखंड में पंचायतों में अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार को झारखंड पंचायत राज विधेयक, 2001 में संशोधन करने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): नियम 377 के माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि झारखंड पंचायत राज विधेयक 2001 जो भूरिया, कमीशन की सिफारिशों के आधार मानकर झारखंड विधान सभा में पारित की गई है, उसमें बारह जिले में अनुसूचित जनजाति, मानकी एकल पदों को आरक्षित कर दिया गया है, जैसे मुखिया, उप मुखिया, उप प्रमुख, जिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सभी प्रमुख पदों को आरक्षित कर दिया गया है जो कि उचित नहीं है। जनसंख्या के आधार पर जिन पंचायतों में अनुसूचित जनजाति की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक है वहीं पर मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख अध्यक्ष का पद आरक्षित हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। गैर आदिवासी पिछड़े, दलित एवं अन्य जाति की संख्या बहुत बड़ी है, जिनको समुचित स्थान नहीं दिया है, जिससे इन वर्गों में काफी असंतोष है। इससे विकास कार्य अवरुद्ध होगा और आपसी भेदभाव बढ़ेगा।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जब तक इस बिल का सुधार नहीं होता तब तक झारखंड में पंचायतों में चुनाव न कराये जायें और बिल में संशोधन शीघ्र कराया जाए चूंकि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सत्ताईस प्रतिशत है बाकि संख्या गैर आदिवासी की है।

(चार) राजस्थान में अजमेर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की इकाई को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): राजस्थान के बीचोंबीच स्थित अजमेर नगर अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है यहां पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) की एक इकाई कई वर्षों पूर्व स्थापित हुई थी, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। इन फैक्ट्री में करोड़ों रुपये के मूल्य की कई महत्वपूर्ण मशीनें हैं तथा इनसे संबंधित कई कुशल, अनुभवी और तकनीकी जानकार कार्यरत हैं। अजमेर स्थित एच.एम.टी. इकाई को आईएसओ का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। यहां से उत्पादित तथा निर्मित कई महत्वपूर्ण मशीनें देश विदेश में भेजी जाती हैं। यदि रक्षा, रेलवे आदि अन्य संस्थानों से इस इकाई को विशेष माल या निर्मित वस्तुएं तैयार करने का आदेश प्राप्त हो तो यहां विद्यमान आधारभूत सुविधाओं एवं उपकरणों से उन्हें सरलता एवं सहजता के आधार पर निर्मित कर आपूर्ति किया जा सकता है. एच.एम.टी. इकाई, अजमेर में भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम की एकमात्र इकाई है जिससे अजमेर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है।

औद्योगिक मंदी तथा इस इकाई को उत्पादित मशीनरी का आदेश नहीं मिलने आदि के कारण यहां वी.आर.एस. स्कीम के अंतर्गत कई कुशल श्रमिकों को सेवानिवृत्त किया जा चुका है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर स्थित एच.एम.टी. इकाई को किसी भी स्थिति में चालू रखा जाए तथा यहां उपलब्ध

आधारभूत सुविधाओं एवं यंत्रों के आधार पर इन्हें अधिकाधिक जॉब वर्क दिया जाये।

(पांच) महाराष्ट्र के इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धरणगांव स्टेशन पर हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): मेरे संसदीय क्षेत्र एरनडोल के अंतर्गत धरणगांव एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन के आसपास 50 गांव हैं, जिनकी आबादी 5 लाख के लगभग होगी, यह एक व्यापारिक स्थान है और यहां पर अनेक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दूसरे स्थानों से आते हैं तथा यहां के निवासी भी व्यापार तथा नौकरी हेतु दूसरे स्थानों को जाते हैं, लेकिन धरणगांव रेलवे स्टेशन पर कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी के न रुकने के कारण सभी लोगों को काफी कठिनाई होती हैं। यहां की जनता एक एक्सप्रेस गाड़ी रुकवाने हेतु काफी समय से मांग करती आ रही है तथा मैंने भी रेल मंत्री महोदय से इस संबंध में अनुरोध किया था, अब यहां की जनता आंदोलन करने पर विवश हो गई है।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनहित में जनता की उचित मांग को ध्यान में रखते हुए धरणगांव रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी का थोड़ी देर का ठहराव के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(छह) नागपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने और वहां पर ''कार्गो हब'' स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): पूरे मध्य भारत और विदर्भ क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में एक मल्टी मॉडल इन्टरनेशनल पैसेन्जर और कार्गो हब का विकास करने की योजना बनाई है। इस हब एयरपोर्ट को वर्तमान हवाई अड्डे के समीप विकसित करने का प्रस्ताव है। इसमें नागपुर हवाई अड्डे की मौजूदा सभी सुविधाएं होगी।

नागपुर केवल भौगोलिक दृष्टि से ही देश के मध्य में स्थित नहीं है बल्कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार इस हवाई अड्डे को विकसित करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है और इसकी तकनीकी संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर चुकी है।

मैं केन्द्र सरकार से निम्नलिखित मुद्दों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह करता हूं:

1. नागपुर हवाई अड्डे को यात्री एवं कार्गो दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए।

2. नागर विमानन मंत्रालय खुले आकाश की नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उतरने की अनुमति दें।

3. केन्द्र सरकार नागपुर के इस मल्टी मॉडल इन्टरनेशनल हब एयरपोर्ट के विकास के लिए विशेष उद्देश्य कम्पनी स्थापित करने के लिए इक्विटी भागीदार के रूप में राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करे और मौजूदा परिसम्पत्तियां इस विशेष उद्देश्य कम्पनी को नि:शुल्क अंतरित कर दी जाएं।

4. अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवाओं को हब हवाई अड्डे के रूप में नागपुर हवाईअड्डे पर रख-रखाव सुविधाएं ट्राजिट सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(सात) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): मैं सरकार का ध्यान पाचवें दशक के प्रारंभ में शुरू की गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ओर दिलाना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों-बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर और जोधपुर की जीवन रेखा होने के नाते इस परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता है। इस परियोजना का निर्माण कार्य जैसलमेर तक पूरा हो चुका है और बाड़मेर में शुरू हो गया है किंतु केन्द्र सरकार द्वारा निधि जारी न करने के कारण इस राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण कार्य रुका हुआ है।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वर्ष, राजस्थान के 32 जिलों में से 31 जिलों को सूखा-प्रभावित जिले घोषित किया जा चुका है और वे भयंकर सूखे की चपेट में हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार तीसरे वर्ष भी सूखा पड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पशुओं के लिए चारा उत्पादन और सिंचाई तथा पेयजल मुहैया कराने की दृष्टि से बड़ी सहायक है।

मैं केन्द्र सरकार से इस राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त निधि आवंटित करने का अनुरोध करता हूँ।

(आठ) पश्चिम बंगाल के 'चैन समुदाय'' को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, माल्दा, बीरभूमि और पश्चिम दीनाजपुर जिलों में रहने वाले ''चैन समुदाय'' के लोग अत्यन्त गरीब और दलित हैं। यहां पुरुषों की साक्षरता दर एक प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 0.001 प्रतिशत है जोकि नगण्य है। खेती और सब्जी बेचना यहां की जीविका का एकमात्र स्रोत है किंतु इनके पिछड़ेपन के बावजूद इन्हें अनुसूचित समुदाय की स्थिति में सम्मिलित नहीं किया गया है। संस्कृति अनुसंधान सी.ए.एल. संस्थान ने तीन बार से भी अधिक केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की है कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत इस समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने पर विचार किया जाए। इस संबंध में पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। जिसे 24.11.1997 को स्वीकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस समुदाय की 'चैन भाषा' नामक एक विशेष भाषा भी है। यहां तक कि 'मंडल आयोग' ने भी इस समुदाय को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा हुआ स्वीकार किया है। इसलिए मैं, केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि इस समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान कर उनकी भावनाओं को शांत की दिशा में यह कदम उठाया जाए।

(नौ) केरल के कन्नूर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान कन्नूर सहित केरल के उत्तरी जिलों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 की खराब हालत की ओर दिलाता हूँ।

हमारी पहुँच से परे, बड़ी परियोजनाओं के प्रयास में हमें अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के मौलिक रखरखाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 जो कन्नूर जिले से होकर गुजरता है उसको चौड़ा करने, मजबूत करने और इस पर यातायात के लिए गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

हाल ही में क्विलैण्डी पर हुई रेल दुर्घटना के कारण केरल के उत्तरी जिलों, कन्नूर, कोजीकोट इत्यादि का बाकी केरल से संपर्क टूट गया था। जिसकी वजह से सड़कों पर यात्री और माल की आवाजाही का बहुत दबाव पड़ा है। इससे केरल के उत्तरी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 की हालत समय से पहले खराब हो गई है।

मेरे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत दूसरे राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों से बहुत बुरी है। इसलिए मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करूंगा कि राजमार्ग के चल रहे कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 जो कन्नूर से होकर गुजरता है, को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण और यातायात के लिए इसकी गुणवत्ता में सुधार का कार्य भी सम्मिलित किया जाए तथा इसके लिए पर्याप्त निधि आबंटित की जाए।

(दस) आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ''डिविसीमा'' क्षेत्र में ज्वारीय तरंगों से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए सीमेंट-कंक्रीट के तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): आंध्र प्रदेश का तैनाली निर्वाचन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र पर है। यहां पर, विशेष रूप से कृष्णा जिले के 'डिविसीमा' क्षेत्र में ऊँची ज्वारीय लहरों के कारण तट पर लगातार मृदा क्षरण होता रहता है।

कई अवसरों पर यह अनुरोध किया गया है कि मृदा क्षरण को रोकने और मूल्यवान निजी भूमि, निवास और दूसरी संपत्तियों को बचाने के लिए वहां पक्का, कंक्रीट सीमेंट तटबंध के निर्माण की आवश्यकता है। मैं सरकार, महासागर विकास विभाग से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे संवेदनशील तटीय स्थानों का सर्वेक्षण किया जाए और कंक्रीट सीमेंट के तटबंधी निर्माण किया जाए ताकि मृदाक्षरण रोका जा सके।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फतेहगढ़ और कायमगंज स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रूखाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र फरूखाबाद में दो स्थान-फतेहगढ़ एवं कायमगंज, हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों स्थान काफी पहले से ही मुख्य रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं, परन्तु इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर ''आरक्षण'' की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। वर्तमान में केवल फरूखाबाद में ही यह सुविधा उपलब्ध है।

फरूखाबाद का जिला मुख्यालय फतेहगढ़ है। जिलाधिकारी कार्यालय सहित उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालय फतेहगढ़ में ही स्थित है।

देश के बड़े सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में एक फतेहगढ़ में स्थित है।

फरूखाबाद एवं फतेहगढ़ एक तरीके से जुड़वा शहर हैं। दोनों के बीच की दूरी 10 कि.मी.. है।

इसी प्रकार कायमगंज देश का एक महत्वपूर्ण तम्बाकू-व्यापार का केन्द्र है। यहां पर रेलवे आरक्षण की सुविधा न होने से व्यापारियों एवं स्थानीय निवासियों को 30 कि.मी. की यात्रा करके आरक्षण हेतु फरूखाबाद आना पड़ता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फरूखाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उक्त दोनों स्थानों पर ''कम्प्यूटरीकृत आरक्षण'' की सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें।

(बारह) महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढे (अमरावती): महाराष्ट्र कृषि प्रधान राज्य है। महाराष्ट्र में कपास का भारी मात्रा में उत्पादन होता है और राज्य सरकार द्वारा एकाधिकार योजना के अंतर्गत कपास की खरीदारी होती है। कपास के साथ साथ सोयाबीन व प्याज का भी काफी मात्रा में उत्पादन होता है।

कृषि उपज को निर्यात के लिए केन्द्र सरकार हर साल अनुमति प्रदान करती है लेकिन वक्त पर निर्यात की अनुमति न मिलने के कारण किसानों को प्याज और सोयाबीन के उचित दाम नहीं मिल पाते। इसीलिए वक्त पर राज्य का सरप्लस कृषि उत्पाद निर्यात के लिए अनुमति देने के अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किये जाएं ताकि वक्त पर निर्यात हो सके।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों के लाभ के लिए राज्य सरकार को ''फ्री बोर-वेल'' स्कीम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है उसके चित्रकूट मंडल के शामिल जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर में सन 2000-2001 में सूखा पीड़ित होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा राहत कार्यों एवं पेयजल समस्या के निदान हेतु कुछ धन की व्यवस्था की गई थी। सूखा राहत हेतु किसानों से भूमि राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई थी। अन्य कार्यों में तालाबों की खुदाई करके गहरा करना प्रस्तावित है।

सूखा से राहत पहुंचाने के लिए किसानों को फ्री बोर नलकूप योजना बड़ी तादाद में चलाना नितान्त आवश्यक है। लघु नलकूपों के निर्माण के लिए किसानों को राज्य सरकारों के मार्फत आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए। सूखा राहत कार्यों के अंतर्गत पेयजल की समस्या के निदान हेतु व्यापक पैमाने पर योजनाएं शुरू कराना वांछनीय है। हैण्ड पम्पों को अधिक संख्या में अधिक गहराई तक लगाना चाहिए, जिससे वे सूखा की मार झेल सकें। सूखा के कारण चारा पानी के अभाव में बड़ी तादाद में मवेशी मर जाते हैं। पेयजल की समस्या के निदान की योजना बनाते समय इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराये।

(चौदह) उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुशालाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): उड़ीसा चक्रवात, सूखा और बाढ़ से बार-बार प्रभावित हुआ है। इस वर्ष भी भीषण बाढ़ आई। राज्य के तीस जिलों में से इक्कीस जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ व सूखे की समस्याओं से निपटने के लिए दीर्घकालीन उपाय करने के बजाए हमेशा तदर्थ रवैया अपनाया जाता रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे और समस्या का स्थायी समाधान करे।

उड़ीसा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं की संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के पश्चात् इनके संरक्षण और देखरेख पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस भयंकर बाढ़ से सभी मिट्टी के मकान और पशुओं के शेड बह गए। गरीबों, खेतीहर मजदूरों और सीमांत कृषकों की आजीविका का ये पशु मुख्य स्रोत हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन पशुओं को पालने वाले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता करे।

मैं भारत सरकार से पशुशालाओं के निर्माण में सहायता करने का अनुरोध करता हूँ।

(पन्द्रह) ईंधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): ईंधन की सीढ़ी पर चढ़कर ही विकास की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। देश में ईंधन के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम व बिजली हैं। कोयला 50 फीसदी से अधिक राख मिश्रित होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर देश में बेचा जा रहा है क्योंकि कोयले की उत्पादन लागत ही अधिक है। पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्पादों की कीमत निर्धारण के लिए प्रशासनिक मूल्य निर्धारण पद्धति का सहारा लिया जाता है, जिसमें उत्पादन लागत की भूमिका का स्थान नहीं होता। इसी कारण उत्पादन लागत कम करने की ओर न ध्यान जाता है और न जरूरत समझी जाती है। बिजली के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता से कहीं कम उत्पादन हो रहा है और जो हो रहा है उसमें से 50 प्रतिशत तक हानि हो रही है, फलस्वरूप बोर्डों को घाटा है।

देश की क्षमताओं पर आधारित एवं आवश्यकताओं के अनुकूल एक सुनिश्चित ठोस सोच की ईंधन नीति न होने का ही यह परिणाम है। अत: मेरा आग्रह है कि अविलम्ब एक ईंधन नीति बनायी जाए, जिससे देश में ईंधन किफायती कीमत पर आवश्यकतानुसार सहज मिल सके।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 3 अगस्त, 2001/12 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।